इंडियन बैंक
Indian Bank
आपका अपना बैंक • YOUR OWN BANK

वार्षिक रिपोर्ट Annual Report 2015-16

हरित बैंकिंग । सतत भविष्य ।
Green Banking. Sustainable Future.

श्री महेश कुमार जैन, प्रनि एवं मुकाअ द्वारा श्री अरुण जेटली, माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री, भारत सरकार को लाभांश सौंपते हुए ।
Shri. M.K. Jain, MD & CEO handing over dividend to Shri. Arun Jaitley, Hon'ble Union Finance Minster, GOI

21 अगस्त 2015 को नई दिल्ली में बैंक के 109 वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 109 शाखाओं तथा 109 बंच नोट एक्सेपटर / रीसाइक्लर के वर्चुअल उद्घाटन के अवसर पर श्री अरुण जेटली, माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री, भारत सरकार, सभा को संबोधित करते हुए ।

Shri. Arun Jaitley, Hon'ble Union Finance Minister, GOI addressing the gathering, on virtual inauguration of 109 Branches and 109 BNAs/ Recyclers on the eve of 109th Foundation Day of the Bank on August 21, 2015 at New Delhi.

11वें वार्षिक बैंकिंग शिखर सम्मेलन, मुंबई, में श्री जयंत सिन्हा, माननीय वित्त राज्य मंत्री, भारत सरकार से श्री महेश कुमार जैन, प्रनि एवं मुकाअ, प्रतिष्ठित एसोचेम सामाजिक बैंकिंग उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त करते हुए । इंडियन बैंक को मध्यम श्रेणी के बैंक के अंतर्गत इन पुरस्कारों से नवाजा गया –

- कृषि बैंकिंग के अंतर्गत विजेता
- शहरी बैंकिंग के अंतर्गत विजेता
- ग्रामीण बैंकिंग के अंतर्गत उप विजेता

Shri. M.K. Jain, MD & CEO receiving the prestigious ASSOCHAM Social Banking Excellence Award from Shri. Jayant Sinha, Hon'ble Minister of State for Finance, GoI during the 11th Annual Banking Summit, Mumbai. Indian Bank has been awarded under Medium Bank Class for

- Winner Under Agriculture Banking
- Winner under Urban Banking
- Runner up under Rural Banking

निदेशक मंडल
BOARD OF DIRECTORS

बाएं से दाएं : श्री पद्मनाभन विट्ठल दास, श्री विनोद कुमार नागर, सुश्री मुदिता मिश्रा,
श्री आर सुब्रमणिय कुमार, कार्यपालक निदेशक, श्री महेश कुमार जैन, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
श्री टी सी वेंकट सुब्रमणियन, गैर–कार्यपालक अध्यक्ष, श्री बी पी विजयेन्द्र, श्री ए एस राजीव, कार्यपालक निदेशक,
श्री श्रीराम रामचन्द्रन , श्री दीपक डी सामंत, श्री पी वेंकट कृष्ण राव

From Left to Right : Mr Padmanaban Vittal Dass, Mr Vinod Kumar Nagar, Ms Mudita Mishra,
Mr R Subramania Kumar, Executive Director, Mr Mahesh Kumar Jain, Managing Director & CEO,
Mr T C Venkat Subramanian, Non-Executive Chairman, Mr B P Vijayendra, Mr A S Rajeev, Executive Director,
Mr Sriram Ramachandran, Mr Deepak D Samant, Mr P Venkata Krishna Rao

इंडियन बैंक
Indian Bank

महा प्रबन्धक / GENERAL MANAGERS

एस के परिदा
S K Parida

रंगराजन जी
Rangarajan G

उदय भास्कर रेड्डी के
Udaya Bhaskara Reddy K

नागराजन एम
Nagarajan M

धर्मराज पी
Dharmaraj P

चेळियन एस
Chezhian S

मणिमारन आर
Manimaran R

पार्थसारथी बी
Parthasarathy B

प्रशांत वी ए
Prasanth V A

कृष्णन एस
Krishnan S

लक्ष्मीपति रेड्डी जी
Lakshmipathy Reddy G

ओम प्रकाश अंबष्ट
Om Prakash Ambasht

गोपाल वी
Gopal V

वेंकटेस पेरुमाल पी
Venkatesa Perumal P

आजाद सिंह गंडस
Azad Singh Gandas

हनुमंतु सन्यासी
Hanumanthu Sanyasi

कार्तिकेयन एम
Karthikeyan M

चन्द्रा रेड्डी के
Chandra Reddy K

रामू ए
Ramu A

इंडियन बैंक Indian Bank

कॉर्पोरेट कार्यालय : 254 - 260 अव्वै षण्मुगम सालै
Corporate Office : 254-260, Avvai Shanmugam Salai
चेन्नै **Chennai - 600 014**

वार्षिक रिपोर्ट **Annual Report 2015-16**
निष्पादन की प्रमुख बातें **PERFORMANCE HIGHLIGHTS**

(₹ करोड़ों में) (₹ in crore)

विवरण Particulars	31-03-12	31-03-13	31-03-14	31-03-15	31-03-16
कुल व्यापार Total Business	211988	249136	286634	298057	310918
जमाएं (ग्लोबल) Deposits (Global)	120804	141980	162275	169225	178286
अग्रिम (ग्लोबल) Advances (Global)	91184	107156	124359	128832	132632
निवेश (सकल) Investments (Gross)	38208	42056	47635	46804	53418
ब्याज आय Interest Income	12231	13898	15249	15853	16244
गैर ब्याज आय Non Interest Income	1232	1283	1372	1363	1781
कुल आय Total Income	13463	15181	16621	17216	18025
ब्याज व्यय Interest Expenses	7813	9368	10889	11391	11798
परिचालनगत व्यय Operating Expenses	2187	2751	2831	2811	3195
कुल व्यय Total Expenditure	10000	12119	13720	14202	14993
परिचालनगत लाभ Operating Profit	3463	3061	2901	3014	3032
निवल लाभ Net Profit	1747	1581	1159	1005	711
जमाओं की लागत (%) Cost of Deposits (%)	6.68	7.07	7.15	7.10	6.76
अग्रिमों पर प्रतिफल (%) Yield on Advances (%)	11.28	11.03	10.38	10.19	9.63
निवल ब्याज मार्जिन (%)Net Interest Margin (%)	3.43	3.09	2.60	2.50	2.33
औसत आस्तियों पर प्रतिफल (%) Return on Average Assets (%)	1.31	1.02	0.67	0.54	0.36
ईक्विटी शेयर पूंजी Equity Share Capital	430	430	465	480	480
स्थायी गैर–संचयी अधिमान शेयर पूंजी Perpetual Non-Cumulative Preference Share Capital	400	400	0	0	0
रिज़र्व एवं अधिशेष (पुनर्मूल्यन रिज़र्व को छोड़कर) Reserves & Surplus (excluding Revaluation Reserve)	8808	10009	11071	12078	12998
निवल संपत्ति Net Worth	9638	10839	11536	12558	13478
सकल एनपीए (%) Gross NPA (%)	2.03	3.33	3.67	4.40	6.66
निवल एनपीए (%) Net NPA (%)	1.33	2.26	2.26	2.50	4.20
पूंजी पर्याप्तता अनुपात Capital Adequacy Ratio					
- बेसल II - Basel II	13.47	13.08	13.10	13.24	13.67
- बेसल III - Basel III			12.64	12.86	13.20
प्रति शेयर अर्जन (₹) Earnings Per Share (₹)	39.57	35.80	26.07	21.62	14.81
प्रति शेयर बही मूल्य (₹) Book Value per Share (₹)	214.94	242.89	248.16	261.46	280.63
प्रति ईक्विटी शेयर लाभांश (₹) Dividend per Equity Share (₹)	7.50	6.60	4.70	4.20	1.50*
शाखाओं की संख्या (नंबर) No. of branches (Nos.)	1958	2092	2253	2412	2565
कर्मचारियों की संख्या (नंबर) No. of employees (Nos.)	18782	18870	19429	20294	20140
प्रति कर्मचारी कारोबार (₹ लाखों में) Business per employee (₹ in lacs)	1114	1301	1453	1443	1531

* प्रस्तावित Proposed

लेखा परीक्षक AUDITORS

एस.पी. पूरी एण्ड कं
S.P. PURI & CO.

सी.के. प्रुस्टि एण्ड एसोसियेट्स
C.K. PRUSTY & ASSOCIATES

पदमनाभन रमणी एण्ड रामानुजम
PADMANABHAN RAMANI & RAMANUJAM

जी बालु एसोसियेट्स
G BALU ASSOCIATES

प्रकाश चंद्र जैन एण्ड कं
PRAKASH CHANDRA JAIN & CO.

कॉर्पोरेट कार्यालय : 254-260, अव्वै षण्मुगम सालै
Corporate Office : 254-260, Avvai Shanumugam Salai
चेन्नै. Chennai - 600 014

वार्षिक रिपोर्ट Annual Report 2015-16

विषयवस्तु CONTENTS

	पृष्ठ सं.		Page No.
अध्यक्ष का संदेश	1	Chairman's Message	4
प्रनि एवं मुकाअ का संदेश	7	MD & CEO's Message	10
निदेशकों की रिपोर्ट	14	Directors' Report	15
प्रबन्धन विचार विमर्श एवं विश्लेषण	26	Management Discussion and Analysis	27
कॉर्पोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट	100	Report on Corporate Governance	101
कॉर्पोरेट अभिशासन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	138	Auditors' Certificate on Corporate Governance	139
वित्तीय विवरण – इंडियन बैंक		**Financial Statements – Indian Bank**	
● तुलन पत्र, लाभ एवं हानि लेखा और अनुसूचियाँ	142	● Balance Sheet, Profit and Loss Account and Schedules	142
● मुख्य लेखाकरण नीतियां	152	● Significant Accounting Policies	153
● लेखों पर टिप्पणियां	162	● Notes on Accounts	163
● लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	224	● Auditors' Report	225
समेकित वित्तीय विवरण		**Consolidated Financial Statements**	
● तुलन पत्र, लाभ एवं हानि लेखा और अनुसूचियाँ	228	● Balance Sheet, Profit and Loss Account and Schedules	228
● मुख्य लेखाकरण नीतियां	236	● Significant Accounting Policies	237
● लेखों पर टिप्पणियां	250	● Notes on Accounts	251
● लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	276	● Auditors' Report	277
अतिरिक्त प्रकटीकरण	278	Additional Disclosures	279

इंडियन बैंक
निवेशक सेवाएं कक्ष
संख्या. 254-260, अव्वै षण्मुगम सालै
रायपेट्टा
चेन्नै – 600 014
दूरभाष सं 044 28134076; Fax No.044 28134075
ई–मेल : investors@indianbank.co.in

Indian Bank
Investor Services Cell
No.254-260, Avvai Shanmugam Salai
Royapettah
Chennai - 600 014
Tel No. 044 28134076; Fax No. 044 28134075
E – Mail : investors@indianbank.co.in

शेयर अंतरण एजेंट
केमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज़ लिमिटेड
यूनिटः : इंडियन बैंक
सुब्रमणियन बिल्डिंग, 1, क्लब हाउस रोड
चेन्नै – 600 002
दूरभाष सं. 044 28460718; फैक्स सं. 044 28460129
ई–मेल : investor@cameoindia.com

Share Transfer Agent
Cameo Corporate Services Limited
Unit : Indian Bank
Subramanian Building, 1, Club House Road
Chennai - 600 002
Tel No. 044 28460718; Fax No. 044 28460129
E – Mail : investor@cameoindia.com

श्री टी सी वेंकट सुब्रमणियान
गैर–कार्यपालक अध्यक्ष

अध्यक्ष का संदेश

"अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से विकसित होनेवाले अर्थव्यवस्था में से एक बनकर, वैश्विक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में एक बेहतरीन मुल्क के रूप में उभरा है।"

प्रिय शेयरधारकों,

मुझे आपके बैंक के वित्तीय वर्ष 2015–16 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अति प्रसन्नता हो रही है।

सर्वप्रथम मैं बैंक के प्रति आपके अविरत विश्वास, समर्थन एवं निष्ठा के लिए गहन आभार व्यक्त करता हूँ । अपने कार्यकाल के 109 वें वर्ष की समाप्ति पर इसके अखिल भारतीय नेटवर्क में वृद्धि एवं भारत भर में अपने शाखा नेटवर्क को बढाने के लिए, बैंकिंग सेवाओं से वंचित और कम बैंकिंग सेवाएं प्राप्त क्षेत्रों तक अपनी पहुँच को बढाने के लिए बैंक ने वर्तमान वर्ष में 153 शाखाएं और 440 एटीएम/बीएनए खोले हैं जिसमे 2562 पारंपरिक शाखाएँ एवं 2784 एटीएम (इसमें नकदी रीसाइक्लिंग कार्यक्षमता से युक्त 253 बंच नोट एक्सेप्टर भी सम्मिलित हैं) सहित कुल 5346 सुपुर्दगी चैनल रहे ।

मुझे यह बताते हुए अति प्रसन्नता हो रही है कि वर्ष 2015–16 के दौरान बैंक ने, न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियों का सामना करते हुए अपने आघात सहने के सामर्थ्य को दर्शाया है, बल्कि साथ ही राष्ट्रीय लक्ष्यों के अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्र के प्रत्येक श्रेणी के तहत ऋण देने में बेहतर प्रदर्शन करने की निरंतरता को बनाए रखा है, जैसे प्राथमिक क्षेत्र में अग्रिमों के अंतर्गत 40.85% (अनिवार्य 40%) का स्तर, कृषि में 18.68% (18%), कमजोर वर्गों को अग्रिम 11.30% (10%) एवं एमएसएमई के अंतर्गत सूक्ष्म उद्यमों के लिए 8.12% (7%) का ऋण प्रदान किया गया है।

वैश्विक – आर्थिक परिदृश्य

वैश्विक आर्थिक परिप्रेक्ष्य में वसूली की प्रक्रिया तो जारी है परंतु यह प्रक्रिया धीमी एवं दुर्बल गति के साथ आगे बढ़ रही है । वैश्विक विकास के परिपेक्ष्य में वर्ष 2016 का प्रक्षेपण पिछले वर्ष के समान ही मामूली (3.2 प्रतिशत) रहा है। मुख्यतः उभरते बाजार एवं विकासशील अर्थव्यवस्था में आई तेजी के कारण दबावग्रस्त अर्थव्यवस्था की स्थिति धीरे–धीरे सामान्य हो रही है, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2017 में वसूली प्रक्रिया को बल देते हुए 3.5 प्रतिशत एवं उससे अधिक की वसूली का पूर्वानुमान लगाया गया है।

वर्ष 2017 के पश्चात वैश्विक विकास में वृद्धि का अनुमान है जो वर्ष 2021 की अंत तक 4 प्रतिशत के अंदर रहेगी, जो आनेवाले समय में उभरते बाज़ार एवं विकासशील अर्थव्यवस्था मंत आनेवाली तेजी को विकास को दर्शा रही है। यह परिणाम उन समस्त महत्वपूर्ण अनुमानों पर निर्भर करता है जो बृहत अधोजोखिम के विषय से संबद्ध है जैसे इस समय दबाव में चल रहे कई अर्थव्यवस्थाओं की स्थिति में धीरे–धीरे हो रहे सुधार, पण्यों के निर्यात में हो रहे सुधार, चीन की अर्थव्यवस्था का सफल पुनर्संतुलन एवं अन्य उभरते बाजार तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की आघात–सह वृद्धि । इस संदर्भ में, वैश्विक विकास की गति को तीव्र करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनेवाले एवं तीव्र गति से विकसित होनेवाले चीन एवं भारत जैसे देशों का वैश्विक महत्व धीरे–धीरे बढ़ेगा ।

आधारभूत सीमित मांग तथा एक संभाव्य वृद्धि में व्यापक स्तर पर कमी के तहत उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि अपेक्षित है। संभाव्य वृद्धि में कमी के मुख्य कारक, बढ़ती हुई जनसंख्या, जोकि वर्तमान दर पर श्रम बाजार भागीदारी पर रोजगार प्रचलन को कम कर देगी; निष्क्रिय निवेश तथा कुल घटक उत्पादकता वृद्धि में कमी आदि हैं। संभावित आउटपुट बढ़ाते समय, यह क्षणिक अनुमान व्यापक पॉलिसी प्रतिक्रिया की अत्यावश्यकता को बढ़ाता है तथा अनुरक्षा का प्रबंधन करता है। उच्च तथा दीर्घकालिक वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए संरचनात्मक सुधार, सतत मौद्रिक नीति संयोजन, तथा राजकोषीय विस्तार पॉलिसी की प्राथमिकताएं हैं।

भविष्य में, वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार की इस गंभीर स्थिति में जोखिम की संभावना होने पर वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए बहुपक्षीय कार्य–योजनाओं की आवश्यकता है। बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में अतिरिक्त नीतिगत कार्रवाइयों की पहचान होनी चाहिए जोकि शीघ्र ही कार्यान्वित हो सकें । यदि यह संकेत हों कि वैश्विक नकारात्मक जोखिमें मूर्त रूप लेने वाली हैं, तो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं से जो उच्च उपचत नुक़सानों से कमॉडिटी एक्स्पोर्टरों को सुरक्षित करने के लिए तथा गैर आर्थिक नुक़सानों से आर्थिक प्लवनों से सुरक्षा करने के लिए वैश्विक वित्तीय तंत्र मजबूत बनाया जाना चाहिए।

इस उभरते बाजार एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं से वर्ष 2017 में वैश्विक विकास के क्षेत्र में, अग्रिम अर्थव्यवस्था के अंतर्गत 2.0 प्रतिशत की तुलना में 4.6 प्रतिशत के पूर्वानुमानित वृद्धि के साथ, सर्वाधिक योगदान की अपेक्षा किया जा रहा है। वैश्विक व्यापार वृद्धि सामान्य रहने की उम्मीद है परंतु उभरते बाजार एवं विकासशील अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में मुख्यतः घरेलू मांग में हो रही व्यापक वृद्धि के परिणाम स्वरूप वैश्विक व्यापार वृद्धि में 2016 से धीरे दृ धीरे वृद्धि हो रही है।

घरेलू – आर्थिक परिप्रेक्ष्य

अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से विकसित होनेवाले देशों में से एक बनकर वैश्विक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में एक बेहतरीन मुल्क के रूप में उभरा है। कई कारक भारत को एक उभरता बाजार बनाते हैं । भारत एक बड़ा तेल आयातक देश है एवं तेल की कीमतों में गिरावट से मुद्रास्फीति को कम करने में मदद मिली है। हाल ही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में हो रहे विकास से संबद्ध आंकड़े केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किया गया जो यह दर्शाता हैं कि मार्च 2016 को समाप्त तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था में 7.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो पिछली तिमाही को उपार्जित 7.2 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में एक त्वरित विकास को दर्शाता है । वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही के सशक्त प्रदर्शन के परिणाम स्वरूप वर्ष 2014–15 के पूरे वर्ष का विकास दर 7.2 प्रतिशत से बढ़कर 7.6 प्रतिशत, 2013–14 का 6.6 प्रतिशत एवं 2012–13 का 5.6 प्रतिशत हो गया। यह वृद्धि इसलिए उल्लेखनीय है क्योंकि एक दीर्घकालिक एवं व्यापक सूखे के बावजूद इसे प्राप्त किया गया था जिसने निश्चित रूप से ग्रामीण मांग कम किया था ।

पूरे वर्ष के लिए सकल मूल्य संवर्धित (जीवीए) बुनियादी मूल्यों में प्रावधिक 7.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिसमें पिछले वर्ष 2014–15 को केवल 7.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पूर्वानुमानित 7.4 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में कम है। जीवीए के आंकड़ें इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाती है कि ये कर एवं सब्सिडी सकल जीडीपी पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है।

वर्तमान तिमाही तथा शेष वर्ष की संभावनाएं बहुत कुछ इस वर्ष के मानसून पर निर्भर हैं । प्रथमतः वर्षा की प्रमात्रा पर तथा आगे भौगोलिक व मौसमी वितरण पर, वैसे ही कुछ निवेश प्रोत्साहन प्रदान करने की ज़िम्मेदारी अधिक लोक व्यय लागत पर निर्भर होगा क्योंकि निजी क्षेत्र में निवेश कम हुआ है तथा पुनरुज्जीवन के लिए कोई उपाय नहीं है।

सरकार की 'मेक इन इंडिया', 'स्टैंड अप इंडिया', 'स्टार्ट अप इंडिया' एवं 'डिजिटल इंडिया' तथा सातवें वेतन आयोग के कार्यान्वयन जैसी पहलों के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में तेजी आने की अपेक्षा है। भारत सरकार का दूसरा मुख्य मुद्दा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनरुज्जीवित करना है जो देशभर में स्थानिक वर्षा एवं गंभीर सूखे के कारण अधिक विकास नहीं दिखा पाई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने पूरे देश में सामान्य बारिश होने के सकारात्मक संकेत दिए हैं जो अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी एवं अधिक ग्रामीण मांग भी सृजित करेगी।

बैंकिंग क्षेत्र के निष्पादन :

बिगड़ती आस्ति गुणवत्ता तथा उसके कारण बैंकों की ऋण जोखिम संविभाग पर असर वर्ष 2015–16 बैंकिंग क्षेत्र के लिए विक्षुब्ध रहा है। आस्ति गुणवत्ता की चुनौतियां पण्य मूल्यों में भाव को कम करने से तथा आर्थिक हेडविंड में वृद्धि हो गई है जोकि प्रमुख क्षेत्र जैसे मूलभूत संरचना, बिजली, स्टील तथा निर्माण पर असर डाला है ।

आस्ति गुणवत्ता में गिरावट बेसल III के अनुपालन में, लाभ प्रदत्ता तथा पूंजी आवश्यकताओं पर असर डालता है । बैंकिंग क्षेत्र के लिए अन्य चुनौतियाँ तथा लघु वित्त तथा पेमेंट बैंकों का प्रवेश रिख्थ विहीन डिजिटल प्लैटफ़ार्म का समर्थन, युवा कर्मचारियों द्वारा नौकरी छोड़ना तथा अनुभवी स्टाफ की सेवानिवृत्ति कॉर्पोरेट क्षेत्र को बॉन्डों तथा वाणिज्य पत्रों के जरिये निधियों के वैकल्पिक स्रोतों की उपलब्धता की मध्यस्थता बंद होना इत्यादि है। बैंकिंग लाभ प्रदता पर दूसरी प्रमुख चुनौती है अन्तराष्ट्रिय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक आईएफ़आरएस का कार्यान्वयन ।

वित्तीय वर्ष 2016 में सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों में ऋण की वृद्धि 11.3 प्रतिशत तक बढ़ी, जबकि पिछले वर्ष में जो 9.0 प्रतिशत रहा है तथा जमाओं की वृद्धि पिछले वर्ष के 10.7 प्रतिशत से इस वित्तीय वर्ष में 9.9 प्रतिशत तक घटी ।

कारोबार तथा वित्तीय उपलब्धियां :

इस परिदृश्य में मैं प्रमुख क्षेत्रों में, बैंक द्वारा किए गए निष्पादन के मुख्य बातों का अवलोकन करना चाहता हूँ।

- बैंक के कारोबार की स्थिति वर्ष के दौरान रुपये 3,00,000 करोड़ के माइल स्टोन को पार कर लिया है । 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए कारोबार 4.31 प्रतिशत बढ़कर रुपये 3,10,918 करोड़ हो गया, जबकि जमाओं में वृद्धि रुपये 9061 करोड़ से बढ़ी है या 5.35 की वृद्धि से रुपये 1,78,286 करोड़ हो गया है । अग्रिम में रुपये 3800 करोड़ की वृद्धि हुई है या 2.95 प्रतिशत की वृद्धि से रुपये 1,32,632 करोड़ हो गया है।
- बैंक का परिचालनगत लाभ रुपये 3032 करोड़ रहा, जबकि निवल लाभ रुपये 711 करोड़ है ।
- बैंक की निवल मालियत रुपये 13,478 करोड़ तक बढ़ गई है ।

- प्रति शेयर आय (वार्षिककृत) तथा प्रति शेयर अंकित मूल्य क्रमशः रुपये 14.81 और रुपये 280.63 रहा । पिछले वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए इक्विटी पर प्रतिलाभ 5.46 प्रतिशत रहा ।

- मार्च 2016 के अंत में बेसल ựự के अधीन बैंक की वित्तीय स्थिरता सीआरएआर (जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूंजी का अनुपात) के अनुसार 13.20 प्रतिशत पर मजबूत था । बैंक इस अनुपात के संबंध में लगातार शिखर स्थिति पर है तथा पर्याप्त रूप से पूंजी प्राप्त है ।

मुझे यह सूचित करने में हर्ष हो रहा है कि बैंक के निदेशक मण्डल ने 15 प्रतिशत के लाभांश की घोषणा की है । 4.25 करोड़ ग्राहकों से प्राप्त विश्वास हमें लगातार कई वर्षों में बेहतर निष्पादन करने के लिए प्रेरित किया है ।

आगे भविष्य की ओर

बैंक का ध्यान इसपर केन्द्रित होगा कि एमएसएमई मध्य कॉर्पोरेट, खुदरा और कृषि को पहचानकर ऋण, लघु एवं मध्यम उद्यम और खुदरा ग्राहकों को प्रदान करने से सम्पूर्ण ऋण बही में वृद्धि होगी, ताकि इस वित्तीय वर्ष में ऋण की वृद्धि का चालक बने । खुदरा ऋण बही तेजी से बढ़ने वाले एमएसएमई क्षेत्र पर निर्भर होकर आवास ऋण से सुदृढ़ बनेगा । अब सरकार से इस क्षेत्र को दिये जानेवाले ज़ोर से एमएसएमई का भविष्य उज्जवल है ।

खुदरा एवं मध्यम कॉर्पोरेट क्षेत्र पर केन्द्रीय ध्यान होने के लिए बैंक इन प्रमुख क्षेत्रों में वर्टिकल्स बनाने की प्रक्रिया में है यथा ऋण को सम्मिलित कर बंधक ऋण, मध्यम क्षेत्र में एमएसएमई तथा मध्यम कॉर्पोरेट ऋण को सम्मिलित कर और अन्य खुदरा ऋण में कृषि, लघु एवं सूक्ष्म उद्यम को सम्मिलित कर ।

हमारे शेयर धारकों, ग्राहकों, हितैषियों के अनवरत समर्थन और हमारे कर्मचारियों के अथक प्रयासों से और साथ ही भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक से समर्थन के कारण मुझे विश्वास है कि आपका बैंक उत्कृष्टता के शिकार पर पहुँचने हेतु सदैव प्रयासरत रहेगा ।

शुभकामनाओं के साथ

आपका

टी सी वेंकट सुब्रमणियन
गैर–कार्यपालक अध्यक्ष

Shri. T C Venkat Subramanian
Non-executive Chairman

Chairman's Message

> The Indian Economy has emerged as a **'bright spot'** in the world economy, becoming one of the fastest growing economies in the world.

Dear Shareholders,

It gives me immense pleasure to present the Annual Report of your Bank for the Financial Year 2015-16.

At the outset, I would like to express my deep sense of gratitude for your continuous trust, support and loyalty extended to the Bank. On the eve of completion of its 109th year of operations, Bank had opened 153 branches and 440 ATMs / BNAs in the current year to touch 5346 delivery points, including 2562 Brick & Mortar branches and 2784 ATMs (including 253 Bunch Note acceptors enabled with cash recycling functionality), towards enhancing its *pan*-India network and to extend its reach to the under-banked and unbanked areas.

I am pleased to report that during the year 2015-16, Bank not only displayed its resilience to challenges in the Indian economy, but also sustained its performance by surpassing the National goals under Priority Sector lending for each category viz., Level of 40.85% (Mandatory 40%) under Priority Sector advances, 18.68% (18%) in Agriculture, 11.30% (10%) for Advances to weaker sections and 8.12% (7%) in lending to Micro Enterprises under MSME.

Economic overview - Global

From the global economic perspective, the recovery continues, but at a slow and increasingly fragile pace. Projection for global growth in 2016 is a modest 3.2%, broadly in line with last year. The recovery is projected to strengthen in 2017 to 3.5% and beyond, driven primarily by emerging market and developing economies, as conditions in stressed economies start to normalize gradually.

Global growth is projected to increase further beyond 2017, to just below 4% by the end of the forecast horizon in 2021, reflecting a further pickup in growth in emerging market and developing economies. This outcome relies on a number of important assumptions which are subject to sizable downside risks viz., gradual normalization of conditions in several economies currently under stress, pickup in activity in commodity exporters, successful rebalancing of China's economy and resilient growth in other emerging market and developing economies. In this context, the gradual increase in the global weight of fast-growing countries such as China and India would also play a role in boosting global growth.

Growth in advanced economies is expected to be modest under the baseline, reflecting subdued demand and a broad-based weakening of potential growth. The main factors underlying the weakening in potential growth are population aging, which would reduce trend employment at current rates of labour market participation, sluggish investment and weakening of total factor productivity growth. This fragile conjuncture increases the urgency of a broad-based policy response that safeguards near-term growth, while raising potential output, and manages vulnerabilities. The policy priorities for securing higher and sustainable growth are: structural reforms, continued monetary policy accommodation and fiscal expansion.

Going forward, there is a need for multilateral actions to boost growth while containing risks at this critical stage of global recovery. In the larger economies there should be proactive identification of additional policy actions that could be implemented quickly if there are signs that global downside risks are about to materialize, global financial safety net should be strengthened to protect emerging economies who are commodity exporters from high susceptible shocks and protecting economies from spillovers from non-economic shocks.

Emerging and Developing Economies are expected to contribute lion's share in the global growth in 2017 with a projected growth of 4.6% as compared to 2.0% growth in Advanced Economies. Global trade growth is projected to remain moderate but to pick up gradually from 2016 onward, primarily reflecting stronger growth in domestic demand in emerging market and developing economies.

Economic overview - Domestic

The Indian economy has emerged as a bright spot in the world economy, becoming one of the fastest growing economies in the world. Several factors make India an attractive emerging market. India is a net oil importer and the decline in oil prices has helped in bringing the inflation down. The latest Gross Domestic Product (GDP) growth data released by the Central Statistics Office show that India's economy expanded by 7.9% in the three months ended March 2016, a sharp acceleration from the marginally downsized 7.2% achieved in the preceding quarter. The result of the strong fiscal fourth-quarter performance is that growth for the full year was lifted to 7.6%, from 7.2% in 2014-15, 6.6% in 2013-14 and 5.6% in 2012-13. This growth is noteworthy, having been achieved despite a prolonged and widespread drought, which would certainly have dampened rural demand.

Gross Value Added (GVA) at basic prices provisionally grew 7.2% for the full year, barely improving from the 7.1% posted in 2014-15, and slower than the Reserve Bank of India's projection for 7.4% growth. The GVA figure is significant because it strips the impact that taxes and subsidies have on the overall GDP number.

The outlook for the current quarter and the rest of this year may hinge a lot on this year's monsoon: firstly, in terms of the volume of rainfall, and then critically in its geographical and seasonal distribution. Similarly the onus of providing some investment stimulus may depend on increased public expenditure outlays in as much as private sector investment having slowed and showing barely any signs of revival.

Government's various initiatives such as **'Make in India', 'Stand Up India'**, **'Start Up India'** and **'Digital India'** and the implementation of the Seventh Pay Commission is expected to boost demand in the economy. Another key focus of the Government of India is to revive the rural economy which has not shown a major growth owing to severe drought across the country and spatial rainfall. Given the positive indication of normal monsoon across the country as per Indian Meteorological Department (IMD), growth in agriculture is expected, which would boost the economy and would also create more rural demand. The movement of both the rural and urban demand would shape the economic growth in the long run and help reach the potential 8 per cent growth.

Performance of Banking Sector:

For the banking sector, the year 2015-16 had been a turbulent one due to worsening asset quality and its implication on the credit risk profile of banks. The asset quality challenges have been exacerbated by softening commodity prices and economic headwinds (both domestic and international), which have significantly impacted key sectors such as infrastructure, power, steel and construction.

Deterioration in asset quality has an impact on profitability and capital requirement for Basel III compliance. The other challenges for banking sector are the entry of Small Finance and Payment banks backed by digital platforms with zero legacy, attrition of young employees and retirement of experienced staff, disintermediation with availability of alternate sources of funds to corporate sector through bonds and Commercial Papers. Another important challenge on banks' profitability is the implementation of International Financial Reporting Standards (IFRS).

In FY 2016, credit growth of all Scheduled Commercial Banks improved to 11.3% as against 9.0% in the previous year while Deposits growth declined from 10.7% in the previous year to 9.9% in FY 2015-16.

Bank's Business and Financial Achievements

Against this backdrop, I would like to give an overview of the Bank's performance in important parameters.

- Bank's Business level crossed the milestone of ₹ 3,00,000 crore during the year. The Business grew by 4.31% to ₹ 3,10,918 crore for the year ended March 2016. While Deposits grew by ₹ 9061 crore or 5.35 % to ₹ 1,78,286 crore, Advances grew by ₹3800 crore or 2.95 % to ₹ 1,32,632 crore.

- Operating profit of the Bank was at ₹ 3032 crore, while Net Profit stood at ₹ 711 crore.

- Networth of the Bank increased to ₹ 13,478 crore.

- Earnings per share (annualised) and Book Value per share were at ₹ 14.81 and ₹ 280.63 respectively. Return on Equity was at 5.46 % for FY 2015-16.

- Bank's financial soundness as reflected by the CRAR (Capital to Risk weighted Assets Ratio) was strong with CRAR at 13.20% under Basel III as at end March 2016. Bank is consistently at the top in respect of this ratio and is sufficiently capitalized.

I am also happy to inform you that the Board of Directors of the Bank has recommended a dividend of 15%. The confidence of 4.25 crore customers has inspired us to put in consistently better performance year after year.

Looking ahead

The focus of the Bank would be to push credit to small and medium enterprises and retail customers to grow the overall loan book by identifying MSME, Mid corporate, retail and agriculture as the drivers of credit growth for the current Financial Year. The retail loan book will in turn be driven by housing loans with reliance on fast-growing MSME sector where prospects are high given the attention this sector is receiving from the Government.

For a dedicated focus on Retail & Mid Corporate segment, the bank is in the process of creating Verticals in three major areas, viz., Mortgage loans including Home loans, Mid Segment comprising of MSME and Mid Corporate loans and Other Retail Loans including Agriculture, Small and Micro Enterprises.

With the continued support of our shareholders, customers, well-wishers and the unrelenting efforts of our employees, together with the support of the Government of India and the Reserve Bank of India, I am sure, your Bank will continue to strive to move ahead in its quest for excellence.

With best wishes

Yours sincerely

T C VENKAT SUBRAMANIAN
NON-EXECUTIVE CHAIRMAN

श्री महेश कुमार जैन
प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का संदेश

> बैंक ने मध्यम से दीर्घकालिक योजना के तहत **"खुदरा और मध्य कॉर्पोरेट सेगमेंट पर ध्यान देने** के साथ–साथ **मध्य आकार के बैंक"** के रूप में खुद को स्थापित करने की परिकल्पना की है।

प्रिय शेयरधारको,

आपके बैंक की वित्तीय वर्ष 2015–16 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। इस अवसर पर, मैं आपके सतत समर्थन तथा निष्ठा का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिसने बैंक को उद्योग में अपने बेहतर निष्पादन तथा उत्तम रीति से प्रतिष्ठा बनाए रखने में, विशेषतः विपरीत अस्थिर बैंकिंग परिवेश में इसकी लाभप्रदता को बनाए रखने में समर्थ बनाया है।

आर्थिक परिदृश्य

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था ने दोनों विरासतों वैश्विक वित्तीय संकट तथा अनेक नई चुनौतियों द्वारा बाधित, मंद व असमान गति के साथ वृद्धि की। परिणाम स्वरूप कमजोर वैश्विक परिवेश ने अपना प्रभाव घरेलू अर्थव्यवस्था पर छोड़ा। चूंकि बैंकिंग क्षेत्र बहिर्जात नुक़सानों के प्रति असुरक्षित रहता है, बैंकों से ऋण की हल्की मांग रही जिससे अर्थव्यवस्था की मंद गति तथा दबावग्रस्त आस्तियों में बढ़ोत्तरी हुई। इस कारण ऋण सुपुर्दगी में बाधा हुई।।

अर्थव्यवस्था ने भारत सरकार द्वारा विभिन्न मध्यवर्ती नीतियों व कानूनी अधिनियम के माध्यम से उपलब्ध कराई गई वृद्धि की ओर ध्यान केन्द्रित किया तथा पुनरुत्थान के संकेतों को प्रोत्साहन पूर्वक प्रदर्शित करना आरंभ कर दिया है।

आपके बैंक का निष्पादन

प्रगति की ओर संस्था को मजबूत, सक्षम व दुरुस्त बनाने के लिए, बैंक ने इस वर्ष बहुत से मील के पत्थरों को पार किया है। मुझे आपको सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बैंक ने वित्तीय वर्ष 2015–16 में ₹ 3,00,000 करोड़ व्यापार के मील के पत्थर को पार कर लिया है। अगर पूंजी की बात करें तो बैंक लगातार लाभ अर्जित करते हुए आत्मनिर्भर रहा तथा 2007 से अपने शेयर धारकों को लाभांश वितरित करते हुए अपनी पिछली उपलब्धियों को बनाए रखा।

ऐसे चुनौतीपूर्ण परिवेश के बीच, बैंक ने अपने खुदरा व्यापार की ओर ध्यान केन्द्रित करते हुए रणनीतिक प्रयास के रूप में अपनी ऋण बहियों को समेकित किया है। जमाओं की लागत को कम करने की दिशा में, कासा में वृद्धि पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए, खुदरा जमाओं के अनुपात में वृद्धि करते हुए संसाधन के संघटन में बढ़ोत्तरी हेतु प्रबुद्ध निर्णय लिया गया। कृषि एवं एमएसएमई में बैंक की सामर्थ्य को सुदृढ़ बनाने के लिए, बंधक ऋण तथा विभिन्न अन्य खुदरा ऋणों के अलावा इन पारंपरिक क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए खुदरा व्यापार में सुधार लाने के लिए ऋण में वृद्धि विशेष रूप से निर्धारित किया गया लक्ष्य था। इसके अतिरिक्त, वृद्धिशील गैर निष्पादित आस्तियों की शीघ्र पहचान, मॉनिटरिंग, सुधारात्मक कार्य योजनाओं, साझा की गई जानकारी के माध्यम से नियंत्रित करते हुए तथा भविष्य में इसके आवर्तन को रोककर आस्ति गुणवत्ता बनाए रखने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई।

वित्तीय विशिष्टताएं

इस पृष्ठभूमि में, मैं मुख्य मापदण्डों में बैंक के निष्पादन की मुख्य बातों को प्रस्तुत करना चाहता हूँ।

- मार्च 2016 को समाप्त वर्ष में जमाओं में ₹ 9061 करोड़ (5.35%) की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 1,78,286 करोड़ तथा अग्रिमों में ₹ 3800 करोड़ (2.95%) की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 1,32,632 करोड़ की वृद्धि के साथ कारोबार 4.31% बढ़कर ₹ 3,10,918 करोड हो गया।
- वित्तीय वर्ष 2015–16 में बैंक का परिचालनगत लाभ ₹ 3032 करोड रहा जबकि निवल लाभ ₹ 711 करोड था ।
- बैंक का सुदृढ़ पूंजीकरण आस्तियों/परिसंपत्तियों से संबंधित जोखिमों को दूर रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। मार्च 2016 के अंत में बेसेल III के तहत 13.20% सीआरएआर के साथ, इस अनुपात के संबंध में उद्योग में बैंक लगातार शिखर पर रहा। 2015 में भारत के उत्कृष्ट बैंकों की फाइनेंशियल एक्सप्रेस रैंकिंग के मानदंडों पर पूंजी पर्याप्तता तथा स्थायी पूंजी (%) के तहत सार्वजनिक बैंकों में बैंक प्रथम स्थान पर रहा।
- राष्ट्रीयकृत बैंकों के बीच आस्तियों पर 0.36 प्रतिशत प्रतिलाभ लगातार सर्वश्रेष्ठ रहा।
- कम लागत चालू खाता और बचत खाता (कासा देशी) जमाओं के अनुपात के साथ पर्याप्त संसाधन प्रोफ़ाइल 31.94 के स्तर तक पहुंचा गया जो 14.81 प्रतिशत की वर्ष–दर–वर्ष वृद्धि से यह 55,153 करोड़ रुपए हो गई है। कासा वृद्धि बैंक को राष्ट्रीयकृत बैंकों में चौथे स्थान पर आने में मददगार बनाया।
- बचत बैंक जमाओं (देशी) में 15.57 प्रतिशत की वर्ष–दर–वर्ष वृद्धि से यह 46,407 करोड़ रुपये हो गई हैं।
- 31.03.2016 तक कुल जमा के लगभग 83 प्रतिशत खुदरा जमा की उच्च अनुपात, बैंक के मजबूत ब्रांड मूल्य का संकेत था।

- वर्ष 2015–16 के दौरान जमाओं की लागत संचालन हेतु एक मजबूत आधार प्रदान करने के लिए , बैंक ध्यानपूर्वक खुदरा जमा पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और इस प्रक्रिया में 5782 करोड़ रुपये के उच्च लागत थोक जमाओं (पीडी एवं सीडी) में आनुपातिक तौर पर कमी की है।

- भारत सरकार द्वारा निर्धारित राष्ट्रिय लक्ष्यों को प्राप्त करना, बैंक के एजेंडा में सर्वोच्च था और निर्धारित मानदण्डों को हासिल किया गया अर्थात प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिमों जोकि रुपये 50,333.52 करोड़ पर समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 40.85 प्रतिशत था और कृषि ऋणद जोकि रुपये 23,017.56 करोड़ पर समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 18.68 प्रतिशत था।

- देशभर में बैंक की 73 विशेषीकृत शाखाएं हैं जो अनन्य रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। एमएसएमई संविभाग में रुपये 18,642.95 करोड़ से 12.81 प्रतिशत की बढोत्तरी हुई और यह रुपये 21,031.56 करोड रहा।

- 31 मार्च 2016 को सकल एनपीए की तुलना में सकल अग्रिम अनुपात तथा निवल एनपीए की तुलना में निवल अग्रिम अनुपात क्रमशः 6.66 प्रतिशत और 4.20 प्रतिशत रहे। कुल दबावग्रस्त बही 31.03.2015 को 12.12 प्रतिशत की तुलना में 31.03.2016 को घटकर 11.46 प्रतिशत हो गई।

- भारत भर में अपने शाखा नेटवर्क को बढाने के लिए, बैंकिंग सेवाओं से वंचित और कम बैंकिंग सेवाएं प्राप्त क्षेत्रों तक अपनी पहुँच को बढाने के लिए बैंक ने वर्तमान वर्ष में 153 शाखाएं और 440 एटीएम / बीएनए खोले हैं जिसमें 2562 पारंपरिक शाखाएं एवं 2784 एटीएम सहित कुल 5346 सुपुर्दगी चैनल रहे। इसमें नकदी रीसाइक्लिंग कार्यक्षमता से युक्त 253 बंच नोट एक्सेप्टर भी सम्मिलित हैं ।

- सिंगापुर, जाफना और श्रीलंका में बैंक की अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति है।

- एसएचजी को विशेषीकृत ऋणद के लिए बैंक की 43 अनन्य माइक्रोसेट शाखाएं हैं। वर्ष 2015–16 के दौरान, इन शाखाओं ने 12627 एसएचजी को कवर करते हुए 500.20 करोड़ रूपये राशि की ऋण प्रदान की हैं तथा मार्च 2016 के अंत तक 36,195 एसएचजी को कवर करते हुए कुल बकाया अग्रिमों की राशि 701करोड रूपये रही।

सामाजिक उत्तरदायित्व

- "चेन्नै बाढ़", जिससे चेन्नै तथा उपनगरों और आस–पास के जिलेः यथा कांचीपुरम, तिरुवल्लूर, कडलूर तथा विलुप्पुरम भारी वर्षा और बाढ़ के कारण प्रभावित हुए, के दौरान बाढ़ राहत उपायों में बैंक सबसे आगे रहा।

- बैंक ने 75518 बाढ़ पीड़ितों को 935 करोड़ रूपये की राशि का नया ऋण उपलब्ध कराया ।

- बैंक के स्टाफ़ आपदा के दौरान खुद को नुकसान होने के बावजूद संकट की अवधि के दौरान माइक्रो/बोट एटीएम का प्रयोग करते हुए नकद संवितरण की व्यवस्था की । बैंक द्वारा किए गए प्रयत्नों को पहचानते हुए एनपीसीआई द्वारा विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया।

- **स्वच्छ भारत अभियानः** बैंक एक संगठन के रूप में माननीय प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय आह्वान को लेकर, न केवल अपने परिसर के भीतर साफ–सफाई बनाए रखने की गतिविधि जारी रखी बल्कि बाहर भी मरीना बीच, चेन्नई क्षेत्र की सफाई को बड़े उत्साह के साथ लिया।

- जीवन को बचाने में रक्त के महत्व को महसूस करते हुए, बैंक ने अखिल भारतीय स्तर पर 102 रक्तदान शिवरों का आयोजन किया और 4346 रक्त इकाइयों की मांग की । देश के नागरिकों की सलामती सुनिश्चित करने की दिशा में, विभिन्न स्वास्थ्य पहल शुरू की गई जिनमें 21157 लोगों को लाभ पहुंचाते हुए 137 स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया तथा इसमें 2433 लोगों ने स्वेच्छा से दान देने के लिए नेत्र / अंग दान शिविर में भाग लिया।

प्रोद्योगिकी के पूर्ण प्रयोगः

अपने ग्राहकों के उनके सशक्तिकरण की दिशा में बेहतर डिजीटल सेवा प्रदान करने की दिशा में बैंक ने वर्ष के दौरान विभिन्न प्रोद्योगिकी पहलों की शुरुआत की जिनमें से प्रमुख पहल इस प्रकार हैः

- 216 स्थानों पर **पासबुक कियास्क** लगाए जाने के परिणामस्वरूप 24 प्रतिशत शाखा लेनदेनों का प्रवसन हुआ है तथा पासबुक के मुद्रण से संबंधित ग्राहक सुविधा में सुधार हुई है।

- **मोबाइल एप ''इंडपे''** ने शुभारंभ से लेकर 4.88 लाख पंजीकरण के साथ 30 लाख मासिक वित्तीय / गैर वित्तीय लेनदेनों को पार कर लिया है। इस क्रम में नवीनतम सुविधा क्यूआर आधारित 'स्कैन एंड पे' है।

- **'इंड मोबीईजी'** एक यूएसएसडी आधारित मोबाइल एप है।

- ग्राहकों को 24 X 7 आधार पर बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, जमा / नकद आहरण की सुविधा के साथ **102 स्थानों पर ई–लाउंज** उपलब्ध कराए गए हैं।

- 440 नए एटीएम / बीएनए स्थापित किए गए जोकि बैंकिंग सुविधा को सुगम बनाते हुए 59 प्रतिशत शाखा लेनदेनों के प्रवसन का परिणाम है।

- 31.03.2016 तक **इंटरनेट बैंकिंग** प्लेटफॉर्म, 11.2 लाख ग्राहकों की बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करते हुए लेन–देनों के मामले में 25 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है।

हरित पहलः

- स्वच्छ और शुद्ध वातावरण प्रदान करने के लिए समाज के प्रति अपने कर्तव्य को महसूस करते हुए, बैंक ने हरित पहल उपाय के अंतर्गत पूरे देश में 1,20,273 पौधारोपण किया है।

- ऊर्जा संरक्षण के उपाय के रूप में, कॉर्पोरेट कार्यालय एवं अन्य कार्यालयों के छत पर सोलर सिस्टम एवं एलईडी लगाए गए, जिसके परिणाम स्वरूप केवल कॉर्पोरेट कार्यालय में ही 4–5 प्रतिशत ऊर्जा की खपत में कमी आई।

वित्तीय समावेश पहलः

समाज के कम सुविधा प्राप्त और वंचित वर्गों के प्रति अपनी सेवा में, पिछड़े वर्गों को वित्तीय सेवाएँ व समय पर तथा पर्याप्त ऋण उपलब्ध होने को सुनिश्चित करने के लिए बैंक ने प्रधानमंत्री जन–धन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत सराहनीय प्रदर्शन किया है, जो इस प्रकार हैः

- दिनांक 31.03.2016 तक 29.93 लाख बेसिक बचत बैंक जमा खाते (बीएसबीडी) खोले गए तथा 29.59 लाख बीएसबीडी खाता धारकों को रुपे कार्ड जारी किए गए। इस क्रम में बैंक इस खंड में भी हमेशा अग्रणी रहा है।

- खोले गए खातों को रुपे डेबिट कार्ड के जारी किए जाने में उच्चतम अनुपात अर्थात 98.86 प्रतिशत है।

- रुपे कार्ड लेन–देनों को करने के लिए, मात्र 49.89 प्रतिशत की उद्योग औसत के मुकाबले में 100 प्रतिशत पीओएस (बिक्री केन्द्रों) उपकरणों को सक्षम किया गया।

- पीएमजेडीवाई के अंतर्गत विभिन्न राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों (एसएलबीसी) द्वारा 2975 उप–सेवा क्षेत्र और 2023 शहरी वार्ड आबंटित किए गए। सभी 2975 एसएसए को बैंकिंग सेवाएँ प्रदान कराई गई हैं तथा इनमें से 2517 एसएसए को बैंक मित्र (व्यापार संपर्कियों) के जरिए और 458 एसएसए को शाखाओं के जरिए बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं।

पुरस्कार एवं प्रशस्तियाँः

बैंक को वित्तीय वर्ष 2015–16 में प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें निम्नवत हैंः

- **सर्वश्रेष्ठ निष्पादित सार्वजनिक क्षेत्रक बैंक अवार्ड** (वर्ष 2012–13 तथा 2013–14 के दौरान स्वयं सहायता समूहों को अधिकतम ऋण प्रदान करने हेतु) तमिलनाडु के माननीय मुख्य मंत्री, सेल्वी जे. जयललिता से प्राप्त।

- **एसोचेम सामाजिक बैंकिंग उत्कृष्टता अवार्ड** – यथा, मध्यम श्रेणी बैंक के अंतर्गत कृषि बैंकिंग में विजेता, मध्यम श्रेणी बैंक के अंतर्गत शहरी बैंकिंग में विजेता तथा मध्यम श्रेणी बैंक के अंतर्गत ग्रामीण बैंकिंग हेतु उप–विजेता।

- वर्ष 2014–15 के लिए तमिलनाडु राज्य तथा पुदुच्चेरी में **एसएचजी बैंक ऋण सहबद्धता हेतु नाबार्ड द्वारा स्थापित उच्च पुरस्कार**।

- वर्ष दिसम्बर 2015 को समाप्त अवधि के लिए एपीवाई अभिदाताओं को जुटाने हेतु सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों में उत्तम बैंक – दूसरी श्रेणी तथा मार्च 2016 तक सभी बैंकों में चौथी श्रेणी।

- सार्वभौमिक स्वर्ण बॉन्ड (2 चरणों में) के जारीकरण में सभी बैंकों में द्वितीय श्रेणी।

- 920 प्रतिभागियों के मध्य 4 एनपीसीआई (भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम) अवार्ड प्राप्त किए, यथा– एनएसीएच दृ विजेता अवार्ड (एपीबी / नरेगा भुगतान), एनएफएस – संयुक्त विजेता अवार्ड (एटीएम परिचालन), सीटीएस –संयुक्त विजेता अवार्ड (चेक ट्रंकेशन)

- माइक्रो एटीएम के जरिए नकद प्रदान करने हेतु तथा चेन्नै में बाढ़ से पीड़ित व्यक्तियों को आधार पहचान करने हेतु विशेष पुरस्कार।

- ”आईबी स्मार्ट रिमोट” मोबाइल एप्लिकेशन के लिए स्कॉच प्रौद्योगिकी नवोन्मेषी अवार्ड।

- सर्वश्रेष्ठ प्रोद्योगिकी नवोन्मेष के लिए इंडियन बैंक के प्रौद्योगिकी उत्पाद ”ई–पर्स” को बैंकिंग फिन्नोवेटि फ्रंटियर पुरस्कार से नवाजा गया।

भविष्य की ओर

चालू वित्त वर्ष 2016–17, वर्षा–ऋतु के सकारात्मक संकेत और देश में ग्रामीण क्षेत्रों में माँग में परिणामी बढ़ोतरी के साथ विकास का साल होने की उम्मीद है। सरकार द्वारा लागू विभिन्न नीतिगत पहलुओं द्वारा अर्थव्यवस्था में विनिर्माण क्षेत्र और रोजगार में तेजीपन होने की उम्मीद है। सामान्य वर्षा–ऋतु को ध्यान में रखते हुए मुद्रास्फीति का उदारवादी रहने का अनुमान के साथ, प्रमुख कोर क्षेत्रों के विकास में वृद्धि, तथा कारोबार को सरल रूप से करने हेतु सुधार करने के क्रम में, सरकार द्वारा उठाए गए प्रयासों को ध्यान में रखते हुए निवेश का माहौल और आगे बढ़ने की उम्मीद के साथ अन्य प्रमुख आर्थिक संकेतक भी अर्थव्यवस्था के विकास में सहायता करने की प्रत्याशा रखते हैं।

बैंक, मध्यम एवं दीर्घकालिक योजना में खुदरा और मध्य कॉरपोरेट सेगमेंट पर ध्यान देने के साथ खुद की स्थिति के लिए एक मध्य आकार बैंक के रूप में परिकल्पना करता है। खुदरा और मध्य कॉरपोरेट सेगमेंट पर समर्पित ध्यान देने हेतु, बैंक तीन प्रमुख क्षेत्रों में कार्यक्षेत्र का निर्माण करने की प्रक्रिया में है, यथा– बंधक ऋण जिसमें गृह ऋण शामिल है, मध्यम खंड जिसमें एमएसएमई तथा मध्य कॉर्पोरेट ऋण शामिल है और अन्य खुदरा ऋण जिसमें कृषि, लघु एवं मध्यम उद्यम शामिल है।

कार्यक्षेत्र वांछित आकर्षण प्राप्त करेंगे और ग्राहकों के संपर्क केन्द्रों को कम करने से न्यूनतम टर्नअराउण्ड समय हासिल कर सकते है। शुरु से अंत तक के परिचालनों को डिजिटैस करने से वांछित दक्षता उपलब्ध होगी और परिचालन की लागत को कम करेगा तथा ग्राहक संतुष्टि को बढ़ायेगा। इन ध्यानकेंद्रीय कार्यक्षेत्रों से पहुँच अधिकतर वैयक्तिक ग्राहकों को होगी जिससे हमारे ग्राहक प्रोफाइल में खुदरा ग्राहक की संख्या बढ़ेगी और बैंक को उनकी प्रत्याशाओं तथा उम्मीदों को पूरा करने में मदद हो सकती है। इन कार्यक्षेत्रों को आक्रामक विपणन रणनीतियों से युक्त युवा तथा तकनीकी विशेषज्ञों से समर्थन किया जाएगा और केंद्रीकृत पोर्टफोलियों ऑडिट के जरिए आस्तियों की गुणता को सुनिश्चित किया जाएगा। इन दृष्टिकोणों से वैलट शेयर तथा बैंक की लाभप्रदता में सुधार होगी।

बैंक की परिचालनगत दक्षता को सुधारने हेतु विजनेस प्रासेस इंजीनियरिंग तथा उत्पादकता को बढ़ाने हेतु मानव संसाधन में परिवर्तन का कार्य कर रहा है । वित्तीय समावेश का कार्यान्वयन शहरी क्षेत्रों में भी किया जाएगा, ताकि बैंक समाज के प्रत्येक क्षेत्र को सेवा प्रदान कर सके ।

मुझे विश्वास है कि आपके सतत सहयोग तथा हमारे ठोस प्रयासों से, बैंक आगे बढ़ सकेगा और पण्य धारकों के मूल्य में वृद्धि ला पाएगा ।

शुभकामनाओं सहित

आपका

महेश कुमार जैन
प्रनि एवं मुकाअ

Shri. Mahesh Kumar Jain
Managing Director &
Chief Executive Officer

MD & CEO's Message

Bank envisages to position itself as a **"Mid Sized Bank with focus on Retail & Mid Corporate segment"** in the Medium to Long Term plan.

Dear Shareholders,

I am pleased to place Annual Report of your Bank for the Financial Year 2015-16. On this occasion, I would like to thank you for your continued support and loyalty which enabled the Bank to better its performance and position itself admirably in the industry, especially in terms of its bottom line in the otherwise turbulent banking environment.

Economic overview

During FY 2015-16, the world economy continued to grow at a moderate and uneven pace, encumbered by both the legacies of the global financial crisis and a number of new challenges. The weak global scenario in turn had its impact in the domestic economy as well. As the banking sector remains vulnerable to exogenous shocks, there was muted demand for credit from banks, accentuated by slowdown in economy and increase in stressed assets in the banks. This in turn constrained credit delivery.

The Economy has since started looking up and commenced showing signs of revival with impetus for growth provided by Government of India through its various policy interventions and enactment of laws.

Your Bank's performance

In its stride towards creating a strong, efficient and sound organisation, Bank had achieved many significant milestones this year. I am happy to inform that the Bank has surpassed the milestone of ₹ 3,00,000 crore business in FY 2015-16. The Bank has been self sustaining in terms of capital by continuous plough back of profit and has been continuously maintaining its track record of paying dividends to its shareholders since 2007.

Amidst such a challenging environment, Bank as a strategic move, consolidated its loan book by shifting its focus towards retail business. Towards reducing cost of the deposits, conscious decision was taken to augment resource mobilization by increasing the proportion of retail deposits, with specific focus on growth of CASA. Reinforcing the strength of the Bank in Agriculture and MSME, credit growth primarily aimed at improving the retail business with specific focus on these traditional areas besides mortgage loans and various other retail loans. In addition, maintaining asset quality was accorded top priority by restricting incremental non-performing assets through early detection, monitoring, corrective action plans, shared information and disclosures to keep future recurrence in check.

Financial highlights

Against this backdrop, I would like to present a snapshot of the Bank's performance in key parameters.

- Business grew by 4.31% to ₹ 3,10,918 crore for the year ended March 2016 with growth of deposits by ₹ 9061 crore (5.35%) to ₹ 1,78,286 crore and Advances by ₹ 3800 crore (2.95%) to ₹ 1,32,632 crore.
- Operating profit of Bank was at ₹ 3032 crore, while Net Profit stood at ₹ 711 crore.
- Bank's strong capitalization provides cushion against asset side risks. With CRAR at 13.20 % under Basel III as at end March 2016, the Bank is consistently at the top in the industry in respect of this ratio. Bank was ranked first among Public Sector Banks under Capital adequacy and Core Capital (%) parameters on Financial Express Ranking of India's Best Banks 2015.
- Return on Assets at 0.36% continues to be the best among Nationalised Banks.
- Adequate resource profile with proportion of low-cost current account and savings account (CASA Domestic) deposits at 31.94%, recorded a growth of 14.81% (y-o-y) to touch ₹ 55,153 crore. CASA growth enabled the Bank to be ranked 4th among Nationalized Banks
- Saving Bank Deposits (Domestic) recorded a (y-o-y) growth of 15.57% to reach ₹ 46,407 crore.
- High proportion of retail deposits at around 83% of total deposits as on 31.03.2016 was indicative of the strong brand value of the Bank.

- To provide a strong footing for managing the cost of deposits, Bank consciously focused on retail deposits and in the process proportionately reduced high cost bulk deposits (PDs and CDs) to the tune of ₹ 5,782 crore during the year 2015-16.
- Achieving National goals set by Government of India was on top of the Bank's agenda and the norms stipulated were duly met i.e. Priority Sector Advances at ₹ 50,333.52 crore was 40.85% of the Adjusted Net Bank Credit (ANBC) and Agriculture lending which at ₹ 23,017.56 crore was 18.68% of the Adjusted Net Bank Credit (ANBC) as on March 31, 2016.
- Bank has 73 specialised branches across the country exclusively catering to the Micro Small & Medium Enterprises (MSME) sector; the MSME portfolio increased by 12.81% to ₹ 21,031.56 crore from ₹ 18,642.95 crore.
- Gross NPAs to Gross Advances ratio and Net NPAs to Net Advances ratio stood at 6.66% and 4.20% respectively as on 31st March 2016. The total stressed book reduced from 12.12% as on 31.03.2015 to 11.46% as on 31.03.2016.
- Towards enhancing its *pan*-India network and to extend its reach to the under-banked and unbanked areas, 153 branches and 440 ATMs/BNAs were opened in the current year to touch 5346 delivery points, including 2562 Brick & Mortar branches and 2784 ATMs. This included 253 Bunch Note acceptors enabled with cash recycling functionality.
- Bank has international presence in Singapore and Colombo & Jaffna in Sri Lanka.
- For specialized lending to SHGs, Bank has exclusive 43 Microsate branches. These branches have extended credit to the tune of ₹ 500.20 crore covering 12627 SHGs during FY 2015-16 and the total outstanding advances as at end-March 2016 stood at ₹ 701 crore covering 36,195 SHGs.

Social Responsiveness

- Bank was in the forefront in Flood relief measures during the "Chennai Floods" which affected Chennai, its suburbs and nearby districts viz., Kancheepuram, Tiruvallur, Cuddalore and Villupuram were severely affected due to heavy rain and flood.
- Bank extended fresh loans amounting to ₹ 935 crore to 75518 flood affected victims.
- Bank's staff despite being themselves impacted during the catastrophe arranged for disbursal of cash using Micro/Boat ATMs during the crisis period. The effort of the Bank was recognized by NPCI in the form of a prestigious award.
- **Swachh Bharat Abhiyan**: Bank as an organization rose upto the National call from the Hon'ble Prime Minister with great enthusiasm, undertaking the activity of maintaining cleanliness not only within its premises but also outside by cleaning an area in Marina Beach, Chennai
- Realizing the importance of blood in saving lives, the Bank had arranged 102 Blood donation camps *pan*-India and solicited 4346 blood units**.** Towards ensuring the well being of the citizens of the country, various health initiatives were undertaken which included 137 Health camps benefitting 21157 persons and Eye/organ donor camps numbering 2433 volunteered for the donation.

Leveraging Technology

In its stride towards offering better digitalized service for its customers towards their empowerment, Bank had initiated several technology initiatives during the year, notable among them being:

- **Passbook Kiosks** at 216 locations, resulted in migration of 24% of branch transactions and enhanced customer convenience relating to printing of passbook.
- **Mobile Application "IndPay"** attracted 4.88 lakh registrations since launch with monthly financial / non-financial transactions crossing 30 lakh numbers. QR based 'Scan and Pay' feature being the latest addition in this application.
- **Ind MobiEasy',** an USSD based Mobile App**.**
- **e-Lounges at 102 locations**, ensuring availability of basic banking services to customers on 24X7 basis, with facility to deposit/withdraw cash..
- **440 new ATMs/BNAs** installed resulting in migration of 59% of branch transactions, facilitating convenience of banking.

Internet Banking platform catering to the banking requirements of 11.2 lakh customers as on 31.03.2016 registered a growth of 25% in terms of transactions.

Green Initiatives

- Realizing its duty towards the Society for providing a clean and pure environment, Bank as a green initiative measure had planted 1,20,273 saplings across the country.
- As an energy conservation measure, roof top Solar system and LED fixtures were installed at Corporate Office and other Offices, resulting in saving of around 4 - 5% in energy consumption at Corporate Office alone.

Financial Inclusion initiatives

In its service towards the less privileged and under privileged sections of the society, Bank had performed commendably under Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana (PMJDY) ensuring access to financial services and timely & adequate credit to the excluded sections is as follows:

- 29.93 lakh Basic Savings Bank Deposit Accounts (BSBD) opened and RuPay Cards issued to 29.59 lakh BSBD Account holders as on 31.03.2016. By doing so, Bank continues to be a leader in this segment also.
- Highest ratio of RuPay Debit card issuance to accounts opened i.e. 98.86%.
- 100% of PoS (Point of Sales) devices enabled for carrying out RuPay Card transactions as against the industry average of only 49.89%.
- 2975 Sub Services Areas (SSAs) and 2023 Urban wards allotted by various State Level Bankers' Committee (SLBCs) under PMJDY. All the 2975 SSAs provided with banking services and of these, 2517 SSAs are provided banking services through Bank Mitrs (Business Correspondents) and 458 SSAs through Branches.

Awards and Accolades

Bank was bestowed with coveted awards in FY 2015-16, notable among them being:

- **"Best Performing Public Sector Bank Award"** (for highest lending to Self Help Groups during 2012-13 and 2013-14), received from Hon'ble Chief Minister, Tamilnadu, Selvi J Jayalalitha.
- **Assocham Social Banking Excellence Awards** viz., Winner Medium Bank Class for Agriculture Banking, Winner Medium Bank Class for Urban Banking and Runner up under Medium Bank Class Rural Banking
- **Top awards instituted by NABARD, for SHG Bank Credit Linkage** in the state of Tamil Nadu and Puducherry, for the year 2014-15.
- **2nd Best Performing Bank among Public Sector Banks in mobilization of APY subscribers** for the period ended December 2015 and 4th position among all banks upto March 2016.
- **2nd position** among all banks in issue of Sovereign Gold Bonds (2 tranches).
- **4 NPCI (National Payments Corporation of India) Awards** from among 920 participants viz., NACH – Winner Award (APB/NREGA Payments), NFS – Joint Winner Award (ATM Operations), CTS – Joint Winner Award (Cheque Truncation).
- **Special award** for making cash available through Micro-ATMs and Aadhar identification to flood stranded people in Chennai.
- **SKOCH Technology Innovation Award** for "IB Smart Remote" Mobile Application.
- **Banking Frontier's Finnoviti Award** for the Best Technology Innovation was conferred on the Bank for the Technology product 'E-Purse'.

Way forward

The current financial year 2016-17 is expected to be the year of growth with positive indication of monsoon and resultant boost in rural demand in the economy. Various policy initiatives implemented by the Government is expected to rally the manufacturing sector and employment in the economy. Other key economic indicators are also expected to aid growth in the economy with inflation estimated to moderate assuming normal monsoon, increase in growth in key core sectors and investment climate is estimated to grow further owing to efforts taken by the Government to improve the ease of doing business.

The Bank envisages to position itself as a **"Mid Sized Bank with focus on Retail & Mid Corporate segment"** in the Medium to Long Term plan. For a dedicated focus on Retail & Mid Corporate segment, the Bank is in the process of creating Verticals in three major areas, viz., Mortgage loans including Home loans, Mid Segment comprising of MSME and Mid Corporate loans and Other Retail Loans including Agriculture, Small and Micro Enterprises.

These Verticals would bring in the desired focus and achieve the minimum Turn-around-time by reducing touch points for customers. Digitizing the end-to-end operations would result in much desired efficiency and reduce the cost of operations and enhance customer experience. These focused Verticals with outreach mostly amongst individual customers will increase the retail customer proportion in our Customer profile and enable the Bank to meet their aspirations and expectations. The Verticals would be supported by aggressive marketing strategies with a young and tech-savvy outbound team and ensuring quality of assets through a centralized Portfolio Audit exercise. These approaches would improve the wallet share and thereby the profitability of the Bank.

Bank is also undertaking Business Process Engineering to improve the operational efficiency coupled with Human Resources transformation to increase the productivity. Financial Inclusion will expand and implement at urban locations as well enabling the Bank to reach every segment of the society.

I am confident that with your continued patronage and our concerted efforts, Bank would be able to surge ahead and further enhance stakeholders' value.

With best wishes

Yours sincerely

MAHESH KUMAR JAIN

MD & CEO

इस पृष्ठ को जानबूझकर रिक्त रखा गया है।

This page is intentionally left blank

निदेशकों की रिपोर्ट 2015–16

सेवा में

सदस्यों को....

आपके निदेशकों को आपके बैंक के 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लेखा परीक्षित लेखों का विवरण और नकदी प्रवाह विवरण के साथ बैंक की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में अत्यधिक हर्ष हो रहा है।

वित्त से संबंधित मुख्य बातें

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान आपके बैंक के निष्पादन की मुख्य बातें निम्नानुसार हैं :

- बैंक का वैश्विक कारोबार वर्ष के दौरान 4.31 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 3,10,896 करोड़ तक पहुंचा।
- कुल जमाएँ में ₹9061 करोड़ यानि 5.35 प्रतिशत की वृद्धि से वित्तीय वर्ष 2015–16 में ₹ 1,78,286 करोड़ हो गईं ।
- 31.03.2016 तक सकल अग्रिमों में ₹ 3800 करोड़ की वृद्धि यानि 2.95 प्रतिशत दर्ज की गई है ये ₹ 1,32,632 करोड़ रहे। समग्र ऋण जमा अनुपात 74.39 प्रतिशत रहा।
- 31.03.2016 तक प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिमों में ₹ 4265 करोड़ की वृद्धि यानि 9.26 प्रतिशत हुआ है ये ₹ 50,333.52 करोड़ रहे जोकि एनएनबीसी का 40. 85 प्रतिशत था।
- कृषि ऋण ₹23,017.56 करोड़ रहा जो समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 18.68 प्रतिशत है।
- भारत सरकार द्वारा की गई प्राथमिकताओं के अनुसार 31 मार्च 2016 को अजा/अजजा को प्रदत्त बैंक अग्रिम ₹ 2146.34 करोड़ हो गए जोकि कुल प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों का 4.55 प्रतिशत रहे।
- वित्तीय वर्ष 2015–16 में निवल ब्याज मार्जिन 2.33 प्रतिशत रहा।
- परिचालनगत लाभ ₹ 3032.09 करोड़ तक बढ़ा जबकि वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए यह लाभ ₹ 3013.71 करोड़ था।
- वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए ₹ 1005.18 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2015–16 का निवल लाभ ₹ 711.38 करोड़ रहा।
- औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ 0.36 प्रतिशत था।
- मार्च 2015 के 12.86 प्रतिशत की तुलना में पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बेसल।।।) 13.20 प्रतिशत रहा।
- वित्तीय वर्ष 2014–15 में 8.34 प्रतिशत की तुलना में वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए नेटवर्थ पर प्रतिलाभ 5.46 प्रतिशत रहा।
- मार्च 2015 को 4.40 प्रतिशत की तुलना में सकल एनपीए 6.66 रहा जबकि मार्च 2015 के 2.50 प्रतिशत की तुलना में निवल एनपीए 4.20 प्रतिशत पर रहा।
- वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान एनपीए में कुल वसूली ₹ 901 करोड़ रही जबकि पिछले वर्ष के दौरान यह ₹ 848 करोड़ थी।
- दिनांक 31/03/2016 के दौरान प्रति शेयर अर्जन ₹14.81 रहा और प्रति शेयर बही मूल्य ₹ 280.63 रहा।
- 31.03.2016 को भारत में बैंक का कुल देशीय शाखा नेटवर्क 2409 से 2562 तक बढ़ गया । इसके अलावा बैंक की 3 ओवरसीज़ शाखाएं हैं।
- एटीएमों की कुल संख्या 2344 से 2531 तक बढ़ गई। इनमें 649 ऑफसाइट एटीएम शामिल हैं और (एन एफ एस)शेयर किए गए एटीएम नेटवर्क में ग्राहक, 2.21 लाख से अधिक एटीएम का प्रयोग कर सकते हैं।
- वर्ष के दौरान, बैंक ने पुनर्चक्रण सुविधायुक्त कैश डिपासिट मशीन/बंच नोट अक्सेप्टर्स लगाया है जिसमें मशीन नकदी प्राप्त कर सकता है तथा ग्राहकों को नकद उपलब्ध कर सकता है। बैंक ने वर्ष के दौरान विभिन्न स्थानों पर 102 ई–लाऊंज की स्थापना की है, जो बी एन ए युक्त स्वयं चालित किओस्क हैं और यहाँ 24 x 7 सुरक्षित पास बूक प्रिंटिंग तथा चेक जमा आदि किया जा सकता है।

आय एवं व्यय

- वर्ष के दौरान बैंक की कुल आय 4.70 प्रतिशत बढ़कर ₹18,025.20 करोड़ हो गई, जिसमें ब्याज आय ₹16,243.79 करोड़ रही और अन्य आय ₹1781.42 करोड़।
- बैंक का कुल व्यय ₹14.993.11 करोड़ रहा, जोकि ₹ 790.54 करोड़ (5.57) प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
- वित्तीय वर्ष 2014–15 में ₹ 2810.92 करोड़ की तुलना मे वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए कुल परिचालनागत व्यय ₹ 3195.51 करोड़ रहा।

2014–15 के लिए महत्वपूर्ण अनुपात निम्नानुसार हैं:–

(प्रतिशत में)

मापदंड	2015-16	2014-15
अग्रिमों पर प्रतिलाभ	9.63	10.19
जमाओं की लागत	6.76	7.10
आस्तियों पर प्रतिलाभ	0.36	0.54
लागत–आय अनुपात	51.31	48.26
प्रति कर्मचारी कारोबार (₹लाखों में)	1531.19	1443.40
प्रति कर्मचारी लाभ (₹लाखों में)	3.53	4.95

लाभांश

- निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए 15 प्रतिशत के लाभांश की अनुशंसा की है। बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए अदा किया जानेवाला लाभांश, कर की कटौती के अध्यधीन होगा। वित्तीय वर्ष 2015–16 के लाभांश के कारण कुल बहिर्प्रवाह लाभांश कर के अतिरिक्त ₹72.04 करोड़ रुपये है। पे–आउट अनुपात 10.13 प्रतिशत बनता है।

DIRECTORS' REPORT 2015-16

To

The Members,

Your Directors have immense pleasure in presenting the Bank's Annual Report along with the Audited Statement of Accounts and the Cash Flow statement for the year ended 31st March 2016.

FINANCIAL HIGHLIGHTS

The major highlights of your Bank's performance during FY 2015-16 are as follows:

- Global Business of the Bank reached ₹ 3,10,918 crore during the year, registering a growth of 4.31%.
- Total Deposits grew by ₹9061 crore, i.e. 5.35% for the financial year 2015-16 to ₹1,78,286 crore.
- Gross Advances at ₹1,32,632 crore, registered an increase of ₹3800 crore i.e. 2.95% as on 31.03.2016. Overall Credit-Deposit ratio was at 74.39%.
- Priority Sector Advances was at ₹50,333.52 crore as on 31.03.2016 and accounted for 40.85% of Adjusted Net Bank Credit (ANBC).
- Agriculture Credit was at ₹ 23,017.56 crore and accounted for 18.68% of ANBC.
- In accordance with the priorities accorded by the Government of India, the Bank's Advances to SC/STs reached ₹2146.34 crore as of March 31, 2016, constituting 4.55% of total Priority Sector Advances.
- Net Interest Margin was at 2.33% in FY 2015-16.
- Operating Profit increased to ₹ 3032.09 crore as against ₹ 3013.71 crore in FY 2014-15.
- Net Profit for FY 2015-16 was at ₹ 711.38 crore as compared to ₹ 1005.17 crore for 2014-15.
- Return on Average Assets was at 0.36%.
- Capital Adequacy Ratio (BASEL III) was at 13.20% as compared to 12.86% as of March 31, 2015.
- Return on Net worth for FY 2015-16 was at 5.46%, as compared to 8.34% in FY 2014-15.
- Gross NPA was at 6.66% as against 4.40% in March 31, 2015 while Net NPA was at 4.20% as against 2.50% in March 31, 2015.
- Total recovery of NPAs during FY 2015-16 amounted to ₹ 901 crore as against ₹ 848 crore in the previous year.
- Earnings per share were at ₹ 14.81 and Book value was at ₹ 280.63 as on 31.03.2016.
- Total domestic branch network of the Bank in India increased to 2562 from 2409 as on 31.03.2016. Besides, the Bank has 3 overseas branches, taking the total branch network to 2565.
- Total number of ATMs increased to 2531 as on 31.03.2016 from 2344 as on 31.03.2015, which includes 649 offsite ATMs and customers can access more than 2.21 lakh ATMs in the (NFS) shared network.
- During the year, Bank deployed 253 Cash Deposit Machines / Bunch Note Acceptors with recycling functionality, wherein the machines can receive and dispense cash to the customers. Bank installed 102 e-lounges at various locations, which are unmanned kiosks with BNAs, secured pass book printers and cheque deposit machines with 24 x 7 operations on all days including holidays.

INCOME AND EXPENDITURE

- During the year, total income of the Bank increased by 4.70 per cent to ₹ 18,025.20 crore, with Interest Income at ₹ 16,243.79 crore and Other Income at ₹ 1781.42 crore.
- The Bank's total expenditure increased by ₹ 790.54 crore (5.57%) to ₹ 14,993.11 crore.
- Total operating expenses was at ₹ 3195.51 crore for FY 2015-16 as compared to ₹ 2810.92 crore in FY 2014-15.

IMPORTANT RATIOS FOR THE PERIOD OF 2015-16 ARE AS UNDER:

(in %)

Parameters	2015-16	2014-15
Yield on Advances	9.63	10.19
Cost of Deposits	6.76	7.10
Return on Assets	0.36	0.54
Cost Income ratio	51.31	48.26
Business per employee (₹ in lakh)	1531.19	1443.40
Profit per employee (₹ in lakh)	3.53	4.95

DIVIDEND

- The Board of Directors has recommended a dividend of 15% for FY 2015-16. The dividend shall be subject to tax on dividend to be paid by the Bank. The total outflow on account of dividend for FY 2015-16 is ₹72.04 crore, excluding dividend tax. The payout ratio works out to 10.13%.

निवल मालियत एवं सीआरएआर

- बैंक की निवल मालियत 31.03.2015 के ₹ 12557.73 करोड़ से बढ़कर 31. 03.2016 को ₹ 13478.5 करोड़ हो गई, इसमें 7.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
- बेसल ।।। के मानदंडों के अनुसार, मार्च 2015 को 12.86 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2016 को पूँजी की तुलना में जोखिम समायोजित आस्तियों का अनुपात (सीआरएआर) 13.20 प्रतिशत है जबकि इसकी न्यूनतम आवश्यकता 9.625 प्रतिशत की ही है। सीईटी । का अनुपात मार्च 2015 को 10.61 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2016 को 11.68 प्रतिशत रहा। जबकि इसकी न्यूनतम आवश्यकता 6.125 प्रतिशत है। टियर । पूँजी का सीआरएआर मार्च 2015 को 10.61 की तुलना में मार्च 2016 का 12.08 प्रतिशत रहा जबकि इसकी न्यूनतम आवश्यकता 7.625 प्रतिशत है।

(प्रतिशत में)

बेसल ।।।	निम्न तारीख को	
	मार्च 2016	मार्च 2015
सीईटी – ।	11.68	10.61
टियर । – पूँजी	12.08	10.61
टियर ।। – पूँजी	1.12	2.25
कुल	13.20	12.86

भर्ती / प्रशिक्षण

- सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार, सीधी भर्ती और आंतरिक पदोन्नति की प्रक्रिया के दौरान, अजा /अजजा कर्मचारियों को भर्ती पूर्व और पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

वर्ष के दौरान बोर्ड में परिवर्तन :

- श्री टी एम भसीन, प्रबन्ध निदेशक एवं मु.का.अधिकारी के पद पर दिनांक 31 मार्च 2015 तक रहे।
- श्री बी.राजकुमार, कार्यपालक निदेशक ने अधिवर्षिता पर दिनांक 31 मई 2015 को कार्यभार छोडा।
- श्री टी एम भसीन, प्रबन्ध निदेशक एवं मु.का.अधिकारी ने सीवीसी में सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त होने पर दिनांक 10.06.2015 को कार्यभार छोडा।
- श्री एम.के.जैन, कार्यपालक निदेशक दिनांक 11 जून 2015 से दिनांक 1 नवम्बर 2015 तक प्रबन्ध निदेशक एवं मु.का.अ.(अतिरिक्त प्रभार) के पद पर रहे।
- श्री एम.के.जैन ने प्रबन्ध निदेशक एवं मु.का.अधिकारी के रूप में दिनांक 2 नवंबर 2015 को कार्यभार संभाला।
- श्री टी सी वेंकट सुब्रमणियन ने दिनांक 14.08.2015 को अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक एवं गैर कार्यपालक अध्यक्ष का कार्यभार संभाला।
- सुश्री मुदिता मिश्रा को बोर्ड में सरकार के नामिती के रूप में, डॉ.एन.श्रीनिवास रॉव जो दिसम्बर 15, 2015 से निदेशक नहीं रहे, के स्थान पर नियुक्त किया गया ।
- श्री आर सुब्रमणिय कुमार ने कार्यपालक निदेशक के रूप में दिनांक 22 जनवरी 2016 को कार्यभार संभाला।
- श्री ए एस राजीव ने कार्यपालक निदेशक के रूप में दिनांक 22 जनवरी 2016 को कार्यभार संभाला।

निदेशकों की जिम्मेदारी कथन

- निदेशक संपुष्ट करते हैं कि मार्च 31, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखा तैयार करते समय :
- महत्वपूर्ण विचलन, यदि हों, के संबंध में उचित स्पष्टीकरण सहित प्रयोज्य लेखा मानकों का पालन किया गया है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार गठित लेखांकन नीतियों को लगातार लागू किया गया।
- वित्तीय वर्ष के अंत तक बैंक के कार्यकलाप व स्थिति पर सही एवं न्यायोचित दृष्टि तथा 31 मार्च, 2016 तक बैंक के लाभ का सही चित्र देने के लिए उचित एवं विवेकपूर्ण निर्णय एवं आकलन किए गए।
- भारत में बैंकों को अधिशासित करनेवाले प्रयोज्य कानूनों के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्डों को बनाए रखने के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती गई। और
- लेखों को लाभकारी कारोबार वाली संस्था के आधार पर तैयार किया गया है।

आभारोक्ति

बोर्ड, भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड का उनके मूल्यवान मार्गदर्शन और सहायता के लिए आभार व्यक्त करता है। बोर्ड वित्तीय संस्थानों और संपर्की बैंकों को भी उनके सहयोग व समर्थन के लिए धन्यवाद देता है। बोर्ड अपने ग्राहकों व शेयरधारकों से मिले अनवरत समर्थन के प्रति आभार व्यक्त करता है।

बोर्ड, श्री टी एम भसीन, श्री बी राजकुमार तथा डॉ एन श्रीनिवास राव द्वारा दिये गये मूल्यवान योगदान के लिए अपनी सराहना व्यक्त करता है, ये इस वर्ष के दौरान सदस्य नहीं रहे।

बैंक के समग्र निष्पादन के लिए स्टाफ सदस्यों द्वारा प्रदत्त निष्ठावान सेवाएं तथा योगदान के प्रति बैंक अपनी सराहना व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल के लिए व उनकी ओर से

महेश कुमार जैन
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

NETWORTH AND CRAR

- Networth of the Bank improved to ₹ 13,478.35 crore as on 31.03.2016 from ₹12,557.73 crore as on 31.03.2015, registering a growth of 7.3%.
- As per Basel III norms, the Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) was at 13.20% as on March 2016, compared to 12.86% as of March 2015, against the minimum requirement of 9.625%. The CET - I ratio was 11.68% as of March 2016 as compared to 10.61% as of March 2015 and against the minimum requirement of 6.125%. The CRAR of Tier I capital was 12.08% as of March 2016 as compared to 10.61% as of March 2015 and as against the minimum requirement of 7.625%.

(in %)

BASEL III	As on	
	March 2016	March 2015
CET - I	11.68	10.61
Tier- I Capital	12.08	10.61
Tier-II Capital	1.12	2.25
Total	13.20	12.86

RECRUITMENT / TRAINING

- As per Government guidelines, pre-recruitment and pre-promotion trainings were offered to SC/ST employees during the process of direct recruitment and internal promotions.

CHANGES IN THE BOARD DURING THE YEAR

- Shri. T M Bhasin was Chairman & Managing Director upto March 31, 2015.
- Shri. B Rajkumar, Executive Director demitted office on May 31, 2015 on superannuation.
- Shri. T M Bhasin, Managing Director & CEO demitted office on June 10, 2015 on his appointment as Vigilance Commissioner in CVC.
- Shri M K Jain, Executive Director was MD & CEO (Additional Charge) from June 11, 2015 to November 1, 2015.
- Shri M K Jain assumed charge as MD & CEO on November 2, 2015.
- Shri T C Venkat Subramanian assumed charge as Part-Time Non-Official Director & Non-Executive Chairman on August 14, 2015.
- Ms. Mudita Mishra was appointed as Government of India nominee to the Board on January 07, 2016 in place of Dr. N Srinivasa Rao who ceased to be Director from December 15, 2015.
- Shri. R Subramania Kumar assumed charge as Executive Director on January 22, 2016.
- Shri. A S Rajeev assumed charge as Executive Director on January 22, 2016.

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

- The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2016: –
- The applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures, if any;
- The accounting policies framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India, were consistently applied;
- Reasonable and prudent judgment and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit of the Bank for the year ended March 31, 2016.
- Proper and sufficient care were taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing banks in India; and
- The accounts have been prepared on a going concern basis.

ACKNOWLEDGEMENT

The Board expresses its deep sense of gratitude to the Government of India, Reserve Bank of India and Securities & Exchange Board of India for the valuable guidance and support received from them. The Board also thank the financial institutions and correspondent banks for their co-operation and support. The Board acknowledges the unstinted support of its customers and shareholders.

The Board places on record its appreciation for the valuable contribution made by Shri T M Bhasin, Shri B Raj Kumar and Dr. N Srinivasa Rao who ceased to be members during the year.

The Board places on record its appreciation for the dedicated services and contribution made by members of staff for the overall performance of the Bank.

For and on behalf of Board of Directors

MAHESH KUMAR JAIN
Managing Director & CEO

वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए पुरस्कार एवं प्रशस्तियां

- तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री, सेल्वी जे जयललिता ने "सर्वश्रेष्ठ निष्पादित सार्वजनिक क्षेत्रक बैंक अवार्ड" (2012–13 और 2013–14 के दौरान स्वयं सहायता समूहों को अधिकतम ऋण देने के के लिए) इंडियन बैंक के प्रनि एवं मुकानि श्री एम.के.जैन को प्रदान किया।

- इंडियन बैंक ने 920 प्रतिभागियों के बीच 4 एनपीसीआई (राष्ट्रीय भुगतान कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) पुरस्कार प्राप्त किया :
  - एनएसीएच – विजेता पुरस्कार (एबीपी / नरेगा भुगतान)
  - एनएफएस – संयुक्त विजेता पुरस्कार (एटीएम परिचालन)
  - सीटीएस – संयुक्त विजेता पुरस्कार (चेक ट्रंकेशन)
  - चेन्नै में बाढ़ में फंसे लोगों के लिए माइक्रो– एटीएम एवं आधार पहचान के माध्यम से नकद उपलब्ध कराने के लिए बैंक को विशेष पुरस्कार दिया।

- बैंक को "आईबी स्मार्ट रिमोट" मोबाइल एप्लिकेशन के लिए स्कॉच प्रौद्योगिकी नवोत्पाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

- प्रौद्योगिकी उत्पाद ई–पर्स के लिए इंडियन बैंक को सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी नवोत्पाद हेतु बैंकिंग फ्रंटियर के "फ़िन्नोविटी अवार्ड" से नवाज़ा गया है।

AWARDS AND ACCOLADES FOR FINANCIAL YEAR 2015-16

- Hon'ble Chief Minister, Tamilnadu, Selvi J Jayalalithaa handed over "Best Performing Public Sector Bank Award"(for highest lending to Self Help Groups during 2012-13 and 2013-14) to Shri.M.K.Jain, MD&CEO.

- Bank bagged 4 NPCI (National Payments Corporation of India) Awards from among 920 Participants:
    - NACH – Winner Award (APB/NREGA Payments)
    - NFS – Joint Winner Award (ATM Operations)
    - CTS – Joint Winner Award (Cheque Truncation)
    - Special award bestowed on the Bank for making cash available through Micro - ATMs and Aadhar identification to flood stranded people in Chennai.

- The Bank was awarded SKOCH Technology Innovation Award for "IB Smart Remote" Mobile Application.

- Banking Frontier's Finnoviti Award for the Best Technology Innovation was conferred on the Bank for the Technology product 'E-Purse'.

- बैंक ने एसोचेम से 3 प्रतिष्ठित सामाजिक बैंकिंग उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त किए:–
  - ❖ मध्यम श्रेणी बैंक के अंतर्गत कृषि बैंकिंग में विजेता
  - ❖ मध्यम श्रेणी बैंक के अंतर्गत शहरी बैंकिंग में विजेता
  - ❖ मध्यम श्रेणी बैंक में ग्रामीण बैंकिंग हेतु उप–विजेता

- बैंक ने वर्ष 2014–15 के लिए तमिलनाडु एवं पुदुच्चेरी राज्य में स्वयं सहायता समूह बैंक क्रेडिट लिंकेज के लिए नाबार्ड द्वारा शीर्ष पुरस्कार प्राप्त किया।

- बैंक ने तमिलनाडु राज्य में स्वयं सहायता समूह बैंक क्रेडिट लिंकेज के लिए प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2014–15 दौरान तमिलनाडु में 45589 स्वयं सहायता समूह को 1301.40 करोड़ राशि की नए ऋण वितरित किए।

  - ❖ जहाँ तक अग्रणी जिला के लिए पुरस्कार का संबंध है, बैंक ने इस श्रेणी के तहत सभी तीन पुरस्कार प्राप्त किए। कृष्णगिरी, कांचीपुरम एवं वेल्लूर जिला, जहां बैंक के पास अग्रणी बैंक का दायित्व है, वहाँ क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया।

  - ❖ केंद्र शासित प्रदेश पुदुच्चेरी में बैंक ने तृतीय पुरस्कार हासिल किया है।

- तमिलनाडु में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के लिए पुरस्कार में इंडियन बैंक प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नामतः पल्लवन ग्राम बैंक को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश पुदुच्चेरी में भी इंडियन बैंक प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नामतः पुदुवै भारतियार ग्राम बैंक को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ।

- दिसंबर 2015 अवधि के दौरान सभी सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों में एपीवाई ग्राहकों के लामबंदी में दुसरा सर्वश्रेष्ठ निष्पादित बैंक और मार्च 2016 तक सभी बैंकों में चौथा स्थान प्राप्त किया है।

- सार्वभौमिक स्वर्ण बांड योजना के जारीकरण (दो चरणों में) सभी बैंकों में बैंक का द्वितीय स्थान है।

- Bank won 3 Assocham Social Banking Excellence Awards–
  - Winner Medium Bank Class for Agriculture Banking
  - Winner Medium Bank Class for Urban Banking.
  - Runner up under Medium Bank Class Rural Banking

- Bank bagged top awards instituted by NABARD, for SHG Bank Credit Linkage in the State of Tamil Nadu and Puducherry, for the year 2014-15.

- For Tamil Nadu, Bank bagged the award for first place. Bank has disbursed fresh loans amounting to ₹1301.40 crore to 45589 SHG groups in Tamil Nadu during the FY 2014-15.
  - In respect of awards for Lead districts, Bank bagged all the three awards distributed under this category. Krishnagiri, Kancheepuram and Vellore districts where Bank holds the Lead bank responsibility bagged the first, second and third prize respectively.
  - In the UT of Puducherry, Bank bagged the third prize.

- Under the awards meant for Regional Rural Banks in Tamil Nadu, Bank sponsored RRB viz., namely Pallavan Grama Bank was awarded the first prize. In the Union Territory of Puducherry also, Bank sponsored RRB viz., Puduvai Bharathiar Grama Bank bagged the first prize.

- Bank has been awarded as the 2nd Best Performing Bank among Public Sector Banks in mobilization of APY subscribers for the period ended December 2015 and 4th position among all Banks upto March 2016.

- Bank is in the 2nd position among all Banks in the issue of Sovereign Gold Bonds Scheme (2 tranches).

बैंक द्वारा बाढ़ के दौरान लिये गये कदम

- दिसम्बर 2015 के प्रथम सप्ताह के दौरान, चेन्नै तथा उपनगरों और आस–पास के जिलेः यथा कांचीपुरम, तिरुवल्लूर, कडलूर तथा विलुप्पुरम भारी वर्षा और बाढ़ के कारण बाधित हुए।

- उन क्षेत्रों में कार्य करनेवाली शाखाएँ भी बाधित हुई, और बैंक द्वारा निम्नलिखित राहत उपाय/कार्य किये गये।

- बैंक ने एसएलबीसी में लिये गये निर्णय तथा माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री के विशेष बैठक की अध्यक्षता में लिये गये निर्णय के आधार पर विभिन्न वर्गों के ग्राहकों को राहत उपाय प्रदान किया गया।

दिनांक 20.12 2015 को इमेज, चेन्नै में आयोजित एक कार्यक्रम में माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जैटली बाढ़ पीडित को चेक प्रदान करते हुए। साथ है श्री ओ पन्नीर सेल्वम, तमिलनाडु के माननीय वित्त मंत्री तथा श्री महेश कुमार जैन, प्रबं.नि एवं मु.का.अ., इंडियन बैंक द्वारा कार्यक्रम आयोजित में भाग लेते हुए।

- बैंक ने पात्र खातों को पुनसरचित करने के अलावा, बाद से पीडित 75518 लोगों को रु.935.84 करोड के नये ऋण वितरित किए ।

- बैंक ने तमिलनाडु सरकार द्वारा बाढ़ को से पीडित 9.51 लाख लोगों को रिलीज़ किए गए रु.505 करोड की राशि वितरित किया।

- बैंक ने व्यापार निरंतरता का पर्यवक्षण करने के लिए 2 महा प्रबन्धकगण तथा 1 उप महा प्रबन्धक युक्त व्यापार निरंतरता योजना (बीसीपी) दल का गठन किया।

- चेन्नै में स्थित बैंक के प्राथमिक डेटा सेंटर को हैदराबाद में स्थित आपदा रिकवरी साइट को स्थानांतरिक किया गया ताकि बाढ़ से पीड़ित ग्राहकों को निर्बाध सेवा उपलब्ध हो सके।

- बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री महेश कुमार जैन ने सभी स्टाफ सदस्यों को एएमएस भेजे ताकि बाढ़ के दौरान किसी भी सहायता के लिए बीसीपी दल को संपर्क कर किया जा सकें।

- प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा सहयोग प्रदान करने हेतु 24 लाख ग्राहकों को एसएमएस भेजे गये, इस क्रम में अंचल प्रबन्धकों द्वारा बाढ़ पीडित क्षेत्रों में सभी शाखाओं/एटीएमों का पता लगाने तथा उनका कार्य सुचारु रूप से होने के लिए वांछित सहायता प्रदान करने हेतु अनुवर्तन किया गया।

- दिनांक 06/12/2015 को बाढ़ पीड़ित जिले (चेन्नै, कांचीपुरम, तिरुवल्लूर, विलुप्पुरम तथा कडलूर में शाखाएँ बाढ़ पीडित लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए कार्यरत थी।

- वर्षा/बाढ राहत हेतु एक विशेष पोर्टल सक्रिय किया गया ताकि जरूरतमंद जनता को सहायता प्रदान की जा सके और पोर्टल के जरिए प्राप्त अनुरोध की तुरन्त निपटाये गये।

- बैंक की 586 एटीएम तथा 371 शाखाएँ बाढ़ के कारण बाधित हुई। शाखाओं द्वारा ग्राहकों की नकद आवश्यकताओं को निम्नलिखित सक्रिय उपायों को अपनाते हुए निपटाये गये –

  - ❖ चेन्नै (दक्षिण) तथा (उत्तर) अंचलों के पास उपलब्ध मोबाइल एटीएम वैन को एटीएम नकद संवितरण के लिए प्रयोग में लाया गया। सभी बैंकों के एटीएम प्रयोगकर्ता हमारे एटीएमों के जरिए अपने घर के नजढीक से ही पैसे निकाल सके।

  - ❖ बाढ़ से पीडित क्षेत्रों का पता लगाने तथा जहाँ बिजली आपूर्ति में बाधा हुई वहाँ जनरेटरों को प्रदान करके सभी शाखाओं/एटीएमों को कार्यरत करने हेतु पर्याप्त उपाय किए गये।

  - ❖ शाखा के कार्मिकों द्वारा जीपीआरएस कनेक्शनयुक्त लैपटॉपों के जरिए बाढ़ से पीडित क्षेत्रों में वित्तीय लेनेदन किये गये।

  - ❖ जीपीआरएस कनेक्टिविटी के साथ लैपटॉप को नाव में लेकर लॉबी एटीमों के जरिए सर्विस दिया गया तथा बाढ़ पीडित क्षेत्रों में नकद संवितरण किया गया।

  - ❖ बैंक ने दिनांक 31/01/2016 तक ग्राहकगण जिन्होंने अपने एटीएम कार्ड/पासबुक गुमा दिये थे, उन्हें नकली एटीएम कार्ड/पासबुक निःशुल्क जारी किया गया।

RELIEF MEASURES UNDERTAKEN BY THE BANK DURING FLOODS

- During the first week of December 2015, Chennai and suburbs and nearby districts viz., Kancheepuram, Tiruvallur, Cuddalore and Villupuram were severely affected due to heavy rain and flood.
- Branches functioning in those areas were also affected and the following relief measures/actions were extended by the Bank.
- Bank extended relief package on the lines of decision taken at SLBC and in the special meeting chaired by the Hon'ble Union Finance Minister, to various segments of the customers.

Hon'ble Union Finance Minister Shri. Arun Jaitley handing over a cheque to a flood affected person, at a function held at IMAGE, Chennai on 20.12.2015. Shri.O.Paneerselvam, Hon'ble Finance Minister for Tamil Nadu and Shri. Mahesh Kumar Jain, MD and CEO, Indian Bank participated.

- Besides, restructuring the eligible accounts, Bank extended fresh loans amounting to ₹ 935.84 crore to 75518 flood affected persons.
- Bank disbursed a relief amount of ₹ 505 crore released by Government of Tamil Nadu to 9.51 lakh flood affected persons.
- Bank formed a Business Continuity Plan (BCP) team with 2 General Managers and 1 DGM to supervise the Business Continuity.
- Bank's operations at Primary Data Centre at Chennai were shifted to Disaster Recovery site at Hyderabad to ensure uninterrupted service to flood affected customers.
- Bank's MD & CEO, Shri Mahesh Kumar Jain sent SMS to all staff members to contact the BCP Team for any type of assistance during the floods.
- SMS were also sent to 24 lakh customers by MD & CEO extending support which was followed up with Zonal Managers of flood affected areas to ascertain and ensure the functioning of all branches/ATMs for extension of required assistance.
- On 06.12.2015, branches in the flood affected districts (Chennai, Kancheepuram, Tiruvallur, Villupuram and Cuddalore) functioned to assist the flood affected people.
- Special Portal for rain/flood relief was enabled to extend help to needy public and requests received through the portal were attended immediately.
- 586 ATMs and 371 branches of Bank were affected due to flood. The customer cash requirements were attended by branches immediately by adopting the following proactive measures.
  - ❖ Mobile ATM vans available with Chennai South and North Zones were used to make ATM cash disbursement. ATM users of all banks were able to withdraw money through our ATMs at their doorsteps.
  - ❖ Sufficient measures were taken in flood affected areas to ascertain and ensure the functioning of all branches / ATMs by supplying generators at locations where power supply was affected.
  - ❖ Financial transactions were carried out in the flood affected areas by carrying Laptops with GPRS connections, by branch personnel.

  - ❖ Boat service through Lobby ATMs was provided by carrying laptops with GPRS connectivity and cash was disbursed at the flood affected areas.
  - ❖ Bank issued duplicate ATM cards/ pass books free of cost to the customers who lost their ATM cards/ pass books, up to 31.01.2016.

- ❖ 250 व्यापार संपर्कियों को नकद संवितरण के लिए प्रभावपूर्ण तरीके से काम में लगाये गये। व्यापार संपिर्कियों ने बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में अपने स्वैप मशीन के जरिएँ स्मार्ट कार्ड/आधार संख्या के द्वारा नकद भुगतान कर सके।

- ❖ 4 दिन के भीतर पूर्ण रूप से बाधित शाखाओं को काम करने लायक बनाये गये। इस बीच में अन्य शाखाओं से खाता शेष रिपोर्ट प्राप्त की गई और वित्तीय लेनदेन किये गये।

बाढ़ के पश्चात राहत उपाय

- बैंक द्वारा 255 राहत शिविर लगाये गये ताकि जरुरतमंद लोगों को आवश्यक चीजे जैसे कम्बल, बर्तन, कपडे, चटाई और स्टव इत्यादि के अलावा फुड पैकेट, पीने का पानी चिकित्सा किट प्रदान करने हेतु सहायता की गई।

  - ❖ लघु खातों को बैंक अधिकारियों के समक्ष स्वप्रमाणित फोटो लगाने तथा के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान आधार पर खोलने के लिए अनुमत किये गये।

  - ❖ हमारे बैंक द्वारा बाढ़ से पीडित ग्राहकों को वेतनभोगी के लिए वेतन ऋण, वर्तमान गृह ऋण तथा इंडमाईकेज उत्पादों के लिए विशेष प्रतिभूती ऋण और वाहन ऋण, उधारकर्ताओं के लिए विशेष निःशर्त ऋण प्रदान किये गये।

- नवम्बर माह तथा दिसम्बर 2015 के लिए स.मा.कि के भुगतान में दंडात्मक ब्याज का अधित्याग

- बैंक ने स्टाफ सदस्यों को एक दिन के अर्जित अवकाश को राहत निधि को अंशदार हेतु देने हेतु अनुमति प्रदान की है।

- बाढ़ से पीडित लोगों को बाढ़ में नुक्सान हुए नोटों का परिवर्तन करने हेतु 22 नोट एक्सचेंज मेलों का आयोजन किया। 52.10 लाख रुपये के नोटों तथा 32.18 लाख के सिक्कों का परिवर्तन / संवितरण किया गया।

- 250 Business correspondents were also effectively utilised for cash disbursal. BCs were able to pay cash in flood affected areas, through their Swipe Machines using smart card / Aadhaar number.

- Functioning of fully affected Branches were restored within 4 days. Meanwhile Account balance reports were obtained from other branches and financial transactions were carried out.

Post flood relief measures

- 255 Relief Camps were conducted by the Bank to offer assistance to the needy people by distributing food packets, drinking water and medical kits apart from necessary items like blankets, utensils, clothes, mats, and stove, etc.

  - Small accounts were permitted to be opened based on self attested photograph and by affixing the signature/thumb impression in the presence of Bank Official.

  - Salary loan for salary class, special secured loan for the existing home loan and Ind Mortgage products and special clean loan to Vehicle Loan borrowers were extended to flood affected customers.

- Waiver of penal interest on delayed payment of EMI's pertaining to the month of November and December 2015.

- Bank permitted staff members to encash a day's Privileged Leave (PL) for contribution towards relief fund

- 22 Note Exchange melas were conducted to enable flood affected people to exchange the notes affected in flood/rain. Notes to the tune of ₹ 52.10 lakhs and coins to the tune of ₹32.18 lakhs were exchanged / distributed.

प्रबंधन विचार विमर्श एवं विश्लेषण

वैश्विक अर्थव्यवस्था

- वर्ष 2015 में वैश्विक स्तर पर उत्पाद की वृद्धि 3.1 प्रतिशत होने का अनुमान किया गया था, जिसमें 1.9 प्रतिशत की वृद्धि विकसित अर्थ व्यवस्थाओं के लिए हैं तथा 4 प्रतिशत की वृद्धि उभरनेवाले बाजार तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए हैं। वर्ष 2016 में वैशिक वृद्धि 3.2 प्रतिशत पर मामूली रहेगी जबकि वर्ष 2017 में 3.5 प्रतिशत बढ़ने की सँभावना है।

- मोटे तौर पर विकसित अर्थ व्यवस्थाओं में वृद्धि का नम्र त्वरण कम स्तर के उर्जा मूल्यण तथा सार्थक मौद्रिक नीतियों के समर्थन को दर्शाता है, भले ही युनाइटेड स्टेट्स में संभाव्य क्रमिक फेडेरल रिज़र्व की कस हो।

- उभरनेवाले बाजार तथा विकासशील अर्थ व्यवस्थाओं में वृद्धि, वर्ष 2016 में अनुमानित वैश्विक वृद्धि का बृहत अंश रखता है तथा देश भर में संभाव्यताएँ असमान रहीं हैं और सामान्यतः पिछले दो दशक से कमजोर है।

- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने विकसित अर्थव्यवस्थाओं में वर्ष 2016 के लिए 1.9 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान किया है तथा इसकी वृद्धि वर्ष 2017 में 2.0 प्रतिशत न्यूनतम तौर पर बढ़ने की संभावना है। वृद्धि न्यूनतम तौर पर बढ़ने की संभावना है क्योंकि जापान में नियोजित खपत कर में वृद्धि के कारण वृद्धि में अनुमानित कटौती अन्य विकासशील देशों में हुए उच्च निष्पादन को समायोजित करेगा।

- इस वर्ष में चीन में वृद्धि 6.5 प्रतिशत तक कम होने की संभावना है तथा वर्ष 2017 में 6.2-प्रतिशत तक कम होगी जिससे 4–ट्रिलियन यूआन का घोषित पॉलिसी प्रोत्साहन दर्शायेगा। औद्योगिक क्षेत्र में और धीमी गति की संभावना है, चूँकि आधिक्य क्षमता खासकर रियल इस्टेट तथा उससे संबंधित बढ़नेवाले उद्योग में तथा उत्पादन उद्योग में लगातार हो रही है। सेवा क्षेत्र वृद्धि ठोस होनी चाहिए क्योंकि अर्थव्यवस्था निवेश से खपत की और पुनःसंतुलित है। उच्च आय वृद्धि, तगडे श्रम बाजार तथा संरचनात्मक सुधार खपत को बनाये रखने में मददगार हैं, यह पूर्वानुमान परिदृश्य में पुनर्संतुलन प्रक्रिया को बनाये रखने में सहायक सिद्ध हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था

- भारतीय अर्थव्यवस्था, ने विश्व की अर्थव्यवस्था में प्रमुख स्थान पाया है जो विश्व में तेजी से बढनेवाली बृहत अर्थव्यवस्था में एक बना है। भारतीय अर्थव्यस्थाओं अपने व्यापक आर्थिक बुनियादी मामलों में बृहत रूप से सुधार किया है तथा सुधार के साथ मैक्रो असुरक्षा को कम करने के लिए प्रमुख क्षेत्रों में जैसे राजकोषीय विवेके, कीमत स्थिरता, तथा बाह्य चालू खाते में संतोषजनक स्थर पाने हेतु तीव्र रूप से कदम उठाया है। भारत में हाल ही के वृद्धि पुनरुद्धार प्रमुख रूप से खपत आधारित है। नये श्रृंखले के चार वर्षीय आंकडे के अनुसार, चालु बाजार कीमत पर जीडीपी में निजी अंतिम उपयोग व्यय वर्ष 2015–16 को 59.8 प्रतिशत तक बढ़ गया।

- केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी पूर्वानुमान प्राक्कलन के अनुसार वर्ष 2015–16 में अर्थव्यवस्था 7.6 प्रतिशत की दर पर वृद्धि हासिल करने का अनुमान है जोकि पिछले वर्ष 2014–15 में हासिल की गई 7.2 प्रतिशत से अधिक है।

- वर्ष 2015–16 में कृषि क्षेत्र में वृद्धि, पिछले दशक की औसत वृद्धि से कम रही है। जबकि सेवा क्षेत्र में वृद्धि थोडा बहुत बढ़ा है परन्तु ठोस रहा है, उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि उस गति को संतुलित किया है। कृषि क्षेत्र में दो वर्षों से कम वृद्धि हासिल की गयी है क्योंकि लगतार दो वर्षों से दक्षिण–पश्चिम वर्षा में कमी पायी गयी है। अतः वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए कृषि में वृद्धि 1.1 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान किया गया है जबकि वर्ष 2014–15 के लिए (–)02 प्रतिशत दर्शायी गयी है।

- वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए उद्योग क्षेत्र में वृद्धि 7.3 प्रतिशत अनुमानित है जबकि पिछले वर्ष में उसी अवधि के लिए वृद्धि 5.9 प्रतिशत रही। औद्योगिक क्षेत्र में, उत्पादन में 9.5 प्रतिशत वृद्धि होने की संभावना है। वर्ष 2015–16 के प्रथम नौ महीनों में, आईआईपी के अनुसार वृद्धि दर 3.1 प्रतिशत रही जबकि वर्ष 2014–15 में के लिए वृद्धि 2.6 प्रतिशत रही। हाल ही में सरकार द्वारा लिये गये विभिन्न सुधार उपायों के तहत औद्योगिक क्षेत्र लगातार अच्छा निष्पादन प्रदर्शित किया है।

- वर्ष 2014–15 सेवा क्षेत्र में वृद्धि वर्ष–दर–वर्ष आधार पर 10.5 प्रतिशत से 9.2 प्रतिश कम होने की संभावना है। सभी क्षेत्रों में कमी पायी गई है जबकि लोक प्रशासन तथा रक्षा में बहुत कम घटाव होने के कारण हुआ है जोकि वर्ष 2014–15 के 10.7 प्रतिशत स्तर के तहत वर्ष 2015–16 में से 6.9 प्रतिशत होने का अनुमान है।

- वित्तीय वर्ष 2015–16 में कोर उद्योग में वृद्धि 2.7 प्रतिशत तक घट गयी है जबकि वित्तीय वर्ष 2014–15 में वृद्धि 4.5 प्रतिशत रही।

- निक्की इंडिया विनिर्माण क्रय प्रबन्धक सूचकांक (पीएमआई)– जो विनिर्माण निष्पादन का एक समिश्रित सूचक है, अच्छी देशी माँग तथा उत्पादन में हुई वृद्धि के कारण मार्च महीने में सुधार लाया। मार्च में आठ महीने के 52.4 उच्च सूचकांक पर, मौसम के अनुरुप समायोजित निक्की इंडिया विनिर्माण के उछाल को सूचित करता है।

- हेडलाइन मुद्रास्फीति जोकि ख़ुदरा मुद्रा स्फीति या सीपीआई से मापा जाता है, भारतीय रिज़र्व बैंक के लक्ष्य +/–4 प्रतिशत के अधीन रहा। मार्च 2015 के 5.3 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2016 को सीपइआई 4.8 प्रतिशत रहा खाद्यान्न में बढोत्तरी होने के बावजूद, जोकि द्वी अंकीय स्फीति के अधीन रहा, मुद्रास्फीति, वैश्विक तेल कीमतों में भारी गिरावट तथा चीन में आर्थिक प्रवृत्ति में गिरावट के कारण कम हो गयी।

- पण्य वस्तुओं तथा उत्पादकों के मूल्य की घटती वैश्विक प्रवृति के कारण हेडलाइन थोक क्रय सूचकांक (डबल्यु पी आई) की मुद्रास्फीति घट गयी।

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

Global Economy

- Global output is estimated to have grown by 3.1 percent in 2015, with 1.9 percent growth for advanced economies and 4.0 percent growth for emerging market and developing economies. Global growth is projected to remain modest in 2016, at 3.2 percent, before picking up to 3.5 percent in 2017.
- The modest acceleration of growth in advanced economies to a large extent reflects support from lower energy prices and accommodative monetary policies, notwithstanding the expected gradual Federal Reserve tightening in the United States.
- Growth in emerging market and developing economies accounts for a huge share of projected global growth in 2016 and prospects across the countries remain uneven and generally weaker than over the past two decades.
- International Monetary Fund (IMF) has projected growth in advanced economies at 1.9 per cent for 2016 and is expected to marginally improve to 2.0 per cent in 2017. Growth is projected to increase marginally, as the projected decline in growth in Japan due to the planned consumption tax increase is more than offset by slightly stronger performance in most other advanced economies.
- Growth in China is expected to decline to 6.5 percent this year and 6.2 percent in 2017, reflecting announced policy stimulus of 4-trillion-yuan. A further weakening is expected in the industrial sector, as excess capacity continues to unwind, especially in real estate and related upstream industries, as well as in manufacturing. Services sector growth should be robust as the economy continues to rebalance from investment to consumption. High income growth, a robust labor market, and structural reforms designed to support consumption are assumed to keep the rebalancing process on track over the forecast horizon

Indian Economy

- The Indian economy has emerged as a bright spot in the world economy, becoming one of the fastest growing large economies in the world. Indian economy has made substantial improvements in its macroeconomic fundamentals and taken immense strides in reducing macro-vulnerability with reforms in key areas: fiscal prudence, price stability and comfortable level of external current account. The recent growth revival in India is predominantly consumption-driven. As per the four-year data from the new series, the share of private final consumption expenditure in GDP at current market prices increased from 56.2 per cent in 2011- 12 to 59.8 per cent in 2015-16.
- As per the Advanced Estimates released by the Central Statistics Office, economy is estimated to grow at 7.6 per cent in 2015-16, higher than growth of 7.2 per cent achieved in 2014-15.
- Growth in the agriculture sector in 2015-16 has continued to be lower than the average of last decade, while growth in the services sector moderated slightly, but still remains robust; while the acceleration in manufacturing growth compensated for it. The farm sector has experienced two years of low growth on account of two consecutive years of deficient south-west monsoon rainfall. Hence, growth in Agriculture is estimated to grow at 1.1 per cent for FY 2015-16 as compared to (-) 0.2 per cent in 2014-15.
- Growth in industries is projected at 7.3 per cent in FY 2015-16 vis-à-vis 5.9 per cent in the corresponding period of the previous year. Within the industrial sector, manufacturing is expected to register a growth of 9.5 per cent. In the first nine months of 2015-16, the growth rate in terms of the IIP was 3.1 per cent as compared to 2.6 per cent in the corresponding period of 2014-15. The industrial sector has continued to perform well in the wake of various reforms measures undertaken by the government recently.
- Services sector is projected to decline marginally on a year-on-year basis to 9.2 per cent from 10.3 per cent in 2014-15. There is a decline across all the sectors while there was a steeper fall in 'Public administration & defence' which is projected at 6.9 per cent in 2015-16 vis-à-vis 10.7 per cent in 2014-15.
- Growth in Core industries for the Financial Year 2015-16 declined to 2.7 per cent as against 4.5 per cent in Financial Year 2014-15.
- Nikkei India Manufacturing Purchasing Managers' Index (PMI) – a composite indicator of manufacturing performance, improved in March on the back of better domestic demand and increased output. At an eight-month high of 52.4 in March, the seasonally-adjusted Nikkei India Manufacturing Purchasing Managers' Index (PMI) pointed to a manufacturing upturn.
- Headline inflation as measured by Retail Inflation or CPI was under RBI's target of+/- 4 per cent. CPI for the month of March 2016 was at 4.8 per cent as compared to 5.3 per cent in March 2015. Despite the rise in Pulses which remained in the double digits, inflation declined owing to steep fall in global oil prices as well as metals on account of the declining economic trend in China.
- Headline Wholesale Price Index (WPI) inflation declined following the global trend of declining commodity and

डबल्युपीआई आधारित मुद्रास्फीत मार्च 2015 के (–) 2.8 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2016 को (–)0.9 प्रतिशत हो गया। प्राथमिक पण्यों के लिए मुद्रास्फीति बढ़ गयी जबकि विनिर्माण तथा ईंधन उत्पादों के लिए घटती प्रवृत्ति जारी रही।

- वर्ष अप्रैल 2015 – मार्च 2016 की अवधि के लिए भारत के माल उत्पादों का निर्यात 310.3 बिल्लीयन यूएस डालर के तहत 261.1 बिल्लियन यूएसडालर कम होकर 15.85 प्रतिशत रहा। वर्ष अप्रैल 2015–मार्च 2016 की अवधि के लिए आयात 448.0 बिल्लियन यूएस डालर के तहत 379.6 बिल्लियन यूएस डालर कम होकर 15.28 प्रतिशत रहा। वर्ष अप्रैल 2015– मार्च 2016 के दौरान तेल आयात का मूल्य 82.6 बिल्लियन यूएस डालर रहा जोकि पिछले वर्ष में उसी अवधि के दौरान किये गये तले आयात के मूल्य 138.3 बिल्लियन यूएस डालर से कम होकर 40.24 प्रतिशत रहा। वर्ष अप्रैल 2014 – मार्च 2015 में व्यापार घाटा 137634.95 मिल्लियन यूएसडालर से कम होकर वर्ष अप्रैल 2015 – मार्च 2016 के लिए 118459.37 मिल्लियन यूएसडालर रहा।

- वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही में भारत के चालू खाता घाटा (सीएडी) प्रमुख रूप से कम व्यापार घाटे के कारण कम हो गया। वर्ष 2014–15 की तीसरी तिमाही में 7.7 बिल्लियन यूएस डालर (जीडीपी की 1.7 प्रतिशत) की तुलना में वर्ष 2015–16 की तीसरी तिमाही में 7.1 बिल्लियन यूएस डालर (जीडीपी का 1.5 प्रतिशत) घटकर कम हो गया तथा वर्ष 2015–16 की दूसरी तिमाही में 8.7 बिल्लियन यूएसडालर रहा। तथापि, अर्थव्यवस्था को बृहत रूप में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह रहा जोकि सीएडी को कवर करने के लिए पर्याप्तथा जिससे उस तिमाही में विदेशी मुद्रा निधियों में अभिवृद्धि हुई। संचयी आधार पर वर्ष 2014–15 की उसी अवधि में व्यापार घाटे के गिरावट के कारण जीडीपी का सीएडी 1.7 प्रतिशत से कम होकर अप्रैल–दिसम्बर में 1.4 प्रतिशत रहा।

मौद्रिक विकास

- भारत सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक (भा.रि.बै) के बीच में फरवरी 2015 में किये गये मौद्रिक नीति ढाँचे पर करार वर्ष 2015–16 में मौद्रिक नीति के रुख को स्था दिया है! मौद्रिक नीति ढाँचा, तेजी से बढनेवाली जटिल अर्थव्यवस्था की चुनौती को सामना करने के लिए नवीन मौद्रिक नीति ढाँचे की आवश्यकता है।

- सितम्बर 2015 में की गयी मौद्रिक नीति रिपोर्ट (एमपीआर) से अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति ढाँचा, दो पहचान चिन्हों को देखा है। प्रथम तौर पर मौद्रिक नीति ढाँचं करार (एनपीएफए) के अधीन पूर्व में अपनाये गये जनवरी 2016 के 6 प्रतिशत मुद्रास्फीति लक्ष्य को हासिल किया है, दूसरे क्रम में वर्ष 2016–17 में केन्द्रीय बजट में केन्द्रीय वित मंत्री ने यह घोषित किया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिनियम का आशोधन किया जा रहा है ताकि मौद्रिक नीति ढाँचे तथा मौद्रिक नीति समिति हेतु एक सांविधिक आधार बनाये जाए। यह समति आधारित निर्णय लेने में भारत में मौद्रिक नीति के ऐतिहासिक विकास में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाएगा।.

- वर्ष 2015–16 में भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति का यह उद्देश्य था कि जनवरी 2016 तक मुद्रास्फीत के 6 प्रतिशत लक्ष्य को हासिल करना था तथा बैंक के उद्देश्य के अनुसार मौद्रिक उपायों को पूर्ण रूप से अमल करना है। मौद्रिक नीति उद्देश्य के द्वारा सूचित प्रेक्षण पथ के अनुरूप मुद्रास्फीति नज़दीकी से विकसित हुई। भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 15, 2015 को अपने मौद्रिक नीति उद्देश्य में एक परिवर्तन को सूचित किया जिसमें रिपो दर में 25 बेसिस (पीपीएस) पाइन्ट्स को घटाते हुए, दर को 7.75 प्रतिशत बनाया है तथा उसके अनुवर्तन में 100 बीपीएस का संचयी घटाव – दिनांक 04, मार्च 2015 तथा दिनांक 02 जून 2015 को 25 बीपीएस प्रत्येक अवसर पर और दिनांक 29, सितम्बर 2015 को 50 बीपीएस का घटाव किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 02 फरवरी 2016 को छटवीं द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान पालिसी रिपो दर को 6.75 प्रतिशत पर बिना कोई परिवर्तन को स्थिर रखा।

- अर्थ व्यवस्था में ऋण की वृदि्ध कमजोर औद्योगिक तथा कॉर्पोरेट क्रियाकलाप के कारण धीमी रही। वित्तीय वर्ष के प्रथम अर्ध–वर्ष में बैंक का गैर–खाद्यन्न बैंक ऋण ढ़ीला रहा तथा वित्तीय वर्ष के दि्वतीय अर्ध वर्ष में तेजी ये बढ़ी। वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए, ऋण की वृदि्ध पिछले वर्ष की उसी अवधि की तुलना में 9.1 प्रतिशत से 11.3 प्रतिशत तक सुधार हुआ है जबकि वि.व. 14–15 में जमाओं की वृदि्ध 10.07 प्रतिशत से 9.9 प्रतिशत तक घट गयी। बैंकिंग उद्योग का सीडी अनुपात 77.6 प्रतिशत पर रहा।

- 10–वर्ष का बेंचमार्क जी–सेक प्रतिफल मार्च 2016 की समाप्ति पर 7.59 प्रतिशत 2026 वाले 7.5 प्रतिशत में बन्द हुआ।

- वर्ष के दौरान मांग मुद्रा की दरें, रिपो दरों के आसपास ही रहीं और समाप्ति पर 5.8 प्रतिशत रहीं।

- व्यापक मुद्रा आपूर्ति (एम 3) वृद्धि वित्तीय वर्ष के दौरान पिछले वर्ष में इसी अवधि के दौरान 10.8 प्रतिशत की तुलना में 10.3 प्रतिशत तक कम हो गई।

- पिछले वित्तीय वर्ष में भारतीय ईक्विटियों तथा ऋण में एफआईआई का निवल निवेश उच्च स्तर को पहुँचा था, जिसकी पृष्टभूमि में आर्थिक वसूली का प्रत्याशा, घटती ब्याज दरें और सुधारयुक्त अर्जन का परिवेश था। वित्तीय वर्ष 2016 के लिए सरकार के सकल तथा निवल बाजार ऋणद की आवश्यकताएँ रु.6,00,000 करोड़ तथा रु.4.56,406 करोड़ पर बजट किये गये थे जोकि वित्तीय वर्ष 2015 के पुनरीक्षित प्राक्कलन के रु.4,46,922 करोड़ से क्रमशः 1.4 प्रतिशत तथा 2.1 प्रतिशत अधिक रहा।

- वित्तीय वर्ष 2016 के लिए सरकार की सकल व निवल बाजार ऋण आवश्यकताओं को ₹ 6,00,000 करोड़ तथा ₹ 4,56,406 करोड़ पर बजट किया गया था जोकि वित्तीय वर्ष 2015 के लिए पुनरीक्षित प्राक्कलन में रहे ₹ 5,92,000 करोड़ तथा ₹ 4,46,922 करोड़ से क्रमशः 1.4 प्रतिशत और 2.1 प्रतिशत अधिक रहा। वित्तीय वर्ष 2016 की तीसरी तिमाही के दौरान, सरकार ने रु.1,50,000 करोड़ मूल्य के ऋण प्रतिभूतियों को जारी किया जिससे सकल ऋण को वित्तीय वर्ष अप्रैल–दिसंबर 2016 में रु.5,01,000 करोड़ तक ले गया (बीई का 83.5 प्रतिशत) जोकि वित्तीय वर्ष 2015 में उसी अवधि में रु.4,97,000 करोड़ था (बीई का 83.9 प्रतिशत)। सकल बाजार ऋण को रु.15,000 करोड़ तक कम करने की योजना है ताकि उसी राशि को राष्ट्रिक स्वर्ण बाण्ड योजना तथा स्वर्ण मुद्रा योजना के जरिए निकाला जाना है। सरकार ने प्रतिभूतियों 40 वर्षों की परिपक्वता अवधि के साथ जारी किया है ताकि अक्तूबर 2015 को परिपक्वता बढ़ायी जा सके।

- भारत के ईक्विटी बाजार में प्रत्याशित कॉर्पोरेट अर्जन के अनुमान में कम हाने के कारण तथा रुपये के अवमूल्यन से बाधा पडी। यूनियन बजट घोषित होने के एक दिन के बाद पोर्ट फोलियों सेनसक्त बढ गया। अंतर्वाह की वापसी,

producers prices. WPI-based inflation was flat at (-) 0.9 per cent in March 2016 as compared to (-) 2.8 per cent in March 2015. The inflation for primary commodities increased, while the decelerating trend in inflation for manufacturing and fuel products continued.

- India's merchandise exports for the period April-March 2015-16 contracted by 15.85 per cent to US$ 261.1 billion as against US$ 310.3 billion. Imports for the period April-March 2015-16 contracted by 15.28 per cent to US$ 379.6 billion as against US$ 448.0 billion. Oil imports during April-March, 2015-16 were valued at US$ 82.6 billion which was 40.24 per cent lower than the oil imports of US$ 138.3 billion in the corresponding period last year. The trade deficit for April-March, 2015-16 was estimated at US$ 118459.37 million which was lower than the deficit of US$ 137694.95 million during April-March, 2014-15.

- India's Current Account Deficit (CAD) narrowed in third quarter of the fiscal mainly on account of lower trade deficit. CAD declined to $7.1 billion (1.3% of GDP) in Q3 of 2015-16 as against $7.7 billion (1.5% of GDP) in Q3 of 2014-15 and $8.7 billion (1.7% of GDP) in Q2 of 2015-16. However, there was strong foreign direct investment inflows into the economy which was sufficient to cover the CAD, resulting in accretion in foreign exchange reserves during the quarter On a cumulative basis, the CAD narrowed to 1.4% of GDP in April-December from 1.7% in the corresponding period of 2014-15, on the back of the contraction in the trade deficit.

Monetary Developments

- The agreement on monetary policy framework signed between the Government and Reserve Bank of India (RBI) in February 2015 has shaped the monetary policy stance in 2015-16. Monetary Policy Framework was essential to have a modern monetary policy framework to meet the challenge of an increasingly complex economy.

- Monetary policy framework in the economy witnessed two landmarks since the September 2015 Monetary Policy Report (MPR). Firstly, the inflation target of 6 per cent for January 2016 adopted formally under the Monetary Policy Framework Agreement (MPFA) was achieved. Secondly, in the Union Budget for 2016-17, the Union Finance Minister announced that the Reserve Bank of India Act is being amended to provide statutory basis for a monetary policy framework and a monetary policy committee (MPC). This committee-based decision making will mark a watershed in the historical evolution of monetary policy in India.

- RBI's monetary policy stance in FY 2015-16 was to reach the inflation target of 6 per cent by January 2016 and fuller transmission of monetary measures by the Bank statement. Inflation evolved closely along the trajectory set by the monetary policy stance. RBI effected a shift in its monetary policy stance on January 15, 2015 with a reduction in repo rate by 25 basis points (bps) to 7.75 per cent and followed it up with a cumulative reduction of 100 bps - 25 bps each on March 4, 2015 and June 2, 2015 and another 50 bps on September 29, 2015. RBI kept the policy repo rate unchanged at 6.75 per cent in the sixth bi-monthly monetary policy review on February 2, 2016.

- Credit growth in the economy weakened due to weak industrial and corporate activity. Non-food bank credit of the Bank was weaker in the first half of the financial year and picked up in the second half of the financial year. For the FY 2015-16, Credit growth improved to 11.3 per cent as compared to 9.1 per cent of the corresponding period of the previous year while Deposits growth declined to 9.9 per cent as against 10.7 per cent in FY 14-15. CD ratio of the banking industry was at 77.6 per cent.

- The 7.59 per cent 2026 10-year benchmark G-sec yield closed at 7.5 per cent as at end-March 2016.

- Call money rates generally hovered above the repo rate during the year and ended at 5.8 per cent.

- Broad money (M_3) growth for the FY 2015-16 marginally declined to 10.3 per cent as compared to 10.8 per cent in the corresponding period of the previous year.

- FII's net investments in Indian equities and debt have touched record highs in the past financial year, backed by expectations of an economic recovery, falling interest rates and improving earnings outlook. FIIs net investments stood at ₹18,106 crore in March 2016, out of which ₹ 16,731 crore was invested in equities and ₹ 1,375 crore (US$ 201 million) was invested in debt.

- Gross and net market borrowing requirements of the Government for FY16 were budgeted at ₹6,00,000 crore and ₹ 4,56,406 crore which were higher by 1.4 per cent and 2.1 per cent, respectively, than ₹ 5,92,000 crore and ₹ 4,46,922 crore in the revised estimates for FY15. During Q3 of FY16, the Government issued dated securities worth ₹ 1,50,000 crore taking the gross borrowings from Apr-Dec of FY16 to ₹ 5,01,000 crore (83.5 per cent of BE), as compared to ₹ 4,97,000 crore (83.9 per cent of BE) during corresponding period of FY15. The gross market borrowings is planned to be lowered by ₹ 15,000 crore expecting similar amount to be raised through Sovereign Gold Bond Scheme and Gold Monetisation Scheme. Government issued securities with maturity of 40 years to elongate maturity on Oct 26, 2015.

- Equity markets in India were affected by weaker than expected corporate earnings forecasts and the depreciation of the rupee. The sensex surged a day after

व्यापार भावना में सुधार, चीन के केन्द्रीय बैंक द्वारा आरक्षित निधि आवश्यकता अनुपात को कम करने के कारण एशियाई तथा यूरोपीय ईक्विटी बाजार से रुपये के मूल्यन में सुधार होने के मजबूत संकेतों से सेनसक्स बढ गया ।

- वित्तीय वर्ष में भारत सरकार तथा वर्ष 2015–16 में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लिये गये कुछ प्रमुख उपाय तथा दिशानिर्देश:
  - ❖ दिनांक 8 अप्रैल 2015 को सूक्ष्म इकाई विकास पुनर्वित्त अभिकरण (मुद्रा) का प्रवर्तन किया गया।
  - ❖ स्वर्ण को उत्पादन प्रयोग हेतु तथा स्वर्ण के आयात पर देश की निर्भरता को कम करने की दृष्टि से वर्ष 2015 में दो प्रमुख योजनाएँ प्रवर्तित की गई हैं – (i) राष्ट्रिक स्वर्ण बाण्ड योजना तथा (ii)स्वर्ण मुद्रा योजना।
  - ❖ भारतीय रिज़र्व बैंक ने पेमेंट बैंकों हेतु 11 आवेदकों को सिद्धान्तः अनुमोदन प्रदान किया।
  - ❖ भारतीय रिज़र्व बैंक ने 10 लघु वित बैंकों को सिद्धान्तः अनुमोदन प्रदान किया।
  - ❖ भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋणद – लक्ष्य व वर्गीकरण का पुनरीक्षण किया।
  - ❖ विवेकी मानदंडों की समीक्षा – अर्थव्यवस्थ में भारग्रस्त आस्तियों का पुनरुज्जीवन।
  - ❖ भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उद्यमों के पुनरुज्जीवन तथा पुनर्वास हेतु ढ़ाँचे का विमोचन किया (एमएसएमई)
  - ❖ भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समावेशन निधि (एफआईएफ) पर दिशानिर्देशों का विमोचन किया।
  - ❖ आर्थिक संकट की शीघ्र पहचान, निर्णय लेने हेतु तुरन्त कदम तथा उधारकर्ताओं के लिए निष्पक्ष वसूलीः अर्थ व्यवस्था में व्यथित आस्तियों को पुनरुज्जीवित करने हेतु ढ़ाँचा।
  - ❖ भारतीय रिज़र्व बैंक ने अग्रिमों पर ब्याज दर हेतु निधियों का सीमांत लागत प्रणाली को घोषित किया।

आनेवाला वर्ष

वर्ष 2016–17 में भारतीय अर्थ–व्यवस्था पिछले वर्ष में किये गये सुधार की गति को जारी रखेगा जोकि वृद्धि तथा व्यापक आर्थिक स्थितरों की ओर लक्षित है। सुधार जो पिछले वर्ष में अर्थ व्यवस्था को बाधा से सुगम बनाने, को संरचनात्मक बाधाओं से दूर रहने, मेक–इन–इंडिया पहल के जरिए उद्योग तथा उद्यम को प्रवर्तन करने और उससे संबंधित उपायों से व्यापार को सरल बनाने, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और अन्य उपायों के जरिए कार्यक्रम सूपुर्दगी में सुधार लाने, बैंकिंग सेवाओं को बचत तथा वित्तीय लिंकेज के जरिए प्रोत्साहन करने तथा विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति को मुक्त करने के कार्य से आगे आनेवाले वर्ष प्रयास को जारी रखेंगे।

वित्तीय वर्ष 2017 में मज़बूत वृद्धि निम्नलिखित प्रमुख विकास कार्यों पर निर्भर है: कच्चे तेल की कीमतों में उतार–चढ़ाव, जिससे वित्तीय घाटे पर तीन गुना असर होगा, चालू खाता घाटे तथा अर्थव्यवस्था में कीमत के स्तर, वैशिक अर्थ व्यवस्था में लाभ कमाने की प्रकृति, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा अर्थ व्यवस्था में प्रक्षेपित मौसम का स्तर और वर्ष 2016–17 में 5 प्रतिशत की मुद्रास्फ़ीति लक्ष्य पर 7वीं वेतन आयोग के कार्यान्वयन से संभाव्य असर इत्यादि।

विस्तृत कारोबार समीक्षा

- पिछले वर्ष के ₹2,98,057 करोड़ से बैंक का वैश्विक कारोबार मार्च 31, 2016 को ₹3,10,918 करोड़ के स्तर तक पहुँचा जो ₹12,861 करोड़ या 4.31 प्रतिशत की बढ़त दर्शाता है।
- बैंक के देशी कारोबार में ₹14,974 करोड़ की वृद्धि से यह मार्च 31, 2015 को ₹2,84,765 करोड़ से बढ़कर ₹2,99,738 करोड़ हो गया जो 5.26 प्रतिशत की बढ़त दर्शाता है।

संसाधन संग्रहण :

- बैंक की वैश्विक जमाराशियाँ 31 मार्च, 2016 को ₹1,78,286 करोड़ हो गईं, जबकि पिछले वर्ष यह ₹1,69,225 करोड़ थीं तथा इनमें 5.4 प्रतिशत या ₹9061 करोड़ की वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष में ₹1,61,857 करोड़ से बैंक की देशी जमाराशियों में ₹10,794 करोड़ की वृद्धि से ये ₹1,72,652 करोड़ हो गईं जोकि 6.67 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।
- 31 मार्च 2016 को कासा जमाराशियाँ पिछले वर्ष के ₹48,039 करोड़ से बढ़कर ₹55,153 करोड़ हो गईं जोकि 14.81 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

ऋण विनियोजनः

- 2.95 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए बैंक के कुल अग्रिम 31 मार्च 2015 के ₹1,28,832 करोड़ के मुकाबले ₹ 1,32,632 करोड रहे। देशी ऋण में ₹ 4180 करोड़ (3.40 प्रतिशत) का इजाफा हुआ और वह पिछले वर्ष के ₹1,22,907 करोड़ के मुकाबले 31 मार्च 2016 को ₹ 1,27,087 करोड़ हो गया।
- देशी खाद्येतर ऋण पिछले वर्ष के ₹ 1,20,918.09 करोड़ के मुकाबले ₹ 4154 करोड (3.44प्रतिशत) बढ़कर 31 मार्च 2016 को ₹ 1,25,072 करोड़ हो गया है।
- वैश्विक ऋण जमा (सीडी) अनुपात 31 मार्च 2016 को 74.39 प्रतिशत पर था।

शाखा तंत्र और विस्तार :

- बैंक ने वर्ष के दौरान अपने वितरण नेटवर्क में 153 शाखाएं जोडते हुए 2562 शाखाओं तक इसका विस्तार किया तथा इसमें 740 ग्रामीण, 682 अर्धशहरी, 654 शहरी और 486 महानगरीय शाखाएं हैं। बैंक ने अगस्त 21, 2015 को देश के 22 राज्यों में 109 शाखाएं खोलीं जोकि बैंक के इतिहास में अनोखी घटना है।
- भारिबैंक द्वारा पहचाने गए कम बैंकिंग सुविधा प्राप्त 375 जिलों में बैंक की 981 शाखाएं हैं। अल्पसंख्यकों की संख्या जिन जिलों में अधिक है, उनमें बैंक की 417 शाखाएं हैं। बैंक–रहित केन्द्रों में बैंक की 179 शाखाएं हैं।
- सिंगापुर, कोलंबो और जाफना में बैंक की 3 विदेशी शाखाएं कार्यरत हैं।

the Union Budget with a return of portfolio flows, improvement in business sentiment and recovery in the rupee amidst strong cues from Asian and European equity markets after China's central bank cut the reserve requirement ratio.

- Some of the key measures and guidelines taken by Government of India in Financial Year and Reserve Bank of India (RBI) 2015-16:
  - ❖ Micro Units Development Refinance Agency (MUDRA) Bank was launched on 8 April 2015.
  - ❖ In order to mobilize gold for productive purpose and to reduce the country's reliance on imports of gold, two main schemes were launched in 2015: (i) the Sovereign Gold Bond Scheme and (ii) the Gold Monetization Scheme.
  - ❖ RBI granted "in-principle" approval to 11 Applicants for Payments Banks
  - ❖ RBI granted "in-principle" approval to 10 Small Finance Banks
  - ❖ RBI revised the Priority Sector Lending-Targets and Classification
  - ❖ Review of Prudential Guidelines - Revitalising Stressed Assets in the Economy
  - ❖ RBI released Framework for Revival and Rehabilitation of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs)
  - ❖ RBI revised the guidelines on Financial Inclusion Fund (FIF)
  - ❖ Early Recognition of Financial Distress, Prompt Steps for Resolution and Fair Recovery for Lenders: Framework for Revitalising Distressed Assets in the Economy
  - ❖ RBI announced Marginal Cost of Funds Methodology for Interest Rate on Advances

Year ahead

Indian economy in 2016-17 will witness a continuation of the reform momentum built in the previous year which is aimed at growth and macroeconomic stability. The reforms that were initiated last year for debottlenecking the economy, removing structural constraints, promoting industry and enterprise via Make-in-India initiative and the attendant measures to improve the ease of doing business, improving programme delivery through direct benefit transfer and other measures, encouraging saving and financial linkages through deepening of banking services and liberalising foreign direct investment policy in various sectors will be taken forward this year.

Strong growth in FY 2017 is built on the following key developments: movement in the crude oil prices, which would have a three-fold impact on fiscal deficit, current account deficit and price levels in the economy, recovery in the global economy, expected level of monsoon in the economy as predicted by Indian Meteorological Department (IMD) and the possible impact of the implementation of 7th Pay Commission on the inflation target of 5 per cent in 2016-17.

DETAILED BUSINESS OVERVIEW

- Global Business of the Bank has touched a level of ₹ 3,10,918 crore as on March 31, 2016 from ₹ 2,98,057 crore in the previous year, registering an increase of ₹ 12,861 crore or 4.31 per cent.
- Domestic Business has increased by ₹ 14,974 crore to ₹ 2,99,738 crore from ₹ 2,84,765 crore as on March 31, 2015, registering a growth of 5.26 per cent.

RESOURCE MOBILISATION

- Global Deposits of the Bank reached a level of ₹ 1,78,286 crore as on March 31, 2016 from ₹ 1,69,225 crore in the previous year, with an increase of ₹ 9061 crore or 5.35 per cent. Domestic Deposits of the Bank has increased by ₹ 10,794 crore to ₹ 1,72,652 crore from ₹ 1,61,858 crore in the previous year, registering a growth of 6.67 per cent.
- Domestic CASA Deposits has reached the level of ₹ 55,153 crore as on March 31, 2016 from ₹ 48,039 crore in the previous year, recording a growth of 14.81 per cent.

CREDIT DEPLOYMENT

- Gross Advances of the Bank stood at ₹ 1,32,632 crore as against ₹ 1,28,832 crore as on March 31, 2015, recording a growth of 2.95 per cent. Domestic Credit has increased by ₹ 4180 crore (3.40 per cent) to ₹ 1,27,087 crore as on March 31, 2016 as against ₹ 1,22,907 crore last year.
- Domestic Non food credit has increased by ₹ 4154 crore (3.44 per cent) to ₹ 1,25,072 crore as on March 31, 2016 as against ₹ 1,20,918 crore in the previous year.
- Global Credit-Deposit Ratio as on March 31, 2016 stood at 74.39 per cent.

BRANCH NETWORK AND EXPANSION

- Bank has expanded its distribution network by 153 branches during the year to 2562 branches, comprising of 740 Rural, 682 Semi urban, 654 urban and 486 Metropolitan branches. The Bank has opened 109 branches across 22 states on August 21st 2015, a third unique event in the history of the Bank.
- In the 375 underbanked districts identified by Reserve Bank of India, the Bank has 981 branches. The bank also has 417 branches in Minority concentrated Districts and 179 branches in the unbanked centres.
- Bank has 3 foreign branches in Singapore, Colombo and Jaffna.

खण्डवार निष्पादन

प्राथमिकता क्षेत्र को ऋणः

- 31.03.2016 को प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिम ₹.50,333.52 करोड़ रहे जोकि 31 मार्च 2015 के समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 40.85 प्रतिशत था।

कृषि ऋणः

- 31.03.2016 तक कृषि अग्रिम ₹23,017.58 करोड़ रहे तथा यह मार्च 2016 तक की समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 18.68 प्रतिशत था।
- मार्च 2016 को 7 प्रतिशत के अनिवार्य लक्ष्य के तहत लघु/सीमान्त कृषकों को बैंक का ऋणद एएनबीसी का 8.27 प्रतिशत रहा।
- मार्च 2016 को गैर–कॉर्पोरेट कृषकों को संपूर्ण प्रत्यक्ष ऋणद के संबंध में मार्च 2016 की स्थिति 17.77 प्रतिशत है जोकि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रणाली पद्धति के 11.57 प्रतिशत से 6.20 प्रतिशत अधिक है।

कृषि वितरण

- विशेष कृषि ऋण योजना (एसएसीपी) के अंतर्गत 2015–16 के दौरान बैंक ने वार्षिक लक्ष्य ₹16,500 करोड़ को पार करते हुए ₹19,185.31 करोड़ के कृषि ऋण वितरित किये हैं। 16.08 लाख लघु / सीमांत किसानों जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं, हेतु ₹10,066.01 करोड़ के संवितरण के साथ कृषि क्षेत्र के विकास में बैंक अग्रणी भूमिका निभाता है।
- **संशोधित किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना के तहत प्रगति :** 5 वर्ष के आकलन के साथ कृषि निवेश ऋण में सुलभता को संशोधित केसीसी के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। ₹ 1755.30 करोड़ बैंक ऋण के साथ 1.64 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया गया हैं।

गहन कृषि ऋण अभियानः

- कृषि हेतु ऋण प्रवाह बढ़ाने तथा कृषकों के साथ बैंक के संबंध को सुदृढ़ बनाने के दोहरे उद्देश्य से समय से पर्याप्त ऋण प्रदान कर प्रतिवर्ष रबी और खरीफ मौसमों के दौरान सभी शाखाओं द्वारा गहन कृषि ऋण अभियान चलाए जाते हैं।
- अभियान के दौरान, गांवों में किसानों से आवेदन जुटाया जाता है तथा इन्हें उसी जगह पर, शाखा का दौरा किए बिना ही यथासमय ऋण मंजूर किया जाता है।
- कृषि के तहत 14.27 लाख किसानों को कवर करते हुए 16.06.2015 से 16.09.2015 तक गहन कृषि ऋण खरीफ अभियान के दौरान कुल ₹ 4729 करोड़ तथा 16.06.2015 से 16.09.2015 तक गहन कृषि ऋण रबी अभियान के दौरान, कुल ₹ 5010 करोड़ की राशि संवितरित की गई।

कृषि के लिए निवेश ऋणः

- नवंबर, 2015 से फरवरी, 2016 तक चार महीने की अवधि के लिए ''कृषि निवेश ऋण अभियान'' आयोजित किया गया तथा ₹ 117 करोड़ की राशि संवितरित की गई।

श्री थोटा नरसिंहम, सांसद सदस्य आंध्र प्रदेश में एक महिला डेयरी हिताधिकारी को चेक प्रदान करते हुए।

SEGMENT - WISE PERFORMANCE

Priority Sector Credit:

- Priority Sector advances stood at ₹ 50,333.52 crore as on 31.03.2016 and constituted 40.85 per cent of Adjusted Net Bank Credit (ANBC) as of March 2015.

Agriculture credit:

- Agriculture advances stood at ₹ 23,017.56 crore as on 31.03.2016 and constituted of 18.68 per cent of Adjusted Net Bank Credit (ANBC) as of March 2015.
- Bank's exposure to lending to Small Farmer/Marginal Farmer stood at 8.27 per cent of ANBC as against the mandatory target of 7 per cent by March 2016.
- Bank's position with regard to overall direct lending to non-corporate farmers is 17.77 per cent as of March 2016, which is 6.20 per cent more than the system wide average of 11.57 per cent fixed by RBI for the year 2015-16.

Agricultural Disbursement:

- Under Special Agricultural Credit Plan (SACP) during the year 2015-16, Bank disbursed farm loans to the tune of ₹ 19,185.31 crore during the FY 2015-16 surpassing annual target of ₹ 16,500 crore. Bank leads the farm sector growth with a disbursement of ₹10,066.01 crore to 16.08 lakh small/marginal farmers, the backbone of rural economy.
- **Progress under Revised Kisan Credit Card (KCC) Scheme:** Ease of Agri Investment Credit is made available through revised KCC with 5 year assessment. Kisan Credit Cards have been issued to 1.64 lakh farmers with bank loan of ₹ 1755.30 crore.

Intensive Farm Credit Campaigns:

- With the dual objective of enhancing credit flow to agriculture and strengthening relationship with the farmers, every year the Bank is observing “Intensive Farm Credit Campaigns” during Kharif and Rabi Seasons to extend timely and adequate credit to farmers.
- During the campaigns, at the villages, applications are mobilized from the farmers and loans are sanctioned on the spot obviating the branch visit.
- During “Intensive Farm Credit Kharif Campaign” from 16/06/2015 to 16/09/2015, a sum of ₹ 4729 crore was disbursed and during “Intensive Farm Credit Rabi Campaign” from 23/11/2015 to 29/02/2016, a sum of ₹ 5010 crore was disbursed under agriculture covering a total of 14.27 lakh farmers.

Investment Credit to Agriculture:

- Agri “Investment credit campaign” was conducted from November 2015 to February 2016 for a period of four months and a total amount of ₹117 crore was disbursed.

Sri Thota Narasimham, MP handing over cheque to one of the women beneficiaries of dairy in Andhra Pradesh

- संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) एक अनौपचारिक समूह है जिसमें अधिमानतः 4 से 10 व्यक्ति होते हैं, परंतु ये संख्या 20 सदस्यों तक हो सकती है और ये म्यूचुयल गारंटी के अधीन या तो व्यक्तिगत रूप से या समूह तंत्र के माध्यम से बैंक ऋण का लाभ उठाने के प्रयोजनों के लिए एक साथ आते हैं।

- किसानों का वह वर्ग जिनके पास जमीन का उचित कागजात नहीं है / उनका अपना जमीन नहीं है, उन्हें ऋण सहायता प्रदान करने की दृष्टि से बैंक, संयुक्त देयता समूह के माध्यम से वित्तपोषण को बढ़ावा दे रहा है।

- मार्च 2015 की समाप्ति पर ₹ 22.09 करोड़ की बढ़ोतरी के साथ मार्च 2015 में ₹ 0.16 करोड़ के स्तर के मुकाबले, 1064 जेएलजी को कवर करते हुए जेएलजी का बकाया ऋण ₹ 22.09 करोड़ रहा।

स्वयं सहायता समूहों को ऋण प्रवाहः

- स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) अधिमान्यतः समान सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि के गरीब लोगों का एक लघु स्वैच्छिक संस्था है। ये लोग स्वावलंबन और पारस्परिक सहायता के माध्यम से अपने आम समस्याओं को सुलझाने के उद्देश्य हेतु एकजुट होते हैं। एसएचजी अवधारणा, बैठकों के संचालन, किफायती बचत और ऋण देने के फैसले पर सहभागिता निर्णय लेने के लिए अवसर प्रदान करता है।

- मार्च, 2015 के समाप्ति पर ₹ 194.88 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी के साथ मार्च, 2015 में ₹ 2569.00 करोड़ के स्तर के मुकाबले 1.39 लाख एसएचजी को कवर करते हुए एसएचजी का बकाया ऋण ₹ 2,763.88 करोड़ रहा। चालू वित्तीय वर्ष में, बैंक ने 47147 एसएचजी को ₹ 1753.91 करोड़ संवितरित किए।

माइक्रोसेट शाखाएँ:

- गरीबों वर्गों को समुचित वित्तीय जरूरतों हेतु, झोपड़ियों, मलिन बस्तियों और किराए के घरों में रहने वाले शहरी गरीब और महानगरीय शहरों और शहरी केंद्रों के गली में रहने वाले लोगों के लिए स्वयं सहायता समूह की अवधारणा का लाभ उपलब्ध कराने हेतु विशेषीकृत संगठन "सर्व सेवा केंद्र" द्वारा सेवा प्रदान करने के लिए माइक्रोसेट शाखाएं स्थापित किए गए थे।

- बैंक ने स्वयं सहायता समूह को विशेष रूप से सेवा के लिए 43 माइक्रोसेट शाखाएँ स्थापित किया है। चालू वित्तीय वर्ष में, 43 माइक्रोसेट शाखाओं के माध्यम से ₹ 500.20 करोड़ की राशि का ऋण 12627 एसएचजी को प्रदान किया गया। मार्च, 2015 की समाप्ति पर ₹ 48.57 करोड़ की बढ़ोतरी के साथ मार्च, 2015 में ₹ 651.99 करोड़ के स्तर के मुकाबले 36195 एसएचजी को कवर करते हुए इन माइक्रोसेट शाखाओं का कुल बकाया अग्रिम ₹ 700.56 करोड़ रहा।

समाज के वंचित खंड के लिए ऋण – माइक्रोसेट शाखा, चेतपेट में दिनांक 03.08.2015 को एसएचजी माह का उत्सव

कमजोर वर्गों को अग्रिमः

इंडियन बैंक ने कमजोर वर्गों, जिसमें छोटे एवं मामूली किसान, कारीगर, ग्रामीण और कुटीर उद्योग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, स्वयं सहायता समूह, आदि शामिल हैं, के लिए निर्धारित अनिवार्य अग्रिम लक्ष्य को लगातार पार किया है।

- मार्च 2016 की समाप्ति पर कमजोर वर्गों को प्रदत्त बकाया ऋण ₹ 13918.33 करोड़ रहा, जोकि 10 प्रतिशत के निर्धारित मानदण्ड के मुकाबले एएनबीसी का 11.30 प्रतिशत बनता है।

- 31.03.2016 को अजा/अजजा के लाभार्थियों को प्रदत्त बकाया ऋण ₹ 2146.34 करोड़ रहा, जोकि बैंक के प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिमों का 4.26 प्रतिशत बनता है।

- A Joint Liability Group (JLG) is an informal group comprising preferably of 4 to 10 individuals but can be up to 20 members, coming together for the purposes of availing bank loan either individually or through the group mechanism against mutual guarantee.
- Bank is encouraging financing through Joint Liability Groups, with a view to render credit support to those category of farmers who do not possess proper land records/not having own lands.
- The outstanding credit to JLGs stood at ₹22.09 crore covering 1064 JLG, as against the March 2015 level of ₹ 0.16 crore, with an increase of ₹ 21.93 crore over March 2015.

Credit flow to Self Help Groups:

- Self-Help Group (SHG) is a small voluntary association of poor people, preferably from the same socio-economic background. They come together for the purpose of solving their common problems through self-help and mutual help. SHG concept offers opportunity for participative decision making on conduct of meetings, thrift and credit decisions.

- The outstanding credit to SHGs stood at ₹2763.88 crore covering 1.39 lakh SHGs, as against the March 2015 level of ₹2569.00 crore, with an increase of ₹194.88 crore over March 2015. During the current financial year, the Bank had disbursed ₹1753.91 crore to 47147 SHGs.

Microsate Branches:

- To make available the benefit of SHG concept to scores of urban poor living in huts, slums and tenements and near the gullies in Metropolitan cities and Urban centers, specialized outfits that can serve as a “one stop shop”, called Microsate Branches were established, for the entire financial needs of the poorer section.
- The Bank has established 43 Microsate Branches exclusively to serve the SHGs. During the current financial year, credit amounting to ₹500.20 crore has been extended to 12627 SHGs through the Microsate branches. The total outstanding advances of these Microsate Branches stood at ₹ 700.56 crore covering 36195 SHGs as against the March 2015 level of ₹ 651.99 crore, with an increase of ₹ 48.57 crore over March 2015.

Loan to disadvantaged section of the society - SHG Month celebration at Microsate I Branch, Chetput on 03.08.2015

Weaker Section Advances:

Bank has been continuously surpassing the mandatory advance target set for the weaker sections which includes Small and Marginal Farmers, Artisans, Village and Cottage Industries, Scheduled Castes and Scheduled Tribes, Self Help Groups, etc.

- Credit outstanding to Weaker Sections stood at ₹ 13918.33 crore as at the end of March 2016, working out to 11.30 % of ANBC against stipulated norm of 10%.
- Outstanding credit to SC/ST beneficiaries stood at ₹ 2146.34 crore as on 31.03.2016, which worked out to 4.26 % of Priority Sector advances of the Bank.

09.07.2015 को माइक्रोसेट रांची शाखा, झारखंड राज्य में अजा / अजजा एवं अल्पसंख्यक ऋण अभियान पखवाड़े का अनुपालन करते हुए।

- अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण प्रदान करने के लिए विशेष अभियान आयोजित किए गए। मार्च 2016 की समाप्ति पर अल्पसंख्यक समुदायों को प्रदत्त ऋण ₹ 7082.01 करोड़ रहा जोकि 15 प्रतिशत के निर्धारित मानदण्ड के मुकाबले प्राथमिकता क्षेत्र के कुल अग्रिमों का 15.07 प्रतिशत बनता है।

शैक्षिक ऋण योजनाः

- शैक्षिक ऋण एक्सपोजर ₹ 3287.55 करोड़ (31.03.2015 को) से बढ़कर ₹ 3501.30 करोड़ (31.03.2016 को) हो गया।

- मार्च, 2016 वर्ष की समाप्ति के दौरान, बैंक ने 29673 छात्रों को शैक्षिक ऋण के रूप में ₹ 392.96 करोड़ की राशि वितरित की।

शैक्षिक ऋण प्रक्रिया को सरल और आसान बनाते हुए, बैंक अपने परिसर से बाहर कदम रखते हुए विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शैक्षिक ऋण शिविरों का आयोजन करता है। 22.07.215 से 25.07. 2015 तक आईआईटी गुवाहाटी में शिक्षा ऋण अभियान।

- व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए, अब तक 510 छात्र लाभान्वित हुए तथा 31.03.2016 को योजना के अंतर्गत बकाया शेष ₹ 4.92 करोड़ है। चालू वित्तीय वर्ष में, 107 छात्रों को ₹ 1.16 करोड़ तक ऋण की सहायता प्रदान की गई।शैक्षिक ऋण प्रक्रिया को सरल और आसान बनाते हुए, बैंक अपने परिसर से बाहर कदम रखते हुए विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शैक्षिक ऋण शिविरों का आयोजन करता है।

- शैक्षिक ऋण प्रक्रिया को सरल और आसान बनाते हुए, बैंक अपने परिसर से बाहर कदम रखते हुए विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शैक्षिक ऋण शिविरों का आयोजन करता है।

- बैंक "विद्या लक्ष्मी पोर्टल" से जुड़ा है, जिसे मेसर्स एनएसडीएल ई–गवर्नेंस द्वारा विकसित किया गया है और जो सिंगल विंडो उपलब्ध कराता है एवं जिसकी विशेषता बैंकों के शैक्षिक ऋण योजनाओं की जानकारी देना तथा छात्रों के लिए सामान्य शैक्षिक ऋण आवेदन उपलब्ध कराना है।

- बैंक, आईबी कौशल ऋण योजना एवं ₹ 7.50 लाख तक की सीमा के लिए आईबीए योजना के तहत शैक्षिक ऋण प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) के साथ एमएलआई (सदस्य ऋण संस्था) के रूप में पंजीकृत है। बैंक द्वारा कुछ नई पहलों की शुरुआत की गई हैः– जैसे, आईआईटी / आईआईएम / एक्सएलआरआई / बीआईटएस और आईआईएससी के मेधावी छात्रों हेतु **'आईबी शैक्षिक ऋण प्राइम'** आईबीए योजना के तहत वार्षिक ब्याज दर 9.65 प्रतिशत, एनआईटी छात्रों के लिए **''आईबी शैक्षिक ऋण प्राइम' – एनआईटी''** वार्षिक ब्याज दर 10.15 प्रतिशत, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के छात्रों हेतु आधार दर पर ₹ 25 लाख तक के संपार्श्विक–मुक्त ऋण तथा कौशल विकास हेतु राष्ट्रीय पहल का समर्थन करने के लिए 'आईबी कौशल ऋण योजना' आदि।

शैक्षिक ऋण हेतु ब्याज सब्सिडी योजनाः

- शैक्षिक ऋण उधारकर्ताओं हेतु तीन प्रकार के ब्याज सब्सिडी योजनाएँ है, जिनका नाम हैः– शैक्षिक ऋण हेतु ब्याज सब्सिडी के लिए केन्द्रीय योजना (सीएसआईएस), अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (एसीएसआईएसओबीसीईबीसी), ब्याज सब्सिडी के लिए डॉ अंबेडकर केन्द्रीय योजना तथा पढ़ो प्रदेश योजना।

- भारत एवं विदेशों में मान्यता प्राप्त संस्थानों से तकनीकी तथा पेशेवर विषयों में अध्ययनों की अनुमोदित किसी भी पाठ्यक्रमों के आगे की कार्रवाई करने के लिए आईबीए योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों, अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय और अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों द्वारा लिए गए ऋणों पर स्थगन अवधि के दौरान पूर्ण ब्याज सब्सिडी के लिए योजनाएं उपलब्ध हैं।

अग्रणी बैंक योजनाः

- बैंक पुदुच्चेरी संघ राज्य क्षेत्र में एसएलबीसी का संयोजक है तथा 13 जिलों में इसकी अग्रणी भूमिका है (तमिलनाडु में 10, आंध्र प्रदेश में 2 और केरल में 1)। बैंकिंग सेवाएँ रहित गांवों में बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने हेतु सभी अग्रणी जिले वित्तीय समावेश योजना को सक्रिय रूप से कार्यान्वित कर रहे हैं।

आदर्श ग्राम विकास योजनाः

- अपनाए जाने वाले गांवों के समग्र विकास को हासिल करने के उद्देश्य से, आदर्श ग्राम के अवधारणा की निरंतरता हेतु सोचा जाना तथा सभी स्टेकधारकों द्वारा समन्वित दृष्टिकोण एवं यह सुनिश्चित करना कि विभिन्न योजनाओं का लाभ गांवों के लिए लाया जाता है। तदनुसार, आदर्श ग्राम योजना बनाया गया तथा 13 जिलों एवं पुदुच्चेरी संघ राज्य में फैले 21 गांवों में जहां बैंक को अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी है, स्वतंत्रता दिवस के दिन ही 15.08. 2015 को इसे शुरू किया गया।

Observance of SC/ST and Minority Credit Campaign Fortnight in Microsate Ranchi Branch, Jharkhand State, on 09-07-2015

- Special campaigns were conducted for extending credit to Minority Communities. Advances to Minorities stood at ₹ 7082.01 crore for the month ended March 2016, which works out to 15.07% of the total Priority Sector Advances as against the stipulated norm of 15%.

Education loan scheme:

- The Educational loan exposure has increased from ₹3287.55 crore (as on 31.03.2015) to ₹3497.82 crore (as on 31.03.2016).
- During the year ended March 2016, the Bank disbursed a sum of ₹ 392.96 crore as educational loans to 29673 students.

Bank steps out of its premises and organizes educational loan camps at Universities and colleges, making the process simple and easy. Education Loan campaign at IIT Guwahati from 22.07.2015 to 25.07.2015.

- For Vocational education and training, so far 510 students are benefited and the outstanding balance under the scheme as on 31.03.2016 is ₹4.92 crore. During the current year, 107 students were assisted with credit to the tune of ₹1.16 crore.
- Bank steps out of its premises and organises educational loan camps at universities and College making the process simple and easy.
- Bank is connected to "Vidya Lakshmi Portal" developed by M/s. NSDL e-Governance which provides a single window, featuring information about Educational Loan Schemes of Banks and Common Educational Loan Application Form for Students.
- Bank has been registered as MLI (Member Lending Institution) with National Credit Guarantee Trustee Company Ltd. (NCGTC) for educational loans granted under IBA scheme up to a limit of ₹ 7.50 lakh and IB Skill Loan Scheme. Introduction of 'IB Educational Loan Prime' for the meritorious students of IITs/IIMs/ XLRI/BITS and IISc under IBA Scheme, at 9.65% p.a.; "IB Educational Loan Prime - NIT" for students of NITs at 10.15% p.a.; Collateral free loan upto ₹ 25.00 lakh at Base rate to students of Indian School of Business and IB Skill loan scheme to support the national initiatives for skill development are some of the new initiatives taken.

Interest Subsidy schemes for Educational Loans:

- There are three interest subsidy schemes for educational loan borrowers namely Central Scheme for Interest Subsidy for educational loans (CSIS), Dr. Ambedkar Central Scheme for Interest Subsidy for Other Backward Classes and Economically Backward Classes (ACSISOBCEBC) and Padho Pardesh Scheme.
- The schemes provide for full interest subsidy during the period of moratorium on loans taken by students belonging to Economically Weaker Sections under IBA Scheme, other Backward Classes community and Minority Communities, for pursuing any of the approved courses of studies in technical and professional streams, from recognized institutions in India and abroad. During the year 2015-16, the Bank has claimed an interest subsidy of ₹ 227.85 crore.

Lead Bank Scheme:

- Bank is SLBC convenor in UT of Puducherry and Lead Bank in 13 districts (10 in Tamil Nadu, 2 in Andhra Pradesh and 1 in Kerala). The Lead Districts are actively involved in implementing Financial Inclusion Plan to provide Banking Services in Unbanked villages.

Model Village Development Plan:

- With a view to achieve overall development of the villages to be adopted, Model Village Concept was thought of to bring in sustained and co-ordinated approach by all the stake holders and ensure that the benefits of various schemes are brought to the villages. Accordingly Model Village Scheme was formulated and launched on 15.08.2015 coinciding with the Independence Day in 21 villages spread over 13 districts and UT of Puducherry, where the Bank has Lead Bank responsibility.

- योजना के अनुसार, तीन साल के लिए क्रेडिट और गैर–क्रेडिट गतिविधियों को शामिल करते हुए आदर्श ग्राम विकास योजना (एमवीडीपी) तैयार किया गया है तथा इसे लागू किया जा रहा है। इस तीन वर्षीय योजना अवधि के दौरान ₹ 213.98 करोड़ तक की राशि 26164 लाभार्थियों की सहायता हेतु परिकल्पित की गई। वर्ष 2015–16 के दौरान, 4662 लाभार्थियों को लाभ पहुंचाते हुए ₹ 42.78 करोड़ राशि संवितरित की गई है।

- एमवीडीपी, गैर–क्रेडिट गतिविधियां, जैसे परामर्श सेवाएँ जिसमें कृषि, पशुपालन आदि जैसे विकास विभाग तथा अन्य सीएसआर पहलें जैसे स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा, वृक्षारोपण कार्यक्रम शामिल है।

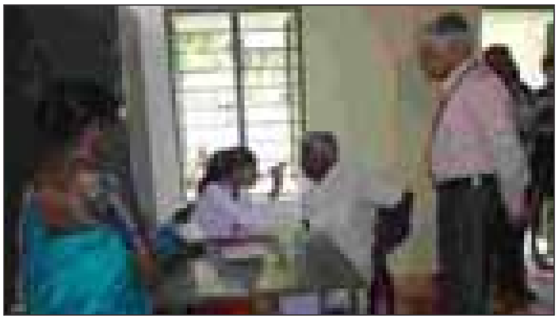

तिरुमलैचेरी आदर्श ग्राम, वेल्लुर,तमिलनाडु में निःशुल्क नेत्र शिविर

वलयमपट्टु आदर्श ग्राम, तिरुवनमलै जिला, तमिलनाडु में बैंक द्वारा वृक्षारोपण का पर्यावरण अनुकूल भाव–भंगिमा

एमवीडी योजना के तहत मिट्टी की दशा की जांच कर पता लगाने के लिए वलयमपट्टु आदर्श ग्राम में भू परीक्षण प्रयोगशाला लाया गया एवं उचित फसलों की संस्तुति की गई

क्षमता निर्माण पहलः

- बैंक ने 12 केन्द्रों, चित्तूर, कडलूर, धर्मपूरी, कांचीपुरम, कृष्णगिरि, नामक्कल, पुदुच्चेरी, सेलम, तिरुवण्णामलै, तिरुवल्लूर, वेल्लूर और विलुपुरम में "इंडियन बैंक स्व–रोजगार प्रशिक्षण संस्थान" (इंड सेटी) नामक "रुडसेटी मॉडल प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए हैं। 31,004 व्यक्तियों को लाभ पहुंचाते हुए इंड सेटी द्वारा अब तक कुल 1096 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

बैंक के श्री एम के जैन, प्रनि एवं मुकाअ तथा श्री आनंद राव वी पटेल आईएएस, निदेशक, वित्तमंत्रालय, वित्तीय सेवाएँ विभाग, इंडसेटी, पुदुच्चेरी में दिनांक 10.07.2015 को प्रशिक्षुओं के साथ बातचीत करते हुए।

- उपर्युक्त क्षमता निर्माण की दिशा में बैंक की विशेष पहल के अलावा, ग्रामीण प्रशिक्षण केंद्र में बैंक कारैक्कुडी, तमिलनाडु (नाबार्ड और आईओबी के साथ संयुक्त रूप से) और आंध्र प्रदेश बैंकर्स ग्रामीण एवं उद्धमवृत्ति विकास संस्थान – एपीबीआईआरडी, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश सरकार, नाबार्ड और पांच अन्य बैंकों के साथ संयुक्त रूप से) में पहले से ही भाग ले रहा है। ये दोनों संस्थान ग्रामवासियों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए व्यापक कुशलता उन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करते हैं। आरटीसी, कारैक्कुडी द्वारा (10001 सदस्यों को लाभ पहुंचाते हुए) कुल 365 प्रशिक्षण कार्यक्रम और एपीबीआईआरडी, हैदराबाद द्वारा (8845 सदस्यों को लाभ पहुंचाते हुए) कुल 347 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

डॉ ए पी जे अब्दुल कलाम कौशल विकास प्रशिक्षण संस्थानः

- स्वर्ण भारत ट्रस्ट जो विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में एक सेवा उन्मुख गैर–सरकारी संस्था (एनजीओ) है तथा कोनेरू लक्ष्मैया विश्वविद्यालय (केएलयू) जो एक स्वायत्त विश्वविद्यालय है, के साथ मिलकर बैंक ने लोगों के प्रशिक्षण एवं विकास के लिए तथा गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके कुशल श्रम शक्ति की स्थिति में सुधार लाने के लिए डॉ. ए पी जे अब्दुल कलाम कौशल विकास प्रशिक्षण संस्थान के नाम से अतकुर गांव, जिला– कृष्णा, आंध्र प्रदेश में ष्कौशल विकास प्रशिक्षण संस्थानष की स्थापना की है।

- बैंक ने, कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के तहत संस्थान की स्थापना हेतु निर्माण और निर्धारित लागत के लिए संस्थान को ₹ 69.00 लाख मंजूर किया है।

- As per the scheme, a Model Village Development Plan (MVDP) involving credit and non credit activities for three years has been prepared and being implemented. It is envisaged to assist 26164 beneficiaries to the tune of ₹213.98 crore during this three year plan period. During the year 2015-16, an amount of ₹ 42.78 crore has been disbursed benefitting 4662 beneficiaries.
- The MVDP involves non-credit activities like counseling services involving development departments such as Agriculture, Animal Husbandry etc. and other CSR initiatives such as health, sanitation, education and tree planting programs.

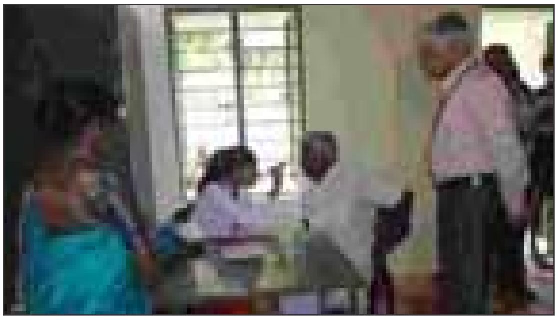

Free Eye Camp at Thirumalaichery Model Village, Vellore, Tamil Nadu

An environmental friendly gesture of Tree planting by the Bank in the Valayampattu Model Village, Tiruvannamalai District, Tamil Nadu.

The Soil Testing Lab brought to the Valayampattu Model Village under MVD Scheme to ascertain the soil health and recommend appropriate crops

Capacity Building Initiatives:

- The Bank has established RUDSETI Model Training institutes named as "Indian Bank Self Employment Training Institute (INDSETI) in twelve centers viz., Chittoor, Cuddalore, Dharmapuri, Kancheepuram, Krishnagiri, Namakkal, Puducherry, Salem, Thiruvannamalai, Tiruvallur, Vellore and Villupuram. A total of 1096 training programmes have been conducted by the INDSETIs benefitting 31004 individuals so far.

Sri M K Jain MD & CEO of the Bank and Sri Anand Rao V Patel IAS, Director, Department of Financial Services, Ministry of Finance interacting with the trainees at INDSETI, Pondicherry on 10.07.2015.

- Apart from the above exclusive initiatives of the Bank towards capacity building, the Bank is already participating in Rural Training Centre, Karaikudi, Tamil Nadu (jointly with NABARD & IOB) and Andhra Pradesh Bankers' Institute of Rural & Entrepreneurship Development - APBIRED, Hyderabad (jointly with Government of AP, NABARD & five other Banks). These two training institutes offer wide range of skill oriented training programmes with a focus on rural population. A total of 365 training programmes have so far been conducted by RTC, Karaikudi (benefitting 10001 members) and 347 programmes by APBIRED, Hyderabad (benefitting 8845 members).

Dr.A PJ Abdul Kalam Skill Development Training Institute:

- Bank along with Swarna Bharat Trust, a service oriented Non-Governmental Organization (NGO) in Vijayawada, Andhra Pradesh and Koneru Lakshmaiah University (KLU), an autonomous University established a “Skill Development Training Institute” by the name Dr.A PJ Abdul Kalam Skill Development Training Institute at Atkur Village, Krishna District , Andhra Pradesh for training and developing people and improving the skilled man power position by imparting quality training.
- Bank has sanctioned ₹69.00 lakh to the Institute towards the construction and fixed costs for establishment of the

इसके अलावा, वार्षिक आवर्ती व्यय को केएल विश्वविद्यालय (केएलयू) के साथ साझा किया जाएगा।

डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम कौशल विकास प्रशिक्षण संस्थान – श्री राजनाथ सिंह, माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री, एवं एम. वेंकैया नायडू, शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन और संसदीय मामलों के केंद्रीय मंत्री की उपस्थिती में उद्घाटन समारोह।

वित्तीय समावेशः

- शाखाएँ दिनांक 16.08.2014 से पीएमजेडीवाई के तहत बेसिक बचत बैंक खाते खोलते आ रहे हैं और दिनांक 31 मार्च 2016 को 29.93 लाख बीएसबीडी खाते खोले गए।
- प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत 29.59 लाख बीएसबीडी खाता धारकों को रुपे कार्ड जारी किए गए हैं। इन खातों में जुटाए गए जमा ₹ 316.35 करोड़ है।
- मार्च, 2016 तक, पीएमजेडीवाई के अंतर्गत विभिन्न राज्य स्तरीय बैंकर समितियों (एसएलबीसी) द्वारा बैंक को 2,975 एसएसए (उप–सेवा क्षेत्र) तथा 2023 शहरी वार्ड आबंटित किए गए। सभी 2975 एसएसए को हमारे बैंक द्वारा बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इनमे से, 2517 एसएसए को बैंक मित्रों (कारोबार प्रतिनिधि) के माध्यम से तथा पहले से ही एसएसए में कार्यरत पारंपरिक शाखाओं के माध्यम से 458 एसएसए को बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जाती हैं।
- बैंक ने 1,92,886 पात्र खाता धारकों को ₹ 37.95 करोड़ तक की ओवरड्राफ्ट प्रदान की थी। जिसमें से 79784 बीएसबीडीए खाता धारकों ने ₹ 14.57 करोड़ राशि की लिमिट का लाभ उठाया है। छह महीने के संतोषजनक परिचालन / ऋण इतिहास के बाद ही हर बीएसबीडीए खाता धारक को ओवरड्राफ्ट की सुविधा का लाभ लेने के लिए उन पर विचार किया जाता है। बैंक ने ओवरड्राफ्ट सुविधा को स्वचालित बनाया है और इसे पात्र पीएमजेडीवाई खाता धारकों के लिए अपने बैंक के एटीएम के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है।
- बैंक को आवंटित किए गए सभी एसएसए या तो पारंपरिक शाखा द्वारा या बैंक मित्र के साथ कवर किया जाता है तथा सभी बैंक मित्रों को माइक्रो एटीएम उपकरण उपलब्ध कराया गया है।
- हमारे बैंक के पीओएस (बिक्री केंद्र) उपकरणों को रुपे कार्ड के लेन–देन हेतु 100 प्रतिशत सक्षम बनाया गया है।
- सभी बीसी को उनके अपने स्थान से माइक्रो इंश्योरेंस और अटल पेंशन योजना के तहत आवेदन के नामांकन के लिए सक्षम बनाया जाता हैं।
- मार्च 2016 में प्रति बीसी औसत लेनदेन 784 के साथ बीसी द्वारा किए गए लेनदेन की संख्या के मामले में सभी बैंकों के बीच हमारा बैंक प्रथम स्थान पर रहा।
- आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) परस्पर कार्यक्षमता सुविधाओं को बैंक के एसएसए में लगाए गए सभी पीओएस मशीन में सक्षम बनाया गया हैं। सभी बीसी एईपीएस लेन–देन कर रहे हैं तथा 31.03.2016 तक, बीसी द्वारा 34.22 लाख एईपीएस लेन–देन (दोनों वित्तीय और गैर वित्तीय) किया गया है।
- पीएमजेडीवाई खाता धारकों को 1 लाख रुपये की इनबिल्ट दुर्घटना बीमा कवर तथा 15.08.2014 से 26.01.2015 के बीच खाते खोलनेवाले ग्राहकों हेतु ₹ 30,000 की जीवन बीमा कवर के साथ रुपे डेबिट कार्ड जारी किए जा रहे हैं।
- रूपे दुर्घटना बीमा दावे के तहत, बीमा किए गए व्यक्तियों के नामितों के 19 दावों के लिए ₹ 0.19 करोड़ की राशि तक का निपटान किया गया। उसी प्रकार, रूपे जीवन बीमा दावे के तहत, बीमा किए गए व्यक्तियों के नामितों के 42 दावों के लिए ₹ 0.13 करोड़ की राशि तक का निपटान किया गया।

जन सुरक्षा योजना के तहत निष्पादनः

- पीएमजेडीवाई के दूसरे चरण में, माननीय प्रधानमंत्री ने समाज के वंचित वर्गों के लिए तीन सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जैसे, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)– एक जीवन बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) – एक दुर्घटना बीमा योजना, अटल पेंशन योजना (एपीवाई) – पेंशन योजना का शुभारंभ मई, 2015 में किया। 31.03.2016 तक योजनाओं के तहत बैंक का निष्पादन नीचे प्रस्तुत हैः

योजना का नाम	कवर किए गए ग्राहकों की संख्या
एपीवाई	98,980
पीएमजेजेबीवाई	7,29,371
पीएमएसबीवाई	16,45,442

- पीएमजेजेबीवाई के अंतर्गत, बैंक ने बीमित व्यक्तियों के नामितों के 623 दावों के लिए ₹ 12.46 करोड़ तक की राशि का निपटान किया तथा इसी प्रकार, पीएमएसबीवाई के अंतर्गत, बैंक ने बीमित व्यक्तियों के नामितों के 115 दावों के लिए ₹ 2.58 करोड़ की राशि तक का निपटान किया।
- 31.03.2016 को बैंक का पीएमजेजेबीवाई एवं पीएमएसबीवाई में पी2पी (क्षमता के लिए निष्पादन) अनुपात 63.68 प्रतिशत है तथा पी2पी अनुपात में सभी सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के बीच, बैंक का सर्वोच्च स्थान है।

वित्तीय साक्षरता गतिविधियांः

- ग्रामीण लोगों के करीब आने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए, विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों शुरू करने के लिए बैंक ने "ग्रामीण विकास हेतु इंडियन बैंक न्यास" (आईबीटीआरडी) के नाम से एक न्यास स्थापित किया है।

Institute under Corporate Social Responsibility (CSR). Besides, the annual recurring expenditure will be shared with KL University (KLU).

Dr. A PJ Abdul Kalam Skill Development Training Institute - inauguration function in the presence of Hon'ble Union Home Minister, Shri Rajnath Singh and Shri M.Venkaiah Naidu, Union Minister for Urban Development, Housing and Urban Poverty Alleviation and Parliamentary Affairs.

FINANCIAL INCLUSION

- Branches have been opening Basic Saving Bank Deposit Accounts (BSBDA) under PMJDY from 16.08.2014 and as on 31st March, 2016, 29.93 lakh BSBD accounts have been opened.
- RuPay cards have been issued to 29.59 lakh BSBD account holders under Pradhan Mantri Jhan Dhan Yojana (PMJDY). The deposit mobilised in these accounts is ₹ 316.35 crore.
- As of March 2016, various SLBCs have allotted 2975 SSAs (Sub-Service Areas) and 2023 urban wards to the Bank under PMJDY. All the 2975 SSAs are provided with banking services by our Bank. Of these, 2517 SSAs are provided with banking services through Bank Mitrs (Business correspondents) and 458 SSAs through Brick and Mortar branches already functioning in the SSAs.
- Bank had offered overdraft to 1,92,886 eligible account holders to the tune of ₹ 37.95 crore. Of which 79,784 BSBD account holders have availed the limit amounting to ₹14.57 crore. Facility of an overdraft to every BSBD account holder is considered after satisfactory operation / credit history of six months. Bank has automated the overdraft facility and made the same available through ATMs of our Bank to the eligible PMJDY account holders.
- All the SSAs allotted to the Bank are covered by either brick or mortar branch or with Bank Mitr and all the Bank Mitrs are provided with Micro ATM devices.
- 100% of POS (Point of Sale) devices of the Bank have been enabled for carrying out RuPay Card transactions.
- All BCs are enabled for enrollment of application under Micro Insurance and Atal Pension Yojana at their points.
- Bank stood first among all Banks in terms of number of transactions done by BCs with an average transaction done per BC being 784 for the month of March 2016.
- Aadhaar Enabled Payment System (AEPS) inter operability facilities are enabled in all POS machines deployed in Bank's SSAs. All BCs are doing AEPS transactions and as on 31.03.2016, 34.22 lakh AEPS transactions (both financial and non financial) have been done by the BCs.
- PMJDY account holders are being issued with RuPay debit cards having inbuilt accidental insurance cover of ₹ 1 lakh and life cover of ₹ 30,000/- for the customers who opened accounts between 15.08.2014 to 26.01.2015.
- Under RuPay Accidental insurance claim, 19 claims to the nominees of the insured to the tune of ₹ 0.19 crore were settled. Similarly, under RuPay life insurance, 42 claims to the nominees of the insured to the tune of ₹ 0.13 crore were settled.

Performance under Jan Suraksha Yojana:

- In the second phase of PMJDY, Hon'ble Prime Minister launched three Social Security Schemes viz., Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) – a life insurance scheme, Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) – an accidental insurance scheme, Atal Pension Yojana (APY) – pension scheme in May 2015 for the under privileged sections of the society. The performance of the Bank under the Schemes as on 31.03.2016 is furnished below:

Name of the Scheme	No. of customers covered
APY	98,980
PMJJBY	7,29,371
PMSBY	16,45,442

- Under PMJJBY, Bank has settled 623 claims to the nominees of the insured to the tune of ₹12.46 crore and similarly under PMSBY, Bank has settled 115 claims to the nominees of the insured to the tune of ₹2.58 crore.
- The Bank's P2P (performance to potential) ratio in PMJJBY and PMSBY is 63.68% as on 31.03.2016 and Bank is the toppest among all the PSBs in P2P ratio.

Financial Literacy activities:

- As a step towards getting closer to the rural people, Bank has set up a Trust by name "Indian Bank Trust for Rural Development" (IBTRD) for undertaking various developmental activities.

- इस न्यास के अधीन, बैंक ने चित्तूर और मछलीपट्नम (आंध्र प्रदेश), कडलूर, धर्मपूरी, कांचीपुरम, कृष्णगिरि, नामक्कल, सेलम, तिरुवण्णामलै, तिरुवल्लूर, विलुपुरम और वेल्लूर (तमिलनाडु), केरल में कोल्लम एवं पुदुच्चेरी में वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श (एफएलसीसी) केंद्र स्थापित किए हैं।.

- झुग्गी बस्तियों में शहरी गरीब व्यक्तियों के हितार्थ तीन महानगरों चेन्नै, दिल्ली तथा मुम्बई में वित्तीय समावेश सहयोग हेतु शहरी वित्तीय साक्षरता केंद्र स्थापित किये गये हैं।

- केरल में चडयमंगलम तथा पारस्साला में क्षेत्र स्तर के वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी) स्थापित किए गए।

- अब तक कुल 151644 व्यक्तियों को वित्तीय परामर्श दिया है।

- बैंक शाखाओं और एफएलसी ने वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान, 31,590 लाभार्थियों को कवर करते हुए गांवों, स्कूलों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजित किए तथा प्रशिक्षणार्थियों को वित्तीय साक्षरता सामग्री प्रदान की।

तमिलनाडु में सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पेंशन का भुगतानः

- तमिलनाडु में, सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत, जुलाई, 2012 से सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीक (आईसीटी) पर आधारित स्मार्ट कार्ड समर्थित व्यापार प्रतिनिधि (बीसी) मॉडल के माध्यम से लाभार्थियों को वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान किया जा रहा है।

- आज की तारीख में, तमिलनाडु में बैंक मित्रों के माध्यम से हर महीने 3.12 लाख लाभार्थियों को पेंशन संवितरित किए जाते हैं।

लघु एवं मध्यम उद्यमों (एसएमई) को ऋण का प्रवाहः

- 31.03.2016 को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम को बैंक का एक्सपोजर 12.81 प्रतिशत बढ़कर ₹ 21,031.57 करोड़ हुई।

- बैंक ने भीलवाड़ा, ईचलकरंजी एवं सूरत क्षेत्र में वस्त्र क्लस्टर, मोरवी क्षेत्र में सेरमिक क्लस्टर, नामक्कल एवं तिरुच्वेगोडु क्षेत्रों में रिग क्लस्टर, एमईपीजेड, चेन्नै में निर्यात क्लस्टर, लुधियाना में होजरी क्लस्टर, अहमदाबाद में सॉमिल क्लस्टर, होसुर में ऑटो पुरजा, जालंधर और लुधियाना में साइकिल पार्ट्स, ऑटो पार्ट्स, मशीन टूल्स, तथा फास्टनर निर्माण इकाइयां, राजकोट में सिंचाई पंप निर्माण इकाइयां, वापी में पैकेजिंग इकाइयां, वडोदरा में फार्मास्युटिकल क्लस्टर के लिए क्लस्टर–विशेष योजनाएं अनुमोदित की है।

- बैंक सक्रिय रूप से मुद्रा योजना को लागू कर रहा है तथा मुद्रा के साथ सह–ब्रांडेड, मुद्रा कार्ड के नाम से एक विशेष रुपे डेबिट कार्ड, मुद्रा कार्ड की शुरूआत की है।

मुद्रा योजनाः

- माइक्रो इकाइयां विकास और पुनर्वित्त एजेंसी लिमिटेड (मुद्रा) को बैंकों, एनबीएफसी, एमएफआई आदि का पुनर्वित्त करने के लिए एक नया वित्तीय इकाई के रूप में 8 अप्रैल 2015 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरु किया गया था जो सूक्ष्म उद्यमों के लिए ऋण देने के व्यवसाय में हैं।

- विनिर्माण, व्यापार और सेवाओं जिसकी ऋण आवश्यकता रुपये 10.00 लाख से नीचे हैं में गैर–कृषि उद्यमों को आय सृजन के लिए दिए गए ऋण को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत मुद्रा ऋण के रूप में जाना जाता है। ₹ 50,000 हजार तक के ऋण को ''शिशु'', ₹ 50,000 हजार से 5 लाख तक के ऋण को ''किशोर'' और 5 लाख से 10 लाख तक के ऋण को तरुण कहा जाता है। पीएमजेडीवाई के अंतर्गत ₹ 5000 हजार मंजूर किए गए ओवरड्राफ्ट राशि को पीएमएमवाई के अंतर्गत मुद्रा ऋण के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है।

(₹ करोड़ में)

वर्गीकरण	खातों की संख्या		स्वीकृत	संवितरण
	लक्ष्य	वास्तविक	वास्तविक	वास्तविक
शिशु	81965	139329	256.20	255.47
किशोर	44026	37922	833.42	815.57
तरुण	2477	5590	425.25	413.31
कुल	128468	182841	1514.87	1484.35

सफलता की कहानियां:

1. मेसर्स किशोर फिजियो केयर – तरूण योजना के तहत

- मेसर्स किशोर फिजियो केयररू सुश्री टी अंबिका, एक फिजियोथेरेपिस्ट है जो अपने खुद के फिजियो केंद्र शुरू करना चाहती है।

- बैंक के मदुरै मुख्य शाखा ने परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के समर्थन में अपना हाथ आगे बढ़ाया। तदनुसार, कैरियर में आगे बढ़ने की उनकी लगन और दृढ़ संकल्प को देखते हुए, तरूण (पीएमएमवाई) योजना के तहत ₹ 5,28,000 की ऋण, मदुरै में एक शारीरिक फिटनेस सेंटर की स्थापना के लिए मंजूर की गई।

- Under the trust, the Bank has established Financial Literacy and Credit Counseling (FLCC) centres at Chittoor and Machilipatnam (Andhra Pradesh) Cuddalore, Dharmapuri, Kancheepuram, Krishnagiri, Namakkal, Salem, Thiruvannamalai, Thiruvallur, Villupuram and Vellore (Tamil Nadu), Kollam in Kerala and Puducherry.
- Urban Financial Literacy Centres were established in Chennai, Delhi and Mumbai for the benefit of poor masses in slum areas to assist financial inclusion in 3 Metros.
- Block level Financial Literacy Centres (FLCs) were established at Chadayamangalam and Parassala Blocks in Kerala.
- A total of 151644 individuals were provided financial counseling so far.
- Bank branches and FLCs conducted Financial Literacy Programme in Villages, Schools, Industrial Training Institutes, Vocational Training Centres covering 31,590 beneficiaries during the FY 2015-16 and provided Financial Literacy materials to the trainees.

Payment of pension under Social Security Scheme in Tamil Nadu:

- In Tamil Nadu, under Social Security Scheme, Old Age pension is being paid to beneficiaries using Information and Communication Technology (ICT) based Smart Card enabled Business Correspondent (BC) Model, since July 2012.
- As on date, pension is disbursed to 3.12 lakh beneficiaries every month through Bank Mitrs in Tamil Nadu.

CREDIT FLOW TO SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (SME)

- The Bank's exposure to Micro Small & Medium Enterprises grew by 12.81 percent to ₹21031.57 crore as on 31.03.2016.
- Bank has approved cluster specific schemes for Textile Cluster in Bhilwara, Ichalkaranji and Surat Regions, Ceramic Cluster in Morvi Region, Rig Cluster in Namakkal and Tiruchengode Region, Export cluster in MEPZ Chennai, Hosiery Cluster at Ludhiana, Saw Mill Cluster at Ahmedabad, Auto components cluster at Hosur, Cycle part, auto parts, machine tools and fasteners manufacturing units at Jalandhar & Ludhiana, Irrigation pump manufacturing units at Rajkot, Packaging units at Vapi and Pharmaceutical cluster at Vadodara.
- Bank is actively implementing the MUDRA scheme and introduced a special Rupay debit card, called MUDRA card, co-branded with MUDRA.

MUDRA SCHEME

- Micro Units Development and Refinance Agency Ltd. (MUDRA) was launched by the Hon'ble Prime Minister on April 8, 2015 as a new financial entity, for refinancing Banks, NBFCs, MFIs etc; who are in the business of lending to micro enterprises.
- The loans given to non-farm enterprises in manufacturing, trading and services whose credit needs are below ₹10.00 lacs, for income generation is known as MUDRA loans under the Prime Minister's Mudra Yojana (PMMY). Loans upto ₹50,000 is termed as “Shishu”, Loans from ₹50,000 to ₹ 5 lakhs is termed as “Kishore” and loans from ₹ 5 lakhs to ₹10 lakhs is termed as “Tarun”. The overdraft amount of ₹ 5,000 sanctioned under PMJDY is also classified as MUDRA loans under PMMY.

(₹ in crore)

Classification	No of Accounts		Sanctioned	Disbursement
	Target	Actual	Actual	Actual
Shishu	81965	139329	256.20	255.47
Kishore	44026	37922	833.42	815.57
Tarun	2477	5590	425.25	413.31
Total	128468	182841	1514.87	1484.35

SUCCESS STORIES

1. M/s KISHORE PHYSIO CARE – UNDER TARUN SCHEME

- M/s Kishore Physio Care: Ms T Ambika, a physiotherapist wished to start her own physio centre.
- Madurai Main branch of the Bank extended handholding support for preparation of project report. Accordingly, on seeing the passion and determination to grow in her career, loan of ₹ 5,28,000 was sanctioned under TARUN (PMMY) scheme for setting up a physical fitness centre at Madurai.

- बैंक ने जिला उद्योग केंद्र से 25 प्रतिशत सब्सिडी सहायता हेतु आवेदन करने के लिए उसे मार्गदर्शित भी किया जैसाकि ऋण आवेदन राज्य सरकार के कार्यक्रमों जैसे एनईईडीएस (नए उद्यमी सह उद्यम विकास योजना) में से एक के तहत सब्सिडी के लिए पात्र होना पाया गया था।

2. **जे. महालक्ष्मी– तरुण के तहत**

- सुश्री जे. महालक्ष्मी अपनी खुद की पार्लर शुरू करना चाहती थी और अपने आसपास के क्षेत्र में कई बैंकों से संपर्क किया।
- तरुण योजना के अंतर्गत, ब्यूटी पार्लर स्थापित करने के लिए ¡ 7,89,000 का ऋण मंजूर किया गया।
- हमारी मदद से उसने सफलतापूर्वक एक नया पार्लर स्थापित किया और गोरीपलायम (मदुरै) क्षेत्र में अच्छी सेवा के साथ खुद को स्थापित करना शुरू किया तथा उसके परिवार की आय में प्रति माह ₹ 34,000/– की बढ़ोतरी हुई।

वैयक्तिक खंड के ऋणः

- वर्ष के दौरान बैंक के गृह ऋण, वाहन ऋण, वैयक्तिक ऋण, एनएससी ऋण तथा बंधक ऋण जो वैयक्तिक खंड ऋण के संविभाग है, ₹ 11,858.76 करोड़ तक बढ़ा है जिससे 14.25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- 31.03.2016 को वैयक्तिक खंड के तहत कुल बकाया ऋण ₹ 19,159.83 करोड़ रहा।
- 31.03.2016 को गृह ऋण के तहत 9.61 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए ¡ 816.34 करोड़ रहा।
- 31.03.2016 को ऑटोमोबाइल ऋण के तहत 14.58 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹9168.53 करोड़ रहा।
- 31.03.2016 को बंधक ऋण के तहत 42.59 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए ¡ 944.32 करोड़ रहा।
- बैंक ने तमिलनाडु एवं पुदुच्चेरी में बाढ़ से प्रभावित ग्राहकों हेतु कई प्रकार की राहत पहुंचाई।
  - ❖ 19709 ग्राहकों को वेतन ऋण दिया गया जिसकी कुल राशि ₹ 133.06 करोड़ रहा।
  - ❖ 570 ग्राहकों को संपत्तियों की मरम्मत एवं नवीकरण के लिए गृह ऋण / बंधक ऋण दिए गए जिसकी कुल राशि ₹ 21.93 करोड़ रहा।
  - ❖ 35 ग्राहकों को बाढ़ से प्रभावित वाहनों की मरम्मत हेतु विशेष बेजमानती ऋण दिया गया जिसकी कुल राशि ₹ 0.36 करोड़ रहा।
  - ❖ 1594 ग्राहकों को गृह ऋण की पुनःसरंचना हेतु ऋण दिया गया जिसमें ₹ 189.85 करोड़ की राशि शामिल रहा।
  - ❖ 283 ग्राहकों को वाहन ऋण की पुनःसरंचना हेतु ऋण दिया गया जिसमें ₹ 8.95 करोड़ की राशि शामिल रहा।

31.03.2016 को स्थिति

विवरण	रु. करोड़ में
गृह ऋण	9168.53
वाहन ऋण	816.34
व्यक्तिगत ऋण	922.60
एनएससी/केवीपी/एलआईसी/ पॉलिसी के विरुद्ध ऋण	6.97
बंधक ऋण	944.32
पूर्ण योग	**11858.76**
स्टाफ आवास ऋण	347.45
शैक्षिक ऋण	3176.55
आभूषण ऋण (गैर–प्राथमिक)	2778.02
स्वयं की जमाओं के विरुद्ध ऋण	1339.17
कुल **(आभूषण ऋण – गैर प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत आई बी पी सी को छोड़कर)**	**19159.83**

ऋण निगरानी कक्ष

- बैंक के ऋण जोखिम प्रक्रिया के एक अंग के रूप में विभिन्न स्तरों पर ऋण समीक्षा प्रबंधन (एलआरएम) तथा कॉर्पोरेट कार्यालय व अंचल कार्यालय में विभिन्न समितियों द्वारा उधारकर्ताओं के स्वीकृत खताओं का पुनरीक्षण सहित विभिन्न स्तरों पर ऋण लेखा परीक्षा किया जाता है।
- वर्ष 2015.16 के दौरान, मानक बकाया गैर–खाद्य ऋणों के लगभग 69 प्रतिशत को एलआरएम तथा ऋण लेखा परीक्षा के अधीन रखा गया जबकि एलआरएम नीति के अनुसार न्यूनतम कवरेज 50 प्रतिशत है।
- विशेष उल्लेख खातों (एसएमए) के नियमन हेतु उसे प्रतिदिन सक्रिय रूप से मॉनिटर एवं फॉलो अप किया जाता है। कॉर्पोरेट कार्यालय के कार्यात्मक ऋण विभागों के विभाग प्रमुखों से मिलकर बनी मानक आस्ति जाँच समिति प्रत्येक माहिने समस्त एसएमए खातों का पुनरीक्षण करती है।

- Bank also guided her to apply for 25 per cent subsidy assistance to the District Industries Centre as the loan application was found to be eligible for subsidy under one of the State Government programs, namely, NEEDS (New Entrepreneur cum Enterprise Development Scheme).

2. J MAHALAKSHMI –UNDER TARUN

- Ms.J Mahalakshmi wanted to start her own parlour and approached many banks in her vicinity.
- Under the TARUN scheme, a loan of ₹ 7,89,000 for setting up of a Beauty Parlour was granted.
- She has successfully set up a new parlour with our assistance and started establishing herself with good service in the Goripalayam (Madurai) area and the income of her family has increased to ₹ 34,000/- per month.

PERSONAL SEGMENT LOANS:

- Bank's Personal Segment loans comprising of Home Loan, Automobile Loan, Personal Loan, NSC Loan and Mortgage Loan witnessed an increase of 14.25% during the year to ₹ 11,858.76 crore.
- Total outstanding loans under Personal Segment was at ₹ 19,159.83 crore as on 31.03.2016.
- Balance outstanding under Home Loan as on 31.03.2016 was at ₹ 9168.53 crore registering a growth of 9.61 per cent.
- Balance outstanding under Automobile Loan as on 31.03.2016 was at ₹816.34 crore registering a growth of 14.58 per cent.
- Balance outstanding under Mortgage Loan as on 31.03.2016 was at ₹ 944.32 crore registering a growth of 42.59 per cent.
- Bank extended various relief assistance for the flood affected customers in Tamil Nadu and Puducherry.
  - Salary Loans to 19709 clients amounting to ₹ 133.06 crore.
  - Additional Home Loan/Mortgage loan for repairs and renovation of properties to 570 customers amounting to ₹21.93 crore.
  - Special clean loan for repairing the affected vehicles for 35 customers amounting to ₹0.36 crore.
  - Restructuring of Home loan for 1594 customers involving an amount of ₹189.85 crore.
  - Restructuring of Vehicle loan for 283 customers involving an amount of ₹8.95 crore.

Position as on 31.03.2016 :

Particulars	**Amount ₹ in Crore**
Home Loan	9168.53
Automobile Loan	816.34
Personal Loan	922.60
Loan against NSC/KVP/LIC Policy	6.97
Mortgage Loans	944.32
Subtotal	**11858.76**
Staff Housing Loan	347.45
Educational Loan	3176.55
Jewel Loan (Non Priority)	2778.02
Loan against own deposit	1339.17
Total (Excluding IBPC under Jewel Loan Non Priority)	**19159.83**

CREDIT MONITORING CELL

- As part of Bank's Credit Risk Management process, review of accounts under Loan Review Mechanism (LRM) and Credit Audit have been carried out at various levels including the review of borrowal accounts sanctioned by various Committees at Corporate Office and Zonal Offices.
- During the year 2015-16, 69 percent of standard non-food credit outstanding have been put under LRM and Credit Audit as against the minimum coverage of 50 percent as per LRM policy.
- Special Mention Accounts (SMA) are monitored on a daily basis and followed up effectively for regularization. The Standard Asset Monitoring Committee comprising of Department Heads of Functional credit departments at Corporate Office reviewed all SMA accounts every month.

- एसएमए–2 स्तर के बिगड़ती परिसंपत्ति गुणवत्ता वाले ऐसे बड़े उधार खातें जिसकी सूचना सीआरआईएल के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक को दी जाती है, उनपर बारीकी से निगरानी रखी गई एवं विपदाग्रस्त आस्तियों को पुनर्जीवित करने हेतु दिए गए दिशानिर्देशों के अंतर्गत उपयुक्त उपचारात्मक कार्रवाई की गई।

- वसूली को मॉनिटर करने की बोर्ड स्तरीय समिति, आवधिक तौर पर सीआरआईएलसी के अंतर्गत भारिबैं को रेपोर्टित एसएमए-2 खातों में जेएलएफ़ के गठन और सीएपी के कार्यान्वयन के संबंध में विवादग्रस्त आस्तियों के पुनरुज्जीवन के कार्यान्वयन की स्थिति की पुनरीक्षा एवं पर्यवेक्षण करता है।

आस्ति गुणवत्ता प्रबंधन

- बैंक ने आस्ति गुणवत्ता पर निरंतर ध्यान केन्द्रित करते हुए प्रभावी तरीके से कई विवेकी ऋण निगरानी टूलों का इस्तेमाल किया है। बैंक जून 2011 से एनपीए (गैर निष्पादक आस्ति) की सिस्टम द्वारा पहचान प्रणाली का सफलतापूर्वक अनुवर्तन कर रहा है एवं फरवरी 2016 से गैर निष्पादक आस्तियों की मासिक फ्लेगिंग की शुरुआत की गई।

- बैंक ने नए एनपीए खातों की वसूली/कोटी उन्नयन के लिए समय पर कार्रवाई की है और विशेष उल्लेख खातों (एसएमए) का पता लगाकर उन्हें मॉनिटर करने के जरिए बाधित खातों का नियमित अनुवर्तन किया जाता है ताकि गिरावट को न्यूनतम स्तर पर बनाए रखा जा सके।

- बैंक ने नए एनपीए की वसूली और नए एनपीए को कम करने की दिशा में अच्छा निष्पादन दर्ज किया है। नए आस्ति गुणवत्ता पुनरीक्षण (एक्यूआर) का प्रभाव भी आंशिक रूप से नए एनपीए की वृद्धि का कारण था। लोक अदालत, ओटीएस के जरिए बातचीत द्वारा समझौते तथा डीआरटी/सरफेसी अधिनियम आदि के जरिए वसूली के कदमों से नए एनपीए में घटौती संभव हुई है। अंचलों/शाखाओं को स्वैच्छिक चूककर्ता/असहयोगी उधारकर्ता की पहचान कर उनपर व्यक्तिगत गारंटी लागू करना, समापन याचिका दायर करना, बंधक शेयरों का हस्तांतरण आदि समस्त वसूली मापदण्डों को सक्रियतापूर्वक अपनाने की सलाह दी गई।

- बैंक ने पूरे भारत में पांच मेगा ई–नीलामी आयोजित किया, जहाँ बैंक को बंधक रखे गए 300 सम्पत्तियों को विक्रय हेतु लाया गया एवं 63.93 करोड़ रुपये की वसूली की गई।

- बैंक ने सक्रिय रूप से वर्ष के दौरान विभिन्न तिथियों पर आयोजित छह राष्ट्रीय लोक अदालत में भाग लिया। इसमें 1637.39 करोड़ रुपये से संबद्ध कुल 1,58,455 मामले शामिल थे एवं इनमें से 22,545 खातों के 208.37 करोड़ रुपये के मामलों का निपटान किया गया एवं इसी क्रम में 38.20 करोड़ रुपये की स्पॉट वसूली की गई।

- इसके अलावा बैंक ने वित्तीय वर्ष के दौरान लोक अदालत का आयोजन किया, जिनमें 848.45 करोड़ रुपये से संबद्ध 91731 मामले सम्मिलित थे। इनमें से 14,638 खातों के 109.11 करोड़ रुपये के मामलों का निपटान किया गया एवं 43.60 करोड़ रुपये की हाजिर वसूली की गई।

- बदलते आर्थिक परिप्रेक्ष्य के अनुरूप वसूली नीति को बेहतर ढंग से समायोजित किया गया एवं सीमावर्ती अधिकारियों को वसूली के प्रदर्शन में सुधार हेतु जागरूक किया गया। इसके अलावा वसूली विभाग के अधिकारियों द्वारा अंचल का दौरा करते समय नए एनपीए/संदिग्ध खातों के वसूली एवं उन्नयन के प्रावधानों में वृद्धि के महत्व पर बल दिया गया।

- श्री महेश कुमार जैन, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के आह्वान पर कर्मचारी संघ एवं अधिकारी एसोसिएशन ने बैंक की वसूली के प्रयासों में अपना समर्थन देने का वचन दिया।

- पूरे देश में अवकाश अवधि के दौरान दिनांक 12-03-2016 व 13-03-2016 एवं 26-03-2015 व 27-03-2016 को गहन वसूली शिविर के अंतर्गत घर–घर जाकर वसूली अभियान चलाया गया। कर्मचारी संघ एवं अधिकारी असोशिएशन के प्रतिनिधि तथा हमारे स्टाफ सदस्यों ने इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया तथा उधारकर्ताओं के निवास स्थल/कार्य स्थल का दौरा कर तत्काल बकाया राशि भुगतान करने का आग्रह किया। समूहबद्ध रूप से 456 वसूली शिविरों का आयोजन किया गया एवं 224 करोड़ रुपये नगद वसूल किया गया। कुछ केन्द्रों में घटनाओं को प्रेस के साथ कवर करते हुए इस अभियान को अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई।

- वर्ष के दौरान बट्टे खातों में एवं अशोध्य ऋणों की वसूली के अंतर्गत 269.81 करोड़ रुपये की वसूली की गई।

- ऋण समीक्षा प्रबंधन समिति (एलआरएमसी) नियमित तौर पर मानक आस्तियों का ऋण समीक्षा तंत्र तथा ऋण लेखा परीक्षा कार्यों की समीक्षा करती है। मानक आस्ति मानीटरिंग समिति (एसएएमसी) लगातार विशेष उल्लिखित खातों की समीक्षा करती है तथा मानक आस्तियों का गैर–निष्पादित आस्तियों में गिरावट से बचने के लिए समय पर वसूली कार्रवाई प्रारम्भ की जाती है।

बैंकएश्युरेंस एवं म्यूचुअल फंड व्यापार

- बैंक ने युनाइटेड इंडिया इन्श्युरेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के साथ गैर–जीवन बीमा/सामान्य/स्वास्थ्य बीमा एवं भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के साथ जीवन बीमा व्यापार के लिए कॉर्पोरेट एजेंसी समझौता (सीएए) किया है।

- म्यूचुवल फण्ड वितरण के लिए बैंक द्वारा यूटीआई आस्ति प्रबन्धन कंपनी लिमिटेड, रिलायन्स कैपिटल आस्ति प्रबन्धन लिमिटेड और एसबीआई म्यूचुवल फण्ड के साथ गठजोड की व्यवस्था की गई हैं।

- निम्नलिखित कंपनियों के साथ समझौता होने पर बैंक अपने ग्राहकों के लिए वैकल्पिक आधार पर विभिन्न समूह बीमा उत्पाद प्रदान करता है

    - भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा जीवन बीमा कवर करनेवाली प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई – भारत सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना)

    - भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा दुर्घटना में मृत्यु और विकलांगता को कवर करनेवाली प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई – भारत सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना)

    - भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किसी भी कारणवश मृत्यु को कवर करनेवाली आईबीजीवन कल्याण और जीवन वरिष्ठ;

- Large borrowal accounts with deteriorating asset quality upto SMA-2 level and reported to RBI under CRILC have been closely monitored and appropriate remedial action was taken as per guidelines contained in the Framework for Revitalizing Distressed Assets.
- Board Level Committee on monitoring of recovery periodically reviews and oversees the status of implementation of the Revitalizing Distressed Assets policy with regard to formation of Joint Lenders' Forum (JLF), implementation of Corrective Action Plan (CAP) and reporting to RBI under Central Repository of Information on Large Credits (CRILC).

ASSET QUALITY MANAGEMENT

- Bank has deployed prudent credit monitoring tools, with continuous and consistent focus on quality of assets. Bank has been following a system-driven identification of NPA (Non Performing Assets) successfully since June 2011 and introduced monthly flagging of NPAs from February 2016.
- Bank has taken timely action for recovery/upgradation of fresh NPA accounts and stressed accounts are regularly followed up to minimize the slippages by identifying and monitoring Special Mention Accounts (SMA).
- The Bank has recorded good performance towards recovery and reduction of fresh NPA. Increase in Fresh NPAs was partly due to Asset Quality Review (AQR) impact. Different recovery mechanisms like Lok Adalats, Negotiated settlements through One Time Settlement (OTS) and recovery measures through DRT / SARFAESI Act have resulted in improved recovery performance. Zones/Branches have been advised to aggressively implement all recovery measures including classification of the accounts as willful defaulter/non-cooperative borrower, invocation of personal guarantee, filing of winding up petition, transfer of pledge of shares, etc.
- Bank Conducted Five Mega e-auctions all over India wherein 300 Properties mortgaged to the bank were brought for sale and a recovery of ₹ 63.93 crore was effected.
- Bank actively participated in the six National Lok Adalats held on various dates during the year. A total number of 1,58,455 cases were referred involving ₹ 1637.39 crore and cases were settled in 22,545 accounts for ₹208.37 crore and spot recovery to the tune of ₹ 38.20 crore was made.
- Besides, Bank organised Lok Adalats during the Financial year where in 91,731 cases involving an amount of ₹ 848.45 crore were referred. Total number of cases settled was 14,638 for ₹109.11 crore and spot recovery was made to the tune of ₹ 43.60 crore.
- In line with the changing economic scenario, Recovery Policy has been fine tuned and frontline officials have been sensitised for improving recovery performance. Besides, during the visit of officials from Recovery Department to Zones, the importance of reduction in provision by way of increasing recovery and upgradation in Fresh NPAs/Doubtful accounts was emphasised.
- In response to the call given by Shri. Mahesh Kumar Jain, MD & CEO, Employees Union and Officer Association pledged their support for the recovery efforts of the Bank.
- In the Intensive recovery Camp involving door to door campaign held during the Holidays, i.e., on 12.03.2016 & 13.03.2016 and 26.03.2015 & 27.03.2016 across the country, the representative of Employees Union and Officers Association and our staff actively participated and visited the borrowers at their residence / place of work and urged them to pay the dues immediately. On cluster basis, 456 recovery camps were conducted and cash recovery of ₹ 224 crore was made. There was good response for the campaign with press covering the events at some centres.
- A recovery of ₹ 269.81 crore were made under recovery of Bad Debts and Written off Accounts during the year.
- Loan Review Management Committee (LRMC) reviews Standard Assets through Loan Review Mechanism and Credit Audit functions on a regular basis. Standard Assets Monitoring Committee (SAMC) reviews Special Mention Accounts (SMA) on continuous basis and timely recovery action is initiated to prevent slippage of Standard Assets to Non Performing Assets.

BANCASSURANCE AND MUTUAL FUND BUSINESS

- Bank has Corporate Agency Arrangement (CAA) with United India Insurance Co. Ltd. (UIIC) for Non-life/General/Health Insurance business and with LIC of India (LIC) for Life Insurance business
- For Mutual Fund distribution, Bank has tie-up arrangements with UTI Asset Management Co. Ltd, Reliance Capital Asset Management Ltd. and SBI Funds Management Pvt. Ltd
- Bank offers various group insurance products on optional basis to its customers by having arrangements with the companies as mentioned below:
    - Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY - Social Security Scheme of Government of India) by LIC of India for life cover
    - Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY - Social Security Scheme of Govt of India) by UIIC for accidental death & disability cover
    - IB Jeevan Kalyan & Jeevan Varishta by LIC of India covering death due to any reasons

- ❖ यूआईआईसीओ द्वारा दुर्घटना से होनेवाली मृत्यु को कवर करनेवाली आईबी छत्र
- ❖ यूआईआईसी द्वारा हमारे खाता धारकों के लिए ग्रुप मेडीक्लेम इन्श्युरेंस देनेवाली आरोग्य रक्षा
- ❖ यूआईआईसीओ द्वारा हवाई जहाज के अलावा अन्य माध्यमों से देशीय यात्रा के लिए ग्रूप यात्रा बीमा योजना को कवर करनेवाली आईबी यात्रा सुरक्षा;
- ❖ भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा गृह ऋण उधारकर्ताओं को कवर करनेवाली आईबी गृह जीवन;
- ❖ कोटक लाइफ द्वारा गृह ऋण उधारकर्ताओं को कवर करने हेतु आईबी होम सुरक्षा;
- ❖ भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा शैक्षिक ऋण छात्र उधारकर्ताओं को कवर करनेवाली आईबी जीवन विद्या
- ❖ पीएनबी मेटलाइफ द्वारा शैक्षिक ऋण छात्र उधारकर्ताओं को कवर करनेवाली आईबी विद्यार्थी सुरक्षा

जोखिम प्रबंधन :

- बैंक का जोखिम प्रबंधन तंत्र विभिन्न जोखिमों की स्पष्ट समझ, अनुशासित जोखिम मूल्यांकन एवं माप प्रक्रियाओं तथा सतत जाँच पर आधारित है। संपूर्ण उद्यम में प्रभावोत्पादक जोखिम प्रबंधन के लिए एक स्वतंत्र जोखिम प्रबंधन विभाग कार्यरत है एवं यह बैंक भर के मूल्यांकन, मॉनिटरिंग तथा जोखिम निवेश की रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार है। निम्नलिखित तीन शीर्ष स्तरीय समितियों के जरिए बैंक की सभी जोखिमों का प्रबंधन किया जाता है
- ऋण जोखिम प्रबंध समिति (सीआरएमसी)
- आस्ति एवं देयता प्रबंध समिति (आलको)
- परिचालनगत जोखिम प्रबंध समिति (ओआरएमसी)

ये समितियां बोर्ड और बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित नीतियों और समग्र दिशानिर्देशों के अंतर्गत काम करती हैं।

जोखिमों के प्रबन्धन के लिए बैंक ने विभिन्न नीतियाँ निर्धारित की हैं। उदयम–स्तर जोखिम का विश्लेषण करने तथा सभी जोखिमों को एकीकृत करने की दृष्टि से, एक एकीकृत जोखिम प्रबन्धन नीति बनायी गयी है। महत्वपूर्ण जोखिम नीतियों में ऋण जोखिम प्रबंधन नीति, तरलता प्रबंधन नीति, बाजार जोखिम प्रबंधन नीति, परिचालनगत जोखिम प्रबंधन नीति, आंतरिक पूंजी पर्याप्तता आकलन प्रक्रिया (आईसीएएपी) नीति, तनाव परीक्षण नीति, संपार्श्विक प्रबन्धन नीति और प्रकटीकरण नीति, प्रतिष्ठा जोखिम प्रबंधन नीति तथा सामरिक जोखिम प्रबंधन नीति शामिल हैं।

जोखिम प्रबन्धन समिति (आरएमसी)/बोर्ड द्वारा सभी नीतियां वार्षिक आधार पर पुनरीक्षित की जाती हैं। जोखिम प्रबंधन संकल्पनाओं की जानकारी देने और क्षेत्र स्तर के कार्यकर्ताओं को इनके प्रति जागरूक बनाने के उद्देश्य से सभी संबंधित नीतियां शाखाओं के बीच परिचालित की गई हैं तथा इसके अलावा बैंक के प्रशिक्षण कॉलेजों में इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

ऋण जोखिम

प्रारंभिक चरण पर ही जोखिमों को पहचानकर उनका विश्लेषण करने, विवेकपूर्ण सीमाएं निर्धारित कर उन्हें अनुरक्षित करने तथा बदलते जोखिम माहौल का सामना करने के लिए अन्य सुधारात्मक कदम उठाने के लिए जोखिम प्रबंधन प्रणाली स्थापित की गई है।

सीमा निर्धारण :

- ऋण जोखिम एवं सकेंद्रण जोखिम के परिमाण को सीमाबद्ध करने के लिए निम्नलिखित एक्सपोज़रों के लिए सीमा का निर्मारण किया गया : एकल एवं सामूहिक ऋणी, संवेदनशील क्षेत्र एक्सपोजर, अरक्षित एक्सपोजर, अंतरबैंक एक्सपोजर, देशवार एक्सपोजर, आंतरिक रेटिंगवार एक्सपोजर, भौगोलिक एक्सपोजर एवं मियादी ऋण एक्सपोजर।
- इन एक्सपोजर सीमाओं को नियमित आधार पर मॉनिटर किया गया और उन्हें बोर्ड की समिति के विविध उच्चामिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

रेटिंग मॉडल

- समस्त ऋण प्रस्ताव एक सख्त जोखिम रेटिंग/ ऋण अनुमोदन एवं निर्णय लेने में सहायता करने हेतु स्कोरिंग प्रक्रिया के साथ ही संविभाग प्रबंधन, मूल्य निर्धारण एवं जोखिम आधारित पूंजी माप में जोखिम प्रबंधन क्षमताओं में वृद्धि करने के उद्देश्य से बनाए गए हैं।
- सॉफ्टवेयर संचालित रेटिंग तंत्र रेटिंग को निश्चित कर प्रवेश स्तर की स्कोरिंग प्रणाली के अतिरिक्त ऋण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है। रेटिंग मॉडल के आउटपुट का उपयोग निर्णय लेने अर्थात मंजूरी, मूल्य निर्धारण और क्रेडिट पोर्टफोलियो के मॉनिटरिंग में किया जाता है। रेटिंग मॉडल की क्षमता के परीक्षण हेतु इसे एक बाहरी संस्था से विधिमान्य किया गया है। बैंक समय–समय पर इस मॉडल का सत्यापन प्रयोग करेगी।
- जोखिम प्रबंधन गतिविधियों के एक अंग के रूप में कार्पोरेट कार्यालय स्तर के अंतर्गत आने वाले क्रेडिट प्रस्तावों (योजनाबद्ध ऋणों के अतिरिक्त) का पुनरीक्षण जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा किया जाता है।

स्कोरिंग मॉडल :

- बैंक ने प्रवेश स्तर पर स्कोरिंग मॉडल विकसित किया है। व्यक्तिगत ऋण उत्पादों के तहत आनेवाले समस्त नई मंजूरियाँ प्रवेश स्तर की स्कोरिंग के अधीन आते हैं।
- ऋण समीक्षा तंत्र और ऋण लेखा परीक्षा प्रणाली बड़े मूल्य के खातों की आवधिक समीक्षा / लेखा परीक्षा करती है एवं बैंक के ऋण संचालन में गुणात्मक सुधार लाती है। इसके अलावा मानक आस्ति मानीटरिंग समिति लगातार विशेष उल्लेख खातों की समीक्षा करती है ताकि मानक आस्तियों का गैर–निष्पादित आस्तियों में गिरावट होने से बचाने के लिए समय पर वसूली कार्रवाई प्रारम्भ की जा सके। मॉनिटरिंग तंत्र के एक भाग के रूप में उन खाताओं को जो निवेश श्रेणी से अवनति की ओर जा रहे हैं उनकी पहचान की जाती है एवं तिमाहीवार ध्यानपूर्वक मॉनिटर किया जाता है।
- खातों की रेटिंग का स्थानांतरण वार्षिक आधार पर किया जाता है। साथ ही बैंक संविभाग पर आधारित उद्योगों का भारित औसत रेटिंग तिमाहीवार रूप से किया जाता है। अग्रिमों के रेटिंग वाइज़ वितरण का विश्लेषण तिमाहीवार किया जाता है।

- IB Chhatra by UIIC covering death due to accidents
- Arogya Raksha by UIIC extending Group Mediclaim Insurance for our Account Holders
- IB Yatra Suraksha by UIIC extending Group Travel Insurance for domestic travels other than by Air
- IB Griha Jeevan by LIC of India covering our Home Loan borrowers
- IB Home Suraksha by Kotak Life covering our Home Loan borrowers
- IB Jeevan Vidya by LIC of India covering our Educational Loan student borrowers
- IB Vidyarthi Suraksha by PNB Met Life covering our Educational Loan student borrowers

RISK MANAGEMENT:

- Bank's risk management framework is based on a clear understanding of various risks, disciplined risk assessment and measurement procedures and continuous monitoring. An independent Risk Management Department is functioning for effective Enterprise-Wide Risk Management and responsible for assessment, monitoring and reporting of risk exposures across the bank. All the risks the Bank is exposed to, are managed through following three committees viz,
- Credit Risk Management Committee (CRMC)
- Asset and Liabilities Management Committee (ALCO)
- Operational Risk Management Committee (ORMC).

These committees work within the overall guidelines and policies approved by the Board and Risk Management Committee of the Board.

Bank has put in place various policies to manage the risks. To analyze the enterprise-wide risk and with the objective of integrating all the risks of the Bank, an Integrated Risk Management policy has also been put in place. The important risk policies comprise of Credit Risk Management Policy, Liquidity Management Policy, Market risk management policy, Operational Risk Management Policy, Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) Policy, Stress Testing Policy, Collateral Management Policy and Disclosure Policy, Reputational risk management Policy and Strategic Risk management Policy.

All the policies are reviewed at a minimum on an annual basis by Risk Management Committee (RMC)/Board. In order to disseminate the risk management concepts and also to sensitize the field level functionaries, the relevant policies were circulated to the branches, in addition to imparting training at the Bank's training colleges.

Credit Risk:

Risk Management Systems are in place to identify and analyze the risks at the early stage and manage them by setting and monitoring prudential limits besides taking other corrective measures to face the changing risk environment.

Limit Framework:

- In order to limit the magnitude of credit risk and concentration risk, a limit framework has been laid down for following type of exposures: Single and group borrower exposure, sensitive sector exposure, unsecured exposure, interbank exposure, country-wise exposure, internal rating wise exposure, geographical exposure and term loan exposure.
- These exposure limits are monitored on regular basis and placed to various apex level committees of the Board.

Rating Model:

- All credit proposals are subject to a rigorous credit risk rating/scoring process to support credit approvals and decision making as well as to enhance risk management capabilities for portfolio management, pricing and risk based capital measurement.
- Software driven rating mechanism is in place to assign the rating to ensure credit quality besides an entry level scoring system. The output of the rating model is used in decision making i.e. sanction, pricing and monitoring of credit portfolio. In order to test the robustness of the rating model, the rating model has been validated by an external agency. Bank would undertake periodic validation exercise for the model.
- As part of Risk management activities, vetting of credit proposals (except schematic loans) coming under corporate office level are undertaken by Risk management Department.

Scoring model:

- Bank has developed entry level scoring model. All the fresh sanctions coming under personal loan products are subjected to entry level scoring.
- Loan review mechanism and Credit audit system are in place for the periodical review/audit of large value accounts and to bring about qualitative improvements in credit administration of the Bank. In addition, Standard Assets Monitoring Committee reviews the Special Mention Accounts periodically to initiate timely action to prevent slippage of standard assets to non performing assets. As a part of monitoring mechanism, accounts which are downgraded from investment category are identified and monitored closely on quarterly basis.
- Migration of rating of accounts is done on annual basis. Also weighted average rating of industry based on Bank's portfolio is done on quarterly basis. Analysis of rating wise distribution of advances is done on quarterly basis.

- जोखिम प्रबंधन गतिविधियों के एक अंग के रूप में कार्पोरेट कार्यालय स्तर के अंतर्गत आने वाले क्रेडिट प्रस्तावों (योजनाबद्ध ऋणों के अतिरिक्त) का पुनरीक्षण जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा किया जाता है।

आस्ति देयता प्रबंधन

आस्ति देयता प्रबंधन बैंक को जोखिम एक्सपोजर, जोकि चलनिधि जोखिम और ब्याज दर जोखिम से बैंक के तुलन पत्र पर उभर सकते हैं, को मापने व जाँचने हेतु सहायता करता है। यह बैंक को आस्ति देयता प्रबंधन हेतु उपयुक्त रणनीतियां उपलब्ध करने में मदद करता है।

आस्ति देयता प्रबंधन संरचना में निम्नलिखित मुख्य घटक हैं :

- चलनिधि जोखिम प्रबंधन
- ब्याज दर जोखिम प्रबंधन
- तुलन पत्र एवं बेसल 3 चलनिधि अनुपात
- दबाव परीक्षण व परिदृश्य विश्लेषण
- आकस्मिकता निधि योजना

बैंक ने निम्नांकित सूचीबद्ध दो प्राथमिक उद्देश्यों को ध्यान रखते हुए एएमएल पॉलिसी निर्धारित किया :

अल्पावधि उद्देश्य

- बैंक की शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) में सुधार हेतु
- पर्याप्त चलनिधि प्रदान करने हेतु
- पुनर्मूल्यांकन जोखिम प्रबंधन हेतु

दीर्घावधि उद्देश्य :

- शेयरधारकों के धन की वृद्धि हेतु

आस्ति देयता का प्रबंधन करना आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) का कार्य है। यह एएलएम व जोखिम प्रबंधन पर बोर्ड और बोर्ड की उप–समिति के मार्गदर्शन व पर्यवेक्षण में कार्य करती है। ब्याज दर परिदृश्य, जमाओं व अग्रिमों दोनों के लिए उत्पाद मूल्य निर्धारण, वृद्धिशील आस्तियों व देयताओं की परिपक्वता प्रोफाइल, बैंक फंड की मांग, बैंक के नकदी प्रवाहों, लाभ योजना व समग्र तुलन पत्र प्रबंधन हेतु यह नियमित अंतरालों पर बैठक करती हैं।

चलनिधि जोखिम को मापने व जाँचने की दो पद्धतियाँ हैं – प्रवाह पद्धति व स्टॉक पद्धति। प्रवाह पद्धति में नकदी प्रवाह की बेमेल स्थितियों की व्यापक खोज की जाती है एवं इसे दैनिक आधार पर संरचनात्मक चलनिधि विवरण को तैयार कर पूरा किया जाता है। विभिन्न टाइम बकेट में बेमेल स्थितियों की जांच हेतु उचित सहन स्तर विवेकपूर्ण सीमाएं निर्धारित की जाती हैं। स्टॉक पद्धति के अंतर्गत विविध तुलन पत्र अनुपातों का उचित सीमाओं के साथ निर्धारित किया जाता है। निर्धारित सीमाओं में अनुपातों का अनुपालन यह सुनिश्चित करता है कि बैंक ने अपनी चलनिधि का प्रबंधन उचित विविधीकरण के द्वारा किया है एवं इसे धारणीय सीमाओं के अंतर्गत रखा है। बैंक अपनी अल्पकालिक चलनिधि की बेमेल स्थितियों को भी आंकता है एवं उसे ही अल्पकालिक गतिशील चलनिधि की रिपोर्ट में बताया जाता है जोकि विभिन्न आस्ति व देयताओं का उत्पादन करने वाली इकाइयों के नकदी प्रवाह योजनाओं एवं 1–90 दिनों की अवधि में बैंक के आस्ति व देयताओं के नकदी प्रवाह स्वरूप में मौसमी विविधताओं को दर्शाती हैं।

ब्याज दर जोखिम के मुद्रा वार माप व जांच हेतु पारंपरिक अंतराल पद्धति एवं कालिक अंतराल पद्धति दोनों का अनुसरण किया जाता है। ब्याज दर में उतार–चढ़ाव के परिणामस्वरूप एनआईएम पर पड़ने वाले अल्पकालिक प्रभाव को आय वक्र जोखिम, आधार जोखिम व सन्निहित विकल्प जोखिम को ध्यान में रखते हुए जोखिम पर उपार्जन पद्धति के द्वारा हल किया जाता है। ब्याज दर उतार–चढ़ाव के परिणामस्वरूप ईक्विटी के बाजार मूल्य पर पड़ने वाले दीर्घकालिक प्रभाव को भी कालिक अंतराल पद्धति के द्वारा हल किया जाता है। मासिक ब्याज दर की संवेदनशीलता विवरण की समीक्षा आल्को / बोर्ड द्वारा की जाती है।

बैंक ने एएमएल एफ़टीपी सॉफ्टवेयर लिया है एवं इसे कार्यान्वित करने की प्रक्रिया चल रही है।

चलनिधि जोखिम व ब्याज दर जोखिम के दबाव निरीक्षण का संचालन नियमित अंतरालों पर भारतीय रिजर्व बैंक एवं आंतरिक तनाव परिदृश्यों के परिभाषानुरूप किया जाता है, इसके परिणाम का प्रयोग चलनिधि तनाव परीक्षण द्वारा विभिन्न चलनिधि व ब्याज दर परिदृश्यों के अंतर्गत आकस्मिकता निधि योजनाओं को तैयार करने के लिए किया जाता है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुसार बैंक चलनिधि कवरेज अनुपात की संगणना कर रहा है एवं अल्पावधि चलनिधि के प्रबंधन हेतु इसका इस्तेमाल एक जोखिम मापक उपकरण के रूप में कर रहा है। अल्को द्वारा मासिक आधार पर चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) के विवरण की समीक्षा की जाती है।

बाजार जोखिम प्रबंधन

बाजार परिवर्ती में होने वाले परिवर्तनों के परिणामस्वरूप संभावित नुकसान, बाजार जोखिम है। अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) हेतु बैंक ने बाज़ार जोखिम की परिभाषा इस रूप में दी है कि बाजार जोखिम 'ऑन' अथवा 'ऑफ' तुलन पत्र के स्थिति का मूल्य इक्विटी एवं बाजार के ब्याज दर, मुद्रा विनिमय दर तथा कमोडिटी की कीमतों में उतार–चढ़ाव से प्रतिकूल रूप में प्रभावित होगी। इस प्रकार, बाजार जोखिम ब्याज दरों या प्रतिभूतियों, विदेशी मुद्रा और शेयर की कीमतों के बाजार के स्तर में परिवर्तन, साथ ही उन परिवर्तनों की अस्थिरता के कारण बैंक की आय और पूंजी के लिए खतरा है। बाजार जोखिम प्रबंधन का लक्ष्य है, बाजार जोखिम एक्सपोजर से संबंधित वैश्लेषिकी संचालित आदानों, पोर्टफोलियो निष्पादन की तुलना में जोखिम एक्सपोजर और तुलनात्मक मापदण्डों को उपलब्ध कराकर जोखिम समायोजित प्रतिलाभ दर को अधिकतम बढ़ाने में व्यापार इकाइयों की सहायता करना। निम्नलिखित जोखिमों का प्रबंधन बाजार जोखिम के अंतर्गत किया जाता है :

- ब्याज दर जोखिम
- विनिमय दर जोखिम
- ईक्विटी कीमत जोखिम

पण्य कीमत में परिवर्तन व अस्थिरता के कारण भी बाजार जोखिम उभर सकते हैं। यद्यपि, पण्य संबंधी बाजार में बैंक को कोई एक्सपोजर नहीं है।

बाजार जोखिम प्रबंधन (एमआरएम) के अंतर्गत बैंक की रूपरेखा निम्नानुसार है :

क) **जोखिम की पहचान** : इस पॉलिसी ने जोखिम की पहचान और प्रत्येक व्यावसायिक कार्यों की पहचान करके बाजार में जोखिम के विभिन्न आयामों

- As part of Risk Management activities, vetting of credit proposals (except schematic loans) coming under Corporate Office level are undertaken by Risk Management Department.

Asset Liability Management:

Asset liability Management allows the Bank to measure and monitor risk exposures which may arise from both liquidity risk and interest rate risk on its balance sheet. This allows the Bank to provide suitable strategies for asset liability management.

The asset liability management framework consists of the following key components:

- Liquidity risk management
- Interest rate risk management
- Balance sheet and Basel III liquidity ratios
- Stress Testing and scenario analysis
- Contingency funding plan

Bank has set in place ALM policy in view of two primary objectives as listed below:

Short Term Objective:

- To optimize the Net Interest Margin (NIM) of the Bank
- To provide adequate liquidity
- To manage re-pricing risk

Long Term Objective:

- To maximize the shareholders' wealth

Asset Liability Management is the function of Asset Liability Management Committee (ALCO). It operates under the guidance and supervision of the Board and/or Sub-Committee of Board on ALM and Risk Management. It meets at regular intervals to review the interest rate scenario, product pricing for both deposits and advances, maturity profile of the incremental assets and liabilities, demand for Bank funds, cash flows of the Bank, profit planning and overall Balance Sheet Management.

Liquidity risk is measured and monitored through two approaches - Flow approach and Stock approach. Flow approach involves comprehensive tracking of cash flow mismatches and is done through preparation of Structural liquidity statement on a daily basis. Appropriate tolerance levels/prudential limits have been stipulated for mismatches in different time buckets. Under Stock Approach various balance sheet ratios are prescribed with appropriate limits. The compliance of ratios to the prescribed limits ensures that the Bank has managed its liquidity through appropriate diversification and kept it within the sustainable limit. Bank also assesses its short-term liquidity mismatches and reports the same in the short term dynamic liquidity report which represents the cash flow plans of various asset and liability generating units and seasonal variation of cash flow patterns of assets and liabilities of the Bank over a period of 1-90 days.

For measurement and monitoring of Interest rate risk, currency wise, both traditional gap approach and duration gap approaches are followed. The short-term impact of interest rate movements on Net Interest Margin (NIM) is worked out through "Earnings at Risk" approach taking into consideration Yield curve risk, Basis risk and Embedded Options Risk. The long-term impact of interest rate movements on Market Value of Equity is also worked out through Duration Gap approach. The monthly interest rate sensitivity statement is reviewed by ALCO / Board.

Bank has procured ALM FTP software and is in the process of implementing the same.

Stress testing of liquidity risk and interest rate risk is conducted on regular intervals as per RBI defined and internally defined stress scenarios. The results of the same from internal Liquidity stress testing are used to draw contingency funding plan under different liquidity stress scenarios.

In addition to the above, Bank is computing Liquidity coverage ratio as per latest guidelines issued by RBI and is using it as a risk measurement tool to manage short term liquidity. On a monthly basis Liquidity Coverage Ratio (LCR) statement is reviewed by ALCO.

Market Risk Management:

Market risk is the possibility of loss caused by changes in the market variables. The Bank for International Settlements (BIS) defines market risk as "the risk due to which the value of 'on' or 'off' balance sheet positions will be adversely affected by movements in equity and interest rate markets, currency exchange rates and commodity prices". Thus, Market Risk is the risk to the Bank's earnings and capital due to changes in the market level of interest rates or prices of securities, foreign exchange and equities, as well as the volatilities of those changes. The objective of market risk management is to assist the business units in maximizing the risk adjusted rate of return by providing analytics driven inputs regarding market risk exposures, portfolio performance vis-à-vis risk exposures and comparable benchmarks. Following risks are managed under Market Risk.

- Interest Rate Risk
- Exchange Rate Risk
- Equity Price Risk

The market risk may also arise from changes in commodity prices and volatility. However, Bank does not have any exposure to commodity related markets.

Market Risk Management (MRM) Framework of the Bank is as follows:

a) **Risk Identification:** The Policy is focused on setting a framework for identifying, assessing and managing

पर स्पष्टता प्रदान करने के क्रम में जोखिम के आकलन, स्थापन एवं प्रबंधन की रूपरेखा तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया है।

ख) जोखिम माप एवं सीमाएँ : बैंक की मान्यता है कि बाज़ार जोखिम के समस्त पक्षों को केवल एक जोखिम सांख्यिकीय द्वारा दर्शाया नहीं जा सकता है। अतः विभिन्न सांख्यिकीय और गैर सांख्यिकीय जोखिम उपायों का प्रयोग बाजार जोखिम के जोखिम माप की स्थिरता को बढ़ाने के लिए किया जाता है क्योंकि इन जोखिम उपायों को एक साथ लेने से किसी एक उपाय की तुलना में यह बाजार जोखिम की एक अधिक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है। बाजार जोखिम का प्रबंधन विभिन्न मेट्रिक्स यथा मूल्य में जोखिम (वीएआर), आय में जोखिम, पीवी01 सीमाएँ, नेट ओवरनाइट ओपन पोजिसन लिमिट (एनओओपी), इंडिविजुवल गैप लिमिट (आईजीएल) एवं एग्रिगेट गैप लिमिट (एजीएल), मुद्रावार तथा सूक्ष्म विश्लेषण द्वारा भी किया जाता है। बैंक द्वारा जोखिम के अधिकतम किन्तु संभाव्य प्रतिकूल आघातों को मॉनिटर करने हेतु नियमित आधार पर तनाव परीक्षण का भी आयोजन किया जाता है।

ग) जोखिम मॉनिटरिंग : बैंक अपने जोखिम को विभिन्न व्यापार खातों के लिए आंतरिक और नियामक जोखिम सीमा, जो आर्थिक परिदृश्य, व्यापार रणनीति, प्रबंधन का अनुभव एवं बैंक की जोखिम लेने की क्षमता के आधार पर स्थापित है, का उपयोग कर मॉनिटर एवं नियंत्रित करता है। दर स्कैन द्वारा लेन–देन का निष्पादन एवं मौजूदा बाजार दरों का पुनर्मूल्यांकन सुनिश्चित किया जाता है।

घ) जोखिम रिपोर्टिंग : ट्रेजरी परिचालन की निगरानी मिड कार्यालय द्वारा किया जाता है एवं एक दैनिक रिपोर्ट जोखिम प्रबंधन विभाग के प्रमुख को, मासिक (प्रथम पखवाड़ा) आधार पर कार्यपालक निदेशकों/प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी को तथा मासिक (अंतिम पखवाड़ा) आधार पर अल्को को प्रस्तुत किया जाता है। बाज़ार जोखिम के कारण पूंजीगत प्रभार का परिकलन कर उसकी रिपोर्ट तिमाहीवार रूप से अल्को एवं बोर्ड को दी जाती है। तनाव परीक्षण नीति के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित मान्यताओं के अनुरूप बाजार जोखिम के आकलन के लिए तनाव परीक्षण किया जाता है एवं तिमाही आधार पर अल्को को रिपोर्ट किया जाता है।

बाजार जोखिम प्रबंधन को बाजार जोखिम प्रबंधन नीति, निवेश नीति, तनाव परीक्षण एवं व्युत्पन्न नीति द्वारा अनुमोदित एक विशद बोर्ड द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो विभिन्न गतिविधियों में फैले ऐसे जोखिम को जो एक अंतर्निहित बाजार जोखिम को लेकर आगे बढ़ते हैं, उसे बैंक की निर्धारित जोखिम क्षमता के भीतर नीयत करना सुनिश्चित करते हैं।

परिचालन जोखिम

वर्तमान में परिचालन जोखिम उद्योग प्रतिभागियों, विनियामकों एवं अन्य स्टेकधारकों के बीच गहन रुचि का विषय बन गया है। प्रभावी संचालन, जोखिम पर पकड़ और परिचालन जोखिम के एक्सपोजर के मूल्यांकन व मात्रा निर्धारण को सुनिश्चित करने हेतु बैंक में परिचालन जोखिम प्रबंधन फ्रेम वर्क (ओआरएमएफ) व परिचालन जोखिम प्रबंधन प्रणाली (ओआरएमएस) विद्यमान है। दैनिक प्रबंधन प्रक्रियाओं में गुणात्मक व मात्रात्मक उपायों के प्रयोग व आंतरिक नियंत्रण प्रणाली स्थापन के द्वारा तथा विविध जोखिम न्यूनीकरण रणनीति को अंगीकार कर परिचालन जोखिम का सुप्रबंधन किया जाता है। विविध उत्पादों/प्रक्रियाओं में जोखिम बोध का आलोचनात्मक विश्लेषण एवं सुधारात्मक कदम, यदि आवश्यक हों तो, उठाए जाते हैं।

बैंक ने एक परिष्कृत वेब आधारित परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन प्रणाली अपने परिचालन जोखिम को रोकने, नापने, मॉनिटर करने एवं प्रबंध करने हेतु कार्यान्वित किया है। पिछले 5 वर्षों के लिए बैंक द्वारा आंतरिक नुकसान डेटाबेस बनाया गया है।

वर्ष के दौरान ऋण में उछाल द्वारा परिचालन जोखिम की जांच और सांख्यिकीय तकनीक द्वारा परिचालन हानि की आवृत्ति व तीव्रता का विश्लेषण किया गया।

दबाव निरीक्षण फ्रेमवर्क

व्यापक दबाव निरीक्षण फ्रेमवर्क को शुरू किया गया है। बैंक त्रैमासिक आधार पर दबाव निरीक्षण का संचालन करता है जोकि भा.रि.बै. द्वारा निर्धारित परिदृश्यों और साथ ही बैंक के विशेष परिदृश्यों पर आधारित होता है। दबाव निरीक्षण परिणाम विविध शीर्ष स्तरीय समितियों के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण (आईसीएएपी) फ्रेमवर्क

बेसेल फ्रेमवर्क के स्तम्भ II यानि आईसीएएपी, के तहत बैंक ऐसे जोखिमों की पहचान, माप व प्रबंध करता है जोकि स्तम्भ I के अधिकार क्षेत्र में न तो पूरी तरह से आते हैं और न ही आधे एवं यदि आवश्यक हो तो, ऐसे जोखिमों हेतु पूंजी के अतिरिक्त प्रावधान तैयार करता है। योजनाबद्ध व्यापार पूर्वानुमानों के आधार पर आगामी 3 वर्षों हेतु पूंजी मूल्यांकन किया जाता है।

बैंक की आंतरिक पूंजी पर्याप्तता का मूल्यांकन त्रैमासिक आधार पर किया जाता था और इसे विविध शीर्ष स्तरीय समितियों के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

बैंक द्वारा अपनायी गई जोखिम प्रबंधन पद्धति

वर्तमान में बैंक ने ऋण जोखिम हेतु मानक पद्धति, बाजार जोखिम हेतु मानक आवधिक पद्धति एवं परिचालन जोखिम हेतु मूल सांकेतिक पद्धति अपनाई है। ऋण जोखिम पूंजीगत प्रभार की सटीक गणना हेतु एक सॉफ्टवेयर रखा गया है।

बेसल फ्रेमवर्क के अंतर्गत उन्नत पद्धति की ओर जाने हेतु निर्धारित की गई रूपरेखा के अनुसार बैंक आगे बढ़ रहा है।

बेसल III पूंजी विनियमन

बैंक का सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी स्तर काफी अच्छा है और बैंक आवश्यकतानुसार सभी प्रकार की पूँजी बढाने की पर्याप्त क्षमता भी रखता है। बैंक ने 01 अप्रैल, 2013 से प्रस्तवित बेसल III पूँजी विनियमन को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों को अपनाया है। सम्पूर्ण बेसल III की ओर निर्बाध पारगमन सुनिश्चित करने हेतु मार्च 31, 2019 तक पूर्ण कार्यान्वयन के लिए उचित पारगमन प्रबंध की तैयारी कर ली गई है।

बेसल III पूंजी नियमों को पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) के घटकों पर प्रकटीकरणों के वर्धित सेट की आवश्यकता भी है जिन्हें त्रैमासिक आधार पर बैंक के

market risk in order to provide clarity on various dimensions of risk identification and recognition to each of the business functions.

b) **Risk Measurement and Limits:** Bank recognizes that no single risk statistics can reflect all aspects of market risk. Therefore various statistical and non-statistical risk measures are used to enhance the stability of risk measurement of market risk because, taken together, these risk measures provide a more comprehensive view of market risk exposure than any single measure. Market risk is managed with various metrics viz. Value at Risk (VaR), Earnings at Risk, Modified duration, PV01 Limits, Net Overnight Open Position Limits (NOOPL), Individual Gap Limit (IGL) and Aggregate Gap Limit (AGL) currency wise and also through sensitivity analysis. Stress testing is also conducted on a regular basis to monitor the vulnerability of the Bank to extreme but plausible unfavorable shocks.

c) **Risk Monitoring:** Bank monitors and controls its risk, using various internal and regulatory risk limits for trading book which are set based on economic scenario, business strategy, management experience and Bank's risk appetite. Rate scan is carried out to ensure that transactions are executed and revalued at prevailing market rates.

d) **Risk Reporting:** Monitoring of Treasury operations is done by Mid Office and a daily report is put up to Head of the Risk Management Department, Monthly basis (First fortnight) to EDs/MD & CEO and on monthly basis (Last Fortnight) to ALCO. Capital charge on account of Market Risk is computed and reported to ALCO and Board on quarterly basis. Stress testing is done for assessing market risk by following assumptions prescribed in Stress Test Policy and reported to ALCO on Quarterly basis.

Market risk management is governed by comprehensive Board approved Market Risk Management Policy, Investment Policy, Stress testing and Derivative Policy to ensure that the risks spread across different activities and carrying an underlying market risk are within the stipulated risk appetite of the bank. All the policies are benchmarked with industry-best practices and RBI regulations. The risk reporting mechanism in the Bank comprises disclosures and reporting to the various management committees.

Operational Risk:

Operational risk is now the focus of intense interest among industry participants, regulators and other stake holders. The Bank has put in place Operational Risk Management Frame work (ORMF) and Operational Risk Management Systems (ORMS) to ensure effective governance, risk capture and assessment and quantification of operational risk exposure. Operational risk is well managed by using appropriate qualitative and quantitative methods and established internal control systems in day to day management processes and adopting various risk mitigating strategies. The risk perceptions in various products / processes are critically analysed and corrective actions if required, are initiated.

Bank has implemented a sophisticated web-based Operational Risk Management System to capture, measure, monitor and manage its operational risk exposure. Bank has built up internal loss data base for the last 5 years.

During the year, monitoring of operational risk through credit spurt and analysis of frequency and severity of operational loss through statistical technique have been done.

Stress Testing framework:

A comprehensive stress testing framework is put in place. Bank conducts stress test on quarterly basis based on scenarios prescribed by RBI as well as bank specific scenarios. The Stress test results are placed to various apex level committees.

Inter Capital Adequacy Assessment (ICAAP) framework:

Under Pillar II of Basel framework, i.e., ICAAP, the Bank identifies measures and manages the risks that are either not fully captured or not at all captured under Pillar I and if necessary, makes an additional provision of capital for such risks.

Internal Capital adequacy of the Bank was assessed on quarterly basis and placed to the various apex level committees.

Risk Management Approaches adopted by the Bank :

The Bank has presently adopted Standardised Approach for Credit Risk, Standardised Duration Approach for Market Risk and Basic Indicator Approach for Operational Risk. Software is in place for accurate computation of credit risk capital charge.

The Bank has been progressing as per the roadmap laid down for moving over to the advanced approaches under BASEL framework.

Basel III Capital Regulations:

The Bank has fairly high level of Common Equity Tier 1 Capital and also has headroom available for raising all forms of capital in case of need. The Bank has adopted RBI guidelines on the Basel III capital regulations with effect from April 1, 2013. To ensure smooth transition to full Basel III, appropriate transitional arrangements have been made for full implementation as on March 31, 2019.

The Basel III capital rules also require an enhanced set of disclosures on the components of Capital Adequacy Ratio

वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है। बैंक लीवरेज अनुपात एवं चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) फ्रेमवर्क भी दिखा रहा है।

शुरू की गई प्रमुख पहलें

- बैंक ने पूंजी आवश्यकताओं का हल निकालने के लिए बेसल III के दिशा–निर्देशों का पूर्ण कार्यान्वयन किया।
- बैंक द्वारा पूंजी अनुकूलन के विभिन्न क्षेत्रों की पहचान की गई एवं पूंजी अनुकूलन हेतु आवश्यक कदम उठाए।
- परिचालन जोखिम प्रबंधन परियोजना क्षतिग्रस्त डाटा के संग्रहण में अपने उन्नत चरण में है। वाह्य क्षतिग्रस्त डाटा के लिए बैंक ने कोर्डेक्स के साथ एक समझौता किया है। बैंक ने प्रथम चरण के अंश स्वरूप आरएससीए को अपनाया है।
- उन्नत दृष्टिकोण की ओर अग्रसर होने के क्रम में क्रेडिट जोखिम मॉडल विकसित किया जा रहा है। पीडी मॉडलिंग फ्रेमवर्क (चूक की संभावना) का विकास जिस आधार पर किया गया है, उसी आधार पर आईआरबी द्वारा परिभाषित दिशानिर्देशों के अनुसार पीडी का मूल्यांकन परिसंपत्ति वर्ग के लिए किया गया। खुदरा पूलिंग फ्रेमवर्क तथा एलजीडी (चूक से हुई हानि) एवं ईएडी (जोखिम में चूक) फ्रेमवर्क का विकास रीटेल पूल बनाने एवं एलजीडी तथा ईएडी का मूल्यांकन करने के लिए विकसित किया जा रहा है।
- बैंक द्वारा ऋण जोखिम मॉडल के विधिमान्यकरण का फ्रेमवर्क प्रस्तुत कर दिया गया है जिसमें विभिन्न गुणात्मक और मात्रात्मक परीक्षण शामिल है, जिसका प्रयोग इसके नियामक अनुपालन के साथ–साथ समर्थ एवं प्रभावी जोखिम मॉडल प्रबंधन को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। इस फ्रेमवर्क का उपयोग आंतरिक रेटिंग मॉडलों के मात्रात्मक एवं गुणात्मक सत्यापन का संचालन करने हेतु किया गया एवं रेटिंग मॉडलों के विभेदकारी शक्ति में सुधार हेतु मॉडल में उसके अनुसार परिवर्तन किया गया।
- बैंक द्वारा प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम एवं रणनीतिक जोखिम प्रबंधन नीतियाँ तैयार की गई तथा प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम एवं रणनीतिक जोखिम की माप के लिए स्कोर कार्ड विकसित किया गया।
- प्रशिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से स्टाफ को हर स्तर का प्रशिक्षण देकर जोखिम सुधार को सन्निहित किया जा रहा है।

मानव संसाधन प्रबंधन (मा.सं.प्र.)

श्रमशक्ति स्थिति*

31-03-2016 को बैंक की श्रमशक्ति स्थिति निम्नानुसार थी :

संवर्ग	कुल	ओबीसी	अजा	अजजा	पुरुष	महिला
अधिकारी	9436	1617	2004	757	7190	2246
लिपिक	9404	2115	2040	396	5604	3800
सब स्टाफ	1234	141	412	59	1160	74
कुल	20074	1291	4456	1212	13954	6120

(* - घरेलू के अतिरिक्त पीटीएस)

भर्ती अभियान

- उत्तराधिकार योजना के अंग के रूप में सेवानिवृत्त, शाखा विस्तार एवं व्यापार में विस्तार की वजह से रिक्त पदों को भरने के लिए बैंक द्वारा उभरते व्यापार की जरूरतों के अनुरूप विभिन्न श्रेणियों से लोगों की नियुक्ति की गई है।
- वर्ष के दौरान बैंक ने 317 परिवीक्षाधीन अधिकारियों की नियुक्ति की। बैंक द्वारा विभिन्न कार्य क्षेत्रों में 116 विशेषज्ञ अधिकारियों की भी भर्ती की गई।
- वर्ष के दौरान 928 लिपिकों की नियुक्ति की गई।
- वर्ष के दौरान बैंकिंग सेवा में एक सशस्त्र गार्ड की नियुक्ति की गई।

अजा/अजजा/ओबीसी/पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों के लिए कल्याण उपाय:

- भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति (अजा), अनुसूचित जनजाति (अजजा), अन्य पिछडे वर्गों (ओबीसी) और शारीरिक रूप से विकलांग (पीडब्ल्यूडी) उम्मीदवारों को आरक्षण प्रदान किए जाते हैं। सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति (अजा)/अनुसूचित जनजाति (अजजा)/शारीरिक रूप से विकलांग (पीडब्ल्यूडी) को पदोन्नतियों में आरक्षण दिए जाते हैं। अखिल भारतीय इंडियन बैंक अजा/अजजा कर्मचारी कल्याण संघ के साथ आवधिक बैठकें की जाती हैं और शिकायतों का, यदि हो, निवारण तत्काल किया जाता है।
- कार्पोरेट कार्यालय/मासंप्र विभाग में अजा/अजजा कल्याण कक्ष/आरक्षण कक्ष भी अजा/अजजा कर्मचारियों की शिकायतों/अभ्यावेदनों का तत्काल निपटान सुनिश्चित करता है। अजा/अजजा संवर्ग के कर्मचारियों के हितों की देखरेख के साथ ही पीडब्ल्यूडी/भूतपूर्व कर्मचारी के कल्याण हेतु मुख्य संपर्क अधिकारी के रूप में एक महाप्रबंधक को नामित किया गया है। ओबीसी संवर्ग के कर्मचारियों के हितों की देखरेख हेतु मुख्य संपर्क अधिकारी के रूप में एक अन्य महाप्रबंधक को नामित किया गया है।

क्षमता वर्धक पहलें

क्षमता वर्धन एक ऐसी सतत एवं अनोखी प्रक्रिया है, जो कर्मचारियों को ज्ञान प्रदान कर एवं उन्हें पेशेवर कौशल में प्रखर बनाकर उनके संभाव्य प्रतिभा को निखारती है। बैंक में क्षमता वर्धन की शुरुआत चेन्नै में स्थित 'उत्कर्ष एवं विकास हेतु इंडियन बैंक प्रबंध अकादमी (इमेज)' नामक सर्वोच्च प्रशिक्षण कॉलेज के नेतृत्व किया गया जो अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं के साथ एक आईएसओ प्रामाणिक 9001–2008 संस्था है, इसके बैंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नै, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, तंजावुर, तिरुवनन्तपुरम एवं विजयवाड़ा में नौ सहायक प्रशिक्षण केंद्र हैं।

वर्ष 2015–16 के दौरान आंतरिक एवं बाह्य प्रशिक्षण प्रणाली के अंतर्गत 10391 प्रशिक्षार्थीयों को प्रशिक्षित किया गया जिसमें 6122 अधिकारीगण, 3924 लिपिक एवं 339 अधीनस्थ कर्मचारी सम्मिलित थे। कॉर्पोरेट क्रेडिट, एमएसएमई वित्त एवं विदेशी मुद्रा व्यापार के क्षेत्र में प्रतिभा सेतु के निर्माण हेतु इमेज द्वारा विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

ई–पहलें

प्रतिभा प्रबंधन प्रशिक्षण के अंग स्वरूप विभिन्न ई–पहलों के माध्यम से स्व–अधिगम तंत्र प्रशिक्षण प्रणाली विकसित की गई है। इमेज पोर्टल पर **ई–जर्नल 'नॉलेज**

(CAR) which are published on quarterly basis on Bank's website. Bank is also disclosing leverage ratio and Liquidity Coverage Ratio (LCR) Framework.

Major initiatives undertaken

- Bank has worked out capital requirements till full implementation of Basel III guidelines.
- Bank has identified various areas of capital optimization and has taken necessary steps to optimize the capital.
- Operational Risk Management project is in advanced stage with collation of internal loss data. For external loss data, Bank has entered in to an agreement with CORDEX. Bank has rolled out RCSA as part of phase I implementation.
- In order to migrate to advanced approach, Credit Risk Models are being developed. PD (Probability of Default) Modeling framework has been developed on the basis of which PD has been estimated for Corporate Asset Class defined as per IRB guidelines. Retail Pooling Framework and LGD (Loss Given Default) and EAD (Exposure at Default) framework is being developed to create retail pools as well estimate LGD and EAD.
- Credit risk Model Validation Framework has been introduced in the bank which covers various qualitative and quantitative tests that should be undertaken with a view to regulatory compliance as well as to define sound and efficient credit risk model management. This framework has been used to conduct quantitative and qualitative validation of Internal rating models and changes done in the models accordingly for improving the discriminatory power of rating models.
- Bank has formulated reputation risk and strategic risk management policies and developed score card for measurement of reputation risk and strategic risk.
- Risk culture is being embedded through training of staff at all levels through training process.

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT (HRM)

Manpower Position*

The position of manpower in the Bank as on 31.03.2016 is as follows:

CATEGORY	TOTAL	OBC	SC	ST	MALE	FEMALE
OFFICERS	9436	1617	2004	757	7190	2246
CLERKS	9404	2115	2040	396	5604	3800
SUB STAFF	1234	141	412	59	1160	74
TOTAL	20074	1291	4456	1212	13954	6120

(* - Domestic excluding PTS)

Recruitment Drive

- As part of succession planning, to fill up vacancies caused on account of superannuation, branch expansion and business growth, the Bank has undertaken recruitment of manpower in various categories in line with emerging business needs.
- During the year, Bank recruited 317 Probationary Officers. The Bank also recruited 116 Specialist Officers in different functional areas.
- 928 clerks were recruited during the year.
- 1 Armed Guard was recruited in the services of the Bank during the year.

Welfare Measures for SC/ST/OBC/PWD Employees

- As per Government of India's guidelines, reservations are provided to Scheduled Castes (SCs), Scheduled Tribes (STs), Other Backward Classes (OBCs) and Persons with Disability (PWD) candidates in Direct Recruitment. Reservations for SC/ STs in Promotions are provided as per Government guidelines.
- Periodical Quarterly Meetings with All India Indian Bank SC/ST Employees' Welfare Association are conducted and grievances, if any are resolved immediately. The SC/ST Welfare Cell / Reservation Cell at CO/HRM also ensures prompt disposal of grievances / representations (if any) of SC/ST employees. One General Manager has been nominated as Chief Liaison Officer (CLO) to look after the interest of employees belonging to SC/ST and another GM is nominated as CLO for OBC employees.

Capacity Building Initiatives

Capacity building is a continuous and unique process which unlocks the employees' latent potential by imparting knowledge and sharpening their professional skills. The Bank's Capacity building initiatives spearheaded by the apex Training College viz. Indian Bank Management Academy for Growth & Excellence (IMAGE), an ISO 9001-2008 certified Academy with state of the art training facilities, located in Chennai, supported by 9 Staff Training Centres, Bangalore, Chandigarh, Chennai, Delhi, Kolkata, Mumbai, Thanjavur, Thiruvananthapuram and Vijayawada.

During the year 2015-16, 10391 trainees were covered under in-house and external training comprising of 6122 officers, 3924 clerks and 345 substaff. Specialised programs were also conducted by IMAGE for creation of Talent Pool in Corporate Credit, MSME Finance and Forex Business.

e-Initiatives

As a part of Talent Management Exercise, the Training System has developed a Self- Learning Mechanism through several e-initiatives. The e-journals `Knowledge Bank' and `Banking

बैंक' एवं 'बैंकिंग अपडेट' को पोर्ट किया जाता है एवं इसे इंटरनेट/इंट्रानेट के माध्यम से 24X7 उपलब्ध कराया जाता है। जहाँ **'नॉलेज बैंक'** में संकाय सदस्यों द्वारा बैंकिंग एवं अर्थव्यवस्था के समकालीन मुद्दों पर लिखे गए लेख सम्मिलित किए गए हैं, वहीं **'बैंकिंग अपडेट'** बैंकिंग उद्योग एवं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हो रहे हाल की घटनाओं से अवगत करवाता है। **'ई–क्वेस्चन बैंक'** इस प्रशिक्षण प्रणाली की एक और नई **'ई–पहल'** है। इसमें रोज़मर्रा की बैंकिंग परिचालन के पहलुओं से संबंधित समस्त महत्वपूर्ण विषयों पर बहुविकल्पी प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं तथा इसे निर्मित कर इमेज पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है, जिसे कोई भी कर्मचारी कभी भी और कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। यह ई–पहल समस्त कर्मचारियों को उनके ज्ञान कौशल का परीक्षण अपने सहूलियत एवं सुविधानुसार करने में सक्षम बनाता है। बैंक ने वर्ष 2016 के दौरान तीन **'ऑन–लाइन टेस्ट'** का आयोजन किया एवं इस टेस्ट में जो अंक प्राप्त हुए उसपर वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) में विशेष रूप से गौर किया गया।

अनुसंधान एवं विकास

इमेज ने एक अलग अनुसंधान एवं विकास विंग स्थापित किया गया एवं विभिन्न अध्ययन परियोजनाओं का संचालन किया जैसे बढ़ती ब्याजेतर आय के लिए उपाय, चेन्नै दक्षिण और उत्तर की घाटे में चल रही शाखाओं में परिवर्तन के लिए रणनीति, कुल व्यय अनुपात में परिचालन खर्च को कम करने की रणनीति आदि। इमेज ने सहकर्मी बैंकों के साथ उत्पाद का तुलनात्मक अध्ययन भी किया, जैसे कृषि, एमएसएमई एवं खुदरा उत्पादों के भविष्य में मूल्य संवर्धन की गुंजाइश का पता लगाने तथा बैंक के उत्पादों के यूएसपी (विशिष्ट विक्रय गुण) पर प्रकाश डालने के लिए।

औद्योगिक संबंध

- बैंक का उच्च प्रबंधन, कर्मचारी संघों और अधिकारी संघों के साथ समय–समय पर आपसी संवाद करता है तथा कारोबार में वांछित वृद्धि के परिणामस्वरूप उनकी प्रतिक्रिया सकारात्मक है एवं प्रबंधन तथा यूनियनों/संघों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखा गया है।

सैप (एस ए पी)

सैप एचआर सॉफ्टवेयर का उपयोग एचआरएमएस के एक अंग के रूप में एचआर संबंधी गतिविधियों के लिए कर रहा है। पदोन्नति, स्थानांतरण व प्लेसमेंट जैसे क्षेत्रों में निर्णय समर्थन प्रणाली के रूप में एचआरएमएस का प्रयोग किया जाता है।सम्पूर्ण कार्यबल को प्रौद्योगिक उन्नति का लाभ पहुँचाने से संबंधित मूल्यांकन करने और मानव संसाधन से संबंधित मामलों में कागज रहित प्रक्रिया के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु इंट्रानेट के माध्यम से मानव संसाधन प्रबंधन की संलागी वेबसाइट होस्ट की गई है।

सैप – कार्यान्वयन टीम द्वारा स्टाफ सदस्यों के उपयोग हेतु कई ऑनलाइन आवेदनों का प्रारम्भ एवं प्रवर्तन किया गया है।

स्टाफ कल्याण उपाय

- बैंक की केन्द्रीय कल्याण समिति कर्मचारियों के लिए उपलब्ध कल्याण योजनाओं की समीक्षा निरंतर करती रहती है और उसकी सिफारिशों के आधार पर उनमें सुधार किए जाते हैं।

ग्राहक सेवा

बैंक ग्राहकों की सेवा हेतु उनके शिकायत निवारण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का प्रयास करता है। एक प्रौद्योगिक हितैषी बैंक होने के नाते, बैंक व्यक्तिगत सेवा के साथ प्रौद्योगिकी को जोड़ती है।

शिकायत निवारण की विधियां

मानकीकृत लोक शिकायत निवारण प्रणाली (SPGRS) के अतिरिक्त बैंक ने ग्राहकों के शिकायत के निवारण हेतु त्वरित पहुँच के लिए निम्नलिखित विभिन्न शिकायत निवारण प्रणाली की शुरुआत की है

- समस्त शाखाओं में शिकायत रजिस्टर रखा जाता है।
- सभी शाखाओं के बैंकिंग हॉल में शिकायत एवं सह सुझाव पेटी रखी गयी है।
- टोल फ्री नंबर 180042500000 के साथ 24x7 एकीकृत कॉल सेंटर उपलब्ध किया गया है।
- ग्राहक अपनी शिकायत निम्नलिखित ई–मेल के जरिए भेज सकते हैं – ibhocustomerservice@indianbank.co.in, customercomplaints@indianbank.co.in; nodalofficer@indianbank.co.in; customerfirst.cmd@indian-bank.com.
- यदि कोई ग्राहक किसी भी मोबाइल से 56677 नंबर पर 'complaint' मैसेज भेजता है तो बैंक का अधिकारी उसके शिकायत को सुनने के लिए उसे वापस कॉल करेगा।

मुख्य ग्राहक सेवा अधिकारी की नियुक्ति (आंतरिक लोकपाल)

- बैंक ने अपना ध्यान अच्छी ग्राहक सेवा प्रदान करने एवं ग्राहकों की खुशी सुनिश्चित करने पर केन्द्रित की है। इस दिशा में बैंक ने श्री सुरेश चन्द्र शर्मा को बैंक के मुख्य ग्राहक सेवा अधिकारी (आंतरिक लोकपाल) के रूप में नियुक्त किया है।

मुख्य ग्राहक सेवा अधिकारी (आंतरिक बैंकिंग लोकपाल)	सुरेश चन्द्र शर्मा
कार्यालय का पता	इंडियन बैंक कॉर्पोरेट कार्यालय 254-260, अवै षण्मुगम सालै रायपेट्टा, चेन्नै – 600 014
ई–मेल आई डी	ccso@indianbank.co.in

- आंतरिक बैंकिंग लोकपाल (मुख्य ग्राहक सेवा अधिकारी) की नियुक्ति का उद्देश्य आंतरिक शिकायत निवारण व्यवस्था को को सुदृढ़ बनाना है।
- सीसीएसओ बैंक की आंतरिक शिकायत निवारण व्यवस्था में ग्राहकों के विश्वास में वृद्धि करने हेतु सहायता करेगा तथा शिकायतों का निपटान आंतरिक व्यवस्था के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित करेगा।

Updates are ported in the IMAGE portal and made available 24x7 thorough internet/intranet. While `Knowledge Bank' contains articles contributed by Faculty members on contemporary issues of banking and economy, `Banking Updates' elucidates the recent happenings in the banking industry and economy. Yet another new `e-initiative' of the Training System is the`e-Question Bank'. This contains multiple choice questions on all important topics relating to the operational aspects of day-to-day banking, prepared and uploaded in the IMAGE portal, which can be accessed by any employee, anywhere and anytime. This e-initiative enables all employees to test their knowledge skills at their convenience and comfort. Bank has also conducted three `on-line tests' during March 2016 and the marks obtained in these tests were considered for the Annual Performance Appraisal Report (APAR).

Research & Development

IMAGE has set up a separate Research and Development Wing and conducted various study projects viz. Avenues for increasing Non Interest Income, Strategies for turnaround of Loss Making Branches of Chennai South and North and Strategies to reduce operating expenses to total expenditure ratio etc.. IMAGE also carried out product comparison study with peer Banks viz. Agri, MSME and Retails products to explore the scope for further value addition and highlighted the USPs (Unique Selling Points) of the Bank's products.

Industrial Relations

- The Top Management of the Bank interacts with the leaders of Employees' Unions, Officers' Associations and their response is positive resulting in desired growth in business and cordial relationship between the Management and the Unions/Associations.

SAP

SAP HR software is being put to use for HR related activities as part of HRMS. The HRMS is used as decision support system in areas like promotion, transfer, placement. As a measure of extending technological advancement to the entire workforce and in aiming to achieve a paperless processing of HR related issues, a cohesive web-site for Human Resources Management through Intranet has been hosted.

SAP – Implementation team has initiated and launched several applications online for use by the staff members.

Staff Welfare Measures

- The Central Welfare Committee of the Bank constantly reviews the welfare schemes available to the employees and improvements are being made based on their recommendations.

CUSTOMER SERVICE

Bank gives top priority to grievance redressal in its effort to serve the customers. Being a tech friendly bank, the Bank combines technology with personalised service.

Modes of Grievance Redressal

The Bank has introduced various modes of grievance redressal to enable quick access to the customers for redressing their grievances in addition to Standardised Public Grievance Redress System (SPGRS) as below:

- Complaint register is maintained at all the branches.
- Complaint cum suggestion box is placed in the banking halls of all the branches.
- Integrated Call centre with Toll free number 180042500000 is available 24x7
- Customers can lodge complaint through e-mail at ibhocustomerservice@indianbank.co.in, customercomplaints@indianbank.co.in; nodalofficer@indianbank.co.in; customerfirst.cmd@indian-bank.com.
- If any customer sends the message 'complaint' to the number 56677 from any mobile, the officer from the Bank will call back to hear the grievance.

Appointment of Chief Customer Service Officer (Internal Ombudsman)

- Bank focuses on providing a good customer service for ensuring customer delight. In this direction, the Bank has appointed Shri. Suresh Chandra Sharma as Chief Customer Service Officer (Internal Ombudsman) of the Bank.

Chief Customer Service Officer (Internal Ombudsman)	Shri Suresh Chandra Sharma
Office Address	Indian Bank Corporate Office 254-260, Avvai Shanmugam Salai Royapettah, Chennai – 600 014
E-mail ID	ccso@indianbank.co.in

- The appointment of the Internal Banking Ombudsman (Chief Customer Service Officer) aims at strengthening the Internal Grievance Redressal Mechanism.
- The CCSO shall help in strengthening customer confidence in the Internal Grievance Redressal Mechanism in the Bank and to ensure that the grievances are settled through internal mechanism.

मानकीकृत जन शिकायत निवारण व्यवस्था

- भारत सरकार के दिशानिर्देशानुसार, बैंक ने 18–02–2013 से मानकीकृत जन शिकायत निवारण प्रणाली का शुभारंभ किया है। बैंक ने मानकीकृत जन शिकायत निवारण प्रणाली (एसपीजीआरएस) हेतु एक इन हाउस सॉफ्टवेयर विकसित किया है। सिस्टम की निम्नलिखित अनुपम विशेषताएँ हैं।
- ग्राहक बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध एसपीजीआरएस के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
- शिकायत में उन दस्तावेजों को संलग्न किया जा सकता हैं जिन्हें वह शिकायत के साथ बैंक को उपलब्ध कराना चाहता/चाहती है।
- दर्ज की गई शिकायत हेतु तुरंत ही सिस्टम द्वारा निर्मित पावती शिकायतकर्ताओं के मोबाइल नं. /ई मेल आई डी पर भेजी जाती है।
- एसपीजीआरएस में शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज की गई शिकायत की स्थिति को शिकायत संख्या जोकि शिकायत दर्ज करते समय उपलब्ध कराई गई थी, के माध्यम से जाना जा सकता है।
- शिकायत का समाधान हो जाने पर प्रतिउत्तर/शिकायत का समाधान ई–मेल आई डी/मोबाइल नं. पर भेजा जाता है।
- ग्राहकों द्वारा शाखा के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराए जाने पर संबन्धित शाखा प्रबन्धकों को शिकायतों पर तुरंत ध्यान देने हेतु समर्थ बनाने के लिए एसएमएस भेजे जा रहे हैं।
- अंचल कार्यालयों में नियुक्त अधिकारी को लंबित शिकायतों की संख्या तथा बढ़ती हुई शिकायतों की सूचना देते हुए उनके तुरंत निवारण हेतु शाखाओं से जांच करने के लिए दैनिक आधार पर एसएमएस भेजे जाते हैं।
- विभिन्न प्रणालियों के माध्यम से प्राप्त की गई शिकायतों को एसपीजीआरएस में समेकित किया जाता है।
- स्कैन प्रतियां/दस्तावेज जवाब अथवा शिकायत के समाधान के साथ शिकायतकर्ता को भेजी जा सकती हैं।
- ग्राहक सेवा शिकायत निवारण के अलावा सूचना के प्रसार, पारदर्शिता, ग्राहक केन्द्रस्थता आदि क्षेत्रों में भी सेवाएँ उपलब्ध कराता है तथा ग्राहक प्रतिक्रिया व बैंक के प्रयास नियमित रूप से सेवाओं को अद्यतित करते हैं एवं उन्नत ग्राहक सेवा की ओर अभिमुख हैं।
- बैंक भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) का सदस्य है जिसने ग्राहक/एमएसई सेवा संबंधी प्रतिबद्धता कूटों को अक्षरशः कार्यान्वयन करने के लिए अपनाया है।

ग्राहक दिवस

- बैंक ने अपने स्थापना दिवस समारोह के एक भाग के रूप में 24–08–2015 को सभी शाखाओं में एकरूपता से ग्राहक दिवस मनाया। ग्राहकों की एक बढ़ी संख्या ने ग्राहक दिवस/ग्राहक बैठक में भाग लिया। कई ग्राहकों ने शाखाओं में ग्राहक सेवा के सुधार हेतु मूल्यवान सुझाव दिए तथा व्यवहार्य सुझावों को कार्यान्वित किया गया।

नियामक बैठकें/नोट्स

- ग्राहक सेवा से संबन्धित नियामक/अनिवार्य बैठकों का समय–सारणी के अनुसार आयोजन किया गया।
- कैलेंडर समीक्षा के अनुसार बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति की समीक्षाओं को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

नियामक प्राधिकारियों की टिप्पणियाँ

- वार्षिक कूट समीक्षा में जोखिम आधारित पर्यवेक्षण तथा बीसीएसबीआई में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कोई भी प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई। बैंकिंग लोकपाल ने वर्ष के दौरान परिचालनात्मक मामलों में कुछ गौण निदेशों के अतिरिक्त बैंक के विरुद्ध कोई अधिनिर्णय पारित नहीं किया है।

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005

- सूचना अधिकार अधिनियम के तहत बैंक द्वारा प्राप्त आवेदनों/प्रथम अपीलों/द्वितीय अपीलों पर ग्राहक सेवा कक्ष में एक स्वतंत्र डेस्क कार्य करता है। सूचना अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन पर संसदीय समिति द्वारा दी गई सलाह के अनुसार बैंक ने शुरू से ही एकल खिडकी दृष्टिकोण अपनाया है।
- बैंक ने वर्ष 2015–16 की अवधि के दौरान सूचना अधिकार अधिनियम के तहत 2495 आवेदन, 312 प्रथम अपील और 52 द्वितीय अपील प्राप्त किए। सभी सूचना अधिकार आवदेनों/अपीलों को निर्धारित अवधि के भीतर निपटाया गया है।

विदेशी मुद्रा कारोबारः

- वर्ष के दौरान बैंक ने ₹23,936 करोड के फोरेक्स व्यापार का संचालन किया है। इसमें निर्यात और अन्य आंतरिक विप्रेषण ₹10,147 करोड़ के थे तथा आयात और अन्य बाहरी विप्रेषण ₹13,789 करोड़ के थे।
- वर्ष के दौरान बैंक का कुल अंतर बैंक फोरेक्स बाजार टर्नओवर ₹265,800 करोड रुपए रहा।
- बैंक की 94 शाखाएँ फोरेक्स व्यापार का संचालन करने के लिए प्राधिकृत हैं तथा अन्य सभी शाखाएँ गैर प्राधिकृत शाखाओं के रूप में कार्य करती हैं और वे इन प्राधिकृत शाखाओं के माध्यम से ग्राहकों की विदेशी विनिमय संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। बैंक की 71 देशों में 223 बैंकों के साथ संपर्की व्यवस्थाएँ उपलब्ध हैं।

Standardised Public Grievance Redress System

- As per the directions of Government of India, Bank has launched the Standardised Public Grievance Redress System w.e.f 18.02.2013. Bank has developed in-house software for Standardised Public Grievance Redress System (SPGRS). The system has the following unique features:
- Customer can register the complaint online through the SPGRS site provided in the web site of the Bank.
- The complainant can attach scanned copies of documents which he/she wants to provide to the Bank along with the complaint.
- The complainant gets instant acknowledgement with a system generated complaint number to their mobile / e-mail id.
- The complainant may get the status of the complaint lodged by him in SPGRS by giving the complaint number provided to him on registering the complaint.
- On resolution of the complaint reply / resolution for the complaint are sent to the e-mail id /mobile number
- SMS is being sent to the Branch Manager concerned on porting a complaint by a customer against their Branch for enabling them to attend the complaint immediately.
- SMS to the designated officer at Zonal Offices sent on daily basis informing the number of pending complaints and escalated complaints for follow up with the Branches for immediate redressal.
- Complaints received through various modes are integrated with SPGRS.
- Scanned copies / documents can be sent to the complainant along with the reply.
- Customer service extends beyond grievance redressal to areas such as Information Dissemination, Transparency, Customer Centricity and Customer Feedback and the Bank endeavors to continuously upgrade the services and orient towards improved customer services.
- Bank is a member of the Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI) having adopted the Codes of Commitment to Customers/MSE for implementation in letter and spirit.

Customer Day:

- Bank celebrated Customers' Day uniformly at all the Branches on 24.08.2015 as part of its Founding Day celebrations. Large number of Customers participated in the Customers' Day/Customer meets. Many customers had given valuable suggestions for improvement of customer Service in the Branches and the feasible suggestions were implemented.

Regulatory Meetings / Notes:

- Regulatory/ Mandatory Meetings relating to Customer Service held as per the schedules.
- Reviews to the Customer Service Committee of the Board / Board were placed to Board as per the calendar of Reviews.

Regulatory Authorities Observations:

- No adverse remarks by RBI in the Risk Based Supervision and BCSBI in the Annual Code Review. No awards have been passed by the Banking Ombudsman (BO) against the Bank during the year excepting a few minor directions issued by BO for the operational issues.

RIGHT TO INFORMATION (RTI) Act 2005

- A separate desk attached to Customer Service Cell at Corporate Office is handling the applications, first appeals/ second appeals received by the Bank under the RTI Act. Since its inception, Bank has been adopting a single window approach as suggested by the Parliamentary Committee on implementation of RTI Act.
- Bank received 2495 applications, 312 first appeals and 52 second appeals under the RTI Act during FY 2015-16. All RTI applications/appeals were disposed off within the stipulated time.

FOREX BUSINESS

- The turnover in Foreign Exchange business of the Bank amounted to ₹ 23,936 Crore during the year. Of this, export and other inward remittances amounted to ₹10,147 Crore, while imports and other outward remittances amounted to ₹ 13,789 Crore.
- During the year, the total turnover in the interbank forex market amounted to ₹ 265,800 Crore.
- 94 branches of the Bank are authorised to handle forex business and all other branches are considered as Non-authorised branches and they cater to the Foreign Exchange need of their clients through these Authorised Branches. The Bank has Correspondent Arrangements with 223 banks in 71 countries.

- एफसीएनआर/एनआरई जमाएँ: विदेशी मुद्रा अनिवासी (एफसीएनआर) खातों का संचालन करने के लिए 483 शाखाएँ प्राधिकृत हैं। अनिवासी भारतीय (एनआरआइ) जमाओं में पिछले वर्ष के ₹ 7681 करोड से 8744 करोड तक की वृद्धि के साथ 13.85 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है।

विप्रेषण

- सिंगापुर से बैंक की उद्यम विप्रेषण योजना के तहत सिंगापुर में निधि की प्राप्ति के बाद मिनटों में विदेशी प्रेषणों के बराबर रुपए भारत में ग्राहक के खातों में क्रेडिट किए जाते हैं और क्रेडिट की सूचना देते हुए सिंगापुर में प्रेषणकर्ता को एक एसएमएस संदेश अग्रेषित किया जाता है। यह सुविधा सप्ताह के सभी दिन उपलब्ध है।

- स्विफ्ट आधारित सामान्य धन अंतरण के अलावा बैंक द्वारा एनआरआई को दी जानेवाली अन्य प्रेषण सुविधाओं में ''एक्स्प्रेस मनी'', ''मनीग्राम'' तथा ''वेस्टर्न युनियन मनी ट्रान्सफर'' सुविधाएं हैं।

- 8 एक्सचेंज गृह, यथा मेसर्स यूएई एक्सचेंज सेंटर एलएलसी – अबुधाबी, यूएई एक्सचेंज सेंटर डब्ल्युएलएल – कुवैत, ओमन यूएई एक्सचेंज सेंटर एंड कं. एलएलसी – ओमन, अल जमन एक्सचेंज डब्ल्युएलएल – कतर, जीसीसी एक्सचेंज – दुबई, बेलहासा ग्लोबल एक्सचेंज – दुबई, अल दार फार एक्सचेंज – कतर, अल घुरैर एक्सचेंज एलएलपी – दुबई के साथ इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण व्यवस्था प्रवर्तित की गई है। मेसर्स अल रजही बैंक, साउदी अरेबिया के साथ प्रेषण व्यवस्था पहले से ही प्रवर्तित की जा चुकी है और यह सफलतापूर्वक चल रही है।

अंतर्राष्ट्रीय परिचालन

- विदेश में बैंक की तीन शाखाएं सिंगापुर, कोलंबो एवं जाफना में स्थित है। 31 मार्च 2016 को विदेशी शाखाओं की कुल जमा एवं अग्रिम राशि (सकल) क्रमशः ₹5634.16 करोड और ₹ 5545.34 करोड थी।

- वर्ष1941 में स्थापित की गई सिंगापुर शाखा ने अद्यतन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए विविध बैंकिंग सेवाएं प्रदान करके पहचान बनाई है और अपनी साख बढाकर ग्राहक विश्वास प्राप्त किया है। शाखा अब अपना कारोबार दो लेखा इकाइयों में कर रही है– सिंगापुर डॉलर कारोबार के लिए डोमेस्टिक बैंकिंग यूनिट (डीबीयू) और सिंगापुर डॉलर के अलावा अन्य मुद्राओं में कारोबार हेतु ऐशियन करेन्सी यूनिट (एसीयू)।

- कोलंबो शाखा, जो वर्ष 1932 में स्थापित की गई, व्यापार वित्त प्रदान करने में सक्रिय रूप से भागीदार है। विदेशी मुद्रा बैंकिंग इकाई (एफसीबीयू) कोलंबो, ऑफशोर बैंकिंग परिचालन में लगी है।

- जाफना शाखा, जो वर्ष 2011 में स्थापित की गई, जाफना क्षेत्र के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

सिंगापुर शाखा में मिसिस सॉफ्टवेयर का अद्यतनीकरण

- सिंगापुर शाखा 2008 व 2010 में अद्यतन किए गए अन्य सॉफ्टवेयर के अतिरिक्त मिसिस कोर बैंकिंग पैकेज एंड इक्वेशन का उपयोग कर रही है। शाखा 2.44 मिलियन सिंगापुर डॉलर (11.47 करोड़ भारतीय रुपये के बराबर) में सॉफ्टवेयर का अद्यतनीकरण कर रही है। अद्यतन किया हुआ नया सिस्टम राजकोष परिचालनों (फ्रंट ऑफिस) के कंप्यूटरीकरण, कोर बैंकिंग के साथ बैक ऑफिस एवं मिड ऑफिस का एकीकरण, एनपीए तथा वेब आधारित क्लाइंट एप्लिकेशन का स्वचालन आदि अतिरिक्त सुविधाओं को शामिल करते हुए एकीकृत करेगा।

- इस सॉफ्टवेयर को सिंगापुर के मुद्रा प्राधिकारी (एमएएस), भारतीय रिजर्व बैंक तथा कॉर्पोरेट कार्यालय की रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। पिछले वर्षों के महत्वपूर्ण डेटा को भविष्य में आवश्यकतानुसार पुनः प्राप्त किया जा सकता है।

- यह सॉफ्टवेयर चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है तथा इसका पूर्ण रूप से परिचालन 3 महीने के अंदर होना अपेक्षित है।

यूएई में एनआरआई ग्राहकों को वेलकम किट

- अबुधाबी में बैंक के प्रतिनिधियों द्वारा यूएई में एनआरआई खातों को तुरंत खोलने के लिए बैंक ने एक इन हाउस एप्लिकेशन तैयार की है।

- इन हाउस एप्लिकेशन के माध्यम से, खाता खोलने की प्रक्रिया सरल हो गई है जिसमें ग्राहक की सम्पूर्ण जानकारी यूएई के प्रतिनिधियों द्वारा सुरक्षित रखी जाएगी तथा खाता खोलने की प्रक्रिया व सक्रियण प्रक्रिया तुरंत हो जाएगी। खाता खोलने पर ग्राहकों को चेक बुक, एटीएम कार्ड, पैम्फ़लेट इत्यादि को शामिल करते हुए एक वेलकम किट जारी की जाएगी।

म्यांमार में शाखा की शुरुआत

- बैंक म्यांमार में एक प्रतिनिधि शाखा खोलने की तैयारी में है।

प्रौद्योगिकी पहल

सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी

बैंक ने व्यापार के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु प्रौद्योगिकी में नवीनता व प्रगति एवं उन्नतियों का अनुकूलतम उपयोग करते हुए ग्राहकों की आवश्यकता के अनुरूप

- FCNR/NRE Deposits: 483 branches are authorised to handle Foreign Currency Non-Resident (FCNR) Accounts. Non Resident Indian (NRI) Deposits recorded a growth of 13.85 per cent at ₹ 8744 Crore as compared to ₹ 7681 Crore in the previous year.

REMITTANCES

- Enterprise Remittances Scheme from Singapore offers instant credit to customer accounts in India with rupee equivalent of the foreign remittances within minutes of receipt at Singapore Branch and an SMS message is forwarded to the remitter at Singapore informing the credit. The facility is available on all days of the week.

- Other remittance facilities offered by the Bank for NRIs include "Xpress Money", "Money Gram", "Western Union Money Transfer", besides normal SWIFT based Money Transfer across the globe.

- Electronic Funds Transfer arrangements have been launched with 8 Exchange Houses viz., M/s. UAE Exchange Centre LLC–Abu Dhabi, UAE Exchange Centre WLL– Kuwait, Oman UAE Exchange Centre & Co LLC – Oman, Al Zaman Exchange WLL – Qatar, GCC Exchange – Dubai, Belhasa Global Exchange – Dubai, Al Dar For Exchange – Qatar, Al Ghurair Exchange LLP– Dubai. Remittance arrangement with M/s Al Rajhi Bank, Saudi Arabia has already been launched and running successfully.

INTERNATIONAL OPERATIONS

- The Bank has three foreign branches located at Singapore, Colombo and Jaffna. Total Deposits and Advances (gross) of the foreign branches as on March 31 2016 was ₹5634.16 crore and ₹5545.34 crore respectively.

- Singapore branch established in 1941 has carved a niche by offering a variety of banking services using the latest technology and enjoys enormous goodwill and customer loyalty. The branch is presently maintaining its business in two accounting units - Domestic Banking Unit (DBU) for Singapore Dollar business and Asian Currency Unit (ACU) for business in currencies other than Singapore Dollar.

- Colombo branch established in the year 1932 has active market presence extending trade finance. The Foreign Currency Banking Unit (FCBU), Colombo is engaged in offshore banking operations.

- Jaffna branch established in 2011 plays a crucial role in the economic development of Jaffna Region.

Upgradation of Misys software at Singapore branch:

- Singapore branch is using the Misys Core banking Package and Equation besides other software which was upgraded in 2008 and 2010. Branch is going for upgradation of the software package at a cost of SGD 2.44 Mio (Eqv. INR 11.47 crore) The new upgraded system will integrate additional facilities including computerization of treasury operations (Front Office), integration of back office and mid office with core banking, automation of NPA and Web based client application.

- This software is devised to cater to the reporting requirements of Monetary Authority of Singapore (MAS), RBI and Corporate Office. The historical data kept in back up for previous years can be restored as and when required.

- This software is under implementation in phased manner and expected to be fully operationalised within 3 months.

Welcome Kit for NRI customers at UAE

- Bank has created an In-house Application for immediate opening of NRI accounts at UAE by Bank's representatives at Abu Dhabi.

- Through the In–house application, account opening process is simplified where in the entire details of the customers will be keyed in by the UAE representatives and the account opening and activation process will be instantly done. The customers will be issued a Welcome Kit comprising of a cheque book, ATM card, pamphlets, etc. immediately on opening of the account.

Branch opening at Myanmar

- Bank is in the process of opening a Representative Office at Myanmar.

TECHNOLOGY INITIATIVES

Information & Communication Technology

The Bank has exploited the innovations and advancements in Technology for achieving the business objectives and offers a

विस्तृत विविधतावाले टेक सेवी उत्पाद उपलब्ध कराए हैं। बैंक ने टैग–लाइन का ''आपका अपना बैंक'' के रूप में नया नामकरण किया है। बैंक की आईटी रणनीति को बैंक के कारोबारी लक्ष्यों के साथ समन्वित किया गया है। बैंक के आईटी प्रस्तावों का लक्ष्य निर्बाध, सुविधाजनक और सुरक्षित लेनदेन सुविधाएं प्रदान कर ग्राहक सेवा को और बेहतर बनाना और ग्राहकों की अपेक्षाओं की पूर्ति करना है।

कोर बैंकिंग समाधान

तकनीक, व्यापार को संबल देने वाले महत्वपूर्ण तत्व के रूप में उभर कर आई है जिसने नई हदों तक पहुंच बनाई और बैंकिंग कार्यकलापों के सभी पहलुओं को समेट लिया है।

- भारत में सभी 2562 शाखाएं एवं 28 विस्तार काउंटरों पर सीबीएस है। सिंगापुर, कोलंबों व जाफना की तीन ओवरसीज शाखाएं सीबीएस नेटवर्क से जुड़ गई हैं। सीबीएस का कार्यान्वयन सभी 48 प्रशासनिक कार्यालयों में भी कर दिया गया है।
- वित्तीय समावेशन के अंतर्गत पहुंच बढ़ाने हेतु 46 बैंकिंग सेवा केन्द्र (बीएससी) देश के विभिन्न भागों में परिचालित हैं।
- निर्बाध कनेक्टिवटी सुनिश्चित करने के लिए बैंक ने आईएसडीएन बैकअप, वीसैट, जीपीआरएस आदि से जुडी लीज लाईन जैसे बहुमुखी दृष्टिकोण को अपनाया है। अबाधित ग्राहक सेवा को सुनिश्चित करने के लिए सभी शाखाओं को 2 कनेक्टीविटी विकल्प प्रदान किए गए हैं।
- एमपीएलएस नेटवर्क से पहले से जुडे अंचल कार्यालयों के अतिरिक्त शाखाओं को एमपीएलएस नेटवर्क से सीधे जुडने के लिए बैंक के वाइड एरिया नेटवर्क का सुधार किया गया।
- बैंक द्वारा प्रायोजित तीनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (पल्लवन ग्राम बैंक, पुदुवै भारतियार ग्राम बैंक और सप्तगिरि ग्रामीण बैंक) में 100 प्रतिशत सीबीएस कार्यान्वयन हासिल किया गया है।

एटीएम/बीएनए/कियोस्क

- 2531 एटीएम (649 ऑफसाइट एटीएम को शामिल कर) परिचालन में हैं।
- नकदी रीसाइक्लिंग कार्य में समर्थ 253 नकदी जमा मशीनें (बीएनए) लगवायी गयी हैं जिनमें ग्राहकों से नकदी प्राप्त भी की जा सकती है और उनको नकदी दी भी जा सकती है। बैंक ने 102 ई–लाउंज स्थापित किए हैं जोकि बीएनए, सुरक्षित पासबुक प्रिंटर व चेक जमा मशीन के साथ मानव–रहित कियोस्क के रूप में सभी ई–लाउंज में 24 x 7 छुट्टी के दिनों में भी परिचालन में रहते हैं।
- पाँच स्थानों पर चलित (मोबाइल) एटीएम क्रियात्मक हैं।
- सभी तीनों प्रायेजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ग्राहकों को रुपे डेबिट कार्ड जारी किए जाते हैं।
- शेयर कर लेने की व्यवस्था के जरिये बैंक के ग्राहकों को भारत में 2,21,000 से अधिक एटीएम उपलब्ध हैं।
- एटीएम कार्ड तथा पिन मेलर जारी होते ही उन्हें शाखाओं से प्राप्त करने हेतु ग्राहकों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नं पर नि:शुल्क एसएमएस मोबाइल एलर्ट मैसेज भेजे जाते हैं।
- एटीएम में 1 करोड़ मासिक हिट/लेनदेनों के मील के पत्थर को पार कर लिया।
- पासबुक प्रिंटिंग कियोस्क ने ग्राहकों को शाखा में लंबी पंक्ति में प्रतीक्षा किए बिना ही उनकी सुविधानुसार बैंक के कार्यालयीन समय के बाद भी अपनी पासबुक प्रिंट करने में समर्थ बना दिया है।
- ग्राहकों द्वारा चालान भरे बिना ही किसी भी समय बाधा रहित चेक जमा करने के लिए चेक स्वीकारकर्ता कियोस्क लगाए गए हैं, जिसे शाखा स्टाफ के हस्तक्षेप के बिना अपने–आप ही ही स्कैन कर दिया जाएगा।
- बीएनए ग्राहकों, विशेषत: देर रात को अपना व्यापार बंद करने वाले ग्राहकों को किसी भी समय अपने रुपये सुरक्षित रूप से जमा करने में सहायता करता है

इंटरनेट बैंकिंग

बैंक ने नेट बैंकिंग के माध्यम से, ग्राहकों की सुविधानुसार स्वयं सेवा वितरण चैनल शुरू किए हैं, जो इंटरनेट के माध्यम से निधि अंतरण, कर और उपयोगिता बिल भुगतान में बैंकिंग की सुविधाएं प्रदान करते हैं। नेट बैंकिंग सुविधा, व्यक्तियों और कॉर्पोरेट ग्राहकों दोनों के लिए 24 x 7 पहुंच के साथ प्रदान की जाती हैं।

नेट बैंकिंग सुविधा के ज़रिए दी गई विभिन्न सेवाएँ निम्नानुसार हैं :

- बैंक की वेबसाइट को विभिन्न उत्पादों के विज्ञापनों के साथ प्रत्येक उत्पाद की जानकारी दर्शाते हुए एक नया रूप दिया गया है।
- नेट बैंकिंग सुविधा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उपलब्ध कराया गया है, जिसमें ग्राहक स्वयं अपना पासवर्ड (कागज रहित पिन) सेट कर सकते हैं।
- ऑनलाइन बचत खाता खोलने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
- नेट बैंकिंग में पुन: ओटीपी भेजने की सुविधा शुरु की गई है।
- नेट बैंकिंग के माध्यम से ई–भुगतान करने के लिए विभिन्न सरकारी (तमिलनाडु, गुजरात, केरल, हरियाणा) कर व गैर कर वसूली पोर्टल के साथ एकीकरण कर लिया गया है।
- नेट बैंकिंग के माध्यम से कर की ई– फायलिंग की सुविधा ग्राहकों को उपलब्ध कराई गई है। यह सुविधा बैंक के नेट बैंकिंग क्रेडेंशियल्स के आधार पर ग्राहक को कर विवरणी भरने को सुगम बनाती है।

मोबाइल बैंकिंग

एण्ड्रायड, विंडो एवं आईओएस प्लेटफॉर्म पर पेश की गई इंडपे मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन निम्नलिखित बैंकिंग लेनदेनों को उपलब्ध करा रही है।

- सीआईएफ संख्या से जुड़े हुए खातों की राशि की पूछताछ।
  - ❖ खाते का संक्षिप्त विवरण (अंतिम पाँच लेनदेन)।
  - ❖ बैंक के अंदर ही एक खाते से दूसरे खाते में निधि अंतरण।
  - ❖ भारतीय रिजर्व बैंक की एनईएफटी योजना का प्रयोग करते हुए अन्य बैंकों के खातों में निधि अंतरण।
  - ❖ आईएमपीएस के माध्यम से अन्य बैंकों के खातों में 24 x 7 निधि अंतरण।
  - ❖ मूल्यवर्धित सेवाएँ जैसे एमपिन व एमटीपिन परिवर्तन, मोबाइल टॉप अप, डीटीएच रिचार्ज, बिल भुगतान सेवाएँ, स्कैन एंड पे इत्यादि।

wide variety of Tech savvy products in tune with the customer needs. The Bank has re-christened the tag line as "Your Own Bank". The IT strategy of the Bank has been aligned with the business goals of the Bank. The Bank's IT initiatives aim to provide hassle free, convenient and safe transaction facilities to further enhance the Customer Service and meet customers' expectations.

Core Banking Solution

Technology has now positioned itself as a critical business enabler, pervading new frontiers and encompassing all aspects of banking activities.

- All the 2562 branches and 28 Extension counters in India are on CBS platform. The 3 overseas branches at Singapore, Colombo and Jaffna are connected to CBS network. CBS implemented at all the 48 administrative offices also.
- 46 Banking Service Centres (BSC) are operational in various parts of the country to increase outreach under Financial Inclusion
- Bank has adopted versatile approach for ensuring uninterrupted connectivity like Leased Line with ISDN Backup, VSATs, GPRS etc. All the branches are having 2 connectivity options to ensure uninterrupted customer service
- Revamping of Bank's Wide Area Network done to connect Branches directly to MPLS network in addition to Zonal Offices which are already on MPLS.
- 100% CBS implementation achieved in all the 3 RRBs (Pallavan Grama Bank, Pudhuvai Bharathiar Grama Bank and Saptagiri Grameena Bank) sponsored by the Bank.

ATMs/ BNAs/ Kiosks:

- 2531 ATMs (Including 649 offsite ATMs and 5 mobile ATMs) are in operation.
- Deployed 253 Cash Deposit Machines (BNA's) enabled with Cash recycling functionality, wherein the machines can receive and dispense cash to the customers. Bank installed 102 e-lounges which are unmanned kiosks with BNAs, secured pass book printers and cheque deposit machines with 24x7 operations on all days including holidays.
- Mobile ATM is functional at 5 places.
- RuPay Debit Cards issued to customers of all 3 RRBs.
- More than 2,21,000 ATMs in India are available to Bank's customers through sharing arrangements.
- Free SMS mobile alert message sent to customers on issue of ATM card and pin-mailers to their registered mobile number for collection from branches.
- Reached the mile stone of 1 crore monthly hits/ transactions in ATMs.
- Passbook Printing Kiosks have enabled the customers to print their Passbook without waiting for a long time in the branch counter, at their convenient time even after the business hours of the Bank.
- Cheque Acceptor Kiosks have been installed for hassle free deposit of the cheques at any time by the customers without filling the challans, which will be scanned automatically without intervention of the branch staff.
- BNAs help customers especially Traders who close their business late night to deposit their money safely at any time.

Internet Banking:

The Bank has introduced self service delivery channels through Net Banking, which facilitates, banking through internet, funds transfer, tax and utility bills payments, at customers' convenience. The net-banking facility is provided for both individuals and corporate customers with 24x7 accessibility.

The various new services offered through Net Banking facility are as follows:

- Bank website has been given a new look and details of various products along with their features are available for each product.
- Online Registration for Net Banking facility has been provided, wherein customer can set their own Password (Green PIN).
- Online SB account opening facility has been provided.
- Resend OTP facility has been introduced in the net banking.
- Integration with various Government (Tamilnadu, Gurajat, Kerala, Haryana) Tax and Non-Tax collection Portal for making e-payments through net banking has been done.
- e-Filing of Tax Return through net banking provided to customers. This facilitates customer to file Income Tax return based on Bank's net banking credentials.

Mobile Banking:

IndPay' Mobile Banking application launched by the Bank on Android, Windows & iOS platforms providing the following banking transactions:

- Balance enquiry of accounts linked under CIF Number
    - ❖ Mini statement (last five transactions) of accounts.
    - ❖ Fund transfer within the Bank from one account to another
    - ❖ Fund transfer to accounts of other banks using NEFT scheme of RBI.
    - ❖ Fund transfer to accounts in other banks on 24x7 basis through IMPS.
    - ❖ Value Added Services like Change MPIN & MTPIN, Mobile Top up, DTH Recharge, Bill Pay services, Scan & Pay etc.,

- सक्रिय इंटरनेट बैंकिंग अथवा डेबिट कार्ड का प्रयोग करने वाले ग्राहक अपने क्रिडेन्शल के माध्यम से इंड पे मोबाइल बैंकिंग सुविधा हेतु ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं।

अन्य नई पहलें :

- ग्राहकों द्वारा समाशोधन हेतु प्रस्तुत किए गए चेकों हेतु नामे किए गए खाते की सूचना के साथ एलर्ट एसएमएस भेजे जाते हैं तथा किसी भी प्रकार की विसंगति पाए जाने की स्थिति में चेक वापस करने हेतु निर्दिष्ट समय सीमा के पहले शाखा से संपर्क करने हेतु सचेत किया जाता है।
- बचत खाते हेतु मासिक न्यूनतम शेष न रखे जाने पर लगाए जाने वाले प्रभार के बारे में एलर्ट एसएमएस भेजे जाते है।
- वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान पीएफएमएस के माध्यम से ₹4781.79 करोड़ की राशि के 823.15 लाख लेनदेनों के साथ एनआरईजीए भुगतानों का संवितरण किया गया।
- यूएई में कार्यरत अनिवासी भारतीयों को आसानी से खाता खोले के लिए ऑनलाइन यूएईएक्स खाता खोलना कार्यान्वित किया गया है।
- बैंक में केवल मियादी जमा रखने वाले ग्राहकों को एनईएफटी के माध्यम से एफडी ब्याज प्राप्त करने के लिए एनईएफटी के माध्यम से एफडी ब्याज के भुगतान को सुगम बनाया गया है।
- **ई पर्स:** ई पर्स एक उन्नत उत्पाद है जोकि ग्राहकों को उनके खर्चों पर नियंत्रण करने तथा उनके डेबिट कार्ड को विभिन्न प्रकार की धोखाधड़ी जैसे कार्ड स्किमिंग, फिशिंग, कार्ड चोरी हो जाने आदि से सुरक्षा करने हेतु पेश किया गया है। ग्राहक अपनी आवश्यकतानुसार निधि को अपने मुख्य खाते से ई–पर्स खाते में अंतरित कर सकते है। कार्ड के दुरुपयोग के कारण ग्राहक को होने वाली धन हानि की रोकथाम के लिए, ग्राहक कार्डों के प्रयोग न करने पर पूरी राशि को अपने मुख्य खाते में अंतरित कर सकते हैं तथा यह कार्ड प्रयोग करने की सीमा को कम करने को भी अनुमत करता है जिससे कार्ड के दुरुपयोग होने की स्थिति में हानि को कम किया जा सकता है।
- **आई बी स्मार्ट रिमोट:** डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड से किए जाने वाले परिचालनों को नियंत्रित करने के लिए एक मोबाइल एप है जिसमें ग्राहक एटीएम/पीओएस/ऑनलाइन ट्रेन्सैक्शन में आहरण सीमा को लॉक/अनलॉक (अथवा) बढ़ा/घटा सकते है। आगे, खाता शेष संबंधी पूछताछ तथा बहुत से खातों को लिंक करने की सुविधा शुरू की गई। यह मोबाइल एप एण्ड्राइड, विंडो एवं आईओएस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है।
- **आईबी डी–इलाईट:** उच्च मालियत वाले व्यक्तियों (एचएनआई) के लिए कॉर्पोरेट कार्यालय परिसर में एक विशेष डिजिटल लाउन्ज उपलब्ध कराया गया है।
- पीएमएसबीवाई तथा पीएमजेजेबीवाई की ओर बीमा केन्द्रित जमा तथा उपहार योजनाएं पेश की गई हैं।
  1. सुरक्षा जमा गिफ्ट
  2. जीवन सुरक्षा गिफ्ट
  3. सुरक्षा जमा योजना गिफ्ट
- **गतिशील वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) का क्रियान्वयन :** ई–कॉमर्स (कम्प्यूटरों के जरिये वाणिज्यिक लेनदेनों) के लिए मास्टर कार्ड सुरक्षित अधिप्रमाणन के माध्यम से स्थैतिक पासवर्ड के स्थान पर गतिशील वन टाइम पासवर्ड को क्रियान्वित किया गया है।
- **आई वी–कलेक्ट (वर्चूअल अकाउन्ट कलेक्शन):** इसके माध्यम से, हमारे ग्राहकों को देय निधि विप्रेषक/धन–प्रेषक की जानकारी के साथ बहु विकल्पों–शाखा के काउंटरों व एनईएफटी का प्रयोग करते हुए सुगम बनाया गया था।
- प्रत्येक माह हेतु गृह ऋण प्रमाण–पत्र: शाखाओं हेतु किसी भी समय गृह ऋण ब्याज प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए यह सुविधा दी गई है।
- व्यवसाय निरंतरता योजना (बीसीपी) के रूप में आपदा उद्धार (डीआर) परिचालनों हेतु नियर ऑनसाईट परिचालित किया गया।
- व्यापार में संवृद्धि हेतु तथा नकद रहित खरीददारी को बढ़ाने के लिए पीओएस टर्मीनलों का विनियोजन किया गया है।
- एटीएम में कार्ड से खाते में निधि अंतरण सुविधा शुरू की गई है।
- ई–कॉमर्स (कम्प्यूटरों के जरिये वाणिज्यिक लेनदेनों) के अस्वीकरण को कम करने के लिए रुपे कार्ड का प्रयोग करते हुए किए जाने वाले ई–कॉमर्स (कम्प्यूटरों के जरिये वाणिज्यिक लेनदेन) लेनदेनों हेतु कार्ड+ओटीपी को कार्यान्वित किया गया है।
- ओआरओपी एरिअर: पीसीडीए, इलाहाबाद के दिशानिर्देशानुसार लगभग 25000 पात्र डिफेंस पेंशनभोगियों को डिफेंस ओआरओपी एरिअर के भुगतान की गणना के लिए पेंशन सॉफ्टवेयर में एक नया प्रोग्राम विकसित किया गया है।

प्रशिक्षण:

- सभी कर्मचारियों को निरंतर कंप्यूटर सम्बन्धी प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे प्रौद्योगिकी के माहौल को संचालित करने में समर्थ हों। वर्तमान वर्ष के दौरान 4000 अधिकारियों और 4500 अवार्ड स्टाफ के लक्ष्य के प्रति 5096 अधिकारियों और 4124 लिपिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इसके अलावा, 36 संगामी लेखा परीक्षकों को प्रशिक्षण संस्थान में सीबीएस से लेखा परीक्षा के प्रयोजन सम्बन्धी रिपोर्ट बनाने हेतु प्रशिक्षण दिया गया।

प्रबंधन सूचना प्रणाली

- 100 प्रतिशत कोर बैंकिंग समाधान द्वारा स्वचालन का पूरा फायदा उठाने के लिए एमआईएस विभाग विभिन्न अभिकरणों एवं विभागों को विभिन्न रिपोर्ट/डेटा प्रदान करता रहा है। इस प्रणाली को और सुविधाजनक बनाने के लिए बनी बनाई रिपोर्टों के सृजन के लिए एक नया एमआईएस पोर्टल विकसित किया गया है।

सूचना प्रणाली सुरक्षा

- बैंक की सूचना प्रणाली व सुरक्षा प्रक्रियाएं आईएसओ 27001:2013 मानक से प्रमाणित किया गया है तथा दुनिया भर में प्रमाणित कुछ बैंकों में से हमारा बैंक एक है। यह प्रमाणीकरण बैंक की विश्वसनीयता, सूचना सुरक्षा प्रणाली की मजबूती हेतु प्रशंसा पत्र को सम्मिलित करता है तथा ग्राहकों को आश्वास्त करता है कि बैंक की सूचना सुरक्षा उच्च किस्म की है। मानक सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईआसएमएस) के निष्पादन को मापने व मूल्यांकन पर भी ज़ोर डालता है। प्रमाणित सुरक्षा मानक के पास कूट–लेखन, सुरक्षित विकास, सुरक्षा परीक्षण, आपूर्तिकर्ता संबंध इत्यादि में अतिरिक्त नियंत्रण है। प्रमाणित सुरक्षा मानक के पास कूट–लेखन, सुरक्षित विकास, सुरक्षा परीक्षण, आपूर्तिकर्ता संबंध इत्यादि में अतिरिक्त नियंत्रण है। सूचना सुरक्षा पॉलीसियां

- The customers having active Internet Banking or Debit Card credentials can register online for 'IndPay' Mobile Banking facility.

Other new initiatives:

- SMS alerts are sent for Cheques presented by the customers in clearing along with account debit information which alert the customers to contact branch before cutoff time of return, if any discrepancy is noticed.
- SMS alerts sent to customers on maintenance of minimum monthly balance in Savings Bank account.
- Disbursement of NREGA payments through PFMS with 823.15 lakh transactions amounting to ₹ 4781.79 crores during the Financial Year 2015 – 16.
- Online UAEX customer account opening implemented for easy opening of account by NRIs working in UAE.
- Facilitated FD interest through NEFT for customers who have only Term Deposits with the Bank to get their FD interest through NEFT.
- **E-purse:** E-Purse is an innovative product launched to allow customers to have control over their expenses and to protect their debit cards from various frauds such as card skimming, phishing, card theft etc. Customers have facility to transfer funds from their main account to their e-Purse account as per their requirement. For preventing loss of money to customers due to misuse of cards, customers can transfer the whole amount to main account whenever they are not using the cards and also to allow them to reduce the limit of card usage so that the extent of loss can be minimised if card misuse happens.
- **IB SMART Remote:** A Mobile App to control the operations in the Debit card / Credit card wherein customers can Lock / Unlock (or) Increase / Decrease the withdrawal limit in ATM/ PoS / Online transactions. Further, account balance enquiry and facility to link multiple accounts has also been introduced. The mobile App is available on Android, Windows & iOS platforms.
- **IB D-Elite:** Exclusive Digital Lounge for High Networth Individuals (HNI) customers made available in the premises of Corporate Office.
- Introduced insurance focused Deposit and Gift Schemes for PMSBY and PMJJBY:
  1. SURAKSHA DEPOSIT GIFT
  2. JEEVAN SURAKSHA GIFT
  3. SURAKSHA DEPOSIT YOJANA GIFT
- **Implementation of Dynamic One Time Password (OTP):** Implemented Dynamic password (OTP) instead of the static password through MasterCard secure code authentication for e-commerce transactions.
- **IB V-Collect (Virtual Account Collection):** Through this, collection of funds payable to our customer with remitter information was facilitated using multiple options - Branch counters and through NEFT.
- Home loan Certificate for every month: Facility created for the branches to issue home loan interest certificate at any time.
- Near Onsite for Disaster Recovery (DR) operations made operational as Business Continuity Planning (BCP).
- Deployment of PoS terminals implemented for augmenting acquiring business and for increasing cashless purchases.
- Introduced Card to Account funds transfer functionality in ATMs.
- Implementation of Card + OTP for e-commerce transactions done using Rupay cards for reducing instances of decline of e-commerce transaction.
- OROP Arrears: A new program was developed in Pension software for calculation and payment of Defence OROP arrears to nearly 25000 eligible defence pensioners as per the direction of PCDA, Allahabad.

Training:

- Computer related training is imparted to staff on an ongoing basis to empower them to handle the Technology platform. During the current year, 5096 officers and 4124 award staff have been trained against the target of 4000 officers and 4500 clerks. Apart from this 36 concurrent auditors were also trained by our training centres on handling CBS related reports for audit purpose.

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

- To derive full benefit of automation through 100 percent CBS, the MIS department has been providing various reports/data for furnishing to different agencies and departments. To facilitate the same, a new MIS portal has been developed with facility to generate tailor made reports.

INFORMATION SYSTEMS SECURITY

- Bank's Information System & Security processes have been certified with ISO 27001:2013 standard and the Bank is among the very few Banks that are certified worldwide. The certification adds credibility, a testimonial for the reliability of the Bank's information security system and reassures the clients that the Bank's information security is of high quality. The standard also lays emphasis on measuring and evaluating performance of Information Security Management System (ISMS). Also, the certified security standard has additional controls in cryptography, secured development, security testing, supplier relationship etc. Information Systems Security Policies as

आईएसओ 27001–2013 के अनुसार तैयार की गईं तथा हमारे बैंक की सूचना प्रणाली को सुरक्षित बनाने के लिए लागू किया गया।

- बैंक में एक पृथक सूचना प्रणाली सुरक्षा विभाग कार्यरत है।
- सूचना सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कोर बैंकिंग समाधान सॉफ्टवेयर, बैंक के नेटवर्क के बुनियादी ढांचे, इंटरनेट बैंकिंग और एटीएम नेटवर्क की प्रत्येक वर्ष आईएस लेखापरीक्षा बाहरी एजेंसी – द्वारा की जाती है।
- कंप्यूटर सुरक्षा पर निरंतर आधार पर निगरानी रखने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
- 24×7 आधार पर सभी विद्यमान तथा प्रस्तावित सुरक्षा उपकरणों का अनुवीक्षण करने के लिए सुरक्षा परिचालन केन्द्र (एसओसी) की स्थापना की गई है। इस परियोजना के तहत फायरवाल, नेटवर्क इंट्रूसन रोक प्रणाली (एनआईपीएस), होस्ट इंट्रूसन डिटेक्शन प्रणाली (एचआईडीएस) का सीडीसी तथा डी आर साइट में विस्तृत मात्रा में प्रयोग किया गया है।सिक्युरिटी इन्सीडेंट एंड इवैंट मैनेजमेंट (एसआईईएम) सोल्यूशन के साथ लॉग मैनेजमेंट सोल्यूशन को कार्यान्वित किया गया है जोकि क्रिटिकल डिवाइस से सभी लॉग्स को परस्पर जोड़ता है तथा सुरक्षा संबंधी किसी भी घटना के घटित होने पर सचेत करता है।

आस्ति और पैच प्रबंधन समाधान का कार्यान्वयन:

- उद्यमव्यापी सुरक्षा परियोजना के एक अंश के रूप में आस्ति और पैच प्रबंधन समाधान कार्यान्वित है, जिससे आवश्यक प्रचालन प्रणाली पैचों को प्रचुर मात्रा में प्रयोग करते हुए कम्प्यूटर हार्डवेयर/आस्तियों की पहचान व पता लगाया जा सकता है और अनुरक्षण किया जा सकता है। यह समाधान कॉर्पोरेट कार्यालय, अंचल कार्यालय और सभी सीबीएस शाखाओं में प्रयोग में लाया गया है।

आपदा पूर्ति कवायद (डीआर) ड्रिल

- भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान सीबीएस, एक्जिम बिल्स, एटीएम, नेट बैंकिंग, वेबसाइट, ईवीवीआर, कोलम्बो सीबीएस और एक्जिमबिल्स, हिस्टरी और सिग्नेचर परिचालनों के लिए वर्ष के दौरान दो बार आपदापूर्ति कवायद संचालित की गई।

सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रानिक बैंकिंग, प्रौद्योगिकी जोखिम प्रबंधन और सायबर धोखाधडियों संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक कार्य दल के दिशानिर्देश

- सूचना सुरक्षा पर भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्य दल के दिशानिर्देशों में बताए गए 9 विस्तृत क्षेत्रों में मेसर्स एएए टेक्नॉलजीस द्वारा गैप विश्लेषण आयोजित किया गया एवं कुल 56 गैप पहचाने गये।
- पहचाने गए गैपों में से 31.03.2016 तक 54 गैपों पर अनुपालन किया गया ओर बाकी 2 गैपों को अनुपालनार्थ ले लिया गया है।

परिसर

- हरित पहल के अंश के रूप में विक्रेताओं, पूर्तिकर्ताओं इत्यादि को सभी भुगतान इलेक्ट्रानिक चैनलों के ज़रिए किये जाते हैं, जैसे सीधे जमा/एनईएफटी/आरटीजीएस (केवल अपवादिक स्थितियों में चेक के ज़रिए भुगतान किया जाता है)।
- कॉर्पोरेट कार्यालय में ऊर्जा बचत (एनर्जी सेविंग) के लिए सौर ऊर्जा व एलईडी लाईट की शुरुआत की गई।
- बैंक की भारत में 146 संपत्तियां और सिंगापुर में 2 संपत्तियां हैं।
- बैंक में परिसर व्यय, खरीदी, संविदाओं, मुद्रण और लेखनसामग्री, वातानूकूलन, आटोमोबाइल, टेलिफोन/सेल फोन के लिए एक समान नीतियां बनाई गई हैं और सभी शाखाओं/अंचलों द्वारा ये अपनाई गई हैं।

इंडियन बैंक द्वारा शुरू की गईं हरित पहलें

- बैंकिंग परिचालनों के वर्तमान स्केल ने (एनर्जी) ऊर्जा (उदाहरण के तौर पर लाईटिंग, वातानुकूलक (एअर कंडिशनिंग), इलेक्ट्रानिक/इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, आईटी इत्यादि), कागज के अत्यधिक प्रयोग इत्यादि से बैंक ने कार्बन फुटप्रिंट में बड़े पैमाने पर वृद्धि की है।
- बैंकिंग में स्थायी व्यवसाय कार्यप्रणाली के कार्यान्वयन के एक अंश के रूप में, बैंक ने कार्यालयों तथा शाखाओं में ऊर्जा संरक्षण के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं।
- पूरे देश में ई लाउंज, ई–विवरणों, इंटरनेट बैंकिंग, फोन बैंकिंग इत्यादि का प्रचार–प्रसार करते हुए कागज रहित पहलों को कार्यान्वित किया जाता है। जोकि ग्राहकों को कार्बन फुटप्रिंट कम करने में सहायक होता है क्योंकि उन्हें मुद्रित बैंक विवरणों की आवश्यकता नहीं पड़ती।
- इंडियन बैंक की 2531 ऑटोमैटेड टेलर मशीनें (एटीएम) तथा नकद जमा मशीनें (सीडीएम), डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि शाखाओं में किए जाने वाले लेनदेनों हेतु कागज की कम से कम खपत को सुनिश्चित करती हैं।

सौर ऊर्जा:

- बैंक ने कॉर्पोरेट कार्यालय में सौर ऊर्जा के प्रयोग के माध्यम से हरित ऊर्जा को अपनाया है, जोकि पहले से ही ग्रीन बिल्डिंग (गोल्ड रेटिंग) स्टेटस में है। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत को अपनाते हुए, बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्रक बैंक के रूप में अन्य इकाई के साथ हरित भारत के निर्माण में सहयोग हेतु आगे आया है।

- बैंक ने कॉर्पोरेट कार्यालय में 66 के.डवल्यू.पी के सौर ऊर्जा प्लांट को कार्यान्वित करते हुए "हरित बिजली" की शुरुआत की है।

per ISO 27001 – 2013 Standards were formulated and put in place to secure the Information Systems of the Bank.

- Separate Information System Security Department is functional.
- IS audit of Core Banking Solutions software, Network infrastructure of the Bank, Internet Banking and ATM network is being done by external agency, every year to strengthen Information Security.
- Guidelines issued to observe Computer Security on an ongoing basis.
- Security Operation Centre (SOC) established for monitoring all the existing and proposed security devices on a 24x7 basis. Under this project, Firewalls, Network Intrusion Prevention System (NIPS), Host Intrusion Detection System (HIDS) are deployed in CDC and DR Site. The Log Management solution with Security Incident and Event Management (SIEM) Solution has been implemented which correlates all the logs from the critical devices on a real time basis and generates alerts on any security incident.

Implementation of Asset and Patch Management Solution:

- As part of the enterprise wide security project, the Asset and Patch Management Solution is implemented, using which the computer hardware/ assets can be identified, tracked and maintained by deploying the necessary operating system patches. The solution has been deployed in Corporate Office, Zonal Offices and all CBS branches.

Disaster Recovery Drill

- As per RBI guidelines, Disaster Recovery Drill for CBS, Eximbills, ATM, Net banking, Website, EVVR, Colombo CBS and Eximbills, History and Signature operations were conducted twice during the financial year 2015-16.

RBI Working group guidelines on Information Security, Electronic Banking, Technology Risk Management and Cyber Frauds

- A gap analysis was conducted by M/s.AAA Technologies and a total of 56 gaps were identified in nine broad areas mentioned in RBI Working group guidelines on Information Security.
- Out of the gaps identified, 54 gaps were complied as on 31.03.2016 and the remaining 2 gaps are taken up for compliance

PREMISES

- As part of green initiative, all payments to vendors, suppliers etc., are made through electronic channel viz., direct Credit / NEFT/RTGS (only under exceptional circumstance, payment by way of cheque is made).
- Introduction of Solar Power and LED lights at Corporate Office for energy saving.
- Bank owns 149 properties in India and 2 properties in Singapore.
- Bank has put in place uniform policies for Premises, Expenditure, purchases, contracts, printing and stationery, Air conditioning, Automobiles, Telephone / Cell phone and has adopted the same at all branches / Zones.

GREEN INITIATIVES BY INDIAN BANK

- The present scale of banking operations has considerably increased the carbon footprint of banks due to their massive use of energy (e.g., lighting, air conditioning, electronic/electrical equipments, IT, etc), high paper usage etc.
- As a part of implementation of sustainable business practices in Banking, Bank has taken proactive steps for energy conservation in offices and branches.
- Paperless initiatives are implemented across the country by promoting e-lounges, e-statements, internet banking, phone banking etc. which in turn help to reduce the carbon footprint of the customers as they do not have to resort to printed bank statements.
- Over 2531 Indian Bank Automated Teller Machines (ATMs) and Cash Deposit Machines (CDMs), Debit Cards, Credit Cards etc. ensure reduced consumption of paper used for transaction at Branches.

Solar Power:

- Bank switched to green power by harnessing solar power to Corporate Office, which is already under Green Building (Gold rating) status. In adopting alternative source of energy, Bank as Public Sector Bank joined hands with other entity to form Green India.

- Bank initiated the ‘Green Power’ Plant by implementing 66kWp Power Plant at Corporate Office.

- सभी बैंकों के अपने परिसरों, जहांकहीं भी यह तकनीकी रूप से व्यवहार्य है में सौर ऊर्जा को कार्यान्वित किया जा रहा है, तथा इससे ऊर्जा की खपत में होने वाले कुल खर्च में 4–5 प्रतिशत की कमी अपेक्षित है।

एलईडी लैंप

- इलूमिनेशन सिस्टम में नए एलईडी लैंप के साथ इंटीरियर लाईटिंग सिस्टम को प्रस्तुत करके नए तकनीकी उत्पादों को अपनाने में बैंक परिवर्तन अवस्था में है।
- खोली गई नई शाखाओं में एलईडी लाइटिंग ही लगाई जा रही है।
- मौजूदा शाखाओं में उपलब्ध लाईट को चरणबद्ध तरीके से बदला जा रहा है। वर्तमान में 158 शाखाओं / कार्यालयों में एलईडी लाईट उपलब्ध कराई गई है।

अन्य हरित पहलें

- इंडियन बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय के बेसमेंट में स्थित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में प्रतिदिन 20,000 लीटर उपचारित जल एकत्रित होता है, जो दैनिक किए जाने वाले कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है।
- पूरे देश में बैंक की सभी शाखाओं में वर्षा जल संचयन प्रणाली को कार्यान्वित किया गया है।
- शाखाओं और कार्यालयों में समय–समय पर एनर्जी आडिट आयोजित की जाती हैं।
- ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए शाखाओं तथा कार्यालयों में एयर कंडीशन (वातानुकूलकों) को ऑटो कट ऑफ टाईमर के साथ संस्थापित किया गया है। हार्मोनिक फिल्टर को लगाने से तथा स्टार रेटेड बिजली के उपकरणों का उपयोग करने से काफी हद तक बिजली की खपत कम हुई है।

आंतरिक नियंत्रण

- वर्ष के दौरान 1803 शाखाओं में जोखिम आधारित लेखापरीक्षा की गई है। सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा द्वारा 1796 शाखाओं और 1273 एटीएम को कवर किया गया।
- संगामी / आंतरिक लेखापरीक्षा के अधीन 530 शाखाओं को कवर करते हुए, 31.03.16 तक कुल देशी जमाओं के 62.62 प्रतिशत और देशी अग्रिमों के 71.19 प्रतिशत को कवर किया गया। कुल मिलाकर, संगामी लेखा परीक्षा के अंतर्गत 66.17 प्रतिशत देशी व्यापार को कवर किया गया।
- जोखिम आधारित संगामी लेखा परीक्षा 01.04.2013 से जारी है।
- आरबीआईए व संगामी लेखापरीक्षा के अतिरिक्त, आय रिसन को पहचानने के लिए ₹10 करोड़ और उससे अधिक के व्यापार एक्सपोशरवाली 1930 शाखाओं को कवर करनेवाली राजस्व लेखापरीक्षा की गई।
- समीक्षा वर्ष के दौरान 38 अंचलों की प्रबंधन लेखापरीक्षा की गई और अनुपालन हेतु कार्रवाई आरम्भ की गई।
- समीक्षा की अवधि में सूचना एवं संसूचना प्रौद्योगिकी (आईसीटी) में आधारभूत संरचना की सूचना प्रणाली (आईएस) – सीबीएस अप्लिकेशन सूट, डेटा सेंटर व सीबीएस परियोजना कार्यालय की लेखापरीक्षा भी बाहरी फर्म द्वारा की गई।
- संगामी लेखा परीक्षा प्रणाली की दक्षता को बढाने और संगामी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सभी अंचलों को कवर करते हुए संगामी लेखा परीक्षकों की समीक्षा बैठकें आयोजित की गई। संगामी लेखा परीक्षकों को सीबीएस तथा बैंक के अन्य सिस्टमों से और अधिक परिचित कराने के लिए विभिन्न केन्द्रों पर जॉब ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- दैनिक आधार पर सुधारात्मक कार्रवाई हेतु शाखाओं को सुग्राही बनाने के लिए बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय एवं अंचल कार्यालयों में द्विस्तरीय रूप से ऑफसाइट निगरानी कार्यक्रम चलाए गए।
- निरीक्षकों को आधुनिकतम गतिविधियों से अवगत कराने और उनके रिपोर्टिंग कौशल को सुधारने हेतु अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- सुव्यवस्थित संशोधनों के लिए धोखाधड़ी, समाविष्ट पहचान, वर्गीकरण, रिपोर्टिंग, जांच, मानीटरिंग तथा अनुवर्ती कार्रवाई, संवरण, धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए निगरानी, नकली डेटा का एकत्रीकरण तथा डेटा विश्लेषण से संबन्धित सभी गतिविधियों को समन्वित करने की प्रमुख ज़िम्मेदारी के साथ निरीक्षण विभाग के अंतर्गत धोखाधड़ी विरोधी कक्ष कार्यरत है।

अनुपालन

- बैंक की अनुपालन नीति बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित की गई है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक में उप महाप्रबंधक के नेतृत्व में एक स्वतंत्र अनुपालन विभाग स्थापित किया गया है। यह विभाग बैंक के कार्यों को अधिशासित करनेवाले विभिन्न सांविधिक एवं विनियामक दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी करता है, यथा :
- विभिन्न विधानों जैसे बैंकिंग विनियमन अधिनियम, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, धन–शोधन निवारण अधिनियम आदि।
- भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, बीमा विनियामक एवं विकास एजेंसी आदि द्वारा जारी विनियामक दिशानिर्देश।
- भारतीय बैंक संघ, भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर संघ, फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट डीलर्स एसोसिएशन आदि जैसी उद्योग संघों द्वारा निर्धारित स्वैच्छिक मानक एवं कोड
- परिपत्रों, मैनुअलों के जरिए जारी बैंक की आंतरिक नीतियां, आचरण कोड, दिशानिर्देश आदि।

सतर्कता

- बैंक के सतर्कता प्रशासन हेतु सतर्कता विभाग उतरदायी है। सतर्कता प्रशासन पर, विभाग केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीबीसी) द्वारा निदेशित किया जाता है तथा सीवीसी के साथ परामर्श करने के लिए संपर्क के एकल स्थान की भूमिका निभाता है।
- विभाग के मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) हैं जिन्हें इस पद हेतु केंद्रीय सतर्कता आयोग की सिफारिशों पर भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता

- Solar power is being implemented in all the Bank's own premises, wherever it is technically feasible and this is expected to reduce the annual overall expenditure on energy consumption by about 4-5 per cent.

LED Lamps:

- Bank is in transition stage in adopting new technological products in the illumination systems by furnishing the interior lighting systems with new LED lamps.
- All the new branches furnished are being illuminated with LED lighting only.
- Lighting provided in existing branches is being altered in a phased manner. Presently 158 Branches/Offices are provided with LED lighting.

Other Green Initiatives

- The Sewage Treatment Plant housed at the basement of the Bank's Corporate Office generates 20,000 litres of treated water per day, which is utilised for daily usages.
- Rainwater Harvesting System has been implemented in all the Bank's Buildings across the country.
- Energy Audits are conducted for branches & offices periodically.
- Air-conditioners installed at branches and offices are provided with timers for auto-cut-off to reduce energy consumption. Installation of harmonic filters and the usage of star rated electrical appliances have considerably reduced the consumption of electricity.

INTERNAL CONTROLS

- During the year, Risk Based Internal Audit (RBIA) was carried out in 1803 branches. Information system Audit covered 1796 branches and 1273 ATMs during the year.
- 530 branches were covered under concurrent audit, covering 62.62 per cent of total domestic deposits and 71.19 per cent of domestic advances as on 31.03.2016. Overall, 66.17 per cent of domestic business was covered under Concurrent Audit.
- Risk Based Concurrent Audit is in vogue from 01.04.2013.
- Revenue Audit covering 1930 branches with business exposure of ₹10 crore and above was carried out to identify leakage of income if any, in addition to RBIA and Concurrent Audit.
- Management Audit of 38 Zonal Offices was conducted during the year under review and follow up action initiated for compliance.
- Information Systems (IS) Audit of information & Communication Technology (ICT) infrastructure - CBS application suite, data centre and CBS project office was carried out by an external audit firm during the period of review.
- Meetings with Concurrent auditors were conducted in all the Zones to tone up the efficiency of concurrent audit system and for improving the quality of concurrent audit reports. On the job training programmes were conducted at various centres to Concurrent auditors to make them more familiar with the CBS and other systems of the Bank.
- Offsite monitoring activities were carried out in the Bank on a two tier setup at Corporate Office and Zonal Offices to sensitize the Branches for corrective action on a daily basis.
- Separate programme for inspectors was conducted during the year to make them familiar with the latest developments and to improve their reporting skills.
- The Anti Fraud Cell is functioning under Inspection Department with the predominant responsibility of co-ordinating all activities related to fraud, comprising identification, classification, reporting, investigation, monitoring and follow-up, closure, surveillance for fraud prevention, pooling of fraud data and analysis of the data for systemic improvements.

COMPLIANCE:

- The Bank's Compliance Policy has been duly approved by the Board. In accordance with the Reserve Bank of India guidelines, an independent Compliance Department headed by a Deputy General Manager has been set up in the Bank. The Department monitors adherence to various statutory and regulatory guidelines governing the Bank's functioning such as:
- Various legislations such as Banking Regulation Act, Reserve Bank of India Act, Foreign Exchange Management Act, Prevention of Money Laundering Act etc.
- Regulatory guidelines issued by Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board of India, Insurance Regulatory and Development Agency etc.
- Voluntary standards and codes prescribed by industry associations such as Indian Banks' Association, Foreign Exchange Dealers' Association of India, Fixed Income Money Market Dealers Association etc.
- Bank's internal policies, codes of conduct, guidelines etc. issued by way of Circulars, Manuals etc.

VIGILANCE

- Vigilance department is responsible for vigilance administration of the Bank. The department is guided by Central Vigilance Commission (CVC) guidelines on Vigilance administration and is the single point of contact for consultations with CVC.
- The department is headed by Chief Vigilance Officer (CVO) who is appointed to the post by Government of India on the recommendations of Central Vigilance

है। धोखाधड़ी के संबंध में आरबीआई/सीबीआई के साथ संबंध स्थापित करने के लिए सीवीओ नोडल अधिकारी है।

- अनुशासनात्मक कार्रवाई के मामले में सहायक महाप्रबंधक और इससे ऊपर के सभी अधिकारी सीवीसी के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। सभी अवार्ड – स्टाफ कर्मचारियों तथा सहायक महाप्रबंधकों के पद से नीचे के अधिकारियों को शामिल कर सतर्कता अनुशासनात्मक कार्रवाई के संबंध में तथा सजा की प्रकृति के रूप में सीवीओ सलाह प्रस्तुत करता है। सहायक महाप्रबंधकों और उससे ऊपर के अधिकारियों के संबंध में सीवीसी द्वारा प्रस्तुत सलाह तथा अनुपालन हेतु बैंक द्वारा उक्त पर विधिवत विचार किए जाने को सीवीओ सुनिश्चित करता है।

- विभाग, बैंक में धोखाधड़ी निवारण के हिस्से को बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित करते हुए सक्रिय ढंग से कार्य कर रहा है और केन्द्रीय सतर्कता आयोग के समय–मानदंडों तथा दिशानिर्देशों के अनुरूप सभी सतर्कता मामलों का निपटान करता है।

- बैंक के विभिन्न अंचल कार्यालयों में कार्यरत सतर्कता अधिकारियों द्वारा शिकायतों और धोखाधड़ी की जांच की जाती है और धोखाधड़ी का विश्लेषण कॉर्पोरेट कार्यालय में निरीक्षण विभाग के अंतर्गत धोखाधड़ी विरोधी कक्ष द्वारा किया जाता है।

- 27 अक्टूबर 2015 से 31 अक्टूबर 2015 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। सीवीसी की सलाह के अनुसार, 8 केन्द्रों चेन्नै, कोयमबत्तूर, गुंटूर, मदुरै, पुदुच्चेरी, सेलम, तिरुचिरापल्ली तथा तिरुनेलवेली में काफी सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए। आवंटित केन्द्रों पर चुनिन्दा महाविद्यालयों व विद्यालयों में (कक्षा नवीं व इससे ऊपर के विद्यार्थियों के लिए) वाद–विवाद, पेनल विचार–विमर्श तथा वक्तृत्व तथा निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। भ्रष्टाचार व इसके दुष्प्रभाव से संबन्धित विभिन्न विषय, नैतिकता व मूल्यों, ईमानदारी व सत्यनिष्ठा की महत्वता, आचारनीति, शासन में पारदर्शिता व भ्रष्टाचार के विरुद्ध युवा कैसे लड़ सकते हैं तथा और भी इसी से संबंधित मुद्दे इन कार्यक्रमों के विषय थे।

- पारण अधिकारियों/जांच अधिकारियों, सतर्कता अधिकारियों, अनुशासनिक प्राधिकारियों के लिए वर्ष के दौरान तीन विशेष इन–हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

सुरक्षा

- बैंक की सुरक्षा व्यवस्था परिचालनगत जोखिम प्रबंधन प्रणाली को पूरा करने के लिए बैंक में एक सुव्यवस्थित सुरक्षा मशीनरी उपलब्ध है। सावधानियाँ तथा रोकथाम मुख्य तत्व हैं जिसके आधार से सुरक्षा दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं।

- बैंक के पास आधुनिक मजबूत सुरक्षा प्रणालियां हैं अर्थात ऑटो डयलर के साथ बर्गलर अलार्म और अग्नि अलार्म, अग्निशमन यंत्र तथा सभी शाखाओं में वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार हाइ रेज़लूशन केमरों के साथ सीसीटीवी सिस्टम उपलब्ध कराया गया है।

- सभी शाखाओं के सर्वर कक्ष में स्वचालित अग्निशमन यंत्र लगाए गए हैं। मुद्रा तिजोरी पर बायोमैट्रिक एक्सेस कंट्रोल सिस्टम लगाया गया है। सभी नए एटीएम जमीन से जुड़े हुए हैं।

- बैंक की संपत्ति की सुरक्षा के लिए नकद विप्रेषण के दौरान संपत्ति सुरक्षा मानकों की अनुपालना की गई व प्रक्रियात्मक सुरक्षा चौकसी को अपनाया गया।

- सुरक्षा अधिकारियों की एक टीम के द्वारा शाखाओं/मुद्रा तिजोरियों का नियमित निरीक्षण किया जाता हैं। प्रतिकूल घटनाओं की रोकथाम के उद्देश्य से निरीक्षण के दौरान पाई गईं विसंगतियों/कमियों को दूर कर शाखा/एटीएम पहलुओं को मजबूत बनाया जाता है।

- प्रत्येक वर्ष सुरक्षा अधिकारियों हेतु एक वार्षिक प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है, जिसमें अधिकारियों को नवीनतम तकनीकी प्रगति को अपने बैंक में कार्यान्वित करने के संबंध में अद्यतन किया जाता है। प्रत्येक वर्ष, सशस्त्र गार्डों के लिए लाइव फायरिंग प्रेक्टिस व फायर फ़ाईटिंग ट्रेनिंग आयोजित की जाती है।

- स्टाफ सदस्यों के बीच सुरक्षा में संबंधित जागरुकता पैदा करने के लिए हेल्प डेस्क पर वर्तमान सुरक्षा माहौल एवं निहित खतरों से निपटने के उपायों पर प्रकाश डाला गया है जिसकी ओर स्टाफ सदस्यों का ध्यान आकर्षित हो सके। साथ ही साथ शाखा प्रबंधकों/अंचल प्रबंधकों एवं द्वितीय कमान तथा सुरक्षा अधिकारियों को भी यह संदेश दोहराया जाता है।

- राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय सुरक्षा समिति एवं अन्य सांविधिक बैठकों में मुख्य रूप से चर्चा किए गए मुद्दे संबंधित अंचल कार्यालयों को दिए जाते हैं और इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है।

राजभाषा का कार्यान्वयन

- बैंक राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा राजभाषा नियम, 1976 के आधार पर राजभाषा का सक्रियतापूर्वक कार्यान्वयन कर रहा है। राजभाषा का कार्यान्वयन गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले वार्षिक कार्यक्रम तथा समय–समय पर वित मंत्रालय द्वारा जारी किए जाने वाले दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

- आम जनता के लिए ''आपका अपना बैंक'' होने के बैंक के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सीबीएस तथा एटीएम परिचालनों में हिन्दी की सुविधा का प्रावधान किया गया है।

- हिन्दी में होम पेज के साथ–साथ हिन्दी वेबसाइट उपलब्ध है। बैंक के इंट्रानेट, जिसके माध्यम से संपूर्ण इंडियन बैंक की टीम तक नीतियां, उत्पाद और विभिन्न प्रगतियों की सूचना पहुंचायी जाती है, में पृथम हिन्दी खंड उपलब्ध कराया गया है।

Commission. CVO is the nodal Officer to liaise with RBI / CBI in respect of frauds.

- All officers of the rank of Asst General Manager and above come within the jurisdiction of CVC in the matter of disciplinary proceedings. CVO tenders advice as to the nature of disciplinary proceedings and punishment in respect of vigilance disciplinary proceedings involving Officers below the rank of Assistant General Managers and all award-staff employees. CVO ensures that advices tendered by CVC in respect of officers of the rank of Assistant General Managers and above are duly considered for compliance by the Bank.
- The department is functioning in a proactive manner, focused on increasing the fraud deterrence quotient within the Bank and disposing of all vigilance disciplinary cases in line with the Central Vigilance Commission's time norms and guidelines.
- Investigations of complaints and frauds are undertaken through vigilance officers located in the various Zonal offices of the bank. Analysis of frauds is undertaken at corporate office by Anti-Fraud Cell functioning under Inspection Dept.
- Vigilance Awareness Week was observed from 27th October 2015 to 31st October 2015. As per the advice of CVC, outreach activities were organised in 8 centres namely Chennai, Coimbatore, Guntur, Madurai, Puduchery, Salem, Tiruchirapalli, and Tirunelveli. Debates, panel discussions, elocution and essay competitions were organised in select colleges and schools (for students of class IX & above) in the allotted centres. Various topics relating to corruption and its ill effects, importance of morals and values, honesty and integrity, ethics, transparency in governance and how youth can participate in the fight against corruption and such related issues were topics for these outreach activities.
- Three exclusive in-house training programs were held for the Presenting Officers/Inquiring Authorities, Vigilance Officers and Disciplinary Authorities during the year.

SECURITY

- Security mechanisms of the Bank are well established to supplement the Operational Risk Management Systems. Precautions and Prevention is the prime core around which Security guidelines are formulated.
- Bank has a healthy mix of modern Security Systems viz., Burglar and Fire Alarm Systems with Auto Dialer, Fire Extinguishers, and CCTV Systems with high resolution (IR) cameras in consonance with current requirement is provided to all branches and ATMs.
- Automatic Fire Extinguishers are installed in all server rooms of branches. Biometric Access Control System is installed in Currency Chests. All Currency Chests are provided with Bank's Armed Guards. All new ATMs are grouted.
- Adhered to Asset protection measures and followed procedural safe guards during cash remittances for safety of Bank's assets.
- Regular inspection of Branches / Currency Chests is carried out by a team of Security Officers. Deficiencies / Shortcomings observed during the inspection are followed for rectification to strengthen the security aspects of the Branch / ATM with the objective of preventing untoward incidents.
- Annual Training of Security Officers is carried out every year where the officers are updated with the latest technological advancement for implementing the same in our Bank. Live firing practice and fire fighting training is conducted for armed guards, every year.
- To enhance security awareness amongst staff members, topics highlighting current security scenario with precautionary measures to overcome inherent threats are ported on CBS Help Desk to catch the attention of the staff members and customised Short Message Service (SMS) are sent to Branch Managers, Zonal Managers, Second-in-Command and Zonal Security Officers reiterating the same.
- Security aspects highlighted during State Level, District Level Standing Security Committee meetings and other statutory meetings are disseminated to respective Zones and Compliance ensured.

IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE

- Bank is actively implementing Official Language based on the Official Language Act, 1963 and the Official Language Rules, 1976. Official Language is implemented as per the Annual Programme issued by the Ministry of Home Affairs, Government of India and the guidelines issued from time to time by the Ministry of Finance and Reserve Bank of India.
- In keeping with the Bank's objective of being "Your Own Bank" to the common man, the facility of Hindi in CBS and in ATM operations has been provided to cater to the common man.
- Bank's Home Page as well as its Website is available in Hindi. Bank's intranet, through which all the policies, products and developments in the Bank reach the entire Indian Bank team, has a separate Hindi Section.

- विपणन के लिए और एपीवाई, पीएमजेडीवाई आदि सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के संबंध में जन सामान्य के बीच प्रचार करने के लिए बैंक से एसएमएस संदेश, हिन्दी एवं स्थानीय भाषाओं में भेजे जाते हैं। बैंक के सभी कम्प्यूटरों में हिन्दी में वर्ड प्रोससिंग तथा यूनिकोड के प्रयोग से हिन्दी में काम करने की सुविधा उपलब्ध है।

- कार्यशालाओं के माध्यम से स्टाफ सदस्यों को हिन्दी का प्रशिक्षण दिलाने पर बैंक द्वारा विशेष जोर दिया जाना जारी रहा। विभिन्न अंचल कार्यालयों में भी हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की गई। इस अवधि के दौरान कुल मिलाकर देश भर में हमारे बैंक ने 60 कार्यशालाएँ आयोजित कीं।

- राजभाषा कक्ष ने सफल रूप से बैंक का दौरा करनेवाले विभिन्न संसदीय समितियों का समन्वयन किया है।

- बैंक के विभिन्न अंचलों को राजभाषा के कार्यान्वयन में उत्तम काम के लिए स्थानीय नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों ने पुरस्कृत किया है।

बैंक के अन्य पहलें

- अटल पेंशन योजना (एपीवाई): बैंक ने एक लाख से भी अधिक एपीवाई ग्राहक जोडे जिसके जरिए बैंक को 1.30 करोड़ रुपए का कमीशन प्राप्त हुआ।
- **सार्वभौमिक स्वर्ण बॉण्ड :** बैंक ने वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान 3 श्रृंखलाओं (किश्तों) के जरिए रुपए 131.39 करोड़ संग्रहित किए हैं।
- पॉइंट आफ सेल (पीओएस): बैंक ओपी एक्स मॉडल के साथ मेसर्स एमआरएल पोसनेट प्राइवेट लिमिटेड के साथ जठ–जोड करते हुए 31.12.2015 से पीओएस कारोबार की ओर अग्रसर हुआ है। ग्राहकों की आवश्यकतानुसार नीचे दिए गए मॉडल व्यापारियों को प्रदान किया जा रहा है–
    - **जीपीआरएस पी ओएस टर्मिनल**
        - डिजिटल पीओएस टर्मिनल (हरित पहल – वायरलेस, प्रिंटर के बिना)
        - हाथों में रखकर उपयोग किए जाने वाले पीओएस टर्मिनल (वायरलेस प्रिंटर)
        - डेस्क टॉप पीओएस टर्मिनल (वायर से जुडे हुए एवं प्रिंटरयुक्त)
        - एमपीओएस टर्मिनल (शीघ्र ही आ रहा है)
    - **पीएसटीएन पीओएस टर्मिनल (वायर एवं प्रिंटर युक्त)**
- हमारे 26 अंचलों में जुलाई एवं आगस्त 2015 एवं जनवरी 2016 के दौरान पेंशन अदालत चलाए गए।

- हमारे बैंक के पास 87 सिक्का डिस्पेनसिंग मशीन है जिनमें 7 मशीन 2015–16 के दौरान लगाए गए। बैंक को फटेपुराने नोटों, के विनिमय, सीबीएस तथा बीएनए इंस्टाल करने इत्यादि के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से 265.45 लाख रुपए प्रोत्साहन के रूप में प्राप्त हुए।

- वर्ष के दौरान विभिन्न जगहों पर 70 फटे पुराने नोटों के विनिमय मेले आयोजित किए गए। इस दौरान 1.53 करोड़ रुपए तथा 1.55 करोड़ रुपए के सिक्कों का विनिमय/वितरण किया गया।

- SMS messages for disseminating information to customers for marketing and on the various governments sponsored schemes like APY, PMJDY etc are being sent in Hindi along with vernacular languages. All the computers of the Bank have the facility of word processing in Hindi and to work in Hindi by using Unicode.
- Special emphasis is continuously being laid by the Bank to train the staff members in Hindi through workshops. Hindi workshops have also been organised by Zonal Offices. Bank had organised 60 workshops in the country during this period.
- Visits of various Parliamentary Committees to the Bank have been successfully coordinated by Official Language Cell.
- Various Zones of the Bank have received prizes from the Town Official Language Implementation Committees of their area for their contribution to "Hindi" implementation.

OTHER INITIATIVES BY THE BANK

- Atal Pension Yojana (APY): Bank sourced more than one lakh APY subscribers and was thereby entitled for a commission of ₹1.30 crore.
- **Sovereign Gold Bonds:** Bank has made a collection to the tune of ₹ 131.39 crore in the 3 tranches during FY 2015-16.
- Point of Sale (PoS): Bank has entered into PoS acquiring business by engaging M/s MRL Posnet Pvt Ltd, under OPEX model with effect from 31.12.2015. The following types of terminals are provided to the merchants based on their need:
  - **GPRS POS Terminals:**
    - Digital POS Terminals (green initiative-wireless without printer)
    - Hand held POS Terminals (wireless with printer)
    - Desktop POS Terminals (wired with printer)
    - MPOS Terminals (to be launched shortly)
  - **PSTN POS Terminals (wired with printer)**
- Pension Adalats were conducted in 26 Zones in the months of July 2015, August 2015 and January 2016.

- Bank is having 87 Coin Vending Machines, of which 7 were installed during the year 2015-16. Bank has received incentives from RBI to the tune of ₹ 265.45 lakhs on Exchange of soiled notes, installation of CVMs and BNAs.
- During the year, 70 Soiled Note Exchange Melas were conducted in various places. Notes to the tune of ₹ 1.53 crores and Coins to the tune of ₹ 1.55 crores were exchanged / distributed.

- बैंक को वर्ष 2015–16 के दौरान गुजरात एवं मध्यप्रदेश राज्यों में सीएसीटी / वीएटी वसूल करने के लिए प्राधिकृत किया गया है तथा प्राधिकृत शाखाओ की संख्या 452 से बढ़कर 462 हो गई है।

- वर्ष के दौरान 2452 सुकन्या समृद्धि खाते खोले गए एवं इन खातों में 686.67 लाख रुपए का समाहरण किया गया।

विपणन

- **डिजिटल पहल एवं डिजिटल चैलनों की ओर प्रस्थान।** बैंक के सभी एटीएम परिसरों एवं बैंक के चेन्नै सेन्ट्रल रेलवे स्टेशन में स्थित एटीएम में डिजिटल विज्ञापन प्रदर्शित किए है।

- बैंक ने मार्च 2016 के दौरान ''इंडकुटुंब'' की एक आंतरिक (बंदसमूह) फेसबुक ग्रूप का शुभारंभ किया है, जिसका दोहरा उद्देश्य बैंक के स्टाफ सदस्यों को एक और आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय संचार माध्यम उपलब्ध कराना है ताकि वे अपने क्षेत्र स्तर के अनुभवों को इसके माध्यम से बाँट सकें और एक–दूसरे को समझ सकें तथा यह बैंक द्वारा सोशियल मीडिया प्लेटफार्म पर बैंक के आधिकारिक शुभारंभ की पूर्वपीठिका बन सके।

- गृह ऋणों के लिए लीड जनरेट करने एवं त्योहार ऑफरों / फेस्टिवेल गृह ऋण ऑफरों को प्रमोट करने एवं लीड जनरेट करने के लिए बैंक ने अपने आप में एक अनोखा लीड जनरेशन कैंपेन www.99acres.com नामक भारत की अग्रणी डाटा बेस एवं सर्च कंपनी की वेब साइट पर है। 45 दिवस का यह अभियान, जिसका वेबसाइट पर बैनर के जरिए विज्ञापन दिया गया था, इसे ई–मेल / फोन के जरिए 13 लाख उपयोग कर्ताओं तक पहुँचाया गया है। इसके ज़रिए लगभग 1650 लोगों ने पूछ–ताछ की और इनमे से लगभग 31 करोड़ रुपए के कारोबार क्षमता का ऑकलन किया गया है।

- तमिलनाडु की अग्रणी एफएम रेडियों सूर्या एफएम 93.5 चैनेल के माध्यम से त्योहार के समय के ऑफरों, गृह ऋण और वाहन ऋण के लिए अक्तूबर–नवंबर 2015 के दौरान 3 दिवसीय विज्ञापन अभियान चलाया गया।

कॉर्पोरेट संप्रेषण विभाग

- वर्ष 2015–16 के दौरान बैंक ने विभिन्न गतिविधियों के जरिए अपने उत्पादों, उपलब्धियों एवं कल्याणकारी उपायों को सामान्य जनता तक पहुँचाने पर ध्यान केन्द्रित किया।.

- बैंक ने अपना टैगलाइन बदल कर नया टैगलाइन –' आपका अपना बैंक' किया

- अपने उत्पादों को लाँच करते समय तथा वित्तीय / परिणामों के घोषणा के दौरान एवं प्रमुख बैठकों एवं आयोजनों के दौरान बैंक ने पत्र–पत्रिकाओं में कई संपादकीय कवरेज आयोजित किए।

- वृक्षारोपण (ड्राइव) के दौरान इकनोमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, बिजिनेस स्टैन्डर्ड, फाइनेन्सियल एक्स्प्रेस, हिन्दुस्तान टाइम्स, न्यू इंडियन एक्स्प्रेस, डेली तन्दी, राजस्थान पत्रिका, लोकमत, दिनमनी इत्यादि पत्रों द्वारा बैंक का विस्तृत कवरेज किया गया। दिसंबर 2015 के दौरान चेन्नै में आई बाढ़ के दौरान बिना किसी रुकावट के बैंक द्वारा प्रदान किए गए सेवाओं मरीना बीच में चलाए गए स्वच्छभारत अभियान, अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित किए गए रक्त एवं अंग दान तथा 109 वीं स्थापना दिवस समारोह का भी इन समाचार पत्रों कवरेज किया गया।

- बाढ़ के दौरान बैंक ने संचार मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुँचने के विशेष प्रयास किए।

- बैंक ने अपने तकनीकी उत्पादों, जैसे इंड पे, ईपर्स, मिस्ड काल सुविधा, आईबी वी कलेक्ट, आईबी स्मार्ट रिमोट तथा आइएमपीएस इत्यादि का विपणन विभिन्न माध्यमों के जरिए एक साथ दक्षिण के पाँच राज्यों में किया। प्रिंट मीडिया के जरिए कुछ महानगरों एवं महानगरों के शहरों में भारत में प्रसिद्ध वेबसाइटों के जरिए एवं एफएम रेडियों के जरिए सफलता पूर्वक विज्ञापन शिविर चलाया गया।

- एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट की हैसियत से बैंक ने जरूरतमंदो एवं सीमांतर जनता तक विभिन्न योजनाओं के जरिए पहुँचने की कोशिश की है।

  - ❖ स्वस्थ भारत निर्माण – शंकर नेत्रालय, चेन्नै के लिए कनसलटिंग कमरों का निर्माण किया गया।
  - ❖ हजारीबाग में स्थित जोहर हेल्थ मेडिकल आर्गनायजेशन के लिए बैंक ने वैद्य उपकरण युक्त मेडिकल वाहन भेंट किया है।
  - ❖ स्किल इंडिया : युवकों के कौशल को बढ़ाने के लिए कार्यरत विजयवाड़ा की स्वर्ण भारत ट्रस्ट को युवकों को कौशलता प्रदान करने के लिए सहायता प्रदत्त की गई।
  - ❖ बेटी बचाओ – लैंगिक समानता के दिशा में योगदान – पॉपुलेशन फस्ट लाडली

- Bank has been authorised to collect CST / VAT for the States of Gujarat and Madhya Pradesh during the Financial Year 2015-16 and number of authorised branches have gone up from 452 to 462.
- 2452 Sukanya Samridhi accounts were opened during the year and the amount collected was ₹686.67 lakhs.

MARKETING

- **Digital Initiatives and Migration into Digital Channels:** Digital advertisement board is placed at ATM premises located in Chennai Central railway station.
- A closed Facebook group, namely "Ind Kutumb" has been launched during March 2016 with the twin objective of providing another official channel of internal communication to the Bank's employees to share their field experiences and learn from each other and establish a prelude to the Official launch of Bank on Social Media platforms.
- A first-of-its-kind lead generation campaign for Home Loan was centrally conducted on www.99acres.com, a leading real estate search and database company in India to promote our Festive Home Loan Offers. This 45-day campaign, which was executed via banner ad on website, direct emailers and calls to a curated list of interested customers (as offered by 99acres), reached over 13 lakh users. It elicited over 1650 enquiries, out of which a potential business of ₹31 crore is expected.

- Suryan FM: A 3-day advertisement campaign was run on Suryan FM 93.5 FM, the leading FM radio channel in Tamilnadu, for promoting the festive offers under Home Loan and Vehicle Loan during October - November 2015.

CORPORATE COMMUNICATION

- During 2015-16, Bank focused on various activities to reach out the customers with the Bank's products, achievements and welfare for the general public.
- Bank changed its Tagline to a new Tagline – YOUR OWN BANK
- Bank organised several editorial coverage on various occasions of Product Launch, Financial Results, and Important Meets/ events.
- Bank had been widely covered by Economic Times, Times of India, Business Standard, Financial Express, Hindustan Times, New Indian Express, Daily Thanthi, Rajasthan Patrika, Lokmat, Dina Mani etc during plantation drive, uninterrupted banking services during the flood situation at Chennai in December 2015, Swachh Bharat abhbiyan at Marina Beach, Pan-India Blood/ Organ Donation Camps and 109th Foundation Day Celebration.
- During the floods, Bank made special efforts to reach out the masses through mass media.
- Bank ran successful advertisement campaign covering different media vehicles to improve visibility of the Tech products like IndPay, e-purse, missed call facility, IB V Collect, IB Smart Remote and IMPS simultaneously through Print Media in 5 Southern States, FM in select Metro and Class-A cities and Top Brand websites pan-India.
- Bank as a responsible Corporate Citizen worked to reach out to the needy and marginalised population through various contributions :-
    - Swasth Bharat: Construction of consultation rooms for Sankar Nethralaya, Chennai.
    - Bank contributed equipped Medical Van for Johar Health Medical Organization to be operated in Hazaribagh
    - Skill India: - Supported building and running Swarna Bharat Trust at Vijaywada for skill building of youth.
    - Beti Bachao: - Contribution towards gender equality issue by Population First – Laadli.

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

- बैंक की कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व बैंकिंग क्षेत्र से आगे बढकर नैतिक मूल्यों के सम्मान, पर्यावरण एवं समुदायों तथा जन सम्मान की दिशा में भी अग्रसर हुई।

- भारत के नागरिकों की सेवा के लिए एक सशक्त कॉर्पोरेट होने के नाते, बैंक समाज के लिए विभिन्न पहल चला रहा है। मानवता की गर्वमयी सेवा, लोगों के दिल को छू जाने, सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में अग्रसर होने के नाते बैंक को हाल ही में कई प्रशस्तियाँ प्राप्त हुई है।

सीएसआर गतिविधियों के लिए बैंक की संरचना

- बैंक ने नागरिकों की सेवा में हमेशा तत्परता दिखलाने वाली एक अधिकारी की पहचान की है और उन्हें चैंपियन बनाया है।

  - ❖ सीएसआर की ओर दिखाई जाने वाली तत्परता, योग्यता एवं रवैया के अनुरूप सीएसआर के स्वयं सेवकों का चुनाव 'इमेज' द्वारा किया जाता है।

  - ❖ 83 स्वयं सेवकों के लिए दो दिवसीय सीएसआर कार्यशाला का आयोजन इमेज में (नवंबर 30 से दिसंबर 01, 2015) तक किया गया।

  - ❖ कार्यशालाओं के दौरान प्रशिक्षार्थियों को क्लासरूम एवं क्षेत्र स्तर का एक्सपोजर प्रदान किया जाता है तथा वृद्धि सदनों/अनाथालयों का दौरा एवं सफाई अभियान भी लगातार अयोजित किए जाते है। ऐसे 270 प्रशिक्षार्थियों को सीएसआर क्रियाकलापों का एक्पोजर दिया गया ।

- बैंक द्वारा ली गई सीएसआर पहल

8 जनवरी 2016

गो ग्रीन पहल
गो ग्रीन देशभर में 1.20 लाख वृक्षारोपण

गणतंत्र दिवस 2016

प्रनि एवं मुकाअ ने गो ग्रीन पुस्तिका का विमोचन किया

- अखिल भारतीय रक्त दान एवं स्वस्थ्य एवं नेत्र चेकअप शिविरों का आयोजन :

विवरण	शिविरों की संख्या	दानदाता/ लाभार्थी
रक्त दान	102	4346
स्वास्थ्य शिविर	137	21157
नेत्र/अंग दान	-	2433
अन्य गतिविधियां	-	740

- मननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 02 अक्तूबर 2014 को शुरू किए गए स्वच्छ भारत अभियान को निष्ठा के साथ बढाने हुए टीम इंडियन बैंक ने इस मिशन में बडे उत्साह के साथ भाग लिया। प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के नेतृत्व में मरीना बीच, चेन्नै में प्रकाश स्तंभ क्षेत्र की सफाई की गई।.

- बलिका विद्यालयों में स्वच्छ विद्यालय अभियानः के तहत 108 शौचालयों का निर्माण किया गया।

- दिव्या : इंडियन बैंक ने इस बालिका को वर्ष 2012 में गोदलिया और बैंक की देख–रेख में नर्सिंग कोर्स पढ़ रही है।

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

- Corporate Social Responsibility (CSR) initiatives of the Bank extend beyond banking and lead it to honour ethical values and respect people, communities and the natural environment.
- As a strong corporate, the Bank is taking up various initiatives for the benefit of the society with the commitment to serve the people of India. Proud of its humanitarian services, the Bank has achieved many accolades in recent past to touch many lives and bring in positive change.

Bank's structure for CSR Activities

- Bank had identified an Officer as Champion, based on their flair for serving the citizens in their upliftment and growth.
  - ❖ Based on the aptitude and attitude towards CSR, the faculty of IMAGE identifies volunteers for CSR activities.
  - ❖ 2 days CSR workshop (November 30 - December 1, 2015) was conducted for 83 volunteers from various states at IMAGE
  - ❖ Trainees are given classroom and field exposure during the workshops, visits are organised to orphanages/ old age homes. Conducted cleanliness drive on an ongoing basis. 270 such trainees have been exposed to such CSR activities
- CSR initiatives taken by the Bank:

8 January 2016

Go Green Initiative
Pan-India Plantation of over 1.20 Lakh saplings

Republic Day 2016

MD & CEO released CSR Booklet and Go Green booklet

- Pan-India Blood Donation, Health and Eye Check-up Camps through the Branches/ Zones

Particulars	No. of Camps	Donors / Beneficiaries
Blood Donations	102	4346
Health Camp	137	21157
Eye / organ Donation	-	2433
Other activities	-	740

- Swachh Bharat Abhiyan : Continuing the crusade of Swachh Bharat Mission launched on October 2, 2014 by the Hon'ble Prime Minister, Team Indian Bank joined the mission with great enthusiasm. Team Indian Bank lead by MD & CEO cleaned up Light House area in Marina Beach, Chennai.

- Swachh Vidyalaya Abhiyan : Construction of 108 Toilets in Girls Schools.
- Divya - Indian Bank adopted Daughter in the year 2012 is now pursuing Nursing with the help of the Bank.

- चेन्नै में आई बाढ़ :
  - ❖ नोच्चीकुप्पम, चेन्नै में मछुआरों के गाँव को गोदलेना।
  - ❖ बैंक ने स्कूलों में नोट पुस्तिकाओं के वितरण का आयोजन किया।
  - ❖ अपोलो अस्पताल एवं कावेरी अस्पताल के सहयोग से गाँव में स्वस्थ्य जाँच शिविर आयोजित किए गए।
  - ❖ बैंक ने साबुन, टूथपेस्ट, ब्रश, नारियल का तेल, माचीस, मच्छर के कायल के अलावा 800 भोजन के पैकेट, 200 पानी की बोतलें 100 नए–चादर वितरित किए।

- Chennai Floods:
  - ❖ Adoption of Fishermen village - Nochikuppam, Chennai.
  - ❖ Bank organised distribution of notebooks in School.
  - ❖ Health check-up camp was organised in the village in association with Apollo Hospital and Kaveri Hospital.
  - ❖ Bank distributed 800 food-packets, 200 water bottles, 100 new bed-sheets apart from soap, tooth-paste, brush, coconut oil, match-box, mosquito coils etc.

व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट – 2015–16

खण्ड ए: कंपनी का सामान्य परिचय

1. कंपनी की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	लागू नहीं
2. कंपनी का नाम	इंडियन बैंक
3. पंजीकृत पता	66, राजाजी सालै, चेन्नै - 600 001
4. वेबसाइट	www.indianbank.in
5. Email	indmail@indianbank.co.in
6. रिपोर्ट का वित्तीय वर्ष	2015-16
7. कंपनी के व्यावसायिक क्षेत्र (औद्योगिक गतिविधि कोड–वार)	बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएं
8. 3 मुख्य उत्पाद / सेवाएँ जो निर्माता देता है (तुलन पत्र के अनुसार)	ज्मा उत्पाद, ऋण उत्पाद एवं प्रेषण आदि
9. स्थानों की कुल संख्या जहां कंपनी द्वारा व्यापार गतिविधियां की जाती है। स्थानों की कुल संख्या I. राष्ट्रीय II. अंतर्राष्ट्रीय	 31.03.2016 को 2562 शाखाएँ 3 (सिंगापुर, कोलंबों एवं जाफना)
10. कंपनी द्वारा जिन बाज़ारों में सेवा प्रदान की जाती है – स्थानीय / राज्य / राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय	राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय बाजार 27 राज्यों एवं 6 संघ राज्य क्षेत्रों में बैंक की शाखाएं है और सिंगापुर एवं श्रीलंका में बैंक की अंतराष्ट्रीय उपस्थिति है।

खंड बी: कंपनी के वित्तीय ब्यौरे

1) प्रदत्त पूंजी (भारतीय रुपये)	480.29 करोड़
2) कुल कारोबार (भारु) / राजस्व	₹ 3,10,917.98 करोड (कुल कारोबार)
3) कर चुकौती के बाद कुल लाभ (भारु)	₹ 711.38 करोड
4) कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर कर चुकाने के बाद लाभ के प्रतिशत के रूप में कुल व्यय	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए सीएसआर पर व्यय अनिवार्य नहीं है। तथापि बैंक ने ₹295.84 लाख व्यय किया है ।

(₹लाखों में)

क्रमसं	सीएसआर गतिविधियाँ	विवरण	राशि
1.	समावेशी प्रगति	शंकरा नेत्रालय में पाँच कनसलटेशन कमरों का निर्माण	75.00
2.	समावेशी प्रगति	अखिल भारतीय स्तर पर रक्त, आँख, अवयवों के दान एवं हेल्थ शिविरों का आयोजन	5.00
3.	समावेशी प्रगति	पब्लिक मेडिकल वैन – तमिलनाडु सरकार मल्टी सूपर स्पेशियालिटी अस्पताल	7.09
4.	समावेशी प्रगति	कडलूर स्थित बालिकाओं की पाठशाला के लिए दाहागार	4.75
5.	समावेशी प्रगति	जोटर हेल्थ मेंइनटेनेन्स के लिए मोबाइल मेडिकल वैन	25.00
6.	व्यावसायिक कौशल को बढाना	स्पर्ण भारत ट्रस्ट –निर्माण एवं फर्नीचर	69.00
7.	लिंग समानता एवं महिला सशक्तीकरण	जनसंख्या पहले निर्माण एवं फर्नीचर	10.00
8.	समावेशी प्रगति	एयरसेल चेन्नै ओपन टेनीस टूर्नामेंट	100.00

5) गतिविधियों की सूची जिसमें उक्त (4) पर व्यय हुआ है।	उपर्युक्त

Business Responsibility Report – 2015-16

Section A : General Information about the Company

1. Corporate Identity Number: (CIN) of the Company	Not Applicable
2. Name of the Company	Indian Bank
3. Registered Address	66, Rajaji Salai, Chennai 600 001
4. Website	www.indianbank.in
5. Email	indmail@indianbank.co.in
6. Financial Year Reported	2015-16
7. Sectors that the Company is engaged in (industrial activity code-wise)	Banking & Financial Services
8. List of 3 key products/services that the manufacturers provides (as in Balance Sheet)	Deposit Products, Loan Products and Remittances etc.
9. Total number of locations where: business activity takes is undertaken by the Company	
No of Locations	
I. National	2562 as on 31.03.2016
II. International	3 (Singapore, Colombo, Jaffna)
10. Markets served by the Company-Local/State/National/International	Bank has branches in 27 States and 6 Union Territories and International presence in Singapore and Sri Lanka.

Section B: Financial Details of the Company

1) Paid up Capital (INR)	480.29 crore
2) Total Turn Over (INR)/Revenue	₹ 3,10,917.98 crore (Total Business)
3) Total profit After Tax(INR)	₹ 711.38 crore
4) Total Spending on Corporate Social Responsibility (CSR) as percentage of Profit after Tax (%)	CSR spending is not mandatory for PSBs. However, Bank has spent ₹295.84 lakhs
5) List of the activities in which expenditure on 4 above has been incurred	As above

(₹in Lakhs)

Sl. No.	CSR activity	Particulars	Amount
1.	Inclusive Growth	Construction of 5 consultation room – Sankara Nethralaya	75.00
2.	Inclusive Growth	Pan India – Blood, Eye, Organ Donation & Health Campus	5.00
3.	Inclusive Growth	Public Medical Van - Tamilnadu Govt. Multi Super Specialty Hospital	7.09
4.	Inclusive Growth	Incinerators to Girls School at Cuddalore	4.75
5.	Inclusive Growth	Mobile Medical Van to Johar Health Maintenance Organisation	25.00
6.	Enhancing Vocational Skills	Swarna Bharat Trust – Construction and Furnitures	69.00
7.	Gender Equality and Women Empowerment	Population First – Ladli	10.00
8.	Inclusive Growth	Aircel Chennai Open Tennis Tournament	100.00

खंड सी : अन्य विवरण

1. क्या कंपनी की कोई अनुषंगी कंपनी/कंपनियां है ?	हाँ ए. इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड। बी. इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड।
2. क्या अनुषंगियां: मूल कंपनी की बीआर पहल को कार्यान्वित करती है, यदि हाँ, तो ऐसी अनुषंगियों की संख्या प्रस्तुत करें।	• इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड का पिछले तीन वर्षों का लाभ, बड़े पैमाने पर किसी सामाजिक दायित्व को अपनाने के लिए पर्याप्त नहीं था। • इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड अब कोई कार्यकलाप नहीं कर रहा है।
3. या कोई अन्य संस्था/संस्थाएं जिनके साथ कंपनी व्यापार करती है, (जैसे प्रदायक, वितरक आदि) कंपनी की बीआर पहले में भागीदारी निभाते हैं ? यदि हाँ, तो यह दर्शाएँ कि ऐसी संस्थाओं का प्रतिशत कितना है (30 प्रतिशत से कम, 30 से 60 प्रतिशत से अधिक)	नहीं

खंड डी: बीआर जानकारी

1. बीआर के प्रति उत्तरदायी निदेशक / निदेशकों के विवरण।

I. बीआर नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों के विवरण।

डीआईएन संख्या	
नाम	श्री आर सुब्रमणिय कुमार
पदनाम	कार्यपालक निदेशक

II. बीआर प्रमुख का विवरण निम्न प्रकार है

क्रम सं	विवरण	ब्यौरा
1	डीआईएन सं (अगर लागू हो तो)	लागू नहीं
2	नाम	श्री एम कार्तिकेयन
3	पदनाम	महाप्रबंधक
4	टेलीफोन संख्या	044 28134431
5	e-mail-id	karthikeyan.m@indianbank.co.in

C: Other Details

1. Does the Company have any Subsidiary Company/ Companies	Yes a. Indbank Merchant Banking Services Ltd. b. Indbank Housing Ltd
2. Do the subsidiaries implement : BR initiatives of the parent company If YES, then indicate the number of such subsidiaries.	• Net profit of Indbank Merchant Banking Services Ltd. for the last 3 years was not sufficient to carry out any social responsibility in large scale. • Indbank Housing Ltd is not doing any activity now.
3. Do any other entity/ entities (e.g., suppliers, distributors etc.) that the Company does business with, participate in the BR initiatives of the Company? If yes, then indicate the percentage of such entity/ entities? (Less than 30%, 30%-60%, more than 60%)	No

Section D: BR Information

1. Details of Director/ Directors responsible to BR

I. Details of the Director/ Directors responsible for implementation of the BR policy/policies

DIN Number	
Name	Shri R Subramania Kumar
Designation	Executive Director

II. **Details of the BR head – as below**

S. No	Particulars	Details
1	DIN No (if applicable)	NA
2	Name	Shri M Karthikeyan
3	Designation	General Manager
4	Telephone No.	044 28134431
5	e-mail-id	karthikeyan.m@indianbank.co.in

2. सिद्धांत–वार (एनवीजी के अनुसार) बीआर नीति /नीतियाँ (हाँ/नहीं में जवाब दें)

क्रम सं	प्रश्न	कारोबारी आचार	उत्पाद जिम्मेदारी	कर्मचारियों का कल्याण	स्टेक धारक की	मानव अधिकार	पर्यावरण	जन नीति	समावेशी विकास	ग्राहक संबंध
1	क्या आपके पास इनके लिए नीति / नीतियां हैं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
2	क्या यह नीति/नीतियाँ संबन्धित स्टेकधारकों से परामर्श के बाद बनाई गई हैं ?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
3	क्या यह नीति किसी भी राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप है ? यदि हाँ ,तो *(50 शब्दों में बताएं)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
4	क्या नीति बोर्ड द्वारा अनुमोदित है ? यदि हाँ, तो क्या वह सक्षम प्रनि, स्वामी,मुकाअ द्वारा हस्ताक्षरित है ।	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
5	कंपनी की नीति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए क्या बोर्ड / निदेशक /अधिकारी की एक निर्दिष्ट समिति है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
6	नीति को ऑनलाइन देखे जाने के लिए लिंक दें	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
7	क्या नीति के बारे में औपचारिक रूप से सभी प्रासंगिक आंतरिक और बाहरी स्टेक धारकों को सूचित किया गया है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
8	क्या कंपनी की नीति / नीतियों को लागू करने के लिए आंतरिक संरचना है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
9	क्या कंपनी की नीति नीतियों से संबंधित, संबंधित हितधारकों के पते "शिकायत निवारण" पते उपलब्ध हैं ?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
10	क्या आंतरिक या बाहरी एजेंसियों द्वारा कंपनी की इस नीति की कार्यप्रणाली की स्वतंत्र लेखा परीक्षा /मूल्यांकन किया गया है?	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

*समाज को हितकारी सरकार के नियम एवं दिशानिर्देश नीति की प्रत्याशा ।

2. Principle-wise (as per NVGs) BR Policy / Policies: (Reply in Y / N)

Sl No.	Questions	Business Ethics	Product Responsibility	Well being of Employees	Stakeholder	Human Rights	Environment	Public Policy	Inclusive growth	Customer relations
1	Do you have a policy/policies for	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
2	Has the policy being formulated in consultation with the relevant stakeholders?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
3	Does the policy confirm to any national / international standards? If yes, specify? *(50 words)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
4	Has the policy been approved by the Board? If yes, has it been signed by MD / Owner / CEO / appropriate Board Director	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
5	Does the company have a specified committee of the Board / Director / Official to oversee the implementation of the policy?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
6	Indicate the link for the policy to be viewed online?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
7	Has the policy been formally communicated to all relevant internal and external stakeholders?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
8	Does the company have in-house structure to implement the policy / policies?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
9	Does the company have grievance redressal mechanism related address stakeholders' grievances related to the policy / policies?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
10	Has the company carried out independent audit / evaluation of the working of this policy by internal or external agencies?	N	N	N	N	N	N	N	N	N

*Contemplating the Policy of Government rules and guidelines beneficial to the Society.

2एण यदि क्र.सं. 1 से किसी भी सिद्धांत के आगे जवाब 'नहीं' है, तो ऐसा क्यों है कृपया समझाएं (2 विकल्पों पर टिक लगाएँ)

क्रम सं	प्रश्न	पृ1	पृ2	पृ3	पृ4	पृ5	पृ6	पृ7	पृ8	पृ9
1	कंपनी ने सिद्धांतों को नहीं समझा है।									
2	कंपनी ऐसी स्थितियों में निर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियां तैयार करने और लागू करने की स्थिति में नहीं है ।									
3	कंपनी के पास कार्य के लिए वित्तीय या मानव शक्ति संसाधन उपलब्ध नहीं हैं ।						NA			
4	इसे अगले 6 महीनों के भीतर किए जाने की योजना बनाई गई है।									
5	इसे अगले 1 साल के भीतर किए जाने की योजना बनाई गई है ।									
6	कोई अन्य कारण (कृपया बताएं)									

3. बीआर से संबन्धित अभिशासन

▪ उस बारंबारता को दर्शाएं जिसके साथ निदेशक मण्डल, मण्डल की समिति या सीईओ, कंपनी के बीआर निष्पादन का मूल्यांकन करता है।	▪ चूँकि कारोबार का दायित्व सम्पूर्ण बैंकिंग को शामिल करता है, अतः प्रत्येक विभाग की संबन्धित नीतियां पृथक रूप से तैयार/नवीकृत की जाती है और बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है।
▪ क्या कंपनी एक बीआर या एक धारणीयता रिपोर्ट प्रकाशित करती है ? इस रिपोर्ट को देखने के लिए कौनसी हायपरलिंक है ? कितनी बारंबारता से इसे प्रकाशित किया गया है।	▪ **यथासमय उपलब्ध कराई जाएगी ।**

खंड ई : सिद्धांत – वार निष्पादन

सिद्धांत 1: कारोबार को आचार नीति, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के साथ अपना व्यवहार एवं संचालन करना चाहिए।

1. क्या आचार नीति, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से संबन्धित नीति केवल कंपनी को कवर करती है? क्या यह समूह/ संयुक्त उद्यम/ संपूर्तिकर्ता/ ठेकेदारों/ एनजीओ/ अन्य को भी कवर करती है?	● ग्राहकों को बैंक के साथ किए जाने वाले अपने लेनदेनों में संतोषजनक सेवा की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने फरवरी 2006 में भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड की स्थापना की। ● बीसीएसबीआई ने ''ग्राहकों के प्रति बैंक प्रतिबद्धता संहिता– जनवरी 2014'' में तथा ''सूक्ष्म और लघु उद्यमों के प्रति प्रतिबद्धता संहिता–अगस्त 2012'' में प्रकाशित किया है, जो बैंकों के लिए ग्राहक सेवा में अनुकरण हेतु बैंकिंग कार्य–प्रणाली और बेंचमार्क के न्यूनतम मानकों को निर्दिष्ट करता है। ● बीसीएसबीआई कोड निम्न पर ध्यान केंद्रित करता है ❖ सूचना प्रसार ❖ पारदर्शिता ❖ ग्राहक केंद्रिकता ❖ शिकायत निवारण ❖ उपभोक्ता से अनुक्रिया

2a. If the answer to S. No. 1 against any principle is 'No', please explain why: (Tick up to 2 options)

Sl No.	Questions	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
1	The company has not understood the Principles									
2	The company is not at a stage where it finds itself in a position to formulate and implement the policies on specified principles									
3	The company does not have financial or manpower resources available for the task						**NA**			
4	It is planned to be done within next 6 months									
5	It is planned to be done within next 1 year									
6	Any other reason (Please specify)									

3. Governance related to BR

▪ Indicate the frequency with which the Board of Directors, Committee of the Board or CEO to assess the BR performance of the company	▪ As the Business Responsibility encompasses a whole spectrum of Banking, each Department relevant Policies are framed/ renewed individually and approval of Board obtained.
▪ Does the company publish a BR or a Sustainability Report? What is the hyperlink for viewing this report? How frequently it is published?	▪ **Would be made available in due course on website.**

Section E: Principle-wise-performance

Principle 1: Business should conduct and govern themselves with Ethics, Transparency and Accountability

1. Does the policy relating to ethics, bribery and corruption cover only the company? Does it extend to the group / Joint Venture/ Suppliers / Contractors / NGOs / Others?	• In February 2006, Reserve Bank of India set up the Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI) as an independent autonomous watchdog to ensure that customers get fair treatment in their dealings with Banks. • The BCSBI has published the "Code of Banks' Commitments to Customers-January 2014" and "Code of Commitment to Micro and Small enterprises – August 2015" which set out minimum standards of banking practices and benchmarks in customer service for banks to follow. • The BCSBI codes focus on ❖ Information Dissemination ❖ Transparency ❖ Customer Centricity ❖ Grievance Redressal ❖ Customer Feedback

	• बैंक बीसीएसबीआई का सदस्य है और इसलिए इसने उपर्युक्त संहिताओं को अपने ग्राहकों के साथ लेनदेन करने में न्यायोचित व्यवहार कोड के रूप में स्वेच्छा से अपनाया है। • ग्राहकों के प्रति प्रतिबद्धता संहिता और लघु उद्यमों के प्रति प्रतिबद्धता संहिता, ऋण क्रियाकलापों के साथ ऋण आवेदनों की पावती, आवेदनों का निपटान, ग्राहकों को उपलब्ध कराये जाने वाले दस्तावेजों की प्रतियाँ, विभिन्न ऋण उत्पादों के संबंध में अति महत्वपूर्ण शर्तों एवं निबन्धनों इत्यादि को सम्मिलित करते हुए विस्तृत विवरण देता है। • संहिता की पूर्ण प्रति www.indianbank.in पर उपलब्ध है। • "इंडियन बैंक का सिटिजन्स चार्टर" बैंक की शाखाओ में ग्राहकों हेतु उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं/सेवाओं पर महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता हैं । • सिटिजन्स चार्टर के साथ संहिता, बैंक में ग्राहकों के साथ किए जाने वाले लेन–देनों में उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी और पारदर्शिता के उच्च मानकों को सुनिश्चित करेगा। • चार्टर, बैंक शिकायत निवारण व्यवस्था पर भी विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। यह बैंकर और ग्राहक के मजबूत संबंध के लिए ग्राहकों के नैतिक दायित्वों को भी विनिर्दिष्ट करता है। • बैंक ने मानकीकृत लोक शिकायत निवारण प्रणाली (एसपीजीआरएस) प्रवर्तित की है। समस्त माध्यमों से प्राप्त होने वाली सभी शिकायतें और 24 घंटे से अधिक समय तक अनिर्णीत रहने वाली शिकायतें एसपीजीआरएस में प्रविष्ट हो जाती हैं। ग्राहक भी ऑनलाइन शिकायतों को एसपीजीआरएस के माध्यम से दर्ज कर सकते हैं। • इंडियन बैंक अच्छी ग्राहक सेवा प्रदान करने और ग्राहक संतुष्टि सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करना है। इस दिशा में, बैंक ने एक मुख्य ग्राहक सेवा अधिकारी (आंतरिक लोकपाल) नियुक्त किया है। • आंतरिक बैंकिंग लोकपाल (मुख्य ग्राहक सेवा अधिकारी) की नियुक्ति का लक्ष्य आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करना है। • सीसीएसओ बैंक में आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली में ग्राहकों के विश्वास को सुदृढ़ करने में मदद करेगा और यह सुनिश्चित करने के लिए शिकायतों का निपटान आंतरिक तंत्र के माध्यम से किया जाता है।
2. पिछले वित्तीय वर्ष में स्टेक होल्डरों से कितनी शिकायतें प्राप्त की गईं और प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत शिकायतों का संतोषजनक समाधान किया गया? यदि ऐसा हुआ है तो लगभग 50 शब्दों में उनका विवरण उपलब्ध कराएं।	स्क्षेक होल्डरों से प्राप्त शिकायतों के विवरण निम्नानुसार है:
• वर्ष के प्रारम्भ में लंबित शिकायतों की संख्या	शून्य
• वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	53
• वर्ष के दौरान निपटायी गई शिकायतों की संख्या	53
• वर्ष के दौरान लंबित शिकायतों की संख्या	शून्य
• निपटायी गई शिकायतों का प्रतिशत	100%

	• Bank is a member of BCSBI and has therefore voluntarily adopted the above Codes as its Fair Practice Code in dealings with its customers. • Code of commitment to customers and Code of commitment to MSE deal elaborately with credit functions including acknowledgement of credit applications, disposal of applications, copies of documents to be provided to customers, most important terms and conditions in respect of various loan products etc. • Complete copy of the Code is available at www.indianbank.in • "Citizens' Charter of Indian Bank" provides key information of various facilities/ services provided to customers in the branches of the Bank • The Code together with the Citizens' Charter will ensure high standards of accountability, responsibility and transparency in the Bank's dealings with customers. • The Charter also provides comprehensive information on Bank's Grievance redressal mechanism. It also specifies the obligations on the part of the customers for healthy banker-customer relationship. • Bank has introduced Standardised Public Grievance Redressal System (SPGRS). All the complaints received through all modes and pending unresolved for more than 24 hours are entered in SPGRS. Customers can also lodge online complaints through SPGRS. • Bank focuses on providing a good customer service for ensuring customer delight. In this direction, the Bank has appointed a Chief Customer Service Officer (Internal Ombudsman) • The appointment of the Internal Banking Ombudsman (Chief Customer Service Officer) aims at strengthening the internal Grievance Redressal Mechanism. • The CCSO shall help in strengthening customer confidence in the Internal Grievance Redressal Mechanism in the Bank and to ensure that, the grievances are settled through internal mechanism.
2. How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percentage was satisfactorily resolved by the management? If so, provide details thereof, in about 50 words or so.	The details of complaints from Stakeholders are as under:
• No. of complaints pending at the beginning of the year	Nil
• No. of complaints received during the year	53
• No. of complaints redressed during the year	53
• No. of complaints pending during the year	Nil
• % age of complaints resolved	100%

सिद्धांत–2 : कारोबारों को ऐसी वस्तुएँ और सेवाएँ प्रदान करनी चाहिए जो सुरक्षित हों और अपने पूर्ण जीवन–काल तक धारणीयता बनाए रखने में योगदान दें।

1. अपने तीन उत्पाद या सेवाओं को सूचीबद्ध करें जिसकी रूपरेखा ने सामाजिक या पर्यावरण संबंधी समसया, जोखिम / और / या सुअवसर शामिल किया हों ।	▪ बैंक निम्नलिखित वित्तीय सेवाओं को प्रस्तुत करता है जो सामाजिक कारोबारों और सुअवसरों को सम्मिलित करती है। ◆ स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) ● वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी) ● इंडियन बैंक स्व रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (इंडसेटी) बैंक 2015–19 की अवधि के दौरान हरित ऊर्जा पहल के प्रति 1100 करोड रुपए ऋण देने के लिए प्रतिबद्ध है।
2. प्रत्येक ऐसे उत्पाद के संबंध में प्रति इकाई (वैकल्पिक) संसाधन (ऊर्जा, जल, कच्चा माल) के प्रयोग के संबंध में ब्यौरे दें। I) क्या पिछले वर्ष के प्रारम्भ से अंत तक मूल्य श्रृंखला के दौरान स्रोत / उत्पाद / वितरण में कटौती प्राप्त की गई है? ii) क्या पिछले वर्ष से उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग में (ऊर्जा, जल) कटौती हुई है?	लागू नहीं लागू नहीं
3. क्या कंपनी धारणीय सोर्सिंग (परिवहन को मिलाकर) के लिए कोई प्रक्रिया विधि अपना रही है? i) यदि हाँ, तो आपके इनपुट स्रोत का क्या प्रतिशत धारणीय रूप से प्राप्त किया गया था? लगभग 50 शब्दों में इसका ब्यौरा प्रस्तुत करें।	लागू नहीं लागू नहीं सभी वित्तीय उत्पाद हैं जो पूरे परिचालन क्षेत्र को पहयने का लक्ष्य बना रहा हैं।
4. क्या कंपनी ने अपने कार्य स्थल के आसपास के समाज सहित सूक्ष्म एवं लघु उत्पादकों से वस्तुएँ और सेवाएँ प्राप्त करने के लिए कोई कदम उठाया है? यदि हाँ, तो स्थानीय और लघु विक्रेताओं की क्षमता और योग्यता को उन्नत करने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं?	हाँ ▪ परिवहन कीमत और समय अंतराल को कम करने के उद्देश्य से वस्तुएं नजदीकी विक्रेताओं से अधिमान्य रूप से प्राप्त की जाती हैं।
5. क्या कंपनी के पास उत्पादों और बेकार वस्तुओं का पुनर्चक्रण करने की व्यवस्था है? यदि हाँ, तो उत्पादों और बेकार वस्तुओं के पुनर्चक्रण का प्रतिशत क्या है? (पृथक रूप से, जैसे 5% से कम, 5% से 10% आदि)। लगभग 50 शब्दों में इसका ब्यौरा प्रस्तुत करें।	हाँ, कार्पोरेट कार्यालय, रायपेट्टा में है । 5% से कम ● गन्दे पानी के शुद्धिकरण हेतु संयत्र 20,000 लिटर प्रतिदिन के आउटपुट के साथ कार्पोरेट कार्यालय, रायपेट्टा में उपलब्ध कराई गई है। ● ऊर्जा दक्ष एलईडी लाईट जुड़नार बैंक में लगाए गए। ● ऊर्जा बचाने के लिए हमारे सभी परिसरों में केवल स्टार रेटेड बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ● पर्यावरण के अनुकूल प्लास्टिक पाउच की जगह टीवाईवीईके सामग्री का प्रयोग किया जाता है। जहां तक संभव हो, बैंक उच्च–स्तरीय पर्यावरण–अनुकूल प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहा है।

Principle 2 : Business should provide goods and services that are safe and contribute to sustainability throughout their life cycle

1. List up to 3 of your products or services whose design has incorporated social or environmental concerns, risks and/ or opportunities.	▪ Bank offers the following financial services which has incorporated social concerns and opportunities ◆ Self Help Groups (SHGs) ◆ Financial Literacy Centres (FLCs) ◆ Indian Bank Self Employment Training Institutes (INDSETIs) Bank has committed an amount of ₹1100 crore towards Green Energy Initiative during the period 2015-19.
2. For each such product, provide in respect of resource use (energy, water, raw material etc.)per unit of product (optional): i) Reduction during sourcing/ production/ distribution achieved since the previous year throughout the value chain? ii) Reduction during usage by consumers (energy, water) has been achieved since previous year?	NA NA
3. Does the company have proceedings in place for sustainable sourcing (including transportation) i) If yes, What percentage of your inputs was sourced sustainability? Also provide details thereof in about 50 words or so	NA NA All are financial products aiming to reach the entire operational area.
4. Has the company taken any steps to procure goods and services from local & small producers, including communities surrounding their place of work? If yes, what steps have been taken to improve their capacity and capability of local and small vendors?	YES ▪ Preferably, the materials are sourced from nearby vendors to reduce transportation cost and time lag.
5. Does the company have a mechanism to recycle products and waste? If yes what is the percentage of recycling of products and waste (separately as <5%, 5%-10%). Also, provide details thereof, in about 50 words or so.	Yes, at Corporate Office, Royapettah <5% ● Sewage Treatment Plant is provided at Corporate Office, Royapettah with an output of 20,000 Ltr/Day. ● Energy efficient LED light fixtures have been introduced in the Bank ● Star rated electrical equipments are only used to save energy at all our premises. ● Eco friendly Tyvek material is used instead of plastic pouches. As far as possible, the bank is using high-end eco-friendly technology.

सिद्धांत–3 : कारोबार सभी कर्मचारियों की सुख समृद्धि का बढावा करें।

1. कृपया कर्मचारियों की कुल संख्या दें	20662
2. कृपया अस्थायी संविदात्मक/ अनौपचारिक आधार पर काम पर लगाये गए कर्मचारियों की पूर्ण संख्या दें :	शून्य
3. कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या दर्शाएं	6430
4. कृपया स्थायी विकलांगता वाले स्थायी कर्मचारियों की संख्या दर्शाएँ:	353
5. क्या आपका कोई कर्मचारी संगठन है जो प्रबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त है ?	हाँ
6. आपके कमचारियों में से इस मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन के सदस्यों का क्या प्रतिशत है?	अधिकारी – 82% अवार्ड स्टाफ – 76%
7. कृपया पिछले वित्तीय वर्ष में और वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित बाल मज़दूरी, बंधुआ मज़दूरी, अनिच्छा मज़दूरी, यौन उत्पीडन से संबंधित शिकायतों की संख्या दर्शाएँ।	(see table below)
8. अधोलिखित आपके कर्मचारियों को पिछले वर्ष में दी गई सुरक्षा और कुशलता उन्नयन प्रशिक्षण का प्रतिशत क्या है ?	अधिकारी 65% लिपिक 42% अधीनस्थ कर्मचारी 27%

क्रम सं.	वर्ग	वित्तीय वर्ष के दौरान की गई शिकायतों की संख्या	वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या
1.	बाल मज़दूर/ बंधुआ मज़दूर// अनिच्छा मज़दूर	शून्य	शून्य
2.	यौन उत्पीडन	शून्य	शून्य
3.	पक्षपाती रोजगार	शून्य	शून्य

सद्धांत 4 : कारोबार सभी स्टेकधारकों, खासकर वंचित, पिछड़े हुए, मामूली स्टेकधारकों के हितों को सम्मान और रक्षा करनी चाहिए।

1. क्या कंपनी ने अपने आंतरिक एवं बाहय स्टेकधारकों का वर्गीकरण किया है ?	• शेयरधारकों को विविध वर्गों में वर्गीकृत किया गया है अर्थात सरकारी, विदेशी संस्थागत निवेशक, वित्तीय संस्थाएं, बीमा कंपनियां, म्यूचुअल फंड्स, बैंक और वैयक्तिक इत्यादि। • ग्राहकों को बड़े कार्पोरेट, मध्यम कार्पोरेट, छोटे एवं मध्यम उद्यम एवं खुदरा ग्राहकों के रूप में विभाजित किया गया है। • मासंप्र विभाग, बैंक कर्मचारियों के हित में कार्य करता है।.
2. उपरोक्त में से, क्या कंपनी ने वंचित, पिछड़े हुए और मामूली स्टेकधारकों की पहचान की है?	हाँ • इंडियन बैंक ने वंचित, पिछड़े और मामूली स्टेकधारकों की पहचान की है, जिनमें छोटे और मामूली किसान, किरायेदार व पट्टेदार किसान, भूमिरहित मजदूर एवं ग्रामीण महिलाओं को शामिल किया गया है। उनको किसान क्रेडिट कार्ड, एग्री जेवर ऋण, स्वयं सहायता समूह, संयुक्त देयता समूह, किसान पुनरुद्धारण योजना, प्रधानमंत्री जन–धन योजना (पीएमजेडीवाई) आदि विशेष ऋण सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
3. क्या कंपनी द्वारा वंचित, पिछड़े हुए और मामूली स्टेकधारकों के हित में विशेष पहल की गई है ? यदि ऐसा है तो उसका विवरण 50 शब्दों में दें।	• इंडियन बैंक ने 19 वित्तीय साक्षरता केन्द्रों (एफएलसी) के माध्यम से 1,73,365 व्यक्तियों को वित्तीय परामर्श प्रदान किया है। • इंडियन बैंक ने "इंडियन बैंक स्व–रोजगार प्रशिक्षण संस्थान" (इंडसेटी) के नाम पर 12 आरसेटियों की स्थापना की है और शुरुआत से मार्च 2016 तक 1096 बैचों में 31004 व्यक्तियों को स्व– रोजगार प्रशिक्षण प्रदान किया है।

Principle 3 : Business should promote the well-being of all employees.

<table>
<tr><td>1. Please indicate the Total number of employees</td><td>20662</td></tr>
<tr><td>2. Please indicate the Total number of employees hired on temporary/ contractual/ casual basis</td><td>Nil</td></tr>
<tr><td>3. Please indicate the number of permanent women employees</td><td>6430</td></tr>
<tr><td>4. Please indicate the permanent number of employees with permanent disabilities</td><td>353</td></tr>
<tr><td>5. Do you have an employee association that is recognized by the management</td><td>Yes</td></tr>
<tr><td>6. What is the percentage of your employees is members of this recognized employees association</td><td>Officers – 82%
Award Staff – 76%</td></tr>
<tr><td>7. Please indicate the Number of complaints relating to child labor, forced labor, involuntary labor, sexual harassment in the last financial year and pending, as on the end of the financial year</td><td>
<table>
<tr><th>Sr. No.</th><th>Category</th><th>No. of complaints filed during the financial year</th><th>No. of complaints pending as on end of the financial year</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Child labour/ foced labour/ involuntary labour</td><td>NIL</td><td>NIL</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Sexual Harassment</td><td>NIL</td><td>NIL</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Discriminatory Employment</td><td>NIL</td><td>NIL</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>8. What percentage of your under mentioned employees were given safety & skill up-gradation training in the last year?</td><td>Officers 65%
Clerks 42%
Substaff 27%</td></tr>
</table>

Principle 4 : Business should respect the interests of and be responsive towards all stakeholders, especially those who are disadvantaged, vulnerable and marginalized.

<table>
<tr><td>1. Has the company mapped its internal and external stakeholders? Yes/ No</td><td>● Shareholders are classified into different categories viz., Government, Foreign Institutional Investors, Financial Institutions, Insurance Companies, Mutual Funds, Banks, individuals, etc.,
● Customers are segmented into large corporate, Mid-corporate, Small and Medium Enterprises and Retail customers.
● Human Resource Department looks after the interest of the Bank employees</td></tr>
<tr><td>2. Out of the above, has the company identified the disadvantaged, vulnerable & marginalized stakeholders</td><td>Yes
● Bank has identified the disadvantaged, vulnerable and marginalized stake holders which include Small and Marginal Farmers Tenant and Leased Farmers, Landless Labourers and Rural Women. They are provided with special credit facilities like Kisan Credit Card, Agri. Jewel Loan, Self Help Groups, Joint Liability Group, Ryot Punarudharan Yojana, Prime Minister’s Jan Dhan Yojana (PMJDY), etc.</td></tr>
<tr><td>3. Are there any special initiative taken by the company to engage with the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders. If so, provide details thereof, in about 50 words or so.</td><td>● Bank has provided Financial counseling to 173365 individuals through 19 FLCs.
● Bank has established 12 RSETIs in the name of Indian Bank Self employment Training Institute and imparted self employment trainings to 31004 individuals in 1096 batches up to March 2016 , cumulatively since inception.</td></tr>
</table>

सिद्धांत 5 : कारोबारों को मानव अधिकार का सम्मान और बढावा देना चाहिए।

1.	क्या मानव अधिकार पर कंपनी की नीति सिर्फ कंपनी को कवर करती है या समूह/ संयुक्त उपक्रम/आपूर्तिकर्ता/संविदाकार/ एनजीओ / अन्य तक भी विस्तारित है ?	हाँ ● बैंक के पास कोई अलग मानव अधिकार नीति नहीं हैं। तथापि ये पहलू बैंक की मानव संसाधन नीति और व्यवहार के तहत कवर किए गए हैं।
2.	पिछले वित्तीय वर्ष में कितने स्टेकधारक शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत का संतोषजनक हल किया गया था?	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या–53 निपटायी गयी शिकायतों का प्रतिशत – 100%

सिद्धांत 6 : कारोबार को पर्यावरण का सम्मान, सुरक्षा और पुनः स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए

1.	क्या सिद्धांत 6 सिर्फ कंपनी को कवर करती है या समूह / संयुक्त उपक्रम / आपूर्तिकर्ता/ संविदाकार / एनजीओ / अन्य तक भी विस्तारित है।	हाँ
2.	क्या कंपनी के पास वैश्विक पर्यावरण मुद्दों जैसे मौसम परिवर्तन, वैश्विक ताप इत्यादि के विषय में नीतियां/पहल हैं? हाँ/नहीं। यदि हाँ तो वेबपेज के लिए हायपरलिंक दें।	● बैंक ने हरियाली और ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे के लिए पूरे भारत में 1,20,273 लाख पौधे रोपण की है। ● जनता के बीच हरियाली के महत्व को उजागर करने के लिए वर्ष 2016 के लिए बैंक ने अपने कैलेंडर/डायरी में हरियाली और पर्यावरण के अनुकूल पर विभिन्न उपायों के साथ प्रकाशित किया है। ● बैंक मुख्य स्थानों पर बगीचों/ ग्रीन स्पॉट की देखभाल कर रहा है।
3.	क्या कंपनी संभाव्य पर्यावरणीय जोखिम की पहचान और आकलन करती है ? हाँ / नहीं	हाँ
4.	क्या कंपनी के पास कोई स्वच्छ विकास प्रणाली से संबंधित परियोजना है? यदि हाँ तो इसका ब्यौरा लगभग 50 शब्दों में दें। यदि हाँ तो क्या कोई पर्यावरणीय अनुपालन दर्ज किया गया है?	अपने व्यवसाय के स्वरूप के कारण बैंक के पास कोई स्वच्छ विकास प्रणाली नहीं है।
5.	क्या कंपनी ने स्वच्छ तकनीकी, उर्जा दक्षता, नवीकरणीय उर्जा इत्यादि पर कोई अन्य कदम उठाया है, हाँ / नहीं, यदि हाँ, तो कृपया वेबपेज के लिए हायपरलिंक दें।	हाँ ● कार्पोरेट कार्यालय बिल्डिंग में वर्षा जल का संचयन किया जाता है। ● कार्यालयों में उर्जा–दक्ष उपकरण लगाए गए हैं। ● संसाधन और ऊर्जा के अपव्यय को कम करने हेतु कदम उठाए गए हैं। ● आरआरबी में, सौर उर्जा का उपयोग एक विकल्प के रूप में किया जाता है। ● कार्पोरेट कार्यालय रायपेट्टा में 20,000 लिटर प्रतिदिन के आउटपुट के साथ गन्दे पानी के शुद्धिकरण हेतु संयत्र उपलब्ध कराया गया। ● नेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान / लेनदेन को प्रभावी किया गया है। (चेक बुक, चालान, प्राप्तियां इत्यादि के उपयोग में महत्वपूर्ण कटौतियाँ हुई हैं) ● जिन कार्डधारकों के ई–मेल आईडी पंजीकृत हैं क्रेडिट कार्ड विवरण भेजे जाते हैं। ● जिन शेयरधारकों के ई–मेल आईडी पंजीकृत है, उनको ई–मेल के माध्यम से वार्षिक रिपोर्ट भेजी जाती है। ● चेक के माध्यम से भुगतान न कर सिर्फ आरटीजीएस / एनईएफटी के माध्यम से विक्रेताओं, सेवाप्रदाता इत्यादि को सभी भुगतान किए जाते हैं। ● पेपर के अपव्यय / उपयोग को कम करने के लिए, समितियों के विचार विमर्श हेतु सभी बैठक दस्तावेज स्कैन करके संबंधित सदस्यों को ईमेल के माध्यम से वितरित किया जाता है।
6.	वित्तीय वर्ष हेतु सीपीसीबी / एसपीसीबी द्वारा अनुमत की गई सीमा के अंतर्गत कंपनी ने जितना भी उत्सर्जन / कचरा उत्पादित किया हैं, क्या उनकी रिपोर्ट की जा रही है?	लागू नहीं
7.	वित्तीय वर्ष के अंत में सीपीसीबी / एसपीसीबी से प्राप्त (जैसे संतुष्टि होने तक हल नहीं की गई) कारण बताओ/विधिक नोटिसें जो लंबित हैं, की संख्या कितनी है?	शून्य

Principle 5 : Businesses should respect and promote human rights

1.	Does the policy of the company on human rights cover only the company or extend to the Group/Joint Ventures/ suppliers/Contractors/NGOs/Others?	Yes ● Bank does not have a separate Human Rights Policy. However, these aspects are covered under Human Resources Policies and Practices of the Bank.
2.	How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percent was satisfactorily resolved by the management?	No. of Complaints Received during the year-53 Percentage of complaints resolved – 100%

Principle 6 : Business should respect, protect and make efforts to restore the environment.

1.	1. Does the policy related to Principle 6 cover only the company or extends to the Group/ Joint Ventures/ Suppliers/ Contractors/ NGOs/ others.	Yes
2.	Does the Company have strategies / initiatives to address global environmental issues such as climate change, global warming, etc? Y/N. if yes, please give hyperlink for webpage etc	● The Bank has planted 1,20,273 saplings Pan India to address the issue of greenery & global warming ● For the year 2016 the Bank published its Calendars/Diaries with various greenery and Eco-friendly measures to sensitize the public about the importance of greenery. ● The Bank is maintaining gardens/ green spots at prime locations.
3.	Does the company identify and assess potential environmental risks? Y/N	Yes
4.	Does the company have any project related to Clean Development Mechanism? If so, provide details thereof, in about 50words or so. Also, if Yes, whether any environmental compliance is filed?	Given the nature of business, Bank does not have a Clean Development Mechanism.
5.	Has the company undertaken any other initiative on –clean technology, energy efficiency, renewable energy, etc. Y/N. If yes, please give hyperlink for web page etc	Yes ● Rain Water Harvesting in Corporate Office Building ● Energy efficiency equipment installed in the offices. ● Steps taken to reduce wastage of resources and energy. ● Solar Power is used as substitute in RRBs ● Sewerage Treatment Plant is provided at Corporate Office, Royapettah with an output of 20,000 ltrs/day. ● Payments/transactions are effected through Net banking (considerable reduction in use of cheque books, challans, receipts etc.) ● Credit Card Statement are sent to the cardholders whose email ids are registered ● Annual Reports are sent through email to the Shareholders whose email ids are registered; ● All payments to vendors, service providers etc. are made through electronic remittances and not through cheques. ● In order to reduce the paper wastage/ usage, all the meeting documents are scanned and distributed through email to the respective members of the Committees for discussions. www.indianbank.in
6.	Are the Emissions/Waste generated by the company within the permissible limits given by CPCB/SPCB for the financial year being reported?	NA
7.	Number of show cause/legal notices received from CPCB/SPCB which are pending (i.e. not resolved to satisfaction) as on end of Financial Year	NIL

सिद्धांत 7 : ऐसे कारोबार, जो जनता और नियामक नीति को प्रभावित करने में लगे हुए हैं, उसे जिम्मेदार तरीके से करें।

1. क्या आपकी कंपनी किसी ट्रेड और चैंबर या संघ का सदस्य है? यदि हाँ, तो उनमें से प्रमुख के नाम बताएं जिनके साथ आपका व्यापार होता है।	हाँ आईबीए, एनआईबीएम, आईआईबीएफ, आईबीपीएस
2. क्या आपने जनहित की प्रगति या सुधार हेतु उपरोक्त संघों द्वारा तीव्र रूप से कार्य कराया है? हाँ/नहीं : यदि हाँ तो व्यापक क्षेत्र का विवरण दें। (ड्रॉप बाक्सः शासन और प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीति, ऊर्जा सुरक्षा, पानी, खाद्य सुरक्षा संधारणीय व्यवसाय सिद्धांत अन्य)	बैंक ने समय–समय पर बैंकिंग उद्योग के धारणीय विकास हेतु नीति निर्माताओं और नीति निर्धारण संघों की नीतियों का समर्थन किया है।

सिद्धांत 8 : कारोबारों को समावेशी विकास और न्यायोचित विकास का समर्थन करना चाहिए

1. क्या कंपनी ने सिद्धांत 8 से संबंधित नीति के अनुसरण में कार्यक्रम / पहल / परियोजनाएं निर्दिष्ट की है? यदि हाँ तो उसका ब्यौरा दें।	• इंडियन बैंक ने चित्तूर, मछलिपट्नम (आंध्र प्रदेश में), कडलूर, धर्मपुरी, कांचीपुरम, कृष्णगिरि, नामक्कल, सेलम, तिरुवण्णामलै, तिरुवल्लूर, वेलूर और विल्लुपुरम (तमिलनाडु), कोल्लम चडयमंगलम तथा पारस्साला (केरल में) और पुदुच्चेरी (पुदुच्चेरी संघ शासित क्षेत्र में) में वित्तीय साक्षरता केन्द्रों के माध्यम से क्षमता वर्धक पहल की है। चेन्नै, दिल्ली और मुंबई में बैंक की वित्तीय समावेशन पहलों की दिशा में प्रवासी श्रमिकों तथा झोंपडपट्टियों के निवासियों के हित के लिए शहरी वित्तीय साक्षरता केन्द्र स्थापित किए गए हैं। अब तक इन 19 एफएलसी के माध्यम से कुल मिलाकर 1,73,365 व्यक्तियों को वित्तीय परामर्श दिए गए हैं। • बैंक ने ''इंडियन बैंक स्व रोजगार प्रशिक्षण संस्थान'' (आईएनडीएसईटीआई) के नाम पर 12 केन्द्रों में आरएसईटीआई की स्थापना की है जैसे चित्तूर, कडलूर, धर्मपुरी, कांचीपुरम, कृष्णगिरि, नामक्कल, पुदुच्चेरी, सेलम, तिरुवण्णामलै, तिरुवल्लूर, वेलूर और विल्लुपुरम। इन इंडसेटियों द्वारा 1096 सत्रों में 31004 अभ्यर्थियों को स्वनियोजन प्रशिक्षण दिया गया। • बैंक देशभर में समाज के बैंकिंग सुविधाओं से वंचित वर्गों के लिए बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के दृष्टिकोण के साथ वित्तीय समावेशन योजना को कार्यान्वित कर रहा है। अब तक बैंक ने विभिन्न सुपुर्दगी चैनलों के माध्यम से पूरे भारत में 2975 एसएसए में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार किया है। वित्तीय समावेशन के तहत कवर किए गए गांवों में 29.93 लाख ग्राहकों के बचत बैंक जमा खाते /पीएमजेडीवाई खाते खोले जा चुके हैं। प्रौद्योगिकी के पूर्ण प्रयोग के माध्यम से, बैंक व्यवसाय संविदाओं के द्वारा ग्राहकों को घर–घर सुविधाएं प्रदान कर रहा है। • बैंक, ग्राहकों हेतु छोटे ओवर ड्राफ़्ट, सामान्य क्रेडिट कार्ड और किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा योग्य परिवारों को आवश्यक क्रेडिट सुविधा प्रदान कर रहा है। यह समाज में जरूरतमंद लोगों को उनके उपार्जन और आजीविका को सुधारेगी जो पूर्ण रूप से राष्ट्र का सामाजिक और आर्थिक विकास करने में मददगार होगी।
2. क्या इन–हाउस टीम/स्वयं के संस्थान / बाह्य एनजीओ सरकारी संरचनाएं/ अन्य संगठनों द्वारा कार्यक्रम/परियोजनाएं ली गई हैं ?	• बैंक ने विभिन्न विकास गतिविधियों के कार्यों के लिए इन हाउस और बाह्य एजेंसियां दोनों के जरिए ''ग्रामीण विकास हेतु इंडियन बैंक ट्रस्ट'' (आईबीटीआरडी) के नाम से एक ट्रस्ट स्थापित किया है।
3. क्या आपने अपनी पहल के प्रभाव का आकलन किया है ?	• इंडसेटियों का असर तथा प्रभावशीलता को मानिटर करने हेतु आरसेटियों के लिए मानिटरिंग सेल द्वारा वार्षिक ग्रेडिंग के आधार पर मानिटर किया जाता है ताकि उचित प्रतिक्रिया मिलें और आगे इंडसेटियों को सुदृढ़ बनाने के किए कदम उठाये जा सके। • वर्ष 2015–16 के दौरान, हमारे सभी बारह इंडसेटियों की ग्रेडिंग स्थिति में मार्च 2014 की तुलना में या तो सुधार हुआ है या अपनी ग्रेडिंग स्थिति को बनाए रखा।हमारे तीन इंडसेटियों अर्थात वेलूर, सेलम और कांचीपुरम की ग्रेडिंग में सुधार हुआ है और मार्च, 2015 तक हमारे ग्यारह इंडसेटियों ने अपनी स्थिति ए या एए ग्रेड और चित्तूर इंडसेटियों ने एबी ग्रेड को बरकरार रखा है

Principle 7 : Businesses, when engaged in influencing public and regulatory policy, should do so in a responsible manner

1. Is your company a member of any trade and chamber or association? If Yes, Name only those major ones that your business deals with:	YES IBA, NIBM, IIBF, IBPS
2. Have you advocated /lobbied through above associations for the advancement or improvement of public good? Yes/No; if yes specify the broad areas (drop box: Governance and Administration. Economic Reforms, Inclusive Development Policies, Energy security, Water, Food Security, Sustainable Business Principles, Others).	The Bank from time to time has advocated the policies to policymakers and policy-making associations, for sustainable development of banking industry.

Principle 8 : Businesses should support inclusive growth and equitable development

1. Does the company have specified programmes/initiatives/projects in pursuit of the policy related to Principle8? If yes details thereof	• Bank has taken up capacity building initiatives through Financial Literacy Centres at Chittoor, Machilipatnam, (Andhra Pradesh), Cuddalore, Dharmapuri, Kancheepuram, Krishnagiri, Namakkal, Salem, Thiruvannamalai, Tiruvallur, Vellore and Villupuram (Tamil Nadu), Kollam, Chadayamangalam and Parassala (Kerala), Puducherry (UT of Puducherry). Urban Financial Literacy Centres have been established in Chennai, Delhi and Mumbai for the benefit of migratory workers and slum dwellers as part of Bank's initiatives in financial inclusion. A total of 1,73,365 individuals were provided financial counseling through these 19 FLCs. • Bank has established RSETIs in the name of Indian Bank Self Employment Training Institutes (INDSETIs) in twelve centres viz. Chittoor, Cuddalore, Dharmapuri, Kancheepuram, Krishnagiri, Namakkal, Puducherry, Salem, Tiruvannamalai, Tiruvallur, Vellore and Villupuram. A total of 31004 candidates were given self employment training in 1096 Batches through these INDSETIs. • Bank is implementing Financial Inclusion Plan with a vision to provide basic banking facilities to the unbanked segments of the society across the country. Bank has so far extended banking facilities to 2975 SSAs pan India through various delivery channels. Basic Savings Bank Deposit Accounts/PMJDY accounts have been opened for 29.93 lakh customers in the villages covered under financial inclusion. By leveraging technology, bank is providing the basic banking facilities at the doorstep of the customers through Business Correspondents. • Further, Bank is extending required credit facilities to the eligible households by way of Overdraft, General Credit Card and Kisan Credit Card for the customers. This helps the needy people in the society to improve their earnings and the livelihood, as well thereby contributing to the social and economic development of the country at large.
2. Are the programmes/projects undertaken through in-house team/own foundation/external NGO/government structures/any other organization?	• Bank has set up a Trust by name "Indian Bank Trust for Rural Development" (IBTRD) for undertaking various developmental programmes conducted both in-house and through external agencies.
3. Have you done any impact assessment of your initiative?	• Impact and effectiveness of INDSETIs is monitored based on the annual grading exercise undertaken by the monitoring cell for RSETIs for getting proper feedback and initiate steps for further strengthening of INDSETIs. During the year 2015-16, all the Twelve INDSETIs have either improved or retained their grading position over March 2014. Three INDSETIs viz. Vellore, Salem and Kancheepuram have improved their grading and as on March 2015 Eleven INDSETIs are in A or AA grade and Chittoor INDSETI has retained its position at AB Grade.

4. आपके कंपनी का समुदाय विकास परियोजना में प्रत्यक्ष रूप से क्या योगदान है। आईएनआर में राशि और चलाए जा रहे परियोजना के विवरण दें।	• वर्ष 2015–16 के दौरान ट्रस्ट (आईबीटीआरडी) ने इंडसेटियों और एफएलसी के माध्यम से क्षमता वर्धन के जरिए समुदाय विकास के लिए कुल 2..81 करोड़ रुपये की राशि खर्च की है। • वर्ष के दौरान, बैंक ने स्वर्ण भारत ट्रस्ट और के कोनेरू लक्ष्मैया विश्वविद्यालय (केएलयू) के सहयोग से अटकुर, कृष्णा जिला, आंध्रा प्रदेश में डा.ए.पी.जे अब्दुल कलाम कौशल विकास संस्थान की स्थापना के लिए ₹ 69 लाख का योगदान दिया है।
5. क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं हैं कि समुदायों द्वारा आपके प्रयासों को अपनाया गया है? अगर ऐसा है तो कृपया 50 शब्दों में बताएं।	• हमारे इंडसेटी द्वारा व्यवस्थित रूप से प्रशिक्षित उम्मीदवारों के स्वनियोजन हेतु अनुवर्तन एवं सलाहकारी सेवाएं दी जाती हैं। उम्मीदवारों को अपने पैरों पर खड़ा होने में सक्षम करने के लिए पड़ोसी बैंक के साथ प्रशिक्षुओं की क्रेडिट लिंकेज के लिए भी विशिष्ट प्रयास किया जा रहा हैं।

सिद्धांत 9 : व्यापारिक संगठनों द्वारा अपने ग्राहकों एवं उपभोक्ताओं को उत्तरदायी तरीके से मूल्यवर्धन के साथ सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए।

1. वित्तीय वर्ष के अंत में कितने प्रतिशत ग्राहक शिकायतें / ग्राहक मामलें लंबित हैं?	0.65 प्रतिशत या 68 शिकायते हैं
2. क्या कंपनी के द्वारा स्थानीय कानून के तहत उत्पाद के लेबल पर उत्पाद की जानकारी लिखी होती हैं? हाँ / नहीं / लागू नहीं / टिप्पणी (अतिरिक्त जानकारी)	लागू नहीं
3. गत पांच वर्षों में एवं वित्तीय वर्ष के अंत में, अनुचित व्यापार पद्धतियों के प्रयोग, गैर जिम्मेदार विज्ञापनों और/या गैर प्रतिस्पर्धी व्यवहार के लिए, क्या किसी स्टेक धारक ने कंपनी के विरुद्ध कोई वाद दायर किया है? यदि हाँ, तो उसके विवरण दें।	किसि भी शेयरधारक ने वर्ष के दौरान बैंक के खिलाफ कोई मुकदमा दायर नहीं किया है।
4. क्या आपकी कंपनी द्वारा ग्राहक सर्वेक्षण/ग्राहक संतुष्टि रुझान कार्यक्रम चलाए जाते हैं ?	हाँ

अनुषंगियाँ

- बैंक की दो अनुषंगियाँ हैं। इनके नाम इंड बैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज़ लि. और इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

- बैंक ने तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रायोजित किए हैं, नामतः सप्तगिरि ग्रामीण बैंक – मुख्यालय चित्तूर, पल्लवन ग्राम बैंक – मुख्यालय सेलम (तमिलनाड्) और पुदुवै भारतियार ग्राम बैंक – मुख्यालय पुदुच्चेरी (केंद्र शासित प्रदेश पुदुच्चेरी)
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का शाखा नेटवर्क जोकि मार्च 2015 में 406 था, मार्च 2016 को 48 शाखाओं की वृद्धि से 454 शाखाएँ हो गयीं ।
- तीनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कुल कारोबार मार्च 2015 को ₹11382.24 करोड़ रुपया था जबकि मार्च 2016 के अंत में ₹13356.11 करोड़ रुपया हो गया।
- सप्तगिरि ग्रामीण बैंक की 188 शाखाएँ हैं और कुल कारोबार रु 7251.16 करोड़ है (जमा राशियाँ रु3696.14 करोड़ और अग्रिम रु 3555.02 करोड़)
- पल्लवन ग्राम बैंक की 228 शाखाएँ हैं और कुल कारोबार रु 5216.57 करोड़ है (जमा राशियाँ रु2538.18 करोड़ और अग्रिम रु 2678.39 करोड़)
- पुदुवै भारतियार ग्राम बैंक की 38 शाखाएँ हैं और कुल कारोबार रु 888.38 करोड़ है (जमा राशियाँ रु 455.28 करोड़ और अग्रिम रु 433.10 करोड़)
- तीनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक लाभार्जक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं।
- सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भारत सरकार के पीएमजेडीवाई, पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई एवं एपीवाई कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। तीनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने पीएमजेडीवाई के तहत 512 एसएसए ग्रामों को कवर किये हैं तथा 4.15 लाख खातों को इस योजना के तहत खोला गया। वर्ष 2015–16 के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने पीएमजेडीवाई के तहत 2.96 लाख लाभार्थियों, पीएमजेजेबीवाई के तहत 0.89 लाख लाभार्थियों और पीएमएसबीवाई के तहत 3440 लाभार्थियों को भी कवर किया है।

4. What is your company's direct contribution to community development projects- Amount in INR and the details of the projects undertaken	• During the year 2015-16, the Trust (IBTRD) has spent a total amount of ₹2.81 crore towards Community Development activities through INDSETIs and FLCs by way of capacity building initiatives. During the year, Bank has contributed ₹69 lakh for establishing Dr.A.P.J. Abdul Kalam Skill Development Institute at Atkur, Krishna District, Andhra Pradesh in association with Swarna Bharath Trust and K Koneru Lakshmaiah University (KLU).
5. Have you taken steps to ensure that this community development initiative is successfully adopted by the community? Please explain in 50 words, or so.	• Systematic follow-up and counseling services are being undertaken by our INDSETIs to facilitate the trained candidates to adopt self employment activities. Specific efforts are also made for credit linkage of the trainees with neighbouring bank, so as to enable the candidates to stand on their own legs.

Principle 9: Businesses should engage with and provide value to their customers and consumers in a responsible manner

1. What percentage of customer complaints/consumer cases are pending as on the end of financial year	0.65 per cent or 68 complaints
2. Does the company display product information on the product label, over and above what is mandated as per local laws? Yes/No./N.A/ Remarks (additional information)	NA
3. Is there any case filed by any stakeholder against the company regarding unfair trade practices, irresponsible advertising and/or anti-competitive behavior during the last five years and pending as on end of financial year. If so, provide details thereof, in about words or so	No shareholder has filed any suit against the bank during the year.
4. Did your company carry out any consumer survey/consumer satisfaction trends?	Yes

SUBSIDIARIES

- The Bank has two subsidiaries viz., Ind Bank Merchant Banking Services Ltd., and Ind Bank Housing Ltd.

REGIONAL RURAL BANKS

- The Bank has three sponsored Regional Rural Banks viz, Saptagiri Grameena Bank headquartered at Chittoor (Andhra Pradesh), Pallavan Grama Bank, headquartered at Salem (Tamil Nadu) and Puduvai Bharathiar Grama Bank headquartered at Puducherry (Union Territory of Puducherry).
- The branch network of the three RRBs increased by 48 branches during the year from 406 as of March 2015 to 454 branches as of March 2016.
- The total business of the three RRBs was ₹13356.11 crore as of March 2016 as compared to ₹11382.24 crore as of March 2015.
- Saptagiri Grameena Bank has 188 branches with a total business of ₹7251.16 crore. (Deposits: ₹3696.14 crore and advances ₹3555.02 crore)
- Pallavan Grama Bank has 228 branches with a total business of ₹ 5216.57 crore (Deposits: ₹ 2538.18 crore and advances ₹2678.39 crore.
- Puduvai Bharathiar Grama Bank has 38 branches with a total business of ₹ 888.38 crore (Deposits: ₹ 455.28 crore and advances: ₹433.10 crore)
- All the three RRBs are profit making RRBs.
- RRBs are actively participating in PMJDY, PMJJBY, PMSBY & APY programmes of Govt of India. The three RRBs are covering 512 SSA villages under PMJDY and have opened 4.15 lakh accounts under the scheme. The RRBs have also covered 2.96 lakh beneficiaries under PMSBY, 0.89 lakh beneficiaries under PMJJBY and 3440 beneficiaries under APY during the year 2015-16.

कार्पोरेट अभिशासन 2015–16 पर रिपोर्ट

कार्पोरेट अभिशासन पर बैंक का दृष्टिकोण

कार्पोरेट अभिशासन अपने आप में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए उपक्रमों को नियंत्रित एवं मार्गदर्शित किया जाता है ताकि नैतिक ढंग से उनके धन–सृजन की क्षमता को बढाया जाए। यह प्रबंधन, उसके बोर्ड, शेयरधारक और अन्य स्टेकधारकों के बीच में उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है ताकि संगठन के निर्धारित उद्देश्य हासिल किए जाते हैं और साथ ही निष्पादन पर निगरानी रखने के अलावा शेयरधारकों के धन को धारणीय तरीके से अधिकाधिक बनाने के अंतिम लक्ष्य के साथ उस क्षेत्र के कानूनों का अनुपालन करते हुए अपने दैनंदिन के कारोबार को अत्यंत सक्षम, पारदर्शी एवं नैतिक रूप से संचालित किया जा सके। यह ऐसी एक प्रक्रिया का प्रवर्तन है जिससे मूल्य, सिद्धान्त, नीतियां और प्रक्रियाएँ अत्यधिक प्रभावकारी ढंग से सिस्टम में अंतर्निहित एवं प्रकट कराए जाते हैं।

श्रेष्ठता हासिल करने के लिए बैंक, कार्पोरेट अभिशासन के सर्वोच्च स्तर हासिल करने के लिए प्रयासरत है और अपने उत्तरदायित्व, जो सभी स्टेकधारकों के लिए मूल्य को आपसी संवाद, आदर, स्पष्ट लक्ष्य और निर्णयात्मक नेतृत्व के जरिए बढाने के लिए प्रयत्न करते समय नैतिक व्यवहार के प्रति प्रतिबद्धता पर आधारित है, हासिल करने के लिए प्रयासरत है। बैंक स्वयं को सभी स्टेकधारकों का न्यासी मानता है और सुदृढ कॉर्पोरेट रणनीतियों, व्यवहार्य कारोबार योजनाओं एवं नीतिपरक एवं विधिक जिम्मेदारियों की पूर्ति के लिए नीतियों एवं कार्यप्रणालियों के माध्यम से प्राप्त की गई उनके धन के सृजन एवं रक्षण के प्रति अपने उत्तरदायित्व को अभिस्वीकार करता है। अभिशासन मानकों के अनुपालन के लिए उच्चस्तरीय प्रकटीकरण नीति के साथ बैंक के कॉर्पोरेट अभिशासन सिद्धांत लाभकर संवृद्धि हेतु सुदृढ़ रूप से कटिबद्ध हैं।

निदेशक मंडल की संरचना

निदेशक मंडल में तीन पूर्णकालिक निदेशक और सात गैर कार्यपालक / स्वतंत्र निदेशक हैं)।

मार्च 31, 2016 को निदेशक मंडल के विवरण निम्नवत् हैं:

क्रमांक	निदेशक का नाम	पदनाम	निदेशक पद का स्वरूप	नियुक्ति की तारीख
1.	श्री टी सी वेंकट सुब्रमणियन	अंश कालिक गैर–सरकारी निदेशक एवं गैर–कार्यपालक अध्यक्ष	गैर–कार्यपालक	14.08.2015
2.	श्री महेश कुमार जैन	प्रनि एवं मु का अ	कार्यपालक	02.11.2015
3.	श्री आर सुब्रमणिय कुमार	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक	22.01.2016
4.	श्री ए एस राजीव	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक	22.01.2016
5.	सुश्री मुदिता मिश्रा	सरकारी नामिति	गैर–कार्यपालक	07.01.2016
6.	श्री बी पी विजयेन्द्र	भा रि बैंक के नामिती	गैर–कार्यपालक	23.02.2015
7.	श्री पी वेंकट कृष्ण राव	कामगार कर्मचारी निदेशक	गैर–कार्यपालक	29.05.2013
8.	श्री दीपक डी समंत	अधिकारी कर्मचारी निदेशक	गैर–कार्यपालक	11.03.2014
9.	श्री विनोद कुमार नागर	शेयरधारक निदेशक	गैर–कार्यपालक	01.07.2014
10.	श्री श्रीराम रामचन्द्रन	शेयरधारक निदेशक	गैर–कार्यपालक	01.07.2014

शेयरधारक निदेशकों को छोडकर सभी निदेशक भारत सरकार द्वारा नियुक्त / नामित किये गए हैं। 10.06.2015 तक श्री टी एम भसीन बैंक के प्रनि एवं मुकाअ रहे। 31.05.2015 तक श्री बी राजकुमार बैंक के कार्यपालक निदेशक रहे। 15.12.2015 तक डॉ एन श्रीनिवास राव बैंक के सरकारी नामिति रहे।

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE 2015-16

Bank's Philosophy on Corporate Governance

Corporate Governance is by itself a process by which the entities are controlled and guided to enhance their wealth generating capacity in an ethical manner. It acts as a catalyst between Management, Board, shareholders and other stakeholders to achieve the set goals of the organization while abiding the law of the land in conducting its day to day business in a most efficient, transparent and ethical way with an ultimate objective of maximizing shareholders' wealth on a sustainable basis besides monitoring the performance. It is the evolution of a system by which the values, principles, policies and procedures are ingrained and manifested in the system in the most effective way.

In the pursuit of excellence, the Bank endeavors highest standard of Corporate Governance and committed to its responsibilities which is based on total commitment to ethical practices in the conduct of business while striving hard to enhance all stakeholders' value by mutual dialogue, respect, clear goals and decisive leadership. The Bank considers itself as a trustee of all the stakeholders and acknowledges its responsibility towards them by creating and safeguarding their wealth, attained through sound corporate strategies, proactive business plans, policies and procedures to satisfy the ethical and legal responsibilities. Bank's corporate governance principles are firmly rooted for generating profitable growth with high level of disclosure policies adhering to the governance standards.

2. Composition of Board of Directors:

The Board of Directors comprises of three whole time Directors and seven Non Executive / Independent Directors.

Particulars of Board of Directors as on March 31, 2016 are as under:

No.	Name of Director	Designation	Nature of Directorship	Date of Appointment
1.	Shri T C Venkat Subramanian	Part-Time Non-Official Director & Non-Executive Chairman	Non-Executive	14.08.2015
2.	Shri Mahesh Kumar Jain	MD & CEO	Executive	02.11.2015
3.	Shri R Subramania Kumar	Executive Director	Executive	22.01.2016
4.	Shri A S Rajeev	Executive Director	Executive	22.01.2016
5.	Ms. Mudita Mishra	Government Nominee	Non-Executive	07.01.2016
6.	Shri B P Vijayendra	RBI Nominee	Non-Executive	23.02.2015
7.	Shri P Venkata Krishna Rao	Workmen Employee Director	Non-Executive	29.05.2013
8.	Shri Deepak D. Samant	Officer Employee Director	Non-Executive	11.03.2014
9.	Shri Vinod Kumar Nagar	Shareholder Director	Non-Executive	01.07.2014
10.	Shri Sriram Ramachandran	Shareholder Director	Non-Executive	01.07.2014

All the directors have been appointed/nominated by the Government of India (GOI) except Shareholder Directors. Shri T M Bhasin was MD & CEO upto 10.06.2015. Shri B Rajkumar was Executive Director upto 31.05.2015. Dr. N Srinivasa Rao was Government Nominee Director upto 15.12.2015.

निदेशकों का प्रोफाइल :

श्री टी सी वेंकट सुब्रमणियन : आयु 66 वर्ष, को दिनांक 14 अगस्त 2015 से बैंक के गैर–कार्यपालक अध्यक्ष एवं गैर–कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। उनकी बी ई स्नातक उपाधि है तथा ये भारतीय बैंकर संस्थान के प्रमाणित एसोसियेट हैं। उनहें बैंकिंग क्षेत्र में तीन दशक का अनुभव है तथा वे भारतीय निर्यात आयात बैंक से अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए है। वर्ष 1982 में बैंक में कार्यग्रहण करने से पहले, इन्होंने बैंक ऑफ इंडिया तथा आईडीबीआई में कार्य किये थे। सलाहकार के रूप में, इन्होंने टर्की के एक्जिम बैंक को सहायता प्रदान की। वर्तमान में मेसर्स रोल्टा इंडिया लि., मेसर्स एसटीसीआई फिनॉन्स लि., मेसर्स एलआईसी – नोमुरा एमएफ ट्रस्टी कं.प्रा. लि., एएफसी इंडिया लि., इनवेशटेक कैपिटल सर्विसेस (इंडिया) पा लि., संगठन अनुसंधान एवं शिक्षा के फाउंडेशन (ट्रस्ट), दिल्ली (फोर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट) के बोर्डों में स्वतंत्र / गैर–कार्यपालक निदेशक हैं। ये बैंक के ईक्विटी शेयरधारक नहीं हैं।

श्री महेश कुमार जैन, उम्र 54 वर्ष, ने 02 नवम्बर 2015 को इंडियन बैंक में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। इसके पहले, उनके पास 11.06.2015 से 01.11.2015 तक प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार था। वे 27 सितंबर 2013 से बैंक के कार्यपालक निदेशक थे। उनकी एम.कॉम, एमबीए, सीएआईआईबी, सीएफए एवं एफआरएम की शैक्षिक उपाधियाँ हैं। इंडियन बैंक में कार्यभार ग्रहण करने के पहले, वे सिंडिकेट बैंक में महाप्रबंधक थे और बेंगलूर तथा मुम्बई को सम्मिलितकर, उन्होंने देश के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किया है। मुम्बई के क्षेत्रीय प्रमुख होने के अलावा, उन्होंने ऋण, परिचालन, निवेश, जोखिम प्रबंधन जैसे विभागों सहित कई महत्वपूर्ण संविभाग संभाले। सिंडीकेट बैंक में कार्यग्रहण करने के पहले, पंजाब नैशनल बैंक में अपनी सेवाकाल के दौरान उन्होंने जोखिम प्रबंधन संरचना की स्थापना की तथा बैंक के लिए ऋण रेटिंग मॉडल को विकसित किया। ये बैंक के ईक्विटी शेयर धारक नहीं हैं।

श्री आर सुब्रमणिय कुमार, उम्र 56 वर्ष, ने दिनांक 22, जनवरी 2016 को इंडियन बैंक में कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। उनके पास बीएससी, सीआईएसए, सीआईएसएम, सीएआईआईबी, कम्प्यूटर विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा की शैक्षणिक उपलब्धियाँ हैं। इंडियन बैंक में कार्यभार संभालने के पहले वे पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी) में महाप्रबंधक के पद पर थे। उन्होंने बैंक का अपना डेटा केंद्र और सूचना सुरक्षा प्रणालियों को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने पीएनबी के "प्रगति" परिवर्तन प्रणाली को समस्त एचआर व्यवहारों / चैनलों, नयी कारोबार पहलों से जोड़ा और सभी स्तरों पर विभिन्न नवोन्मेषी बैंकिंग समाधान प्रवर्तित किये। उन्होंने कर्नाटक के मण्डल प्रधान के रूप में और पीएनबी में 35 साल के अपने पूरे कैरियर के दौरान विभिन्न पदों और भौगोलिक क्षेत्रों में कार्य किया है। उनका नवोन्मेषी आरआरबी सीबीएस मॉडल कई अन्य बैंकों द्वारा अपनाया गया था। टेक्नो बैंकर होने के कारण, उन्होंने प्रौद्योगिकी और एफआई पर विभिन्न आईबीए और आईडीआरबीटी समितियों में योगदान दिया और वे स्मार्ट कार्ड और माइक्रो एटीएम मानक समिति के प्रमुख सदस्य थे। उन्होंने आईडीआरबीटी, हैदराबाद और भारतीय रिजर्व बैंक के स्टाफ प्रशिक्षण कॉलेज, चेन्नै में अतिथि संकाय की भूमिका निभायी। उनके पास बैंक का 75 इक्विटी शेयर है।

श्री ए एस राजीव, उम्र 51 वर्ष, ने दिनांक 22 जनवरी 2016 को इंडियन बैंक में कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। इंडियन बैंक में कार्यभार संभालने के पहले वे विजया बैंक के महाप्रबंधक और सीएफओ के पद पर थे। ये भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के एक स्थायी सदस्य हैं और उनके पास आईसीएआई से सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा में डिप्लोमा, व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर डिग्री और सीएआईआईबी की उपाधियाँ हैं। उन्होंने बैंक के वित्त, लेखा और कराधान, आयोजना एवं विकास, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग/राजकोष, सतकर्ता और ऋण मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण का कार्य संभाला। । ये विजया बैंक के चेन्नै और बंगलूरु उत्तर क्षेत्रों के प्रधान रहे। विजया बैंक से पहले उन्होंने इंडियन बैंक और सिंडिकेट बैंक में काम किया। उन्होंने भारत / विदेशों में स्थित प्रतिष्ठित संस्थानों / संगठनों में विभिन्न सेमिनारों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया है। ये बैंक के इक्विटी शेयरधारक नहीं है।

सुश्री मुदिता मिश्रा, आयु 44 वर्ष, को दिनांक जनवरी 07, 2016 के प्रभाव से इंडियन बैंक के सरकारी नामिति निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। इनकी बी. ई (इलेक्ट्रॉनिक्स) तथा एमबीए (वित्त) में उपाधि हैं। इन्होंने अपने व्यावसायिक कैरियर को सितंबर 02, 2001 से देश के प्रमुख प्रतिबद्ध संगठन – भारतीय आयुध निर्माणी सेवाएँ (ग्रूप ए) से शुरू की। वर्तमान में, ये भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएँ विभाग में निदेशक के रूप में अगस्त 2015 से पाँच वर्ष की अवधि के लिए कार्यरत हैं। ये दिनांक 23, दिसंबर 2015 से ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक भी हैं। ये बैंक के ईक्विटी शेयरधारक नहीं हैं।

श्री बी पी विजयेन्द्र, 59 वर्ष, को बैंक के भारिबैंक के नामिती निदेशक के रूप में फरवरी 23, 2015 को नियुक्त किया गया। ये अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि और सीआईआईबी के धारक हैं। वर्तमान में ये भारतीय रिज़र्व बैंक के केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई के निरीक्षण विभाग में प्रधान मुख्य महाप्रबंधक हैं। इन्होंने भारिबैंक में 3 दशकों की सेवा की है और भारिबैंक के मुंबई, हैदराबाद, लखनऊ और जयपुर स्थित विभिन्न कार्यालयों में महत्वपूर्ण पद संभाला है। इन्होंने क्षेत्रीय निदेशक – राजस्थान, ग्रामीण आयोजना एवं ऋण के सीजीएम, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के सीजीएम और भारिबैंक के केन्द्रीय कार्यालय में मुद्रा प्रबंधन विभाग के प्रधान मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कार्य किया है। ये निम्नलिखित के सदस्य रहे है – (ए) अग्रणी बैंक योजना की पुनरीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति (बी) राज्य सरकारों को ईबीटी की संरचना सुझाने का कार्यदल, (सी) राजस्थान के लिए वित्तीय समावेश कार्यदल (डी) मुद्रा प्रबंधन पर भारिबैंक का कार्यदल। वे स्टेट बैंक ऑफ इंदोर, देना बैंक, यूको बैंक एवं सिक्यूरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल) के बोर्ड में भारिबैंक के नामिति निदेशक रहे। इनके पास बैंक के 75 ईक्विटी शेयर हैं।

श्री पी वेंकट कृष्ण राव, उम्र 59 को भारत सरकार द्वारा 17 मई 2013 को कामगार कर्मचारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और इन्होंने 29 मई 2013 को पद भार ग्रहण किया। इन्होंने बैंक की सेवा में 29 अगस्त 1978 को कार्यभार ग्रहण किया। इनकी शैक्षिक योग्यता वाणिज्य में स्नातक तथा सीएआईआईबी–। है। ये आईबीईयू (आंध्र प्रदेश राज्य) के महासचिव, एफआईबीईयू के सचिव, आंध्र प्रदेश बैंक कर्मचारी संघ के उप महा सचिव और एआईबीईए के केन्द्रीय समिति के सदस्य हैं। वर्तमान में ये बैंक की नारायणगुडा शाखा (हैदराबाद) में विशेष सहायक हैं। ये बैंक के ईक्विटी शेयरधारक नहीं हैं।

श्री दीपक डी. सामंत, उम्र 56 वर्ष, को 11 मार्च 2014 को बैंक अधिकारी कर्मचारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। इनकी शैक्षिक योग्यता बीएससी, सीएआईआईबी है। इन्होंने हमारे बैंक में लिपिक के रूप में 3 अगस्त 1984 को पदभार ग्रहण किया और 1992 में इन्हें अधिकारी के रूप में पदोन्नति दी गई। दिल्ली अंचल में अपनी नियुक्ति के दौरान 1993 से 1996 में मुंबई स्थानांतरण तक ये इंडियन बैंक अधिकारी संघ के कार्यपालक समिति के सदस्य रहे। अब ये निरीक्षण केन्द्र मुंबई में प्रबंधक के पद पर हैं। मुंबई अंचल में अपनी नियुक्ति के बाद 1996 से ये इंडियन बैंक अधिकारी संघ के पश्चिम अंचल में विभिन्न पदों पर सेवाएँ दे रहे हैं। ये 2008 से इंडियन बैंक अधिकारी संघ के पश्चिमी अंचल के महा सचिव के रूप में कार्यशील हैं।

श्री पद्मनाभन विट्ठल दास, आयु 66, वर्ष को दिनांक 25 अप्रैल 2016 से भारत सरकार द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए बैंक के बोर्ड में अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक के रूप में नामित किया गया है। श्री पद्मनाभन विट्ठल दास, जोकि एक अर्थशास्त्र के स्नातक हैं, 22 जुलाई, 1974 से 31 मई 2010 तक भारत सरकार की सेवाओं में रहे तथा विशेष सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए। वर्ष 1986 में इन्होंने गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद से विधि उपाधि प्राप्त की। भारत सरकार के साथ इनके 35 वर्ष के सेवाकाल में, उन्होंने देश के विभिन्न भूगोलिक क्षेत्रों यथा, नई दिल्ली, अहमदाबाद, भोपाल तथा मुंबई में कार्य किये हैं। केन्द्र सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद, इनको केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क बोर्ड में सदस्य (कार्मिक एवं सतर्कता) के रूप में नामित किया गया।

Profile of Directors:

Shri T C Venkat Subramanian, aged 66 years, was appointed as Non-Executive Chairman & Non-Official Director of the Bank from August 14, 2015. He holds B.E. degree and is a Certified Associate of Indian Institute of Bankers. He has an experience of more than three decades in the financial sector and retired as Chairman and Managing Director of Export Import Bank of India. Before joining EXIM Bank of India in 1982, he worked in Bank of India and IDBI. As a consultant he helped setting up EXIM Bank of Turkey (Turk Exim Bank). Currently he is an independent / Non-Executive Director on the Boards of M/s Rolta India Ltd., M/s STCI Finance Ltd., M/s LIC-Nomura MF Trustee Co. Pvt. Ltd., AFC India Ltd., Investec Capital Services (India) Pvt Ltd., Foundation for Organisation Research & Education (Trust), Delhi (FORE School of Management). He does not hold any Equity Shares of the Bank.

Shri Mahesh Kumar Jain, aged 54 years assumed charge as MD & CEO of Indian Bank on November 02, 2015. Prior to this, he was holding additional charge of MD & CEO from June 11, 2015 to November 01, 2015. He was Executive Director of the Bank from September 27, 2013. He holds M.Com., MBA, CAIIB, CFA and FRM to his academic credit. Prior to joining Indian Bank, he was the General Manager of Syndicate Bank and has worked in several parts of the country including Bangalore and Mumbai, handling important portfolios that include Credit, Operations, Investments, Risk Management etc., besides serving as Regional Head of Mumbai. Prior to joining Syndicate Bank, during his service in Punjab National Bank, he put in place Risk Management Architecture and developed Credit Rating Models for the Bank. He does not hold any Equity Shares of Bank.

Shri R Subramania Kumar aged 56 years assumed charge as Executive Director of the Bank on January 22, 2016. He holds B.Sc., CISA, CISM, CAIIB, Post Graduate Diploma in Computer Application to his academic credit. Prior to joining Indian Bank, he was the General Manager of Punjab National Bank (PNB). He was instrumental in establishing PNB's own Data Centre and Information Security practices. He undertook PNB's "Pragati" transformation exercise across HR practices/channel, new business initiatives and introduced many innovative banking solutions across the verticals. He has worked as Circle Head, Karnataka and served in various position and geographies during his career spanning 35 years in PNB. His innovative RRB CBS model was adopted by many other banks. Being a techno Banker, he has contributed in various IBA & IDRBT committees on technology and FI and was core member of the Smart Card and Micro ATM standards committee. He was a guest faculty at IDRBT, Hyderabad & RBI Staff Training College, Chennai. He holds 75 Equity Shares of the Bank.

Shri A S Rajeev, aged 51 years assumed charge as Executive Director of the Bank on January 22, 2016. Prior to joining Indian Bank he was General Manager & CFO of Vijaya Bank. He is a Fellow Member of the Institute of Chartered Accountants of India and holds Diploma in Information System Audit from ICAI, Masters Degree in Business Administration and CAIIB. He has handled Finance, Accounts & Taxation, Planning & Development, International Banking / Treasury, Vigilance and Credit Monitoring & Supervision of Vijaya Bank. He also headed Chennai & Bangalore North Regions of Vijaya Bank. Before joining Vijaya Bank, he has worked with Indian Bank and Syndicate Bank. He has attended various seminars and training programmes at well reputed Institutions / organizations in India / Abroad. He does not hold any Equity Shares of the Bank.

Ms. Mudita Mishra aged 44 years, was appointed as the Government Nominee Director of Indian Bank w.e.f. January 07, 2016. She holds B.E (Electronics) and MBA (Finance). She has commenced her professional career on September 02, 2001 from an organization of great commitment to the Nation – Indian Ordnance Factories Services (Group A). She is presently the Director, Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India, New Delhi from August 2015 for a five year term. She is also a Director in the Board of Oriental Insurance Company Limited with effect from December 23, 2015. She does not hold any Equity Shares of the Bank.

Shri B P Vijayendra, aged 59 years, was appointed as the RBI Nominee Director of the Bank by the Government of India on February 23, 2015. He holds Master's degree – Economics and CAIIB. He is presently the Principal Chief General Manager of the Inspection Department at Reserve Bank of India, Central Office, Mumbai. He has put in 3 decades of service in the RBI and has held important posts in various centres of RBI like Mumbai, Hyderabad, Lucknow and Jaipur. He worked as Regional Director – Rajasthan, CGM of Rural Planning & Credit, Chief General Manager of Department of Banking Supervision and Principal Chief General Manager of Department of Currency Management at RBI, Central Office, Mumbai. He was a Member of (a) the High Level Committee to review Lead Bank Scheme, (b) the Task Force to suggest framework for EBT to State Governments, (c) the Financial Inclusion Task Force for Rajasthan, (d) RBI's working Group on Currency Management. He was a Nomine Director of RBI on the Boards of State Bank of Indore, Dena Bank, UCO Bank and Security Printing and Minting Corporation of India Limited (SPMCIL). He holds 75 Equity Shares of the Bank.

Shri P Venkata Krishna Rao, aged 59 years, was appointed as the Workmen Employee Director of the Bank by the Government of India on May 17, 2013 and assumed charge on May 29, 2013. He joined the services of the Bank on August 29, 1978. He has a Bachelor's degree in Commerce and CAIIB – I. He is the General Secretary of IBEU (AP State), Secretary of FIBEU, the Deputy General Secretary of Andhra Pradesh Bank Employees Federation and Central Committee Member of AIBEA. Presently he is Special Assistant of Narayanaguda Branch (Hyderabad) of the Bank. He does not hold any Equity Shares of the Bank.

Shri Deepak D. Samant, aged 56 years was appointed as Officer Employee Director of the Bank by the Government of India with effect from March 11, 2014. He holds B.Sc., CAIIB to his academic credit. He joined the Bank as Clerk on August 03, 1984. He was promoted as an Officer in 1992. During his posting in Delhi zone, he was Executive Committee member of Indian Bank Officers' Association from 1993 till his transfer to Mumbai Zone in 1996. Now, he is the Manager in Inspection Centre, Mumbai. After his posting to Mumbai zone, he has been serving the Western Zone Indian Bank Officers' Association in various capacities since 1996. He is functioning as the General Secretary of Western Zone Indian Bank Officers' Association since 2008. He does not hold any Equity Shares of the Bank.

Shri Padmanaban Vittal Dass, aged 66 years, has been nominated as a Part Time Non-Official Director on the Board of Bank by Government of India for a period of three years with effect from April 25, 2016. Shri Padmanaban Vittal Dass, an Economics Graduate, was in the services of Government of India between July 22, 1974 and May 31, 2010 and retired as Special Secretary. In 1986, he became a Law Graduate from the Gujarat University, Ahmedabad. During his official career spanning over 35 years with Government of India, he has served at different geographical locations in the country like New Delhi, Ahmedabad, Bhopal and Mumbai. After superannuation from Central Government service, he was nominated as a Member (Personnel & Vigilance) in the Central Board of Excise & Customs. He does not hold any Equity Shares of the Bank.

श्री विनोद कुमार नागर, 64 वर्ष, को बैंक के शेयरधारक–निदेशक के रूप में जुलाई 01, 2014 से 3 वर्षों की अवधि के लिए निर्वाचित किया गया। ये सिंडिकेट बैंक के सेवानिवृत्त कार्यपालक निदेशक हैं। ये बी.टेक्स्ट, विपणन एवं बिक्री प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमाधारक और एमबीए हैं। ये 25 वर्ष से अधिक अवधि के अनुभव प्राप्त करियर बैंकर हैं। सिंडिकेट बैंक में कार्यभार ग्रहण करने के पहले इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक में मुख्य महा प्रबंधक के रूप में काम किया। कई वर्षों के लिए इन्होंने क्षेत्रीय प्रबंधक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष और अंचल प्रबंधक के रूप में अग्रणी पदों पर काम किया। ये पंजाब नेशनल बैंक में ऋण समिति, निवेश समिति, मानव संसाधन प्रबंधन समिति, सीबीएस कार्यान्वयन के लिए स्टीयरिंग समिति और उच्चतम स्तरीय समझौता समिति जैसी सभी मुख्य समितियों के सदस्य रहे और इनके पर्यवेक्षण में विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का समेकन हुआ। ये आईबीए में वित्तीय समावेशन उप–समिति, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्य पर थोरट समिति, पंजाब राज्य के लिए एसएमई पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सशक्त समिति, गैर–नागर मंत्रालयों / विभागों में संशोधित प्रक्रिया की क्षमता की पुनरीक्षा के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा गठित, उच्च स्तरीय समिति बैंकों द्वारा किये जानेवाले सरकारी लेनदेन की समीक्षा हेतु वित मंत्रालय द्वारा सृजित स्थायी समिति सिविल मंत्रालयों / विभागों आदि से मान्यता प्राप्त आदि प्रमुख समितियों के सदस्य थे। इनके पास बैंक के 107 शेयर हैं।

श्री श्रीराम रामचन्द्रन, 36 वर्ष, को जुलाई 01, 2014 से 3 वर्षों के लिए बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में निर्वाचित किया गया। ये सनदी लेखाकार हैं। ये भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान, एफसीए (यूके), सीआईएमए (यूके) के फ़ेलो सदस्य हैं और सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा में डिप्लोमा धारक हैं। इनको जोखिम परामर्श सलाह, लेखा परीक्षा, कर परामर्श, ईआरपी के कार्यान्वयन में वित्तीय परामर्श एवं वित्तीय परामर्श (जब वे डेलोइट, इन्फोसिस टेक्नॉलजीस आदि में थे) आदि में 15 वर्षों का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में ये मेसर्स श्रीराम रामचन्द्रन एसोसियेट्स, सनदी लेखाकार, चेन्नै में साझेदार हैं, जिनका भारत में 2 कार्यालय हैं और विभिन्न व्यापारिक क्षेत्रों में देशी और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को लेखा परीक्षा, कर, परामर्श और वित्तीय प्रबंधन सेवाएं प्रदान करते हैं। इनके पास बैंक के 500 ईक्विटी शेयर हैं।

बोर्ड की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठकें	उपस्थित बैठकें	पिछली वार्षिक आम बैंक में उपस्थिति
1.	श्री टी सी वेंकट सुब्रमणियन	14.08.2015 – 31.03.2016	12	12	14.08.2015 को बैंक में कार्यग्रहण
2.	श्री टी एम भसीन	01.04.2015 – 10.06.2015**	3	3	10.06.15 को कार्यकाल की समाप्ति
3.	श्री बी राजकुमार	01.04.2015 – 31.05.2015**	3	3	31.05.15 को कार्यकाल की समाप्ति
4.	श्री महेश कुमार जैन	01.04.2015 – 31.03.2016	16	16	उपस्थित
5.	श्री आर सुब्रमणिय कुमार	22.01.2016 – 31.03.2016	5	5	22.01.2016 को बैंक में कार्यग्रहण
6.	श्री ए एस राजीव	22.01.2016 – 31.03.2016	5	5	22.01.2016 को बैंक में कार्यग्रहण
7.	डॉ एन श्रीनिवास राव	01.04.2015 – 15.12.2015**	10	7	उपस्थित नहीं
8.	सुश्री मुदिता मिश्रा	07.01.2016 - 31.03.2016	6	4	07.01.2016 को बैंक में कार्यग्रहण
9.	श्री बी पी विजयेन्द्रा	01.04.2015 – 31.03.2016	16	16	उपस्थित नहीं
10.	श्री पी वेंकट कृष्ण राव	01.04.2015 – 31.03.2016	16	16	उपस्थित नहीं
11.	श्री दीपक डी सामंत	01.04.2015 – 31.03.2016	16	16	उपस्थित नहीं
12.	श्री विनोद कुमार नागर	01.04.2015 - 31.03.2016	16	16	उपस्थित
13.	श्री श्रीराम रामचन्द्रन	01.04.2015 - 31.03.2016	16	16	उपस्थित

** कार्यकाल की समाप्ति

बैंक के निदेशकों के बीच कोई परस्परिक संबंध नहीं है।

स्वतंत्र निदेशकों को दिया गया प्रशिक्षण कार्यक्रमों का ब्यौरा बैंक की वेबसाइट www.indianbank.in में दिया गया है।

बोर्ड की बैठकें : राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 के अंतर्गत किए गए न्यूनतम छः (6) बैठकों की सांविधिक प्रावधान की तुलना में वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान बैंक की सोलह (16) बोर्ड बैठकें आयोजित की गई थीं जिसके विवरण निम्नानुसार हैं :

17.04.2015	14.05.2015	26.05.2015	23.07.2015	27.08.2015	22.09.2015	22.09.2015*	26/27.10.2015
02.11.2015	07.12.2015	19.01.2016	11.02.2016	08.03.2016	17/18.03.2016	30.03.2016	30.03.2016*

*ग्राहक सेवा पर अनन्य बोर्ड की बैठक

Shri Vinod Kumar Nagar, aged 64 years, was elected as a Shareholder Director of Indian Bank for a period of 3 years from July 01, 2014. He is a retired Executive Director of Syndicate Bank. He is a B. TEXT, Post Graduate Diploma holder in Marketing and Sales Management and also MBA. He was a career banker with more than 25 years banking experience. Prior to joining Syndicate Bank, he worked in Punjab National Bank as Chief General Manager, New Delhi. He had worked continuously in No.1 position as Regional Manager, RRB Chairman and as Zonal Manager for several years. He was the member of all important committees of the Punjab National Bank such as Credit Committee, Investment Committee, Human Resources Management Committee and Steering Committee for CBS implementation and Apex level compromise committee and consolidation of RRBs in various states took place under his supervision. He was also a member of various important committees such as Sub-Committee on Financial Inclusion in IBA, Thorat Committee on RRB's functioning, RBI empowered Committee on SME for Punjab State, Apex Committee formed by Ministry of Finance to review the efficacy of revised procedure in Non-Civil Ministries/Departments, Standing Committee formed by Ministry of Finance to review the handling of Government Transactions by banks accredited to Civil Ministries/ Departments, etc. He holds 107 Equity Shares of the Bank.

Shri Sriram Ramachandran aged 36 years, was elected as Shareholder Director of Indian Bank for a period of 3 years from July 01, 2014. He is a practicing Chartered Accountant. He is a Fellow Member of the Institute of Chartered Accountants of India, FCCA (UK), CIMA (UK) and also a Diploma holder in Information System Audit. He has around 15 years experience comprising of Risk advisory consulting, auditing, tax advisory, Functional consulting for ERP implementation and financial advisory while in service with Deloitte, Infosys Technologies, etc. Currently, he is a Partner in M/s Sriram Ramachandran Associates, Chartered Accountants, Chennai, which has two offices across India providing auditing, taxation, consultancy and financial management services to domestic and international clients across various business sectors. He holds 500 Equity Shares of the Bank.

Details of Attendance of the Directors at the Board Meetings

Sl. No.	Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended	Attendance at last Annual General Meeting
1.	Shri T C Venkat Subramanian	14.08.2015 – 31.03.2016	12	12	Joined the Bank on 14.08.2015
2.	Shri T M Bhasin	01.04.2015 – 10.06.2015**	3	3	Cessation of tenure on 10.06.2015
3.	Shri B Rajkumar	01.04.2015 – 31.05.2015**	3	3	Cessation of tenure on 31.05.2015
4.	Shri Mahesh Kumar Jain	01.04.2015 – 31.03.2016	16	16	Attended
5.	Shri R Subramania Kumar	22.01.2016 – 31.03.2016	5	5	Joined the Bank on 22.01.2016
6.	Shri A S Rajeev	22.01.2016 – 31.03.2016	5	5	Joined the Bank on 22.01.2016
7.	Dr. N Srinivasa Rao	01.04.2015 – 15.12.2015**	10	7	Not attended
8.	Ms. Mudita Mishra	07.01.2016 - 31.03.2016	6	4	Joined the Bank on 07.01.2016
9.	Shri B P Vijayendra	01.04.2015 – 31.03.2016	16	16	Not attended
10.	Shri P Venkata Krishna Rao	01.04.2015 – 31.03.2016	16	16	Not attended
11.	Shri Deepak D Samant	01.04.2015 – 31.03.2016	16	16	Not attended
12.	Shri Vinod Kumar Nagar	01.04.2015 - 31.03.2016	16	16	Attended
13.	Shri Sriram Ramachandran	01.04.2015 - 31.03.2016	16	16	Attended

** cessation of tenure

There is no inter se relationship between the directors of the Bank.

The details of familiarization programmes imparted to independent directors are disclosed in Bank's website, www.indianbank.in.

Board Meetings: During the Financial Year 2015-16, sixteen (16) Board Meetings were held vis-à-vis the statutory stipulation of minimum of six (6) meetings in a year under the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, as detailed below:

17.04.2015	14.05.2015	26.05.2015	23.07.2015	27.08.2015	22.09.2015	22.09.2015*	26/27.10.2015
02.11.2015	07.12.2015	19.01.2016	11.02.2016	08.03.2016	17/18.03.2016	30.03.2016	30.03.2016*

*Sequestered Board Meeting on Customer Service.

अन्य बोर्ड या सूचीबद्ध कंपनियों की बोर्ड समितियां (इंडियन बैंक के अलावा) जिसमें बैंक के निदेशक ने सदस्य / अध्यक्ष रहे।

सं.	निदेशक का नाम	इंडियन बैंक के अलावा अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में निदेशक पदधारित की सं.	इंडियन बैंक को छोड़कर लेखा परीक्षा/ स्टेकधारक समिति(यों) में सदस्यता
1.	श्री टी सी वेंकट सुब्रमणियन	एक (मेसर्स रोल्टा इंडिया लि.)	एक (लेखा समिति में सदस्य)
2.	श्री विनोद कुमार नागर	एक (मेसर्स रिको आटो इंडस्ट्रीज़ लि.)	दो (लेखा समिति एवं स्टेकधारक संपर्क समिति में सदस्य)

3. बोर्ड की समितियाँ

बोर्ड ने निम्नलिखित समितियाँ गठित की हैं, जो महत्वपूर्ण कार्यात्मक क्षेत्रों में निर्दिष्ट एवं केन्द्रित नियंत्रण प्रदान करती हैं और बैंक के क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण करती हैं।

क्र सं.	समिति का नाम
ए.	प्रबंधन समिति
बी.	लेखा परीक्षा समिति
सी.	जोखिम प्रबंधन समिति
डी.	आईटी रणनीति समिति (भूतपूर्व प्रौद्योगिकी समिति)
ई.	ग्राहक सेवा समिति
एफ	.निदेशकों की समिति (सतर्कता)
जी.	बडे मूल्य की धोखाधडियों को मॉनीटर करने की विशेष समिति
एच.	शेयर अंतरण समिति
आई.	स्टेकधारक संपर्क समिति
जे.	नामांकन समिति
के.	पारिश्रमिक समिति
एल.	ऋण अनुमोदन समिति
एम.	एच आर समिति
एन.	वसूली को मानीटर करने के लिए समिति
ओ.	अनुशासनिक मामलों के लिए बोर्ड स्तरीय अपीलीय समिति
पी.	जानबूझकर चूककर्ताओं हेतु समीक्षा समिति

ए) प्रबंधन समिति :

प्रबंधन समिति का गठन सितंबर 08, 1990 को किया गया और यह भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से और केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के साथ बोर्ड द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों का प्रयोग करती है। प्रबंधन समिति निम्नलिखित विषयों पर बोर्ड में निहित सभी अधिकारों का प्रयोग कर सकती है :

- ऋण प्रस्तावों की मंजूरी (निधिप्रदत्त और गैर निधिप्रदत्त)
- ऋण समझौता / बट्टे खाते में डालने के प्रस्ताव ;
- पूंजी और राजस्व व्यय के प्रस्तावों हेतु अनुमोदन ;
- परिसरों के अधिग्रहण और किराये पर लेने हेतु मानदंडों से विचलन सहित परिसरों के अधिग्रहरण और किराये पर लेने से संबंधित प्रस्ताव ;
- मुकदमा / अपील आदि दायर करना और उनके बचाव की प्रक्रिया आदि ;
- सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, शेयरों और हामीदारी सहित कंपनियों के डिबेंचरों में निवेश
- दान ; और
- बोर्ड द्वारा प्रबंधन समिति को संदर्भित किए गए कोई अन्य मामले।

Number of other Boards or Board Committees of listed entities (other than Indian Bank) in which the directors of the Bank are member / Chairperson:

No.	Name of the Director	No. of Directorship in listed entities other than Indian Bank	No. of membership in Audit / Stakeholder Committee(s), excluding Indian Bank
1.	Shri. T C Venkat Subramanian	One (M/s Rolta India Limited)	One (Member in Audit Committee)
2.	Shri. Vinod Kumar Nagar	One (M/s Rico Auto Industries Limited)	Two (Member in Audit Committee and Stakeholders Relationship Committee)

3. Committees of the Board

The Board has constituted the following committees which provide specific and focused governance in important functional areas and to oversee the affairs of the Bank

Sl. No.	Name of the Committee
a.	Management Committee
b.	Audit Committee
c.	Risk Management Committee
d.	IT Strategy Committee (erstwhile Technology Committee)
e.	Customer Service Committee
f.	Committee of Directors (Vigilance)
g.	Special Committee (Monitoring of Large Value Frauds)
h.	Share Transfer Committee
i.	Stakeholders Relationship Committee
j.	Nomination Committee
k.	Remuneration Committee
l.	Credit Approval Committee
m.	H R Committee
n.	Committee for monitoring of Recovery
o.	Board Level Appellate Committee for Disciplinary Cases
p.	Review Committee for Wilful Defaulters

a) Management Committee:

The Management Committee was constituted on September 8, 1990 and exercises such powers of the Board, as may be delegated to it by the Board with the approval of the Central Government after consultation with Reserve Bank of India. The Committee may exercise all the powers vested in the Board in respect of:

- Sanctioning of credit proposals (funded and non-funded);
- Loans compromise/write-off proposals;
- Proposals for approval of capital and revenue expenditure;
- Proposals relating to acquisition and hiring of premises including deviation from norms for acquisition and hiring of premises;
- Filing of suits/appeals, defending them etc.;
- Investments in Government and other approved securities, shares and debentures of companies including underwriting;
- Donations ; and
- Any other matter referred to the Management Committee by the Board

प्रबंधन समिति में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण :

निदेशक का नाम	अवधि	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1. श्री महेश कुमार जैन – अध्यक्ष	01.04.2015 – 31.03.2016	12	12
2. श्री टी एम भसीन	01.04.2015 – 10.06.2015**	1	1
3. श्री बी राजकुमार	01.04.2015 – 31.05.2015	1	1
4. श्री आर सुब्रमणिय कुमार	22.01.2016 – 31.03.2016	3	3
5. श्री ए एस राजीव	22.01.2016 – 31.03.2016	3	3
6. श्री बी पी विजयेन्द्र	01.04.2015 – 31.03.2016	12	12
7. श्री टी सी वेंकटसुब्रमणियन	14.08.2015 – 23.09.2015	1	1
8. श्री पी वेंकट कृष्ण राव	25.07.2015 – 24.01.2016	6	6
	26.03.2016 – 31.03.2016	1	1
9. श्री दीपक डी सामंत	01.04.2015 - 24.07.2015	3	3
	26.09.2015 - 25.03.2016	5	5
10. श्री विनोद कुमार नागर	01.04.2015 – 25.09.2015	6	5
	25.01.2016 – 31.03.2016	3	3

** कार्यकाल की समाप्ति। श्री टी एम भसीन 10.06.2015 तक समिति के अध्यक्ष थे।

बी) लेखापरीक्षा समिति

लेखा परीक्षा समिति 13 अक्तूबर 1995 को गठित की गयी और इसके कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित शामिल हैं :

- बैंक के समग्र लेखा – परीक्षा कार्य को मार्गदर्शन प्रदान करना एवं उसका पर्यवेक्षण करना, जिससे बैंक की आंतरिक लेखा परीक्षा और निरीक्षण को व्यवस्थित, परिचालित करना एवं गुणवत्ता नियंत्रण करना अभिप्रेत है तथा बैंक की सांविधिक / बाहरी लेखा परीक्षा एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षणों का अनुवर्तन करना।
- अंतर–शाखा समायोजन खाते, अंतर बैंक खातों में बहुत दिनों से लंबित समाधान न की गई प्रविष्टियाँ और नास्ट्रो खातों, विभिन्न शाखाओं में बहियों के संतुलन में शेष काम, धोखाधडियाँ एवं अनुरक्षण पर विशिष्ट ध्यान देते हुए बैंक के आंतरिक निरीक्षण / लेखापरीक्षा कार्य की पुनरीक्षा करना।
- बैंकों में नियुक्त अनुपालन अधिकारियों से प्राप्त तिमाही रिपोर्टों की समीक्षा और
- लांग फार्म लेखा परीक्षा रिपोर्टों में उठाए गए सभी मामलों पर अनुवर्ती कार्रवाई करना और वार्षिक/अर्ध वार्षिक वित्तीय लेखा और रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पूर्व बाहरी लेखा परीक्षकों के साथ संपर्क करना।

दिनांक 23 नवंबर, 2006 को निदेशक मंडल के संकल्प की शर्तों के अनुसार, निम्नलिखित को शामिल करने के लिए लेखा परीक्षा समिति के कार्यक्षेत्र को बढ़ाया गया :

- लेखा, लेखा–नीतियों, प्रकटीकरण की नियमित पुनरीक्षा ;
- प्रबंधन द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करने पर आधारित मुख्य लेखा प्रविष्टियों की पुनरीक्षा और लेखा परीक्षा से प्राप्त महत्वपूर्ण समायोजन की पुनरीक्षा;
- ड्राफ़्ट लेखा परीक्षा रिपोर्ट की शर्तें ;
- लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों को शामिल करते हुए स्वतंत्र लेखा परीक्षा के विस्तार का निर्धारण एवं पुनरीक्षण करना तथा बोर्ड को प्रस्तुत करने के पहले तिमाही, छमाही एवं वार्षिक वित्तीय विवरणों का पुनरीक्षण करना
- किसी भी प्रकार के चिंताजनक क्षेत्र का पता लगाने के लिए लेखा परीक्षकों के साथ लेखा परीक्षा के बाद चर्चा;
- आंतरिक लेखा परीक्षा का स्वरूप और समय अंतराल स्थापित करना, आंतरिक लेखा परीक्षकों के निष्कर्ष की पुनरीक्षा और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता सुनिश्चित करना;
- बैंक के लेखा मानकों और लेखा नीतियों का अनुपालन
- वित्तीय विवरणियों पर लागू सीमा तक शेयर बाज़ार की अपेक्षाओं का अनुपालन;
- संबंधित पार्टियों के लेनदेन का पर्यवेक्षण, यथा, प्रवर्तकों अथवा प्रबंधन, उनकी अनुषंगियों अथवा संबंधियों इत्यादि के साथ भौतिक रूप के लेनदेन, जिनसे व्यापक रूप में बैंक के हितों के साथ संभावित संघर्ष हो सकता है; और
- ऐसे अन्य मामले जो कि समय–समय पर किसी भी सांविधिक, संविदात्मक अथवा अन्य विनियामक आवश्यकताओं हेतु अपेक्षित हों।

Details of Attendance of the Directors at the Management Committee Meetings

Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1. Shri Mahesh Kumar Jain - Chairman	01.04.2015 – 31.03.2016	12	12
2. Shri T M Bhasin	01.04.2015 – 10.06.2015**	1	1
3. Shri B Rajkumar	01.04.2015 – 31.05.2015	1	1
4. Shri R Subramania Kumar	22.01.2016 – 31.03.2016	3	3
5. Shri A S Rajeev	22.01.2016 – 31.03.2016	3	3
6. Shri B P Vijayendra	01.04.2015 – 31.03.2016	12	12
7. Shri T C Venkat Subramanian	14.08.2015 – 23.09.2015	1	1
8. Shri P Venkata Krishna Rao	25.07.2015 – 24.01.2016	6	6
	26.03.2016 – 31.03.2016	1	1
9. Shri Deepak D Samant	01.04.2015 - 24.07.2015	3	3
	26.09.2015 - 25.03.2016	5	5
10.Shri Vinod Kumar Nagar	01.04.2015 – 25.09.2015	6	5
	25.01.2016 – 31.03.2016	3	3

** cessation of tenure. Shri T M Bhasin was Chairman of the Committee upto 10.06.2015.

b) Audit Committee

The Audit Committee was constituted on October 13, 1995 and its terms of reference include the following:

- Provide direction as also oversee the total audit function of the Bank which impact the organization, operationalisation and quality control of internal audit and inspection in the Bank and follow-up on the statutory/external audit of the Bank and inspections of the Reserve Bank of India.
- Review the internal inspection/audit function in the Bank, with specific focus on the follow-up on inter-branch adjustment accounts, unreconciled long outstanding entries in Inter-Bank accounts and nostro accounts, arrears in balancing of books at various branches, frauds and house-keeping.
- Review quarterly reports from the Compliance officers appointed in the Bank and
- Follow-up on all the issues raised in the Long Form Audit Report and interact with the external auditors before the finalization of the annual/semi-annual financial accounts and reports.

In terms of the resolution of the Board of Directors dated November 23, 2006, the scope of reference of the Audit Committee was enhanced to include the following:

- Regular review of accounts, accounting policies, disclosures;
- Review of the major accounting entries based on exercise of judgment by management and review of significant adjustments arising out of audit;
- Qualifications in the draft audit report;
- Establishing and reviewing the scope of the independent audit including the observations of the auditors and review of the quarterly, half-yearly and annual financial statements before submission to the Board;
- Post audit discussions with the auditors to ascertain any area of concern;
- Establishing the scope and frequency of internal audit, reviewing the findings of the internal auditors and ensuring the adequacy of internal control systems;
- Compliance with Accounting Standards and Accounting Policies of the Bank
- Compliance with stock exchange requirements concerning financial statements, to the extent applicable;
- Oversee related party transactions i.e., transactions of the Bank of material nature, with promoters or management, their subsidiaries or relatives etc., that may have potential conflict with the interests of the Bank at large; and
- Such other matters as may from time to time be required by any statutory, contractual or other regulatory requirements.

लेखा परीक्षा समिति में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण

क्रम सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1.	**श्री श्रीराम रामचन्द्रन – अध्यक्ष**	01.04.2015 - 31.03.2016	12	12
2.	श्री बी राजकुमार	01.04.2015 – 31.05.2015**	2	2
3.	श्री महेश कुमार जैन	01.04.2015 – 31.05.2015	2	2
4.	श्री आर सुब्रमणिय कुमार	22.01.2016 – 31.03.2016	4	4
5.	श्री ए एस राजीव	22.01.2016 – 31.03.2016	4	4
6.	डॉ एन श्रीनिवास राव	01.04.2015 – 15.12.2015**	7	7
7.	सुश्री मुदिता मिश्रा	07.01.2016 – 31.03.2016	5	3
8.	श्री बी पी विजयेन्द्र	01.04.2015 – 31.03.2016	12	12

** कार्यकाल की समाप्ति।

सी) जोखिम प्रबंधन समिति :

जोखिम प्रबंधन समिति का गठन 18 जनवरी, 2003 को किया गया था। समिति के कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं :

- एकीकृत जोखिम प्रबंधन, जिसमें ऋण जोखिम सहित बैंक के विभिन्न एक्सपोज़र से संबंधित जोखिम शामिल हैं, के लिए नीति और रणनीति तैयार करना
- बैंक की ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी), आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलएमसी) और परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) और अन्य जोखिम समितियों के बीच समन्वय स्थापित करना।
- समिति के दायित्वों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :
  - बाज़ार जोखिम मापने, उसके प्रबंधन और रिपोर्टिंग हेतु नीतियां और दिशानिर्देश निर्धारित करना
  - यह सुनिश्चित करना कि बाजार जोखिम प्रक्रियाएँ (जनता, प्रणालियों, परिचालनों, सीमाओं और नियंत्रणों सहित) बैंक की नीति की संतुष्टि करती हैं।
  - ट्रिगर अथवा व्यापार और प्रोद्भवन पोर्टफोलियो हेतु हानि रोकने सहित बाज़ार जोखिम सीमाओं की पुनरीक्षा और अनुमोदन।
  - अर्ह और सक्षम स्टाफ की नियुक्ति, अर्ह और सक्षम स्टाफ और स्वतंत्र बाज़ार जोखिम प्रबंधक/कों आदि की तैनाती सुनिश्चित करना।

जोखिम प्रबंधन समिति में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1.	**श्री टी सी वेंकट सुब्रमणियन – अध्यक्ष**	14.08.2015 – 31.03.2016	4	4
2.	श्री महेश कुमार जैन	01.04.2015 – 31.03.2016	5	5
3.	श्री आर सुब्रमणिय कुमार	22.01.2016 – 31.03.2016	2	2
4.	श्री ए एस राजीव	22.01.2016 – 31.03.2016	2	2
5.	श्री पी वेंकट कृष्ण राव	01.04.2015 – 31.03.2016	5	5
6.	श्री दीपक डी सामंत	01.04.2015 – 31.03.2016	5	5
7.	श्री श्रीराम रामचन्द्रन	01.04.2015 - 31.03.2016	5	5
8.	श्री राजेश महाजन (विशेष रूप से आमंत्रित)	01.03.2016 – 31.03.2016	2	2

Details of Attendance of the Directors at the Audit Committee Meetings

Sl. No.	Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1.	**Shri Sriram Ramachandran - Chairman**	01.04.2015 - 31.03.2016	12	12
2.	Shri B Rajkumar	01.04.2015 – 31.05.2015**	2	2
3.	Shri Mahesh Kumar Jain	01.04.2015 – 31.05.2015	2	2
4.	Shri R Subramania Kumar	22.01.2016 – 31.03.2016	4	4
5.	Shri A S Rajeev	22.01.2016 – 31.03.2016	4	4
6.	Dr. N Srinivasa Rao	01.04.2015 – 15.12.2015**	7	7
7.	Ms. Mudita Mishra	07.01.2016 – 31.03.2016	5	3
8.	Shri B P Vijayendra	01.04.2015 – 31.03.2016	12	12

** cessation of tenure

c) Risk Management Committee:

Risk Management Committee was constituted on January 18, 2003. The functions of the Risk Management Committee include the following:

- To devise the policy and strategy for integrated risk management containing various risk exposures of the Bank including the Credit Risk.
- To co-ordinate between the Credit Risk Management Committee (CRMC), the Asset Liability Management Committee (ALMC) and Operational Risk Management Committee (ORMC) and other risk committees of the Bank.
- The responsibility of the Committee include:
  - Setting policies and guidelines for market risk measurement, management and reporting.
  - Ensuring that market risk management processes (including people, systems, operations, limits and controls) satisfy Bank's policy.
  - Reviewing and approving market risk limits, including triggers or stop-losses for traded and accrual portfolios.
  - Appointment of qualified and competent staff, ensuring posting of qualified and competent staff and of independent market risk manager/s etc.

Details of Attendance of the Directors at the Risk Management Committee Meetings :

Sl. No.	Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1.	**Shri T C Venkat Subramanian – Chairman**	14.08.2015 – 31.03.2016	4	4
2.	Shri Mahesh Kumar Jain	01.04.2015 – 31.03.2016	5	5
3.	Shri R Subramania Kumar	22.01.2016 – 31.03.2016	2	2
4.	Shri A S Rajeev	22.01.2016 – 31.03.2016	2	2
5.	Shri P Venkata Krishna Rao	01.04.2015 – 31.03.2016	5	5
6.	Shri Deepak D Samant	01.04.2015 – 31.03.2016	5	5
7.	Shri Sriram Ramachandran	01.04.2015 - 31.03.2016	5	5
8.	Shri Rajesh Mahajan (Special Invitee)	01.03.2016 – 31.03.2016	2	2

डी) आईटी रणनीति समिति (भूतपूर्व प्रोद्योगिकी समिति)

- आईटी रणनीति समिति (भारिबैंक की सूचना – डीबीएस.सीओ.आईटीसी.बीसी.सं.6/31.02.008/ 2010–11 दिनांक 29.04.2011 के जरिए दिए गए निदेशों / दिशानिर्देशों के अनुसार बोर्ड की प्रौद्योगिकी समिति को आईटी रणनीति समिति का नया नाम दिया गया है) का गठन मार्च 11, 2002 को किया गया।
- प्रौद्योगिकी समिति का गठन बैंक की प्रौद्योगिकी उन्नयन आवश्यकताओं पर विचार करने और स्पष्ट परिभाषित माइलस्टोन के साथ रणनीतिक योजना की अनुशंसा करने के लिए किया गया है।

आईटी रणनीति समिति में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1.	**श्री टी सी वेंकट सुब्रमणियन – अध्यक्ष**	14.08.2015 – 31.03.2016	3	3
2.	श्री महेश कुमार जैन	01.04.2015 – 31.03.2016	8	8
3.	श्री आर सुब्रमणिय कुमार	22.01.2016 – 31.03.2016	2	2
4.	श्री ए एस राजीव	22.01.2016 – 31.03.2016	2	2
5.	श्री पी वेंकट कृष्ण राव	01.04.2015 – 31.03.2016	8	8
6.	श्री दीपक डी सामंत	01.04.2015 – 31.03.2016	8	8
7.	श्री श्रीराम रामचन्द्रन	01.04.2015 - 31.03.2016	8	8

ई) ग्राहक सेवा समिति

ग्राहक सेवा समिति अगस्त 24, 2004 को गठित की गई थी। ग्राहक सेवा समिति के कार्य में निम्नलिखित शामिल हैं।

- आम व्यक्तियों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रक्रियाविधियों व पद्धतियों के सरलीकरण पर ध्यान देने हेतु ;
- ग्राहकों को सेवा प्रदान करने हेतु पद्धतियों की पुनरीक्षा और
- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित उन विनियमों और प्रक्रियाओं की पुनरीक्षा जोकि बैंक की ग्राहक सेवा का अतिक्रमण कर रही हैं।

ग्राहक सेवा समिति में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1.	**श्री महेश कुमार जैन – अध्यक्ष**	01.04.2015– 31.03.2016	4	4
2.	श्री आर सुब्रमणिय कुमार	22.01.2016 – 31.03.2016	1	1
3.	श्री ए एस राजीव	22.01.2016 – 31.03.2016	1	1
4.	डॉ एन श्रीनिवास राव	01.04.2015 – 15.12.2015**	2	-
5.	सुश्री मुदिता मिश्रा	07.01.2016 – 31.03.2016	2	1
6.	श्री टी सी वेंकटसुब्रमणियन	14.08.2015 – 22.09.2015	1	1
7.	श्री पी वेंकट कृष्ण राव	01.04.2015– 31.03.2016	4	4
8.	श्री दीपक डी सामंत	01.04.2015 - 31.03.2016	4	4
9.	श्री विनोद कुमार नागर	01.04.2015 - 31.03.2016	4	4

** कार्यकाल की समाप्ति।

एफ) निदेशकों की समिति (सतर्कता)

सतर्कता समिति जनवरी 12, 1991 को गठित की गई है। सतर्कता समिति तिमाही में एक बार बैठक करती है और लंबित अनुशासनिक मामलों और विभागीय जांच की पुनरीक्षा करती है। निदेशक समिति की टिप्पणी, सतर्कता मामलों के अर्धवार्षिक पुनरीक्षण हेतु निदेशक मंडल को प्रस्तुत की जाती है।

d) IT Strategy Committee (erstwhile Technology Committee):

- IT Strategy Committee (The Technology Committee of the Board has been renamed as IT Strategy Committee as per the directions / guidelines of RBI communication DBS.CO.ITC.BC.No.6/31.02.008/2010-11 dated April 29, 2011) was constituted on March 11, 2002.
- The Technology Committee has been set up to look into the technological upgradation requirements of the Bank and recommend a strategic plan with clearly defined milestones.

Details of Attendance of the Directors at the IT Strategy Committee Meetings

Sl. No.	Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1.	**Shri T C Venkat Subramanian - Chairman**	14.08.2015 – 31.03.2016	3	3
2.	Shri Mahesh Kumar Jain	01.04.2015 – 31.03.2016	8	8
3.	Shri R Subramania Kumar	22.01.2016 – 31.03.2016	2	2
4.	Shri A S Rajeev	22.01.2016 – 31.03.2016	2	2
5.	Shri P Venkata Krishna Rao	01.04.2015 – 31.03.2016	8	8
6.	Shri Deepak D Samant	01.04.2015 – 31.03.2016	8	8
7.	Shri Sriram Ramachandran	01.04.2015 - 31.03.2016	8	8

e) Customer Service Committee

The Customer Service Committee was constituted on August 24, 2004. The functions of the Customer Service Committee include the following:

- To look into the simplification of procedures and practices with a view to safeguarding the interest of common persons;
- To review the systems in place for providing service to the customers ; and
- To review the regulations and procedures prescribed by Reserve Bank of India that impinges on customer service of banks.

Details of Attendance of the Directors at the Customer Service Committee Meetings

Sl. No.	Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1.	**Shri Mahesh Kumar Jain - Chairman**	01.04.2015– 31.03.2016	4	4
2.	Shri R Subramania Kumar	22.01.2016 – 31.03.2016	1	1
3.	Shri A S Rajeev	22.01.2016 – 31.03.2016	1	1
4.	Dr. N Srinivasa Rao	01.04.2015 – 15.12.2015**	2	-
5.	Ms. Mudita Mishra	07.01.2016 – 31.03.2016	2	1
6.	Shri T C Venkat Subramanian	14.08.2015 – 22.09.2015	1	1
7.	Shri P Venkata Krishna Rao	01.04.2015– 31.03.2016	4	4
8.	Shri Deepak D Samant	01.04.2015 - 31.03.2016	4	4
9.	Shri Vinod Kumar Nagar	01.04.2015 - 31.03.2016	4	4

** cessation of tenure

f) Committee of Directors (Vigilance):

The Vigilance Committee was constituted on January 12, 1991. The Vigilance Committee meets once in a quarter to review any outstanding disciplinary cases and departmental enquiries. The observation of the Vigilance Committee is put up to the Board in the half yearly review of vigilance matters.

सतर्कता समिति बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1.	**श्री महेश कुमार जैन – अध्यक्ष**	01.04.2015 – 31.03.2016	3	3
2.	श्री आर सुब्रमणिय कुमार	22.01.2016 – 31.03.2016	-	-
3.	श्री ए एस राजीव	22.01.2016 – 31.03.2016	-	-
4.	डॉ एन श्रीनिवास राव	01.04.2015 – 15.12.2015**	2	2
5.	सुश्री मुदिता मिश्रा	07.01.2016 – 31.03.2016	1	1
6.	श्री बी पी विजयेन्द्र	01.04.2015 – 31.03.2016	3	3

** कार्यकाल की समाप्ति।

जी) विशेष समिति : (बडे मूल्य की धोखाधडियों को मानीटर करने हेतु)

₹1 करोड़ और उससे अधिक की धोखाधडियों को मानीटर करने हेतु इस समिति का गठन 31 जनवरी 2004 को किया गया था।

बडे मूल्य की धोखाधडियों को मानीटर करने हेतु विशेष समिति में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1.	**श्री टी सी वेंकट सुब्रमणियन – अध्यक्ष**	14.08.2015 – 31.03.2016	3	3
2.	श्री टी एम भसीन	01.04.2015 – 10.06.2015**	1	1
3.	श्री बी राजकुमार	01.04.2015 – 31.05.2015**	1	1
4.	श्री महेश कुमार जैन	01.04.2015 – 31.03.2016	4	4
5.	श्री आर सुब्रमणिय कुमार	22.01.2016 – 31.03.2016	-	-
6.	श्री ए एस राजीव	22.01.2016 – 31.03.2016	-	-
7.	डॉ एन श्रीनिवास राव	01.04.2015 – 15.12.2015**	3	3
8.	सुश्री मुदिता मिश्रा	07.01.2016 – 31.03.2016	1	1
9.	श्री विनोद कुमार नागर	01.04.2015 – 31.03.2016	4	4
10.	श्री श्रीराम रामचन्द्रन	22.09.2015 – 31.03.2016	3	3

** कार्यकाल की समाप्ति।

10.06.2015 तक श्री टी एम भसीन समिति का अध्यक्ष रहे।

एच) शेयर अंतरण समिति :

इंडियन बैंक (शेयर और बैठक) विनियमन, 1999 के विनियम 2ए के अनुसार, 13 मार्च 2007 को बैंक की शेयर अंतरण समिति गठित की गई।

शेयर अंतरण समिति में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण

क्रम सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1.	**श्री आर सुब्रमणियन कुमार – अध्यक्ष**	22.01.2016 – 31.03.2016	-	-
2.	श्री बी राजकुमार	01.04.2015 – 31.05.2015**	1	1
3.	श्री महेश कुमार जैन	01.04.2015 – 03.11.2015	3	3
4.	श्री ए एस राजीव	22.01.2016 – 31.03.2016	-	-
5.	श्री विनोद कुमार नागर	01.04.2015 – 31.03.2016	3	3
6.	श्री श्रीराम रामचन्द्रन	01.04.2015 – 31.03.2016	3	3

** कार्यकाल की समाप्ति।

03.11.2015 तक श्री महेश कुमार जैन समिति का अध्यक्ष रहे।

Details of Attendance of the Directors at the Vigilance Committee Meetings

Sl. No.	Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1.	**Shri Mahesh Kumar Jain - Chairman**	01.04.2015 – 31.03.2016	3	3
2.	Shri R Subramania Kumar	22.01.2016 – 31.03.2016	-	-
3.	Shri A S Rajeev	22.01.2016 – 31.03.2016	-	-
4.	Dr. N Srinivasa Rao	01.04.2015 – 15.12.2015**	2	2
5.	Ms. Mudita Mishra	07.01.2016 – 31.03.2016	1	1
6.	Shri B P Vijayendra	01.04.2015 – 31.03.2016	3	3

** cessation of tenure

g) Special Committee (Monitoring of Large Value Frauds):

The Committee was constituted on January 31, 2004 for monitoring frauds of ₹1 crore and above.

Details of Attendance of the Directors at the Special Committee (Monitoring of Large Value Frauds) Meetings

Sl. No.	Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1.	**Shri T C Venkat Subramanian – Chairman**	14.08.2015 – 31.03.2016	3	3
2.	Shri T M Bhasin	01.04.2015 – 10.06.2015**	1	1
3.	Shri B Rajkumar	01.04.2015 – 31.05.2015**	1	1
4.	Shri Mahesh Kumar Jain	01.04.2015 – 31.03.2016	4	4
5.	Shri R Subramania Kumar	22.01.2016 – 31.03.2016	-	-
6.	Shri A S Rajeev	22.01.2016 – 31.03.2016	-	-
7.	Dr. N Srinivasa Rao	01.04.2015 – 15.12.2015**	3	3
8.	Ms. Mudita Mishra	07.01.2016 – 31.03.2016	1	1
9.	Shri Vinod Kumar Nagar	01.04.2015 – 31.03.2016	4	4
10.	Shri Sriram Ramachandran	22.09.2015 – 31.03.2016	3	3

** cessation of tenure

Shri. T M Bhasin was Chairman of the Committee upto 10.06.2015.

h) Share Transfer Committee:

Pursuant to Regulation No.2A of Indian Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999, the Share Transfer Committee of the Bank was constituted on March 13, 2007.

Details of Attendance of the Directors at the Share Transfer Committee Meetings

Sl. No.	Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1.	**Shri R Subramania Kumar - Chairman**	22.01.2016 – 31.03.2016	-	-
2.	Shri B Rajkumar	01.04.2015 – 31.05.2015**	1	1
3.	Shri Mahesh Kumar Jain	01.04.2015 – 03.11.2015	3	3
4.	Shri A S Rajeev	22.01.2016 – 31.03.2016	-	-
5.	Shri Vinod Kumar Nagar	01.04.2015 – 31.03.2016	3	3
6.	Shri Sriram Ramachandran	01.04.2015 – 31.03.2016	3	3

** cessation of tenure

Shri. Mahesh Kumar Jain was Chairman of the Committee upto 03.11.2015.

आई) स्टेकधारक संपर्क समिति (भूतपूर्व शेयरधारकों / निवेशक शिकायत समिति) :

शेयरधारकों तथा निवेशकों की शिकायतों के निवारण का कार्य संभालने हेतु 23 नवंबर, 2006 के प्रभाव से यह समिति गठित की गई और इस समिति का कार्य सिर्फ शेयरों के अंतरण लाभांश, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने और किसी प्रकार की शिकायतों तक सीमित नहीं है, बल्कि बैंक के विरुद्ध किसी शेयर धारक या निवेशक की शिकायतों के निवारण का कार्य भी शामिल है।

स्टेकधारक संपर्क समिति बैठकोंमें निदेशकों की उपस्थिति के विवरण

क्रम सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1.	**श्री विनोद कुमार नागर – अध्यक्ष**	01.04.2015 – 31.03.2016	4	4
2.	श्री महेश कुमार जैन	01.04.2015 – 03.11.2015	2	2
3.	श्री आर सुब्रमणिय कुमार	22.01.2016 – 31.03.2016	1	1
4.	श्री ए एस राजीव	22.01.2016 – 31.03.2016	1	1
5.	श्री श्रीराम रामचन्द्रन	01.04.2015 – 31.03.2016	4	4

जे) नामांकन समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक, डीबीओडी के पत्र बीसी.सं.47/29.39.001/2007–08 दि.01 नवंबर, 2007 में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने, बैंक के शेयरधारक–निदेशक के रूप में निर्वाचन के लिए अपने नामांकन दायर करनेवालों का "पात्र एवं उचित" स्टेटस का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ उचित सावधानी का कार्य निभाने हेतु दिसंबर 01, 2007 को नामांकन समिति गठित की थी। निम्नलिखित निदेशकों के साथ इसे जून 11, 2014 को पुनः गठित किया गया था।

1. भारत सरकार के नामिती निदेशक (समिति का अध्यक्ष)
2. अंश–कालिक गैर सरकारी निदेशक
3. शेयरधारक निदेशक

वर्ष 2015–16 के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नही की गई।

के) पारिश्रमिक समिति :

29 मार्च, 2007 को पारिश्रमिक समिति गठित की गयी थी। समय समय पर भारत सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए गए नियमानुसार प्रबंध निदेशक एवं मु.का.अ और कार्यपालक निदेशकों को पारिश्रमिक एवं यात्रा और ठहरने हेतु व्यय की प्रतिपूर्ति का भुगतान किया जाता है।

गैर–कार्यपालक / अंशकालिक गैर–सरकारी / स्वतंत्र निदेशकों को भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार बोर्ड / समिति की बैठकों में शामिल होने के लिए रुपए 20,000/– एवं रुपए 10,000/– प्रति बोर्ड बैठक एवं समिति बैठक के भुगतान के अलावा और किसी प्रकार का पारिश्रमिक अदा नहीं किया जाता। राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970/1980 के खंड 17 की शर्तों के अनुसार समय समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुसार गैर–कार्यपालकों को यात्रा एवं ठहरने हेतु भत्ते सहित पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है।

यह समिति पूर्ण कालिक निदेशकों को निष्पादन से संबंधित प्रोत्साहन के भुगतान के प्रयोजनार्थ भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के सेट के आधार पर पुनरीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक/पूर्णकालिक निदेशकों के निष्पादन को मूल्यांकित करती हैं।

पारिश्रमिक समिति बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1.	**श्री टी सी वेंकट सुब्रमणियन – अध्यक्ष**	02.11.2015 – 31.03.2016	-	-
2.	डॉ. एन श्रीनिवास राव	01.04.2015 – 15.12.2015**	1	1
3.	श्री पी विजयेन्द्रा	01.04.2015 – 31.03.2016	1	1
4.	श्री विनोद कुमार नागर	01.04.2015 – 31.03.2016	1	1
5.	श्री श्रीराम रामचन्द्रन	01.04.2015 – 01.11.2015	1	1

** कार्यकाल की समाप्ति।

15.12.2015 डॉ. एन श्रीनिवास राव समिति के अध्यक्ष रहे ।

i) Stakeholders Relationship Committee (erstwhile Shareholders' / Investors' Grievance Committee):

The Committee was constituted with effect from November 23, 2006 to carry out such functions that are required for the redressal of Shareholders' and investors' complaints, including but not limited to transfer of shares, non-receipt of dividends, Annual Report and any other grievance that a shareholder or investor of the Bank may have against the Bank.

Details of Attendance of the Directors at the Stakeholders Relationship Committee Meetings

Sl. No.	Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1.	**Shri Vinod Kumar Nagar - Chairman**	01.04.2015 – 31.03.2016	4	4
2.	Shri Mahesh Kumar Jain	01.04.2015 – 02.11.2015	2	2
3.	Shri R Subramania Kumar	22.01.2016 – 31.03.2016	1	1
4.	Shri A S Rajeev	22.01.2016 – 31.03.2016	1	1
5.	Shri Sriram Ramachandran	01.04.2015 – 31.03.2016	4	4

j) Nomination Committee:

The Nomination Committee was constituted on December 01, 2007 by the Bank as per the guidelines of Reserve Bank of India contained in DBOD Letter BC.No.47/29.39.001/2007-08 dated November 01, 2007 for the purpose of carrying out due diligence to determine the "fit and proper" status of the persons who file their nominations for election as Shareholder Director of the Bank. It was reconstituted on June 11, 2014 with the following Directors:

1. Government of India Nominee Director (Chairman of the Committee).
2. Part - time Non Official Director
3. Shareholder Director.

There was no meeting of the Committee held during the year 2015-16.

k) Remuneration Committee :

The Remuneration Committee was constituted on March 29, 2007. The Managing Director & CEO and Executive Directors are being paid remuneration and reimbursement of their travelling and halting expenses as per the rules framed by Government of India in this regard from time to time.

The Non-Executive / Part-time Non-Official / Independent Directors are not being paid any other remuneration, except Sitting Fees for attending the meetings of the Board/Committee as per the guidelines of Government of India at ₹ 20,000/- and ₹ 10,000/- per Board meeting and Committee meeting, respectively. The remuneration including travelling and halting expenses to these Directors is being paid as decided by the Central Government in consultation with RBI from time to time in terms of Clause 17 of Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 / 1980.

The Committee evaluates the performance of the Bank / Whole-time Directors for the year under review based on a set of parameters as fixed by Government of India for the purpose of payment of performance-linked incentives to Whole-time Directors.

Details of Attendance of the Directors at the Remuneration Committee Meetings

Sl. No.	Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1.	**Shri T C Venkat Subramanian – Chairman**	02.11.2015 – 31.03.2016	-	-
2.	Dr. N Srinivasa Rao	01.04.2015 – 15.12.2015**	1	1
3.	Shri B P Vijayendra	01.04.2015 – 31.03.2016	1	1
4.	Shri Vinod Kumar Nagar	01.04.2015 – 31.03.2016	1	1
5.	Shri Sriram Ramachandran	01.04.2015 – 01.11.2015	1	1

** cessation of tenure

Dr. N. Srinivasa Rao was Chairman of the Committee upto 15.12.2015.

एल) बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति

भारत सरकार की अधिसूचना एसओ 2736 (ई) दिनांक दिसंबर 05, 2011 के अनुसार ऋण अनुमोदन समिति अप्रैल 04, 2012 को गठित की गई तथा यह बोर्ड की प्रबंधन समिति के अधीन मंजूरी निकाय होगी। समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :

(1) प्रबंध निदेशक एवं मु.का.अधि

(2) कार्यपालक निदेशकगण

(3) ऋण के प्रभारी महा प्रबन्धक

(4) ट्रेशरी के प्रभारी महा प्रबन्धक और

(5) जोखिम प्रबन्धन के प्रभारी महा प्रबन्धक

ये सदस्य ऋण प्रस्ताव / समझौता प्रस्ताव /बट्टे खाते लिखने के प्रस्ताव आदि पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित ढांचे के अनुरूप उनको प्रत्यायोजित अधिकारों का प्रयोग करेंगे। वर्ष 2015–16 के दौरान ऋण अनुमोदन समिति की 4 बैठके आयोजित की गईं।

एम) एचआर समिति

भारत सरकार के दिनांक मार्च 21, 2012 की सूचना के निदेशों के अनुसार जून 29, 2012 को बोर्ड की एचआर समिति का गठन किया गया जो प्रत्येक तिमाही के दौरान एचआर से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे और निर्णय करेंगे। एचआर समिति के निम्नलिखित सदस्य हैं ।

1. **श्री टी सी वेंकट सुब्रमणियन - अध्यक्ष**
2. श्री महेश कुमार जैन - सदस्य
3. श्री आर सुब्रमणिय कुमार - सदस्य
4. श्री ए एस राजीव - सदस्य
5. सुश्री मुदिता मिश्रा - सदस्य
6. श्री विनोद कुमार नागर - सदस्य
7. श्री दुर्व दुर्गा प्रसाद - विशेष आमंत्री

मार्च 29, 2016 तक डॉ टी जे कमलनाभन समिति के विशेष आमंत्री रहे।

एचआर समिति में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण

क्रम सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1.	**श्री टी सी वेंकट सुब्रमणियन – अध्यक्ष**	14.08.2015 – 31.03.2016	3	3
2.	श्री टी एम भसीन – अध्यक्ष	01.04.2015 – 10.06.2015**	2	2
3.	श्री बी राजकुमार	01.04.2015 – 31.05.2015**	2	2
4.	श्री महेश कुमार जैन	01.04.2015– 31.03.2016	7	6
5.	श्री आर सुब्रमणिय कुमार	22.01.2016– 31.03.2016	2	2
6.	श्री ए एस राजीव	22.01.2016 – 31.03.2016	2	2
7.	डॉ. एन श्रीनिवास राव	01.04.2015 – 15.12.2015**	4	4
8.	सुश्री मुदिता मिश्रा	07.01.2016 – 31.03.2016	3	1
9.	श्री विनोद कुमार नागर	01.04.2015 – 31.03.2016	7	7
10.	डॉ टी जे कमलनाभन (विशेष आमंत्री)	01.04.2015 – 29.03.2016	7	3
11.	श्री दुर्व दुर्गा प्रसाद (विशेष आमंत्री)	30.03.2016 – 31.03.2016	-	-

** कार्यकाल की समाप्ति।

10.06.2015 तक श्री टी एम भसीन समिति के अध्यक्ष रहे।

l) Credit Approval Committee of the Board :

The Credit Approval Committee was constituted on April 04, 2012 as per the Government of India Notification S.O.2736 (E) dated December 05, 2011 to be a sanctioning body below Management Committee of the Board. The Committee consists of the following Members:

(1) Managing Director & CEO,
(2) Executive Directors,
(3) General Manager in charge of Credit,
(4) General Manager in charge of Treasury and
(5) General Manager in charge of Risk Management

to exercise such powers delegated to it by the Board with regard to credit proposals / compromise proposals / write off proposals within the framework spelt out by Government of India. The Credit Approval Committee of the Board met 4 times during the year 2015-16.

m) HR Committee :

As per the direction of Government of India communication dated March 21, 2012, the HR Committee of the Board was constituted on June 29, 2012 to discuss and decide upon critical issues in HR every quarter. The following are the members of the HR Committee:

1. **Shri T C Venkat Subramanian - Chairman**
2. Shri Mahesh Kumar Jain - Member
3. Shri R Subramania Kumar - Member
4. Shri A S Rajeev - Member
5. Ms Mudita Mishra - Member
6. Shri Vinod Kumar Nagar - Member
7. Shri Durv Durga Prasad - Special Invitee

Dr T J Kamalanabhan was Special Invitee to the Committee till March 29, 2016.

Details of Attendance of the Directors at the HR Committee Meetings

Sl. No.	Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1.	**Shri T C Venkat Subramanaian – Chairman**	14.08.2015 – 31.03.2016	3	3
2.	Shri T M Bhasin	01.04.2015 – 10.06.2015**	2	2
3.	Shri B Rajkumar	01.04.2015 – 31.05.2015**	2	2
4.	Shri Mahesh Kumar Jain	01.04.2015– 31.03.2016	7	6
5.	Shri R Subramania Kumar	22.01.2016– 31.03.2016	2	2
6.	Shri A S Rajeev	22.01.2016 – 31.03.2016	2	2
7.	Dr. N Srinivasa Rao	01.04.2015 – 15.12.2015**	4	4
8.	Ms. Mudita Mishra	07.01.2016 – 31.03.2016	3	1
9.	Shri Vinod Kumar Nagar	01.04.2015 – 31.03.2016	7	7
10.	Dr. T J Kamalanabhan (Special Invitee)	01.04.2015 – 29.03.2016	7	3
11.	Shri Durv Durga Prasad (Special Invitee)	30.03.2016 – 31.03.2016	-	-

** cessation of tenure

Shri. T M Bhasin was Chairman of the Committee upto 10.06.2015.

एन) वसूली पर निगरानी समिति

भारत सरकार के दिनांक नवंबर 21, 2012 के पत्र एफ सं 7/112/2012–बीओए में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार दिसंबर 18, 2012 को वसूली को मानीटर करने के लिए वसूली पर निगरानी समिति गठित की गई तथा इसका उद्देश्य मासिक आधार पर बैंक में की गई वसूली की प्रगति को मानीटर करना एवं विभिन्न समितियों जैसे समझौता परामर्शदात्री समिति, आस्तियों की बिक्री समिति और बैंक के अन्य क्षेत्र स्तर के कार्यकर्ताओं के कार्य की पुनरीक्षा करना है। निम्नलिखित निदेशकों के साथ इस समिति का गठन किया गया है :

1. प्रबंध निदेशक एवं मुकाअ (समिति के अध्यक्ष)
2. कार्यपालक निदेशकगण
3. भारत सरकार के नामिती निदेशक

वसूली को मानीटर करनेवाली समिति में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1.	**श्री महेश कुमार जैन – अध्यक्ष**	01.04.2015 – 31.03.2016	7	7
2.	श्री टी एम भसीन	01.04.2015 – 10.06.2015**	1	1
3.	श्री बी राजकुमार	01.04.2015 – 31.05.2015**	1	1
4.	श्री आर सुब्रमणिय कुमार	22.01.2016 – 31.03.2016	1	1
5.	श्री ए एस राजीव	22.01.2016 – 31.03.2016	1	1
6.	डॉ. एन श्रीनिवास राव	01.04.2015 – 15.12.2015**	5	5
7.	सुश्री मुदिता मिश्रा	07.01.2016 – 31.03.2016	2	1
8.	श्री विनोद कुमार नागर	19.01.2016 – 31.03.2016	2	2

** कार्यकाल की समाप्ति।

10.06.2015 तक श्री टी एम भसीन समिति के अध्यक्ष रहे।

ओ) अनुशासनिक मामलों के लिए बोर्ड स्तरीय अपीलीय समिति :

अनुशासनिक मामलों में बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मु.का.अ के निर्णयों के खिलाफ की जाने वाली अपीलों के लिए उनसे एक स्तर ऊपर की बोर्ड स्तरीय अपीलीय समिति का गठन 15 दिसंबर 2014 को किया गया । इसमें निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं :

1. **सुश्री मुदिता मिश्रा** - **अध्यक्ष महोदया**
2. श्री विनोद कुमार नागर - सदस्य
3. श्री श्रीराम रामचन्द्रन - सदस्य

2015–16 के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

पी) इरादतन चूककर्ताओं के लिए समीक्षा समिति

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इरादतन चूककर्ताओं के संबंध में दिनांक 01 जुलाई 2014 को प्राप्त दिशानिर्देशों के अनुसार दिनांक 23 जनवरी 2015 को इरादतन चूककर्ताओं के लिए समीक्षा समिति गठित की गई।

इरादतन चूककर्ताओं हेतु आयोजित बैठकों में समीक्षा समिति के निदेशकों की उपस्थिति का विवरण :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1.	**श्री महेश कुमार जैन – अध्यक्ष**	01.04.2015 – 31.03.2016	3	3
2.	श्री विनोद कुमार नागर	01.04.2015 – 31.03.2016	3	3
3.	श्री श्रीराम रामचन्द्रन	01.04.2015 – 31.03.2016	3	3

n) Committee for Monitoring of Recovery :

The Committee for Monitoring of Recovery was constituted on December 18, 2012 as per the guidelines of Government of India contained in F.No.7/112/2012-BOA dated November 21, 2012 for the purpose of monitoring the progress made by the Bank in recovery and to review the functioning of various Committees such as Settlement Advisory Committee, Sale of Assets Committee and other field level functionaries in the Bank. It is constituted with the following Directors:

1. Managing Director & CEO (Chairman of the Committee).
2. Executive Directors.
3. Government of India Nominee Director

Details of Attendance of the Directors at the Committee for Monitoring of Recovery Meetings

Sl. No.	Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1.	**Shri Mahesh Kumar Jain – Chairman**	01.04.2015 – 31.03.2016	7	7
2.	Shri T M Bhasin	01.04.2015 – 10.06.2015**	1	1
3.	Shri B Rajkumar	01.04.2015 – 31.05.2015**	1	1
4.	Shri R Subramania Kumar	22.01.2016 – 31.03.2016	1	1
5.	Shri A S Rajeev	22.01.2016 – 31.03.2016	1	1
6.	Dr. N Srinivasa Rao	01.04.2015 – 15.12.2015**	5	5
7.	Ms. Mudita Mishra	07.01.2016 – 31.03.2016	2	1
8.	Shri Vinod Kumar Nagar	19.01.2016 – 31.03.2016	2	2

** cessation of tenure

Shri. T M Bhasin was Chairman of the Committee upto 10.06.2015.

o) Board Level Appellate Committee for Disciplinary Cases :

The Board Level Appellate Committee for Disciplinary Cases was constituted on December 15, 2014, one level above the authority of Managing Director & CEO of the Bank whose decision is appealed against. It is constituted with the following Directors:

1. Ms. Mudita Mishra - Chairperson
2. Shri Vinod Kumar Nagar - Member
3. Shri Sriram Ramachandran - Member

There was no meeting of the Committee held during 2015-16.

p) Review Committee for Wilful Defaulters :

The Review Committee for Wilful Defaulters was constituted on January 23, 2015 as per RBI guidelines dated July 01, 2014 on the concept of willful defaulters.

Details of Attendance of the Directors at the Review Committee for Wilful Defaulters Meetings :

Sl. No.	Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1.	**Shri Mahesh Kumar Jain - Chairman**	01.04.2015 – 31.03.2016	3	3
2.	Shri Vinod Kumar Nagar	01.04.2015 – 31.03.2016	3	3
3.	Shri Sriram Ramachandran	01.04.2015 – 31.03.2016	3	3

4. **सामान्य बैठकें**

बैंक के शेयरधारकों की पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों (एजीएम) के विवरण निम्न प्रकार हैं ;

वार्षिक आम बैठक	दिन एवं दिनांक	समय	स्थान
सातवीं	शुक्रवार, जून 28, 2013	10.00 बजे पूर्वाह्न	इमेज, एमआरसी नगर, राजा अण्णामलैपुरम, चेन्नै - 600 028
आठवीं	शुक्रवार, जून 27, 2014	10.00 बजे पूर्वाह्न	इमेज, एमआरसी नगर, राजा अण्णामलैपुरम, चेन्नै - 600 028
नौवीं	शनिवार जून 27, 2015	10.00 बजे पूर्वाह्न	इमेज, एमआरसी नगर, राजा अण्णामलैपुरम, चेन्नै - 600 028

वार्षिक आम बैठकों के दौरान कोई भी विशेष संकल्प पास नहीं किया गया। बैंक के दो अंतिम असाधारण आम बैठकों में निम्नलिखित विशेष संकल्प पास किए गए :

ए) वर्ष 2013–14 के दौरान, असाधारण आम बैठक 10 फरवरी, 2014 को इमेज, एमआरसी नगर, राजा अण्णामलैपुरम, चेन्नै 600028 में 10.00 बजे पूर्वाह्न आयोजित की गई जिसमें भारत सरकार द्वारा धारित रुपये 400.00 करोड़ के चिर असंचयी शेयरों को रुपए 10/– अंकित मूल्यवाले ईक्विटी शेयरों को रुपये 114.03 (104.03 के प्रीमियम समेत) प्रतिशेयर के मूल्य पर 3,50,78,488 ईक्विटी शेयरों में अधिमानी आधार पर भारत सरकार के पक्ष में ही परिवर्तित करने हेतु विशेष संकल्प पारित किया गया।

बी) वर्ष 2014–15 के दौरान, असाधारण आम बैठक 23 मार्च, 2015 को इमेज, एमआरसी नगर, राजा अण्णामलैपुरम, चेन्नै 600028 में 10.00 बजे पूर्वाह्न आयोजित की गई, जिसमें भारत सरकार को रुपये 10/– अंकित मूल्यवाले 1,54,43,163 ईक्विटी शेयरों को रुपये 181.31 के जारीकरण मूल्य (प्रति शेयर 171.31 के प्रीमियम को शामिल करते हुए) पर, कुल 280 करोड़ के शेयरों को अधिमानी आधार पर भारत सरकार के पक्ष में आबंटित करने हेतु विशेष संकल्प पारित किया गया।

सी) डाक मतपत्र द्वारा न ही पिछले वर्ष/निकट भविष्य में कोई संकल्प पास किया गया/किया जाएगा।

5. **प्रकटीकरण**

ए) बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय–समय पर अनुबद्ध "संबंधित पार्टी लेन–देनों" की आवश्यकताओं का अनुपालन करता रहा है। बैंकिंग कारोबार के सामान्य व्यवहार में आनेवाली मदों के अलावा बैंक ने अपने प्रवर्तकों / निदेशकों, प्रबंधन, उनकी अनुषंगियाँ, अथवा रिश्तेदारों आदि के साथ किसी भी प्रकार के भौतिक प्रमुख लेनदेनों में भाग नहीं लिया है जिससे बैंक के हितों के साथ संभाव्यत: टकराव हो। बैंक ने आरपीटी के महत्व पर एवं आरपीटीयों से निपटान हेतु एक नीति निर्मित की है, जिसे बैंक के वेबसाइट www.indianbank.in पर पोर्ट किया गया है।

बी) मेसर्स नेशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) एवं मेसर्स बीएसई लिमिटेड (बीएसई) ने 01 अक्तूबर 2015 को बैंक के बोर्ड में महिला निदेशक को न नियुक्त किए जाने के कारण बैंक पर अलग–अलग रूप से 1,42,000/– का जुर्माना लगाया। यद्यपि बैंक निदेशकों के बोर्ड का गठन बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का हस्तांतरण) नियम 1970 के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया है, जिसके अनुसार बैंक में महिला निदेशक की नियुक्ति का प्रावधान लागू नहीं है। अतः बैंक ने दोनों स्टॉक एक्स्चेंज को लेवी वापस लेने को कहा। तदनुसार, बैंक ने पूंजी बाजार से संबंधित मामलों के समस्त आवश्यकताओं का अनुपालन किया तथा पिछले तीन वर्षों में बैंक पर कैपिटल स्टॉक एक्स्चेंज अथवा सेबी अथवा किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कोई जुर्माना नहीं लगया गया व कोई कटु आलोचना नहीं की गई।

सी) बैंक ने 'भौतिक अनुषंगी निर्धारण हेतु एक नीति' बनाई है एवं उसे बैंक के वेबसाइट – www.indianbank.in पर डाला जाता है। बैंक में दो सूचीबद्ध अनुषंगी कंपनियाँ हैं अर्थात मेसर्स इंडबैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विसेस लिमिटेड एवं मेसर्स इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड और दोनों "भौतिक अनुषंगी कंपनियाँ" नहीं हैं।

डी) प्रबंध निदेशक एवं मु.का.अ और कार्यपालक निदेशकों को इस संबंध में भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार उनके यात्रा एवं विराम भत्ते के व्यय की प्रतिपूर्ति और पारिश्रमिक अदा किया जाता है और उनको प्रदत्त पारिश्रमिक के विवरण, बैंक के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 में प्रकट किए गए हैं। एसोसिएशन/संघ के साथ किए गए द्विपक्षीय समझौते के अनुसार अधिकारी–कर्मचारी निदेशक और कामगार कर्मचारी निदेशक को पारिश्रमिक और उनके द्वारा की गई यात्रा के लिए यात्रा एवं विराम भत्ते अदा किये जाते हैं। गैर कार्यपालकों / अंशकालिक, गैर–अधिकारी निदेशकों को भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क 20,000/– एवं 10,000/– प्रति बोर्ड की बैठक एवं समिति बैठक, के अलावा कोई अन्य पारिश्रमिक अदा नहीं किया जाता और केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्णीत रूप से समय समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श के साथ राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान)योजना, 1970/1980 के खण्ड 17 के अनुसार यात्रा एवं विराम व्यय सहित, उनको पारिश्रमिक अदा किया जाता है।

ई) वर्ष 2015–16 के दौरान किसी प्रकार की पण्य मूल्य जोखिम एवं पण्य प्रतिरक्षा गतिविधियां नहीं हुई।

एफ) बैंक बोर्ड का गठन, बोर्ड की लेखा समिति एवं बोर्ड की अन्य समिति एवं निदेशकों को मानदेय, बोर्ड/समिति प्रक्रियाओं/संबद्ध पार्टी संव्यवहार आदि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970, बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विभिन्न प्रावधानों) अधिनियम 1970, इंडियन बैंक (शेयर तथा बैठकें) अधिनियम 1999, द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसके अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक एवं भारत सरकार द्वारा समय समय संशोधित किया जाता है एवं आवश्यक दिशानिर्देश दिए जाते हैं तथा इस क्रम में सेबी (एलओडीआर) विनियमन 2015 के 15 से 27 तक के विनियमों के प्रावधान संगत/लागू नहीं हैं।

4. General Body Meetings:

The details of the last three Annual General Meetings (AGM) of shareholders of the Bank are as follows:

Annual General Meeting	Day & Date	Time	Venue
Seventh	Friday June 28, 2013	10.00 a.m.	IMAGE, MRC Nagar Raja Annamalaipuram, Chennai - 600 028
Eighth	Friday June 27, 2014	10.00 a.m.	IMAGE, MRC Nagar Raja Annamalaipuram, Chennai - 600 028
Ninth	Saturday June 27, 2015	10.30 a.m.	IMAGE, MRC Nagar Raja Annamalaipuram, Chennai - 600 028

While no special resolutions were passed at the Annual General Meetings, the following special resolutions were passed at the last two Extra Ordinary General Meetings of the Bank:

a) During the year 2013-14, an Extra-ordinary General Meeting was held on February 10, 2014 at IMAGE, MRC Nagar, Raja Annamalaipuram, Chennai - 600028 at 10.00 a.m. wherein a resolution approving conversion of the entire Perpetual Non-Cumulative Preference Shares amounting to ₹ 400.00 crore held by Government of India into 3,50,78,488 equity shares of face value of ₹ 10/- each at an Issue Price of ₹ 114.03 (including premium of ₹ 104.03) per share to the Government of India, on preferential basis was passed as special resolution.

b) During the year 2014-15, an Extra-ordinary General Meeting was held on March 23, 2015 at IMAGE, MRC Nagar, Raja Annamalaipuram, Chennai - 600028 at 10.00 a.m. wherein a resolution approving preferential allotment of 1,54,43,163 equity shares of face value of ₹ 10/- each at an Issue Price of ₹ 181.31 (including premium of ₹ 171.31) per share amounting to ₹ 280.00 crore to Government of India on preferential basis was passed as special resolution.

c) No special resolution was / will be passed in the last year / in the recent future through postal ballot.

5. Disclosures

a. The Bank is complying with the requirements on related party transactions (RPT) as stipulated by Reserve Bank of India from time to time. Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant transactions with its Promoters / Directors, Management, their subsidiaries, or relatives, etc., that may have potential conflict with the interests of the Bank at large. Bank has formulated a policy on materiality of RPT and on dealing with RPTs, which is ported in Bank's website www.indianbank.in.

b. M/s National Stock Exchange of India Limited (NSE) and M/s BSE Limited (BSE) have levied a fine of ₹ 1,42,000/- each on the Bank for non-appointment of woman director on the Board of the Bank as on October 01, 2015. However, as the constitution of the Board of Directors of the Bank is as per provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the appointment of woman director is not applicable to the Bank. Hence, the Bank has taken up with both the stock exchanges for withdrawal of the levy. Accordingly, the Bank has complied with all requirements regarding capital market related matters and has not been imposed any other penalty or stricture by the stock exchanges or SEBI or any other statutory authority during last three years.

c. Bank has formulated a 'Policy for determining material subsidiary' and the same is disclosed in Bank's website, viz., www.indianbank.in. The Bank is having two listed subsidiary companies viz., M/s Indbank Merchant Banking Services Limited and M/s Ind Bank Housing Limited and both are not 'material subsidiary companies'.

d. The Managing Director & CEO and Executive Directors are being paid remuneration and reimbursement of their travelling and halting expenses as per the rules framed by Government of India in this regard and the details of remuneration paid to them are disclosed under Schedule 18 to the Audited Financial Statements of the Bank. The Officer Employee Director and Workmen Employee Director are being paid remuneration and reimbursement of their travelling and halting expenses as per the terms of Bipartite Settlement with the Association / Union. The Non-Executive / Part-time Non-Official Directors / Shareholder Directors are not being paid any other remuneration, except Sitting Fees for attending the meetings of the Board / Committee as per the guidelines of Government of India at ₹ 20,000/- and ₹ 10,000/- per Board Meeting and Committee Meeting, respectively and the remuneration including travelling and halting expenses to them is being paid as decided by the Central Government in consultation with RBI from time to time in terms of Clause 17 of Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisons) Scheme, 1970 / 1980.

e) There was no commodity price risks and commodity hedging activities during the year 2015-16.

f) The constitution of the Bank's Board, Audit Committee and other committees of the Board and remuneration to the Directors, Board / Committee procedures / Related Party Transactions, etc are governed under the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Banking Regulations Act, 1949, Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Indian Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999, as amended and guidelines issued by Reserve Bank of India and Government of India from time to time and to that extent some of the provisions of the Regulations 15 to 27 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 are not compatible /applicable.

जी) कॉर्पोरेट गवर्नेंस के एक अंग स्वरूप एवं अधिक से अधिक पारदर्शिता लाने के लिए 'विशिल ब्लोअर नीति' निर्मित की गई एवं बैंक द्वारा इसे प्रयोग में लाया गया, जिसके अंतर्गत स्टाफ सदस्य द्वारा अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या आचरण या बैंक के आचार संहिता के उल्लंघन, नीति नियम, के विषय में प्रबंधन को रिपोर्ट करने की व्यवस्था की गई है एवं इस संदर्भ में लेखा परीक्षा समिति में कर्मियों का प्रवेश निषेध कर दिया गया है।

एच) अनिवार्य एवं विवेकाधीन आवश्यकताएं : बैंक ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम 2015 तथा स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए लिस्टिंग एग्रीमेंटों के अनुसार सभी प्रयोज्य आवश्यकताओं का पालन किया है। विवेकाधीन आवश्यकताओं के कार्यान्वयन की सीमा नीचे प्रस्तुत है।

आवश्यकता	अनुपालन
ए. बोर्ड : गैर कार्यपालक अध्यक्ष को अधिकार है कि वे सूचीबद्ध कंपनियों के खर्चे पर अध्यक्ष का कार्यालय बनाए रखें और उन्हें अपने कार्यभार के निर्वहन में किए गए व्ययों की प्रतिपूर्ति भी की जानी चाहिए।	बैंक की अध्यक्षता एक गैर कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा की जाती है जो भारत सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं और उनके द्वारा वहन किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।
बी. शेयरधारक के अधिकार : पिछले छः महीने में प्राप्त वित्तीय उपलब्धियों की छमाही घोषणा सहित महत्वपूर्ण घटनाओं का संक्षिप्त विवरण शेयरधारकों के घर–घर तक भेजा जा सकता है।	बैंक इस आवश्यकता का अनुपालन सुनिश्चित करता है।
सी. लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर आशोधित अभिमत (तें) : सूचीबद्ध इकाई अशोधित लेखा परीक्षा के साथ वित्तीय विवरण की व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ सकता है।	बैंक के वित्तीय विवरण का लेखा परीक्षा रिपोर्ट अनर्ह है।
डी. अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के लिए अलग–अलग पद : सूचीबद्ध इकाई अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर अलग–अलग लोगों को नियुक्त कर सकता है।	बैंक के गैर–कार्यपालक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी अलग–अलग हैं।
ई. आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्टिंग : आंतरिक लेखा परीक्षक सीधे लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट कर सकता है।	बैंक द्वारा समवर्ती लेखा परीक्षकों / शाखाओं की निरीक्षकों की रिपोर्ट को समेकित करके आवधिक रूप से लेखा परीक्षा समिति को प्रस्तुत किया जाता है।

6. संचार के माध्यम

बैंक से संबंधित जानकारी प्रमुखतः वार्षिक रिपोर्ट द्वारा जारी की जाएगी जिसमें निदेशक की रिपोर्ट, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट, नकदी प्रवाह विवरण, समेकित लेखा परीक्षित लेखे आदि शामिल हैं। शेयरधारकों को समाचार पत्रों में प्रकाशन, स्टॉक एक्सचेंजों को सूचना (एनएसई एवं बीएसई) प्रेस विज्ञाप्तियां, जहाँ भी संभव हो – ईमेल, जोकि बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे, के द्वारा त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक निष्पादनों की जानकारी दी जाएगी। बैंक ब्याज दरों में संशोधन, नए उत्पादों के प्रवर्तन, नई शाखाओं का खोला जाना जैसे विभिन्न परिचालन मामलों पर प्रेस विज्ञप्तियाँ जारी करता है जोकि बैंक की वेबसाइट (www.indianbank.in) पर भी उपलब्ध हैं।

बैंक ने अन्य समाचार पत्रों के अतिरिक्त अपने तिमाही / छमाही / वार्षिक वित्तीय परिणामों को एक राष्ट्रीय (अंग्रेजी) और एक स्थानीय (तमिल) समाचार पत्र में नीचे दिए गए विवरण के अनुसार लिस्टिंग करार के क्लाज 41 में अनुबद्ध शर्तों के अनुसार प्रकाशित किया है। वर्ष 2015–16 के दौरान किए गए ऐसे प्रकाशनों का विवरण निम्नानुसार है।

को समाप्त तिमाही / छमाही / वर्ष	समाचार पत्र	प्रकाशन तिथि
31.03.2015	दिनमणि बिजनस लाइन राजस्थान पत्रिका	15.05.2015 15.05.2015 17.05.2015
30.06.2015	दिनमणि बिजनस लाइन बिज़नस स्टैन्डर्ड (हिन्दी)	24.07.2015 24.07.2015 27.07.2015
30.09.2015	दिनमणि बिजनस लाइन बिज़नस स्टैन्डर्ड (हिन्दी)	03.11.2015 04.11.2015 04.11.2015
31.12.2015	दिनमणि बिजनस लाइन बिज़नस स्टैन्डर्ड (हिन्दी)	12.02.2016 12.02.2016 12.02.2016

बैंक ने वर्ष के दौरान विभिन्न मूल्य से संबंधित संवेदनशील जानकारी की सूचना स्टॉक एक्स्चेंज (एनएसई और बीएसई) को दी है।

g) As a part of Corporate Governance and towards achieving greater transparency, 'Whistle Blower Policy' has been formulated and put in place by the Bank and in terms of which a mechanism has been established for staff members to report to the management concerns about unethical behavior, actual or suspected fraud or violation of the Bank's code of conduct or ethics policy and no personnel has been denied access to the Audit Committee in this regard.

h) Mandatory and Discretionary requirements:

The Bank has complied with all the applicable mandatory requirements as provided in Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and the Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges. The extent of implementation of discretionary requirements is furnished as under:

Requirement	Compliance
A. Board: A non-executive Chairperson may be entitled to maintain a chairperson's office at the listed entity's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his duties.	The Board is chaired by a Non-Executive Chairman appointed by the Government of India and the reimbursement of expenses incurred by him is in terms of Government of India guidelines.
B. Shareholder rights: A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in last six-months, may be sent to each household of shareholders.	The Bank ensures compliance of the requirement.
C. Modified Opinion(s) in audit report: The listed entity may move towards a regime of financial statements with unmodified audit opinion.	The audit report on the financial statements of the Bank is unqualified.
D. Separate posts of Chairperson and Chief Executive Officer: The listed entity may appoint separate persons to the post of Chairperson and Managing Director or Chief Executive Officer.	The Bank is having separate Non-Executive Chairman and Managing Director & CEO.
E. Reporting of internal auditor: The Internal Auditor may report directly to the Audit Committee	The Concurrent Auditors / Inspectors of branches reports are consolidated and placed before the Audit Committee by the Bank periodically.

6. Means of Communication

Information relating to Bank will be mainly issued through the Annual Report which includes the Directors' Report, Auditors' Report, Cash Flow Statements, Consolidated Audited Accounts, etc. The shareholders will also be intimated on the quarterly, half yearly and annual performance through individual communication, publication in newspapers, intimation to Stock Exchanges (NSE & BSE), press release, presentation, email wherever possible, which is also available on the website of the Bank. The Bank issues press release on various operational matters such as revision in interest rates, launching of new products, opening of new branches, etc. which are also available on the website of the Bank (www.indianbank.in).

The Bank has published its quarterly / half-yearly / annual financial results in one National (English) and one vernacular (Tamil) newspaper as detailed below as per the terms stipulated in Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, in addition to other newspapers. The details of such publications made during the year 2015-16 are as under:

Quarter / Half-year / Year ended	Newspaper	Date of publication
31.03.2015	Dhinamani Business Line Rajasthan Pathrika (Hindi)	15.05.2015 15.05.2015 17.05.2015
30.06.2015	Dhinamani Business Line Business Standard (Hindi)	24.07.2015 24.07.2015 27.07.2015
30.09.2015	Dhinamani Business Line Business Standard (Hindi)	03.11.2015 04.11.2015 04.11.2015
31.12.2015	Dhinamani Business Line Business Standard (Hindi)	12.02.2016 12.02.2016 12.02.2016

The Bank has also notified the Stock Exchanges (NSE and BSE) various price sensitive information during the year.

7. सामान्य शेयरधारकों की जानकारी

इंडियन बैंक के लेखों पर विचार करने व लाभांश की घोषणा के लिए बोर्ड की बैठक	मई 11, 2016
वार्षिक सामान्य बैठक का दिनांक, समय और स्थान	जून 29, 2016, 10.30 बजे पूर्वाह्न इमेज ऑडिटोरियम, एमआरसी नगर, राजा अण्णामलैपुरम, चेन्नै 600 028
वित्तीय वर्ष	2015-16
बही समापन तारीख	जून 25, 2016 से जून 29, 2016 तक (दोनों दिनों को शामिल करते हुए)
2015–16 के लिए लाभांश	रु. 1.50 (रु 10/– अंकित मूल्यवाले प्रत्येक ईक्विटी शेयर के लिए 15 प्रतिशत)
प्राक्सी फ़ार्म प्राप्त करने की अंतिम तारीख	जून 24, 2016
लाभांशों के भुगतान की तारीख	आगामी वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख से 30 दिनों के अंदर

ए. स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्टिंग

बैंक के शेयर 01 मार्च, 2007 के प्रभाव से भारतीय नेशनल स्टॉक एक्स्चेंज लिमिटेड (मेसर्स भारतीय नेशनल स्टॉक एक्स्चेंज लिमिटेड, एक्सचेंज प्लाज़ा, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, सी–1, ब्लॉक "जी", बांद्रा (पूर्वी मुंबई) व बीएसई लिमिटेड (मेसर्स बीएसई लिमिटेड, पी जे टावर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई – 400 001) के पास सूचीबद्ध है। एक्सचेंज के स्क्रिप कोड निम्नानुसार हैं।

क्रमांक	स्टॉक एक्सचेंज	स्टॉक	स्क्रिप कोड
1.	एन एस ई	ईक्विटी	INDIANB
2.	बी एस ई	ईक्विटी	INDIANB / 532814

बैंक ने वर्ष 2014–15 के लिए स्टॉक एक्सचेंजों को लिस्टिंग शुल्क का भुगतान किया है।

बी. अनुपालन अधिकारी (यों)

श्री के श्रीनिवास राघवन, महाप्रबन्धक मई 26, 2015 तक अनुपालन अधिकारी के पद पर रहे। श्री वी ए प्रशांत, महाप्रबन्धक को अनुपालन अधिकारी के रूप में मई 27, 2015 से सेबी तथा अन्य सांविधिक प्राधिकारियों के विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन करने हेतु पदनामित किया गया है। श्री ए गणेस रत्नम, कंपनी सचिव को स्टॉक एक्सचेंजों के साथ लिए गए लिस्टिंग एग्रिमेंटों के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालनार्थ अनुपालन अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है।

सी. शेयर हस्तांतरण और निवेशकों की शिकायतों का निवारण :

बैंक ने शेयरों के अंतरण/प्रेषण के लिए शेयरधारकों के अनुरोधों को रिकॉर्ड करने, निवेशकों की शिकायतों का निवारण करने तथा शेयरों के जारीकरण से संबंधित अन्य कार्यकलापों को संभालने के लिए मेसर्स केमियो कार्पोरेट सर्विसेज़ लि., चेन्नै को शेयर हस्तांतरण एजेंट के रूप में नियुक्त किया है। निवेशकों की सुविधा के लिए, उनकी शिकायतें चेन्नै स्थित बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय में भी स्वीकार की जाती हैं।

निवेशक, अपने अनुरोध / शिकायतों को या तो शेयर हस्तांतरण एजेंट के पास या बैंक के पास निम्नलिखित पते पर दे सकते हैं :

केमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज़ लि. यूनिट : इंडियन बैंक सुब्रमणियन बिल्डिंग 1, क्लब हाउस रोड चेन्नै 600 002 टेलीफोन : (91 44) 28460718 फैक्स : (91 44) 28460129 ई–मेल : investor@cameoindia.com	कंपनी सचिव इंडियन बैंक, कॉर्पोरेट कार्यालय इन्वेस्टार सर्विसेज़ सेल 254–260, अव्वै षण्मुगम सालै रायपेट्टा, चेन्नै 600 001 टेलीफोन : (91 44) 28134076 फैक्स : (91 44) 28134075 ई–मेल : investors@indianbank.co.in

प्राप्त, निवारण की गई एवं लंबित शिकायतों की संख्या :

2015–16 के दौरान प्राप्त एवं निवारण की गई तथा 31.03.2016 को लंबित शिकायतों की संख्या निम्नवत् है :

01.04.2015 को लंबित	01.04.15 से 31.03.2016 तक प्राप्त	निवारण किए गए	31.03.16 को लंबित
0	53	53	0

7. General Shareholder Information

Board Meeting for considering accounts of Indian bank and declaration of dividend	May 11 , 2016
Date, Time and venue of AGM	June 29, 2016, 10.30 a.m IMAGE Auditorium, MRC Nagar. Raja Annamalaipuram, Chennai - 600 028.
Financial Year	2015-16
Book closure dates	June 25, 2016 to June 29, 2016 (Both dates inclusive)
Dividend for 2015-16	₹1.50 (15% on equity share of face value of ₹10 each)
Last date of receipt of proxy forms	June 24, 2016
Date of payment of Dividend	Within 30 days from the date of the ensuing Annual General Meeting

a. Listing on Stock Exchanges –

The Equity Shares of the Bank are listed with the National Stock Exchange of India Limited (M/s National Stock Exchange of India Limited, Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, C-1, Block “G”, Bandra (East), Mumbai – 400 051) and the BSE Limited (M/s BSE Limited, P J. Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001) with effect from March 01, 2007. The Scrip codes of the respective Stock Exchange are as under:

No.	Stock Exchange	Stock	Scrip Code
1.	N S E	Equity	INDIANB
2.	B S E	Equity	INDIANB / 532814

The Bank has paid the listing fees for the year 2015-16 to the stock exchanges.

b. Compliance Officer(s):

Shri K Srinivasa Raghavan, General Manager was the Compliance Officer till May 26, 2015. Shri V A Prasanth, General Manager has been designated as Compliance Officer from May 27, 2015 for complying with various provisions of SEBI and other statutory authorities. Shri. A. Ganesa Rathnam, Company Secretary has been designated as the Compliance Officer for complying with various provisions of Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges.

c. Share Transfer & Redressal of Investors’ Grievances:

The Bank has appointed M/s Cameo Corporate Services Ltd., Chennai, as the Share Transfer Agent for recording of shareholders' requests for transfer / transmission of shares, resolution of investors' grievances amongst other activities connected with the issue of shares. For the convenience of investors, grievances / complaints from them are also accepted at the Bank's Corporate Office in Chennai.

The investors may lodge their requests / complaints either with the Share Transfer Agent or with the Bank at the following addresses:

Cameo Corporate Services Limited Unit: Indian Bank Subramanian Building 1, Club House Road Chennai – 600 002. Tel: (91 44) 28460718 Fax: (91 44) 28460129 Email:investor@cameoindia.com	Company Secretary Indian Bank, Corporate Office Investor Services Cell 254-260, Avvai Shanmugam Salai Royapettah, Chennai - 600 014. Telephone : (91 44) 28134076 Fax : (91 44) 28134075 Email: investors@indianbank.co.in

Number of Complaints received, resolved and pending:

The details of complaints received and resolved during 2015-16 and pending as on 31.03.2016 are as follows:

Pending as on 01.04.2015	Received from 01.04.2015 to 31.03.2016	Resolved	Pending as on 31.03.2016
0	53	53	0

डी. 31.03.2016 को शेयरधारिता पैटर्न :

31.03.2016 को 1 प्रतिशत तथा उससे अधिक शेयर धारण करनेवाले शेयरधारकों की सूची :

सं.	शेयर धारकों का नाम	धारित शेयरों की संख्या	कुल धारिता के तहत प्रतिशत
1.	भारत सरकार	394341651	82.10
2.	भारतीय जीवन बीमा निगम	15071796	3.14
3.	एचएसबीसी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फण्ड्स, खाता एचएसबीसी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फण्ड्स मारीशस लि.	8494231	1.77
4.	एचडीएफ़सी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड – खाता एचडीएफ़सी मिड–कैप आपरच्युनिटीस फण्ड	8136000	1.69

31.03.2016 तक कुल विदेशी धारिता

सं.	शेयर धारकों का नाम	धारित शेयरों की संख्या	कुल धारिता के तहत प्रतिशत
1.	विदेशी संस्थागत निवेशक	24243078	5.05
2.	विदेशी पोर्टफोलियों निवेशक	4190730	0.87
3.	एनआरआई	754697	0.16
	कुल	**29188505**	**6.08**

31.03.2016 तक शेयरधारिता का वितरण

संवर्गवार :

सं.	संवर्ग	धारित शेयरों की संख्या	राशि (₹)	शेयरधारिता का प्रतिशत
1.	भारत सरकार	394341651	3943416510	82.10
2.	बैंक एवं वित्तीय संस्थाएँ (केन्द्रीय / राज्य संस्थाएँ)	19864530	198645300	4.13
3.	म्यूचुअल फण्ड और यूटीआई	19090770	190907700	3.97
4.	कार्पोरेट निकाय	2690151	26901510	0.56
5.	एफ़आईआई / एफ़पीआई	28433808	284338080	5.92
6.	निवासी होल्डिंग्स इत्यादि	15870741	158707410	3.32
	कुल	**480291651**	**4802916510**	**100.00**

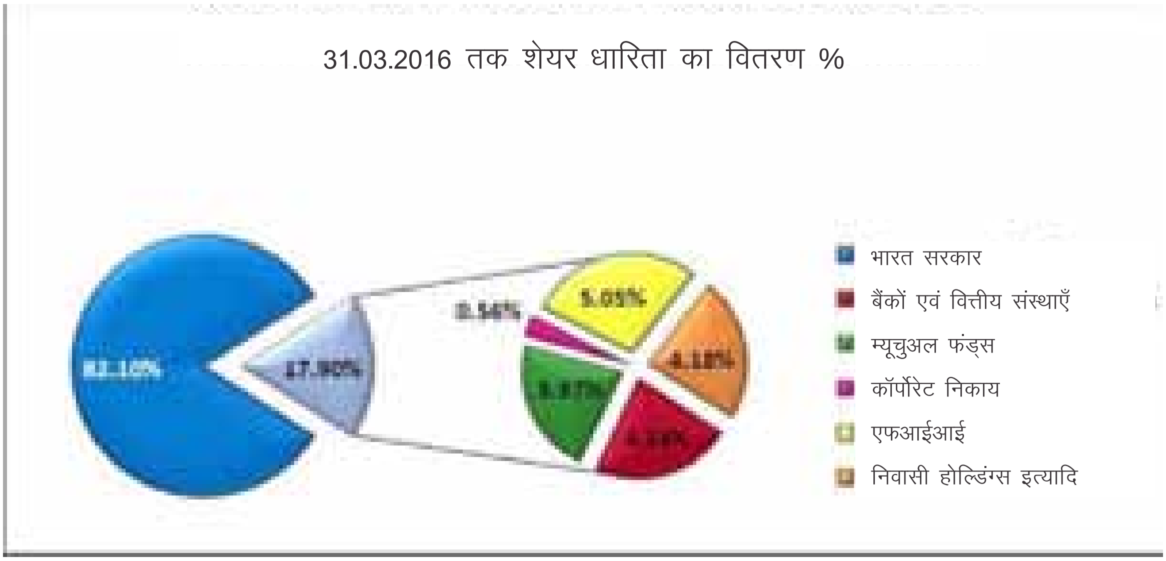

d. Shareholding pattern as on 31.03.2016:

List of shareholders holding shares 1% and above as on 31.03.2016:

No.	Names of Shareholders	No. of shares held	% to total holding
1.	Government of India	394341651	82.10
2.	Life Insurance Corporation of India	15071796	3.14
3.	HSBC Global Investment Funds A/c HSBC Global Investment Funds Mauritius Limited	8494231	1.77
4.	HDFC Trustee Company Limited – A/c HDFC Mid-Cap Opportunities Fund	8136000	1.69

Total foreign holding as on 31.3.2016:

No.	Category of Shareholders	No. of shares held	% to total holding
1.	Foreign Institutional Investors	24243078	5.05
2.	Foreign Portfolio Investors	4190730	0.87
3.	NRIs	754697	0.16
	T o t a l	**29188505**	**6.08**

Distribution of shareholdings as on 31.03.2016:

Category wise:

No.	Category	No. of Shares held	Amount (₹)	% of Shareholding
1.	Government of India	394341651	3943416510	82.10
2.	Banks & Financial Institutions (Central / State Institutions)	19864530	198645300	4.13
3.	Mutual Funds & UTI	19090770	190907700	3.97
4.	Bodies Corporate	2690151	26901510	0.56
5.	FIIs /FPIs	28433808	284338080	5.92
6.	Resident Holdings, etc.	15870741	158707410	3.32
	TOTAL	**480291651**	**4802916510**	**100.00**

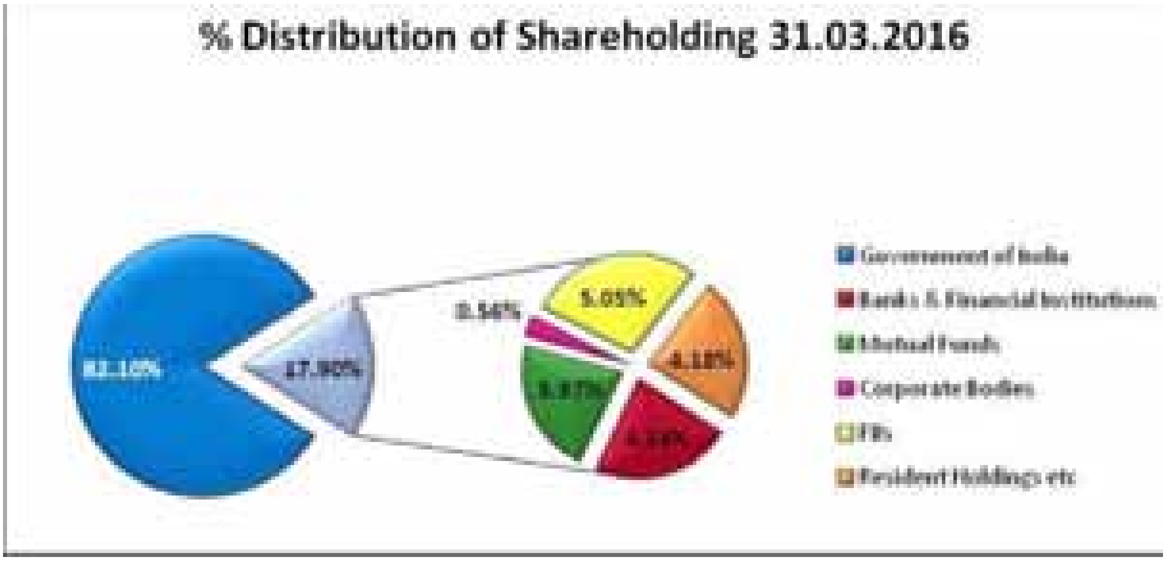

मूल्यवार :

अंकित मूल्य के शेयरों की शेयरधारिता	शेयर धारक		शेयर	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
5000 तक	66982	93.88	78366810	1.63
5001 से 10000	2478	3.47	18761010	0.39
10001 से 20000	1014	1.42	14575400	0.30
20001 से 30000	290	0.41	7255460	0.15
30001 से 40000	117	0.16	4173750	0.09
40001 से 50000	98	0.14	4563080	0.09
50001 से 100000	162	0.23	11816300	0.25
100001 और उससे अधिक	208	0.29	4663404700	97.10
कुल	**71349**	**100.00**	**4802916510**	**100.00**

मासिक उच्च एवं निम्न कोटेशन एवं शेयरों की मात्रा

माह	एनएसई			बीएसई			कुल
	उच्च (₹)	निम्न (₹)	मात्रा (संख्याएँ लाख में)	उच्च (₹)	निम्न (₹)	मात्रा (संख्याएँ लाख में)	मात्रा (संख्याएँ लाख में)
अप्रैल 2015	177.80	137.20	40.34	177.00	138.20	7.50	47.84
मई 2015	170.90	139.10	40.83	171.00	139.25	5.91	46.74
जून 2015	171.40	137.60	16.08	171.00	135.90	2.04	18.12
जुलाई 2015	147.00	127.40	39.00	146.90	127.30	4.51	43.51
अगस्त 2015	168.50	120.00	53.63	168.00	120.00	7.14	60.77
सितंबर 2015	143.75	123.20	30.21	144.00	123.25	3.22	33.43
अक्तूबर 2015	144.30	123.50	16.98	144.65	124.00	1.84	18.82
नवंबर 2015	140.90	121.95	47.92	141.00	123.10	7.05	54.97
दिसंबर 2015	133.15	112.50	27.01	132.70	111.20	3.37	30.38
जनवरी 2016	116.25	87.80	28.26	116.50	88.00	7.62	35.88
फरवरी 2016	93.15	75.50	42.44	93.55	76.00	4.49	46.93
मार्च 2016	109.40	75.30	83.90	109.00	76.50	8.67	92.57

वर्ष 2015–16 के दौरान एनएसई निफ्टी 50 की तुलना में इक्विटी का निष्पादन

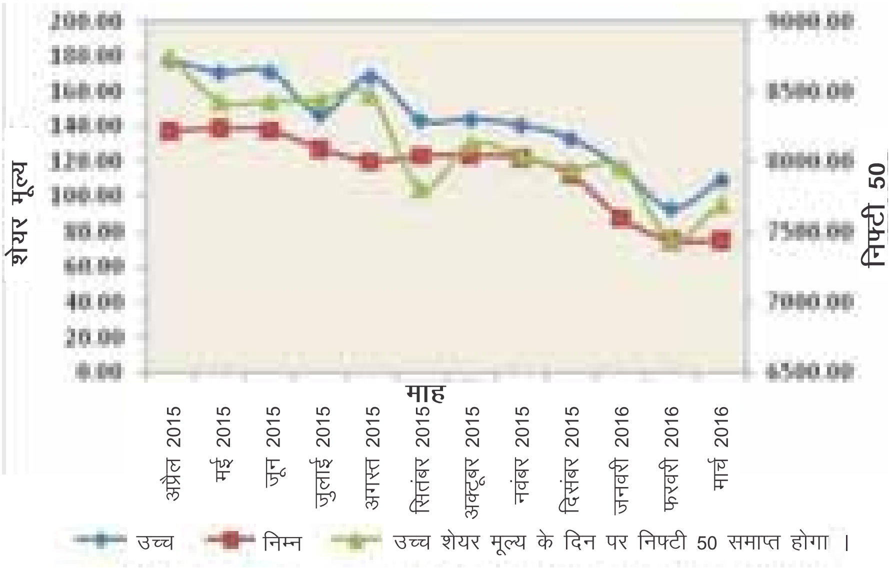

Value wise:

Shareholding of Nominal value ₹	Shareholders		Shares	
	Nos.	%age	₹	%age
Upto 5000	66982	93.88	78366810	1.63
5001 – 10000	2478	3.47	18761010	0.39
10001 – 20000	1014	1.42	14575400	0.30
20001 – 30000	290	0.41	7255460	0.15
30001 – 40000	117	0.16	4173750	0.09
40001 – 50000	98	0.14	4563080	0.09
50001 – 100000	162	0.23	11816300	0.25
100001 & above	208	0.29	4663404700	97.10
TOTAL	**71349**	**100.00**	**4802916510**	**100.00**

Monthly High and low quotation and volume of shares:

Month	N S E			B S E			Total Volume (Nos. in lacs)
	High (₹)	Low (₹)	Volume (Nos. in lakh)	High (₹)	Low (₹)	Volume (Nos. in lakh)	
April 2015	177.80	137.20	40.34	177.00	138.20	7.50	47.84
May 2015	170.90	139.10	40.83	171.00	139.25	5.91	46.74
June 2015	171.40	137.60	16.08	171.00	135.90	2.04	18.12
July 2015	147.00	127.40	39.00	146.90	127.30	4.51	43.51
August 2015	168.50	120.00	53.63	168.00	120.00	7.14	60.77
September 2015	143.75	123.20	30.21	144.00	123.25	3.22	33.43
October 2015	144.30	123.50	16.98	144.65	124.00	1.84	18.82
November 2015	140.90	121.95	47.92	141.00	123.10	7.05	54.97
December 2015	133.15	112.50	27.01	132.70	111.20	3.37	30.38
January 2016	116.25	87.80	28.26	116.50	88.00	7.62	35.88
February 2016	93.15	75.50	42.44	93.55	76.00	4.49	46.93
March 2016	109.40	75.30	83.90	109.00	76.50	8.67	92.57

Equity Performance in comparison with NSE Nifty 50 during the year 2015-16

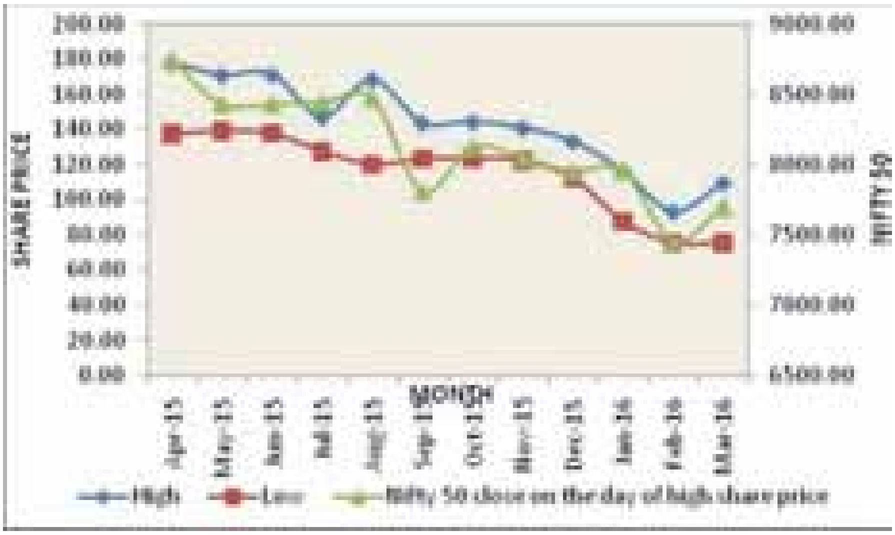

ई) शेयरों का अमूर्तकरण(कागज़ रहित करना)

बैंक के शेयर में लेनदेन, अनिवार्यतः कागज़ – रहित रूप में किए जाते हैं तथा बैंक ने नेशनल सेक्यूरिटीज़ डिपॉज़िटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) तथा सेंट्रल डिपॉज़िटरी सर्विसेज़ (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ करार किया है तथा इसका आईएसआईएन, आईएनई 562A01011 है। 31.03.2016 को कागज़–रहित रूप में और कागज़ के रूप में धारित शेयरों के विवरण निम्नवत् हैं :–

संख्या	फॉर्म	शेयरों की संख्या	
1.	भौतिक (कागज के रूप में)		1520
2.	डी–मेट – एनएसडीएल के साथ	81954763	480290131
	सीडीएसीएल के साथ	398335368	
	कुल		**480291651**

31 मार्च 2016 को किसी भी प्रकार का ग्लोबल डिपाजिटरी रसीद या अमेरिकन डिपाजिटरी रसीद या अन्य कोई परिवर्तनीय लिखत बकाया नहीं था।

एफ) बैंक ने समय–समय पर अपरिवर्तनीय बॉन्डों को जारी किया है और ऐसे बॉन्डों का विवरण दिनांक 31 मार्च 2016 तक निम्नानुसार है।

शृंखला	आबंटन की तारीख	मात्रा (रु करोड़ में)	अवधि (महीनों में)	कूपन (%)	मोचन की तारीख
टियर II	28.06.2010	500.00	120	8.53	28.06.2020
टियर II	16.07.2010	500.00	180	8.67	16.07.2025*
अतिरिक्त टियर I – बेसल III कार्यान्वयन	29.03.2016	500.00	स्थायी	11.15	-

* दिनांक 16.07.2020 तक कॉल ऑप्शन उपलब्ध है।

<u>निर्गम के लिए बॉन्ड ट्रस्टी</u>

I. बैंक ने दिनांक 28 जून 2010, तथा 16 जुलाई 2010 को जारी किए गए टीयर II बॉन्ड के लिए बॉन्ड ट्रस्टी के रूप में मेसर्स आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड मुंबई को बॉन्डों के निवेशकों के हित को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने हेतु नियुक्त किया है। निर्गम के ट्रस्टीयों का पता – मेसर्स आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड, भूतल, एशियन बिल्डिंग, सं.17 आर, कामनी रोड, बलार्ड एस्टेट, फोर्ट, बलार्ड एस्टेट, फोर्ट, मुंबई – 400 001

ii. बैंक ने दिनांक मार्च 29, 2016 को जारी किए गए टीयर I बॉन्ड के लिए बॉन्ड ट्रस्टी के रूप में मेसर्स एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड मुंबई को बॉन्डों के निवेशकों के हित को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने हेतु नियुक्त किया है। निर्गम के ट्रस्टीयों का पता – मेसर्स एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड, द्वितीय ताल, ई, एक्सिस हाउस बॉम्बे डाइंग मिल्स कम्पाउण्ड पांडुरंग बुदकर मार्ग, मुंबई 400 025

एफ) सस्पेन्स (उचंत) खाते में शेयर

लिस्टिंग करार में अनुबद्ध किये गये क्लॉज़ 5ए की अपेक्षा के अनुपालन में इनिशियल पब्लिक ऑफर में जारी किये गये, परंतु बैंक तथा रजिस्ट्रार के प्रयासों के बावजूद भी अदावी रहनेवाले शेयरों को बैंक इस प्रयोजनार्थ खोले गये सस्पेन्स (उचंत) खाते में रखता है। सस्पेन्स, (उचंत) खाते में रखे गए ऐसे शेयरों के विवरण निम्नवत् हैं :

विवरण	शेयरधारकों की संख्या	बकाया अदत्त शेयर
वर्ष के आरंभ में बकाया	28	4658
हस्तांतरण हेतु संपर्क करनेवाले शेयरधारकों की संख्या	4	627
शेयरधारकों की संख्या जिन्हें हस्तांतरित किये गये	4	627
वर्षांत में बकाया	24	4031

जी) दावा नहीं किए गए लाभांश

अक्तूबर 16, 2006 को लागू बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) और वित्तीय संस्थाएँ नियम (संशोधन) अधिनियम 2006 ने बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 / 1980 में एक नयी धारा 10(बी) लगाया है जिसमें निम्नानुसार प्रावधान किया गया है:

1. घोषणा की तारीख के 30 दिनों के बाद वाली 7 दिनों की अवधि के अंदर यदि किसी शेयरधारक ने लाभांश को नहीं भुनाया है / दावा नहीं किया है तो बैंक के चालू खाते में रहनेवाली ऐसी राशियाँ, ''वर्ष ...... के लिए इंडियन बैंक का अदत्त लाभांश'' नामक पृथक खाते में अंतरित किया जाए।

2. अदत्त लाभांश खाते में अंतरित कोई भी राशि यदि ऐसे अंतरण की तारीख से 7 वर्षों की अवधि के लिए अदत्त रहती या उसके लिए दावा नहीं की जाती तो उसका अंतरण कंपनी अधिनियम, 1956 की उपधारा 205 सी के अंतर्गत स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) को किया जाए।

तदनुसार, पिछले वर्षों के लिए अदत्त लाभांश को इंडियन बैंक के अदत्त लाभांश खाते में अंतरित किया गया है और इसके बाद ऐसे अंतरण की तारीख से 7 वर्षों की अवधि के लिए अदत्त या अदावी रहनेवाली राशियों को निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित किया जाएगा। तदनुसार, वर्ष 2007–08 से संबंधित 7.52 लाख रुपए की अदावी लाभांश राशि को वर्ष 2015–16 के दौरान निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि को अंतरित किया गया।

e. Dematerialization of Shares

The shares of the Bank are compulsorily traded in dematerialized form and the Bank has entered into agreements with the National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) and the ISIN is INE562A01011. As on March 31, 2016 the details of equity shares held in dematerialised and physical form were as under.

No.	Form	No. of shares	
1.	Physical		1520
2.	D-Mat - with NSDL with CDSL	81954763 398335368	480290131
	TOTAL		**480291651**

There was no outstanding Global Depository Receipts or American Depository Receipts or warrants or any convertible instruments as on March 31, 2016.

f. The Bank has raised Non-convertible bonds from time to time and the details of such bonds outstanding as on March 31, 2016 are as under:

Series	Date of allotment	Size (Rs. in crore)	Tenor (in months)	Coupon (%)	Redemption date
Tier II	28.06.2010	500.00	120	8.53	28.06.2020
Tier II	16.07.2010	500.00	180	8.67	16.07.2025*
Additional Tier I – Basel III compliant	29.03.2016	500.00	Perpetual	11.15	-

* call option available on 16.07.2020.

Bond Trustee to the Issue:

i. The Bank has appointed M/s IDBI Trusteeship Services Limited, Mumbai as Bond Trustees to Tier II Bonds issued on June 28, 2010 and July 16, 2010, to safeguard and to protect the interests of the investors of the Bonds. Address of the Trustees to the Issue is – M/s IDBI Trusteeship Services Limited, Ground Floor, Asian Building, No.17 R, Kamani Road, Ballard Estate, Fort, Mumbai - 400 001.

ii. The Bank has appointed M/s Axis Trustee Services Limited, Mumbai as Bond Trustees to Additional Tier I Bonds issued on March 29, 2016, to safeguard and to protect the interests of the investors of the Bonds. Address of the Trustee to the Issue is – M/s Axis Trustee Services Limited, 2nd Floor E, Axis House, Bombay Dyeing Mills Compound, Pandurang Budhkar Marg, Mumbai - 400 025.

g. Shares in Suspense Account

In compliance of the requirement stipulated in Regulation 39 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Bank is keeping the shares issued pursuant to the Initial Public Offer, which remain unclaimed despite the best efforts of the Bank and the Share Transfer Agent in a Suspense Account opened for this purpose. The details of such shares lying in the Suspense Account are as under:

Particulars	No. of shareholders	Shares outstanding
Outstanding at the beginning of the year	28	4658
No. of shareholders approached for transfer	4	627
No. of shareholders to whom shares were transferred	4	627
Outstanding at the end of the year	24	4031

h. Unclaimed Dividend

The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, which has come into force on October 16, 2006, has inserted a new section 10 B in the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, which provides as under:

1. Within 7 days from the expiry of 30 days from the date of declaration, if any shareholder has not encashed / claimed the dividend, such amounts lying in the bank current account, have to be transferred to a separate account styled "Unpaid Dividend of Indian Bank for the year….."
2. Any money transferred to the Unpaid Dividend account, which remains unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer, shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established under sub-section 205C of the Companies Act, 1956.

Accordingly, the unpaid dividends of previous years have been transferred to Unpaid Dividend accounts of Indian Bank and hence, such monies remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund. Accordingly, the unclaimed dividend amounts of ₹ 7.94 lakhs pertaining to the year 2007-08 was transferred to Investor Education and Protection Fund during the year 2015-16.

पिछले वर्षों के लिए अदत्त लाभांश खातों के विवरण तथा आईईपीएफ में उनके अंतरण के लिए नियत तारीख निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	अदत्त लाभांश के विवरण	31.03.2016 को शेष (ए)	आईईपीएफ को अंतरण के लिए नियत तारीख
1	अंतरिम लाभांश 2008–09	7,20,020.00	मार्च 2016*
2	अंतिम लाभांश 2008–09	8,95,281.00	अगस्त 2016
3	अंतरिम लाभांश 2009–10	7,56,655.00	मार्च 2017
4	अंतिम लाभांश 2010–11	7,92,740.00	जुलाई 2017
5	लाभांश 2010–11	12,96,322.50	अगस्त 2018
6	लाभांश 2011–12	14,61,300.00	अगस्त 2019
7	लाभांश 2012–13	15,31,437.60	अगस्त 2020
8	अंतरिम लाभांश 2013–14	10,30,428.00	फरवरी 2021
9	अंतिम लाभांश 2013–14	6,00,978.90	अगस्त 2021
10	लाभांश 2014–15	10,53,838.80	अगस्त 2022

* चूंकि आईईपीएफ को अंतरित

ऐसे शेयर धारक /निवेशक जिन्होंने अपना लाभांश वारंट/धन वापसी आदेशों की भुनाई नहीं की है, से अनुरोध है कि वे बैंक के चेन्नै स्थित कॉर्पोरेट कार्यालय के निवेशक सेवा कक्ष या बैंक के शेयर अंतरण ऐजेंट के पास अंतरण के लिए नियत तारीख के पहले अपने अद्यतन बनाई गई ग्राहक मास्टर सूची/बैंक अधिदेश के साथ संपर्क करें ताकि लाभांश/ धन वापसी की राशि को उनके खाते में जमा की जा सकें।

एच) सेबी (आंतरिक व्यक्ति द्वारा ट्रेडिंग पर रोक) विनियमन 2015 का अनुपालन:

उपर्युक्त विनियमनों के अनुपालन में बैंक ने अपनी प्रतिभूतियों में डीलिंग करनेवाले नामोद्दिष्ट कर्मचारियों और निदेशकों के लिए आंतरिक व्यक्ति द्वारा ट्रेडिंग पर रोक के लिए आचार संहिता बनाई है। इन विनियमनों की शर्तों की अपेक्षानुसार बैंक के नामोद्दिष्ट कर्मचारियों और निदेशकों से आवधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न फार्म बनाए गए हैं। आगे, वर्ष 2015–16 के दौरान निम्नलिखित विवरणों के अनुसार बैंक के शेयरों में डीलिंग करने के लिए नामोद्दिष्ट कर्मचारियों और निदेशकों के लिए ट्रेडिंग विंडो बंद कर दिया गया था :

ट्रेडिंग विंडो बंद करने की तारीख	बंद करने का उद्देश्य
06 मई 2015 से 15 मई 2015 तक	मार्च 31, 2015 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष के लिए वित्तीय परिणामों की घोषणा एवं वर्ष 2014–15 हेतु अंतरिम लाभांश की घोषणा
14 मई, 2015 से 25 मई, 2015, तक	जून 30, 2015 को समाप्त तिमाही के लिए वित्तीय परिणामों की घोषणा
16 अक्तूबर, 2015 से 04 नंबवर, 2015 तक	सितम्बर 30, 2015 को समाप्त तिमाही / छमाही के लिए वित्तीय परिणामों की घोषणा
30 जनवरी, 2016 से 13 फरवरी, 2016 तक	दिसम्बर 31, 2015 को समाप्त तिमाही / नौ महीनों के लिए वित्तीय परिणामों की घोषणा

आई) आचार संहिता :

बैंक ने निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों पर लागू आचार संहिता बनायी है तथा निदेशक मंडल ने दिनांक 29 मार्च, 2007 को आयोजित अपनी बैठक में इसे अपना लिया है तथा बाद में इसमें संशोधन किया गया है और निदेशक मण्डल ने 23 दिसम्बर 2008 को उसे अनुमोदित किया है और इसे बैंक की वेबसाइट www.indianbank.in में भी उपलब्ध करा दिया गया है।

घोषणा

बैंक ने सभी बोर्ड सदस्यों और बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए एक आचार संहिता बना ली है तथा इसे बैंक की वेबसाइट में भी उपलब्ध करा दिया गया है।

बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

कृते इंडियन बैंक

महेश कुमार जैन
प्रबंध निदेशक एवं मु.का.अ

The details of such Unpaid Dividend accounts of earlier years and the due date for transfer to IEPF are as under:

Sl. No.	Details of Unpaid Dividend	Balance as on 31.03.2016 (₹)	Due Date of Transfer to IEPF
1	Interim Dividend 2008-09	7,20,020.00	March 2016*
2	Final Dividend 2008-09	8,95,281.00	August 2016
3	Interim Dividend 2009-10	7,56,655.00	March 2017
4	Final Dividend 2009-10	7,92,740.00	July 2017
5	Dividend 2010-11	12,96,322.50	August 2018
6	Dividend 2011-12	14,61,300.00	August 2019
7	Dividend 2012-13	15,31,437.60	August 2020
8	Interim Dividend 2013-14	10,30,428.00	February 2021
9	Final Dividend 2013-14	6,00,978.90	August 2021
10	Dividend 2014-15	10,53,838.80	August 2022

* since transferred to IEPF.

Such of those shareholders / investors, who are yet to encash their Dividend Warrants / Refund Orders, are requested to approach Investor Services Cell of the Bank at its Corporate Office, Chennai or the Bank's Share Transfer Agent with their updated Client Master List / bank mandate before the due date(s) for transfer to enable the Bank to credit their bank accounts with the dividend / refund amounts.

i. Compliance with SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015.

In pursuance of the above Regulations, the Bank has formulated Code of Conduct for Prevention of Insider Trading for Designated Persons and Directors for dealing in securities of the Bank. Various forms have been designed to receive periodical information from the Designated Persons and Directors of the Bank, as required in terms of these Regulations. Further, the Trading Window for dealing in shares of the Bank was closed for the Directors and Designated Persons of the Bank as per the following details during the year 2015-16:

Dates of closure of Trading Window	Purpose of Closure
From May 06, 2015 to May 15, 2015	Declaration of Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2015 and declaration of Dividend for the year 2014-15.
From July 14, 2015 to July 25, 2015	Declaration of Financial Results for the quarter ended June 30, 2015.
From October 16, 2015 to November 04, 2015	Declaration of Financial Results for the quarter / half-year ended September 30, 2015.
From January 30, 2016 to February 13, 2016	Declaration of Financial Results for the quarter / nine months ended December 31, 2015.

j. Code of Conduct

The Bank has framed the Code of Conduct applicable to Board of Directors and Senior Management Personnel and the same has been adopted by the Board of Directors at its meeting held on March 29, 2007 and subsequently amended and approved by the Board of Directors on December 23, 2008 and the same has also been put on the Bank's website viz., www.indianbank.in.

Declaration

The Bank has laid down a Code of Conduct for all the Board Members and Senior Management of the Bank and the Code is posted on the website of the Bank.

The Board Members and Senior Management have affirmed compliance to the Code of Conduct.

For Indian Bank

Mahesh Kumar Jain
Managing Director & CEO

सेवा में,

निदेशक मंडल
इंडियन बैंक

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग करार तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं विनियमन 2015) के विनियम 17(8) के अनुसार सीईओ एवं सीएफओ प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि

(ए) हमने वर्ष 2015–16 के लिए इंडियन बैंक के वित्तीय विवरण एवं नकदी प्रवाह विवरणों का पुनरीक्षण किया है तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार

(I) इन विवरणों में तात्विक रूप से कोई अवास्तविक कथन नहीं हैं या महत्वपूर्ण तथ्य हटाए नहीं गये हैं या भ्रमजनक विवरण नहीं हैं।

(ii) ये विवरण एकत्रित रूप से बैंक के कार्यकलापों का सच्चा एवं निष्पक्ष रूप दिखाते हैं और ये विद्यमान लेखाकरण मानक, प्रयोज्य कानून एवं विनियमन के अनुरूप हैं।

(बी) हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार इस वर्ष के दौरान बैंक ने ऐसे कोई लेनदेन नहीं किए हैं जो कपटपूर्ण, गैर–कानूनी हो या बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करता हो ।

(सी) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने एवं अनुरक्षित करने का दायित्व लेते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में बैंक के आंतरिक नियंत्रण तंत्र की प्रभावोत्पादकता का मूल्यांकन किया है और आंतरिक नियंत्रण के रूप या परिचालन में कमियाँ, यदि हों, जिन्हें हम जानते हैं तथा इन कमियों को सुधारने के लिए किए गए कदम या प्रस्तावित कदम की रिपोर्ट हमने लेखा परीक्षकों एवं लेखा परीक्षा समिति को दे दी है।

(डी) हमने लेखा परीक्षकों और लेखा समिति को निम्नलिखित बातों की जानकारी दी है:

(I) वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण परिवर्तन।

(ii) वर्ष के दौरान लेखाकरण नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन और इनका प्रकटीकरण, वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियों में किया गया है, और

(iii) धोखाधड़ी की महत्वपूर्ण घटनाओं के मामले, जो हमें ज्ञात हुए हैं और उसमें वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कर्मचारी या प्रबंधन का शामिल होना, यदि हो, की जानकारी।

(वी ए प्रशांत)
महा प्रबंधक एवं सीएफओ

(महेश कुमार जैन)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : चेन्नै
दिनांक : मई 11, 2016

To

The Board of Directors
Indian Bank

CEO & CFO Certificate under Regulation 17(8) of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

This is to certify that

(a) We have reviewed financial statements and the cash flow statement of Indian Bank for the year 2015-16 and that to the best of our knowledge and belief:

(i) these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;

(ii) these statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

(b) There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.

(c) We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of the internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

(d) We have indicated to the auditors and the Audit Committee

(i) significant changes in internal control over financial reporting during the year.

(ii) significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and

(iii) instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

(V A Prasanth)
General Manager & CFO

(Mahesh Kumar Jain)
Managing Director & CEO

Place : Chennai
Date : May 11, 2016

कार्पोरेट अभिशासन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में

इंडियन बैंक के सदस्य

हमने 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए **इंडियन बैंक** द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों के साथ कथित बैंक के लिस्टिंग करार के उपरान्त भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनिमयमन, 2015 के अध्याय IV में अनुबद्ध कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन, प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनायी गयी प्रक्रियाविधियों और उनके कार्यान्वयन तक ही हमारी जांच सीमित थी। यह लेखापरीक्षा भी नहीं है और न ही यह बैंक के वित्तीय विवरणों पर हमारे मत का प्रकटीकरण है।

हमारी राय में और हमारी उत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार लिस्टिंग करार के उपरान्त भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं)विनिमय , 2015 के अध्याय IV में निहित प्रावधान के अनुसार कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया गया है, जो किसी भी निदेशकों की नियुक्ति में बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण और उपक्रम का अंतरण) अधिनियम, 1970 में यथा संशोधित का उल्लंघन नहीं करते।

हम आगे कहते है कि ऐसा अनुपालन, न ही बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही बैंक के कार्यों के संचालन में प्रबंधन की दक्षता या प्रभावोत्पादकता है।

कृते एस पी पुरी एण्ड कंपनी
For S. P. PURI & CO.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
फर्म की पंजीकरण सं. 001152एन
FR No.001152N

विदुर पुरी
VIDUR PURI
साझेदार **Partner**
(एम.सं.090163) **M. No.090163**

कृते सी के पृस्टि एण्ड असोसियेट्स
For C. K. PRUSTY & ASSOCIATES
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
फर्म की पंजीकरण सं.323220ई
FR No.323220E

सी के पृस्टि
C. K. PRUSTY
साझेदार **Partner**
(एम.सं.057318) **M. No.057318**

कृते पद्मनाभन रमणी और रामानुजम
For PADMANABHAN RAMANI & RAMANUJAM
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
फर्म की पंजीकरण सं.002510एस
FR No. 002510S

आर पद्मनाभन
R. PADMANABHAN
साझेदार **Partner**
(एम.सं.013216) **M. No.013216**

कृते कृते जी बालु असोसियेट्स
For G. BALU ASSOCIATES
सनदी लेखाकार **Chartered Accountants**
फर्म की पंजीकरण सं.000376एस **FR No.000376S**

जी बालसुब्रमणियन
G. BALASUBRAMANYAN
साझेदार **Partner**
(एम.सं.7628) **M. No.7628**

कृते प्रकाश चंद्र जैन एण्ड कं
For PRAKASH CHANDRA JAIN & CO.
सनदी लेखाकार **Chartered Accountants**
फर्म की पंजीकरण सं.002438सी **FR No.002438C**

पी सी नालवाया
P. C. NALWAYA
साझेदार **Partner**
(एम.सं.033710) **M. No.033710**

सीान Place : चेन्नै Chennai
दिनांक Date : May 11, 2016

AUDITORS' CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

To

The Members of Indian Bank

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by **INDIAN BANK** for the year ended on March 31, 2016 as stipulated in Chapter IV of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 pursuant to the Listing Agreement of the said Bank with the Stock Exchanges.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the provisions as specified in Chapter IV of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 pursuant to the Listing Agreement of the said Bank with Stock Exchanges to the extent these do not violate the Banking Regulation Act, 1949 and the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, as amended, in respect of appointment of Directors.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Bank.

For S. P. PURI & CO.
Chartered Accountants
FR No.001152N

VIDUR PURI
Partner
M. No.090163

For C. K. PRUSTY & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FR No.323220E

C. K. PRUSTY
Partner
M. No.057318

For PADMANABHAN RAMANI & RAMANUJAM
Chartered Accountants
FR No. 002510S

R. PADMANABHAN
Partner
M. No.013216

For G. BALU ASSOCIATES
Chartered Accountants
FR No.000376S

G. BALASUBRAMANYAN
Partner
M. No.7628

For PRAKASH CHANDRA JAIN & CO.
Chartered Accountants
FR No.002438C

P. C. NALWAYA
Partner
M. No.033710

Place : Chennai
Date : May 11, 2016

इस पृष्ठ को जानबूझकर रिक्त रखा गया है।

This page is intentionally left blank

तुलन पत्र,
लाभ और हानि लेखा और अनुसूचियां

BALANCE SHEET,
PROFIT AND LOSS ACCOUNT AND SCHEDULES

31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र
BALANCE SHEET AS ON MARCH 31, 2016

(₹ हजारों में)
(₹ in Thousands)

विवरण PARTICULARS	अनुसूची सं. Schedule	31.03.2016 को As on 31.03.2016	31.03.2015 को As on 31.03.2015
पूँजी व देयताएं CAPITAL & LIABILITIES			
पूंजी Capital	1	480 29 17	480 29 17
आरक्षितियां और अधिशेष Reserves and Surplus	2	15779 48 51	14615 18 10
जमाएं Deposits	3	178285 84 26	169225 27 17
उधार Borrowings	4	3509 31 65	2646 09 34
अन्य देयताएं और प्रावधान Other Liabilities & Provisions	5	5655 44 61	5869 13 53
कुल TOTAL		**203710 38 20**	**192835 97 31**
आस्तियां ASSETS			
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकद और अधिशेष Cash & Balances with R B I	6	9174 45 13	8301 06 99
बैंकों में शेष एवं मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	2824 83 94	4780 10 36
निवेश Investments	8	53089 31 36	45728 32 15
अग्रिम Advances	9	129049 07 63	125863 54 58
अचल आस्तियां Fixed Assets	10	3511 07 20	2968 72 85
अन्य आस्तियां Other Assets	11	6061 62 94	5194 20 38
कुल TOTAL		**203710 38 20**	**192835 97 31**
आकस्मिक देयताएं Contingent Liabilities	12	29752 52 28	38037 67 89
संग्रहण के लिए बिल Bills for Collection	-	3150 61 02	2990 96 42

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां Significant Accounting Policies 17
लेखों पर टिप्पणियाँ Notes on Accounts 18
ऊपर उल्लिखित अनुसूचियाँ, तुलन पत्र के अंभिन्न अंग हैं
Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet

टी सी वेंकट सुब्रमणियन **T C VENKAT SUBRAMANIAN** गैर–कार्यपालक अध्यक्ष NON EXECUTIVE CHAIRMAN	महेश कुमार जैन **MAHESH KUMAR JAIN** प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी MANAGING DIRECTOR & CEO	आर सुब्रमणिय कुमार **R SUBRAMANIA KUMAR** कार्यपालक निदेशक EXECUTIVE DIRECTOR	ए एस राजीव **A S RAJEEV** कार्यपालक निदेशक EXECUTIVE DIRECTOR	वी. ए. प्रशांत **V A PRASANTH** महाप्रबंधक GENERAL MANAGER

निदेशक **DIRECTORS**

बी पी विजयेन्द्र **B P VIJAYAENDRA** पी वेंकट कृष्ण राव **P VENKATA KRISHNA RAO** दीपक डी सामंत **DEEPAK D SAMANT**
पद्मनाभन विट्ठल दास **PADMANABAN VITTAL DASS** विनोद कुमार नागर **VINOD KUMAR NAGAR** श्रीराम रामचन्द्रन **SRIRAM RAMACHANDRAN**

As per our report of even date attached

सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षक **STATUTORY CENTRAL AUDITORS**

कृते एस पी पुरी एण्ड कंपनी **For S.P. PURI & CO.** सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफआर सं. FR No.001152N विदुर पुरी **VIDUR PURI** साझेदार Partner (एम.सं. M. No 090163)	कृते सी के पृस्टि एण्ड असोसियेट्स **For C. K. PRUSTY & ASSOCIATES** सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफआर सं. FR No.323220E सी के पृस्ती **C K PRUSTY** साझेदार Partner (एम.सं. M. No 057318)	कृते पद्मनाभन रमणी और रामानुजम **For PADMANABHAN RAMANI & RAMANUJAM** सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफआर सं. FR No.002510S आर पद्मनाभन **R PADMANABHAN** साझेदार Partner (एम.सं. M. No 013216)

कृते जी बालु असोसियेट्स **For G BALU ASSOCIATES** सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफआर सं. FR No.000376S जी बालसुब्रमण्यन **G BALASUBRAMANYAN** साझेदार Partner (एम.सं. M. No 7628)	कृते प्रकाश चन्द्र जैन एण्ड कंपनी **For PRAKASH CHANDRA JAIN & CO** सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफआर सं. FR No.002438C पी सी नलवाया **P C NALWAYA** साझेदार Partner (एम.सं. M. No 033710)

स्थान : चेन्नै
Place : Chennai
दिनांक : Date : 11-05-2016

(₹ हजारों में)
(₹ in Thousands)

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा
PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2016

विवरण PARTICULARS	अनुसूची सं. Schedule	31.03.2016 को Y E 31.03.2016	31.03.2015 को Y E 31.03.2015
I. आय : INCOME			
अर्जित ब्याज Interest earned	13	16243 78 35	15852 93 99
अन्य आय Other Income	14	1781 41 63	1363 35 65
कुल TOTAL		**18025 19 98**	**17216 29 64**
II. व्यय EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज Interest expended	15	11797 60 39	11391 65 46
परिचालनगत व्यय Operating expenses	16	3195 50 35	2810 92 59
प्रावधान एवं आकस्मिकतायें Provisions & Contingencies	-	2320 70 90	2008 54 16
कुल TOTAL		**17313 81 64**	**16211 12 21**
III. लाभ /हानि PROFIT/LOSS			
वर्ष के लिए निवल लाभ /हानि (–) Net Profit/Loss(-) for the year		711 38 34	1005 17 43
अग्रानीत लाभ / हानि (–) Profit/Loss(-) Brought forward		95 03 75	92 87 83
कुल TOTAL		**806 42 09**	**1098 05 26**
IV. विनियोजन APPROPRIATIONS			
निम्नलिखित को अंतरित : Transfer to :			
सांविधिक प्रारक्षित निधि Statutory Reserves		177 85 00	251 50 00
पूँजी रिज़र्व Capital Reserves		22 47 64	
धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत विशेष रिज़र्व Special Reserves u/s 36(1)(viii)		28 02 00	43 50 00
राजस्व रिज़र्व Revenue Reserves		375 00 00	445 00 00
स्टाफ कल्याण निधि Staff Welfare Fund		20 00 00	20 00 00
ईक्विटी लाभांश Equity Dividend		72 04 37	201 72 25
लाभांश वितरण कर Dividend Distribution Tax		14 66 67	41 29 26
लाभ का शेष जो तुलन पत्र को अग्रानीत किया गया है Bal. carried over to Balance Sheet		96 36 41	95 03 75
कुल TOTAL		**806 42 09**	**1098 05 26**
प्रति शेयर अर्जन ₹ में (आधारभूत और कम किया गया) Earnings Per Share in Rs. (basic & diluted)	18 (9.7)	14.81	21.62

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां Significant Accounting Policies 17
लेखों पर टिप्पणियाँ Notes on Accounts 18
ऊपर उल्लिखित अनुसूचियाँ, तुलन पत्र के अंभिन्न अंग हैं
Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet

टी सी वेंकट सुब्रमणियन **T C VENKAT SUBRAMANIAN** गैर–कार्यपालक अध्यक्ष NON EXECUTIVE CHAIRMAN	महेश कुमार जैन **MAHESH KUMAR JAIN** प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी MANAGING DIRECTOR & CEO	आर सुब्रमणिय कुमार **R SUBRAMANIA KUMAR** कार्यपालक निदेशक EXECUTIVE DIRECTOR	ए एस राजीव **A S RAJEEV** कार्यपालक निदेशक EXECUTIVE DIRECTOR	वी. ए. प्रशांत **V A PRASANTH** महाप्रबंधक GENERAL MANAGER

निदेशक DIRECTORS

बी पी विजयेन्द्र B P VIJAYAENDRA पी वेंकट कृष्ण राव P VENKATA KRISHNA RAO दीपक डी सामंत DEEPAK D SAMANT
पद्मनाभन विट्ठल दास PADMANABAN VITTAL DASS विनोद कुमार नागर VINOD KUMAR NAGAR श्रीराम रामचन्द्रन SRIRAM RAMACHANDRAN

As per our report of even date attached

सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षक STATUTORY CENTRAL AUDITORS

कृते एस पी पुरी एण्ड कंपनी **For S.P. PURI & CO.** सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफआर सं. FR No.001152N विदुर पुरी **VIDUR PURI** साझेदार Partner (एम.सं. M. No 090163)	कृते सी के पृस्टि एण्ड असोसियेट्स **For C. K. PRUSTY & ASSOCIATES** सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफआर सं. FR No.323220E सी के पृस्ती **C K PRUSTY** साझेदार Partner (एम.सं. M. No 057318)	कृते पद्मनाभन रमणी और रामानुजम **For PADMANABHAN RAMANI & RAMANUJAM** सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफआर सं. FR No.002510S आर पद्मनाभन **R PADMANABHAN** साझेदार Partner (एम.सं. M. No 013216)

कृते जी बालु असोसियेट्स **For G BALU ASSOCIATES** सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफआर सं. FR No.000376S जी बालसुब्रमण्यन **G BALASUBRAMANYAN** साझेदार Partner (एम.सं. M. No 7628)	कृते प्रकाश चन्द्र जैन एण्ड कंपनी **For PRAKASH CHANDRA JAIN & CO** सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफआर सं. FR No.002438C पी सी नलवाया **P C NALWAYA** साझेदार Partner (एम.सं. M. No 033710)

स्थान : चेन्नै
Place : Chennai
दिनांक : Date : 11-05-2016

(₹ हजारों में)
(₹ in Thousands)

अनुसूची 1 – पूंजी
SCHEDULE 1 - CAPITAL

विवरण PARTICULARS	31.03.2016 को As on 31.03.2016	31.03.2015 को As on 31.03.2015
I. प्राधिकृत पूँजी Authorised Capital		
प्रत्येक ₹ 10/– के 300,00,00,000 ईक्विटी शेयर		
300,00,00,000 Equity Shares of Rs.10/- each	3000 00 00	3000 00 00
II. जारी, अभिदत्त और अदा की गई पूंजी Issued, Subscribed and Paid up:		
ईक्विटी शेयर Equity Shares:		
ए. भारत सरकार द्वारा रखे गए प्रत्येक रुपये 10/– के 39,43,41,651 (जिसमें वर्ष 2014–15 के दौरान अधिमान्य आधार पर जारी 1,54,43,163 ईक्विटी शेयर शामिल हैं) ईक्विटी शेयर (गत वर्ष – प्रत्येक रुपये 10/– के 37, 88, 98, 489 ईक्विटी शेयर)		
a. 39,43,41,651 Equity shares of Rs.10/- each held by Government of India (P.Y.-39,43,41,651 Equity shares of Rs. 10/- each)	394 34 17	394 34 17
बी. जनता द्वारा रखे गए प्रत्येक ₹.10/– के 8,59,50,000 ईक्विटी शेयर		
b. 8,59,50,000 Equity shares of Rs.10/- each held by Public	85 95 00	85 95 00
कुल Total	**480 29 17**	**480 29 17**

अनुसूची 2 – आरक्षितियां और अधिशेष

SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS

(₹ हजारों में)
(₹ in Thousands)

	विवरण PARTICULARS	31.03.2016 को As on 31.03.2016	31.03.2015 को As on 31.03.2015
I.	सांवधिक आरक्षितियां **STATUTORY RESERVES**		
	ए) अथशेष a. Opening Balance	3581 25 81	3329 75 80
	बी) वर्ष के दौरान जोड़ b. Additions during the year	177 85 00	2515000
	कुल TOTAL I	**3759 10 81**	**3581 25 80**
II.	पूँजीगत आरक्षितियां **CAPITAL RESERVES**		
A	पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियां Revaluation Reserve		
	ए) अथशेष a. Opening Balance	2275 51 65	2335 45 77
	बी) वर्ष के दौरान जोड़ b. Additions during the year	582 59 61	0
	सी) वर्ष के दौरान कटौतियां c. Deductions during the year	76 68 59	59 94 12
	कुल (ए) TOTAL (A)	**2781 42 67**	**2275 51 65**
B	**अन्य Others**		
	ए) वर्ष के दौरान जोड a) Opening Balance	95 34 60	95 34 60
	बी) वर्ष के दौरान कटौतियाँ b) Additions during the year	22 47 64	0
	कुल (बी) TOTAL (B)	**117 82 24**	**95 34 60**
	कुल II (ए + बी) TOTAL II (A + B)	**2899 24 91**	**2370 86 25**
III.	**शेयर प्रीमियम SHARE PREMIUM**		
	ए) अथशेष a) Opening Balance	1325 67 33	1061 11 65
	वर्ष के दौरान जोड़ b) Additions during the year	0	264 55 68
	कुल III TOTAL III	**1325 67 33**	**1325 67 33**
IV.	**राजस्व और अन्य आरक्षितियां REVENUE AND OTHER RESERVES**		
	ए) राजस्व आरक्षितियां A) Revenue Reserve		
	अथशेष Opening Balance	6283 51 10	**5838 51 10**
	लाभ एवं हानि लेखे से अंतरित Tfrd from Profit & Loss a/c	375 00 00	445 00 00
	वर्ष के दौरान कटौतियां Deductions during the year	0	0
	कुल (ए) TOTAL (A)	**6658 51 10**	**6283 51 10**
	(बी) आईटी अधिनियम की धारा के 36;1द्ध;टपपपद्ध के अंतर्गत विशेष रिज़र्व		
	B) Special Reserve u/s 36(1)(viii) of IT Act		
	अथशेष Opening Balance	598 50 00	555 00 00
	वर्ष के दौरान जोड़ Additions during the year	28 02 00	43 50 00
	कुल (बी) TOTAL (B)	**626 52 00**	**598 50 00**
	(सी) आईटी अधिनियम की धारा के 36;1द्ध;टपपप ए) के अंतर्गत विशेष रिज़र्व		
	C) Special Reserve u/s 36(1)(viii a) of IT Act		
	अथशेष Opening Balance	**58 20 00**	**58 20 00**
	डी) निवेश रिजर्व **D) Investment Reserve**		
	अथशेष Opening Balance	39 92 22	39 92 22
	वर्ष के दौरान जोड Additions during the year	0	0
	कुल (डी) TOTAL (D)	**39 92 22**	**39 92 22**
	(सी) आईटी अधिनियम की धारा के 36;1द्ध;टपपप ए) के अंतर्गत विशेष रिज़र्व		
	E) Foreign Currency Translation Reserve		
	अथशेष Opening Balance	262 21 65	259 01 95
	वर्ष के दौरान जोड Additions during the year	53 72 09	3 19 70
	कुल (डी) TOTAL (E)	**315 93 74**	**262 21 65**
	कुल IV (ए + बी + सी + डी) TOTAL IV (A + B + C + D + E)	**7699 09 06**	**7242 34 97**
V.	**लाभ एवं हानि खाता PROFIT & LOSS ACCOUNT**		
	अथशेष Opening Balance	95 03 75	92 87 82
	वर्ष के दौरान जोड़ Additions during the year	1 32 65	2 15 93
	कुल V TOTAL V	**96 36 40**	**95 03 75**
	कुल (I + II + III + IV + V) TOTAL (I+II+III+IV+V)	**15779 48 51**	**14615 18 10**

अनुसूची 3 – जमाएँ
SCHEDULE 3 - DEPOSITS

(₹ हजारों में)
(₹ in Thousands)

विवरण PARTICULARS	31.03.2016 को As on 31.03.2016	31.03.2015 को As on 31.03.2015
(अ) I. मांग जमाराशियां A. I. DEMAND DEPOSITS		
I. बैंकों से i) From Banks	132 43 34	209 75 69
ii. अन्यों से ii) From Others	9145 01 00	8257 35 00
कुल TOTAL	**9277 44 34**	**8467 10 69**
II. बचत बैंक जमाराशियां II. SAVINGS BANK DEPOSITS	**46481 76 86**	**40224 82 42**
III. सावधि जमाराशियां III. TERM DEPOSITS		
I. बैंकों से i) From Banks	2403 83 42	4922 80 30
ii. अन्यों से ii) From Others	120122 79 64	115610 53 76
कुल TOTAL	**122526 63 06**	**120533 34 06**
कुल (I+II+III) TOTAL (I+II+III)	**178285 84 26**	**169225 27 17**
(आ) I. भारत में स्थित शाखाओं की जमाएं B. i) Deposits of branches in India	172651 68 31	161857 54 51
II. भारत के बाहर शाखाओं की जमाएं ii) Deposits of branches outside India	5634 15 95	7367 72 66
कुल TOTAL	**178285 84 26**	**169225 27 17**

अनुसूची 4 – उधार
SCHEDULE 4 - BORROWINGS

(₹ हजारों में)
(₹ in Thousands)

विवरण PARTICULARS	31.03.2016 को As on 31.03.2016	31.03.2015 को As on 31.03.2015
I. भारत में उधार I. BORROWINGS IN INDIA		
i) भारतीय रिज़र्व बैंक i) Reserve Bank of India	0	0
ii) अन्य बैंक ii) Other Banks	1 39	1 39
iii) अन्य संस्थाएं और अभिकरण * iii) Other Institutions and Agencies *	1500 08 90	1832 89 91
कुल TOTAL	**1500 10 29**	**1832 91 30**
II. भारत के बाहर उधार ** **II. BORROWINGS OUTSIDE INDIA ** **	2009 21 36	813 18 04
कुल TOTAL (I+II)	**3509 31 65**	**2646 09 34**
ऊपर समाहित रक्षित उधार Secured Borrowings included above	NIL	832 77 26

* टियर II पूँजी – गौण ऋण ₹ 1000 00 00 करोड (पिछले वर्ष ₹ 109010 00) को शामिल करते हुए * includes Tier II Capital - Subordinated debt of ₹1000 00 00 (P.Y. ₹ 1000 00 00) and Tier I Capital - Perpetual Debt Instrument of ₹500 00 00 (P.Y. NIL)

** नास्ट्रो मिरर शेषों की असमायोजित मदें एवं मार्गस्थ मदों को शामिल करते हुए ** Includes pipeline and un-adjusted items in Nostro Mirror Balances

अनुसूची 5 – अन्य देयताएँ और प्रावधान
SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

(₹ हजारों में)
(₹ in Thousands)

विवरण PARTICULARS	31.03.2016 को As on 31.03.2016	31.03.2015 को As on 31.03.2015
I. संदेय बिल I. Bills Payable	690 11 64	840 47 47
ii. अंतर–कार्यालय समायोजन (निवल) II. Inter Office Adjustments(Net)	120 20 41	0
iii. प्रोद्भूत ब्याज III. Interest Accrued	817 23 16	889 59 80
iv. अन्य (प्रावधान सहित)* IV. Others(including Provisions) *	4027 89 40	4139 06 26
कुल TOTAL	**5655 44 61**	**5869 13 53**

* ₹ 755 30 01 करोड (पिछले वर्ष ₹ 885 61 33 करोड़) की मानक आस्तियों के विरुद्ध आकस्मिक प्रावधान शामिल हैं
* includes Contingent Provisions against Standard Assets of ₹755 30 01 (P.Y - ₹885 61 33)

अनुसूची 6 भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष
SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(₹ हजारों में)
(₹ in Thousands)

विवरण PARTICULARS	31.03.2016 को As on 31.03.2016	31.03.2015 को As on 31.03.2015
I. हाथ में नकदी (इसमें विदेशी मुद्रा नोट सम्मिलित हैं) I. Cash in hand (including foreign currency notes)	537 13 02	401 02 09
II.भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चालू खाते में शेष II. Balances with Reserve Bank of India in Current Account	8637 32 11	7900 04 90
कुल (I + II) TOTAL (I+II)	**9174 45 13**	**8301 06 99**

अनुसूची 7 – बैंकों में शेष और माँग पर तथा अल्प सूचना पर राशि

(₹ हजारों में)

SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

(₹ in Thousands)

विवरण PARTICULARS	31.03.2016 को As on 31.03.2016	31.03.2015 को As on 31.03.2015
I. भारत में I. IN INDIA		
i) बैंकों में अतिशेष i) Balances with Banks		
क. चालू खाते में a) in Current Account	10 31 02	20 38 54
ख. अन्य जमा खातों में b) in Other Deposit Accounts	275 93 37	275 77 49
कुल (i) TOTAL (I)	**286 24 39**	**296 16 03**
ii) मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि ;बैंकों के साथ द्ध		
ii) Money at Call and Short Notice (with Banks)	0.00	0.00
कुल (ii) TOTAL (ii)	0.00	0.00
कुल (i + ii) TOTAL (i + ii)	**286 24 39**	**296 16 03**
II. भारत के बाहर II. OUTSIDE INDIA		
I) चालू खातों में i) in Current Accounts	258 26 41	1763 03 30
ii) अन्य जमा खातों में ii) in other Deposit Accounts	2274 03 72	2708 59 37
iii) माँग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि iii) Money at Call and Short Notice	6 29 42	12 31 66
कुल (i + ii + iii) TOTAL (i + ii + iii)	**2538 59 55**	**4483 94 33**
कुल योग GRAND TOTAL (I +II)	**2824 83 94**	**4780 10 36**

अनुसूची 8 – निवेश

(₹ हजारों में)

SCHEDULE 8 - INVESTMENTS

(₹ in Thousands)

विवरण PARTICULARS	31.03.2016 को As on 31.03.2016	31.03.2015 को As on 31.03.2015
I. भारत में निवेश I. INVESTMENTS IN INDIA		
सकल निवेश Gross Investments	50748 65 41	43680 14 57
घटाएँ : मूल्यह्रास एवं एनपीआई हेतु प्रावधान Less Provsion for Depreciation &NPI	233 98 75	162 43 78
निवल निवेश Net Investments	**50514 66 66**	**43517 70 79**
i. सरकारी प्रतिभूतियां i) Government Securities	39511 73 47	38609 47 07
ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां ii) Other approved Securities	36 27 08	36 27 08
iii. शेयर iii) Shares	385 96 05	418 55 70
iv. डिबेंचर और बॉंड iv) Debentures and bonds	7765 38 68	4185 08 14
v. अनुषंगियां और / या संयुक्त उद्यम v) Subsidiaries and/or joint ventures (including Associates)	45 15 00	37 49 62
vi. अन्य vi) Others	2770 16 38	230 83 18
कुल : TOTAL	**50514 66 66**	**43517 70 79**
II. भारत के बाहर निवेश II. INVESTMENT OUTSIDE INDIA		
सकल निवेश Gross Investments	**2669 67 15**	**2299 82 89**
घटाएँ : मूल्यह्रास एवं एनपीआई हेतु प्रावधान Less Provsion for Depreciation &NPI	95 02 45	89 21 53
निवल निवेश Net Investments	2574 64 70	2210 61 36
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकारी सहित)		
I) Government Securities (including local authorities)	2570 37 23	2206 37 95
ii. अन्य निवेश ii) Other investments		
ए शेयर (a) Shares	1 38 56	1 25 64
बी ऋण प्रतिभूतियाँ (b) Debt Securities	2 88 91	2 97 77
कुल TOTAL	**2574 64 70**	**2210 61 36**
निवल कुल योग (ए) + (बी) NET GRAND TOTAL (A+B)	**53089 31 36**	**45728 32 15**

अनुसूची 9 – अग्रिम

SCHEDULE 9 - ADVANCES

(₹ हजारों में)
(₹ in Thousands)

विवरण PARTICULARS	31.03.2016 को As on 31.03.2016	31.03.2015 को As on 31.03.2015
I) क्रय किए गए और भुनाये गए बिल i) Bills purchased and discounted	1473 11 26	2580 06 89
ii) नकद उधार, ओवर ड्राफ़्ट और मांग पर प्रतिदेय उधार		
ii) Cash Credit, Overdrafts and loans repayable on demand	66026 03 24	55825 81 24
iii. सावधि उधार iii) Term Loans	61549 93 13	67457 66 45
कुल TOTAL	**129049 07 63**	**125863 54 58**
i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋणों पर अग्रिम शामिल हैं)		
I) Secured by tangible assets (includes advance against bookdebts)	103255 68 37	100663 06 39
ii) बैंक / सरकारी प्रतिभूतियां द्वारा संरक्षित ii) Covered by bank/Government guarantee	6296 84 08	7620 28 23
iii) अप्रतिभूत iii) Unsecured	19496 55 18	17580 19 96
कुल TOTAL	**129049 07 63**	**125863 54 58**
I भारत में अग्रिम I. ADVANCES IN INDIA		
I. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र i) Priority Sector	46490 64 01	46106 19 48
ii. सरकारी क्षेत्र ii) Public Sector	21927 00 70	18681 90 36
iii. बैंक iii) Banks	0	0
iv. अन्य iv) Others	55461 91 80	55411 00 30
कुल TOTAL	**123879 56 51**	**120199 10 14**
II. भारत के बाहर अग्रिम II. ADVANCES OUTSIDE INDIA		
I) बैंकों से प्राप्य राशियाँ i) Dues from Banks	665 99 29	593 49 99
ii) अन्यों से प्राप्य राशियाँ ii) Dues from others		
क) क्रय किये गए और भुनाये गए बिल a) Bills Purchased and discounted	1031 55 35	1626 48 39
ख) सामूहिक ऋण b) Syndicated loans	1374 84 10	1683 94 78
ग) अन्य c) Others	2097 12 38	1760 51 28
कुल TOTAL	**5169 51 12**	**5664 44 44**
कुल योग (1+2) GRAND TOTAL (I+II)	**129049 07 63**	**125863 54 58**

अनुसूची 10 – स्थाई आस्तियाँ

SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS

(₹ हजारों में)
(₹ in Thousands)

	विवरण PARTICULARS	31.03.2016 को As on 31.03.2016	31.03.2015 को As on 31.03.2015
I.	**परिसर PREMISES**		
	पूर्ववर्ती वर्ष के तुलन–पत्र के अनुसार लागत / पुनर्मूल्यांकन मूल्य पर		
	At cost/revaluation as per the last Balance Sheet	2841 55 26	2841 20 49
	वर्ष के दौरान जोड़ / समायोजन Additions/Adjustments during the year	587 46 62	34 77
	पूर्ण योग Sub Total	3429 01 88	2841 55 26
	वर्ष के दौरान कटौतियां Deductions during the year	43 48	0
	पूर्ण योग Sub Total	3428 58 40	2841 55 26
	अद्यतन मूल्य ह्रास Depreciation to date *	468 77 09	386 64 84
	कुल TOTAL	**2959 81 31**	**2454 90 42**
	II. निर्माणाधीन भवन II. BUILDINGS UNDER CONSTRUCTION	**7 89 93**	**5 23 85**
III.	अन्य अचल आस्तियां (इसमें फर्नीचर और फिक्सचर सम्मिलित हैं)		
	OTHER FIXED ASSETS (including Furniture and Fixtures)		
	पूर्ववर्ती वर्ष के तुलन–पत्र के अनुसार लागत पर At cost as per last Balance Sheet	1411 89 77	1242 13 07
	वर्ष के दौरान जोड़ / समायोजन Additions/Adjustments during the year	192 63 17	240 17 66
	पूर्ण योग Sub Total	1604 52 94	1482 30 73
	वर्ष के दौरान कटौतियां Deductions during the year	51 50 20	70 40 96
	पूर्ण योग Sub Total	1553 02 74	1411 89 77
	अद्यतन मूल्यह्रास Depreciation to date**	1009 66 78	903 31 19
	कुल TOTAL	**543 35 96**	**508 58 58**
	(I+II+III) TOTAL (I+II+III)	**3511 07 20**	**2968 72 85**

*वर्ष के लिए ₹ 82 12 25 (पिछले वर्ष ₹ 62 47 43) * For the year ₹ 82 12 25 (P.Y. ₹ 62 47 43)

**वर्ष के लिए ₹ 106 35 59 (पिछले वर्ष ₹ 73 54 94) ** For the year ₹ 106 35 59 (P.Y. ₹ 73 54 94)

अनुसूची 11 – अन्य आस्तियाँ

(₹ हजारों में)

SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS

(₹ in Thousands)

विवरण PARTICULARS	31.03.2016 को As on 31.03.2016	31.03.2015 को As on 31.03.2015
I अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)		
I. Inter Office Adjustment (net)	0	189 59 92
II प्रोद्भूत ब्याज II. Interest Accrued	988 09 47	890 47 46
III प्रदत्त अग्रिम कर / स्रोत पर काटा गया कर		
III. Tax paid in advance/tax deducted at source (net)	2669 64 81	2233 13 19
IV लेखन सामग्री और स्टाम्प IV. Stationery and Stamps	16 46 35	16 31 11
V दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गयी गैर–बैंककारी आस्तियां		
V. Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	20 26 11	20 26 11
VI अन्य VI. Others	2367 16 20	1844 42 59
कुल TOTAL	**6061 62 94**	**5194 20 38**

अनुसूची 12 – आकस्मिक देयताएँ

(₹ हजारों में)

SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES

(₹ in Thousands)

विवरण PARTICULARS	31.03.2016 को As on 31.03.2016	31.03.2015 को As on 31.03.2015
I बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है		
I. Claims against the bank not acknowledged as debts	647 23 69	650 89 15
II अंशतः संदत्त निवेशों के लिए देयता		
II. Liability for partly paid investments	8 25 92	25 06 32
III बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता		
III. Liability on account of outstanding forward exchange contracts	11587 05 70	22565 65 00
IV संघटकों की ओर से दी गई प्रत्याभूतियां		
IV. Guarantee given on behalf of constituents		
क. भारत में a) In India	9536 82 24	9803 32 70
ख. भारत के बाहर b) Outside India	17 90 64	60 92 15
V स्वीकृतियाँ, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं		
V. Acceptance, Endorsements and other obligations	5186 48 81	2949 20 49
VI अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है		
VI. Other items for which the bank is contingently liable	2768 75 28	1982 62 08
कुल TOTAL	**29752 52 28**	**38037 67 89**

अनुसूची 13 – अर्जित ब्याज

(₹ हजारों में)

SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED

(₹ in Thousands)

विवरण PARTICULARS	31.03.2016 को Y E 31.03.2016	31.03.2015 को Y E 31.03.2015
I अग्रिमों / विनिमय पत्रों पर ब्याज / बट्टा राशि I. Interest/Discount on Advances/Bills	11924 23 13	12074 46 91
II निवेशों पर आय II. Income on Investments	4153 23 14	3611 81 94
III भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ शेष और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज		
III. Interest on balances with Reserve Bank of India and other Inter Bank funds	145 98 11	155 56 76
IV अन्य IV. Others	20 33 97	11 08 38
कुल TOTAL	**16243 78 35**	**15852 93 99**

अनुसूची 14 – अन्य आय
SCHEDULE 14 - OTHER INCOME

(₹ हजारों में)
(₹ in Thousands)

विवरण PARTICULARS	31.03.2016 को Y E 31.03.2016	31.03.2015 को Y E 31.03.2015
I. कमीशन, विनिमय और दलाली		
I. Commission, Exchange and Brokerage	287 54 23	269 90 15
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ II. Profit on Sale of Investments	314 17 17	220 48 43
घटाएँ : निवेशों की बिक्री पर हानि Less: Loss on Sale of Investments	7 20 82	11 43 59
निवल Net	306 96 35	209 04 84
III. निवेशों के पुनर्मूल्यॉंकन पर लाभ Profit on revaluation of Investments	0	0
घटाएँ : निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर हानि Less: Loss on revaluation of Investments	0	0
निवल Net	0	0
IV भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ *		
IV. Profit on sale of land, buildings and other assets *	2 21 14	2 46 14
घटाएँ : निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर हानि *		
Less: Loss on Sale of Land, Bldgs. & Other Assets *	4 10 95	4 04 45
निवल Net	-1 89 81	-1 58 31
V विनिमय संव्यवहारों पर लाभ (निवल)		
V. Profit on exchange transactions (Net)	297 31 49	246 14 39
VI विदेश / भारत में स्थापित अनुषंगियों / कंपनियों और / या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के रूप में अर्जित आय		
VI. Income earned by way of dividends, etc., from Subsidiaries/Companies and/or Joint ventures abroad/in India	18 07 63	11 77 08
VII. विविध आय Miscellaneous Income	873 41 74	628 07 50
कुल TOTAL	**1781 41 63**	**1363 35 65**

* यह राि ा सेफ, फॅर्नीचर, वाहन और म ाीनरी से संबंधित है * Amounts relates to Safe, Furniture, Vehicle and Machinery.

अनुसूची 15 – व्यय किया गया ब्याज
SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED

विवरण PARTICULARS	31.03.2016 को Y E 31.03.2016	31.03.2015 को Y E 31.03.2015
I जमाओं पर ब्याज I. Interest on deposits	11547 32 39	11211 13 13
II भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर बैंक उधारों पर ब्याज		
II. Interest on Reserve Bank of India/Inter Bank borrowings	235 21 22	171 57 05
III. अन्य III.Others	15 06 78	8 95 28
कुल TOTAL	**11797 60 39**	**11391 65 46**

अनुसूची 16 परिचालन व्यय

SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES

(₹ हजारों में)
(₹ in Thousands)

विवरण PARTICULARS			31.03.2016 को Y E 31.03.2016	31.03.2015 को Y E 31.03.2015
ए कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान				
I. Payments to and provisions for employees			2006 39 57	1742 58 92
II. किराया, कर और प्रकाश व्यवस्था Rent, Taxes and Lighting			264 87 91	239 03 29
III. मुद्रण और लेखन सामग्री Printing and Stationery			28 46 94	27 81 79
IV. विज्ञापन और प्रचार Advertisement and Publicity			8 12 90	8 76 34
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास	31 03 16	31 03 15		
V. Depreciation on Bank's property	2243456	1980595	150 57 91	138 11 83
घटाएँ : पुनर्मूल्यांकन रिजर्व से अंतरित				
Less: Transferred from Revaluation Reserve	737665	599412		
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय	1505791	1381183		
VI. Directors' fees allowance and expenses			83 92	71 05
VII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय सहित)				
VII. Auditors' fees and expenses(including branch auditors)			26 40 32	24 08 92
VIII .विधि प्रभार Law Charges			9 23 01	9 60 15
IX. डाक, तार और टेलीफोन आदि Postage, Telegrams and Telephones			24 76 64	21 53 65
X. मरम्मत और अनुरक्षण Repairs and Maintenance			72 78 35	68 34 63
XI. बीमा Insurance			162 47 01	141 48 16
XII. अन्य व्यय Other Expenditure			440 55 87	388 83 86
कुल TOTAL			**3195 50 35**	**2810 92 59**

अनुसूची 17 – मुख्य लेखांकन नीतियां

1. लेखांकन की परंपरा :

वित्तीय विवरण, जब तक अन्यथा नहीं बताया जाता है, ऐतिहासिक लागत प्रथा पर निरंतर कारोबारवाले संस्थान की संकल्पना का पालन करते हुए तैयार किए जाते हैं। ये भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों, जिनमें सांविधिक प्रावधान, भारतीय रिजर्व बैंक के विनियामक / दिशानिर्देश, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक / मार्गदर्शन की टिप्पणियाँ और भारत में बैंकिंग उद्योग में प्रचलित व्यवहार शामिल हैं, के समनुरूप बनाये जाते हैं। विदेशों में स्थित शाखाओं के संबंध में उस देश में प्रचलित सांविधिक प्रावधानों एवं पद्धतियों के समनुरूप हैं।

2. प्राक्कलनों का प्रयोग

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन से अपेक्षा की जाती है कि वह रिपोर्टिंग अवधि हेतु वित्तीय विवरणों की तारीख को रिपोर्टित आस्तियों एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) और आय एवं व्यय पर विचार करने हेतु अपने प्राक्कलन और पूर्वानुमान बनायें। प्रबंधन को यह विश्वास रहता है कि वित्तीय विवरणों की तैयारी में इस्तेमाल किये गये प्राक्कलन विवेकी और उचित हैं।

2. लेनदेन जिनमें विदेशी विनिमय शामिल हैं

भारत में किए गए परिचालनों में विदेशी मुद्रा लेनदेन और गैर–समाकलित विदेशी परिचालनों के विदेशी मुद्रा लेनदेनों का लेखांकन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानक – 11 (एएस – 11) के अनुसार किया गया है।

3.1 भारत में किए गए परिचालनों के संबंध में परिवर्तन

1. विदेशी विनिमय लेनदेनों को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फ़ेडाई) द्वारा अधिसूचित साप्ताहिक औसत दर (डब्ल्यूएआर) पर दर्ज किया गया है।
2. विदेशी मुद्रा आस्ति एवं देयताओं को वर्ष की समाप्ति पर फ़ेडाई द्वारा अधिसूचित समापन दरों पर परिवर्तित किया गया है।
3. विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों एवं अन्य वचनबद्धताओं और गारंटियों को फ़ेडाई द्वारा वर्ष की समाप्ति पर अधिसूचित समापन दरों पर परिवर्तित किया गया है।
4. वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर विदेशी मुद्रा आस्तियों एवं देयताओं के निपटान एवं परिवर्तन से होनेवाले विनिमय अंतरों को, उनके घटित होने की अवधि के दौरान आय अथवा व्यय माना जाएगा।
5. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं को संविदात्मक दरों पर प्रकट किया जाता है और फ़ेडाई की समापन दरों पर पुनर्मूल्यन किया जाता है और परिणामी प्रभाव को लाभ व हानि लेखे के ज़रिए पहचाना जाता है।

3.2 गैर समाकलित विदेशी परिचालनों के संबंध में परिवर्तन

विदेशी शाखाओं को गैर–समाकलित विदेशी परिचालन के रूप में वर्गीकृत किया गया है और वित्तीय विवरणों को निम्नानुसार परिवर्तित किया गया है

1. आकस्मिक देयताओं को शामिल करते हुए, आस्ति एवं देयताओं को वर्ष की समाप्ति पर फ़ेडाई द्वारा अधिसूचित समापन दरों पर परिवर्तित किया जाता है।
2. आय एवं व्यय को फ़ेडाई द्वारा संबंधित तिमाही की समाप्ति पर अधिसूचित तिमाही औसत दर पर परिवर्तित किया जाता है।
3. निवल निवेशों के निपटान तक, सभी परिणामी विनिमय अंतरों को ''विनिमय उतार–चढ़ाव निधि'' नामक पृथक खाते में संचित कर रखा जाता है।

4. निवेश

4.1 बैंक के संपूर्ण निवेश संविभाग को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निम्नलिखित तीन प्रवर्गों में वर्गीकृत किया गया है :

➢ परिपक्वता के लिए रखे गए (एचटीएम)

➢ बिक्री हेतु उपलब्ध (एएफएस)

➢ व्यापार के लिए रखे गए (एचएफटी)

परिपक्वता तक रोक रखने के आशय के साथ प्राप्त की गई प्रतिभूतियों को **''एचटीएम''** प्रवर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। अल्प अवधि के मूल्य / ब्याज दर में उतार–चढ़ाव से लाभ उठाकर व्यापार करने के आशय के साथ प्राप्त की गई प्रतिभूतियों को ''**एचएफटी**'' प्रवर्ग में वर्गीकृत किया गया है। अन्य सभी प्रतिभूतियाँ, जो उपर्युक्त दोनों प्रवर्गों में नहीं आती हैं, उन्हें, ''**एएफएस**'' प्रवर्ग में वर्गीकृत किया गया है।

निवेश को उसे खरीदते/अर्जन करते समय परिपक्वता के लिए रखे गये, बिक्री हेतु उपलब्ध या व्यापार के लिए रखे गये वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तथा विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार परवर्ती अंतरण किया जाता है। स्क्रिप्स, अगर कुछ हों, का अंतरण, ऐसे अंतरण की तारीख पर एक वर्ग से दूसरे वर्ग में उसके अर्जन करने की लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य, इसमें जो भी कम हो, उसपर किया जाता है तथा मूल्यह्रास अगर कुछ हों तो ऐसे अंतरण के लिए पूर्णतः प्रावधान किया जाता है।

अनुषंगियों तथा सहयोगियों में निवेश का वर्गीकरण, ''परिपक्वता के लिए रखे गये'' वर्ग में किया गया है।

4.2.1 एचटीएम प्रवर्ग में रखी गयी प्रतिभूतियों की बिक्री पर प्राप्त लाभ को पहले लाभ व हानि लेखे में लिया जाता है और बाद में पूंजी प्रारक्षिती लेखे (करों और सांविधिक प्रारक्षित निधियों में अंतरित करने के लिए अपेक्षित धनराशियों को घटाने के बाद निवल) में विनियोजित किया जाता है तथा हानि, यदि हो, को लाभ व हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है :

4.2.1 भारत में निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निम्नानुसार किया जाता है :

ए) ''**एचटीएम**'' प्रवर्ग में प्रतिभूति का मूल्यांकन अर्जन की लागत पर किया जाता है सिवाय उन मामलों में जहां अंकित मूल्य से अर्जन लागत अधिक होती हो, वैसे मामलों में, अंकित मूल्य पर अर्जन लागत की ऐसी अधिकता को परिपक्वता की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है । अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमों/सहभागियों में, जिन्हें एचटीएम प्रवर्ग में शामिल किया गया है, निवेशों के मूल्य में, अस्थाई प्रकृति के अलावा किसी अन्य ह्रास की पहचान की गई है और प्रावधान किया गया है। ऐसे ह्रास का निर्धारण और इसके लिए प्रावधान प्रत्येक निवेश हेतु अलग से किया

SCHEDULE 17 – SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. ACCOUNTING CONVENTION

The financial statements are prepared by following the going concern concept on historical cost convention unless otherwise stated. They conform to generally accepted accounting principles in India, which comprises statutory provisions, regulatory / Reserve Bank of India guidelines, accounting standards / guidance notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the practices prevalent in the Banking Industry in India. In respect of foreign branches as per statutory provisions and practices prevailing in the respective countries.

2. USE OF ESTIMATES

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions for considering the reported assets and liabilities (including contingent liabilities) as on the date of financial statements and the income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable.

2. TRANSACTIONS INVOLVING FOREIGN EXCHANGE

Foreign Currency transactions of Indian operations and non-integral foreign operations are accounted for as per Accounting Standard-11 (AS-11) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

3.1 Translation in respect of Indian operations

1. Foreign exchange transactions are recorded at the Weekly Average Rate (WAR) notified by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI).
2. Foreign currency assets and liabilities are translated at the closing rates notified by FEDAI at the year end.
3. Acceptances, endorsements and other obligations and guarantees in foreign currency are carried at the closing rates notified by FEDAI at the year end.
4. Exchange differences arising on settlement and translation of foreign currency assets and liabilities at the end of the financial year are recognized as income or expenses in the period in which they arise.
5. Outstanding forward exchange contracts are disclosed at the Contracted rates, and revalued at FEDAI closing rates, and the resultant effect is recognized in the Profit and Loss account.

3.2 Translation in respect of non-integral foreign operations.

Foreign branches are classified as non-integral foreign operations and the financial statements are translated as follows:

1. Assets and liabilities including contingent liabilities are translated at the closing rates notified by FEDAI at the year end.
2. Income and expenses are translated at the Quarterly Average Closing rate notified by FEDAI at the end of the respective quarter.
3. All resulting exchange differences are accumulated in a separate account "Foreign Currency Translation Reserve" (FCTR) till the disposal of the net investments..

4. INVESTMENTS

4.1 The entire investment portfolio of the Bank is classified in accordance with the RBI guidelines into three categories viz.

- Held To Maturity (HTM)
- Available For Sale (AFS)
- Held For Trading (HFT)

The securities acquired with the intention to be held till maturity are classified under **"HTM"** category. The securities acquired with the intention to trade by taking advantage of short–term price / interest movements are classified as **"HFT".** All other securities which do not fall under any of the two categories are classified under **"AFS"** category.

An investment is classified as Held to Maturity, Available for Sale or Held for Trading at the time of its purchase/acquisition and subsequent shifting is done in conformity with the Regulatory guidelines. Transfer of scrips, if any, from one category to another is done at the lowest of acquisition cost/book value/market value on the date of transfer and depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

Investment in Subsidiaries and Associates are classified as Held to Maturity.

4.2.1 Profit on sale of securities under HTM category is first taken to Profit and Loss account and thereafter appropriated to Capital Reserve account (net of taxes and amount required to be transferred to statutory reserves) and loss, if any, charged to Profit & Loss account.

4.2.1 Investments in India are valued in accordance with RBI guidelines, as under:

a) Securities in **HTM** category are valued at acquisition cost except where the acquisition cost is higher than the face value, in which case, such excess of acquisition cost over the face value is amortised over the remaining period of maturity. Any diminution, other than temporary, in value of investments in subsidiaries/joint ventures/Associates which are included under HTM category is recognized and provided. Such

जाता है। दिनांक 23.08.2006 के बाद जोखिम पूँजी निधियों के यूनिटों (वीसीएफ) में किये गये निवेश, प्रारंभिक 3 वर्ष की अवधि के लिए एचटीएम वर्ग के अधीन वर्गीकृत किये जाते हैं तथा उनका मूल्यांकन, लागत पर किया जाता है।

बी) अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों तथा सहयोगियों में किये गये निवेश ऐतिहासिक लागत पर लिये जाते हैं। प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) में निवेश का मूल्यांकन, रखाव लागत पर किया जाता है (यथाः बही मूल्य)

सी) ''**एएफएस**'' प्रवर्ग में निवेशों का मूल्यांकन, बाज़ार मूल्य पर, तिमाही अंतराल पर स्क्रिपवार तथा वर्गीकरणवार किया जाता है। यदि कोई निवल मूल्यह्रास हो, तो उसे लाभ–हानि लेखे में शामिल किया जाता है, जबकि कोई निवल मूल्यवृद्धि होने पर उसकी उपेक्षा कर दी जाती हे। इस प्रवर्ग में बाज़ार को अंकित करने के बाद वैयक्तिक प्रतिभूतियों के बही मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है।

डी) ''**एचएफटी**'' प्रवर्ग में रखी गई वैयक्तिक स्क्रिपों को दैनिक अंतराल पर बाज़ार को अंकित किया जाता है। निवल मूल्यह्रास, यदि हो, तो लाभ व हानि लेखे में उसका प्रावधान किया जाता है जबकि निवल मूल्यवृद्धि, यदि कोई हो, पर ध्यान नहीं दिया जाता है। वैयक्तिक प्रतिभूतियाँ, जो इस प्रवर्ग में है, के बही मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है।

ई) ''**एएफएस**'' एवं ''**एचएफटी**'' प्रवर्गों में प्रतिभूतियों का मूल्यांकन निम्नवत् किया जाता है :

I. केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यांकन संयुक्त रूप से प्राइमरी डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया तथा फिक्स्ड इन्कम मनी मार्केट एण्ड डेरिवेटिव्ज एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआईएमएमडीए) द्वारा संयुक्त रूप से घोषित मूल्यों/ परिपक्वता प्रतिफल (वाईटीएम) दरों के आधार पर किया जाता है।

ii. राज्य सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन पीडीएआई / एफ़आईएमएमडीए द्वारा निकाली गई समतुल्य परिपक्वता की केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों के प्रतिफ़ल से 25 बेसिस प्वाइंट बढ़ाते हुए वाईटीएम पद्धति का अनुप्रयोग करते हुए किया जाता है।

iii. कोट होने पर ईक्विटी शेयरों का मूल्यांकन बाज़ार मूल्य पर किया जाता है। कोट न होनेवाले ईक्विटी शेयरों को उनके ब्रेक–अप मूल्य पर (पूनर्मूल्यन रिज़र्व, यदि हो, पर ध्यान दिए बिना), कंपनी के नवीनतम तुलनपत्र (मूल्यन की तारीख से एक वर्ष के पहले का न हो), के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है। अन्यथा शेयरों का मूल्यांकन, प्रति कंपनी एक रुपया के अनुसार किया जाता है।

iv. कोट होने पर अधिमान्य शेयरों का मूल्यांकन बाज़ार मूल्य पर किया जाता है; अन्यथा समुचित वाईटीएम दरों अथवा पुनः शोधन मूल्य के आधार पर निर्धारित मूल्य, दोनों में से जो भी कम हो, पर किया जाता है।

v. अग्रिमों के रूप में रहे डिबेंचरों तथा बांडों के अलावा, सभी डिबेंचरों तथा बांडों का मूल्यांकन वाईटीएम आधार पर किया जाता है।

vi. राजकोष बिलों, जमा प्रमाण पत्रों तथा वाणिज्यिक कागज़ातों का मूल्यांकन उनकी रखाव लागत पर किया जाता है।

vii. कोट होने पर म्यूचुअल फ़ंडों की यूनिटों का मूल्यांकन बाज़ार मूल्य पर किया जाता है; अन्यथा पुनः खरीद मूल्य अथवा निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) दोनों में जो भी कम हो, पर किया जाता है। यदि निधियाँ लॉक–इन अवधि में हैं, जहां पुनःखरीदी मूल्य / बाज़ार कोट उपलब्ध नहीं हो तो, यूनिटों का मूल्यांकन एनएवी पर अथवा लॉक–इन अवधि की समाप्ति तक लागत पर किया जाता है।

viii. 23.08.2006 के बाद वेंचर कैपिटल निधियों (वीसीएफ) की यूनिटों में किए गए निवेशों को 3 वर्षों की प्रारंभिक अवधि के लिए एचटीएम संवर्ग में वर्गीकृत किया जाता है और लागत पर उनका मूल्यांकन किया जाता है। संवितरण की तारीख से तीन वर्ष के बाद, एएफएस में इसका अंतरण किया जाएगा तथा भा.रि.बैंक के दिशानिर्देशानुसार बाजार को अंकित किया जाता है।

4.3 ओवरसीज़ शाखाओं में निवेश के संबंध में, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश या मेजबान देशों के दिशानिर्देश जो भी सख्त हो, उसका पालन किया जाएगा। किसी प्रकार के दिशानिर्देश निर्धारित नहीं करनेवाले देशों में कार्यरत शाखाओं के मामले में, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है।

4.4 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देशानुसार गैर–निष्पादित निवेश (एनपीआई) की पहचान निम्न प्रकार की जाती है :

ए) प्रतिभूतियाँ / असंचयी अधिमान्य शेयर जिनमें ब्याज / नियत लाभांश / किस्त (परिपक्वता राशि को मिलाकर) देय है तथा 90 दिन की अवधि से अधिक समय तक उसका भुगतान नहीं किया गया है।

बी) अगर बैंक से जारीकर्ता द्वारा प्राप्त कोई ऋण सुविधा को गैर–निष्पादित अग्रिम माना गया है, तो उसी जारीकर्ता द्वारा जारी की गई किसी भी प्रतिभूति में निवेश को एनपीआई के रूप में माना जाएगा।

4.5 प्रतिभूतियों की लागत में से दलाली / कमीशन / अंशदानों पर प्राप्त प्रोत्साहन को घटा दिया जाता है। प्रतिभूतियों के अर्जन के संबंध में अदा की गयी दलाली / कमीशन / स्टांप शुल्क को राजस्व व्यय माना जाता है।

4.6 व्यापार के लिए ब्याज दरों की अदला–बदली के लेनदेनों को तिमाही अंतरालों में बाजार मूल्य पर अंकित किया जाता है। कुल अदला–बदलियों के उचित मूल्य का आकलन, तुलन–पत्र की तारीख पर अदला–बदली करारों के समाप्त किए जाने पर प्राप्त / प्राप्य या प्रदत्त / प्रदेय राशि के आधार पर किया जाएगा। इससे होनेवाली हानियाँ, यदि हो, के लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है, जबकि लाभ यदि हो, पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

4.7 विनिमय में व्यापार किए जाने वाले विदेशी विनिमय व्युत्पन्न अर्थात् मुद्रा वायदे, विनिमय निर्धारित मूल्यों पर मूल्यांकित किए जाते हैं और परिणामस्वरूप होने वाले लाभ या हानि को लाभ व हानि लेखा में दर्शाया जाता है।

4.8 एफसीएनआर (बी) डालर जमाओं के लिए भारिबैंक की वायदा विनिमय अदला बदली सुविधा से मिलने वाले प्रीमियम / ब्याज को अदला – बदली संविदा अवधि में व्यय के रूप में परिशोधित किया जाता है।

4.9 केन्द्र सरकार की गारंटी द्वारा समर्थित निवेश हालांकि अतिदेय हैं, को केवल तभी गैर निष्पादक आस्ति (एनपीए) माना जाएगा जब गारंटी का आह्वान करने पर सरकार गारंटी को अस्वीकार करती है।

4.10 राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियों में निवेश, जिसमें ''मानित अग्रिमों'' की प्रकृतिवाले निवेश भी शामिल हैं, का आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किया जाता है, जब ब्याज / मूलधन की किस्त (परिपक्वता संप्राप्तियों सहित) अथवा बैंक को देय कोई अन्य राशि का 90 से अधिक दिनों तक भुगतान नहीं होता है।

diminution is being determined and provided for each investment individually. Investment in units of Venture Capital funds (VCF) made after 23.08.2006 are classified under HTM category for initial period of 3 years and valued at cost.

b) Investment in Subsidiaries, Joint Ventures and Associates are valued at historical cost. Investment in sponsored Regional Rural Banks (RRB) are valued at carrying cost (i.e. Book value).

c) Investments in **AFS** category are marked to market, scrip-wise and classification wise, at quarterly intervals. Net depreciation, if any, is provided for in the Profit and Loss account while net appreciation, if any, is ignored. The book value of the individual securities does not undergo any change after marking to market.

d) The individual scripts in the **HFT** category are marked to market at daily intervals. Net depreciation, if any, is provided for in the Profit and Loss account while net appreciation, if any, is ignored. The Book Value of the individual securities in this category does not undergo any change.

e) Securities in **AFS and HFT** categories are valued as under:

I. Central Government Securities are valued at prices / YTM rates as announced by Primary Dealers Association of India (PDAI) jointly with Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA).

ii. State Government and Other approved securities are valued applying the YTM method by marking up 25 basis points above the yields of the Central Government Securities of equivalent maturity put out by PDAI / FIMMDA periodically.

iii. Equity shares are valued at market price, if quoted. Unquoted equity shares are valued at break-up value (without considering revaluation reserves if any) as per the company's latest balance sheet (not more than one year prior to the date of valuation). Otherwise, the shares are valued at Re. 1 per company.

iv. Preference shares are valued at market price, if quoted; otherwise at lower of the value determined based on the appropriate YTM rates or redemption value.

v. All debentures/bonds, other than those which are in the nature of advances, are valued on the YTM basis.

vi. Treasury bills, Certificate of deposits and Commercial papers are valued at carrying cost.

vii. Units of Mutual Funds are valued at market price, if quoted; otherwise at lower of repurchase price or Net Asset Value (NAV). In case of funds with a lock-in period, where repurchase price / market quote is not available, units are valued at NAV, else valued at cost till the end of the lock-in period.

viii. Investment in units of Venture Capital funds (VCF) made after 23.08.2006 are classified under HTM category for initial period of 3 years and valued at cost. After period of 3 years from the date of disbursement, it will be shifted to AFS and marked-to-market as per RBI guidelines. .

4.3 In respect of investment at Overseas branches, RBI guidelines or those of the host countries whichever are more stringent are followed. In case of those branches situated in countries where no guidelines are specified, the guidelines of RBI are followed.

4.4 Non-performing investment (NPI) are identified as stated below, as per guidelines issued by RBI.

a) Securities/Non-cumulative Preference shares where interest/fixed dividend/installment (including maturity proceeds) is due and remains unpaid for more than 90 days.

b) If any credit facility availed by the issuer from the Bank is a Non-performing advance, investment in any of the securities issued by the same issuer is also treated as NPI.

4.5 Brokerages / Commission / incentive received on subscriptions are deducted from the cost of securities. Brokerage / Commission / Stamp duty paid in connection with acquisition of securities are treated as revenue expenses.

4.6 Interest Rate Swap transactions for trading is marked to market at quarterly intervals. The fair value of the total swaps is computed on the basis of the amount that would be received/ receivable or paid/ payable on termination of the swap agreements as on the balance sheet date. Losses arising there from, if any, are fully provided for, while the profit, if any, is ignored.

4.7 Exchange traded FX Derivatives i.e. Currency Futures, are valued at the Exchange determined prices and the resultant gains and losses are recognized in the Profit and Loss account.

4.8 Premium/interest arising at the inception of forward exchange swap facility of RBI for FCNR (B) dollar deposits is amortized as expense over the period of the swap contract.

4.9 Investments backed by guarantee of the Central Government though overdue are treated as Non Performing Asset (NPA) only when the Government repudiates its guarantee when invoked.

4.10 Investment in State Government guaranteed securities, including those in the nature of 'deemed advances', are subjected to asset classification and provisioning as per prudential norms if interest/ installment of principal (including maturity proceeds) or any other amount due to the Bank remains unpaid for more than 90 days.

4.11 प्रत्येक श्रेणी में निवेशों की लागत भारित औसत लागत विधि से निर्धारित की जाती है। एचटीएम के अंतर्गत वर्गीकृत निवेश, भारित औसत लागत विधि के प्रयोग से परिकलित अधिग्रहण लागत पर धारित किये जाते हैं और अगर भारित औसत लागत अंकित मूल्य से अधिक होता है तो परिपक्वता की शेष अवधि में प्रीमियम परिशोधित हो जाता है।

4.12 रेपो एवं रिवर्स रेपो लेनदेनों के लिए लेखाकरण :

ए. भारिबैं के साथ तरलता समायोजन सुविधाएं (एलएएफ) के तहत : भारिबैंक के साथ तरलता समायोजन सुविधाएं (एलएएफ) के तहत क्रय /विक्रय किए गए प्रतिभूतियों को निवेश खाते में नामे/जमा किया जाता है एवं लेनदेन की परिपक्वता पर रिवर्स किया जाता है। व्यय किये गये खर्च / अर्जित किए गए ब्याज को व्यय / राजस्व के रूप में हिसाब रखा जाता है।

बी. भारिबैं के साथ लेनदेनों के अलावा तरलता समायोजन सुविधाएं (एलएएफ) के तहत : रेपो/ रिवर्स रेपो के तहत बेची गई और खरीदी गई प्रतिभूतियों को संपार्श्विक उधार और उधार लेनदेनों के रूप में लिया जाता हैं। हालांकि, प्रतिभूतियों को सामान्य एकमुश्त बिक्री / खरीद लेनदेनों के मामले में अंतरित किए जाते हैं और इस प्रकार के प्रतिभूति के उतार – चढ़ाव, रेपो/रिवर्स रेपो खातों और प्रति–प्रविष्टियों के प्रयोग से परिलक्षित होता है। उपरोक्त प्रविष्टियाँ परिपक्वता की तारीख पर प्रतिवर्तित हो जाती है। मामले के आधार पर लागत एवं राजस्व को ब्याज व्यय/आय के रूप में लिया जाएगा। रेपो खाते में शेष, अनुसूची 4 (उधार) के तहत वर्गीकृत है और रिवर्स रेपो खाते में शेष, अनुसूची 7 (बैंकों में शेष एवं मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि) के तहत वर्गीकृत है।

5. पुनर्निर्माण कंपनियों (आरसी) को बेची गई वित्तीय आस्तियाँ :

5.1 पुनर्निमाण कंपनियों (आरसी) द्वारा, उन्हें बेची गई वित्तीय आस्तियों के संबंध में जारी की गई प्रतिभूति रसीदों को उनके प्रतिदेय मूल्य और वित्तीय आस्तियों के निवल बही मूल्य, से कम स्तर पर मूल्यांकित किया जाता है। प्रतिभूति रसीद को आरसी द्वारा तुलन पत्र के दिनांक पर घोषित निवल परिसंपत्ति मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है और मूल्यह्रास होने पर उसके लिए प्रावधान किया जाता है तथा मूल्यवृद्धि होने पर उसपर ध्यान नहीं दिया जाता।

5.2 आरसी को बेची गयी वित्तीय आस्तियों के मामले में उनका मूल्यांकन और आय की पहचान, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। अगर बिक्री मूल्य, निवल बही मूल्य (एनबीवी) से कम है (यथा, बही मूल्य से रखे गये प्रावधान घटाने के बाद का मूल्य) तो भारतीय रिज़र्व बैंक के विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार उससे होनेवाली कमी को लाभ व हानि खाते में नामे डाला जाएगा या रखी गयी अस्थायी प्रावधान का प्रयोग करते हुए इसका समंजन किया जाएगा।

यदि प्राप्त नकदी (आरंभिक प्रतिफल और/या प्रतिभूति रसीदों के मोचन के जरिए) आरसी को बेची गई अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के निवल बही मूल्य से अधिक होती है तो अतिरिक्त प्रावधान को लाभ एवं हानि खाते में प्रत्यावर्तित किया जाता है। लाभ एवं हानि खाते में प्रत्यावर्तित किए गए अतिरिक्त प्रावधान की प्रमात्रा उस सीमा तक सीमित है जिस सीमा तक प्राप्त नकदी बेची गई अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के निवल बही मूल्य से अधिक होती है।

6 अग्रिम

6.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार भारत में अग्रिमों को उधारकर्ता–वार मानक, अव–मानक, संदिग्ध और हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

6.2 अनर्जक अग्रिमों के लिए प्रावधान निम्नानुसार किए गए हैं :

ए) अवमानक

I) 01.10.2014 से पहले वर्गीकृत और/या श्रेणीबद्ध जमानती और बेजमानती, दोनों वर्गों के लिए 25 प्रतिशत

ii) 01.10.2014 को या के बाद अवमानक के रूप वर्गीकृत खाते

ए) बेजमानती जोखिम वाले खातों के लिए– 25 प्रतिशत

बी) अन्य – 15 प्रतिशत

बी) संदिग्ध वर्ग– 1

I) 01.07.2011 से पहले वर्गीकृत और/या श्रेणीबद्ध जमानती और बेजमानती वर्ग दोनों के लिए 100 प्रतिशत

ii) 30.06.2011 के बाद वर्गीकृत और/या श्रेणीबद्ध जमानती खातों के लिए– 25 प्रतिशत

iii) बेजमानती भागों के लिए– 100 प्रतिशत

सी) संदिग्ध वर्ग– 2

I) 01.07.2011 के पहले वर्गीकृत और/या श्रेणीबद्ध जमानती और बेजमानती वर्ग दोनों के लिए 100 प्रतिशत

ii) 30.06.2011 के बाद वर्गीकृत और/या श्रेणीबद्ध जमानती खातों के लिए– 40 प्रतिशत

iii) बेजमानती भागों के लिए– 100 प्रतिशत

डी) संदिग्ध वर्ग– 3 एवं हानि अग्रिम – 100 प्रतिशत

6.3 पुनर्गठित / पुनर्संरचित मानक अग्रिम सहित मानक अग्रिमों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुसार प्रावधान किया जाता है।

6.4 विदेशी शाखाओं के मामले में ऋण हानियों के लिए आय–निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधान, स्थानीय आवश्यकताओं अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों में से जो भी अधिक सख्त हो, के अनुसार किया जाता है।

आगे, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किये गये विनियमों के संबंध में अगर कोई आस्ति को बैंक के समुद्रपार बही में किसी भी समय गैर– निष्पादित आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाना है तो बैंक द्वारा ऋणकर्ता को प्रदान की गई सभी सुविधाओं तथा ऋणकर्ता द्वारा जारी की गयी सभी प्रतिभूतियों में निवेश को एनपीए / एनपीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

तथापि, मेजबान विनियामकों द्वारा खातों को वसूली से अन्य कारणवश गैर निष्पादित / बाधित आस्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो भारत में वित्तीय विवरणियों के समेकन करते समय उन्हें एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा तथा आवश्यकतानुसार प्रावधान किया जाएगा, जबकि उसी प्रतिपक्षकारों को अन्य क्षेत्राधिकार में (भारत को सम्मिलत कर) प्रदत्त अन्य ऋण एक्सपोजर के संबंध में आस्ति वर्गीकरण, संबंधित क्षेत्राधिकार में विद्यमान दिशानिर्देशों से अधिशासित होगा।

4.11 Cost of investments is determined based on the Weighted Average Cost method in each category. Investments classified under HTM are carried at acquisition cost as arrived under Weighted Average Cost method and in case the weighted average cost is more than the face value, the premium is amortised over the remaining period of maturity.

4.12 Accounting for Repo/Reverse Repo transactions:

a. Under the Liquidity Adjustment Facility (LAF) with the RBI: Securities purchased/sold under LAF with RBI are debited/credited to Investment Account and reversed on maturity of the transaction. Interest expended/earned thereon is accounted for as expenditure/revenue.

b. Other than transactions under the Liquidity Adjustment Facility (LAF) with the RBI: The securities sold and purchased under Repo/Reverse Repo are accounted as Collateralised lending and borrowing transactions. However, securities are transferred as in the case of normal outright sale/purchase transactions and such movement of securities is reflected using the Repo/Reverse Repo Accounts and Contra entries. The above entries are reversed on the date of maturity. Costs and revenues are accounted as Interest expenditure/income, as the case may be. Balance in Repo Account is classified under Schedule 4 (Borrowings) and balance in Reverse Repo Account is classified under Schedule 7 (Balance with Banks and Money at Call & Short Notice).

5. FINANCIAL ASSETS SOLD TO RECOVERY COMPANIES (RC)

5.1 Security Receipts (SR) issued by RCs in respect of financial assets sold to them is recognized at lower of redemption value of SRs and Net Book Value of financial assets. SRs are valued at Net Asset Value declared by RCs on the Balance Sheet date and depreciation, if any, is provided for and appreciation is ignored.

5.2 In case of financial assets sold to RC, the valuation and, income recognition is being done as per RBI Guidelines. If the sale is for value lower than the Net Book Value (NBV) (i.e, book value less provisions held), the shorfall is debited to the Profit and Loss account or met out of utilisation of Floating provision held, as per extant RBI guidelines

If the cash received (by way of initial consideration and /or redemption of security receipts) is higher than the Net Book value of the Non Performing Asset (NPA) sold to RC, then excess provision is reversed to the profit and Loss account. The quantum of excess provision reversed to profit and loss account is limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the NPA sold.

6 ADVANCES

6.1 In accordance with the prudential norms issued by RBI, advances in India are classified into Standard, Sub-Standard, Doubtful and Loss assets borrower-wise.

6.2 Provisions are made for non performing advances as under:

a) Sub Standard:

I) 25% both for secured and unsecured category classified and / or categorized before 01.10.2014

ii) For accounts classified as Sub-Standard on or after 01.10.2014:

a) Accounts with unsecured exposures – 25%

b) Others - 15%

b) Doubtful category-1

I) 100 % for secured and unsecured classified and / or categorized before 01.07.2011.

ii) 25 % for secured classified and / or categorized after 30.06.2011

iii) 100% for Unsecured portion.

c) Doubtful Category – 2

I) 100 % for secured and unsecured classified and / or categorized before 01.07.2011

ii) 40 % for secured classified and / or categorized after 30.06.2011

iii) 100% for Unsecured portion.

d) Doubtful category-3 and Loss advances – 100 %.

6.3 Provision is made for standard advances including Restructured / Rescheduled standard advances as per RBI directives.

6.4 In respect of foreign branches, income recognition, asset classification and provisioning for loan losses are made as per local requirement or as per RBI prudential norms, whichever is more stringent.

Further, if an asset in the overseas books of the Bank requires to be classified as NPA at any point of time in terms of regulations issued by Reserve Bank of India, then all the facilities granted by the bank to the borrower and investment in all the securities issued by the borrower will be classified as NPAs/NPIs.

However, accounts classified as Non-performing/ Impaired assets (NPAs) by host regulators for reasons other than record of recovery, would be classified as NPAs at the time of consolidating financial statements in India and provided for, as required; whereas asset classification of other credit exposures to the same counterparties in other jurisdictions (including India) will continue to be governed by the extant guidelines in the respective jurisdictions.

6.5 प्रकट किये गए अग्रिम, गैर–निष्पादित आस्तियों, डीआईसीजीसी / ईसीजीसी / सीजीटीएमएसई से प्राप्त तथा समायोजन हेतु लंबित रखे गए दावों, विविध खाते में प्राप्त और रखी गई चुकौतियों, सहभागिता प्रमाण–पत्रों एवं पुनः भुनाये गये मियादी बिलों के लिए किए गए प्रावधानों और मानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत पुर्नगठित खातों के उचित मूल्य में अधित्याग के बदले प्रावधान के बाद निवल हैं।

7. अचल आस्तियाँ / मूल्यह्रास

7.1. परिसर तथा अन्य अचल आस्तियों का हिसाब उनकी परंपरागत लागत पर और पुनर्मूल्यांकित आस्तियों को पुनर्मूल्यांकित मूल्य पर दिखाया गया है।

7.2. भारत में, इमारतों (जमीन की कीमत सहित जहां कहीं अवियोज्य/पृथक नहीं है) एवं अन्य अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास, मूल्यह्रास की सीधी रेखा पद्धति से उसी दर पर जिस पर उन्हें प्रभारित किया गया था, निम्नानुसार किया जाता है :

क्रम संख्या	आस्ति की प्रकृति	मूल्यह्रास की दर एसएलएम
I	इमारतें	1.63%
II	अन्य अचल आस्तियाँ	
	1. सामान्य संयंत्र व मशीनें	4.75%
	2. फ़र्निचर एवं फिक्सचर	6.33%
	3. विद्युत चालित मशीनरी और फिटिंग	7.07%
	4. साइकिलें	7.07%
	5. स्कूटर, मोटर साइकल, जीप	9.50%
	6. वैन	11.31%
	7. सिक्के वेंडिंग मशीन	16.66%
	8. मोटर कार	20.00%
	9. डाटा प्रसंस्करण मशीनें कम्प्यूटर एवं यूपीएस सहित	33.33%
	10. सेलफोन एवं 5000 रुपए तक की छोटी कीमत की वस्तुएँ	100.00%

7.3. पुनर्मूल्यांकित घटक से संबन्धित मूल्यह्रास, पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि पर प्रभारित किया जाता है । 30 सितंबर से पहले अधिगृहीत अचल आस्तियों पर निर्धारित दरों का 100 प्रतिशत और उसके बाद अधिगृहीत अचल आस्तियों के लिए निर्धारित दरों का 50 प्रतिशत मूल्यह्रास प्रभारित किया जाता है। बिक्री / निपटान के वर्ष में अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास का कोई प्रावधान नहीं किया जाता।

7.4. पट्टेवाली भूमि पर प्रीमियम, अधिग्रहण के वर्ष में पूंजीकृत किया जाता है और पट्टे की अवधि पर परिशोधित किया जाता है।

7.5. विदेशी शाखाओं की अचल आस्तियों के संबंध में मूल्यह्रास की व्यवस्था उन देशों में प्रचलित पद्धतियों के अनुसार की जाती है।

7.6. गैर–बैंकिंग आस्तियों (एनपीए) के संबंध में कोई मूल्यह्रास प्रभारित नहीं किया जाता है।

8. राजस्व पहचान

8.1 आय और व्यय को, जब तक अन्यथा नहीं कहा जाए, सामान्यतः संचयी आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

8.2 गैर–निष्पादक आस्तियों, सरकार द्वारा गारंटीकृत आस्तियों (जो 90 दिनों से ज्यादा अतिदेय हैं) लाभांश आय, बीमा दावे, जारी किये गये साख–पत्रों / गारंटियों पर कमीशन (परियोजना वित्त से इतर), बैंक एश्यूरेन्स उत्पादों पर कमीशन, धन प्रबंधन पर आय, खरीदे गए बिलों पर अतिरिक्त ब्याज / अतिदेय प्रभार, लॉकर किराया, क्रेडिट कार्डों पर वित्तीय प्रभार, पुनः क्षतिपूरित करने के बैंक के अधिकार पर व्यय आदि को उनकी वसूली होने पर हिसाब में लिया गया है।

8.3 अतिदेय विदेशी बिलों के मामले में, ब्याज और अन्य प्रभारों को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फ़ेडाई) के दिशानिर्देशों के अनुसार किस्ट्रलीकरण की तारीख तक माना गया है।

9. क्रेडिट कार्ड पुरस्कार प्वाइंट

कार्ड सुविधा के उपयोग पर कार्ड सदस्यों द्वारा अर्जित पुरस्कार प्वाइंटों को इस प्रकार के उपयोग के कारण व्यय के रूप में पहचाना जाता है।

10. निवल लाभ / हानि

निम्नलिखित पर विचार करने के पश्चात्, लाभ व हानि लेखे में दर्शाया गया परिणाम :

- गैर निष्पादक अग्रिमों और / अथवा निवेशों के लिए प्रावधान
- मानक अग्रिमों पर सामान्य प्रावधान
- पुनः संरचित अग्रिमों हेतु प्रावधान
- अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान
- निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान
- आकस्मिकता निधि को / से अंतरण
- प्रत्यक्ष करों के लिए प्रावधान
- सामान्य अथवा / और अन्य आवश्यक प्रावधान

11. स्टाफ सेवानिवृत्ति लाभ

I) **भविष्य निधि**

भविष्य निधि एक वैधानिक दायित्व है और अंशदायी भविष्य निधि का विकल्प चुननेवालों के मामले में बैंक पूर्वनिर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान अदा करता है। ऐसे निश्चित अंशदान की राशि तक ही बैंक का दायित्व सीमित है। इन अंशदानों को लाभ एवं हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है। निधि का प्रबंध इंडियन बैंक स्टाफ भविष्य निधि न्यास द्वारा किया जाता है ।

ii) **उपदान**

इंडियन बैंक कर्मचारी उपदान निधि नियमों एवं विनियमनों के अनुसार उपदान देयता एक वैधानिक दायित्व है और वित्तीय वर्ष के अंत में किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर इसके लिए प्रावधान किया जाता है। बैंक द्वारा उपदान देयता का निधीयन किया जाता है और इसका प्रबंध इंडियन बैंक कर्मचारी उपदान निधि न्यास द्वारा किया जाता है।

iii) **पेंशन**

ए) इंडियन बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियमन 1995 के तहत पेंशन देयता एक परिभाषित लाभकारी दायित्व है तथा 31.03.2010 तक बैंक में भर्ती हुए और पेंशन का विकल्प देनेवाले कर्मचारियों को यह बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान की जाती है।

6.5 Advances disclosed are net of provisions made for non-performing assets, DICGC/ ECGC/ CGTMSE claims received and held pending adjustment, repayments received and kept in sundries account, participation certificates , usance bills rediscounted and provision in lieu of diminution in the fair value of restructured accounts classified as standard assets..

7. FIXED ASSETS / DEPRECIATION

7.1. Premises and other fixed assets are stated at historical cost and at revalued amount in respect of assets revalued.

7.2. Depreciation on buildings (including cost of land wherever inseparable/ not segregated) and other fixed assets in India is provided for on the straight-line method at the same rates in which the said assets were charged, as specified below:

SL. No.	Nature of Asset	Rate of Depn. (SLM)
I	buildings	1.63%
II	Other Fixed Assets	
	1. General Plant and Machinery	4.75%
	2. Furniture, Fixtures	6.33%
	3. Electrical Machinery and Fittings	7.07%
	4. Cycles	7.07%
	5. Scooters, Motor Cycles, Jeeps	9.50%
	6. Vans	11.31%
	7. Coin Vending Machine	16.66%
	8. Motor cars	20.00%
	9. Data processing machines including computers and UPS	33.33%
	10. Cell Phones and on small value items costing upto ₹ 5000/-	100.00%

7.3. Depreciation relatable to revalued component is charged against revaluation reserve. Depreciation on fixed assets acquired on or before 30th September is charged at 100% of the prescribed rates and at 50% of the prescribed rates on the fixed assets acquired thereafter. No depreciation on the fixed assets is provided for in the year of sale / disposal.

7.4. Premium on leasehold land is capitalised in the year of acquisition and amortized over the period of lease.

7.5. Depreciation in respect of fixed assets at foreign branches is provided as per the practice prevailing in the respective countries.

7.6. In respect of Non Banking Assets, no depreciation is charged.

8. REVENUE RECOGNITION

8.1 Income and expenditure are generally accounted for on accrual basis, unless otherwise stated.

8.2 Income from non-performing assets, Central Government guaranteed assets (where it is overdue beyond 90 days), dividend income, insurance claims, commission on letters of credit/ guarantees issued (other than those relating to project finance), income from Bancassurance products, income from wealth management, additional interest/ overdue charges on bills purchased, locker rent, finance charges on credit cards, income on Bank's right to recompense, AMC charges on debit cards are accounted for on realisation.

8.3 In case of overdue foreign bills, interest and other charges are recognised till the date of crystallisation as per FEDAI guidelines.

9. CREDIT CARD REWARD POINTS

Reward points earned by card members on use of Card facility is recognized as expenditure on such use.

10. NET PROFIT / LOSS

The result disclosed in the Profit and Loss Account is after considering:

- Provision for Non-Performing Advances and / or Investments
- General provision on Standard Advances
- Provision for Restructured Advances
- Provision for Depreciation on Fixed Assets
- Provision for Depreciation on Investments
- Transfer to/ from Contingency Fund
- Provision for direct taxes
- Usual or/and other necessary provisions

11. STAFF RETIREMENT BENEFITS

I) PROVIDENT FUND

Provident fund is a statutory obligation and in the case of Contributory Provident Fund Optees, the Bank pays fixed contribution at pre-determined rates. The obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to Profit and Loss Account. The fund is managed by Indian Bank Staff Provident Fund Trust.

ii) GRATUITY

Gratuity liability is a statutory obligation as per Indian Bank Employees' Gratuity Fund Rules and Regulations and is provided for on the basis of an actuarial valuation made at the end of the financial year. The gratuity liability is funded by the Bank and is managed by Indian Bank Employees Gratuity Fund Trust.

iii) PENSION

a) Pension liability is a defined benefit obligation under Indian Bank (Employees) Pension Regulations 1995 and is provided for on the basis of actuarial valuation, for the employees who have joined Bank up to 31.03.2010 and opted for pension.

बी) नई पेंशन योजना (एनपीएस) जो उन कर्मचारियों पर लागू होती है, जिनकी भर्ती बैंक में 01.04.2010 के बाद हुई है और यह एक परिभाषित अंशदान योजना है। एनपीएस के अंतर्गत बैंक पूर्व निर्धारित दर पर एक निश्चित अंशदान अदा करता है और बैंक का दायित्व ऐसे निश्चित अंशदान तक सीमित है। इस अंशदान को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

iv) क्षतिपूरित अनुपस्थितियाँ

संचित क्षतिपूरित अनुपस्थितियाँ, जैसे विशेषाधिकार अवकाश और चिकित्सा अवकाश, के लिए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया जाता है।

v) **अन्य कर्मचारी सुविधाएँ**

अन्य कर्मचारी सुविधाएँ जैसे छुट्टी भुनाना, छुट्टी यात्रा रियायत और सेवानिवृत्ति के बाद अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ, बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध करवाए जाते हैं। समुद्रपारीय शाखाओं एवं कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति के अलावा कार्यरत कर्मचारियों से संबन्धित लाभ तत्संबंधी कार्याधिकार क्षेत्रों के कानून के तहत मूल्यांकित एवं लेखाबद्ध किए जाते हैं।

12. पट्टे हेतु लेखांकन

परिचालनगत पट्टों पर ली गई आस्तियों हेतु पट्टा भुगतानों को कीमत वृद्धि सहित पट्टा अवधि या आस्ति की अवधि, जो कम हो, के दौरान लाभ व हानि खाते में अभिज्ञात किये जाते है।

13. आकस्मिक देयताएं और प्रावधान :

13.1 आकस्मिक देयता : पहले किए गए क्रियाकलापों को जिनसे वर्तमान में संभाव्य बाध्यताएं हो सकती हैं, निम्न दशाओं में आकस्मिक देयता के रूप में पहचाने जाते हैं, जहां :

(ए) ऐसी बाध्यताओं का अस्तित्व पुष्टिकृत नहीं किया गया है।

(बी) ऐसी बाध्यताओं के निपटारे के लिए संसाधनों का बाहरी प्रवाह अपेक्षित नहीं है।

(सी) बाध्यताओं की राशि का एक विश्वसनीय आकलन नहीं किया जा सकता है।

(डी) ऐसी राशियाँ भौतिक नहीं हैं।

13.2 (ए) वर्तमान बाध्यताओं के मामले में, जहाँ विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है और/या जहाँ बहुत छोटे दावों को छोडकर बाध्यताओं का निपटान करने के लिए आर्थिक लाभों का त्याग करते हुए संसाधनों का बाहरी प्रवाह होने की संभावना है, प्रावधान की पहचान की जाती है।

(बी) बाजार जोखिमों, देश–विशेष की जोखिम आदि के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार किए जाते हैं।

(सी) बैंक प्रबंधन द्वारा अभिपहचानित रूप से फ़्लोटिंग प्रावधान की व्यवस्था की जाती है। भारिबैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार अस्थायी प्रावधान का उपयोग निम्न मदों के लिए किया जा सकता है।

(I) गैर–निष्पादित आस्तियों के लिए विशिष्ट प्रावधान रखना

(ii) गैर–निष्पादित आस्तियों में बिक्री में होनेवाली कमी की पूर्ति करना

14. आस्तियों का अनर्जक होना :

अचल आस्तियों (पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित) के संबंध में आस्तियों की हानी यदि कोई हो,लेखा मानक 28 "आस्तियों का अनर्जक होना" के अनुरूप पहचानी जाती है और उन्हें लाभ एवं हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है। तथापि, पुनर्मूल्यांकित आस्ति पर आस्तियों का अनर्जक सीधे आस्ति के लिए कोई पुनर्मूल्यन अधिशेष के रूप में पहचाना जाता है, ताकि कोई भी ह्रास आस्ति के लिए पुनर्मूल्यन अधिशेष में रखी राशि से अधिक न हो।

15. आय पर कर

15.1 वर्तमान कर एवं आस्थगित कर दोनों के लिए कर हेतु प्रावधान किया जाता है।

15.2 वर्तमान कर का मापन, कर प्राधिकारियों को अदा की जानेवाली प्रत्याशित राशि के अनुसार लागू कर दरों, कर कानूनों एवं अनुकूल न्यायिक फ़ैसलों / विधिक राय का प्रयोग करते हुए किया जाता है।

15.3 समय में अंतर के कारण उत्पन्न होनेवाली आस्थगित कर आस्तियां एवं देयताएं, जोकि आनेवाली अवधियों में रिवर्सल की क्षमता रखती हो, की पहचान, तुलन–पत्र की तिथि तक तैयार अथवा बाद में तैयार कर दरों एवं कर नियमों का प्रयोग करते हुए की जाती है। आस्थगित कर आस्तियों की पहचान तब तक नहीं की जाती जब तक ''वर्चुअल निश्चितता'' नहीं हो जाती कि पर्याप्त भविष्य कर योग्य आय उपलब्ध होगी, जिससे ऐसी आस्थगित कर आस्तियाँ उगाही जाएंगी।

b) New Pension Scheme (NPS) which is applicable to employees who joined bank on or after 01.04.2010 and it is a defined contribution scheme. Under NPS the Bank pays fixed contribution at pre determined rate and the obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss Account.

iv) COMPENSATED ABSENCES

Accumulating compensated absences such as Privilege Leave and Sick Leave are provided for based on actuarial valuation.

v) OTHER EMPLOYEE BENEFITS

Other Employee benefits such as Leave Encashment, Leave Fare Concession and Additional Retirement Benefit on Retirement are provided for based on actuarial valuation. In respect of overseas branches and offices, the benefits in respect of employees other than those on deputation are valued and accounted for as per laws prevailing in the respective territories.

12. ACCOUNTING FOR LEASES

Lease payments including cost escalation for assets taken on operating lease are recognized in the Profit and Loss Account over the lease term or life whichever is lower.

13. CONTINGENT LIABILITIES AND PROVISIONS

13.1 Contingent liability: Past events leading to, possible or present obligations are recognised as contingent liability in the following instances where:

(a) The existence of such obligations has not been confirmed

(b) no outflow of resources are required to settle such obligations

(c) a reliable estimate of the amount of the obligations cannot be made

(d) such amounts are not material

13.2 (a) Provision is recognized in case of present obligations where a reliable estimate can be made and/or where there are probable outflow of resources embodying foregoing of economic benefits to settle the obligations, excluding frivolous claims.

(b) Provision for Market Risk, Country Risk, etc., are made in terms of extant instructions of RBI.

(c) Floating provision as identified by the Bank Management is provided for. Floating provision may be utilized as per extant RBI guidelines, for -

(i) Making specific provisions for non-performing assets;

(ii) Meeting any shortfall in sale of non-performing assets.

14. IMPAIRMENT OF ASSETS

Impairment losses, if any, on Fixed Assets (including revalued assets) are recognised and charged to Profit and Loss Account in accordance with the Accounting Standard 28 “Impairment of Assets”. However, an impairment loss on a revalued asset is recognised directly against any revaluation surplus for the asset to the extent that the impairment loss does not exceed the amount held in the revaluation surplus for that same asset.

15. TAXES ON INCOME

15.1 Provision for tax is made for both Current Tax and Deferred Tax.

15.2 Current tax is measured at the amount expected to be paid to the taxation authorities, using the applicable tax rates, tax laws and favourable judicial pronouncements / legal opinion.

15.3 Deferred Tax Assets and Liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognised using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted till the date of the Balance Sheet. Deferred Tax Assets are not recognised unless there is “virtual certainty” that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets will be realised.

अनुसूची 18 – लेखों पर टिप्पणियाँ

1. पूँजी

	मदें	31.03.2016	31.03.2015
i)	सामान्य ईक्विटी टियर I पूँजी अनुपात (%)	11.68	10.61
ii)	सीआरएआर (%)		
	बेसल II	13.67	13.24
	बेसल III	13.20	12.86
iii)	सीआरएआर – टियर I पूँजी (%)		
	बेसल II	12.29	10.72
	बेसल III	12.08	10.61
iv)	सीआरएआर – टियर II पूँजी (%)		
	बेसल II	1.38	2.52
	बेसल III	1.12	2.25
v)	भारत सरकार के शेयरधारण का प्रतिशत	82.10	82.10
vi)	निर्गमित ईक्विटी पूँजी की राशि (₹ करोड़ में)	0	15.44
vii)	टियर II पूँजी के रूप में प्राप्त गौण ऋण की राशि	शून्य	शून्य
viii)	अतिरिक्त टियर I पूँजी निर्गमित की राशि, जिसमें पीएनसीपीएस : पीडीआई : (₹ करोड़ में)	500*	शून्य
ix)	टियर II पूँजी निर्गमित की राशि, जिसमें ऋण पूँजी लिखत : अधिमान शेयर पूँजी लिखत [शाश्वत संचयी अधिमान्य शेयर (पीसीपीएस) / प्रतिदेय गैर संचयी अधिमान्य शेयर (आरएनसीपीएस) / प्रतिदेय संचयी अधिमान्य शेयर (आरसीपीएस)]	शून्य	शून्य

*बेसल III कार्यान्वित अतिरिक्त टियर I (एटी 1) बांड जो प्रकृति से स्थायी होते है, को जारी कर बैंक ने वर्ष के दौरान ₹ 500 करोड़ जुटाया है।

2. निवेश

2.1. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक के देशी निवेश संविभाग को तीन संवर्गों में बाँट दिया गया है। 31.03.2015 को यह वर्गीकरण निम्न प्रकार है :

(₹ करोड़ में)

वर्गीकरण	31/03/2016		31/03/2015	
	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
परिपक्वता के लिए रखे गए – एच टी एम *	27383.61	53.96	31807.83	72.82
बिक्री के लिए उपलब्ध – एएफएस	23064.41	45.45	11725.07	26.84
व्यापार के लिए रखे गए – एचएफटी	300.63	0.59	147.24	0.34
कुल योग	50748.65	100.00	43680.15	100.00

*निवल मांग और सावधि देयताओं के प्रतिशत के रूप में देशी एचटीएम संवर्ग की देशी एसएलआर प्रतिभूतियां 21.50 प्रतिशत के अधिकतम निर्दिष्ट स्तर के विरुद्ध 16.66 प्रतिशत है। (पिछले वर्ष के लिए 23.50 प्रतिशत के अधिकतम निर्दिष्ट स्तर के विरुद्ध 22.30 प्रतिशत है)

SCHEDULE 18 - NOTES ON ACCOUNTS

1. CAPITAL

	Items	31.03.2016	31.03.2015
i)	Common Equity Tier 1 capital ratio (%)	11.68	10.61
ii)	CRAR (%)		
	Basel II	13.67	13.24
	Basel III	13.20	12.86
iii)	CRAR - Tier I Capital (%)		
	Basel II	12.29	10.72
	Basel III	12.08	10.61
iv)	CRAR - Tier II Capital (%)		
	Basel II	1.38	2.52
	Basel III	1.12	2.25
v)	Percentage of the Shareholding of the Government of India	82.10	82.10
vi)	Amount of equity capital raised (Amount in ₹ crore)	0	15.44
vii)	Amount of subordinated debt raised as Tier-II capital	NIL	NIL
viii)	Amount Additional Tier 1 capital raised; of which PNCPS: PDI: (Amount in ₹ crore)	500*	NIL
ix)	Amount of Additional Tier 2 capital raised ; of which Debt capital instrument: Preference Share Capital Instruments:[Perpetual Cumulative Preference Shares(PCPS)/Redeemable Non-Cumulative Preference Shares(RNCPS)/Redeemable Cumulative Preference Shares(RCPS)]	NIL	NIL

*Bank has raised ₹ 500 crore during the year, through issue of Basel III compliant Additional Tier I (AT1) Bonds which are perpetual in nature.

2. INVESTMENTS

2.1. In accordance with the RBI guidelines, the Bank's domestic investment portfolio has been classified into three categories. The figures as at 31.03.16 are given hereunder:

₹ in Crore

Classification	31/03/2016		31/03/2015	
	Amount	%	Amount	%
Held to Maturity -HTM *	27383.61	53.96	31807.83	72.82
Available for Sale – AFS	23064.41	45.45	11725.07	26.84
Held for Trading – HFT	300.63	0.59	147.24	0.34
Gross Total	50748.65	100.00	43680.15	100.00

*Domestic SLR securities in HTM category as a percentage of Net Demand and Time Liabilities works out to 16.66% against a stipulated maximum level of 21.50% (previous year works out to 22.30% as against a stipulated maximum level of 23.50%).

2.2. निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
(1) निवेशों का मूल्य		
(i) **निवेशों का सकल मूल्य**	**53418.32**	**45979.98**
(ए) भारत में	50748.65	43680.15
(बी) भारत के बाहर	2669.67	2299.83
(ii) **मूल्यह्रास व एनपीआई के लिए प्रावधान**	**329.00**	**277.28**
((ए) भारत में	233.98	188.06
(बी) भारत के बाहर	95.02	89.22
(iii) **निवेशों का निवल मूल्य**	**53089.32**	**45702.70**
(ए) भारत में	50514.67	43492.09
(बी) भारत के बाहर	2574.65	2210.61
(2) निवेशों व एनपीआई पर मूल्यह्रस के लिए बनाए गए प्रावधानों में वृद्धि / कमी		
(i) अथशेष	277.28	335.72
(ii) जोड़े : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	92.76	50.45
(iii) घटाएँ : वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन / खाते में डालना	41.04	108.89
(iv) अंतिम शेष	329.00	277.28

2.2.1 रेपो लेनदेन (अंकित मूल्यों में)

(₹ करोड़ में)

प्रकार	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	31 मार्च 2016 को बकाया
रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियां				
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	0.00	3848.00	705.03	3848.00
ii. कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतिया	0.00	0.00	0.00	0.00
रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियां				
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	0.00	5954.00	850.44	2288.00
ii. कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतिया	0.00	0.00	0.00	0.00

2.2. Investments

(Amount in ₹ crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
(1) Value of Investments		
(i) Gross value of investments	**53418.32**	**45979.98**
(a) In India	50748.65	43680.15
(b) Outside India	2669.67	2299.83
(ii) Provisions for Depreciation & NPI	**329.00**	**277.28**
(a) In India	233.98	188.06
(b) Outside India	95.02	89.22
(iii) Net value of Investments	**53089.32**	**45702.70**
(a) In India	50514.67	43492.09
(b) Outside India	2574.65	2210.61
(2) Movement of provisions held towards depreciation on investments & NPI		
(i) Opening Balance	277.28	335.72
(ii) Add: Provisions made during the year	92.76	50.45
(iii) Less: Write-off/ Write back of excess provisions during the year	41.04	108.89
(iv) Closing Balance	329.00	277.28

2.2.1 REPO Transactions (in face value terms):

(Amount in ₹ crore)

Type	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily average outstanding during the year	Outstanding as on March 31, 2016
Securities sold under repo				
I. Government securities	0.00	3848.00	705.03	3848.00
ii. Corporate debt securities	0.00	0.00	0.00	0.00
Securities purchased under reverse repo				
I. Government securities	0.00	5954.00	850.44	2288.00
ii. Corporate debt securities	0.00	0.00	0.00	0.00

2.2.2 गैर एसएलआर निवेश संविभाग (देशी)

i) गैर–एसएलआर निवेशों पर जारीकर्ता संरचना

(₹ करोड़ में)

सं.	जारीकर्ता	राशि	निजी आबंटन की सीमा	निवेश स्तर से निम्न वर्ग की प्रतिभूतियों की मात्रा	सूचीबद्ध नहीं की गई प्रतिभूतियों की मात्रा	दर निर्धारण नहीं की गई प्रतिभूतियों की मात्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम	4805.28	4552.41	494.51	0.00	0.00
2	वित्तीय संस्थाएं	2591.65	2310.22	0.00	0.00	17.38
3	बैंक	2430.44	2372.52	0.00	0.00	0.00
4	निजी कॉर्पोरेट	1256.99	1145.02	10.97	661.76#	43.06
5	अनुषंगी / संयुक्त उद्यम	92.36	92.36	0.00	0.00	13.49
6	अन्य	23.92	15.86	0.00	0.00	0.00
7	मूल्यह्रास व एनपीआई के प्रति धारित प्रावधान	(-) 233.98	XX	XX	XX	XX
	कुल	**10966.66**	**10488.39**	**505.48**	661.76#	73.93

रुपये 661.76 करोड़ की प्रतिभूति खरीदों को सम्मिलित कर जोकि भारिबैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रारम्भिक 6 महीनों की अवधि के लिए रेटिंग से छुट प्राप्त है।

ii) गैर–निष्पादक गैर–एसएलआर निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	2015-16	2014-15
अथ शेष	33.76	8.93
1 अप्रैल से वर्ष के दौरान जोड़	9.79	26.61
वर्ष के दौरान घटौती	3.83	1.78
अंतिम शेष	39.72	33.76
धारित कुल प्रावधान	39.72	33.76

2.2.3 एचटीएम वर्ग में / से विक्रय एवं हस्तांतरण

वर्ष की शुरुआत में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार एचटीएम वर्ग में / से विक्रय एवं हस्तांतरण का एचटीएम वर्ग में रखे गए निवेशों के बही मूल्य के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता ।

2.2.4 भारिबैंक के परिपत्र डीबीआर.बीपी.बीसी. सं. 31 / 21.04.018 / 2015–16 दि. 16.07.2015 के अनुसार बैंक ने नाबार्ड / सिडबी / एनएचबी के साथ रखी गई जमाओं को "अन्य आस्तियों" के अधीन जिसे अब तक "निवेश" के अंतर्गत शामिल किया जा रहा था, प्राथमिकता क्षेत्र ऋणद में कमियों की पूर्ति हेतु वर्गीकृत किया है। इसी प्रकार, इस तरह के जमाओं से ब्याज आय को "ब्याज आय–अन्य" शीर्ष के अंतर्गत जिसे अब तक "ब्याज आय निवेश" के अंतर्गत शामिल किया जाता था, वर्गीकृत किया गया है। चालू वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप बनाने के लिए पिछले वर्ष के आंकड़ों को भी पुनःवर्गीकृत किया गया है।

2.2.5 बैंक ने वर्ष के दौरान फॉरिन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व (एफसीटीआर) को अनुसूची 2 "आरक्षितियां और अधिशेष" के अंतर्गत दिखाया है जिसे अब तक उतार–चढ़ाव निधि" के अधीन "अन्य देयताएँ" के तहत शामिल किए गए थे को एफसीटीआर पर भारिबैंक के परिपत्र सं. डीबीआर.सं.बीपी.बीसी. 83 / 21.06.201 / 2015–16 दि. 01.03.2016 में दिए गए दिशा–निर्देशों के अनुरूप होना चाहिए । इस मौजूदा वर्गीकरण के अनुरूप ही उपर्युक्त हेतु पिछले वर्ष के आंकड़ों को भी पुनःवर्गीकृत किया गया है।

2.2.2 NON-SLR INVESTMENT PORTFOLIO (Domestic)

i) Issuer Composition of Non SLR Investments:

(Amount in ₹ crore)

No.	ISSUER	AMOUNT	EXTENT OF PRIVATE PLACEMENT	EXTENT OF BELOW INVESTMENT GRADE SECURITIES	EXTENT OF UNRATED SECURITIES	EXTENT OF UNLISTED SECURITIES
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PSU	4805.28	4552.41	494.51	0.00	0.00
2	FIs	2591.65	2310.22	0.00	0.00	17.38
3	Banks	2430.44	2372.52	0.00	0.00	0.00
4	Private Corporates	1256.99	1145.02	10.97	661.76#	43.06
5	Subsidiaries/Joint Ventures	92.36	92.36	0.00	0.00	13.49
6	Others	23.92	15.86	0.00	0.00	0.00
7	Provision held towards depreciation & NPI	(-) 233.98	XX	XX	XX	XX
	Total	**10966.66**	**10488.39**	**505.48**	661.76#	73.93

including Security Receipts of ₹ 661.76 crores which are exempted from Rating for a period of initial 6 months as per RBI guidelines

ii) Non Performing Non-SLR Investments

(Amount in ₹ crore)

Particulars	2015-16	2014-15
Opening Balance	33.76	8.93
Additions during the year since 1st April	9.79	26.61
Reduction during the above period	3.83	1.78
Closing Balance	39.72	33.76
Total Provisions held	39.72	33.76

2.2.3 Sale and Transfers to / from HTM Category:

The value of sales and transfers of securities to / from HTM category did not exceed 5 per cent of the book value of investments held in HTM category at the beginning of the year as per RBI guidelines.

2.2.4 In accordance with RBI circular DBR.BP.BC.No.31/21.04.018/2015-16 dated 16.07.2015 the bank has classified deposits placed with NABARD/SIDBI/NHB for meeting shortfall in priority sector lending under "Other Assets" which were hitherto included under "Investments". Similarly, interest income from such deposits has been classified under the head "Interest Income-Others", which was hitherto included under "Interest Income Investments". Figures for previous years have also been regrouped to conform to current year classification.

2.2.5 During the year the Bank has shown Foreign Currency Translation Reserve (FCTR) under Schedule 2, "Reserves and Surplus" hither to included under "Other liabilities" as "Exchange Fluctuation Fund", to be in line with the guidelines on FCTR given in RBI Cir. No. DBR.No.BP.BC 83/21.06.201/2015-16 dated 01.03.2016. Previous years figures for the same has also been regrouped in line with this current classification.

3. व्युत्पन्न

3.1 वायदा दर करार / ब्याज दर स्वैप (आईआर एस)

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान, बैंक ने तुलन पत्र आस्तियों की बचाव के लिए वायदा दर करार / ब्याज दर स्वैप (आईआर एस)के स्वरूप की कोई व्युत्पन्न संविदा नहीं की।

(₹ करोड़ में)

मदें	31.03.2016	31.03.2015
i) अदला–बदली करार का अनुमानित मूलधन	0.00	0.00
ii) करार के अंतर्गत अपनी बाध्यताओं को पूरा करने में यदि विपक्षी पक्षकार चूक करें तो वहन की जानेवाली हानियाँ	शून्य	शून्य
iii) स्वैप करार करने पर बैंक को आवश्यक संपार्श्विक प्रतिभूति	शून्य	शून्य
iv) स्वैप से उत्पन्न होनेवाला जोखिमों का संकेन्द्रण	0.00	0.00
v) स्वैप बही का उचित मूल्य	0.00	0.00

3.2 विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पाद :

पुनरीक्षा वर्ष के दौरान बैंक ने विनिमय व्यापार किए गए ब्याज दर व्युत्पन्न के लिए कोई करार नहीं किया है।

क्रम सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
i.	वर्ष के दौरान किये गये विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न का अनुमानित मूलधन (लिखत वार) ए) बी) सी)	शून्य	शून्य
	31 मार्च 2015 को विनिमय व्यापार किये गये ब्याज दर व्युत्पन्न के अनुमानित मूलधन का बकाया (लिखत वार) ए) बी) बी)	शून्य	शून्य
	वित्तीय व्यापार किये गये ब्याज दर व्युत्पन्न के अनुमानित मूलधन का बकाया तथा अधिक प्रभावात्मक न रहनेवाले (लिखत वार) ए) बी) बी)	शून्य	शून्य
	विनिमय व्यापार किये गये ब्याज दर व्युत्पन्न के बाजार मूल्य को बही में अंकित राशि का बकाया (लिखत वार) ए) बी) बी)	शून्य	शून्य

3.3 व्युत्पन्नों में ऋण जोखिम पर प्रकटीकरण :

3.3.1 गुणात्मक प्रकटीकरणः

बैंक की नीति आईआरएस का उपयोग करते हुए आस्तियों के साथ–साथ देयताएँ की प्रतिरक्षा की अनुमति देती है। हेजिंग लेन–देनों को उपचय आधार पर लेखांकित किया जाना चाहिए। ऐसे स्वैप जो ब्याज कमानेवाली आस्ति / देयता की प्रतिरक्षा करते हैं, हेज की गई आस्ति या देयता के रूप में लेखांकित किया जाता है। बकाया स्वैप संविदाएँ बाजार मूल्य पर अंकित होता है।

अंतर्राष्ट्रीय स्वेप डीलर संघ के दिशानिर्देशों के आधार पर सभी स्वैप लेनदेन किए गए हैं। लेनदेनों को समाप्त करने के पहले बैंक के पास पर्याप्त आंतरिक अनुमोदन और नियंत्रण प्रणालियाँ उपलब्ध हैं। (i) व्यापार (डीलिंग) (ii) बैक–ऑफ़िस (समझौता, निगरानी और नियंत्रण) तथा (iii) लेखाकरण क्षेत्रों के बीच एक स्पष्ट कार्यकारी पृथक्करण उपलब्ध है।

व्युत्पन्न उत्पाद खंड के अंतर्गत बैंक, ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप (ओआईएस) में स्वामित्व लेनदेन कर रहा है। इस खंड में बैंक की गतिविधियाँ बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्युत्पन्न उत्पाद संबंधी नीति के अधीन की जाती हैं।

3. DERIVATIVES

3.1 Forward Rate Agreements / Interest Rate Swaps (IRS)

The Bank has not entered into Derivative contracts of the nature of Forward Rate Agreements / Interest Rate Swaps (IRS) to hedge on balance sheet assets during the financial year 2015-16.

(Amount in ₹ crore)

Items	31.03.2016	31.03.2015
I) The notional Principal of Swap agreement	0.00	0.00
ii) Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfill their obligations under the agreements.	NIL	NIL
iii) Collateral required by the bank upon entering into swaps	NIL	NIL
iv) Concentration of Credit Risk arising from the swaps	0.00	0.00
v) The fair value of swap book	0.00	0.00

3.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives

The bank has not contracted any exchange traded interest derivatives during the current year and in the previous year.

Sl No	Particulars	Current Year	Previous Year
I.	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument-wise) a) b) c)	NIL	NIL
	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March 2015 (instrument-wise) a) b) c)	NIL	NIL
	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not ”highly effective” (instrument-wise) a) b) c)	NIL	NIL
	Mark-to-Market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not “highly effective: (instrument-wise) a) b) c)	NIL	NIL

3.3 Disclosures on Risk Exposure in Derivatives

3.3.1 <u>Qualitative Disclosures:</u>

Bank's policy permits hedging of asset as well as liability using IRS. The hedging transactions are to be accounted on an accrual basis. Swaps, which hedge interest bearing asset / liability, are accounted for as the asset or liability hedged. Outstanding swap contracts are marked to market.

All swap deals shall be based on the guidelines of International Swaps Dealers' Association. Bank has adequate control systems and also internal approvals prior to concluding transactions. There exists a clear functional segregation between (i) trading (Dealing) (ii) back office (settlement, monitoring and control) and (iii) accounting sections.

In the derivatives segment, the bank's policy permits doing proprietary trading in Overnight Index Swaps (OIS). The activities in this segment are governed by the Derivatives Policy approved by the Bank's Board.

ओआईएस लेनदेनों से होनेवाले लाभ व हानि, लेनदेन की परिपक्वता या समाप्ति, जो भी पूर्व हो, पर लाभ व हानि खाते में दर्शायी जाती है। बकाया ओआईएस लेनदेन के मूल्यांकन को निश्चित करने के लिए, संपूर्ण अदला–बदली का सही मूल्य, तुलन पत्र के दिनांक पर अदला–बदली की समाप्ति से प्राप्य या देय राशि, के आधार पर किया जाता है। इससे प्राप्त हानि के लिए संपूर्ण प्रावधान किया जाता है और अगर लाभ हो तो, नजर अंदाज किया जाता है।

हालांकि, बैंक ने वर्ष 2015-16 के दौरान आईआरएस / ओआईएस में कोई लेन–देन नहीं किया है (पिछले वर्ष– शून्य)।

विनिमय बाजार में लेनदेन किए जाने वाले विदेशी विनिमय व्युत्पन्न उत्पाद अर्थात् मुद्रा वायदे सौदे, विनिमय बाजार निर्धारित मूल्यों पर मूल्यांकित किए जाते हैं और परिणामस्वरूप मिलने वाले लाभ व घाटा, बैंक के लाभ व हानि खाते में दर्शाया जाता है।

3.3.2 मात्रात्मक प्रकटीकरण

युत्पन्न बाजार में बैंक के निम्नलिखित उत्पाद हैं :

- ओवरनाइट इंडेक्स स्वैपस (ओआईएस)
- मुद्रा फ्यूचर्स

31 मार्च, 2016 को बकाया ओआईएस शून्य रहा (पिछले वर्ष – शून्य)

31-03-2016 को मुद्रा फ्यूचर्स की बकाया स्थिति ₹ 2584.92 करोड़ है और पिछले वर्ष ₹ 2379.98 करोड़ है थी ।

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	चालू वर्ष		पिछले वर्ष	
		मुद्रा व्युत्पाद	ब्याज दर व्युत्पाद	मुद्रा व्युत्पाद	ब्याज दर व्युत्पाद
1	व्युत्पन्न (नाममात्र मूल रकम)	2584.92	0.00	2379.98	0.00
	क) प्रतिरक्षा के लिए	0.00	0.00	0.00	0.00
	ख) व्यापार के लिए	2584.92	0.00	2379.98	0.00
2	बाज़ार की स्थितियों पर अंकित (1)				
	क) आस्ति (+)	0.05	0.00	1.28	0.00
	ख) देयता (-)	62.29	0.00	0.00	0.00
3	ऋण जोखिम (2)	51.75	0.00	48.87	0.00
4	ब्याज दर में एक प्रतिशत बदलाव का संभाव्य प्रभाव (100 * पीवी 01)				
	क) प्रतिरक्षा व्युत्पन्न पर	0.00	0.00	0.00	0.00
	ख) व्यापार व्युत्पन्न पर	0.00	0.00	0.00	0.00
5	वर्ष के दौरान पाए गए 100 पीवी* 01 का लक्षित और अधिकतम और न्यूनतम				
	क) प्रतिरक्षा पर				
	अधिकतम	0.00	0.00	0.00	0.00
	न्यूनतम	0.00	0.00	0.00	0.00
	ख) व्यापार पर				
	अधिकतम	लागू नहीं	0.00	लागू नहीं	0.00
	न्यूनतम	लागू नहीं	0.00	लागू नहीं	0.00

3.4.1 एचटीएम वर्ग में प्रतिभूतियों की बिक्री के कारण प्राप्त लाभ जो ₹ 45.82 है, को (पिछले वर्ष शून्य) लाभ–हानि लेखे में दर्ज़ किया गया और तत्पश्चात् ₹ 22.48 (पिछले वर्ष शून्य) की राशि पूंजी आरक्षित निधि में अंतरित की गई (कर काटने के बाद निवल और सांविधिक प्रारक्षित निधि में अंतरण के लिए अपेक्षित निधि)।

3.4.2 वर्ष के आरंभ में, बैंक ने ₹ 10960.53 करोड़ की एसएलआर प्रतिभूतियों को बही मूल्य पर एचटी संवर्ग से एएफएस संवर्ग में अंतरित कर दिया।

3.4.3 एचटीएम सवंर्ग में वगीकृत प्रतिभूतियों के मामले में यदि अर्जन की लागत उसके अंकित मूल्य से अधिक है, तो परिपक्वता के लिए शेष अवधि में प्रीमियम को परिशोधित कर दिया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2015-16 में ₹ 61.69 करोड़ की राशि को (गत वर्ष में ₹ 74.16 करोड़) परिशोधित किया जा चुका है तथा इसे ''निवेशों पर आय'' के अंतर्गत कटौती के रूप में दर्शाया गया है।

The gain or loss in OIS transactions is booked in the Profit and Loss account on the maturity or unwinding of the deal whichever is earlier. For the purpose of valuation of outstanding OIS deals, the fair value of the total swap is computed on the basis of the amount that would be receivable or payable on termination of the swap as on the balance sheet date. Losses arising there from, if any, are fully provided for while the profits, if any, are ignored.

However Bank has not done any transactions in IRS/OIS during the year 2015-16 (Previous Year – Nil).

Exchange traded FX Derivatives i.e. Currency Futures, are valued at the Exchange determined prices and the resultant gains and losses are recognized in the Profit and Loss account.

3.3.2 Quantitative Disclosures

The Bank is active in the following products under derivatives:-

- Overnight Index Swaps (OIS)
- Currency Futures

The outstanding OIS position as on 31st March 2016 was Nil (previous year Nil).

Outstanding position in Currency futures as on 31.03.2016 is ₹ 2584.92 crores and previous year was ₹2379.98 crores

(Amount in ₹ crore)

Sl. No.	Particulars	Current Year		Previous Year	
		Currency Derivatives	Interest Rate Derivatives	Currency Derivatives	Interest Rate Derivatives
1	Derivatives (Notional Principal Amount)	2584.92	0.00	2379.98	0.00
	a) For hedging	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) For trading	2584.92	0.00	2379.98	0.00
2	Marked to Market Positions (1)				
	a) Asset (+)	0.05	0.00	1.28	0.00
	b) Liability (-)	62.29	0.00	0.00	0.00
3	Credit Exposure (2)	51.75	0.00	48.87	0.00
4	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)				
	a) On hedging derivatives	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) On trading derivatives	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year				
	a) On hedging				
	Maximum	0.00	0.00	0.00	0.00
	Minimum	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) On Trading				
	Maximum	NA	0.00	NA	0.00
	Minimum	NA	0.00	NA	0.00

3.4.1 Profit on account of sale of securities from HTM category amounting to ₹45.82 crores (previous year NIL) has been taken to Profit and Loss Account and thereafter an amount of ₹22.48 crores (previous year NIL) was transferred to Capital Reserve Account (net of taxes and the amount required to be transferred to statutory reserves).

3.4.2 In the beginning of the year, the Bank shifted SLR securities for Book Value of ₹10960.53 crores from HTM category to AFS category.

3.4.3 In case of securities classified under HTM category, if acquisition cost is more than the face value, the premium is amortized over the remaining period to maturity. For the Financial Year 2015-16, a sum of ₹ 61.69 crore (previous year ₹74.16 crore) has been amortized and the same is reflected as a deduction from 'Income on Investments'.

4. आस्ति गुणवत्ता

4.1.1 गैर–निष्पादक आस्तियाँ

(₹ करोड़ में)

मदें	2015-16	2014-15
(i) निवल अग्रिमों और निवल एनपीए का अनुपात (%)	4.20	2.50
(ii) एनपीए (सकल) में उतार चढ़ाव		
(ए) अथशेष	5670.44	4562.20
(बी) वर्ष के दौरान जोड़	5711.68	3338.87
(सी) वर्ष के दौरान कटौती	2555.08	2230.63
(डी) अंतशेष	8827.04	5670.44
(iii) निवल एनपीए में उतार चढ़ाव		
(ए) अथशेष	3146.95	2763.65
(बी) वर्ष के दौरान जोड़	3972.48	1993.95
(सी) वर्ष के दौरान कटौती	1700.03	1610.65
(डी) अंतशेष	5419.40	3146.95
(iv) एनपीए के लिए प्रावधानों में उतार चढ़ाव (मानक आस्तियों पर प्रावधानों और चल प्रावधानों को छोड़कर)		
(ए) अथशेष	2130.68	1486.91
(बी) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	2393.22	1262.98
सी) अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टे खाते में डालना / प्रतिलेखन करना	1597.14	619.21
(डी) अंतशेष	2926.76	2130.68

4.1.2 प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर)

गैर–निष्पादक ऋण प्रावधान कवरेज अनुपात 53.37 प्रतिशत रहा (पिछले वर्ष 60.08 प्रतिशत)।

4.1.3 बैंक की वसूली नीति के अनुसार, कोई भी वसूली पहले बही शेष को, उसके बाद अप्रदत्त विधिक व्यय (एमएलई) को और बाद में अप्रदत्त ब्याज को विनियोजित की जाएगी।

4.2 पुनः संरचना के अधीन लाये गये खातों का विवरण

(₹ करोड़ में)

		2015-16		
		सीडीआर पद्धति की अंतर्गत	एसएमई ऋण पुनः संरचना	अन्य
पुनःसंरचित मानक ऋण	उधारकर्ताओं की संख्या	0	946	7867
	बकाया राशि	0	175.74	951.85
	अधित्याग (उचित मूल्य में कमी)	0	0.26	2.97
पुनःसंरचित अवमानक ऋण	उधारकर्ताओं की संख्या	0	25	103
	बकाया राशि	0	2.08	51.59
	अधित्याग (उचित मूल्य में कमी)	0	0	1.62
पुनःसंरचित संदिग्ध ऋण	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	20
	बकाया राशि	0	0.00	0.70
	अधित्याग (उचित मूल्य में कमी)	0	0	0
कुल	उधारकर्ताओं की संख्या	0	971	7990
	बकाया राशि	0	177.82	1004.14
	अधित्याग (उचित मूल्य में कमी)	0.00	0.26	4.59

4. ASSETS QUALITY

4.1.1 Non-Performing Assets

(Amount in ₹ crore)

Items	2015-16	2014-15
(I) Net NPAs to Net Advances (%)	4.20	2.50
(ii) Movement of NPAs (Gross)		
(a) Opening Balance	5670.44	4562.20
(b) Additions during the year	5711.68	3338.87
(c) Reductions during the year	2555.08	2230.63
(d) Closing Balance	8827.04	5670.44
(iii) Movement of Net NPAs		
(a) Opening Balance	3146.95	2763.65
(b) Additions during the year	3972.48	1993.95
(c) Reductions during the year	1700.03	1610.65
(d) Closing Balance	5419.40	3146.95
(iv) Movement of Provision for NPAs (excluding provisions on standard assets and Floating Provisions)		
(a) Opening Balance	2130.68	1486.91
(b) Provisions made during the year	2393.22	1262.98
(c) Write-off / Write - back of excess provisions	1597.14	619.21
(d) Closing Balance	2926.76	2130.68

4.1.2 Provision Coverage Ratio (PCR)

Non Performing Loan Provisioning Coverage Ratio is 53.37% (previous year 60.08%).

4.1.3 As per Recovery Policy of the Bank, any recovery should be first appropriated to Book balance (Principal) and then to Unpaid Legal Expenses (MLE) and thereafter to unpaid interest.

4.2 Particulars of Accounts Restructured

(Amount in ₹ crore)

		2015-16		
		CDR Mechanism	SME Debt Restructuring	Others
Standard advances restructured	No. of Borrowers	0	946	7867
	Amount outstanding	0	175.74	951.85
	Sacrifice (diminution in the fair value)	0	0.26	2.97
Sub Standard advances restructured	No. of Borrowers	0	25	103
	Amount outstanding	0	2.08	51.59
	Sacrifice (diminution in the fair value)	0	0	1.62
Doubtful advances restructured	No. of Borrowers	0	0	20
	Amount outstanding	0	0.00	0.70
	Sacrifice (diminution in the fair value)	0	0	0
TOTAL	No. of Borrowers	0	971	7990
	Amount outstanding	0	177.82	1004.14
	Sacrifice (diminution in the fair value)	0.00	0.26	4.59

(₹ करोड़ में)

		2014-15		
		सीडीआर पद्धति के अंतर्गत	एसएमई ऋण पुन संरचना	अन्य
पुनःसंरचित मानक ऋण	उधारकर्ताओं की संख्या	5	54	370
	बकाया राशि	532.52	161.07	2586.29
	अधित्याग (उचित मूल्य में कमी)	22.64	3.78	144.81
पुनःसंरचित अवमानक ऋण	उधारकर्ताओं की संख्या	-	4	35
	बकाया राशि	-	0.05	1.21
	अधित्याग (उचित मूल्य में कमी)	-	0	0
पुनःसंरचित संदिग्ध ऋण	उधारकर्ताओं की संख्या	1	-	-
	बकाया राशि	54.24	-	-
	अधित्याग (उचित मूल्य में कमी)	0	-	-
कुल	उधारकर्ताओं की संख्या	6	58	405
	बकाया राशि	586.76	161.12	2587.50
	अधित्याग (उचित मूल्य में कमी)	22.64	3.78	144.81

(Amount in ₹ crore)

		2014-15		
		CDR Mechanism	**SME Debt Restructuring**	**Others**
Standard advances restructured	No. of Borrowers	5	54	370
	Amount outstanding	532.52	161.07	2586.29
	Sacrifice (diminution in the fair value)	22.64	3.78	144.81
Sub Standard advances restructured	No. of Borrowers	-	4	35
	Amount outstanding	-	0.05	1.21
	Sacrifice (diminution in the fair value)	-	0	0
Doubtful advances restructured	No. of Borrowers	1	-	-
	Amount outstanding	54.24	-	-
	Sacrifice (diminution in the fair value)	0	-	-
TOTAL	No. of Borrowers	6	58	405
	Amount outstanding	586.76	161.12	2587.50
	Sacrifice (diminution in the fair value)	22.64	3.78	144.81

क्रम संख्या	पुनर्रचना का प्रकार / आस्ति वर्गीकरण / विवरण			सीडीआर पद्धति के अंतर्गत					एसएमई ऋण पुनर्रचना के अंतर्गत					अन्य					कुल				
				मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
1	वित्तीय वर्ष 2016 के 1 अप्रैल को पुनर्रचित खाते (प्रारम्भिक आंकड़ा) *	1	उधारकर्ताओं की संख्या	17	1	10	0	28	103	191	228	0	522	1375	1822	1358	0	4555	1495	2014	1596	0	5105
		2	बकाया राशि	1549.39	80.94	731.77	0	2362.10	228.27	16.12	44.51	0	288.90	8166.57	355.11	1262.21	0	9783.89	9944.23	452.17	2038.49	0	12434.89
		3	उस पर प्रावधान	49.78	0	11.19	0	60.97	4.08	0.14	0.34	0	4.56	358.71	2.89	18.90	0	380.50	412.57	3.03	30.43	0	446.03
2	अप्रैल से मार्च के दौरान की गई नई पुनर्रचना	4	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	0	0	0	946	25	0	0	971	7867	103	20	0	7990	8813	128	20	0	8961
		5	बकाया राशि	0	0	0	0	0	175.74	2.08	0	0	177.82	951.85	51.59	0.7	0	1004.14	1127.59	53.67	0.7	0	1181.96
		6	उस पर प्रावधान	0	0	0	0	0	0.26	0	0	0	0.26	2.97	1.62	0	0	4.59	3.23	1.62	0	0	4.85
3	अप्रैल–मार्च 2016 के दौरान पुनर्रचना मानक वर्ग तक अपग्रेडेशन	7	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	0	0	0	1	-1	0	0	0	42	-35	-7	0	0	43	-36	-7	0	0
		8	बकाया राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	-0.16	0.00	0.00	0.00	31.52	-2.11	-29.41	0.00	0.00	31.68	-2.27	-29.41	0	0.00
		9	उस पर प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	4.54	-0.02	-4.52	0.00	0.00	4.55	-0.03	-4.52	0	0.00
4	पुनर्संरचित मानक अग्रिम जिनके लिए वित्तीय वर्ष के अंत में उच्च प्रावधानीकरण और / या अतिरिक्त जोखिम भार की आवश्यकता नहीं है एवं अतः अगले वित्तीय वर्ष के उत्तरार्द्ध में उन्हें पुनर्संरचित मानक अग्रिमों के रूप में प्रदर्शित किए जाने की जरूरत नहीं है।	10	उधारकर्ताओं की संख्या	5				5	15				15	309				309	329				329
		11	बकाया राशि	312.75				312.75	16.06				16.06	881.60				881.60	1210.41				1210.41
		12	उस पर प्रावधान	11.29				11.29	0.02				0.02	32.54				32.54	43.85				43.85
5	अप्रैल–मार्च 2016 के दौरान अवनत किए गए पुनर्संरचित खाते	13	उधारकर्ताओं की संख्या	-4	-1	4	0	-1	-85	-37	121	0	-1	-1399	527	874	0	2	-1488	489	999	0	0
		14	बकाया राशि	-543.46	-80.94	543.46	0.00	-80.94	-62.37	40.41	21.95	0.00	-0.01	-859.57	-205.31	1145.83	0.00	80.95	-1465.40	-245.84	1711.24	0	0.00
		15	उस पर प्रावधान	-4.44	0	4.44	0	0	-0.66	0.52	0.14	0	0.00	-20.72	-2.24	22.96	0	0	-25.82	-1.72	27.54	0	0.00
6	अप्रैल–मार्च 2016 के दौरान बट्टे खाते में डाले गए पुनर्संरचित खाते	16	उधारकर्ताओं की संख्या	0	0	4	0	4	0	1	24	1	26	0	6	670	36	712	0	7	698	37	742
		17	बकाया राशि	0	0	236.98	0	236.98	0	0	2.17	0	2.17	0	0.11	84.18	0.69	84.98	0	0.11	323.33	0.69	324.13
		18	उस पर प्रावधान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	वित्तीय वर्ष 2016 के मार्च 31, माह को पुनर्संरचित खाते (अंतिम आंकड़े) *	19	उधारकर्ताओं की संख्या	7	0	8	0	15	983	111	319	0	1413	8320	1463	2008	0	11791	9310	1574	2335	0	13219
		20	बकाया राशि	760.31	0.00	780.63	0.00	1540.94	312.15	58.79	58.90	0.00	429.84	5293.77	176.40	1549.90	0.00	7020.07	6366.23	235.19	2389.43	0	8990.85
		21	उस पर प्रावधान	32.19	0.00	33.20	0.00	65.39	1.83	0.11	0.14	0.00	2.08	87.23	2.47	33.63	0.00	123.33	121.25	2.58	66.97	00	190.80

* मानक पुनर्संरचित अग्रिमों के उन आंकड़े को छोड़कर जिनके कारण उच्च प्रावधानीकरण या जोखिम भार नहीं आता(यदि प्रयोज्य हो)

	Type of Restructuring			Under CDR Mechanism					Under SME Debt Restructuring					Others					Total				
	Asset Classification			Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total
Sl No	Details																						
1	Restructured Accounts as on April 1of the FY 2015 (opening figure) *	1	Number Of Borrowers	17	1	10	0	28	103	191	228	0	522	1375	1822	1358	0	4555	1495	2014	1596	0	5105
		2	Amount Outstanding	1549.39	80.94	731.77	0	2362.10	228.27	16.12	44.51	0	288.90	8166.57	355.11	1262.21	0	9783.89	9944.23	452.17	2038.49	0	12434.89
		3	Provision thereon	49.78	0	11.19	0	60.97	4.08	0.14	0.34	0	4.56	358.71	2.89	18.90	0	380.50	412.57	3.03	30.43	0	446.03
2	Fresh restructuring during Apr-Mar 2016	4	Number Of Borrowers	0	0	0	0	0	946	25	0	0	971	7867	103	20	0	7990	8813	128	20	0	8961
		5	Amount Outstanding	0	0	0	0	0	175.74	2.08	0	0	177.82	951.85	51.59	0.7	0	1004.14	1127.59	53.67	0.7	0	1181.96
		6	Provision thereon	0	0	0	0	0	0.26	0	0	0	0.26	2.97	1.62	0	0	4.59	3.23	1.62	0	0	4.85
3	Upgradation to restructured standard category during Apr-Mar 2016	7	Number Of Borrowers	0	0	0	0	0	1	-1	0	0	0	42	-35	-7	0	0	43	-36	-7	0	0
		8	Amount Outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	-0.16	0.00	0.00	0.00	31.52	-2.11	-29.41	0.00	0.00	31.68	-2.27	-29.41	0	0.00
		9	Provision thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	4.54	-0.02	-4.52	0.00	0.00	4.55	-0.03	-4.52	0	0.00
4	Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY	10	Number Of Borrowers	5				5	15				15	309				309	329				329
		11	Amount Outstanding	312.75				312.75	16.06				16.06	881.60				881.60	1210.41				1210.41
		12	Provision thereon	11.29				11.29	0.02				0.02	32.54				32.54	43.85				43.85
5	Downgradations of restructured accounts during Apr-Mar 2016	13	Number Of Borrowers	-4	-1	4	0	-1	-85	-37	121	0	-1	-1399	527	874	0	2	-1488	489	999	0	0
		14	Amount Outstanding	-543.46	-80.94	543.46	0.00	-80.94	-62.37	40.41	21.95	0.00	-0.01	-859.57	-205.31	1145.83	0.00	80.95	-1465.40	-245.84	1711.24	0	0.00
		15	Provision thereon	-4.44	0	4.44	0	0	-0.66	0.52	0.14	0	0.00	-20.72	-2.24	22.96	0	0	-25.82	-1.72	27.54	0	0.00
6	Write-offs of restructured accounts during Apr-Mar 2016	16	Number Of Borrowers	0	0	4	0	4	0	1	24	1	26	0	6	670	36	712	0	7	698	37	742
		17	Amount Outstanding	0	0	236.98	0	236.98	0	0	2.17	0	2.17	0	0.11	84.18	0.69	84.98	0	0.11	323.33	0.69	324.13
		18	Provision thereon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Restructured Accounts as on Mar 31 of the FY 2016 (closing figure) *	19	Number Of Borrowers	7	0	8	0	15	983	111	319	0	1413	8320	1463	2008	0	11791	9310	1574	2335	0	13219
		20	Amount Outstanding	760.31	0.00	780.63	0.00	1540.94	312.15	58.79	58.90	0.00	429.84	5293.77	176.40	1549.90	0.00	7020.07	6366.23	235.19	2389.43	0	8990.85
		21	Provision thereon	32.19	0.00	33.20	0.00	65.39	1.83	0.11	0.14	0.00	2.08	87.23	2.47	33.63	0.00	123.33	121.25	2.58	66.97	00	190.80

* Excluding the figures of Standard Restructured Advances which do not attract higher provisioning or risk weight (if applicable)

4.3 आस्ति पुनर्निर्माण के लिए प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों के विवरण

(₹ करोड़ में)

मदें	2015-16	2014-15
(i) खातों की संख्या	12	21
(ii) एससी/आरसी को बेचे गए खातों का सकल मूल्य (प्रावधानों से निवल)	455.44	383.93
(iii) सकल प्रतिफल	813.96	630.76
(iv) पिछले वर्षों में अंतरित खाते के संबंध में वसूला गया अतिरित प्रतिफल	--	--
(v) निवल बही मूल्य पर सकल लाभ/हानि	358.52	246.83

4.3.1

(₹ करोड़ में)

विवरण	अंतर्निहित रूप से बैंक द्वारा बेचे गए एनपीए को लेकर		अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा अंतर्निहित रूप से बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित		कुल	
	विगत बवर्ष	वर्तमान वर्ष	विगत बवर्ष	वर्तमान वर्ष	विगत बवर्ष	वर्तमान वर्ष
प्रतिभूति प्राप्तियों में निवेश का बही मूल्य	1335.09	1940.23	शून्य	शून्य	1335.09	1940.23

4.3.2

(₹ करोड़ में)

	विवरण	विगत वर्ष	विगत वर्ष
(I)	अंतर्निहित रूप से बैंक द्वारा बेचे गए एनपीए को लेकर	979.62	681.82
(ii)	अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा अंतर्निहित रूप से बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित	शून्य	शून्य
	कुल	979.62	681.82

4.4 खरीदी / बेची गयी गैर निष्पादक वित्तीय आस्तियों के विवरण

ए. खरीदी गयी गैर–निष्पादक वित्तीय आस्तियों के विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण		2015-16	2014-15
1.	(ए) वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या	शून्य	शून्य
	(बी) बकाया कुल शेष	शून्य	शून्य
2.	(ए) इनमे से वर्ष के दौरान पुनः संरचित खातों की संख्या	शून्य	शून्य
	(बी) बकाया कुल शेष	शून्य	शून्य

बी. बेची गयी गैर–निष्पादक वित्तीय आस्तियों के विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2015-16	2014-15
1. बेचे गए खातों की संख्या	12	21
2. बकाया कुल शेष	455.44	699.07
3. प्राप्त कुल प्रतिफल	813.96	630.76

4.5 मानक आस्तियों के लिए प्रावधान

(₹ करोड़ में)

मदें	2015-16	2014-15
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वर्ष के दौरान किए गए मानक आस्तियों के लिए प्रावधान*	-134.90	139.06

*वैश्विक

4.3 Details of financial assets sold to Securitisation / Reconstruction Company for Asset Reconstruction

(Amount ₹ in crore)

Items	2015-16	2014-15
(i) No. of Accounts	12	21
(ii) Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	455.44	383.93
(iii) Aggregate consideration	813.96	630.76
(iv) Additional consideration realised in respect of accounts transferred in earlier years	--	--
(v) Aggregate gain/ loss over net book value	358.52	246.83

4.3.1

(Amount ₹ in crore)

Particulars	Backed by NPAs sold by the Bank as underlying		Backed by NPAs sold by other banks/financial institutions/ non-banking financial companies as underlying		Total	
	Previous year	Current year	Previous year	Current year	Previous year	Current year
Book value of investments in security receipts	1335.09	1940.23	Nil	Nil	1335.09	1940.23

4.3.2

(Amount ₹ in crore)

	Particulars	Current year	Previous Year
(i)	Backed by NPAs sold by the bank as underlying	979.62	681.82
(ii)	Backed by NPAs sold by other banks / financial institutions / non banking financial companies as underlying	NIL	NIL
	Total	979.62	681.82

4.4 Details of non-performing financial assets purchased /sold

A. Details of non-performing financial assets purchased:

(Amount ₹ in crore)

	Particulars	2015-16	2014-15
1.	(a).No. of accounts purchased during the year	NIL	NIL
	(b) Aggregate outstanding	NIL	NIL
2.	(a) Of these, number of accounts restructured during the year	NIL	NIL
	(b) Aggregate outstanding	NIL	NIL

B. Details of non-performing financial assets sold

(Amount ₹ in crore)

Particulars	2015-16	2014-15
1. No. of accounts sold	12	21
2. Aggregate Outstanding	455.44	699.07
3. Aggregate consideration received	813.96	630.76

4.5 Provision on Standard Assets

(Amount ₹ in crore)

	2015-16	2014-15
Provisions towards Standard Assets made during the year as per prudential norms issued by RBI*	-134.90	139.06

***Global**

5. व्यापार अनुपात

(₹ करोड़ में)

विवरण	2015-16	2014-15
(i) कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय	8.13	8.59
(ii) कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में गैर–ब्याज आय	0.89	0.74
(iii) कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ	1.52	1.63
(iv) आस्तियों पर प्रतिलाभ (%)	0.36	0.54
(v) कारोबार (जमाएँ एवं अग्रिम) प्रति कर्मचारी (रु. करोड में)	15.31	14.43
(vi) प्रति कर्मचारी लाभ (₹ लाख में)	3.53	4.95

6. आस्ति देयता प्रबंधन

आस्तियों / देयताओं की कुछ मदों का परिपक्वता पैटर्न (बैंक द्वारा यथा संकलित)

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 दिन	2-7 दिन	8-14 दिन	15 - 30 दिन	31 दिन से 2 महीना	दो से तीन महीनों से अधिक	3 महीनों से अधिक तथा 6 महीनों तक	6 महीनों से अधिक तथा 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक तथा 3 वर्षों तक	3 वर्षों से अधिक तथा 5 वर्षों तक	5 वर्षों से अधिक	कुल
जमाएं	999.33	2209.04	2070.09	1990.50	7232.30	8117.29	17938.78	19652.43	108869.16	6317.52	2889.40	178285.84
उधार	21.35	0.00	0.00	0.00	145.76	212.02	506.85	1123.26	0.01	1000.05	500.02	3509.32
निवेश*	4024.04	1941.23	990.08	969.13	1586.51	2194.38	3530.13	5125.57	23098.18	2637.67	8442.18	54539.10
अग्रिम	1446.24	1590.39	7143.69	4785.52	7083.04	7409.41	9405.54	19762.23	37536.89	16017.31	16868.82	129049.08
जिसमें से												
विदेशी मुद्रा देयताएं	158.23	135.00	284.83	427.57	519.44	859.86	1251.81	2395.44	1787.68	787.13	626.62	9233.60
विदेशी मुद्रा आस्तियां	599.92	104.40	387.44	1166.01	1200.75	1634.37	1008.21	1244.57	819.24	458.87	181.71	8805.49

** ₹ 3942.59 करोड़ की रिपो (एलएएफ) प्रतिभूतियाँ, □ 2288.00 करोड़ रिसर्व रिपो (एएलएफ) प्रतिभूतियाँ शामिल हैं और □ 409.56 करोड़ की सूचीबद्ध ईक्विटियों का 50 प्रतिशत शामिल नहीं है।

5. **Business Ratios**

(Amount in ₹ crore)

Particulars	2015-16	2014-15
(i) Interest Income as a percentage to Working Funds	8.13	8.59
(ii) Non-Interest Income as a percentage to Working Funds	0.89	0.74
(iii) Operating Profit as a percentage to Working Funds	1.52	1.63
(iv) Return on Assets (%)	0.36	0.54
(v) Business (Deposits plus Advances) per employee (₹ Crore)	15.31	14.43
(vi) Profit per employee (₹ lakh)	3.53	4.95

6. **Asset Liability Management**

Maturity Pattern of certain items of Assets and Liabilities (As compiled by the Bank)

(Amount in ₹ crore)

Particulars	1 day	2-7 days	8-14 days	15 to 30 days	31 days to 2 months	Over 2 to 3 months	Over 3 months to 6 months	Over 6 months to 1 year	Over 1 years to 3 years	Over 3 years to 5 years	Over 5 years	Total
Deposits	999.33	2209.04	2070.09	1990.50	7232.30	8117.29	17938.78	19652.43	108869.16	6317.52	2889.40	178285.84
Borrowings	21.35	0.00	0.00	0.00	145.76	212.02	506.85	1123.26	0.01	1000.05	500.02	3509.32
Investments*	4024.04	1941.23	990.08	969.13	1586.51	2194.38	3530.13	5125.57	23098.18	2637.67	8442.18	54539.10
Advances	1446.24	1590.39	7143.69	4785.52	7083.04	7409.41	9405.54	19762.23	37536.89	16017.31	16868.82	129049.08
of which												
Foreign Currency Liabilities	158.23	135.00	284.83	427.57	519.44	859.86	1251.81	2395.44	1787.68	787.13	626.62	9233.60
Foreign Currency Assets	599.92	104.40	387.44	1166.01	1200.75	1634.37	1008.21	1244.57	819.24	458.87	181.71	8805.49

*Includes Repo(LAF) securities of ₹ 3942.59 crore, Reverse Repo(LAF) securities of ₹ 2288.00 crore and excludes 50% of listed equities of ₹ 409.56 crore

7. संवदेनशील क्षेत्रों को उधार

7.1 रियल एस्टेट क्षेत्र को ऋण

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	31.03.2016	31.03.2015
ए) प्रत्यक्ष ऋण		
(i) आवासिक बंधक	9888.81	8664.33
जिसमें से वैयक्तिक गृह ऋण जो प्राथमिकता क्षेत्र के तहत श्शामिल किए जाने हेतु योग्य है	5360.00	5331.01
(ii) वाणिज्यिक रियल एस्टेट	2668.14	2673.88
(iii) बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एबीएस) में निवेश और अन्य प्रतिभूतिकृत ऋण	शून्य	शून्य
ए) आवासिक	0.07	0.13
बी) वाणिज्यिक रियल एस्टेट	शून्य	शून्य
बी) अप्रत्यक्ष ऋण		
राष्ट्रीय आवास बैंक और आवास वित्त निगम पर निधि आधारित तथा गैर–निधिक ऋण	6168.36	5027.34
रियल एस्टेट क्षेत्र को कुल ऋण	**18725.38**	**16365.68**

7.2 पूंजी बाजार में एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

मद	31.03.2016	31.03.2015
(I) प्रत्यक्ष निवेश		
ए) ईक्विटी शेयर में	562.37	477.32
बी) बांड्स/परिवर्तनीय डिबेंचरों में	शून्य	शून्य
सी) ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों में जिसका कॉरपस मात्र कार्पोरेट ऋण में निवेश नहीं किया गया है।	शून्य	शून्य
(ii) यक्तियों को ईक्विटी शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित) परिवर्तनीय बांडों एवं डिबेंचरों, ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों में निवेश के लिए शेयरों/बांडों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की जमानत पर अग्रिम या व्यक्तियों को बेजमानती ऋण	शून्य	शून्य
(iii) किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम जहां शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों को प्राथमिक जमानत के रूप में लिया जाता है।	23.09	23.40
(iv) किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम जोकि शेयरों अथवा उस सीमा तक परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों द्वारा प्रत्याभूत हैं अर्थातृ शेयरों/ परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों के अलावा प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूर्णतः कवर नहीं करती।	शून्य	शून्य
(v) स्टॉक ब्रोकरों को प्रत्याभूत और अप्रत्याभूत अग्रिम एवं स्टॉक ब्रोकरों तथा मार्केट मेकरों की ओर से जारी गारंटियां।	32.00	32.00
(vi) स्रोतों को उपलब्ध कराने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की ईक्विटी के लिए प्रवर्तक के अंशदान को पूरा करने के लिए शेयरों/बांडों/डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों के विरूद्ध अथवा बेजमानती आधार पर कार्पोरेटों को मंजूर ऋण।	शून्य	शून्य
(vii) प्रत्याशित ईक्विटी प्रवाहों/निर्गमों के विरुद्ध कंपनियों को पूरक ऋण ।	शून्य	शून्य
(viii) शेयरों अथवा परिवर्तनीय बांडों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में बैंकों द्वारा दी गई हामिदारी प्रतिबद्धताएं।	शून्य	शून्य
(ix) मार्जिन ट्रेडिंग हेतु स्टॉक ब्रोकरों को वित्तीयन	शून्य	शून्य
(x) उद्यम पूंजी निधियों (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनो) के सभी एक्पोजर।	40.90	35.35
पूंजी बाजार को कुल एक्सपोजर	**658.36**	**568.07**

7. Lending to Sensitive Sector

7.1 Exposure to Real Estate Sector

(Amount in ₹ crore)

Category	31.03.2016	31.03.2015
A) Direct Exposure		
(i) Residential Mortgages -	9888.81	8664.33
Out of which individual housing loans eligible for being included under priority sector	5360.00	5331.01
(ii) Commercial Real Estate -	2668.14	2673.88
(iii) Investment in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitized exposures	NIL	NIL
a) Residential	0.07	0.13
b) Commercial Real Estate	NIL	NIL
B) Indirect Exposure		
Fund based and Non-fund based exposure on National Housing Bank and Housing Finance Corporation	6168.36	5027.34
Total Exposure to Real Estate Sector	**18725.38**	**16365.68**

7.2 Exposure to Capital Market

(Amount in ₹ crore)

Items	31.03.2016	31.03.2015
(i) Direct investment		
a) In Equity shares,	562.37	477.32
b) In Bonds/ Convertible Debentures,	NIL	NIL
c) In Units of Equity- Oriented Mutual Funds the corpus of which is not exclusively invested in Corporate Debt;	NIL	NIL
(ii) Advances against Shares/Bonds/Debentures or other Securities or on clean basis to individuals for investment in Equity shares (including IPOs/ESOPs) Convertible Bonds, Convertible Debentures, and units of Equity Oriented Mutual Funds;	NIL	NIL
(iii) Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	23.09	23.40
(iv) Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/convertible bonds/convertible debentures/units of equity oriented mutual funds does not fully cover advances ;	NIL	NIL
(v) Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	32.00	32.00
(vi) Loans sanctioned to corporates against the security of shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	NIL	NIL
(vii) Bridge loans to companies against expected equity flows/issues;	NIL	NIL
(viii) Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	NIL	NIL
(ix) Financing to stockbrokers for margin trading	NIL	NIL
(x) All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered);	40.90	35.35
Total Exposure to Capital Market	**658.36**	**568.07**

7.3 जोखिम संवर्गवार देश संबंधी ऋण

(₹ करोड़ में)

ऋण जोखिम **	31 मार्च 2016 तक ऋण (निवल)	31 मार्च 2016 तक किए गए प्रावधान	31 मार्च 2015 तक ऋण (निवल)	31 मार्च 2015 तक किए गए प्रावधान
नगण्य	5080.89	2.05	5457.00	2.65
न्यून	3821.08	4.22	4542.42	3.20
मध्यम रूप से न्यून	283.81		245.48	
उच्च	0.00		0.00	
सर्वोच्च	0.00		0.00	
प्रतिबंधित	0.00		0.00	
ऑफ क्रेडिट	0.00		0.00	
कुल	**9185.78**	**6.27**	**10244.90**	**5.85**

**ईसीजीसी के दिनांक 01.04.2016 के परिपत्र सं. ईसीजीसी/सीयूडी/225/2016 और दिनांक 07.04.2016 का प्र.का / अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग के परिपत्र एफएक्स 03 के अनुसार अद्यतन देश–विशेष के जोखिम वर्गीकरण के आधार पर।

देश विशेष को प्रदत्त ऋण का जोखिम प्रबंधन :

बैंक ने 31.03.2016 को विभिन्न देशों को प्रदत्त निवल निधि एक्सपोजर का विश्लेषण किया है और सिंगापुर व श्रीलंका को छोड़ कर अन्य देशों के प्रति यह एक्सपोजर बैंक की कुल आस्तियों के 1 प्रतिशत की सीमा के भीतर है। सिंगापुर, जिसे ईसीजीसी लिमिटेड ने गैर महत्वपूर्ण जोखिम संवर्ग के अधीन वर्गीकृत किया है, के लिए ₹.2.05 करोड़ (गत वर्ष – ₹ 2.65 करोड़) का एवं श्रीलंका, जिसे न्यून जोखिम संवर्ग के अधीन वर्गीकृत किया है, के लिए ₹4.22 करोड़ (गत वर्ष ₹3.20 करोड) का प्रावधान उपलब्ध है।

7.4 बैंक द्वारा एकल उधारकर्ता सीमा (एसबीएल), समूह उधार सीमा (जीबीएल) के अतिक्रमण के विवरण

(₹ करोड़ में)

उधारकर्ता का नाम	अतिरिक्त ऋण	कुल उच्चतम ऋण	अतिरिक्त ऋण का %	कुल ऋण का %
------------------------	-----------------	शून्य	--------------------	--------------------

7.5 बेजमानती अग्रिम

कुल बेजमानती अग्रिमों में, परियोजनाओं (संरचनात्मक परियोजनाओं सहित) के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में प्रदत्त, अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकार, जैसे अमूर्त प्रतिभूति से रक्षित अग्रिम की राशि 2598.88 करोड़ रुपए हैं। प्रभार रखने वाले देनदारों के लिए उपलब्ध, उपर्युक्त अमूर्त प्रतिभूतियों का अनुमानित कुल मूल्य 31.03.2016 को 9128.07 करोड़ रुपए हैं।

8. विविध

8.1 लेखा समाधान एवं समायोजन

8.1.1 अंतर शाखा लेखों का लेखा समाधान 31.03.2016 तक पूरा किया जा चुका है। आईबीजीए में बकाया पुरानी प्रविष्टियों के निपटान के लिए विभिन्न कारगर उपायों के द्वारा बैंक ने उसमें पर्याप्त कमी लायी है। तत्पश्चात् शेष बकाया प्रविष्टियों के समायोजन का कार्य प्रगति पर है। प्रबंधन के अनुसार, 6.01 करोड़ रुपए कुल मूल्य की 7386 आईबीजीए क्रेडिट प्रविष्टियां बकाया हैं।

8.1.2 दिनांक 31.03.2016 को अंतर शाखा खाता बकाया में 6 महीने से अधिक अवधि के लिए लेखा समाधान नहीं की गई प्रविष्टियों के संबंध में कुल जमा स्थिति को देखते हुए किसी प्रावधान की जरूरत नहीं है।

8.1.3 देय ड्राफ्टों, समाशोधन समायोजन, विविध प्राप्त राशियों, विविध जमा खातों आदि में तथा भारतीय रिज़र्व बैंक एवं अन्य बैंकों से संबंधित बैंक लेखा समाधानों में पुरानी बकाया प्रविष्टियों के समुचित समायोजन के लिए नियमित समीक्षा की जा रही है।

8.1.4 कुल शाखाओं में अनुषंगी बहियों/रजिस्टरों का तुलन और सामान्य बहियों के साथ लेखा समाधान का कार्य जारी है। प्रबंधन के मतानुसार, खातों पर उपर्युक्त विषयों का परिणामी प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं होगा।

7.3 Risk Category-wise Country Exposure

(Amount in ₹ crore)

Risk category**	Exposure (Net) as at 31.03.2016	Provision held as at 31.03.2016	Exposure (Net) as at 31.03.2015	Provision held as at 31.03.2015
Insignificant	5080.89	2.05	5457.00	2.65
Low	3821.08	4.22	4542.42	3.20
Moderate	283.81		245.48	
High	0.00		0.00	
Very High	0.00		0.00	
Restricted	0.00		0.00	
Off-credit	0.00		0.00	
Total	**9185.78**	**6.27**	**10244.90**	**5.85**

**As per the updated country risk classification by the ECGC, vide its circular ECGC/CUD/225/2016 dated 01.04.2016 & HO/ID Circular FX03 dated 07.04.2016

COUNTRY RISK MANAGEMENT:

Tthe Bank has analysed its net funded exposure to various countries as on 31.03.2016 and such exposure to countries other than Singapore and Sri Lanka are well within the stipulation of 1% of the total assets of the Bank. In respect of Singapore, which is classified under "Insignificant" risk category by ECGC Ltd, a provision of ₹ 2.05 Cr (Previous year ₹2.65 Cr) is available and in respect of Sri Lanka which is classified under"Low" risk category ₹4.22 crore (Previous year ₹3.20 Cr) is available

7.4 Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL) if any, exceeded by the Bank

(Amount in ₹ crore)

Borrower Name	Additional Exposure	Total Highest Exposure	Percentage of additional exposure	Percentage of Total Exposure
------------------------	-----------------	NIL	--------------------	--------------------

7.5 Unsecured Advances

Out of total unsecured advances, advances secured by intangible securities such as rights, licenses, authority, etc charged to the bank as collateral in respect of projects (including infrastructure projects) is ₹ 2598.88 Crores. Estimated total value of such intangible collaterals mentioned above as on 31.03.2016 is ₹ 9128.07 Crores.

8. MISCELLANEOUS

8.1 Reconciliation and Adjustments

8.1.1 Reconciliation of Inter Branch Account is completed up to 31.03.2016. The Bank through various effective steps has achieved reduction in the old outstanding entries in IBGA. Adjustment of the remaining outstanding entries is in progress. As per the Management, 7386 IBGA credit entries aggregating to ₹.6.01 crores are outstanding.

8.1.2 In view of the net credit position in respect of unreconciled entries in the Inter Branch Account outstanding for more than 6 months as on 31.03.2016, no provision is required.

8.1.3 Old outstanding entries in drafts payable, clearing adjustment, sundries receivable, sundry deposit accounts, etc. and in bank reconciliation relating to Reserve Bank of India and other banks are being regularly reviewed for appropriate adjustments.

8.1.4 Balancing of subsidiary / ledgers, registers and reconciliation with general ledgers are in branches. In the opinion of the management, consequential financial impact of the above will not be significant

8.2 वर्ष के दौरान आय कर के लिए बनाए गए प्रावधानों की राशि :

(₹ करोड़ में)

	2015-16	2014-15
कराधान के लिए प्रावधान (आस्थगित कर को शामिल करते हुए आय कर)	243.92	463.45

31.03.2016 को विवादित आयकर मांग ₹2350.60 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1445.83 करोड़) है, आकस्मिक देयताओं के तहत भी शामिल किया गया जिसमें से 31.03.2016 तक विवादित आयकर का भुगतान ₹2110.60 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1441.98 करोड़) है। न्यायिक उद्घोषणाओं तथा बैंकों के स्वीय वादों में अनुकूल निर्णयों के कारण कथित विवादित मांगों पर कोई प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया।

8.3 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए दण्डों का प्रकटीकरण :

वर्ष के दौरान भारिबैंक ने कमियों, गंदे नोटों के प्रेषण में जालसाजी तथा मुद्रा कोष परिचालन द्वारा आईसीसीओएमएस में विलंबित / गलत रिपोर्टिंग / भारिबैंक के दिशा–निर्देशों के अनुपालन के लिए ₹18.77 लाख (312 प्रविष्टियाँ) (पिछले 2014–15 को समाप्त वर्ष के लिए ₹18.35 लाख – 175 प्रविष्टियाँ) जुर्माना लगाया।

8.4 अचल आस्तियाँ

8.4.1 वर्ष के दौरान बैंक ने अपने परिसर का पुनर्मूल्यांकन 29 फरवरी 2016 को अनुमोदित बाह्य मूल्यांककों द्वारा निर्धारित उचित बाजार मूल्य पर किया। परिसर के पुनर्मूल्यांकन की राशि में ₹614.49 करोड़ की बढ़ोत्तरी हुई है, जिसे पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि खाते में जमा किया गया है, पुनर्मूल्यन पर कुछ परिसरों का बही मूल्य में कमी पर ₹31.93 करोड़ की कटौती और मूल्यह्रास की राशि पर ₹73.77 करोड़ की कमी को पुनर्मूल्यांकित राशि पर प्रभारित किया गया जिसका समायोजन पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि खाते से किया जाता है।

8.4.2 परिसर में ₹3.59 करोड़ (विगत वर्ष ₹3.59 करोड़ मूल्य की 4 संपत्तियाँ) मूल्य की 4 संपत्तियाँ हैं जिनका बही मूल्य, निवल मूल्यह्रास ₹55.22 करोड़ (विगत वर्ष ₹28.85 करोड़) है जिसके लिए पंजीकरण प्रक्रिया लंबित है।

8.5 लाभ एवं हानि लेखे में व्यय शीर्ष के तहत् दिखाए गए ''प्रावधान और आकस्मिकताओं'' का ब्रेकअप

(राशि ₹ करोड में)

निम्न के प्रति किए गए प्रावधान	2015-16	2014-15
I) निवेश के मूल्य में मूल्यह्रास (निवल)	39.90	-58.38
ii) गैर–निष्पादक अग्रिम (निवल)	2392.22	1262.98
निवेश	5.96	25.62
iii) मानक अग्रिम	-134.90	139.06
iv) आयकर	243.92	463.45
v) पुनः संरचित अग्रिम (एनपीवी)	-235.46	116.87
vi) अन्य	9.07	58.94
कुल	**2320.71**	**2008.54**

8.6 चल प्रावधान :

(₹ करोड में)

चल प्रावधान खाता	2015-16	2014-15
(ए) अथशेष 1 अप्रैल, 2015	46.76	93.52
(बी) वर्ष के दौरान जोड़	0.00	0.00
(सी) उपर्युक्त वर्ष के दौरान कमी*	0.00	46.76
(डी) अंतिम शेष 31 मार्च, 2016 को	46.76	46.76

8.7 आरक्षितियों से कमी:

(₹ करोड में)

क्रम सं.	आरक्षितियां	आहरित राशि	उद्देश्य
1.	पुनर्मूल्यन रिजर्व	73.77	परिसर में पुनर्मूल्यांकित भाग पर मूल्यह्रास
		31.93	आगे पुनर्मूल्यन पर कुछ परिसर के पुनर्मूल्यांकित बही मूल्य में कमी

8.2 Amount of Provision made for Income Tax during the year:

(Amount in ₹ crore)

	2015-16	2014-15
Provision for Taxation (Income Tax including Deferred Tax)	243.92	463.45

The disputed income tax demand as at 31.03.2016 is at ₹2350.60 Crores (previous year ₹1445.83 Crores), also included under contingent liabilities , out of which ₹2110.60 Crores (previous year ₹1441.98 Crores) is the disputed income tax paid as at 31.03.2016. No provision is considered necessary for the said disputed demands on account of judicial pronouncements and favourable decisions in Banks' own case.

8.3 Disclosure of Penalties imposed by RBI

During the year RBI has imposed penalty of ₹18.77 lakhs (312 entries) (Previous Year ending 2014-15 ₹18.35 lakhs -175 entries) for shortages, forgeries in soiled notes remittances and delayed / wrong reporting in ICCOMS / non adherence to RBI guidelines by the currency Chest operations.

8.4 Fixed Assets

8.4.1 During the year the bank revalued its premises on 29th February 2016 at fair market value determined by external valuers. There is an increase of ₹ 614.49 Crores in the amount of revaluation of premises which has been credited to "Revaluation Reserve Account", deduction of ₹ 31.93 Crores on decrease in book value of certain premises on revaluation and a deduction of ₹ 73.77 Crores on account of depreciation charged on revalued amount which is adjusted against the "Revaluation Reserve Account".

8.4.2 Premises include 4 properties costing ₹ 3.59 crores (Previous year – 4 properties costing ₹ 3.59 crores) having revalued book value, net of depreciation at ₹55.22 Crore (Previous year – ₹28.85 crore) for which registration formalities are pending.

8.5 Break-up of 'Provisions & Contingencies' shown under the head Expenditure in Profit and Loss Account :

(Amount in ₹ crore)

	Provision made towards	2015-16	2014-15
i)	Depreciation in the value of Investments (net)	39.90	-58.38
ii)	Non-Performing Advances (Net)	2392.22	1262.98
	Investments	5.96	25.62
iii)	Standard Advances	-134.90	139.06
iv)	Income Tax	243.92	463.45
v)	Restructured Advances (NPV)	-235.46	116.87
vi)	Others	9.07	58.94
	Total	**2320.71**	**2008.54**

8.6 Floating Provisions:

(Amount in ₹ crore)

	Floating Provisions Account	2015-16	2014-15
(a)	Opening Balance 1st April, 2015	46.76	93.52
(b)	Additions during the year	0.00	0.00
(c)	Draw down during the above year	0.00	46.76
(d)	Closing Balance as at 31st March, 2016	46.76	46.76

8.7 Draw Down from Reserves:

(Amount in ₹ crore)

Sl. No.	Reserves	Amount Drawn	Purpose
1.	Revaluation Reserve	73.77	Depreciation on revalued portion on Premises
		31.93	Decrease in revalued book value of certain premises on further revaluation

ग्राहक शिकायतें

ए. ग्राहक शिकायत

(ए) वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की सं.	56
(बी) वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की सं.	10375
(सी) वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की सं.	10363
(डी) वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की सं.	68

बी. क्रेडिट कार्ड

(ए) वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की सं.	60
(बी) वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की सं.	1060
(सी) वर्ष को दौरान निपटाई गई शिकायतों की सं.	1116
(डी) वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की सं.	4

सी. एटीएम शिकायत

	कुल	जिसमें कार्य किया गया
(ए) वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की सं.	855	379
(बी) वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की सं.	80546	13191
(सी) वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की सं.	79844	12776
(डी) वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की सं.	1557	794

8.8 बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित और बैंक के द्वारा कार्यान्वित किए गए अधिनिर्णय

(ए) वर्ष की शुरुआत में अकार्यान्वित अधिनिर्णय	शून्य
(बी) वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पास किए गए अधिनिर्णय	शून्य
(सी) वर्ष के दौरान कार्यान्वित किए गए अधिनिर्णय	शून्य
(डी) वर्ष के अंत में लंबित अकार्यान्वित अधिनिर्णय	शून्य

8.9 पूर्व तिमाहियों की तुलना में, 31.03.2016 को समाप्त तिमाही में प्राप्त ग्राहक शिकायतों का वर्गीकरण

क्र.सं	वर्गीकरण	को समाप्त तिमाही में प्राप्त शिकायतें									
		31.03.2015		30.06.2015		30.09.2015		31.12.2015		31.03.2016	
		सं	%	सं	%	सं	%	सं	%	सं	%
1	अग्रिम	166	8	107	6	104	4	123	4	134	5
2	एटीएम	175	8	127	7	187	7	206	7	227	8
3	क्रेडिट कार्ड	70	3	47	3	51	2	60	2	36	1
4	ग्राहक सेवा	328	15	353	19	471	17	447	16	459	16
5	डीमैट	1	0	3	0	2	0	1	0	2	0
6	जमा	126	6	151	8	174	6	155	5	135	5
7	सामान्य बैंकिंग	399	18	290	16	433	16	450	16	499	17
8	सरकारी योजनाएं	85	4	42	2	71	3	70	2	105	4
9	विविध	260	12	215	12	364	13	383	13	342	12
10	एनआरआई सेवा	88	4	69	4	75	3	104	4	101	3
11	प्रेषण	77	3	81	4	150	5	150	5	222	8
12	प्रौद्योगिकी	416	19	367	20	657	24	732	25	641	22
	कुल	2191	100	1852	100	2739	100	2881	100	2903	100

8.7 Customer Complaints :

A. Customer Complaints

(a)	No. of complaints pending at the beginning of the year	56
(b)	No. of complaints received during the year	10375
(c)	No. of complaints redressed during the year	10363
(d)	No. of complaints pending at the end of the year	68

B. Credit Card

(a)	No. of complaints pending at the beginning of the year	60
(b)	No. of complaints received during the year	1060
(c)	No. of complaints redressed during the year	1116
(d)	No. of complaints pending at the end of the year	4

C. ATM Complaints

		Total	Of which acquirer
(a)	No. of complaints pending at the beginning of the year	855	379
(b)	No. of complaints received during the year	80546	13191
(c)	No. of complaints redressed during the year	79844	12776
(d)	No. of complaints pending at the end of the year	1557	794

8.8 Number of awards passed by the Banking Ombudsman and implemented by the Bank is as follows:

(a)	Unimplemented awards at the beginning of the year	NIL
(b)	Awards passed by Banking Ombudsman during the year	NIL
(c)	Awards implemented during the year	NIL
(d)	Unimplemented award at the end of the year	NIL

8.9 Classification of customer complaints received during the quarter ended 31.03.2016 compared to the previous quarters:

Sl.No	Classification	Complaints received during the quarter ended									
		31.03.2015		30.06.2015		30.09.2015		31.12.2015		31.03.2016	
		No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
1	Advances	166	8	107	6	104	4	123	4	134	5
2	ATM	175	8	127	7	187	7	206	7	227	8
3	Credit Card	70	3	47	3	51	2	60	2	36	1
4	Customer Services	328	15	353	19	471	17	447	16	459	16
5	Demat	1	0	3	0	2	0	1	0	2	0
6	Deposits	126	6	151	8	174	6	155	5	135	5
7	General Banking	399	18	290	16	433	16	450	16	499	17
8	Govt. Schemes	85	4	42	2	71	3	70	2	105	4
9	Miscellaneous	260	12	215	12	364	13	383	13	342	12
10	NRI Services	88	4	69	4	75	3	104	4	101	3
11	Remittances	77	3	81	4	150	5	150	5	222	8
12	Technology	416	19	367	20	657	24	732	25	641	22
	TOTAL	2191	100	1852	100	2739	100	2881	100	2903	100

8.10 बैंक द्वारा जारी चुकौती आश्वासन पत्र :

31.03.2016 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक द्वारा 2219.81 करोड़ रुपए (गत वर्ष 1953.50 करोड़ रुपए) मूल्य के लिए 967 (गत वर्ष 842) चुकौती आश्वासन पत्र जारी किए गए हैं। 31.03.2016 को 326 (गत वर्ष 437) चुकौती आश्वासन पत्र बकाया है जिनकी राशि 835.60 (गत वर्ष 1215.80 करोड़ रुपए) करोड़ रुपए है।

एलओसी / एलओयू शेष पर अनुमानित वित्तीय असर ₹4.05 करोड़ तक होगा। 31.03.2016 को समाप्त वर्ष के दौरान, हमारी विदेशी शाखाओं द्वारा जारी चुकौती आश्वासन पत्र शून्य है तथा दिनांक 31.03.2016 को शेष शून्य है।

8.11 बैंक द्वारा सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकारियों को जारी उत्तरदायित्व के पत्र के कारण बैंक, सिंगापुर शाखा के साथ की न्यूनतम निवल समायोजित पूँजी निधि आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बैंक एफसीएनआर (बी) स्रोत से यूएसडी 43 एमआईओ (आईएनआर 268.75 करोड़ की समतुल्य राशि) तक की जमाएँ अनुरक्षित करता है।

8.12 ग्रामीण विकास हेतु इंडियन बैंक ट्रस्ट(आईबीटीआरडी)

22.09.2008 को बैंक द्वारा ग्रामीण विकास हेतु इंडियन बैंक ट्रस्ट स्थापित किया गया है जो ग्रामीण विकास पर अनन्य रूप से केन्द्रित ध्यान देते हुए ग्रामीण अवसरों को पकडने में समुदाय की सहायता करने में लगी हुई अन्य विभिन्न संस्थाओं/अभिकरणों के साथ बेहतर गोचर परिणाम प्राप्त करने हेतु समन्वय स्थापित करते हुए अच्छे परिणाम दिखाने का उद्देश्य रखता है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, इस न्यास के अधीन इंडियन बैंक स्वरोज़गार प्रशिक्षण संस्थान (इंडसेटी) की स्थापना, बारह केन्द्रों में की गयी है (आंधप्रदेश में) चित्तूर, पुदुच्चेरी क्षेत्र (पुदुच्चेरी संघशासित क्षेत्र में), कडलूर, धर्मपुरी, कांचीपुरम, कृष्णगिरी, नामक्कल, सेलम, तिरुवण्णामलै, तिरुवल्लुर, वेल्लूर और विळुपुरम (तमिलनाडु में) जो ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को कौशल उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करेगा जिससे वे स्वरोजगार/रोजगार पाने में सक्षम होंगे। ट्रस्ट के तहत 19 स्थानों यथा चित्तूर, मचलीपटनम (आंध्र प्रदेश में), कोल्लम, चदयमंगलम, पारस्साला (केरल में), पुदुच्वेरी (पुदुच्चेरी संघशासित क्षेत्र में), कडलूर, धर्मपुरी, कांचीपुरम, कृष्णगिरि, नामक्कल, सेलम, तिरुवण्णामलै, तिरुवल्लूर, (तमिलनाडु) में भी वित्तीय साक्षरता केन्द्र (एफएलसी) स्थापित किए गए एवं बैंक को वित्तीय समावेशन परियोजना में आम जनता की सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से उन्हें वित्तीय साक्षरता व काउंसिलिंग सेवाएँ प्रदान करने हेतु चेन्नै, दिल्ली और मुंबई में शहरी एफएलसी की स्थापना की गई हैं।

ट्रस्ट की खाता बहियों की लेखा परीक्षा ट्रस्ट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त सनदी लेखाकार द्वारा की जाती है।

वर्ष 2015–16* के लिए आईबीटीआरडी का अनंतिम आय व व्यय

(₹ करोड में)

आय के विवरण	रुपये
वर्ष 2015–16 के दौरान बैंक द्वारा किए गए अंशदान	20000000.00
प्रशिक्षण व्यय हेतु भारत सरकार से मिला अनुदान	0.00
अर्जित बैंक ब्याज	8732463.00
नाबार्ड से प्राप्त प्रशिक्षण कीमत की प्रतिपूर्ति	5717534.00
विविध आय	0.00
कुल आय	**34449997.00**
व्यय के विवरण	
वर्ष के दौरान व्यय	27177055.00
व्यय से अतिरिक्त आय	7272942.00
अंतिम शेष	
कुल व्यय	**34449997.00**
पूंजीगत लेखा	85995000.00
कॉर्पस निधि	85995000.00
आय व व्यय खाते में शेष	
01.04.2015 को अथ शेष	7765980.00
व्यय से अतिरिक्त आय	7272942.00
31.03.2016 को अंतिम शेष	15038922.00
कुल पूंजी खाता	**101033922.00**

*अंतिम लेखापरीक्षा के बाद आंकड़े बदल सकते हैं

8.10 Letter of comfort issued by the Bank:

During the year ended 31.03.2016, 967 (Previous year-842) letters of comfort have been issued by the bank amounting to ₹ 2219.81 Crores (Previous Year: ₹1953.50 crores). The letters of comfort outstanding as on 31.03.2016 are 326 (Previous Year-437) amounting to ₹ 835.60 Crores (Previous Year : ₹ 1215.80 crores)

The estimated financial impact on the outstanding LOC/LOU would be to the tune of ₹4.05 crores.During the year ended 31.03.2016, Letter of Comfort issued by our foreign branches (Singapore and Colombo) is NIL and outstanding as on 31.03.2016 is NIL.

8.11 In view of the Letter of Responsibility given by the Bank to the Monetary Authority of Singapore, the Bank continues to maintain deposits from FCNR (B) resources to the extent of USD 43 Mio (equivalent to INR 284.90 Crore) with Singapore Branch to meet the minimum Net Adjusted Capital Funds requirement of the Branch.

8.12 Indian Bank Trust for Rural Development

Indian Bank Trust for Rural Development has been set up by the Bank on 22.09.2008 to exclusively focus on rural development and accomplish better results by coordinating with various other players / agencies who are also engaged in the development of rural areas.

Under the Trust, Indian Bank Self Employment Training Institutes (INDSETIs) have been established in 12 centers, viz. Chittoor (in Andhra Pradesh), Puducherry (in UT of Puducherry), Cuddalore, Dharmapuri, Kancheepuram, Krishnagiri, Namakkal, Salem, Thiruvannamalai, Tiruvallur, Vellore and Villupuram (in Tamil Nadu) to impart skill oriented training to rural unemployed youth, to enable them to either self / wage employed. Financial Literacy Centres (FLCs) have also been established under the Trust in 19 places viz. Chittoor, Machilipatnam (in Andhra Pradesh), Kollam, Chadayamangalam, Parassala (in Kerala), Puducherry (in UT of Puducherry), Cuddalore, Dharmapuri, Kancheepuram, Krishnagiri, Namakkal, Salem, Thiruvannamalai, Tiruvallur, Vellore, Villupuram (in Tamil Nadu) and Urban FLCs in Chennai, Delhi and Mumbai to provide financial literacy and counseling services to the general public to assist the banks in financial inclusion project.

The books of account of the Trust are being subjected to audit, independently by the Chartered Accountants appointed by the Trust.

PROVISIONAL RECEIPTS AND PAYMENTS OF IBTRD FOR THE YEAR 2015-16*

(Amount in ₹)

Details of Income	
Contributions made by the Bank during the year 2015-16	20000000.00
Grant received from Govt. of India for training expenses	0.00
Bank interest earned	8732463.00
Training cost reimbursement received	5717534.00
Miscellaneous income	0.00
Total Income	**34449997.00**
Details of Expenditure	
Expenditure incurred during the year	27177055.00
Excess of income over Expenditure	7272942.00
Closing balance	
Total Expenditure	**34449997.00**
Capital Account	85995000.00
Corpus fund	85995000.00
Balance in Income & Expenditure account	
Opening Balance as on 01.04.2015	7765980.00
Add Excess of income over Expenditure	7272942.00
Closing Balance as on 31.03.2016	15038922.00
Total capital account	**101033922.00**

* Figures are subject to change on final audit.

8.13 जमाएँ अग्रिम, ऋण तथा एनपीएओ का संकेन्द्रण (बैंक द्वारा यथा समेकित)

8.13.1 जमाओं का संकेन्द्रण

(राशि ₹ करोड में)

	2015-16	2014-15
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाएँ (सिर्फ देशी)	10536.60	12318.33
बैंक की कुल जमाओं के साथ बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमाओं का प्रतिशत	6.10%	7.61%

8.13.2 अग्रिमों का संकेन्द्रण

(राशि ₹ करोड में)

	2015-16	2014-15
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं की कुल अग्रिम	20529.84	17045.61
बैंक की कुल अग्रिमों के साथ बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं की अग्रिमों का प्रतिशत	15.48%	11.80%

8.13.3 एक्स्पोजरों का संकेन्द्रण

(राशि ₹ करोड में)

	2015-16	2014-15
बीस सबसे बडे उधारकर्ताओं / ग्राहकों को कुल एक्स्पोजर	25524.58	23480.28
बैंक के उधारकर्ताओं / ग्राहकों को कुल एक्स्पोजर के साथ बीस सबसे बडे उधारकर्ताओं / ग्राहकों को एक्स्पोजर का प्रतिशत	13.18%	12.82%

8.13.4 एनपीए का संकेन्द्रण

(राशि ₹ करोड में)

	2015-16	2014-15
सबसे बडे चार एनपीए खातों को कुल एक्स्पोजर	2174.99	1239.01

8.14 सेक्टर वार अग्रिम

(₹ करोड़ में)

क्र. संख्या	सेक्टर	चालू वर्ष			गत वर्ष		
		कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	सेक्टर में कुल अग्रिम के सकल एनपीए का प्रतिशत	कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	सेक्टर में कुल अग्रिम के सकल एनपीए का प्रतिशत
ए	**प्राथमिक क्षेत्र**						
1.	कृषि व सहबद्ध कार्यकलाप	23017.56	618.20	2.68	23686.18	450.67	1.90
2.	उद्योग क्षेत्र के अग्रिम जोकि प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण में योग्य हैं	5757.96	673.04	11.69	5119.36	342.77	6.69
3.	सेवाएँ	13828.61	545.86	3.95	10482.63	453.73	4.33
4.	वैयक्तिक ऋण	7729.39	314.14	4.06	8048.43	302.68	3.76
	पूर्ण योग (ए)	**50333.52**	**2151.24**	**4.27**	**47336.60**	**1549.85**	**3.27**
बी	**गैर–प्राथमिक क्षेत्र**						
1.	कृषि व सहबद्ध कार्यकलाप	-	-	-	-	-	-
2.	उद्योग क्षेत्र	42280.70	5500.20	13.01	32878.62	2423.26	7.37
3.	सेवाएँ	28522.36	1083.62	3.80	39435.72	1639.93	4.16
4.	वैयक्तिक ऋण	11495.56	91.98	0.80	9180.75	57.36	0.62
	पूर्ण योग (बी)	**82298.62**	**6675.80**	**8.11**	**81495.09**	**4120.55**	**5.06**
	कुल (ए+बी)	**132632.14**	**8827.04**	**6.66**	**128831.69**	**5670.44**	**4.40**

8.13 Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs (As compiled by the Bank)

8.13.1 Concentration of Deposits

(Amount in ₹ crore)

	2015-16	2014-15
Total Deposits of twenty largest depositors (domestic only)	10536.60	12318.33
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to total Deposits of the Bank	6.10%	7.61%

8.13.2 Concentration of Advances

(Amount in ₹ crore)

	2015-16	2014-15
Total Advances to twenty largest borrowers	20529.84	17045.61
Percentage of Advances of twenty largest borrowers to total Advances of the Bank	15.48%	11.80%

8.13.3 Concentration of Exposures

(Amount in ₹ crore)

	2015-16	2014-15
Total Exposures to twenty largest borrowers/customers	25524.58	23480.28
Percentage of Exposures of twenty largest borrowers/ customers to Total Exposures of the Bank on borrowers/ customers	13.18%	12.82%

8.13.4 Concentration of NPAs

(Amount in ₹ crore)

	2015-16	2014-15
Total Exposures to top four NPA accounts	2174.99	1239.01

8.14 Sector-wise Advances

(Amount in ₹ crore)

Sl. No.	Sector	Current year			Previous year		
		Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
A	**Priority Sector**						
1.	Agriculture and allied activities	23017.56	618.20	2.68	23686.18	450.67	1.90
2.	Advances to industries sector eligible as priority sector lending	5757.96	673.04	11.69	5119.36	342.77	6.69
3.	Services	13828.61	545.86	3.95	10482.63	453.73	4.33
4.	Personal loans	7729.39	314.14	4.06	8048.43	302.68	3.76
	Sub-total (A)	**50333.52**	**2151.24**	**4.27**	**47336.60**	**1549.85**	**3.27**
B	**Non Priority Sector**						
1.	Agriculture and allied activities	-	-	-	-	-	-
2.	Industry	42280.70	5500.20	13.01	32878.62	2423.26	7.37
3.	Services	28522.36	1083.62	3.80	39435.72	1639.93	4.16
4.	Personal loans	11495.56	91.98	0.80	9180.75	57.36	0.62
	Sub-total (B)	**82298.62**	**6675.80**	**8.11**	**81495.09**	**4120.55**	**5.06**
	Total (A+B)	**132632.14**	**8827.04**	**6.66**	**128831.69**	**5670.44**	**4.40**

सम्बंधित क्षेत्र के 10 प्रतिशत से अधिक के अग्रिमों का उप–क्षेत्रक वर्गीकरण :

क्र. संख्या	सेक्टर	चालू वर्ष			गत वर्ष		
		कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	सेक्टर में कुल अग्रिम के सकल एनपीए का प्रतिशत	कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	सेक्टर में कुल अग्रिम के सकल एनपीए का प्रतिशत
ए	प्राथमिकता क्षेत्र	-	-	-	-	-	-
बी	गैर प्राथमिकता क्षेत्र						
	उद्योग क्षेत्र						
	ऊर्जा	10509.45	638.51	6.08	12579.10	396.94	3.16
	धातु	4842.21	2935.73	60.63	3967.97	484.87	12.22
	सेवाएँ						
	एनबीएफसी	13339.49	0.00	0.00	8561.92	0.00	0.00

8.15 एनपीए में परिवर्तन / तकनीकी रूप से बट्टे खाते डालना

8.15.1 एनपीए में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

विवरण	2015-16	2014-15
01 अप्रैल 2015 को सकल एनपीए (प्रारंभिक शेष)	5670.44	4562.20
वर्ष के दोरान जोड (नए एनपीए)	5703.82	3338.87
उप–कुल (ए)	11374.26	7901.70
घटाएँ :		
(i) कोटि–उन्नयन	91.05	100.74
(ii)एआरसी को आंबटित राशि	1004.24	1017.99
(iii) वसूलियां (कोटि उन्नयन किए गए खातों से वसूली गयी राशियों को छोड़कर	525.51	562.20
(iv) तकनीकी / विवेकपूर्ण रूप से बट्टे खाते डाले गए खाते	906.12	526.17
(v) उपर्युक्त (iii) के अंतर्गत के अलावा बट्टा खाता में डाले गए	20.30	23.53
उप–कुल (बी)	2547.22	2230.63
31 मार्च 2016 को सकल एनपीए (अंत शेष ए–बी)	8827.04	5670.44

8.15.2 तकनीकी / विवेकपूर्ण रूप से बट्टे खाते डालना

विवरण	2015-16	2014-15
अप्रैल 01, 2015 से तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खाते में डाले गये खातों का प्रारंभिक शेष	2213.26	1982.40
जोडें : वर्ष के दौरान तकनीकी / विवेकपूर्ण रूप से बट्टे खाते में डाले गये खाते	906.12	526.17
उप–कुल (ए)	3119.38	2508.57
घटाएं : वर्ष के दौरान पिछले वर्षों में तकनीकी / विवेकपूर्ण रूप से बट्टे खाते में डाले गये खातों से की गई वसूली (बी)	323.98	295.31
31 मार्च, 2016 को अंत शेष (ए बी)	2795.40	2213.26

8.15.3 भारिबैंक द्वारा प्रारम्भ किए अनुसार आस्ति गुणवत्ता की समीक्षा (एक्यूआर) के अनुरूप, बैंक ने वर्ष के दौरान भारिबैंक द्वारा किए गए पुनरीक्षा के अनुसार कुछ खातों पर अतिरिक्त प्रावधान उपलब्ध कराया है।

8.16 ओवरसीज़ आस्तियां, एनपीए और राजस्व

विवरण	2015-16	2014-15
कुल आस्तियां	9071.71	8130.44
कुल एनपीए	562.77	364.35
सकल एनपीए	499.45	304.05
निवल एनपीए	123.65	44.10
कुल राजस्व	285.65	317.69

Sub Sector Classification of Advances which exceeds more than 10% of the respective Sector:

Sl. No.	Sector	Current year			Previous year		
		Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
A	**Priority Sector**	-	-	-	-	-	-
B	**Non Priority Sector**						
	Industry						
	Power	10509.45	638.51	6.08	12579.10	396.94	3.16
	Metal	4842.21	2935.73	60.63	3967.97	484.87	12.22
	Services						
	NBFC	13339.49	0.00	0.00	8561.92	0.00	0.00

8.15 Movement of NPAs/Technical Write-off

8.15.1 Movement of NPAs

(Amount in ₹ crore)

Particulars	2015-16	2014-15
Gross NPAs as on 1st April of 2015 (Opening Balance)	5670.44	4562.20
Additions (Fresh NPAs) during the year	5703.82	3338.87
Sub-total (A)	11374.26	7901.70
Less :		
(I) Upgradations	91.05	100.74
(ii)Amount assigned to ARC	1004.24	1017.99
(iii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	525.51	562.20
(iv) Technical/Prudential Write-offs	906.12	526.17
(v) Write-offs other than those under (iv) above	20.30	23.53
Sub-total (B)	2547.22	2230.63
Gross NPAs as on 31st March 2016 (closing balance (A-B)	8827.04	5670.44

8.15.2 Technical / Prudential Write-off

Particulars	2015-16	2014-15
Opening bal of Technical / Prudential written-off accounts as at 01st April, 2015	2213.26	1982.40
Add: Technical/ Prudential write-offs during the year	906.12	526.17
Sub-total (A)	3119.38	2508.57
Less: Recoveries made from previously technical/prudential written-off accounts during the year (B)	323.98	295.31
Closing bal as at 31st March, 2016 (A-B)	2795.40	2213.26

8.15.3 In accordance with Asset Quality Review (AQR) undertaken by RBI, the Bank has made additional provision on certain accounts as advised by RBI during the year.

8.16 Overseas Assets, NPAs and Revenue

Particulars	2015-16	2014-15
Total Assets	9071.71	8130.44
Total NPAs	562.77	364.35
Gross NPA	499.45	304.05
Net NPA	123.65	44.10
Total Revenue	285.65	317.69

8.17 ए. तुलनपत्र के बाहर – प्रायोजित एसपीवी (जिन्हें लेखाकरण मानदण्डों के अनुसार समेकित करना है)

प्रायोजित एसपीवी का नाम	
देशी	ओवरसीज़
शून्य	शून्य

बी. प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण : शून्य

सी. ऋण डिफ़ाल्ट स्वैप : शून्य

8.18 बैंक एश्यूरेन्स कारोबार

वर्तमान वर्ष के दौरान बैंक ने विभिन्न बैंक एश्यूरेन्स उत्पादों की बिक्री / विपणन से रुपए 9.15 करोड़ का कमीशन अर्जित किया है (पिछले वर्ष रुपए 6.16 करोड़) ।

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	आय का स्वरूप	**2015-16**	**2014-15**
1	जीवन बीमा पालिसी की बिक्री के लिए	5.18	2.52
2	गैर जीवन बीमा पालिसी की बिक्री के लिए	3.62	3.17
3	अन्य – म्यूचुअल फंड उत्पादों की बिक्री के लिए	0.35	0.47
	कुल	**9.15**	**6.16**

8.19 i) आकस्मिक देयताओं में एक खाता – मेसर्स निम्बस कम्यूनिकेशन्स लि. शामिल है, जिसमें सहभागिता संघ के बैंकों द्वारा बीसीसीआई के पक्ष में गारंटियाँ जारी की गई थीं। बीसीसीआई ने सहभागिता संघ के बैंकों के विरुद्ध गारंटी देयता का दावा करते हुए वाद दायर किया तथा वाद में 400 करोड़ रुपए अदा करने पर प्रतिरक्षा रने की सशर्त अनुमति दी गई थी तथा इसमें बैंक का हिस्सा 100 करोड़ रुपए हैं। हमारे बैंक का रुपए 100 करोड़ का हिस्सा प्रोथोनोटरी और बंबई के माननीय उच्च न्यायालय के सीनियर मास्टर के साथ विप्रेषित किया गया। सम्मरी वाद, बंबई के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष न्यायनिर्णयन के लिए लंबित है।

8.20. जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरूकता निधि (डीईएएफ) को अंतरण :

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
डीईएएफ को अंतरित राशियों का प्रारंभिक शेष	72.97	-
जोडें : वर्ष के दौरान डीईएएफ को अंतरित राशियाँ	34.73	72.97
घटाएं : डीईएएफ द्वारा दावों के लिए प्रतिपूरित राशियाँ		-
डीईएएफ को अंतरित राशियों का अंत शेष	107.70	72.97

8.21. तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) पर गुणात्मक नोट :

	(₹ करोड़ में)	जून तिमाही–1		सितंबर तिमाही–2		दिसंबर तिमाही–1		मार्च तिमाही–1	
	उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियाँ	कुल भार न लगाया गया मूल्य (औसत)	कुल भार न लगाया गया मूल्य (औसत)	कुल भार न लगाया गया मूल्य (औसत)	कुल भार न लगाया गया मूल्य (औसत)	कुल भार न लगाया गया मूल्य (औसत)	कुल भार न लगाया गया मूल्य (औसत)	कुल भार न लगाया गया मूल्य (औसत)	कुल भार न लगाया गया मूल्य (औसत)
1.	कुल उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियाँ		20253.45		20426.75		21750.34		23585.59
	निधि का बहिर्प्रवाह								
2.	खुदरा जमाएं और लघु व्यापार ग्राहकों से प्राप्त जमाएं, जिसमें से	113608.75	10674.58	115444.59	10848.45	116375.39	10933.74	100603.38	9598.82
(i)	स्थायी जमाएं	13725.84	686.29	13920.18	696.01	14075.99	703.80	9230.40	461.52
(ii)	कम स्थायी जमाएं	99882.90	9988.29	101524.41	10152.44	102299.41	10229.94	91372.98	9137.30
3.	अरक्षित थोक निधीयन	47798.92	22461.89	46411.69	19930.14	43071.07	18225.09	43110.29	18834.49
(i)	परिचालनगत जमाएं (सभी काउंटर पार्टी)	14.92	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8.17 a) Off-balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

Name of the SPV sponsored	
Domestic	Overseas
NIL	NIL

b) Disclosures relating to Securitisation : NIL

c) Credit Default Swaps: NIL

8.18 BANCASSURANCE BUSINESS

During the current year, the Bank has earned commission, etc, to the extent of ₹ 9.15 Crore on sale/marketing of various Bancassurance products/Mutual Funds (previous year ₹ 6.16 Crore).

(Amount in ₹ crore)

Sl No.	Nature of Income	2015-16	2014-15
1	For Selling Life Insurance Policies	5.18	2.52
2	For selling Non-life insurance policies	3.62	3.17
3	Others – For selling Mutual Fund Products	0.35	0.47
	Total	**9.15**	**6.16**

8.19 i) Contingent liabilities include an A/c M/s Nimbus Communications Ltd., Guarantees were issued by Consortium Banks favouring BCCI. BCCI filed suit against Consortium Banks claiming guarantee liability and in the suit, conditional leave to defend was granted on making payment of ₹ 400 crores, wherein our Bank share is ₹ 100 crore. Remittance of our Bank's share of ₹100 crore was made with the Prothonotary and Senior Master of the Hon'ble High Court of Bombay. The summary suit is pending adjudication before Hon'ble High Court of Bombay.

8.20. Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF)

(Amount in ₹ crore)

Particulars	Current year	Previous year
Opening balance of amounts transferred to DEAF	72.97	-
Add : Amounts transferred to DEAF during the year	34.73	72.97
Less : Amounts reimbursed by DEAF towards claims		-
Closing balance of amounts transferred to DEAF	107.70	72.97

8.21. Qualitative Note on Liquidity Coverage Ratio (LCR):

	(Rs in Crore)	Jun Q1		Sep Q2		Dec Q3		Mar Q4	
	HIGH QUALITY LIQUID ASSETS	Total UnWeighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total UnWeighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total UnWeighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total UnWeighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)
1.	Total High Quality Liquid Assets (HQLA)		20253.45		20426.75		21750.34		23585.59
	Cash Outflows								
2.	Retail deposits and deposits from Small business customers, of which:	113608.75	10674.58	115444.59	10848.45	116375.39	10933.74	100603.38	9598.82
(i)	Stable Deposits	13725.84	686.29	13920.18	696.01	14075.99	703.80	9230.40	461.52
(ii)	Less Stable deposits	99882.90	9988.29	101524.41	10152.44	102299.41	10229.94	91372.98	9137.30
3.	Unsecured wholesale funding	47798.92	22461.89	46411.69	19930.14	43071.07	18225.09	43110.29	18834.49
(I)	Operational deposits (all counterparties)	14.92	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	(₹ करोड़ में)	जून तिमाही–1		सितंबर तिमाही–2		दिसंबर तिमाही–3		मार्च तिमाही–4	
	उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियाँ	**कुल भार न लगाया गया मूल्य (औसत)**	**कुल भार न लगाया गया मूल्य (औसत)**	**कुल भार न लगाया गया मूल्य (औसत)**	**कुल भार न लगाया गया मूल्य (औसत)**	**कुल भार न लगाया गया मूल्य (औसत)**	**कुल भार न लगाया गया मूल्य (औसत)**	**कुल भार न लगाया गया मूल्य (औसत)**	**कुल भार न लगाया गया मूल्य (औसत)**
(ii)	गैर–परिचालनगत जमाएं (सभी काउंटर पार्टीयाँ)	42207.98	16883.19	44135.91	17654.37	41409.96	16563.99	40459.67	16183.87
(iii)	अरक्षित ऋण	5576.01	5576.01	2275.78	2275.78	1661.11	1661.11	2650.62	2650.62
4	रक्षित थोक निधीयन		0.00		0.00		0.00		0.00
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिसमें से	20489.27	2787.13	20298.40	2953.65	20213.08	2993.86	18534.59	2236.89
(I)	व्युत्पन्न ऋण और अन्य संपार्श्विक अपेक्षाओं से संबंधित बहिर्प्रवाह	235.24	235.24	549.17	549.17	531.33	531.33	262.09	262.09
(ii)	ऋण उत्पादों पर निधीयन में हानियों से संबंधित बहिर्प्रवाह								
(iii)	ऋण और तरलता सुविधाएं	20254.03	2551.89	19749.24	2404.48	19681.75	2462.53	18272.51	1974.81
6	अन्य संविदागत निधीयन बाध्यताएं	2920.69	2920.69	5025.81	5025.81	3767.47	3767.47	1081.88	1081.88
7	अन्य आकस्मिक निधीयन बाध्यताएं	16241.78	812.09	15235.30	761.77	15160.62	758.03	16029.55	581.33
8	**कुल नकदी बहिर्प्रवाह**		39656.39		39519.82		36678.20		32333.42
नकदी आवक प्रवाह									
			कुल समायोजित मूल्य (3)		**कुल समायोजित मूल्य (3)**		**कुल समायोजित मूल्य (3)**		
9	रक्षित ऋणद (उदा. रिवर्स रेपो)	1283.33	0.00	1177.29	0.00	861.27	0.00	966.67	0.00
10	पूर्णतः निष्पादक ऋणों से आवक नकदी प्रवाह	10255.89	5471.17	9858.48	5062.93	9736.95	4947.70	9672.11	4982.70
11	अन्य आवक नकदी प्रवाह	7389.41	6256.68	9610.05	8707.74	6359.48	6359.48	6356.99	6356.99
12	कुल आवक नकदी प्रवाह	18928.64	11727.84	20645.82	13770.67	16957.69	11307.17	16995.77	11339.69
			कुल समायोजित मूल्य		**कुल समायोजित मूल्य**		**कुल समायोजित मूल्य**		**कुल समायोजित मूल्य**
	कुल एचक्यूएलए		20253.45		20426.75		21750.34		23585.59
	कुल निवल नकदी बहिर्प्रवाह		27928.54		25749.15		25371.02		20993.73
	तरलता कवरेज अनुपात (प्रतिशत)		72.43%		79.62%		86.11%		112.61%

बैंक की जोखिम प्रोफाइल के अल्पावधि लचीलेपन में वृद्धि करने के लिए पर्याप्त 30 दिनों के एक भारी तनाव परिदृश्य को बनाए रखने हेतु यह सुनिश्चित किया कि इसके पास उच्च गुणवत्ता के तरल संसाधन हैं, एलसीआर बनाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार 1 जनवरी, 2016 को एलसीआर की न्यूनतम आवश्यकता 70% थी जोकि जनवरी, 2019 तक चरणबद्ध तरीके से बढ़कर 100% हो जाएगी। एलसीआर के आकलन के लिए प्रक्रिया भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार है।

	(Rs in Crore)	Jun Q1		Sep Q2		Dec Q3		Mar Q4	
	HIGH QUALITY LIQUID ASSETS	Total UnWeighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total UnWeighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total UnWeighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)	Total UnWeighted Value (Average)	Total Weighted Value (Average)
(ii)	Non operational deposits (all counterparties)	42207.98	16883.19	44135.91	17654.37	41409.96	16563.99	40459.67	16183.87
(iii)	Unsecured debt	5576.01	5576.01	2275.78	2275.78	1661.11	1661.11	2650.62	2650.62
4	Secured wholesale funding		0.00		0.00		0.00		0.00
5	Additional requirements, of which	20489.27	2787.13	20298.40	2953.65	20213.08	2993.86	18534.59	2236.89
(I)	Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	235.24	235.24	549.17	549.17	531.33	531.33	262.09	262.09
(ii)	Outflows related to loss of funding on debtproducts								
(iii)	Credit and liquidity facilities	20254.03	2551.89	19749.24	2404.48	19681.75	2462.53	18272.51	1974.81
6	Other contractual funding obligations	2920.69	2920.69	5025.81	5025.81	3767.47	3767.47	1081.88	1081.88
7	Other contingent funding obligations	16241.78	812.09	15235.30	761.77	15160.62	758.03	16029.55	581.33
8	TOTAL CASH OUTFLOWS		39656.39		39519.82		36678.20		32333.42
Cash Inflows									
			Total Adjusted Value (3)		Total Adjusted Value (3)		Total Adjusted Value (3)		
9	Secured lending (e.g. reverse repos)	1283.33	0.00	1177.29	0.00	861.27	0.00	966.67	0.00
10	Inflows from fully performing exposures	10255.89	5471.17	9858.48	5062.93	9736.95	4947.70	9672.11	4982.70
11	Other cash inflows	7389.41	6256.68	9610.05	8707.74	6359.48	6359.48	6356.99	6356.99
12	TOTAL CASH INFLOWS	18928.64	11727.84	20645.82	13770.67	16957.69	11307.17	16995.77	11339.69
			Total Adjusted Value		Total Adjusted Value		Total Adjusted Value		Total Adjusted Value
	TOTAL HQLA		20253.45		20426.75		21750.34		23585.59
	TOTAL NET CASH OUTFLOWS		27928.54		25749.15		25371.02		20993.73
	LIQUIDITY COVERAGE RATIO (%)		72.43%		79.62%		86.11%		112.61%

The LCR is designed to promote short-term resilience of a bank's liquidity risk profile by ensuring that it has sufficient high quality liquid resources to survive an acute stress scenario lasting for 30 days. As per the RBI guidelines minimum requirement of LCR as on January 1, 2016 is 70% which will increase to 100% on January 2019 in a phased manner. The methodology for estimating the LCR is based on RBI guidelines.

दबावग्रस्त 30 केलेन्डर दिवस अवधि के अनुमानित निवल बहिर्गमन द्वारा उच्च गुणवत्ता तरल भारमुक्त परिसंपत्तियों की राशि को विभाजित करते हुए एलसीआर की गणना की जाती है। देयताओं की विभिन्न श्रेणियों (जमा, असुरक्षित और सुरक्षित थोक उधार) हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित बहिर्गमन कारकों को लागू करके तथा पूरी नहीं की गई प्रतिबद्धताओं और डेरिवेटिव से संबंधित एक्सपोजरों, आंशिक रूप से 30 दिनों के भीतर परिपक्व होने वाली संपत्तियों के बहिर्गमन द्वारा निवल नकद बहिर्गमन की गणना की जाती है।

बैंक ने मार्च 31, 2016 को समाप्त तिमाही के दौरान सांविधिक चलनिधि अनुपात की न्यूनतम 70% आवश्यकता के हिसाब से 14695.61 करोड़ रुपये की चलनिधि आवश्यकता के मुकाबले 23585.59 करोड़ रुपये की राशि के औसत एचक्यूएलए (हेयरकट के बाद) को बनाए रखा। एचक्यूएलए में मुख्य रूप से न्यूनतम सांविधिक चलनिधि अनुपात की अधिकता में सरकारी प्रतिभूतियां, सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के अंतर्गत अनुमत सीमा तथा एलसीआर (एफएएलएलसीआर) के लिए चलनिधि का लाभ लेने की सुविधा शामिल थी। इसके अतिरिक्त, एचक्यूएलए स्तर 1 के हिस्से के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक और विदेशी केंद्रीय बैंकों की नकद आरक्षित आवश्यकता से अधिक नकद शेष रहा। मार्च 31, 2016 को समाप्त तिमाही के लिए इंडियन बैंक का औसत मासिक एलसीआर 112.61% रहा।

बैंक के एलसीआर के मुख्य कारक इसके पर्याप्त उच्च गुणवत्ता चलनिधि परिसंपत्तियां हैं, जो सदैव बैंक की चलनिधि की जरूरतों को पूरा करती है। भारित नगद बहिर्गमन मुख्यतः असुरक्षित थोक निधीयन द्वारा संचालित होती है, जोकि कुल भारित नगद बहिर्गमन का 57.63 प्रतिशत है। कुल भारित नगदी बहिर्गमन में छोटे व्यावसाय करनेवाले ग्राहकों की जमाओं को सम्मिलित कर 29.68 प्रतिशत का अंशदान खुदरा जमाओं से संबन्धित है। अन्य आकस्मिक निधियन के दायित्व में मुख्यतः बैंक के ग्राहकों की ओर से जारी बैंक गारंटी (बीजी) एवं साखपत्र (एलसी) है।

पिछले तिमाही की तुलना में मार्च 2016 में एलसीआर के औसत में उतार चढाव के मुख्य कारण निम्नानुसार है।

- 31.03.2016 को समाप्त तिमाही में एचक्यूएलए में वृद्धि फरवरी 2016 से भारिबैंक द्वारा एचक्यूएलए के अंतर्गत स्वीकृत चलनिधि कवरेज अनुपात (एफएएलएलसीआर) के 3 प्रतिशत के एनडीटीएल की सुविधा का लाभ उठाने से हुआ।
- साथ ही, दिनांक 23 मार्च 2016 को भारिबैंक द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार चलनिधि कवरेज अनुपातों के लिए किए गए निवेश में अंशदान की गणना भी परिवर्तित हुई है। अनुसंगी निधीयन देयताओं जैसे प्रतिभूतियां, साखपत्र एवं व्यापार वित्त के लिए बहिर्गमन कारकों को संशोधित करके 5 प्रतिशत से 3 प्रतिशत कर दिया गया एवं इसे नये सिरे से परिभाषित करते हुए खुदरा जमा एलसीआर में सम्मिलित कर लिया गया है।

दिनांक 31.03.2016 तक जमाओं में बैंक के दो महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष है। इन दो महत्वपूर्ण प्रतिपक्षों ने कुल देयता में 2.26 प्रतिशत का अंशदान दिया है जिसमें बृहत जमाकर्ता ने कुल जमाओं का 1.17 प्रतिशत का अंशदान दिया है। दिनांक 31.03.2016 को 20 बृहत जमाकर्ताओं का अंशदान कुल देयता का 5.89 प्रतिशत है। बैंक के अपने कुल देयता में उसके महत्वपूर्ण उत्पाद/लिखत– बचत खाता, चालु खाता, मियादी जमा एवं मियादी रेपो ऋण को सम्मिलित करती है जो क्रमशः 4.55 प्रतिशत, 22.82 प्रतिशत, 60.15 प्रतिशत एवं 1.82 प्रतिशत है तथा ये निधीयन जो व्यापक रूप से फैले हुए है वे बैंक के लिए सकेन्द्रण जोखिम उत्पन्न नहीं कर सकते हैं।

बैंक की देयता का प्रबंधन आस्ति देयता प्रबंधन समिति (आलको) द्वारा किया जाता है एवं आकस्मिक निधियन योजना को तिमाही तनाव परीक्षण के आधार पर लागू किया जाता है।

नोट

दिनांक 31.03.2016 को समाप्त तिमाही के लिए एलसीआर की गणना भारिबैंक दिशानिर्देशों के अनुसार समेकित आधार पर किया जाता है।

9. लेखा मानकों (एएस) के अनुसार प्रकटीकरण :

9.1 मार्च 31, 2016 (एएस 3) को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

	31.03.2016 को समाप्त वर्ष (₹ 000 में)	31.03.2015 को समाप्त वर्ष (₹ 000 में)
लाभ व हानि खाते के अनुसार निवल लाभ	**7113834**	**10051743**
समायोजन हेतु		
प्रावधान व आकस्मिकताएं	23207090	20085416
मूल्यह्रास	1505791	1381183
आस्तियों की बिक्री पर हानि/(लाभ)	18981	15831
भुगतान किए गए आय कर	(6325000)	-7012942
कार्यशील पूँजी परिवर्तनों के पूर्व परिचालनगत लाभ (i)	**25520696**	**24521231**
परिचालनगत आस्तियों में वृद्धि / कमी		
निवेशों में कमी/(वृद्धि)	(73609921)	10118076
अग्रिमों में वृद्धि	(31855305)	-36545600
अन्य आस्तियों में वृद्धि	(8674256)	-2393394

The LCR is calculated by dividing the amount of high quality liquid unencumbered assets (HQLA) by the estimated net outflows over a stressed 30 calendar day period. The net cash outflows are calculated by applying RBI prescribed outflow factors to the various categories of liabilities (deposits, unsecured and secured wholesale borrowings), as well as to undrawn commitments and derivatives-related exposures, partially offset by inflows from assets maturing within 30 days.

The bank during the quarter ended March 31, 2016 had maintained average HQLA (after haircut) of Rs. 23585.59 Crores as against the average liquidity requirement of Rs. 14695.61 Crores at a minimum LCR requirement of 70%. HQLA primarily included government securities in excess of minimum Statutory Liquidity Ratio (SLR), the extent allowed under the Marginal Standing Facility (MSF) and the Facility to Avail Liquidity for LCR (FALLCR). Additionally cash, balances in excess of cash reserve requirement with RBI and the overseas central banks form part of level 1 HQLA. The monthly average LCR of the Indian bank for the quarter ended March 31, 2016 was 112.61%.

The main drivers of LCR of the bank are sufficient high quality liquid assets (HQLAs) to meet liquidity needs of the bank at all times. The weighted cash outflows are primarily driven by unsecured wholesale funding which contributed 57.63% of the total weighted cash outflows. Retail deposits including deposits from small business customers contributed 29.68% of the total weighted cash outflows. The other contingent funding obligations primarily include bank guarantees (BGs) and letters of credit (LCs) issued on behalf of the Bank's clients.

Major reason for the movement of average LCR in March 2016 as compared to the previous quarters are as follows:

- HQLA for the quarter ended March 31, 2016 increased as additional facility to avail liquidity for liquidity coverage ratio (FALLCR) of 3% of NDTL is permitted by RBI to be considered as HQLA from February 2016.
- Also, contribution of inputs to LCR's calculation has changed as per the RBI circular issued on March 23, 2016. Outflow factor for contingent funding liabilities like Guarantees, Letters of credit and Trade finance has been amended from 5% to 3% and Retail deposits to be included in LCR calculation were redefined.

Bank has two significant counterparties in the deposits as on 31.03.2016. The two significant counterparties contributed 2.26% of the total liabilities wherein largest depositor contributed 1.17% of total deposits. The total contribution of the top 20 largest depositors as on 31.03.2016 is 5.89% of the total liabilities. The significant product / instrument includes Saving deposit, Current deposit, Term deposit and Term repo borrowing which are 4.55%, 22.82%, 60.15%, and 1.82% of bank's total liability respectively, the funding from which are widely spread and cannot create concentration risk for the bank.

Bank's Liquidity is managed by the Asset Liability Management Committee (ALCO) and contingency funding plan is in place based on the quarterly stress testing results.

Note:

LCR for the quarter ended March 31, 2016 is computed on a consolidated basis as required by RBI guidelines.

9. DISCLOSURES IN TERMS OF ACCOUNTING STANDARDS (AS):

9.1 CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2016 (AS 3)

	Year ended 31.03.2016 (₹ in 000)	**Year ended 31.03.2015 (₹ in 000)**
Net Profit as per Profit and Loss Account	**7113834**	**10051743**
Adjustments for :		
Provisions and Contingencies	23207090	20085416
Depreciation	1505791	1381183
Loss/(profit) on sale of assets	18981	15831
Income Tax Paid	(6325000)	-7012942
Operating Profit before working Capital Changes (I)	**25520696**	**24521231**
Increase/Decrease in Operating Assets		
Decrease/(Increase) in Investments	(73609921)	10118076
Increase in advances	(31855305)	-36545600
Increase in other assets	(8674256)	-2393394

	31.03.2016 को समाप्त वर्ष (000 में)	31.03.2015 को समाप्त वर्ष (000 में)
(ii)	(114139482)	-28820918
परिचालनगत देयताओं में वृद्धि / कमी		
जमाओं में वृद्धि	90605709	69504524
अन्य देयताओं में वृद्धि	(11292765)	-13819284
(iii)	79312944	55685240
ए. परिचालनगत गतिविधियों (i)+ (ii)+ (iii) से सृजित निवल नकदी	**(9305842)**	**51385553**
बी. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
अचल आस्तियों की खरीद	(7827587)	-2429797
अचल आस्तियों की बिक्री	112521	67906
निवेश गतिविधियों से सृजित निवल नकदी	**(7715066)**	**-2361891**
सी. वित्तपोषण गतिविधियों से कुल नकदी प्रवाह		
लाभांश का भुगतान	(2017225)	-(2341586)
भारत सरकार से प्राप्त पूंजी अंशदान		(2800000)
प्रदत्त लाभांश वितरण कर	(412926)	-(397952)
उधार में वृद्धि / (कमी)	8632231	-23177786
वित्तपोषण गतिविधियों से सृजित निवल नकदी	**6202080**	**-23117324**
नकदी और नकदी समकरणों में निवल वृद्धि/(कमी) (ए) + (बी) + (सी)	**(10818828)**	**25906338**

		31.03.2016 को समाप्त वर्ष (000 में)		31.03.2015 को समाप्त वर्ष (000 में)
वर्ष के प्रारंभ में नकदी व नकदी तुल्य				
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ शेष				
हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)	4010209		2601706	
भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चालू खाते में शेष	79000490		74975096	
बैंकों में शेष				
(ए) चालू खातों में	203854		139118	
(बी) अन्य जमा खातों में	2757749		2759884	
बैंकों में मांग एवं अल्प सूचना पर राशियां				
भारत के बाहर बैंकों में शेष				
(ए) चालू खातों में	17630330		24344761	
(बी) अन्य जमा खातों में	27085937		81161	
मांग एवं अल्प सूचना पर राशियां	123166		3671	
		130811735		**104905397**
वर्ष के अंत में नकदी व नकदी तुल्य				
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ शेष				
हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)	5371302		4010209	
भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चालू खाते में शेष	86373211		79000490	
बैंकों में शेष				

	Year ended 31.03.2016 (₹ in 000)	Year ended 31.03.2015 (₹ in 000)
(ii)	(114139482)	-28820918
Increase/Decrease in Operating Liabilities		
Increase in Deposits	90605709	69504524
Decrease in other liabilities	(11292765)	-13819284
(iii)	79312944	55685240
A. Net cash generated from operations (i)+(ii)+(iii)	**(9305842)**	**51385553**
B. Cash flow from investing activities		
Purchase of fixed assets	(7827587)	-2429797
Sale of fixed assets	112521	67906
Net cash generated from Investing Activities	**(7715066)**	**-2361891**
C. Cash flow from Financing activities		
Payment of dividend	(2017225)	-(2341586)
Capital Contribution from Government of India		(2800000)
Dividend distribution tax paid	(412926)	-(397952)
(Decrease)/Increase in borrowings	8632231	-23177786
Net cash generated from financing activities	**6202080**	**-23117324**
Net increase/(Decrease) in cash & cash equivalents (A)+(B)+(C)	**(10818828)**	**25906338**

		Year ended 31.03.2016 (₹ in 000)		Year ended 31.03.2015 (₹ in 000)
CASH & CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR				
Cash & Balance with RBI				
cash in hand (including foreign currency notes)]	4010209		2601706	
Balances with Reserve Bank of India - in current Account	79000490		74975096	
Balances with Banks				
(a) in current Accounts	203854		139118	
(b) in other deposit accounts	2757749		2759884	
Money at Call and short notice with Banks				
Balances with Banks outside India				
(a) in current Accounts	17630330		24344761	
(b) in other deposit accounts	27085937		81161	
Money at call and short notice	123166		3671	
		130811735		**104905397**
CASH & CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR				
Cash & Balance with RBI				
cash in hand (including foreign currency notes)]	5371302		4010209	
Balances with Reserve Bank of India - in current Account	86373211		79000490	
Balances with Banks				

		31.03.2016 को समाप्त वर्ष (000 में)		31.03.2015 को समाप्त वर्ष (000 में)
(ए) चालू खातों में	103102		203854	
(बी) अन्य जमा खातों में	2759337		2757749	
बैंकों में मांग एवं अल्प सूचना पर राशियां				
भारत के बाहर बैंकों में शेष				
(ए) चालू खातों में	2582641		17630330	
(बी) अन्य जमा खातों में	22740372		27085937	
मांग एवं अल्प सूचना पर राशियां	62942		123166	
		119992907		**130811735**

9.2 इस अवधि के लिए निवल लाभ या हानि, पूर्ववर्ती अवधि की मदें और लेखांकन अवधि में परिवर्तन (एएस5)

बैंक के वर्तमान वर्ष के लाभ में पूर्ववर्ती की अवधि की आय ₹ 0.74 करोड **और** पूर्ववर्ती की अवधि की व्यय ₹ 0.87 करोड शामिल है।

9.3 स्टाफ को लाभ (एएस 15)

9.3.1 परिभाषित अंशदान योजनाएँ :

भविष्य निधि एक वैधानिक दायित्व है और अंशदायी भविष्य निधि का विकल्प चुननेवालों के मामले में बैंक पूर्वनिर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान अदा करता है। ऐसे निश्चित अंशदान की राशि तक ही बैंक का दायित्व सीमित है। इन अंशदानों को लाभ एवं हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है। निधि का प्रबंध इंडियन बैंक स्टाफ भविष्य निधि न्यास द्वारा किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान, बैंक ने ₹ 2.11 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.69 करोड़) का अंशदान दिया है।

नई पेंशन योजना उन कर्मचारियों पर लागू होती है, जिनकी बैंक में भर्ती 01.04.2010 के बाद हुई है और यह एक परिभाषित अंशदान योजना है। एनपीएस के अंतर्गत बैंक पूर्व निर्धारित दर पर एक निश्चित अंशदान अदा करता है और बैंक का दायित्व ऐसे निश्चित अंशदान तक सीमित है। इस अंशदान को लाभ एवं हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान, बैंक ने ₹26.47 करोड़ (पिछले वर्ष ₹19.36 करोड़) का अंशदान दिया है।

9.3.2 परिभाषित लाभ योजनाएं:

लेखा मानक–15 (संशोधित) के अनुसरण में अपेक्षित लाभ एवं हानि लेखा और तुलन पत्र में मान्यता दिए गए नियोजनोत्तर लाभ और दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों की संक्षेप में स्थिति निम्नानुसार है :–

I.मूल बीमांकन अनुमान (भारित औसतों के रूप में व्यक्त)	**31/03/2016**	**31/03/2015**
बट्टे की दर	पेंशन के लिए 8.04 प्रतिशत– 15 वर्ष जी–सेक पेपर उपदान के लिए 7.56 प्रतिशत –10 वर्ष जी–सेक पेपर	पेंशन के लिए 7.99 प्रतिशत– 15 वर्ष जी–सेक पेपर उपदान के लिए 7.95 प्रतिशत – 10 वर्ष जी–सेक पेपर
वेतन बढोत्तरी की दर	6.00 प्रतिशत (वेतन संशोधन हेतु 0.50 प्रतिशत सहित)	6.00 प्रतिशत (वेतन संशोधन हेतु 0.50 प्रतिशत सहित)
पदत्याग की दर	पेन्शन के लिए 1.00 प्रतिशत और सेवारत कर्मचारियों के लिए 2.00 प्रतिशत	पेन्शन के लिए 1.00 प्रतिशत और सेवारत कर्मचारियों के लिए 2.00 प्रतिशत
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल की दर*	9.00%	9.00%
प्रयुक्त तरीका	परियोजना इकाई जमा (पीयूसी) बीमांकिक तरीका	

* योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल की दर, छुट्टी भुनाई पर लागू नहीं होगी।

भविष्य में होनेवाली वेतन बढोत्तरी का आकलन, मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और नियोजन बाज़ार में आपूर्ति और मांग जैसे संगत तत्वों को हिसाब में लेते हुए और आईबीए द्वारा संसूचित अधिवर्षिता योजनाओं के निधीयन के दिशानिर्देश के अनुरूप किया जाता है।

छुट्टी भुनाई की देयताएँ गैर–निधिक होते हैं।

		Year ended 31.03.2016 (₹ in 000)		Year ended 31.03.2015 (₹ in 000)
(a) in current Accounts	103102		203854	
(b) in other deposit accounts	2759337		2757749	
Money at Call and short notice with Banks				
Balances with Banks outside India				
(a) in current Accounts	2582641		17630330	
(b) in other deposit accounts	22740372		27085937	
Money at call and short notice	62942		123166	
		119992907		**130811735**

9.2 Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in Accounting Policies (AS 5)

Current year profit of the Bank includes prior period income of ₹ 0.74 crores and prior period expenditure of ₹ 0.87 crores

9.3 EMPLOYEE BENEFITS (AS 15)

9.3.1 Defined Contribution Plans:

Provident fund is a statutory obligation and in the case of Contributory Provident Fund Optees, the Bank pays fixed contribution at pre-determined rates. The obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to Profit and Loss Account. The fund is managed by Indian Bank Staff Provident Fund Trust. During the financial year 2015-16, the Bank has contributed Rs.2.11 crores (previous year Rs.0.69 crore).

New Pension Scheme (NPS) is applicable to employees who joined bank on or after 01.04.2010 and it is a defined contribution scheme. Under NPS the Bank pays fixed contribution at pre determined rate and the obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss Account. During the financial year 2015-16, the Bank has contributed Rs.26.47 crores (previous year Rs.19.36 crores).

9.3.2 Defined Benefit Plans:

The summarized position of Post-employment benefits and long term employee benefits recognised in the Profit & Loss Account and Balance Sheet as required in accordance with Accounting Standard – 15 (Revised) are as under:

I.PRINCIPAL ACTUARIAL ASSUMPTIONS [Expressed as weighted averages]	**31/03/2016**	**31/03/2015**
Discount Rate	8.04% for Pension-15 year G-sec paper and 7.56% for Gratuity-10 year G-sec paper	7.99% for Pension-15 year G-sec paper and 7.95% for Gratuity-10 year G-sec paper
Salary escalation rate	6.00%(includes 0.50% for wage revision)	6.00%(includes 0.50% for wage revision)
Attrition rate	1.00% for Pension and 2.00% for Serving Employees	1.00% for Pension and 2.00% for Serving Employees
Expected rate of return on Plan Assets *	9.00%	9.00%
Method used	Projected Unit Credit (PUC) actuarial Method	

* Expected Rate of return on Plan Assets not applicable for Leave encashment.

The estimates of future salary increases are considered taking into account inflation, seniority, promotion and other relevant factors, such as supply and demand in the employment market and in tandem with Funding Guidelines for Superannuation Schemes communicated by IBA.

The liabilities of leave encashment are unfunded.

चालू वर्ष 2015–16

(₹ करोड़ में)

II. बाध्यता के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन – प्रारंभिक शेष एवं अंतशेष का लेखा समाधान	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
वर्ष के आरंभ में पीवीओ	**5306.22**	**844.78**	**154.58**
ब्याज लागत	404.03	58.63	7.24
वर्तमान सेवा लागत	75.54	42.82	17.14
विगत सेवा लागत – पहचानी गई / निहित लाभ	0.00	0.00	0.00
विगत सेवा लागत – न पहचानी गई /अनिहित लाभ	0.00	0.00	0.00
प्रदत्त लाभ	(562.05)	(138.49)	(117.70)
बाध्यता पर बीमांकिक हानि / (लाभ)(संतुलन आंकडा)	384.40	24.20	100.37
वर्ष की समाप्ति पर पीवीओ	**5608.14**	**831.94**	**161.63**

पिछले वर्ष 2014–15

(₹ करोड़ में)

II. बाध्यता के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन – प्रारंभिक शेष एवं अंतशेष का लेखा समाधान	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
वर्ष के आरंभ में पीवीओ	**4930.31**	**897.83**	**200.69**
ब्याज लागत	370.96	65.98	12.71
वर्तमान सेवा लागत	72.25	37.94	14.66
विगत सेवा लागत – पहचानी गई / निहित लाभ	0.00	0.00	0.00
विगत सेवा लागत – न पहचानी गई /अनिहित लाभ	0.00	0.00	0.00
प्रदत्त लाभ	(373.23)	(135.88)	(81.63)
बाध्यता पर बीमांकिक हानि / (लाभ)(संतुलन आंकडा)	305.93	(21.09)	8.15
वर्ष की समाप्ति पर पीवीओ	**5306.22**	**844.78**	**154.58**

चालू वर्ष 2015–16

(₹ करोड़ में)

III. योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन – प्रारंभिक शेष एवं अंतशेष का लेखा समाधान	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	**5215.05**	**835.47**	**0.00**
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	461.60	70.98	0.00
अंशदान	401.96	63.08	117.70
प्रदत्त लाभ	(562.05)	(138.49)	(117.70)
योजना आस्तियों पर बीमांकक लाभ / (हानि)(संतुलन आंकडा)	(7.61)	(1.66)	0.00
वर्ष की समाप्ति पर योजना आस्तियों का उचित मूल्य	**5508.95**	**829.38**	**0.00**

Current Year 2015-16

(Amount in ₹ crore)

II. CHANGES IN THE PRESENT VALUE OF THE OBLIGATION (PVO) - RECONCILIATION OF OPENING AND CLOSING BALANCES:	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
PVO as at the beginning of the year	**5306.22**	**844.78**	**154.58**
Interest Cost	404.03	58.63	7.24
Current service cost	75.54	42.82	17.14
Past service cost – recognized / vested benefits	0.00	0.00	0.00
Past service cost – unrecognized / non-vested benefits	0.00	0.00	0.00
Benefits paid	(562.05)	(138.49)	(117.70)
Actuarial loss/(gain) on obligation (balancing figure)	384.40	24.20	100.37
PVO as at the end of the year	**5608.14**	**831.94**	**161.63**

Previous year 2014-15

(Amount in ₹ crore)

II. CHANGES IN THE PRESENT VALUE OF THE OBLIGATION (PVO) - RECONCILIATION OF OPENING AND CLOSING BALANCES:	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
PVO as at the beginning of the year	**4930.31**	**897.83**	**200.69**
Interest Cost	370.96	65.98	12.71
Current service cost	72.25	37.94	14.66
Past service cost – recognized / vested benefits	0.00	0.00	0.00
Past service cost – unrecognized / non-vested benefits	0.00	0.00	0.00
Benefits paid	(373.23)	(135.88)	(81.63)
Actuarial loss/(gain) on obligation (balancing figure)	305.93	(21.09)	8.15
PVO as at the end of the year	**5306.22**	**844.78**	**154.58**

Current Year 2015-16

(Amount in ₹ crore)

III. CHANGES IN THE FAIR VALUE OF PLAN ASSETS - RECONCILIATION OF OPENING AND CLOSING BALANCES:	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Fair value of plan assets as at the beginning of the year	**5215.05**	**835.47**	**0.00**
Expected return on plan assets	461.60	70.98	0.00
Contributions	401.96	63.08	117.70
Benefits paid	(562.05)	(138.49)	(117.70)
Actuarial gain/(loss) on plan assets [balancing figure]	(7.61)	(1.66)	0.00
Fair value of plan assets as at the end of the year	**5508.95**	**829.38**	**0.00**

पिछले वर्ष 2014–15

(₹ करोड़ में)

III. योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन – प्रारंभिक शेष एवं अंतशेष का लेखा समाधान	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	**4767.66**	**864.63**	**0.00**
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	429.42	63.72	0.00
अंशदान	378.07	32.39	81.63
प्रदत्त लाभ	(373.23)	(135.88)	(81.63)
योजना आस्तियों पर बीमांकक लाभ / (हानि)(संतुलन आंकडा)	13.13	10.61	0.00
वर्ष की समाप्ति पर योजना आस्तियों का उचित मूल्य	**5215.05**	**835.47**	**0.00**

चालू वर्ष 2015–16

(₹ करोड़ में)

IV. योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	461.60	70.98	0.00
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानि)	(7.61)	(1.66)	0.00
योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	453.99	69.32	0.00

पिछले वर्ष 2014–15

(₹ करोड़ में)

IV. योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	429.42	63.72	0
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ (हानि)	13.13	10.61	0
योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	442.55	74.33	0

चालू वर्ष 2015–16

(₹ करोड़ में)

V. पहचाना गया बीमांकिक लाभ / हानि	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ / (हानि) – बाध्यता	(384.40)	(24.20)	(100.37)
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ / (हानि)–योजना आस्तियां	(7.61)	(1.66)	0.00
वर्ष के लिए कुल (लाभ) / हानि	(392.01)	(25.86)	(100.37)
वर्ष के दौरान पहचाने गए बीमांकिक (लाभ) / हानि	**(392.01)**	**(25.86)**	**(100.37)**
वर्ष के अंत में न पहचाने गए बीमांकिक (लाभ) / हानि	0.00	0.00	0.00

Previous year 2014-15

(Amount in ₹ crore)

III. CHANGES IN THE FAIR VALUE OF PLAN ASSETS - RECONCILIATION OF OPENING AND CLOSING BALANCES:	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Fair value of plan assets as at the beginning of the year	**4767.66**	**864.63**	**0.00**
Expected return on plan assets	429.42	63.72	0.00
Contributions	378.07	32.39	81.63
Benefits paid	(373.23)	(135.88)	(81.63)
Actuarial gain/(loss) on plan assets [balancing figure]	13.13	10.61	0.00
Fair value of plan assets as at the end of the year	**5215.05**	**835.47**	**0.00**

Current Year 2015-16

(Amount in ₹ crore)

IV. ACTUAL RETURN ON PLAN ASSETS	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Expected return on plan assets	461.60	70.98	0.00
Actuarial gain/ (loss) on plan assets	(7.61)	(1.66)	0.00
Actual return on plan assets	453.99	69.32	0.00

Previous Year 2014-15

(Amount in ₹ crore)

IV. ACTUAL RETURN ON PLAN ASSETS	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Expected return on plan assets	429.42	63.72	0
Actuarial gain/ (loss) on plan assets	13.13	10.61	0
Actual return on plan assets	442.55	74.33	0

Current Year 2015-16

(Amount in ₹ crore)

V. ACTUARIAL GAIN / LOSS RECOGNIZED	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Actuarial gain/(loss) for the year - Obligation	(384.40)	(24.20)	(100.37)
Actuarial gain / (loss) for the year- Plan Assets	(7.61)	(1.66)	0.00
Total gain / (loss) for the year	(392.01)	(25.86)	(100.37)
Actuarial gain /(loss) recognized in the year	**(392.01)**	**(25.86)**	**(100.37)**
Unrecognized actuarial gain /(loss) at the end of the year	0.00	0.00	0.00

पिछले वर्ष 2014–15

(₹ करोड़ में)

V. पहचाना गया बीमांकिक लाभ/हानि	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) – बाध्यता	(305.93)	21.09	(8.15)
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि)–योजना आस्तियां	13.13	10.61	0.00
वर्ष के लिए कुल (लाभ) / हानि	(292.80)	31.70	(8.15)
वर्ष के दौरान पहचाने गए बीमांकिक (लाभ)/हानि	**(292.80)**	**31.70**	**(8.15)**
वर्ष के अंत में न पहचाने गए बीमांकिक (लाभ)/हानि	0.00	0.00	0.00

चालू वर्ष 2015–16

(₹ करोड़ में)

VI. तुलन पत्र में पहचानी गयी राशियां और संबंधित विश्लेषण	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	**5608.14**	**831.94**	**161.63**
योजना आस्तियों का उचित मूल्य	5508.95	829.38	0.00
अन्तर	(99.19)	(2.56)	(161.63)
पहचान न की गयी संक्रमणकालीन देयता	0.00	0.00	0.00
पहचान न की गयी विगत सेवा लागत	0.00	0.00	0.00
तुलन पत्र में पहचानी गयी देयता	**(99.19)**	**(2.56)**	**(161.63)**

पिछले वर्ष 2014–15

(₹ करोड़ में)

VI. तुलन पत्र में पहचानी गयी राशियां और संबंधित विश्लेषण	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	**5306.22**	**844.78**	**154.58**
योजना आस्तियों का उचित मूल्य	5215.05	835.47	0.00
अन्तर	(91.17)	(9.31)	(154.58)
पहचानी न गयी संक्रमणकालीन देयता	0.00	0.00	0.00
पहचानी न गयी विगत सेवा लागत	0.00	0.00	0.00
तुलन पत्र में पहचानी गयी देयता	**(91.17)**	**(9.31)**	**(154.58)**

चालू वर्ष 2015–16

(₹ करोड़ में)

VII. लाभ एवं हानि लेखे में पहचाने गये व्यय	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
वर्तमान सेवा लागत	75.54	42.82	17.14
ब्याज लागत	404.03	58.63	7.24
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	(461.60)	(70.98)	0.00
निवल बीमांकिक (लाभ)/ हानि जो इस वर्ष में पहचानी गयी है	392.01	25.86	100.37
इस वर्ष में पहचानी गयी संक्रमणकालीन देयता	0.00	0.00	0.00
विगत सेवा लागत – पहचानी गई	0.00	0.00	0.00
लाभ एवं हानि लेखे में पहचाने गये व्यय	**409.98**	**56.33**	**124.75**

Previous Year 2014-15

(Amount in ₹ crore)

V. ACTUARIAL GAIN / LOSS RECOGNIZED	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Actuarial gain / (loss) for the year - Obligation	(305.93)	21.09	(8.15)
Actuarial gain / (loss) for the year- Plan Assets	13.13	10.61	0.00
Total gain / (loss) for the year	(292.80)	31.70	(8.15)
Actuarial gain /(loss) recognized in the year	**(292.80)**	**31.70**	**(8.15)**
Unrecognized actuarial gain/(loss) at the end of the year	0.00	0.00	0.00

Current Year 2015-16

(Amount in ₹ crore)

VI. AMOUNTS RECOGNISED IN THE BALANCE SHEET AND RELATED ANALYSIS	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Present value of the obligation	**5608.14**	**831.94**	**161.63**
Fair value of plan assets	5508.95	829.38	0.00
Difference	(99.19)	(2.56)	(161.63)
Unrecognised transitional liability	0.00	0.00	0.00
Unrecognised past service cost	0.00	0.00	0.00
Liability recognized in the balance sheet	**(99.19)**	**(2.56)**	**(161.63)**

Previous Year 2014-15

(Amount in ₹ crore)

VI. AMOUNTS RECOGNISED IN THE BALANCE SHEET AND RELATED ANALYSIS	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Present value of the obligation	**5306.22**	**844.78**	**154.58**
Fair value of plan assets	5215.05	835.47	0.00
Difference	(91.17)	(9.31)	(154.58)
Unrecognised transitional liability	0.00	0.00	0.00
Unrecognised past service cost	0.00	0.00	0.00
Liability recognized in the balance sheet	**(91.17)**	**(9.31)**	**(154.58)**

Current Year 2015-16

(Amount in ₹ crore)

VII. EXPENSES RECOGNISED IN THE STATEMENT OF PROFIT AND LOSS:	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Current service cost	75.54	42.82	17.14
Interest Cost	404.03	58.63	7.24
Expected return on plan assets	(461.60)	(70.98)	0.00
Net actuarial (gain)/loss recognised in the year	392.01	25.86	100.37
Transitional Liability recognised in the year	0.00	0.00	0.00
Past service cost - recognised	0.00	0.00	0.00
Expenses recognized in the statement of profit and loss	**409.98**	**56.33**	**124.75**

पिछले वर्ष 2014–15

(₹ करोड़ में)

VII. लाभ एवं हानि लेखे में पहचाने गये व्यय	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाइ
वर्तमान सेवा लागत	72.25	37.94	14.66
ब्याज लागत	370.96	65.98	12.71
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	(429.42)	(63.72)	0.00
निवल बीमांकिक (लाभ)/ हानि जो इस वर्ष में पहचानी गयी है	292.80	(31.70)	8.15
इस वर्ष में पहचानी गयी संक्रमणकालीन देयता	0.00	0.00	0.00
विगत सेवा लागत – पहचानी गई	162.65	33.20	0.00
लाभ एवं हानि लेखें में पहचाने गये व्यय	**469.24**	**41.70**	**35.52**

चालू वर्ष 2015–16

(₹ करोड़ में)

VIII. तुलन पत्र में पहचानी गयी देयताओं में परिवर्तन	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाइ
निवल देयता का आरंभिक शेष	91.17	9.31	154.58
उपर्युक्तानुसार व्यय	409.98	56.33	124.75
प्रदत्त अंशदान	(401.96)	(63.08)	(117.70)
निवल देयता का अंत शेष	**99.19**	**2.56**	**161.63**

पिछले वर्ष 2014–15

(₹ करोड़ में)

VIII. तुलन पत्र में पहचानी गयी देयताओं में परिवर्तन	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाइ
निवल देयता का आरंभ शेष	0.00	0.00	200.69
उपर्युक्तानुसार व्यय	469.24	41.70	35.52
प्रदत्त अंशदान	(378.07)	(32.39)	(81.63)
निवल देयता का अंत शेष	91.17	9.31	154.58

(₹ करोड़ में)

IX. (I) चालू वर्ष 2015–16	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाइ
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	5608.14	831.94	161.63
योजना आस्तियां	5508.95	829.38	0.00
अधिशेष (घाटा)	(99.19)	(2.56)	(161.63)
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन (हानि/लाभ)	(384.40)	(24.20)	(100.37)
योजना आस्तियों पर अनुभव समयोजन (हानि/लाभ)	(7.61)	(1.66)	0.00

Previous Year 2014-15

(Amount in ₹ crore)

VII. EXPENSES RECOGNISED IN THE STATEMENT OF PROFIT AND LOSS:	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Current service cost	72.25	37.94	14.66
Interest Cost	370.96	65.98	12.71
Expected return on plan assets	(429.42)	(63.72)	0.00
Net actuarial (gain)/loss recognised in the year	292.80	(31.70)	8.15
Transitional Liability recognised in the year	0.00	0.00	0.00
Past service cost - recognised	162.65	33.20	0.00
Expenses recognized in the statement of profit and loss	**469.24**	**41.70**	**35.52**

Current Year 2015-16

(Amount in ₹ crore)

VIII. MOVEMENTS IN THE LIABILITY RECOGNIZED IN THE BALANCE SHEET	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Opening net liability	91.17	9.31	154.58
Expense as above	409.98	56.33	124.75
Contribution paid	(401.96)	(63.08)	(117.70)
Closing net liability	**99.19**	**2.56**	**161.63**

Previous Year 2014-15

(Amount in ₹ crore)

VIII. MOVEMENTS IN THE LIABILITY RECOGNIZED IN THE BALANCE SHEET	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Opening net liability	0.00	0.00	200.69
Expense as above	469.24	41.70	35.52
Contribution paid	(378.07)	(32.39)	(81.63)
Closing net liability	91.17	9.31	154.58

(Amount in ₹ crore)

IX. (i) Current Year 2015-16	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Present Value of obligation	5608.14	831.94	161.63
Plan Assets	5508.95	829.38	0.00
Surplus/ (Deficit)	(99.19)	(2.56)	(161.63)
Experience adjustments on plan liabilities- (loss) / gain	(384.40)	(24.20)	(100.37)
Experience adjustments on plan assets- (loss) / gain	(7.61)	(1.66)	0.00

(₹ करोड़ में)

IX. (ii) पिछले वर्ष 2012–15 पेंशन	31.03.2012 को समाप्त वर्ष	31.03.2013 को समाप्त वर्ष	31.03.2014 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	3863.80	4521.26	4930.31	5306.22
योजना आस्तियां	3375.87	4195.96	4767.66	5215.05
अधिशेष (घाटा)	(487.93)	(325.30)	(162.65)	(91.17)
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन (हानि / लाभ)	(346.33)	533.47	(263.75)	(305.93)
योजना आस्तियों पर अनुभव समयोजन (हानि / लाभ)	9.18	24.35	(21.88)	13.13

(₹ करोड़ में)

IX. (iii) पिछले वर्ष 2012–15 उपदान	31.03.2012 को समाप्त वर्ष	31.03.2013 को समाप्त वर्ष	31.03.2014 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	755.05	810.57	897.83	844.78
योजना आस्तियां	655.45	744.18	864.63	835.47
अधिशेष (घाटा)	(99.60)	(66.40)	(33.19)	(9.31)
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन (हानि / लाभ)	(78.52)	75.89	113.35	21.09
योजना आस्तियों पर अनुभव समयोजन (हानि / लाभ)	(1.72)	0.00	0.65	10.61

(₹ करोड़ में)

IX. (iii) पिछले वर्ष 2012–15 छुट्टी भुनाई	31.03.2012 को समाप्त वर्ष	31.03.2013 को समाप्त वर्ष	31.03.2014 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 क समाप्त वर्ष
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	218.06	236.22	200.69	154.58
योजना आस्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00
अधिशेष (घाटा)	218.06	(236.22)	(200.69)	(154.58)
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन (हानि / लाभ)	18.17	2.23	4.39	(8.15)
योजना आस्तियों पर अनुभव समयोजन (हानि / लाभ)	0.00	0.00	0.00	0.00

(₹ करोड़ में)

X. योजना आस्तियों के मुख्य संवर्ग (कुल योजना आस्तियों के प्रतिशत में)	पेंशन निधि	उपदान निधि	पेंशन निधि	उपदान निधि
	2015-16		2014-15	
भारत सरकार प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-
राज्य सरकार प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-
भारत सरकार प्रतिभूतियाँ और राज्य सरकार प्रतिभूतियाँ	46.04	22.60	35.08	12.80
उच्च गुणवत्तावाले कार्पोरेट बांड	0.22	0.26	22.19	13.08
विशेष जमा योजना	0.00	0.00	0.00	0.00
बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधियाँ	53.74	77.14	42.47	73.84
निजी क्षेत्र के बॉण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00
मनी मार्केट	0.00	0.00	0.26	0.28
कुल	100.00	100.00	100.00	100.00

(Amount in ₹ crore)

IX. (ii) Previous Years 2012-15 Pension	Year ended 31.03.2012	Year ended 31.03.2013	Year ended 31.03.2014	Year ended 31.03.2015
Present Value of obligation	3863.80	4521.26	4930.31	5306.22
Plan Assets	3375.87	4195.96	4767.66	5215.05
Surplus /(Deficit)	(487.93)	(325.30)	(162.65)	(91.17)
Experience adjustments on plan liabilities- (loss) / gain	(346.33)	533.47	(263.75)	(305.93)
Experience adjustments on plan assets- (loss) / gain	9.18	24.35	(21.88)	13.13

(Amount in ₹ crore)

IX. (iii) Previous Years 2012-15 Gratuity	Year ended 31.03.2012	Year ended 31.03.2013	Year ended 31.03.2014	Year ended 31.03.2015
Present Value of obligation	755.05	810.57	897.83	844.78
Plan Assets	655.45	744.18	864.63	835.47
Surplus /(Deficit)	(99.60)	(66.40)	(33.19)	(9.31)
Experience adjustments on plan liabilities- (loss) / gain	(78.52)	75.89	113.35	21.09
Experience adjustments on plan assets- (loss) / gain	(1.72)	0.00	0.65	10.61

(Amount in ₹ crore)

IX. (iii) Previous Years 2012-15 Leave Encashment	Year ended 31.03.2012	Year ended 31.03.2013	Year ended 31.03.2014	Year ended 31.03.2015
Present Value of obligation	218.06	236.22	200.69	154.58
Plan Assets	0.00	0.00	0.00	0.00
Surplus /(Deficit)	218.06	(236.22)	(200.69)	(154.58)
Experience adjustments on plan liabilities- (loss) / gain	18.17	2.23	4.39	(8.15)
Experience adjustments on plan assets- (loss) / gain	0.00	0.00	0.00	0.00

(Amount in ₹ crore)

X. MAJOR CATEGORIES OF PLAN ASSETS (AS PERCENTAGE OF TOTAL PLAN ASSETS)	Pension Fund	Gratuity Fund	Pension Fund	Gratuity Fund
	2015-16		2014-15	
Government of India Securities	-	-	-	-
State Government Securities	-	-	-	-
Government of India Securities and State Government Securities	46.04	22.60	35.08	12.80
High Quality Corporate Bonds	0.22	0.26	22.19	13.08
Special Deposit Scheme	0.00	0.00	0.00	0.00
Funds managed by Insurer	53.74	77.14	42.47	73.84
Private Sector Bonds	0.00	0.00	0.00	0.00
Money Market	0.00	0.00	0.26	0.28
Total	100.00	100.00	100.00	100.00

(₹ करोड में)

XI. अगले वर्ष के दौरान अंशदान	पेंशन निधि	उपदान राशि	अर्जित छुट्टी
अगले वर्ष के दौरान अंशदान पर उद्यम का सर्वोच्च अनुमान	440.00	92.68	140.00

9.3.3 अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ

बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों के लिए ₹1.55 करोड़ की राशि (पिछले वर्ष ₹68.01 करोड़) प्रदान / (अवलिखित) की गई तथा इसे लाभ एवं हानि लेखा में "कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान" शीर्ष के तहत शामिल किया गया।

वर्ष के दौरान विभिन्न दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों हेतु बनाए गए (अवलिखित) अतिरिक्त प्रावधानों का विवरणः

(₹ करोड में)

सं.	दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ	31/03/2016	31/03/2015
1.	बीमारी छुट्टी	(0.21)	(70.39)
2.	आकस्मिक छुट्टी	(0.27)	0.23
3.	छुट्टी यात्रा रियायत	(1.07)	2.15
	कुल	**(1.55)**	**(68.01)**

नोटः

शामिल प्रकटीकरण में बीमांकक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की सीमा तक सीमित है।

9.4 खण्ड रिपोर्टिंग (एएस 17)

लेखाकरण मानकों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक के परिचालनों को प्राथमिक खण्ड यथा, कारोबार खण्ड जिसमें ''राजकोष'', ''कार्पोरेट/थोक बैंकिंग'', ''खुदरा बैंकिंग'' एवं ''अन्य बैंकिंग परिचालन'' शामिल है तथा द्वितीय खण्ड जो कि भौगोलिक खण्ड है जिसे ''देशी'' एवं ''अंतर्राष्ट्रीय के रूप में वर्गीकृत किया गया है, निम्नानुसार है :

(Amount in ₹ crore)

XI. CONTRIBUTION DURING NEXT YEAR	Pension Fund	Gratuity Fund	Earned Leave
Enterprises best estimate of contribution during next year	440.00	92.68	140.00

9.3.3 Other Long Term Employee Benefits

Amount of ₹1.55 crore (previous year (₹ 68.01 crore) is provided / (written back) towards Long Term Employee Benefits as per the actuarial valuation by the independent Actuary appointed by the Bank and is included under the head "Payments to and Provisions for Employees" in Profit and Loss Account.

Details of additional Provisions made / (written back) for various long Term Employee Benefits during the year:

(Amount in ₹ crore)

No.	Long Term Employee Benefits	31/03/2016	31/03/2015
1.	Sick Leave	(0.21)	(70.39)
2.	Casual Leave	(0.27)	0.23
3.	Leave Travel Concession	(1.07)	2.15
	Total	**(1.55)**	**(68.01)**

Note:

Disclosures included are limited to the extent of information provided by the Actuary.

9.4 SEGMENT REPORTING (AS 17)

As per the Reserve Bank of India guidelines on Accounting Standards, the Bank's operations are classified into Primary segment i.e. the business segment comprising of 'Treasury', 'Corporate / Wholesale Banking', 'Retail Banking' and 'Other Banking Operations' and Secondary segment being the geographical segment comprising of 'Domestic' and 'International' as follows:

खंड परिणाम

भाग ए व्यापार खण्ड	ट्रेशरी		कार्पोरेट/थोक बैंकिंग		खुदरा बैंकिंग		अन्य बैंकिंग परिचालन		कुल	
	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15
राजस्व	4591.80	3970.83	7122.37	7161.73	6132.23	5966.69	178.79	117.04	18025.20	17216.30
परिणाम	978.11	671.45	1030.81	1238.35	844.41	986.90	178.76	117.02	3032.09	3013.72
अनाबंटित व्यय									2076.79	1545.10
परिचालनगत लाभ									955.30	1468.62
अल्प संख्यक के हित									0.00	0.00
अन्य गैर आबंटनीय आय									0.00	0.00
आयकर									243.92	463.45
अपवाद स्वरूप मदें									0.00	0.00
निवल लाभ									711.38	1005.17
अन्य जानकारी										
खण्डीय आस्तियां	54996.89	48250.98	82193.10	80320.03	67326.00	65078.43	1.06	0.78	204517.04	193650.22
अनाबंटित आस्तियां									-806.65	-814.25
कुल आस्तियां									**203710.39**	**192835.97**
खण्डीय देयताएं	54674.80	47898.96	71693.98	70348.07	58941.26	56730.36	0.00	0.00	185310.05	174977.39
अनाबंटित देयताएं									2140.56	3025.32
पूंजी, आरक्षितियाँ और अधिशेष									16259.78	14833.26
कुल देयताएं									**203710.39**	**192835.97**

	भाग बी – भौगोलिक खण्ड					
	देशी		अंतर्राष्ट्रीय		कुल	
	2015-16	**2014-15**	**2015-16**	**2014-15**	**2015-16**	**2014-15**
राजस्व	17 739.55	16 898.60	285.65	317.69	18 025.20	17 216.30
आस्तियां	1 94 638.68	1 84 705.52	9 071.71	8 130.45	2 03 710.39	1 92 835.97

जहां प्रत्यक्ष आबंटन संभव नहीं है, खण्डीय राजस्व एवं व्ययों को खण्डीय आस्तियों के आधार पर प्रभाजित किया गया है। जहाँ आवश्यक हुआ, पिछले वर्ष के आँकडों को पुनर्समूहित किया गया।

Segment Reporting

Part A Business Segments	**Treasury**		**Corporate/ Wholesale Banking**		**Retail Banking**		**Other Banking operations**		**Total**	
	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15
Revenue	4591.80	3970.83	7122.37	7161.73	6132.23	5966.69	178.79	117.04	18025.20	17216.30
Result	978.11	671.45	1030.81	1238.35	844.41	986.90	178.76	117.02	3032.09	3013.72
Unallocated expenses									2076.79	1545.10
Operating Profit									955.30	1468.62
Minority Interest									0.00	0.00
Other unallocable income									0.00	0.00
Income Taxes									243.92	463.45
Exceptional Item									0.00	0.00
Net Profit									711.38	1005.17
Other information										
Segment Assets	54996.89	48250.98	82193.10	80320.03	67326.00	65078.43	1.06	0.78	204517.04	193650.22
Unallocated assets									-806.65	-814.25
Total assets									**203710.39**	**192835.97**
Segment Liabilities	54674.80	47898.96	71693.98	70348.07	58941.26	56730.36	0.00	0.00	185310.05	174977.39
Unallocated liabilities									2140.56	3025.32
Capital, Reserves & Surplus									16259.78	14833.26
Total liabilities									**203710.39**	**192835.97**

	Part B Geographic Segments					
	Domestic		**International**		**Total**	
	2015-16	**2014-15**	**2015-16**	**2014-15**	**2015-16**	**2014-15**
Revenue	17 739.55	16 898.60	285.65	317.69	18 025.20	17 216.30
Assets	1 94 638.68	1 84 705.52	9 071.71	8 130.45	2 03 710.39	1 92 835.97

Segment Revenue and expenses have been apportioned on the basis of segmental assets, wherever direct allocation is not possible. Previous year figures have been regrouped wherever necessary.

9.5 संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (ए एस 18)

संबद्ध पक्षों के नाम तथा बैंक के साथ उनके संबंध

ए) अनुषंगियां:

i. इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड

ii. इंड बैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड

बी) सहयोगी: (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक)

i) पल्लवन ग्राम बैंक

ii) सप्तगिरि ग्रामीण बैंक

iii) पुदुवै भारतियार ग्राम बैंक

सी) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

श्री टी.एम भसीन	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (10.06.2015 तक)
श्री बी राज कुमार	कार्यपालक निदेशक (31.05.2015 तक)
श्री महेश कुमार जैन	कार्यपालक निदेशक (01.11.2015 तक) और प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (02.11.2015 के प्रभाव से)
श्री आर सुब्रमणिय कुमार	कार्यपालक निदेशक (22.01.2016 के प्रभाव से)
श्री ए एस राजीव	कार्यपालक निदेशक (22.01.2016 के प्रभाव से)

डी) गैर कार्यपालक निदेशकों की शेयर धारिता :

क्रमांक	गैर कार्यपालक निदेशक का नाम	धारित ईक्विटी शेयरों की संख्या
1.	श्री बडिडा पार्थसारती विजेन्द्र	75
2.	श्री विनोद कुमार नागर	107
3.	श्री श्रीराम रामचन्द्रन	500
	कुल	**682**

संबंधित पार्टी लेनदेन निम्नलिखित है

ए) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को वर्ष के दौरान 67.27 लाख रुपये पारिश्रमिक का भुगतान किया गया (पिछले वर्ष 72.00 लाख रुपए)

	2015-16	**2014-15**
श्री महेश कुमार जैन, प्रनि एवं मुकाअ प्रदत्त वेतन और पारिश्रमिक (01.04.2015 से 31.03.2016)	₹ 25.53 लाख	₹ 20.18 लाख
श्री आर सुब्रमणिय कुमार, का नि प्रदत्त वेतन और पारिश्रमिक (22.01.2016 से 31.03.2016)	₹ 3.31 लाख	-
श्री ए एस राजीव, का नि प्रदत्त वेतन और पारिश्रमिक (22.01.2016 से 31.03.2016)	₹ 3.31 लाख	-
श्री टी.एम. भसीन, भूतपूर्व प्र नि प्रदत्त वेतन और पारिश्रमिक (01.04.2015 से 10.06.2015)	₹ 22.55 लाख	₹ 27.90 लाख
श्री बी राजकुमार, का नि प्रदत्त वेतन और पारिश्रमिक (01.04.2015 से 31.05.2015)	₹ 12.57 लाख	₹ 23.92 लाख

बी) अनुषंगियों और सहयोगियों के सभी लेनदेन को ''संबंधित पार्टी प्रकटीकरण'' ए एस–18 के पैरा–9 के अनुसार प्रकटीकरण नहीं किया गया है, जिन्हें राज्य नियंत्रित उपक्रमों को उनके लेनदेन से संबंधित पार्टी, जो स्वयं राजय नियंत्रित उपक्रम है, प्रकटीकरण से छूट दी गई है।

9.6 पट्टे (एएस 19)

ए) पट्टे / किराए आधार पर ली गई परिसंपत्तियों के संबंध में बैंक के विकल्प के अनुसार उनका नवीकरण / रद्द किया जा सकता है।

बी) बैंक द्वारा किए जाने वाले पट्टे करार, आपस में सहमत अवधि के लिए हैं और लिखित रूप से सहमत कैलण्डर महीनों की नोटिस देने के जरिए पट्टे की अवधि के दौरान भी उसे समाप्त किया जा सकता है।

सी) परिचालनगत पट्टों के लिए प्रदत्त पट्टा किराए को, वह जिस वर्ष से संबंधित है, लाभ एवं हानि लेखे में व्यय के रूप में पहचाना जाता है। वर्तमान वर्ष के दौरान पहचाना गया पट्टा किराया 157.68 करोड़ रुपए हैं। (विगत वर्ष – 124.73 करोड़ रुपए)।

9.5 RELATED PARTY DISCLOSURES (AS 18)

Names of the Related Parties and their relationship with the Bank :

a) Subsidiaries :

i. Ind Bank Housing Ltd.

ii. Indbank Merchant Banking Services Ltd.

b) Associates : (Regional Rural Banks)

i) Pallavan Grama Bank

ii) Saptagiri Grameena Bank

iii) Puduvai Bharathiar Grama Bank

c) Key Managerial Personnel:

Shri. T M Bhasin	Managing Director & Chief Executive Officer (upto 10.06.2015)
Shri B Raj Kumar	Executive Director (upto 31.05.2015)
Shri Mahesh Kumar Jain	Executive Director (upto 01.11.2015) & Managing Director & Chief Executive Officer (w.e.f. 02.11.2015)
Shri R Subramania Kumar	Executive Director (w.e.f. 22.01.2016)
Shri A S Rajeev	Executive Director (w.e.f. 22.01.2016)

d) Shareholding of non-executive Directors:

Sl No.	Name of the non-executive Director	No. of equity shares held
1.	Shri Badida Parthasarathy Vijayendra	75
2.	Shri Vinod Kumar Nagar	107
3.	Shri Sriram Ramachandran	500
	TOTAL	**682**

Related Party transactions are as under:

a) Remuneration paid to Key Management Personnel during the year ₹ 67.27 lakhs (Previous-year ₹ 72.00 lakhs)

	2015-16	2014-15
Shri. Mahesh Kumar Jain, MD & CEO Salary & Emoluments Paid (01.04.15 to 31.03.16)	₹ 25.53 lakhs	₹ 20.18 lakhs
Shri. R. Subramania Kumar ED Salary & Emoluments Paid (22.01.2016 to 31.03.2016)	₹ 3.31 lakhs	-
Shri . A. S. Rajeev ED Salary & Emoluments Paid (22.01.2016 to 31.03.2016)	₹ 3.31 lakhs	-
Shri . T M Bhasin Ex- MD & CEO Salary & Emoluments Paid (01.04.2015 to 10.06.2015)	₹ 22.55 lakhs	₹ 27.90 lakhs
Shri . B Raj Kumar Ex- ED Salary & Emoluments Paid (01.04.2015 to 31.05.2015)	₹ 12.57 lakhs	₹ 23.92 lakhs

b) The transactions with subsidiaries and associates have not been disclosed in view of para 9 of AS-18 'Related Party Disclosure', which exempts state controlled enterprises from making any disclosure pertaining to their transactions with other related parties which are also state controlled enterprises.

9.6 Leases (AS 19)

a) The properties taken on lease / rental basis are renewable / cancellable at the option of the Bank.

The leases entered into by the Bank are for agreed period with an option to terminate the leases even during the currency of lease period by giving agreed calendar months notice in writing.

Lease rent paid for operating leases are recognised as an expense in the Profit & Loss account in the year to which it relates. The lease rent recognised during the year is ₹ 157.68 Crores (Previous year – ₹ 124.73 Crore).

9.7 प्रति शेयर अर्जन (एएस 20)

विवरण	2015-16	2014-15
ईक्विटी शेयर धारकों हेतु उपलब्ध कर के बाद निवल लाभ (रु.करोड़ में)	711.38	1005.18
ईक्विटी शेयरों की संख्या	480291651	480291651
ईक्विटी शेयरों की भारित संख्या	480291651	464890798
प्रति शेयर मूल अर्जन	₹14.81	₹21.62
प्रति शेयर कम किया हुआ अर्जन	₹14.81	₹21.62
प्रति ईक्विटी शेयर अंकित मूल्य	₹10.00	₹10.00

9.8 आय पर करों के लिए लेखाकरण (एएस 22)

डीटीए(अस्थगित कर आस्तियाँ) / डीटीएल (अस्थगित कर देयताएँ) के मुख्य संघटक निम्न प्रकार हैं :

डीटीए / डीटीएल संघटक

(₹ करोड़ में)

संघटक	31.03.2016	31.03.2015
आस्थगित कर आस्तियाँ		
1. भुगतान/क्रिस्टलाइजेशन पर अनुमेय देयताओं का प्रावधान	70.92	186.60
2. अप्रयुक्त अवकाश के लिए प्रावधान	0.00	0.56
3. विगत वर्षों में संदिग्ध ऋणों के लिए दावा नहीं किए गए भत्ते	0.28	0.00
कुल–डीटीए	**71.20**	**187.16**
आस्थगित कर देयताएँ		
1. स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास	61.04	56.07
2. सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	0.00	283.04
3. बट्टे खाते हेतु प्रावधान	504.21	504.21
4. स्टाफ कल्याण व्यय	5.71	5.71
5. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(i)(viii) के अधीन विशेष आरक्षण पर डीटीएल	213.11	203.42
कुल – डीटीएल	**784.07**	**1052.45**
निवल डीटीए / डीटीएल	**(712.88)**	**(865.29)**

9.9 अरक्षित विदेशी मुद्रा ऋण

बैंक ने अपने उधारकर्ताओं के अरक्षित विदेशी मुद्रा ऋणों में जोखिम की व्यवस्था के लिए एक नीति निर्धारित की है। जहाँ स्वाभाविक रक्षा (हेज) नहीं है, आयात / निर्यात लेनदेनों के लिए ग्राहकों को वायदा कवर लेने की सलाह दी जाती है। यह वायदा कवर, विनिमय जोखिम के लिए जोखिम शमन के कारक की भूमिका निभायेगा। सुविधाओं को मंजूर करते समय बैंक यह सुनिश्चित करता है कि विदेशी मुद्रा में प्रदत्त सभी ऋणों (निधि आधारित और गैर निधि आधारित, जिसमें कम्फर्ट पत्र और वचनबद्धता पत्र शामिल हैं) को वायदा कवर के जरिए कवर किया जाता है। वायदा कवर से छूट प्रदान करने के अनुरोधों पर सिर्फ कॉर्पोरेट कार्यालय के स्तर पर विचार किया जाता है। उधार खातों की समीक्षा करते समय, रक्षित एवं अरक्षित ऋणों को कैप्चर किया जाता है और ऋण प्रस्तावों में इनके प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है।

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक ने ₹16.67 करोड़ की राशि पुनः प्राप्त किया तथा भारिबैंक के परिपत्र दिनांक 15 जनवरी, 2014 के अनुसार अपने संघटकों के आरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर पर बैंक के पास ₹15.37 करोड़ रखने का प्रावधान है।

10. लाभांश

ईक्विटी शेयर : ईक्विटी लाभांश के लिए प्रावधान में रुपए 72.04 करोड की राशि रखी गई है जिसमें वर्ष 2015–16 के लिए 15 प्रतिशत प्रस्तावित लाभांश (पिछले वर्ष– 201.72 करोड़ रुपए) शामिल है।

11. विविध आय में निम्नलिखित शामिल हैं :

I) ₹ 247.42 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 159.96 करोड़ रुपए) की राशि जो बट्टे खाते लिखे गए खातों में वसूली है।

ii) ₹ 125.06 करोड रुपए (पिछले वर्ष 126.71 करोड़ रुपए), जो वर्ष के दौरान संसाधन प्रभार हेतु वसूल की गयी राशि है।

12. वित्तीय आस्तियों की बिक्री के मामलों में हानि या लाभ के लेखांकन के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सं.डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.75/21.04.048/2014–15 दिनांक 11 मार्च, 2015 के अनुकरण में विगत वर्षों में किए गए 52.75 करोड़ रुपए के अधिक प्रावधान को प्रत्यावर्तित किया गया है और इसका परिणाम, 31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ पर पडता है।

13. बैंक के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार बैंक द्वारा पहचानी गई एमएसएमई इकाइयों को बैंक द्वारा देय ऐसी बकाया राशियाँ नहीं हैं जो एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 में निर्धारित समय सीमा से अधिक अवधि के लिए लंबित है और ऐसी पार्टियों के संबंध में मूल राशि / या उसपर ब्याज के विलंब से किए गए भुगतानों के लिए मानी गयी देयता के संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं हैं।

14. भारिबैंक के परिपत्र सं. डीबीआर.सं.बीपी.बीसी. 83/21.06.201/2015–16 दि. 01 मार्च, 2016 के अनुसार, सीईटी 1 पूंजी जिसे भारिबैंक द्वारा उपर्युक्त परिपत्र में निर्धारित किया गया है, के लिए बैंक ने 31 मार्च, 2016 तक पुनर्मूल्यन रिजर्व तथा फॉरिन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व पर ध्यान रखा है।

15. जहां भी आवश्यक हो, चालू वर्ष के आंकडे के अनुरूप बनाने के लिए पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः वर्गीकृत किया गया है।

9.7 Earnings Per Share (AS 20)

Particulars	2015-16	2014-15
Net Profit after tax available for equity shareholders (₹ Crore)	711.38	1005.18
Number of Equity Shares	480291651	480291651
Weighted Number of equity shares	480291651	464890798
Basic Earning Per Share	₹14.81	₹21.62
Diluted Earning Per Share	₹14.81	₹21.62
Nominal value per Equity Share	₹10.00	₹10.00

9.8 ACCOUNTING FOR TAXES ON INCOME (AS 22)

The major components of DTA (Deferred Tax Assets) / DTL (Deferred Tax Liabilities) are as follows:

DTA / DTL components

₹ in Crore

Components	31.03.2016	31.03.2015
Deferred Tax Assets		
1. Liabilities provision allowable on payment /crystallization	70.92	186.60
2. Provision for unutilized leave	0.00	0.56
3. Unclaimed allowance for doubtful debts in prior years	0.28	0.00
TOTAL- DTA	**71.20**	**187.16**
Deferred Tax Liabilities		
1. Depreciation on Fixed Assets	61.04	56.07
2. Interest on Government securities	0.00	283.04
3. Provision for Written-off Accounts	504.21	504.21
4. Staff Welfare Retrieval	5.71	5.71
5. DTL on Special Reserves u/s 36(i)(viii) of Income Tax Act, 1961	213.11	203.42
TOTAL – DTL	**784.07**	**1052.45**
NET DTA/ (DTL)	**(712.88)**	**(865.29)**

9.9 Unhedged Foreign Currency Exposure:

The Bank has in place a policy on managing credit risk arising out of unhedged foreign currency exposures of its borrowers .Where there is no natural hedge, forward cover is suggested to customers in respect of import/export transactions. The forward cover will act as risk mitigation on exchange risk. While sanctioning the facilities, bank is ensuring that all the exposures (fund based and non fund based including Letter of Comfort / Letter of Undertaking) in foreign currencies are covered by forward cover. Request for considering waiver of forward cover if any is considered only at corporate office level. While reviewing the borrowal accounts hedged and unhedged exposure are captured and impact is analyzed in credit proposals.

The Bank has retrieved an amount of ₹16.67 crores for the year ended 31st March 2016 and holds a provision of ₹15.37 crore on Unhedged Foreign Currency Exposure to their constituents in terms of RBI circular dated January 15,2014.

10. Dividend

Equity Shares : Provision for Equity Dividend includes proposed dividend at 15% amounting to ₹ 72.04 crore (previous year ₹ 201.72 crore) for the year 2015-16.

11. Miscellaneous income includes:

I) a sum of ₹ 247.42 Crore (previous year ₹159.96 Crore) being recovery in written-off accounts

ii) ₹ 125.06 Crore (previous year ₹126.71 Crore) being recovery of processing charges during the year.

12. Pursuant to Reserve Bank of India circular No.DBR.No.BP.BC.75/21.04.048/2014-15 dt 11th March, 2015, on sale of financial assets regarding treatment of loss and profit made on sale of accounts, excess provision of earlier years of ₹ 52.75 crore has been reversed and has a consequential impact on profit during the year ended 31.03.2016

13. As per information available with the Bank, there is no outstanding dues payable by the Bank to MSME units identified by the Bank, which is pending beyond the time limit prescribed under MSMED Act, 2006 and there have been no reported cases of accepted liability of delayed payments of principal amount or interest thereon for such parties during the year.

14. Pursuant to RBI Circular No. DBR.No.BP.BC.83/21.06.201/2015-16 dated 1st March 2016, the Bank as at 31st March 2016 considered the revaluation reserve and Foreign Currency Translation Reserve for CET 1 Capital as prescribed by RBI in the said Circular.

15 Previous year's figures have been regrouped / reclassified, wherever necessary, to conform to current year's figures.

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,
भारत के राष्ट्रपति

वित्तीय विवरणों संबंधी रिपोर्ट

1. हमने इंडियन बैंक के **31 मार्च, 2016** तक के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिनमें **31 मार्च, 2016** का तुलन–पत्र, लाभ–हानि लेखा और समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सारांश और अन्य स्पष्टीकरण सूचनाएँ शामिल हैं। इन वित्तीय परिणामों में हमारे द्वारा लेखा–परीक्षित **20** शाखाओं और हमारे द्वारा लेखा परीक्षित राजकोषीय शाखा, सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित **1357** शाखाएँ एवं स्थानीय लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित **3** विदेशी शाखाओं की विवरणियाँ शामिल की गई हैं। हमारे द्वारा और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा जिन शाखाओं की लेखा परीक्षा की गई, उनका चयन बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिशानिर्देशों के अनुसार किया है। ऐसी **1185** शाखाओं की विवरणियाँ भी डाली गई हैं जो लेखा परीक्षा के अधीन नहीं थीं और तुलन–पत्र एवं लाभ व हानि खाते में विवरण इन्हें भी दर्ज किया गया है। वे शाखाएँ जिनका लेखा–परीक्षण नहीं हुआ उनके पास बैंक के **7.86** प्रतिशत अग्रिम हिस्सा, **25.07** प्रतिशत जमा हिस्सा, **7.18** प्रतिशत ब्याज आय एवं **24.96** प्रतिशत ब्याज व्यय हिसा है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

2. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय रिजर्व बैंक की अपेक्षाओं एवं प्रयोज्य भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी लेखांकन मानकों के प्रावधानों के अनुसार इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में ऐसे वित्तीय विवरणों को तैयार करने से सम्बद्ध आंतरिक नियंत्रण का निर्वहन, डिज़ाइन एवं कार्यान्वयन शामिल है जो किसी भी अशुद्ध तात्विक विवरण, चाहे वह कपटपूर्ण हो या गलती से हो, से रहित हो ।

लेखापरीक्षकों की ज़िम्मेदारी

3. हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के आधार पर अपनी राय व्यक्त करना हमारा उत्तरदायित्व है। हमने अपनी लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा लेखापरीक्षण पर जारी मानकों के अनुसार की है । इन मानकों के अनुसार हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करते हैं और अपनी इस लेखापरीक्षा को इस तरह आयोजित व निष्पादित करते हैं ताकि यह सुसंगत आश्वासन मिले कि ये वित्तीय विवरण तात्विक अशुद्धियों से मुक्त रहें।

4. लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में दी गई राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रक्रियाओं पर कार्य करना अंतर्विष्ट है। चयनित प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षकों के निर्णय पर निर्भर करतीं हैं, जिनमें वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण गलत कथनों के जोखिम का निर्धारण करना भी शामिल है, चाहे वे धोखाधड़ी से हो या गलती से हो। इन जोखिमों के निर्धारण में, लेखापरीक्षक बैंक द्वारा वित्तीय विवरणियों को तैयार करने और उचित प्रस्तुतीकरण पर विचार किया जाता है जिससे वे परिस्थितियों के समीचीन लेखापरीक्षण प्रक्रियाओं को डिज़ाइन कर सकें। लेकिन इसका उद्देश्य बैंक के आंतरिक नियंत्रण की कारीगरता पर राय व्यक्त करना नहीं है । प्रयुक्त लेखाकरण नीतियों का मूल्यांकन और प्रबंधन द्वारा लगाए गए लेखांकन अनुमानों की तर्कसंगतता के साथ–साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी लेखापरीक्षा में शामिल है।

5. हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर्याप्त हैं और हमारी लेखापरीक्षा राय के आधार हेतु उपयुक्त हैं।

राय

6. हमारी राय में, बैंक की बहियों में दिखाए गए विवरणों के अनुसार और हमारी श्रेष्ठतम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार :

(ए) भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन नीतियों के अनुपालन में, टिप्पणियों के साथ पठित तुलन–पत्र पूर्ण और सही तुलन–पत्र है जिसमें समस्त आवश्यक जानकारी शामिल है तथा उसे इस प्रकार उचित रूप से तैयार किया गया है कि उसमें बैंक के 31 मार्च, 2016 के कामकाज का सही एवं वास्तविक चित्र प्रदर्शित होता है।

(बी) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और लेखों पर दिए गए नोट के साथ पठित लाभ एवं हानि लेखा, कवर किए गए वर्ष के लिए भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन नीतियों के अनुपालन में लेखे द्वारा लाभ का सही शेष दर्शाता है और

(सी) नकदी प्रवाह विवरण उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाहों का असली और उचित विवरण दर्शाता है ।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

7. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फॉर्म "ए" और "बी" में क्रमशः तुलन–पत्र और लाभ एवं हानि लेखा बनाए गए हैं ।

8. उपर्युक्त 1 से 5 तक के पैराग्राफों में संकेतित लेखापरीक्षा सीमाओं के अध्यधीन और बैंककारी कंपनी(उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की अपेक्षानुसार और उसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अध्यधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

ए. हमने सभी जानकारी व स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जोकि हमारी श्रेष्ठतम जानकारी व विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया ।

बी. बैंक के लेन–देन जोकि हमारे समक्ष आए हैं, बैंक के अधिकारों के भीतर ही हैं।

सी. कार्यालयों एवं शाखाओं तथा बैंक के कार्यालयों से प्राप्त विवरण हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ पर्याप्त पाए गए हैं।

9. हम आगे रिपोर्ट करना चाहते हैं कि,

ए. इस रिपोर्ट में प्रदर्शित तुलन पत्र तथा लाभ एवं हानि लेखे बही खातों और विवरियों के अनुसार हैं।

बी. बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के खंड 29 के अधीन शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा शाखा कार्यालयों के खातों की रिपोर्ट जो लेखा परीक्षित किये हैं, को हमें भेजे दिए गए हैं और हमने इस रिपोर्ट को तैयार करते समय इसे उचित रूप से जाँच की है।

सी. हमारी राय में तुलन पत्र, लाभ व हानि लेखा तथा नकदी प्रवाह विवरण प्रयोज्य लेखाकरण मानकों का अनुपालन करते हैं।

कृते एस पी पुरी एण्ड कंपनी	कृते सी के पृस्टि एण्ड असोसियेट्स	कृते पद्मनाभन रमणी और रामानुजम
For S. P. PURI & CO.	**For C. K. PRUSTY & ASSOCIATES**	**For PADMANABHAN RAMANI & RAMANUJAM**
सनदी लेखाकार Chartered Accountants	सनदी लेखाकार Chartered Accountants	सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No.001152N	एफआर सं. FR No.323220E	एफआर सं. FR No.002510S
विदुर पुरी	सी के पृस्ती	आर पद्मनाभन
VIDUR PURI	**C K PRUSTY**	**R PADMANABHAN**
साझेदार Partner	साझेदार Partner	साझेदार Partner
(एम.सं. M. No. 090163)	(एम.सं. M. No 057318)	(एम.सं. M. No 013216)

कृते जी बालु असोसियेट्स	कृते प्रकाश चन्द्र जैन एण्ड कंपनी
For G BALU ASSOCIATES	**For PRAKASH CHANDRA JAIN & CO**
सनदी लेखाकार Chartered Accountants	सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No.000376S	एफआर सं. FR No.002438C
जी बालसुब्रमण्यन	पी सी नलवाया
G BALASUBRAMANYAN	**P.C. NALWAYA**
साझेदार Partner	साझेदार Partner
(एम.सं. M No. 7628)	(एम.सं. M No. 033710)

स्थान : चेन्नै
Place : Chennai
दिनांक : Date : 11-05-2016

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To

The Members of Indian Bank

Report on Financial Statements

1. We have audited the accompanying financial statements of INDIAN BANK (the "Bank") as at **March 31, 2016**, which comprise the Balance Sheet as at **March 31, 2016** and Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are the returns of **20** branches and the Treasury Branch audited by us and **1357** branches audited by Statutory Branch Auditors and **3** foreign branches audited by local auditors. The Branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the Profit & Loss Account are the returns from **1185** branches which have not been subjected to audit. These un-audited branches account for **7.86** per cent of advances, **25.07** per cent of deposits, **7.18** per cent of interest income and **24.96** per cent of interest expenses.

Management's Responsibility for the Financial Statements:

2. Management is responsible for the preparation of these financial statements in accordance with the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, requirements of Reserve Bank of India and applicable Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("ICAI"). This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility:

3. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements.

4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Bank's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purposes of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

6. In our opinion, as shown by books of the Bank and to the best of our information and according to the explanations given to us:
   (a) the Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as at March 31, 2016, in conformity with accounting principles generally accepted in India;
   (b) the Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account ; and
   (c) the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

7. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of Banking Regulation Act, 1949.

8. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 to 5 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosures required therein, we report that:
   a. We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory.
   b. The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank, and
   c. The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

9. We further report that
   a. The Balance Sheet and Profit and Loss account dealt with by this report are in agreement with the books of account and returns;
   b. The reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report.
   c. In our opinion, the Balance Sheet and Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards.

For S. P. PURI & CO.
Chartered Accountants
FR No.001152N

VIDUR PURI
Partner
(M. No. 090163)

For C. K. PRUSTY & ASSOCIATES
Chartered Accountants
FR No.323220E

C.K. PRUSTY
Partner
(M. No. 057318)

For PADMANABHAN RAMANI & RAMANUJAM
Chartered Accountants
FR No.002510S

R. PADMANABHAN
Partner
(M. No. 013216)

For G. BALU ASSOCIATES
Chartered Accountants
FR No.000376S

G. BALASUBRAMANYAN
Partner
(M No. 7628)

For PRAKASH CHANDRA JAIN & CO
Chartered Accountants
FR No.002438C

P.C. NALWAYA
Partner
(M No. 033710)

Place : Chennai
Date : 11.05.2016

इस पृष्ठ को जानबूझकर रिक्त रखा गया है।
This page is intentionally left blank

समेकित तुलन पत्र
लाभ एवं हानि लेखा और अनुसूचियाँ

CONSOLIDATED BALANCE SHEET, PROFIT AND LOSS ACCOUNT AND SCHEDULES

31 मार्च 2016 को समेकित तुलन पत्र
CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON MARCH 31, 2016

(₹ करोडों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	अनुसूची Schedule	31.03.2016 को As on 31.03.2016	31.03.2015 को As on 31.03.2015
पूँजी व देयताएं CAPITAL & LIABILITIES			
पूंजी Capital	1	480.29	480.29
आरक्षितियां और अधिशेष Reserves and Surplus	2	16009.54	14548.67
अल्पसंख्यक हित Minority Interest	2A	17.25	16.27
जमाएं Deposits	3	178258.92	169204.18
उधार Borrowings	4	3509.32	2646.09
अन्य देयताएं और प्रावधान Other Liabilities & Provisions	5	5665.77	6140.22
कुल **TOTAL**		**203941.09**	**193035.72**
आस्तियां **ASSETS**			
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ शेष Cash & Balances with Reserve Bank of India	6	9174.46	8301.13
बैंकों के साथ शेष और मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशियाँ Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	2825.16	4780.71
निवेश Investments	8	53282.93	46060.45
अग्रिम Advances	9	129055.44	125870.20
अचल आस्तियां Fixed Assets	10	3515.61	2973.80
अन्य आस्तियां Other Assets	11	6087.50	5049.43
कुल TOTAL		**203941.09**	**193035.72**
आकस्मिक देयताएं Contingent Liabilities	12	**29775.78**	**38060.51**
वसूली के लिए बिल Bills for Collection	-	**3150.61**	**2990.96**

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां Significant Accounting Policies	17
लेखों पर टिप्पणियाँ Notes on Accounts	18

ऊपर उल्लिखित अनुसूचियाँ, तुलन पत्र के अंभिन्न अंग हैं
Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet

टी सी वेंकट सुब्रमणियन **T C VENKAT SUBRAMANIAN** गैर–कार्यपालक अध्यक्ष NON EXECUTIVE CHAIRMAN	महेश कुमार जैन **MAHESH KUMAR JAIN** प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी MANAGING DIRECTOR & CEO	आर सुब्रमणिय कुमार **R SUBRAMANIA KUMAR** कार्यपालक निदेशक EXECUTIVE DIRECTOR	ए एस राजीव **A S RAJEEV** कार्यपालक निदेशक EXECUTIVE DIRECTOR	वी. ए. प्रशांत **V A PRASANTH** महाप्रबंधक GENERAL MANAGER

निदेशक **DIRECTORS**

बी पी विजयेन्द्र **B P VIJAYAENDRA** पी वेंकट कृष्ण राव **P VENKATA KRISHNA RAO** दीपक डी सामंत **DEEPAK D SAMANT**

पद्मनाभन विट्ठल दास **PADMANABAN VITTAL DASS** विनोद कुमार नागर **VINOD KUMAR NAGAR** श्रीराम रामचन्द्रन **SRIRAM RAMACHANDRAN**

As per our report of even date attached

सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षक **STATUTORY CENTRAL AUDITORS**

कृते एस पी पुरी एण्ड कंपनी **For S.P. PURI & CO.** सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफआर सं. FR No.001152N विदुर पुरी **VIDUR PURI** साझेदार Partner (एम.सं. M. No 090163)	कृते सी के पृस्टि एण्ड असोसियेट्स **For C. K. PRUSTY & ASSOCIATES** सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफआर सं. FR No.323220E सी के पृस्ती **C K PRUSTY** साझेदार Partner (एम.सं. M. No 057318)	कृते पद्मनाभन रमणी और रामानुजम **For PADMANABHAN RAMANI & RAMANUJAM** सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफआर सं. FR No.002510S आर पद्मनाभन **R PADMANABHAN** साझेदार Partner (एम.सं. M. No 013216)

कृते जी बालु असोसियेट्स **For G BALU ASSOCIATES** सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफआर सं. FR No.000376S जी बालसुब्रमण्यन **G BALASUBRAMANYAN** साझेदार Partner (एम.सं. M. No 7628)	कृते प्रकाश चन्द्र जैन एण्ड कंपनी **For PRAKASH CHANDRA JAIN & CO** सनदी लेखाकार Chartered Accountants एफआर सं. FR No.002438C पी सी नलवाया **P C NALWAYA** साझेदार Partner (एम.सं. M. No 033710)

स्थान : चेन्नै
Place : Chennai
दिनांक : Date : 11-05-2016

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ व हानि लेखा
CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2016

(₹ करोडों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	अनुसूची सं. Schedule No.	31.03.2016 को Y E 31.03.2016	31.03.2015 को Y E 31.03.2015
I. आय : INCOME			
अर्जित ब्याज Interest earned	13	16244.27	15853.35
अन्य आय Other Income	14	1788.94	1372.21
कुल TOTAL		**18033.21**	**17225.56**
II. व्यय EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज Interest expended	15	11795.38	11389.77
परिचालनगत व्यय Operating expenses	16	3202.13	2825.39
प्रावधान एवं आकस्मिकतायें Provisions & Contingencies	-	2321.18	1996.95
कुल TOTAL		**17318.68**	**16212.11**
III. वर्ष के लिए समूह से संबंधित समेकित निवल लाभ / (हानि)			
Consolidated Profit/(loss) for the year attributable to the group		714.51	1013.46
सहयोगियों में कमाई की हिस्सेदारी Share of earnings in Associates		37.73	37.06
अल्प संख्यक हित Minority Interest		-0.97	-1.75
		751.28	**1048.76**
अग्रानीत लाभ / (हानि) Profit/(Loss) brought forward		247.61	201.86
कुल निवल लाभ Total Net Profit		**998.88**	**1250.62**
IV. विनियोजन APPROPRIATIONS			
निम्नलिखित को अंतरित : Transfer to :			
सांविधिक प्रारक्षित निधि Statutory Reserves		177.85	251.50
पूँजी रिज़र्व - अन्य Capital Reserves- Others		22.48	——
आईटी अधिनियम की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष रिज़र्व Spl.Reserve u/s 36(1)(viii) of I T Act		28.02	43.50
निवेश रिज़र्व Investment Reserve		-	-
राजस्व रिज़र्व Revenue Reserves		375.00	445.00
स्टाफ कल्याण निधि Staff Welfare Fund		20.00	20.00
प्रस्तावित इक्विटी लाभांश Proposed Equity Dividend		72.04	201.72
प्रस्तावित अधिमान्य लाभांश Proposed Preference Dividend		0.00	0.00
लाभांश वितरण कर Dividend Distribution Tax		14.67	41.29
समेकित तुलन पत्र को ले जाया गया अधिशेष Balance carried over to consolidated Balance Sheet		288.83	247.61
कुल विनियोजन Total Appropriations		**998.88**	**1250.62**
प्रति शेयर अर्जन (मूल एवं कम किया गया) Earnings per Share in Rs. (Basic & diluted)	18	15.64	21.62

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां Significant Accounting Policies 17
लेखों पर टिप्पणिया Notes on Accounts 18
ऊपर उल्लिखित अनुसूचियाँ, तुलन पत्र के अंभिन्न अंग हैं
Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet

टी सी वेंकट सुब्रमणियन
T C VENKAT SUBRAMANIAN
गैर–कार्यपालक अध्यक्ष
NON EXECUTIVE CHAIRMAN

महेश कुमार जैन
MAHESH KUMAR JAIN
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
MANAGING DIRECTOR & CEO

आर सुब्रमणिय कुमार
R SUBRAMANIA KUMAR
कार्यपालक निदेशक
EXECUTIVE DIRECTOR

ए एस राजीव
A S RAJEEV
कार्यपालक निदेशक
EXECUTIVE DIRECTOR

वी. ए. प्रशांत
V A PRASANTH
महाप्रबंधक
GENERAL MANAGER

निदेशक **DIRECTORS**

बी पी विजयेन्द्र **B P VIJAYAENDRA** पी वेंकट कृष्ण राव **P VENKATA KRISHNA RAO** दीपक डी सामंत **DEEPAK D SAMANT**
पद्मनाभन विट्ठल दास **PADMANABAN VITTAL DASS** विनोद कुमार नागर **VINOD KUMAR NAGAR** श्रीराम रामचन्द्रन **SRIRAM RAMACHANDRAN**

As per our report of even date attached

सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षक **STATUTORY CENTRAL AUDITORS**

कृते एस पी पुरी एण्ड कंपनी
For S.P. PURI & CO.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No.001152N
विदुर पुरी
VIDUR PURI
साझेदार Partner
(एम.सं. M. No 090163)

कृते सी के पृस्टि एण्ड असोसियेट्स
For C. K. PRUSTY & ASSOCIATES
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No.323220E
सी के पृस्ती
C K PRUSTY
साझेदार Partner
(एम.सं. M. No 057318)

कृते पद्मनाभन रमणी और रामानुजम
For PADMANABHAN RAMANI & RAMANUJAM
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No.002510S
आर पद्मनाभन
R PADMANABHAN
साझेदार Partner
(एम.सं. M. No 013216)

कृते जी बालु असोसियेट्स
For G BALU ASSOCIATES
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No.000376S
जी बालसुब्रमण्यन
G BALASUBRAMANYAN
साझेदार Partner
(एम.सं. M. No 7628)

कृते प्रकाश चन्द्र जैन एण्ड कंपनी
For PRAKASH CHANDRA JAIN & CO
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No.002438C
पी सी नलवाया
P C NALWAYA
साझेदार Partner
(एम.सं. M. No 033710)

स्थान : चेन्नै
Place : Chennai
दिनांक : Date : 11-05-2016

अनुसूची 1 – पूँजी
SCHEDULE 1 - CAPITAL

(₹ करोडों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31.03.2016 को As on 31.03.2016	31.03.2015 को As on 31.03.2015
I. प्राधिकृत पूँजी Authorised Capital		
प्रत्येक ₹ 10/– के 300,00,00,000 ईक्विटी शेयर		
300,00,00,000 Equity Shares of Rs.10/- each	3000.00	3000.00
प्रत्येक ₹100/– के 4,00,00,000 स्थायी गैर–संचयी अधिमान्य शेयर		
4,00,00,000 Perpetual Non-Cumulative Preference Shares of Rs.100/- each	0.00	0.00
II. जारी, अभिदत्त और अदा की गई पूंजी Issued, Subscribed and Paid up:		
ए. भारत सरकार द्वारा रखे गए प्रत्येक रुपए 10/– के 39,43,41,651 ईक्विटी शेयर (जिसमें वर्ष के दौरान पीएनसीपीएस के अधिमान्य आधार पर परिवर्तित किए जाने पर जारी 1,54,43,163 ईक्विटी शेयर शामिल हैं) (पिछले वर्ष – रुपए 10/– प्रत्येक के 37,88,98,488 ईक्विटी शेयर शामिल है)		
a. 39,43,41,651 (including 1,54,43,163 Equity shares issued upon conversion of PNCPS on preferential basis) Equity shares of Rs.10/- each held by Government of India (P.Y.-37,88,98,488 Equity shares of Rs. 10/- each)	394.34	394.34
बी. जनता द्वारा रखे गए प्रत्येक ₹ 10/– के 8,59,50,000 ईक्विटी शेयर		
b. 8,59,50,000 Equity shares of Rs.10/- each held by Public	85.95	85.95
कुल **Total**	**480.29**	**480.29**

अनुसूची 2 – प्रारक्षित निधि व अधिशेष
SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS

(₹ करोडों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31.03.2016 को As on 31.03.2016	31.03.2015 को As on 31.03.2015
सांविधिक आरक्षितियां Statutory Reserves	3759.11	3581.26
पूँजीगत आरक्षितियां – पुनर्मूल्यांकन Capital Reserves-Revaluation	2781.43	2275.52
पूँजीगत आरक्षितियां – अन्य Capital Reserve -Others	117.82	95.35
शेयर प्रीमियम Share Premium	1325.67	1325.67
निवेश रिज़र्व Investment Reserve	39.92	39.92
राजस्व और अन्य प्रारक्षित निधियाँ Revenue and other Reserves	6696.11	6064.42
आयकर अधिनियम 36(1) (viii) के अंतर्गत विशेष रिजर्व Spl. Reserve u/s 36(1)(viii) of Income Tax Act	626.52	598.50
आयकर अधिनियम 36(1) (viii ए) के अंतर्गत विशेष रिजर्व Spl. Reserve u/s 36(1)(viii a) of Income Tax Act	58.20	58.20
विदेशी मुद्रा लेनदेन रिजर्व Foreign Currency Translation Reserve	315.94	262.22
लाभ एवं हानि खाता Profit & Loss account	288.83	247.61
कुल **Total**	**16009.55**	**14548.67**

अनुसूची 2ए – अल्पसंख्यक हित
SCHEDULE 2A - MINORITY INTEREST

(₹ करोडों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31.03.2016 को As on 31.03.2016	31.03.2015 को As on 31.03.2015
मूल उद्यम – अनुषंगी का संबंध उद्भव होने की तारीख पर अल्प संख्यक हित Minority interest on the date on which the parent-subsidiary relationship came into existence	3.27	3.27
परवर्ती वृद्धि / घटाव Subsequent increase/decrease	13.98	13.00
तुलन पत्र की तारीख पर अल्प संख्यक हित Minority interest on the date of balance sheet	17.25	16.27

अनुसूची 3 – जमाएँ
SCHEDULE 3 - DEPOSITS

(₹ करोडों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31.03.2016 को As on 31.03.2016	31.03.2015 को As on 31.03.2015
(ए) I. मांग जमाराशियां A.I. Demand Deposits		
(i) बैंकों से (i) From Banks	132.43	209.76
(ii) अन्यों से (ii) From others	9144.98	8257.37
II. बचत बैंक जमाराशियाँ II. Savings Bank Deposits	46481.77	40224.82
III. सावधि जमाराशियाँ III. Term Deposits		
(i) बैंकों से (i) From Banks	2403.83	4922.80
(ii) अन्यों से (ii) From others	120095.90	115589.42
कुल (I, II और III) Total A (I,II & III)	**178258.92**	**169204.18**
(बी) (i) भारत में शाखाओं की जमाएं B. (i) Deposits of branches in India	172624.76	161836.45
(ii) भारत के बाहर शाखाओं की जमाएं (ii) Deposits of branches outside India	5634.16	7367.73
कुल बी (i और ii) Total B (i & ii)	**178258.92**	**169204.18**

अनुसूची 4 – उधार
SCHEDULE 4 - BORROWINGS

(₹ करोडों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31.03.2016 को As on 31.03.2016	31.03.2015 को As on 31.03.2015
I. भारत में उधार I. Borrowings in India		
(i) भारतीय रिज़र्व बैंक (I) RBI	0.00	0.00
(ii) अन्य बैंक (ii) Other Banks	0.01	656.70
(iii) अन्य संस्थाएं और अभिकरण (iii)Other Institutions and Agencies	1500.09	1832.90
II. भारत के बाहर उधार II.Borrowings outside India	2009.21	156.50
कुल (i और ii) Total (i & ii)	**3509.32**	**2646.09**
ऊपर I और II में शामिल प्रतिभूत उधार Secured borrowings included in I & II above	NIL	NIL

अनुसूची 5 – अन्य देयताएँ और प्रावधान
SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

(₹ करोडों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31.03.2016 को As on 31.03.2016	31.03.2015 को As on 31.03.2015
I. देय बिल I. Bills Payable	690.12	840.47
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) II. Inter-Office adjustments(net)	120.20	0.00
III. उपचित ब्याज III. Interest Accrued	817.23	889.60
IV. अन्य (प्रावधानों सहित) IV. Others(including provisions)	4038.22	4410.15
कुल Total	**5665.77**	**6140.22**

अनुसूची 6 भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ नकदी और शेष
SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(₹ करोडों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31.03.2016 को As on 31.03.2016	31.03.2015 को As on 31.03.2015
I. हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों सहित) I. Cash in hand (including foreign currency notes)	537.14	401.08
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष – चालू खाते में II.Balances with Reserve Bank of India - in Current Account	8637.32	7900.05
कुल (I & II) Total (I & II)	**9174.46**	**8301.13**

अनुसूची 7 – बैंकों में शेष और माँग पर तथा अल्प सूचना पर राशि
SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

(₹ करोडों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31.03.2016 को As on 31.03.2016	31.03.2015 को As on 31.03.2015
I. भारत में I. In India		
(i) बैंकों में शेष (i) Balances with Banks		
(ए) चालू खातों में (a) in Current Accounts	10.63	20.61
(बी) अन्य जमा खातों में (b) in Other Deposit Accounts	275.93	276.16
(ii) मांग पर तथा अल्प सूचना पर धनराशि (ii) Money at call and short notice		
(ए) बैंकों में (a) with Banks	0.00	376.60
कुल I (i और ii) Total I (i & ii)	**286.56**	**673.37**
II. भारत के बाहर II. Outside India		
(i) चालू खाते में (i) in Current Account	258.26	1382.02
(ii) अन्य जमा खातों में (ii) in Other Deposit Accounts	2274.04	2713.00
(iii) माँग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि (iii) Money at call and short notice	6.29	12.32
कुल II Total II	**2538.60**	**4107.34**
कुल योग (i और ii) Grand Total (i & ii)	**2825.16**	**4780.71**

अनुसूची 8 – निवेश
SCHEDULE 8 - INVESTMENT

(₹ करोडों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31.03.2016 को As on 31.03.2016	31.03.2015 को As on 31.03.2015
I. भारत में निवेश I. INVESTMENTS IN INDIA		
सकल निवेश Gross Investments	50960.25	44683.45
घटाएँ : मूल्यह्रास एवं एनपीआई हेतु प्रावधान Less Provsion for Depreciation & NPI	251.97	833.61
	50708.29	**43849.84**
I. सरकारी प्रतिभूतियां i) Government Securities	39511.73	38609.48
ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां ii) Other approved Securities	36.27	36.27
iii. शेयर iii) Shares	389.03	422.06
iv. डिबेंचर और बाँड iv) Debentures and bonds	7765.39	4185.08
v. सहयोगी संस्थाओं में निवेश v) Investment in Associates	235.70	195.83
vi. अन्य vi) Others	2770.16	401.12
कुल : TOTAL	**50708.29**	**43849.84**
II. भारत के बाहर निवेश II. INVESTMENT OUTSIDE INDIA		
सकल निवेश Gross Investments	2669.67	2299.83
घटाएँ : मूल्यह्रास एवं एनपीआई हेतु प्रावधान Less Provsion for Depreciation & NPI	95.02	89.22
	2574.65	**2210.61**
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकारी सहित)		
I) Government Securities (including local authorities)	2570.37	2206.38
ii) सहयोगी संस्थाओं में निवेश ii) Investment in Associates	0.00	0.00
iii) अन्य निवेश (विनिर्दिष्ट करना है) iii) Other investment (to be specified)		
ए शेयर (a) Shares	1.39	1.26
बी ऋण प्रतिभूतियाँ (b) Debt Securities	2.89	2.98
कुल TOTAL	**2574.65**	**2210.61**
निवल कुल योग (I व II) NET GRAND TOTAL (I & II)	**53282.93**	**46060.45**

अनुसूची 9 – अग्रिम
SCHEDULE 9 - ADVANCES

(₹ करोडों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31.03.2016 को As on 31.03.2016	31.03.2015 को As on 31.03.2015
ए. i) क्रय किए गए एवं बट्टाकृत बिल A. (i) Bills Purchased and discounted	1473.11	2580.07
(ii) नकद उधार, आवेर ड्राफ़्ट और मांग पर देय उधार		
(ii) Cash credits, overdrafts and loans repayable on demand	66024.63	55825.51
(iii) सावधि उधार (iii)Term Loans	61557.45	67464.38
(iv) अन्य (iv) Others	0.24	0.24
कुल (ए) Total (A)	**129055.44**	**125870.20**
बी. i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (इसमें बही ऋणों पर अग्रिम शामिल हैं)		
B. (i) Secured by tangible assets(includes advances against book debts)	103254.61	100662.81
(ii) बैंक/सरकार गारंटियों द्वारा संरक्षित (ii) Covered by Bank / Government Guarantees	6296.84	7620.90
(iii) अप्रतिभूत (iii) Unsecured	19503.98	17586.49
कुल (बी) Total (B)	**129055.44**	**125870.20**
सी. I भारत में अग्रिम C. I. Advances in India		
(I) प्राथमिकता क्षेत्र (i) Priority Sector	46490.64	46106.19
(ii) सार्वजनिक क्षेत्र (ii) Public Sector	21927.01	18681.90
(iii) बैंक (iii) Banks	0.00	0.00
(iv) अन्य (iv) Others	55468.28	55417.96
कुल (सी–I) Total (C-I)	**123885.93**	**120206.05**
सी (II) भारत के बाहर अग्रिम C. II.Advances outside India		
(i) बैंकों से देय (i) Due from Banks	665.99	593.50
(ii) अन्यों से देय (ii)Due from Others		
(क) क्रय किए गए एवं बट्टाकृत बिल (a) Bills Purchased & discounted	1031.55	1626.48
(ख) सामूहिक ऋण (b) Syndicated Loans	1374.84	1683.65
(ग) अन्य (c) Others	2097.12	1760.51
कुल (सी – II) Total (C-II)	**5169.51**	**5664.14**
कुल योग (सी I + सी II) Total (C-I+CII)	**129055.44**	**125870.20**

अनुसूची 10 – स्थाई आस्तियाँ
SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS

(₹ करोडों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31.03.2016 को As on 31.03.2016	31.03.2015 को As on 31.03.2015
परिसर I. Premises		
पूर्ववर्ती तुलन–पत्रानुसार लागत/पुनर्मूल्यांकन पर At cost/revaluation as per last Balance Sheet	2846.40	2846.05
वर्ष के दौरान जोड/समायोजन Additions / adjustments during the year	587.47	0.35
वर्ष के दौरान घटाव Deductions during the year	0.43	0.00
उक्त तारीख तक मूल्यह्रास Depreciation to date	470.43	388.23
निवल मूल्य Net Value	**2963.00**	**2458.17**
Iए. निर्माणाधीन परिसर IA.Premises under Construction	**7.90**	**5.24**
II. अन्य अचल आस्तियां (फ़र्निचर/फ़िक्सचर सहित) II. Other Fixed Assets(including furniture & fixtures)		
पूर्ववर्ती वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार लागत पर At cost as per last Balance Sheet	1416.56	1248.01
वर्ष के दौरान जोड़ Additions during the year	192.71	240.75
वर्ष के दौरान घटाव Deductions during the year	51.58	72.20
उक्त तारीख तक मूल्यह्रास Depreciation to date	1012.99	906.17
निवल मूल्य Net Value	**544.70**	**510.39**
II(ए) पट्टाकृत आस्तियाँ IIA.Leased Assets		
पूर्ववर्ती तुलन पत्र के अनुसार लागत पर At cost as per last Balance Sheet	17.39	19.79
वर्ष के दौरान जोड़ Additions during the year	0.00	0.00
प्रावधान को सम्मिलित करते हुए वर्ष के दौरान घटाव Deductions during the year including provisions	0.00	2.40
उक्त तारीख तक मूल्यह्रास Depreciation to date	17.39	17.39
निवल मूल्य Net Value	**0.00**	**0.00**
कुल : (I, I(ए), IIव II(ए) Total (I,IA,II,&IIA)	**3515.61**	**2973.80**

अनुसूची 11 – अन्य आस्तियाँ
SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS

(₹ करोडों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31.03.2016 को As on 31.03.2016	31.03.2015 को As on 31.03.2015
I. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) I. Inter Office Adjustment (net)	0.00	189.60
उपचित ब्याज II. Interest accrued	989.04	891.84
III. अग्रिम रूप से प्रदत्त कर / स्रोत पर काटा गया कर III. Tax paid in advance/tax deducted at source	2686.19	2249.24
लेखन सामग्री एवं स्टांप IV. Stationery and stamps	16.49	16.34
V. दावों की संतुष्टि से प्राप्त की गयी ग़ैर बैंककारी आस्तियाँ V. Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	20.26	20.26
आस्थगित कर आस्तियाँ VI. Deferred Tax assets (Net)	4.22	191.27
अन्य VI.Others	2371.31	1490.88
कुल **Total**	**6087.50**	**5049.43**

अनुसूची 12 – आकस्मिक देयताएँ
SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES

(₹ करोडों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31.03.2016 को As on 31.03.2016	31.03.2015 को As on 31.03.2015
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है (निवल) I. Claims against the Bank not acknowledged as debts (Net)	647.24	650.89
II. अंशतः प्रदत्त निवेशों के लिए दायित्व II. Liability for partly paid Investments	8.26	25.06
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के बाबत दायित्व III. Liability on account of outstanding forward exchange contracts	11587.06	22565.65
IV. संघटकों की ओर से दी गई गारंटियां IV. Guarantees given on behalf of constituents		
ए. भारत में (a)In India	9536.82	9803.33
बी. भारत के बाहर (b)Outside India	17.91	60.92
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व V. Acceptances, endorsements and other obligations	5186.49	2949.20
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है VI.Other items for which the bank is contingently liable	2792.01	2005.45
कुल **Total**	**29775.78**	**38060.51**

अनुसूची 13 – अर्जित ब्याज
SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED

(₹ करोडों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31.03.2016 को Y E 31.03.2016	31.03.2015 को Y E 31.03.2015
I. अग्रिमों / बिलों पर ब्याज /बट्टा I. Interest/discount on advances/bills	11924.44	12074.88
II. निवेशों पर आय II. Income on Investments	4153.50	3622.90
III. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास अतिशेष और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज III. Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	145.98	155.57
IV. अन्य IV. Others	20.34	0.00
कुल **Total**	**16244.27**	**15853.35**

अनुसूची 14 – अन्य आय
SCHEDULE 14 - OTHER INCOME

(₹ करोडों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31.03.2016 को Y E 31.03.2016	31.03.2015 को Y E 31.03.2015
I. कमीशन, विनिमय और दलाली I. Commission , exchange and brokerage	287.54	269.90
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ (निवल) II. Profit on sale of Investments (net)	306.96	206.61
III. निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ (निवल) III Profit on Revaluation of Investments (net)	0.00	0.00
IV. भूमि, भवन और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ (निवल)		
IV. Profit on sale of land, buildings and other assets (Net)	-1.90	-1.54
V. विनिमय संव्यवहारों पर लाभ (निवल) V. Profit on exchange transactions (net)	297.31	246.15
VI.ए) पट्टा–वित्त / किराया खरीद से आय VI. a) Lease finance / Hire Purchase inome	0.12	0.21
बी) विदेश / भारत में अनुषंगियों / कंपनियों तथा / या सह उद्यमों से लाभांश आदि के ज़रिए अर्जित आय		
b) Income earned by way of dividends etc. from companies and/ or joint ventures abroad/ in India	18.08	11.78
VII. विविध आय VII. Miscellaneous Income	880.81	639.10
कुल **Total**	**1788.94**	**1372.21**

अनुसूची 15 – व्यय किया गया ब्याज
SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED

(₹ करोडों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31.03.2016 को Y E 31.03.2016	31.03.2015 को Y E 31.03.2015
I. जमाओं पर ब्याज I. Interest on deposits	11545.10	11209.24
भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर बैंक उधारों पर ब्याज		
II. Interest on Reserve Bank of India/inter-bank borrowings	235.21	171.57
अन्य III. Others	15.07	8.96
कुल **Total**	**11795.38**	**11389.77**

अनुसूची 16 – प्रचालन व्यय
SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES

(₹ करोडों में)
(₹ in Crore)

विवरण PARTICULARS	31.03.2016 को Y E 31.03.2016	31.03.2015 को Y E 31.03.2015
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान		
I. Payments to and provisions for employees	2010.26	1746.25
II. किराया, कर और रोशनी II. Rent, taxes and lighting	265.09	239.19
III. मुद्रण और लेखन सामग्री III. Printing and stationery	28.55	27.90
IV. विज्ञापन और प्रचार IV. Advertisement and publicity	8.15	8.76
V. ए) पट्टाकृत आस्तियों से अन्य बैंक की संपत्तियों पर मूल्यह्रास		
V. (a) Depreciation on Bank's property other than Leased Assets	151.19	138.82
बी) पट्टाकृत आस्तियों पर मूल्यह्रास (b) Depreciation on Leased Assets	0.12	0.16
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय VI. Directors' fees, allowances and expenses	0.87	0.71
VII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय सहित)		
VII. Auditors' fees and expenses (including branch auditors' fees and expenses)	26.50	24.15
VIII. विधि प्रभार VIII. Law charges	9.26	9.75
IX. डाक, तार और टेलीफोन आदि IX. Postage, telegrams, telephones, etc.	24.89	21.68
X. मरम्मत और अनुरक्षण X. Repairs and maintenance	73.06	68.60
XI. बीमा XI. Insurance	162.48	141.48
XII. अन्य व्यय XII. Other expenditure	441.70	397.94
कुल **Total**	**3202.13**	**2825.39**

अनुसूची 17

मुख्य लेखाकरण नीतियां
(समेकित लेखे 2015-16)

1. लेखांकन प्रथा :

वित्तीय विवरणों को अन्यथा न बताये जाने पर ऐतिहासिक लागत प्रथा पर क्रियाशील संस्था संकल्पना का अनुपालन करते हुए तैयार किया जाता है। यह भारत में प्रचलित सांविधिक सिद्धांतों के अनुरूप है जिसमें सांविधिक प्रावधान, विनियामक / भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानकों / मार्गदर्शन नोट्स और भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाएं शामिल हैं। विदेशी शाखाओं के संबंध में संबंधित देशों में प्रचलित सांविधिक प्रावधानों के अनुरूप है।

2. प्राक्कलन का प्रयोग

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए, रिपोर्टिंग अवधि हेतु वित्तीय विवरणियों की तारीख पर दर्ज आस्तियों एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) तथा आय एवं व्यय पर विचार करने हेतु प्रबंधन को प्राक्कलन तैयार करने और पूर्वानुमान करने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन, यह विश्वास रखता है कि वित्तीय विवरणियों की तैयारी में इस्तेमाल किये गये प्राक्कलन विवेकी और उचित हैं।

3. समेकन की प्रक्रिया :

ए. बैंक के (मूल संस्था एवं उसकी अनुषंगियां) समेकित वित्तीय विवरण, इंडियन बैंक (मूल संस्था) और उसकी अनुषंगियां, यथा (1) इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड (2) इंड बैंक मर्चेट बैंकिंग सर्विसेज़ लिमिटेड, के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर, अंतर समूह लेनदेनों को एवं प्राप्त न किए गए लाभ /हानियों को छोड़ने के बाद यथावश्यक समायोजन करके तैयार किये गये हैं। मूल संस्था की रिपोर्टिंग तारीख तक अनुषंगियों के वित्तीय विवरण भी बनाए गए हैं।

बी. अनुषंगियां और सहयोगी संस्थाएं, संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित एवं सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार लेखाकरण नीतियों का अनुपालन करती हैं। अनुपालनार्थ अपेक्षित ऐसी विभिन्न लेखाकरण नीतियों के मद्देनजर, अधिदेश / सांविधिक अपेक्षाओं के अनुरूप संबंधित लेखाकरण नीतियों को अपनाते हुए समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं।

सी. मूल संस्था को आनुषंगिक संस्था में निवेश के लिए हुई लागत और अर्जन की तारीख को अनुषंगी संस्था में मूल संस्था की ईक्विटी में अंतर को वित्तीय विवरण में पूंजी रिज़र्व / गुडविल के रूप में लिया जाता है। अर्जन के बाद के लाभ / हानियों में मूल संस्था के शेयर का समायोजन, राजस्व रिज़र्व के साथ किया जाता है ।

डी. परिचालन के निवल परिणाम और अनुषंगी संस्था की संपत्ति में अल्प संख्यक के हक से लाभ एवं निवल संपत्तियों का वह अंश द्योतित है जो अल्पसंख्यकों को देय है।

ई. एसोसियेटस में निवेश का हिसाब, एसोसियेटस के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर आईसीएआई द्वारा जारी लेखाकरण मानक–23 (एएस–23) समेकित वित्तीय विवरणों में एसोसियेटस में निवेश के लिए लेखांकन के अनुसार ईक्विटी पद्धति के तहत किया जाता है।

4. विदेशी विनिमय से संबंधित लेनदेन

मूल संस्था

4.1 भारतीय परिचालनों और ग़ैर समाकलित विदेशी परिचालन के विदेशी मुद्रा लेनदेनों का लेखांकन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखाकरण मानक – 11 (एएस – 11) के अनुसार किया जाता है।

4.2 भारतीय परिचालनों के मामले में परिवर्तन

4.2.1 विदेशी मुद्रा डीलर असोसिएशन आफ़ इंडिया (फेडाय) द्वारा अधिसूचित साप्ताहिक औसत दर (डबल्यूएआर) पर विदेशी विनिमय लेनदेन दर्ज किए जाते हैं।

4.2.2 विदेशी मुद्रा में आस्तियों एवं देयताओं का परिवर्तन, वर्षांत पर फ़ेडाय द्वारा अधिसूचित समापन दरों पर किया जाता है।

4.2.3 विदेशी मुद्रा में स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं और गारंटियों को वर्षांत पर फ़ेडाय द्वारा अधिसूचित समापन दरों पर रखा जाता है।

4.2.4 वित्तीय वर्ष के अंत में विदेशी मुद्रा में रखी गयी आस्तियों एवं देयताओं के निपटान एवं परिवर्तन से उठनेवाले विनिमय अंतर को, उस वर्ष में ही आय या व्यय के रूप में पहचाना जाता है, जब वे उत्पन्न होते हैं।

4.2.5 बकाया वायदा विनिमय दरों का प्रकटीकरण संविदागत दरों से किया जाता है तथा फ़ेडाय की समापन दरों पर उनका पुनर्मूल्यांकन किया जाता है एवं उसके परिणाम की पहचान, लाभ व हानि लेखे के ज़रिए की जाती है।

4.3 ग़ैर– समाकलित विदेशी परिचालनों के संबंध में परिवर्तन

विदेशी शाखाओं का वर्गीकरण, ग़ैर समाकलित विदेशी परिचालन के रूप में किया गया है और वित्तीय विवरणों का परिवर्तन निम्नप्रकार किया जाता है

4.3.1 आकस्मिक देयताएं सहित आस्तियों एवं देयताओं का परिवर्तन फ़ेडाय द्वारा वर्षांत में अधिसूचित दरों पर किया जाता है।

SCHEDULE - 17

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Consolidated Accounts 2015-16)

1. ACCOUNTING CONVENTION

The financial statements are prepared by following the going concern concept on historical cost convention unless otherwise stated. They conform to generally accepted accounting principles in India, which comprises statutory provisions, regulatory / Reserve Bank of India guidelines, accounting standards / guidance notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the practices prevalent in the Banking Industry in India. In respect of foreign branches as per statutory provisions and practices prevailing in the respective countries.

2. USE OF ESTIMATES

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions for considering the reported assets and liabilities (including contingent liabilities) as on the date of financial statements and the income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable.

3. CONSOLIDATION PROCEDURE

a. Consolidated financial statements of the "Bank" (parent and its subsidiaries) have been prepared on the basis of audited financial statements of Indian Bank (parent) and its subsidiaries viz. (1) Ind Bank Housing Ltd, (2) Indbank Merchant Banking Services Ltd. after eliminating intra group transactions and unrealised profit/losses and making necessary adjustments. The financial statements of the subsidiaries are drawn up to the same reporting date of the parent.

b. The Subsidiaries and Associates follow Accounting Policies as prescribed by the respective regulatory authorities and as per statutory requirements. In view of such diverse accounting policies required to be followed, the consolidated financial statements have been prepared by adopting the respective accounting policies of the mandated / statutory requirements.

c. The difference between the cost to the parent of its investment in subsidiary entity and the parent's portion of its equity in the subsidiary with reference to the date of acquisition is recognised in the consolidated financial statement as Capital Reserve/Goodwill. The parent's share in the post acquisition profits/losses is adjusted against the Revenue Reserve.

d. The minority interests in the net result of the operation and the asset of the subsidiary, represent that part of profit and the net asset attributable to the minorities.

e. Investments in Associates are accounted for under the Equity Method as per Accounting Standard -23 (AS - 23) - "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements" issued by ICAI based on the audited Financial Statements of the Associates.

4. TRANSACTIONS INVOLVING FOREIGN EXCHANGE

PARENT

4.1 Foreign Currency transactions of Indian operations and non-integral foreign operations are accounted for as per Accounting Standard-11 (AS-11) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

4.2 Translation in respect of Indian operations.

4.2.1 Foreign exchange transactions are recorded at the Weekly Average Rate (WAR) notified by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI).

4.2.2 Foreign currency assets and liabilities are translated at the closing rates notified by FEDAI at the year end.

4.2.3 Acceptances, endorsements and other obligations and guarantees in foreign currency are carried at the closing rates notified by FEDAI at the year end.

4.2.4 Exchange differences arising on settlement and translation of foreign currency assets and liabilities at the end of the financial year are recognized as income or expenses in the period in which they arise.

4.2.5 Outstanding forward exchange contracts are disclosed at the contracted rates, and revalued at FEDAI closing rates, and the resultant effect is recognized in the Profit and Loss account.

4.3 Translation in respect of non-integral foreign operations.

Foreign branches are classified as non-integral foreign operations and the financial statements are translated as follows:

4.3.1 Assets and liabilities including contingent liabilities are translated at the closing rates notified by FEDAI at the year end.

4.3.2 आय एवं व्यय का परिवर्तन फ़ेडाय द्वारा संबंधित तिमाही के अंत पर अधिसूचित तिमाही औसत समापन दर पर किया जाता है।

4.3.3 निवल निवेशों के निपटान तक उठनेवाले सभी विनिमय अंतर को ''विनिमय उतार–चढ़ाव निधि'' नामक पृथक निधि में उपचित रखा जाता है।

5 निवेश

5.1 मूल संस्था :

5.1.1 बैंक के निवेश संविभाग को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निम्नलिखित तीन प्रवर्गों में वर्गीकृत किया गया है :

- परिपक्वता तक रखे गए (एचटीएम)
- बिक्री हेतु उपलब्ध (एएफएस)
- व्यापार के लिए रखे गए (एचएफटी)

परिपक्वता तक रोक रखने के आशय के साथ प्राप्त की गई प्रतिभूतियों को **''एचटीएम''** प्रवर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। अल्पावधि के मूल्य/ब्याज दर में उतार–चढ़ाव से लाभ उठाकर व्यापार करने के आशय के साथ प्राप्त की गई प्रतिभूतियों को ''**एचएफटी**'' प्रवर्ग में वर्गीकृत किया गया है। अन्य सभी प्रतिभूतियाँ जो उपर्युक्त दोनों प्रवर्गों में नहीं आती हैं, उन्हें, ''**एएफएस**'' प्रवर्ग में वर्गीकृत किया गया है।

एक निवेश को उसकी खरीद / अर्जन के समय पर ही, परिपक्वता तक धारित, बिक्री के लिए उपलब्ध अथवा व्यापार के लिए उपलब्ध के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और तदनन्तर नियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप उनका अंतरण किया जाता है। एक वर्ग से दूसरे वर्ग को शेयरों का अंतरण, यदि कोई है, अंतरण की तारीख पर अर्जन लागत / बही मूल्य / बाजार मूल्य में से न्यूनतम मूल्य पर किया जाता है, और ऐसे अंतरण के लिए मूल्यह्रास हेतु पूर्ण प्रावधान किया जाता है।

अनुषंगियों और एसोसियेट्स में निवेश को परिपक्वता तक धारित के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

5.1.2 एचटीएम प्रवर्ग में रखी गयी प्रतिभूतियों की बिक्री पर प्राप्त लाभ को पहले लाभ व हानि लेखे में लिया जाता है और बाद में पूंजी प्रारक्षिती लेखे में विनियोजित किया जाता है तथा हानि, यदि हो, को लाभ व हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है :

5.1.3 भारत में निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के समनुरूप निम्नानुसार किया जाता है :

ए) ''**एचटीएम**'' प्रवर्ग में प्रतिभूतियों का मूल्यांकन अर्जन की लागत पर किया जाता है सिवाय उन मामलों में जहां अंकित मूल्य से अर्जन लागत अधिक होती हो, वैसे मामले में, अंकित मूल्य पर अर्जन लागत की ऐसी अधिकता को परिपक्वता की बकाया अवधि में परिशोधित किया जाता हे। अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमों में, जिन्हें एचटीएम प्रवर्ग में शामिल किया गया है, निवेशों के मूल्य में, अस्थाई प्रकृति के अलावा किसी अन्य ह्रास की पहचान की जाती है और उनके लिए प्रावधान किया जाता है। ऐसे ह्रास का निर्धारण और इसके लिए प्रावधान प्रत्येक निवेश हेतु अलग से किया जा रहा है। 23.08.2006 के बाद किये गये जोखिम पूंजी निधियों (वीसीएफ) के यूनिटों में निवेश, 3 सालों की प्रारंभिक अवधि के लिए एचटीएम श्रेणी में वर्गीकृत होते है एवं इनका लागत पर मूल्यांकन किया जाता है।

बी) अनुषंगी संस्थाओं, संयुक्त उपक्रमों और सहयोगी संस्थाओं में निवेश का मूल्यांकन, परंपरागत लागत पर किया जाता है। प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश का मूल्यांकन, वहन लागत (अर्थात् बही मूल्य) पर किया जाता है।

सी) ''एएफएस'' प्रवर्ग में निवेशों का मूल्यांकन, बाज़ार मूल्य पर, तिमाही अंतराल पर स्क्रिपवार तथा वर्गीकरणवार किया जाता है। यदि कोई निवल मूल्यह्रास हो, तो उसे लाभ–हानि लेखे में शामिल किया जाता है, जबकि किसी निवल मूल्यवृद्धि होने पर उसकी उपेक्षा कर दी जाती हे। इस प्रवर्ग में बाज़ार को अंकित करने के बाद वैयक्तिक प्रतिभूतियों के बही मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है।

डी) ''एचएफटी'' प्रवर्ग में रखी गई वैयक्तिक प्रतिभूतियों को दैनिक अंतराल पर बाज़ार को अंकित किया जाता है। निवल मूल्यह्रास, यदि कोई हो, तो लाभ व हानि लेखे में उसका प्रावधान किया जाता है जबकि निवल मूल्यवृद्धि, यदि कोई हो, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इस प्रवर्ग में वैयक्तिक प्रतिभूतियों के बही मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है।

ई) ''एएफएस'' एवं ''एचएफटी'' प्रवर्गों में प्रतिभूतियों का मूल्यांकन निम्नवत् किया गया है :

I. प्राइमेरी डीलर्स एसोसिएशन आफ़ इंडिया (पीडीएआई) और फ़िक्स्ड इन्कम मनी मार्केट और डिराइवेटिव्स एसोसिएशन आफ़ इंडिया (एफ़आईएमएमडीए) द्वारा संयुक्त रूप से घोषित किए गए अनुसार केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, मूल्य पर / वाईटीएम दरों पर किया जाता है।

ii. राज्य सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, वाईटीएम पद्धति को लागू करते हुए और पीडीएआई/एफ़आईएमएमडीए द्वारा रखी गई समतुल्य परिपक्वता की केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों के प्रतिफ़ल से 25 बेसिस प्वाइंट बढ़ाते हुए आवधिक रूप से किया जाता है।

iii. कोट होने पर ईक्विटी शेयरों का मूल्यांकन बाज़ार मूल्य पर किया जाता है। कोट न होनेवाले ईक्विटी शेयरों को उनके ब्रेक–अप मूल्य पर (पूनर्मूल्यन रिज़र्व, यदि हो, उस पर ध्यान दिए बिना), कंपनी के नवीनतम तुलनपत्र (मूल्यन की तारीख से एक वर्ष के पहले का न हो), के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है। अन्यथा शेयरों का मूल्यांकन प्रति कंपनी एक रुपया के अनुसार किया जाता है।

iv. कोट होने पर अधिमान्य शेयरों का मूल्यांकन बाज़ार मूल्य पर किया जाता है; अन्यथा समुचित वाईटीएम दरों अथवा पुनः शोधन मूल्य के आधार पर निर्धारित मूल्य, दोनों में से जो भी कम हो, उस मूल्य पर किया जाता है।

v. अग्रिमों के रूप में रहे डिबेंचरों तथा बांडों के अलावा, सभी डिबेंचरों तथा बांडों का मूल्यांकन वाईटीएम आधार पर किया जाता है।

vi. राजकोष बिलों, जमा प्रमाण पत्रों तथा वाणिज्यिक कागज़ातों का मूल्यांकन उनकी रखाव लागत पर किया जाता है।

vii. कोट होने पर म्यूचुअल फ़ंडों की यूनिटों का मूल्यांकन बाज़ार मूल्य पर किया जाता है; अन्यथा पुनः खरीद मूल्य अथवा निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) दोनों में जो भी कम हो, उस मूल्य पर किया जाता है। यदि निधियां लॉक–इन अवधि में

4.3.2 Income and expenses are translated at the Quarterly Average Closing rate notified by FEDAI at the end of the respective quarter.

4.3.3 All resulting exchange differences are accumulated in a separate account "Foreign Currency Translation Reserve" (FCTR) till the disposal of the net investments.

5 INVESTMENTS

5.1 PARENT

5.1.1 The entire investment portfolio of the Bank is classified in accordance with the RBI guidelines into three categories viz.

- Held To Maturity (HTM)
- Available For Sale (AFS)
- Held For Trading (HFT)

The securities acquired with the intention to be held till maturity are classified under **"HTM"** category. The securities acquired with the intention to trade by taking advantage of short–term price / interest movements are classified as **"HFT**". All other securities which do not fall under any of the two categories are classified under **"AFS**" category.

An investment is classified as Held to Maturity, Available for Sale or Held for Trading at the time of its purchase/acquisition and subsequent shifting is done in conformity with the Regulatory guidelines. Transfer of scrips, if any, from one category to another is done at the lowest of acquisition cost/book value/market value on the date of transfer and depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

Investment in Subsidiaries and Associates are classified as Held to Maturity.

5.1.2 Profit on sale of securities under HTM category is first taken to Profit and Loss account and thereafter appropriated to Capital Reserve account (net of taxes and amount required to be transferred to statutory reserves) and loss, if any, charged to Profit & Loss account.

5.1.3 Investments in India are valued in accordance with RBI guidelines, as under:

a) Securities in **HTM** category are valued at acquisition cost except where the acquisition cost is higher than the face value, in which case, such excess of acquisition cost over the face value is amortised over the remaining period of maturity. Any diminution, other than temporary, in value of investments in subsidiaries/joint ventures/ Associates which are included under HTM category is recognized and provided. Such diminution is being determined and provided for each investment individually. Investment in units of Venture Capital funds (VCF) made after 23.08.2006 are classified under HTM category for initial period of 3 years and valued at cost.

b) Investment in Subsidiaries, Joint Ventures and Associates are valued at historical cost. Investment in sponsored Regional Rural Banks (RRB) are valued at carrying cost (i.e. Book value).

c) Investments in **AFS** category are marked to market, scrip-wise and classification wise, at quarterly intervals. Net depreciation, if any, is provided for in the Profit and Loss account while net appreciation, if any, is ignored. The book value of the individual securities does not undergo any change after marking to market.

d) The individual scrips in the **HFT** category are marked to market at daily intervals. Net depreciation, if any, is provided for in the Profit and Loss account while net appreciation, if any, is ignored. The Book Value of the individual securities in this category does not undergo any change.

e) Securities in **AFS** and **HFT** categories are valued as under:

i. Central Government Securities are valued at prices / YTM rates as announced by Primary Dealers Association of India (PDAI) jointly with Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA).

ii. State Government and Other approved securities are valued applying the YTM method by marking up 25 basis points above the yields of the Central Government Securities of equivalent maturity put out by PDAI / FIMMDA periodically.

iii. Equity shares are valued at market price, if quoted. Unquoted equity shares are valued at break-up value (without considering revaluation reserves if any) as per the company's latest balance sheet (not more than one year prior to the date of valuation). Otherwise, the shares are valued at Re. 1 per company.

iv. Preference shares are valued at market price, if quoted; otherwise at lower of the value determined based on the appropriate YTM rates or redemption value.

v. All debentures/bonds, other than those which are in the nature of advances, are valued on the YTM basis.

vi. Treasury bills, Certificate of deposits and Commercial papers are valued at carrying cost.

vii. Units of Mutual Funds are valued at market price, if quoted; otherwise at lower of repurchase price or Net Asset Value (NAV). In case of funds with a lock-in period, where repurchase price / market quote is not

हैं, जहां पुनःखरीदी मूल्य / बाज़ार कोट उपलब्ध नहीं हो तो, यूनिटों का मूल्यांकन एनएवी पर अथवा लॉक–इन अवधि की समाप्ति तक की लागत पर किया जाता है।

viii. 23.08.2006 के बाद किये गये जोखिम पूंजी निधियों (वीसीएफ) के यूनिटों में निवेश, 3 सालों की प्रारंभिक अवधि के लिए एचटीएम श्रेणी में वर्गीकृत होते है एवं इनका लागत पर मूल्यांकन किया जाता है। संवितरण की तारीख से 3 सालों के समय के बाद, यह एएफएस में परिवर्तित किया जाएगा और भा.रि.बैं.के दिशानिर्देशों के अनुसार बाजार के लिए अंकित किया जाएगा।

5.1.4 विदेशी शाखाओं के निवेश के संबंध में, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश या मेजबानी देश के दिशानिर्देश, जो भी ज्यादा कठोर हैं, का पालन किया जाएगा। ऐसे देशों में स्थित शाखाओं के मामले में, जहाँ कोई दिशानिर्देश विनिर्दिष्ट नहीं किए गए हैं, भारिबैंक के दिशानिर्देशों का पालन किया जाए।

5.1.5 भारिबैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अनर्जक निवेश (एनपीआई) की पहचान निम्नलिखित रूप में किया गया है :

ए) प्रतिभूतियां / गैर संचयी अधिमान शेयर जहाँ ब्याज / नियत लाभांश / किस्त (परिपक्वता संप्राप्तियाँ सहित) देय हैं और 90 दिन से ज्यादा अवधि के लिए अदत्त है।

बी) यदि जारीकर्ता द्वारा बैंक से लाभ उठायी गयी कोई क्रेडिट सुविधा अनर्जक अग्रिम है, तो उसी जारीकर्ता द्वारा जारी प्रतिभूतियों में निवेश को भी एनपीआई माना जाएगा।

5.1.6 प्रतिभूतियों की लागत में से दलाली / कमीशन / अंशदानों पर प्राप्त प्रोत्साहन को घटा दिया जाता है। प्रतिभूतियों के अर्जन के संबंध में अदा की गयी दलाली / कमीशन / स्टांप शुल्क को राजस्व व्यय माना जाता है।

5.1.7 व्यापार के लिए ब्याज दर स्वैप लेनदेनों को तिमाही आधार पर बाज़ार को अंकित किए जाते हैं। कुल अदला–बदलियों के उचित मूल्य का आकलन, तुलन–पत्र की तारीख पर अदला–बदली करारों को समाप्त किए जाने पर प्राप्त / प्राप्य या प्रदत्त / प्रदेय राशि के आधार पर किया जाएगा। इससे होनेवाली हानियों के लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है, जबकि लाभ यदि हो, पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

5.1.8 एक्सचेंज कारोबार विदेशी विनिमय डेरिवेटिव यानी मुद्रा वायदे का मूल्यांकन एक्सचेंज द्वारा निर्धारित मूल्यों पर किया जाता है और परिणामी लाभ और हानि की पहचान लाभ और हानि लेखे में की जाती हैं।

5.1.9 एफसीएनआर (बी) डॉलर जमाओं के लिए भारिबैंक के विनिमय स्वैप की सुविधा की शुरुआत में उत्पन्न होनेवाले प्रीमियम / ब्याज, स्वैप अनुबंध की अवधि के दौरान खर्च के रूप में परिशोधित किया जाता है।

5.1.10 केन्द्रीय सरकार की गारंटी प्राप्त निवेशों के अतिदेय होने पर भी उन्हें तभी एनपीए माना जाएगा जब गारंटी लागू की जाने पर सरकार उसका निराकरण करती है।

5.1.11 यदि ब्याज / मूल किस्त (परिपवक्ता संप्राप्तियों को शामिल करते हुए) अथवा बैंक को देय अन्य कोई राशि, 90 दिनों से अधिक के लिए अदत्त बनी रहती हो, तो राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत प्रतिभूतियों में निवेश को, जोकि ''माने गए अग्रिमों' के रूप में नहीं हैं, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण मानदंडों के अध्यधीन रखा जाता है।

5.1.12 निवेश की कीमत के निर्धारण प्रत्येक वर्ग में भारित औसत कीमत पद्धति के आधार पर किया जाता है। एचटीएम के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों को भारित औसत कीमत पद्धति के तहत प्राप्त अधिग्रहण कीमत के आधार पर ले लिया गया है तथा भारित औसत कीमत के अंकित मूल्य से अधिक होने की स्थिति में प्रीमियम को केवल शेष परिपक्वता अवधि हेतु परिशोधित कर दिया जाता है।

5.1.13 रेपो एवं रिवर्स रेपो लेनदेनों के लिए लेखाकरण :

क. भारिबैं के साथ तरलता समायोजन सुविधाएं (एलएएफ) के तहत :

भारिबैंक के साथ तरलता समायोजन सुविधाएं (एलएएफ) के तहत क्रय / विक्रय किए गए प्रतिभूतियों को निवेश खाते में नामे / जमा किया जाता है एवं लेनदेन की परिपक्वता पर रिवर्स किया जाता है। व्यय किये गये खर्च / अर्जित किए गए ब्याज को व्यय / राजस्व के रूप में हिसाब रखा जाता है।

ख. भारिबैं के साथ लेनदेनों के अलावा तरलता समायोजन सुविधाएं (एलएएफ) के तहत :

रेपो / रिवर्स रेपो के तहत बेची गई और खरीदी गई प्रतिभूतियों को संपार्श्विक उधार और उधार लेनदेनों के रूप में लिया जाता हैं। हालांकि, प्रतिभूतियों को सामान्य एकमुश्त बिक्री / खरीद लेनदेनों के मामले में अंतरित किए जाते हैं और इस प्रकार के प्रतिभूति के उतार –चढ़ाव, रेपो / रिवर्स रेपो खातों और प्रति–प्रविष्टियों के प्रयोग से परिलक्षित होता है। उपरोक्त प्रविष्टियाँ परिपक्वता की तारीख पर प्रतिवर्तित हो जाती है। मामलें के आधार पर लागत एवं राजस्व को ब्याज व्यय / आय के रूप में लिया जाएगा। रेपो खाते में शेष, अनुसूची 4(उधार) के तहत वर्गीकृत है और रिवर्स रेपो खाते में शेष, अनुसूची 7 (बैंकों में शेष एवं मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि) के तहत वर्गीकृत है।

अनुषंगी कंपनियाँ :

5.2 इंड बैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज़ लिमिटेड

कंपनी के पास रखे सभी निवेश दीर्घकालिक निवेश हैं । अस्थायी प्रकृति के निवेशों के अलावा दीर्घकालिक निवेशों को ह्रास के लिए प्रावधान घटाकर, लागत पर लाया गया है । कंपनी ने कोट किए गए शेयरों के बाज़ार मूल्य पर भरोसा करते हुए शेयरों / ड़िबेंचरों के मूल्य में ह्रास को स्थायी प्रकृति के रूप में माना है तथा कोट न किए गए शेयरों के मामले में बही मूल्य / उचित मूल्य, दोनों में जो भी अधिक हो, को माना गया है।

available, units are valued at NAV, else valued at cost till the end of the lock-in period.

viii. Investment in units of Venture Capital funds (VCF) made after 23.08.2006 are classified under HTM category for initial period of 3 years and valued at cost. After period of 3 years from the date of disbursement, it will be shifted to AFS and marked-to-market as per RBI guidelines.

5.1.4 In respect of investment at Overseas branches, RBI guidelines or those of the host countries whichever are more stringent are followed. In case of those branches situated in countries where no guidelines are specified, the guidelines of RBI are followed.

5.1.5 Non-performing investment (NPI) are identified as stated below, as per guidelines issued by RBI.

a) Securities/Non-cumulative Preference shares where interest/fixed dividend/installment (including maturity proceeds) is due and remains unpaid for more than 90 days.

b) If any credit facility availed by the issuer from the Bank is a Non-performing advance, investment in any of the securities issued by the same issuer is also treated as NPI.

5.1.6 Brokerages / Commission / incentive received on subscriptions are deducted from the cost of securities. Brokerage / Commission / Stamp duty paid in connection with acquisition of securities are treated as revenue expenses.

5.1.7 Interest Rate Swap transactions for trading is marked to market at quarterly intervals. The fair value of the total swaps is computed on the basis of the amount that would be received/ receivable or paid/ payable on termination of the swap agreements as on the balance sheet date. Losses arising there from, if any, are fully provided for, while the profit, if any, is ignored.

5.1.8 Exchange traded FX Derivatives i.e. Currency Futures, are valued at the Exchange determined prices and the resultant gains and losses are recognized in the Profit and Loss account.

5.1.9 Premium/interest arising at the inception of forward exchange swap facility of RBI for FCNR (B) dollar deposits is amortized as expense over the period of the swap contract.

5.1.10 Investments backed by guarantee of the Central Government though overdue are treated as Non Performing Asset (NPA) only when the Government repudiates its guarantee when invoked.

5.1.11 Investment in State Government guaranteed securities, including those in the nature of 'deemed advances', are subjected to asset classification and provisioning as per prudential norms if interest/ installment of principal (including maturity proceeds) or any other amount due to the Bank remains unpaid for more than 90 days.

5.1.12 Cost of investments is determined based on the Weighted Average Cost method in each category. Investments classified under HTM are carried at acquisition cost as arrived under Weighted Average Cost method and in case the weighted average cost is more than the face value, the premium is amortised over the remaining period of maturity.

5.1.13 Accounting for Repo/Reverse Repo transactions:

a. Under the Liquidity Adjustment Facility (LAF) with the RBI:

Securities purchased/sold under LAF with RBI are debited/credited to Investment Account and reversed on maturity of the transaction. Interest expended/earned thereon is accounted for as expenditure/revenue.

b. Other than transactions under the Liquidity Adjustment Facility (LAF) with the RBI:

The securities sold and purchased under Repo/Reverse Repo are accounted as Collateralised lending and borrowing transactions. However, securities are transferred as in the case of normal outright sale/purchase transactions and such movement of securities is reflected using the Repo/Reverse Repo Accounts and Contra entries. The above entries are reversed on the date of maturity. Costs and revenues are accounted as Interest expenditure/income, as the case may be. Balance in Repo Account is classified under Schedule 4 (Borrowings) and balance in Reverse Repo Account is classified under Schedule 7 (Balance with Banks and Money at Call & Short Notice).

SUBSIDIARY COMPANIES:

5.2 Indbank Merchant Banking Services Ltd:

The investments held by the Company are all long-term investments. Long term investments are carried at cost less provision for diminution, other than temporary in nature. The Company has reckoned diminution in value of shares / debentures as permanent in nature by relying on market value of quoted shares and book value/ fair value whichever is higher in respect of unquoted shares.

5.3 इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड

निवेशों को चालू निवेशों और दीर्घकालिक निवेशों में वर्गीकृत किया गया है। राष्ट्रीय आवास बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों का मूल्यांकन प्रत्येक निवेश के लिए अलग–अलग रूप से, उनके लागत अथवा बाज़ार मूल्य में से निम्नतर दरों पर किया गया है।

6 आस्ति वसूली कंपनियों को बेची गई वित्तीय आस्तियां (एआरसी)

मूल संस्था :

6.1 एआरसी को बेची गई वित्तीय आस्तियों के संबंध में परिसम्पत्ति पुनर्निमाण कंपनी द्वारा जारी की गई प्रतिभूति रसीद (एसआर) का मूल्यांकन, प्रतिभूति रसीद के प्रतिदान मूल्य या वित्तीय आस्तियों के निवल बही मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है। प्रतिभूति रसीद को परिसम्पत्ति पुनर्निमाण कंपनी द्वारा तुलन पत्र के दिनांक पर घोषित निवल परिसंपत्ति मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है और मूल्यह्रास कोई हो तो, उसके लिए प्रावधान किया जाता है और मूल्य वृद्धि हो तो उसे ध्यान में नही लिया जाता हैं।

6.2 यदि बिक्री का मूल्य निवल बही मूल्य (एनबीवी) से कम है (अर्थात् प्रावधान को घटाने के बाद बही मूल्य), तो भारिबैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, कमी को लाभ/हानि खाते में नामे डाला जाएगा या रखे हुए अस्थायी प्रावधान के उपयोग से समायोजित किया जाएगा।

6.3 यदि प्राप्त नकदी (आरंभिक प्रतिफल और/या बंधक छुड़ाने के माध्यम से) आस्ति पुनर्निमाण कंपनी (एआरसी) को बेचे गए एनपीए के निवल बही मूल्य से अधिक है, तो अतिरिक्त प्रावधान को लाभ व हानि लेखे में प्रत्यावर्तित किया जाएगा। लाभ व हानि लेखे में प्रत्यावर्तित अतिरिक्त प्रावधान की प्रमात्रा उस सीमा तक होगी, जिसमें बेचे गए एनपीए के एनबीवी से प्राप्त अधिक नकदी तक होगी ।

7 अग्रिम

7.1 मूल संस्था

7.1.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुरूप, भारत में अग्रिमों को उधारकर्तावार मानक, अवमानक, संदिग्ध तथा हानिवाली आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

7.1.2 गैर निष्पादक अग्रिमों के लिए निम्नानुसार प्रावधान किए गए हैं –

ए) अवमानक संवर्ग :

I) 01.10.2014 के पूर्व वर्गीकृत रक्षित एवं अरक्षित, दोनों संवर्गों के लिए 25 प्रतिशत

ii) 01.10.2014 को या उसके बाद अवमानक के रूप में वर्गीकृत खातों के लिए

ए) अरक्षित एक्सपोजर वाले खाते – 25 प्रतिशत

बी) अन्य - 15%\

b) संदिग्ध संवर्ग -1:

I) 01.07.2011 के पहले वर्गीकृत और/या संवर्गीकृत रक्षित एवं अरक्षित के लिए 100 प्रतिशत

ii) 30.06.2011 के बाद वर्गीकृत और/या संवर्गीकृत रक्षित के लिए 25 प्रतिशत

iii) अरक्षित भाग के लिए 100 प्रतिशत

सी) संदिग्ध संवर्ग – 2

i) 01.07.2011 के पहले वर्गीकृत और/या संवर्गीकृत रक्षित एवं अरक्षित के लिए 100 प्रतिशत

ii) 30.06.2011 के बाद वर्गीकृत और/या संवर्गीकृत रक्षित के लिए 40 प्रतिशत

iii) अरक्षित भाग के लिए 100 प्रतिशत

d) संदिग्ध संवर्ग – 3 और हानि अग्रिम – 100 प्रतिशत

7.1.3 भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसार पुनःसंरचित मानक अग्रिम सहित सभी मानक अग्रिमों के लिए प्रावधान किया गया है।

7.1.4 विदेशी शाखाओं के संबंध में, आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा ऋण हानियों के लिए स्थानीय आवश्यकताओं अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंड, जो भी अधिकतर सख्त है, उसके अनुसार प्रावधान किए जाते हैं।

आगे यदि भारिबैंक द्वारा जारी किये गए विनियमनों के अनुसार किसी भी समय बैंक की विदेशी बहियों में रही किसी आस्ति को एनपीए के रूप में वर्गीकृत करना होता है, तब बैंक द्वारा उस उधारकर्ता को प्रदान की गई सभी सुविधाओं और उधारकर्ता द्वारा जारी सभी प्रतिभूतियों में निवेश को एनपीए / एनपीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाए।

फिर भी, वसूली के रिकॉर्ड के अलावा अन्य कारणों से मेजबान देश के विनियामकों द्वारा खाता अनर्जक / हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत है, तो भारत में वित्तीय विवरणों को समेकित करते समय उन्हें एपीए के रूप में वर्गीकृत करेंगे और और उनके लिए यथावश्यक प्रावधान किया जाएगा; तथापि उन्हीं प्रतिपक्षियों को अन्य अधिकार क्षेत्रों (भारत को मिलाकर) में प्रदत्त अन्य ऋण एक्स्पोजरों पर आस्ति वर्गीकरण, तत्संबंधित अधिकार क्षेत्रों में लागू विद्यमान दिशानिर्देशों द्वारा नियंत्रित किया जाना जारी रहेगा।

7.1.5 प्रकटीकृत अग्रिम, गैर–निष्पादक आस्तियों, डीआईसीजीसी / ईसीजीसी /सीजीटीएसआई से प्राप्त दावों तथा लंबित समायोजन हेतु रखे, प्राप्त पुनर्भुगतान तथा विविध खातों में रखे, ब्याज लगाये जाने योग्य खातों में शेष, सहभागिता प्रमाण पत्रों एवं पुनः कटौती वाले मीयादी बिलों और मानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत पुनः संरचित खातों के उचित मूल्य में घटाव के एवज में किए गए प्रावधानों को घटाने के बाद निवल हैं।

5.3 Ind Bank Housing Ltd:

Investments are classified into current investments and long-term investments. Investments are valued at lower of cost or Market value for each investment individually as per NHB guidelines in force.

6 FINANCIAL ASSETS SOLD TO ASSET RECOVERY COMPANIES (ARC)

PARENT

6.1 Security Receipts (SR) issued by ARCs in respect of financial assets sold to them is recognized at lower of redemption value of SRs and Net Book Value of financial assets. SRs are valued at Net Asset Value declared by ARCs on the Balance Sheet date and depreciation, if any, is provided for and appreciation is ignored.

6.2 If the sale is for value lower than the Net Book Value (NBV) (i.e, book value less provisions held), the shortfall will be debited to the Profit and Loss account or will be met out of utilization of Floating provision held, as per extant RBI guidelines.

6.3 If the cash received (by way of initial consideration and /or redemption of security) is higher than the Net Book value of the NPA sold to Asset Reconstruction Company(ARC), then excess provision will be reversed to the profit and Loss account. The quantum of excess provision reversed to profit and loss account will be limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the NPA sold.

7 ADVANCES

7.1 PARENT

7.1.1 In accordance with the prudential norms issued by RBI, advances in India are classified into standard, sub-standard, doubtful and loss assets borrower-wise.

7.1.2 Provisions are made for non performing advances as under:

a) Substandard :

i) 25% both for secured and unsecured category classified and / or categorized before 01.10.2014.

ii) For accounts classified as Sub-Standard on or after 01.10.2014

a) Accounts with unsecured exposures – 25%

b) Others - 15%

b) Doubtful category-1:

i) 100% for secured and unsecured classified and / or categorized before 01.07.2011.

ii) 25% for secured classified and / or categorized after 30.06.2011.

iii) 100% for Unsecured portion.

c) Doubtful Category – 2

i) 100% for secured and unsecured classified and / or categorized before 01.07.2011.

ii) 40% for secured classified and / or categorized after 30.06.2011.

iii) 100% for Unsecured portion.

d) Doubtful category-3 and Loss advances – 100 %.

7.1.3 Provision is made for standard advances including restructured standard advances as per RBI directives.

7.1.4 In respect of foreign branches, income recognition, asset classification and provisioning for loan losses are made as per local requirement or as per RBI prudential norms, whichever is more stringent.

Further,if an asset in the overseas books of the Bank requires to be classified as NPA at any point of time in terms of regulations issued by Reserve Bank of India, then all the facilities granted by the bank to the borrower and investment in all the securities issued by the borrower will be classified as NPAs/NPIs.

However, accounts classified as Non-performing/Impaired assets (NPAs) by host regulators for reasons other than record of recovery, would be classified as NPAs at the time of consolidating financial statements in India and provided for, as required; whereas asset classification of other credit exposures to the same counterparties in other jurisdictions (including India) will continue to be governed by the extant guidelines in the respective jurisdictions.

7.1.5 Advances disclosed are net of provisions made for non-performing assets, DICGC/ ECGC/ CGTMSE claims received and held pending adjustment, repayments received and kept in sundries account, participation certificates , usance bills rediscounted and provision in lieu of diminution in the fair value of restructured accounts classified as standard assets.

8 अचल आस्तियां / मूल्यह्रास

8.1 मूल संस्था :

8.1.1 परिसर तथा अन्य अचल आस्तियों का हिसाब उनकी परंपरागत लागत / पुनर्मूल्यांकित राशि के आधार पर लगाया गया है।

8.1.2 भारत में भवनों (जहाँ कहीं अलग नहीं किया जा सकता है / अलग नहीं किया गया है, ज़मीन की लागत सहित) तथा अन्य अचल आस्तियों का मूल्यह्रास सीधी कटौती से उन दरों पर प्रभारित किया गया है जिसमें उपरोक्त आस्तियों को प्रभारित किया गया था, को निम्नप्रकार दर्शाया जाता है:

क्रम संख्या	संपत्ति की प्रकृति	मूल्यह्रास दर (एसएलएम)
I	भवन	1.63%
II	अन्य अचल आस्ति	
	1. सामान्य संयत्र व मशीनरी	4.75%
	2. फर्नीचर, फिक्सचर	6.33%
	3. विद्युत मशीनरी व फिटिंग	7.07%
	4. साइकिल	7.07%
	5. स्कूटर, मोटरसाइकिल, जीप	9.50%
	6. वैन	11.31%
	7. सिक्का वेंडिंग मशीन	16.66%
	8. मोटर कार	20%
	9. कंप्यूटर व यूपीएस सहित डाटा प्रोसेसिंग मशीन	33.33%
	10. सेल फोन तथा ₹ 5000/- तक मूल्य के कम कीमतवाली मदें	100%

पुनर्मूल्यांकित संघटक के संबंध में मूल्यह्रास, पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति के तहत प्रभारित किया जाता है।

8.1.3 वर्ष के दौरान अर्जित नियत आस्तियों पर मूल्यह्रास, 30 सितंबर को या उसके पूर्व अर्जित आस्तियों पर 100 प्रतिशत दर से तथा उसके बाद अर्जित आस्तियों पर आधी दर पर प्रभारित किया जाता है। बिक्री / निपटारे के वर्ष के लिए अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधान नहीं किया जाता।

8.1.4 पट्टे की ज़मीन पर प्रीमियम अधिग्रहण वर्ष में पूंजीकृत किया जाता है और पट्टा अवधि में परिशोधित किया जाता है।

8.1.5 विदेशी शाखाओं की आस्तियों के संबंध में मूल्यह्रास का प्रावधान संबंधित देशों में प्रचलित पद्धति के अनुसार किया जाता है।

8.1.6 गैर बैंकिंग आस्तियों (एनबीए) के मामले में कोई मूल्यह्रास प्रभारित नहीं किया जाता है।

8.2 अनुषंगी कंपनियाँ :

8.2.1 इंड बैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज़ लिमिटेड :

अचल आस्तियों को परम्परागत लागत पर, संचित मूल्यह्रास और क्षति के लिए प्रावधान (यदि कोई हो) को घटा कर बताया जाता है। पट्टे पर ली गई आस्तियों (दिसंबर 1997 के पहले संविदाकृत) को पट्टा समायोजन खाते में शेष के लिए आगे समायोजित किया जाता है।

मूल्यह्रास

ए) पट्टे पर दी गई आस्तियों को छोड़कर अन्य आस्तियों पर

पट्टे पर दी गई आस्तियों को छोड़कर अन्य आस्तियों पर कंपनी, सीधी कटौती प्रणाली (एसएलएम) यथानुपात आधार पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची XIV में निर्धारित दरों पर मूल्यह्रास का प्रावधान करती है साफ़्टवेयर लागतों को, उनके अर्जन के वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए परिशोधित किया जाता है।

बी) बन्द परिचालनों के अंतर्गत प्रदत्त पट्टेदारी आस्तियों पर :

परिचालन बन्द करने के तहत पट्टेदारी आस्तियों पर कंपनी घटते मूल्य पद्धति पर यथानुपात आधार पर, मूल्यह्रास का प्रावधान करती है तथा जिस महीने में आस्ति संस्थापित की गयी है, उसे पूर्ण महीना माना जाता है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी पट्टों के लेखाकरण पर मार्गदर्शन नोट (संशोधित) के अनुसार पट्टा आस्तियों की लागत को पट्टे की अवधि के दौरान पूर्णतः परिशोधित किया जाता है। सांविधिक मूल्यह्रास और वार्षिक पट्टा प्रभार में अंतर का समायोजन, पट्टा समकरण के ज़रिए किया जाता है, जिसका समायोजन पट्टा आय के साथ किया जाता है।

8.2.2 इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड :

अचल संपत्तियों को लागत पर पूंजीकृत किया जाता है और लागत से मूल्यह्रास घटाकर दर्शाया गया है। मूल्यह्रास का परिकलन कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II में दी गई दरों पर मूल्यह्रासित पद्धति से किया जाता है।

9 राजस्व अभिज्ञान

9.1 मूल संस्था

9.1.1 आय और व्यय मदों को, जब तक अन्यथा नहीं बताया जाए, सामान्यतः उपचित आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

9.1.2 गैर निष्पादक आस्तियों से आय, सरकार द्वारा गारंटीकृत आस्तियों (जहां वह 90 दिनों से अधिक के लिए अतिदेय रहा हो), लाभांश आय, बीमा दावे, जारी किये गये साख–पत्रों / गारंटियों पर कमीशन (परियोजना वित्त से संबंधित को छोडकर अन्य), बैंक एश्यूरेंस उत्पादों पर आय, धन प्रबंधन पर आय खरीदे गए बिलों पर अतिरिक्त ब्याज / अतिदेय प्रभार, लॉकर किराया, क्रेडिट कार्डों पर वित्त प्रभार, पुनः क्षतिपूर्ति के बैंक के अधिकार पर आय, आदि से आय को उनकी वसूली होने पर हिसाब में लिया जाता है।

9.1.3 अतिदेय विदेशी बिलों के मामले में, ब्याज और अन्य प्रभारों को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फ़ेडाय) के दिशानिर्देशों के अनुसार क्रिस्टलाईज़ेशन की तारीख़ तक माना जाता है।

9.2 अनुषंगी कंपनियाँ :

8 FIXED ASSETS / DEPRECIATION

8.1 PARENT

8.1.1 Premises and other fixed assets are stated at historical cost and at revalued amount in respect of assets revalued.

8.1.2 Depreciation on buildings (including cost of land wherever inseparable/ not segregated) and other fixed assets in India is provided for on the straight-line method at rates in which the said assets were charged, as specified below:

Sl. No	Nature of Asset	Rate of Depn (SLM)
I	Buildings	1.63%
II	Other Fixed Assets	
	1. General Plant and Machinery	4.75%
	2. Furniture, Fixtures	6.33%
	3. Electrical Machinery and Fittings	7.07%
	4. Cycles	7.07%
	5. Scooters, Motor Cycles, Jeeps	9.50%
	6. Vans	11.31%
	7. Coin Vending Machine	16.66%
	8. Motor cars	20%
	9. Data processing machines including computers and UPS	33.33%
	10. Cell Phones and on small value items costing upto ₹ 5000/-	100%

Depreciation relatable to revalued component is charged against revaluation reserve.

8.1.3 Depreciation on fixed assets acquired on or before 30th September is charged at 100% of the prescribed rates and at 50% of the prescribed rates on the fixed assets acquired thereafter. No depreciation on the fixed assets is provided for in the year of sale / disposal.

8.1.4 Premium on leasehold land is capitalised in the year of acquisition and amortized over the period of lease.

8.1.5 Depreciation in respect of fixed assets at foreign branches is provided as per the practice prevailing in the respective countries.

8.1.6 In respect of Non Banking Assets, no depreciation is charged.

8.2 SUBSIDIARY COMPANIES:

8.2.1 Indbank Merchant Banking Services Ltd

Fixed Assets are stated at historical cost less accumulated depreciation & provision for impairment (if any). Leased assets (Contracted prior to December 1997) are further adjusted for the balance in Lease adjustment account.

DEPRECIATION

a) On Assets other than given on lease:

In respect of assets other than assets given on lease, the company provides depreciation on the assets on the Straight Line Method (SLM) based on the useful life of the asset as prescribed in Schedule II to the Companies Act, 2013, on pro-rata basis. Software costs are amortised on SLM over a period of three years, from the year of acquisition.

b) On Assets given on lease under discontinuing operations:

In respect of Assets given on lease under discontinuing operation, the Company provides depreciation on the assets in the WDV method on pro-rata basis, the month in which the assets are installed taken as full month. The cost of the Assets given on lease are amortised fully during the Lease period. {In accordance with the Guidance note on Accounting for Leases (revised) issued by the ICAI}. The difference between the statutory depreciation and the annual lease charge is adjusted through the Lease Equalisation, which is adjusted with the lease income.

8.2.2 Ind Bank Housing Ltd

Fixed Assets are capitalised at cost and are stated at cost less depreciation. Depreciation is calculated on Written Down Value method at the rates prescribed in schedule II to the Companies Act, 2013.

9 REVENUE RECOGNITION

9.1 PARENT

9.1.1 Income and expenditure are generally accounted for on accrual basis, unless otherwise stated.

9.1.2 Income from non-performing assets, Central Government guaranteed assets (where it is overdue beyond 90 days), dividend income, insurance claims, commission on letters of credit/ guarantees issued (other than those relating to project finance), income from bancassurance products, income from wealth management, additional interest/ overdue charges on bills purchased, locker rent, finance charges on credit cards, income on Bank's right to recompense, AMC charges on debit cards are accounted for on realisation.

9.1.3 In case of overdue foreign bills, interest and other charges are recognised till the date of crystallisation as per FEDAI guidelines.

9.2.1 इंड बैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज़ लिमिटेड

ए. इश्यू प्रबंधन शुल्क और अन्य प्रबंधकीय सेवाओं के लिए शुल्क – समनुदेशन पूरा होने की तारीख को मान लिया जाता है।

बी. वित्तीय उत्पादों के वितरण पर हामीदारी कमीशन और दलाली – अंशदान ब्यौरे प्राप्त होने पर मान लिया जाता है।

सी. स्टॉक ब्रोकिंग परिचालनों के अधीन दलाली को संविदा के पूरा करने पर लेखांकित किया जाता है।

डी. अतिदेय पट्टा किराये पर और किराया खरीद किस्तों पर ब्याज पावती आधार पर लेखांकित किया जाता है।

इ. लाभांश आय का अभिज्ञान तब किया जाता है, जब प्राप्त करने का अधिकार स्थापित किया जाता है।

9.2.2 इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड :

ए. आय की पहचान और गैर निष्पादक आस्तियों के लिए प्रावधान एनएचबी के विवेकी मानदंडों का पालन किया जाता है।

बी. आवास ऋणों की पुनरदायगी, समीकृत मासिक किस्तों (ईएमआई) के जरिए, की जाती है, जिसमें मूलधन और ब्याज राशि शामिल हैं। संबंधित अर्ध–वर्ष/वर्ष के आरंभिक शेष पर प्रत्येक अर्ध–वर्ष पर ब्याज का परिकलन किया जाता है। पूरे ऋण के वितरण के बाद ईएमआई आरंभ होती हैं। ईएमआई के प्रारंभ होने के समय तक, ईएमआई–पूर्व ब्याज देय है तथा मासिक आधार पर इसका अभिज्ञान किया जाता है।

10. क्रेडिट कार्ड पुरस्कार पाइंट:

कार्ड सुविधा के प्रयोग पर कार्ड सदस्यों द्वारा अर्जित पुरस्कार पाइंटों को ऐसे प्रयोग के लिए व्यय के रूप में समझा जाता है।

11 निवल लाभ/हानि

लाभ व हानि लेखे में दर्शाया गया परिणाम निम्नलिखित पर विचार करने के पश्चात् है

- गैर निष्पादक अग्रिमों और/या निवेशों के लिए प्रावधान
- मानक अग्रिमों पर सामान्य प्रावधान
- पुनः संरचित अग्रिमों के लिए प्रावधान
- स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान
- निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान
- आकस्मिकता निधि को / से अंतरण
- प्रत्यक्ष करों के लिए प्रावधान
- सामान्य और/या अन्य आवश्यक प्रावधान

12 स्टाफ को सेवानिवृत्ति पर प्राप्त होनेवाले लाभ

12.1 मूल संस्था

I) भविष्य निधि

भविष्य निधि एक वैधानिक दायित्व है और विकल्पी भविष्य निधि के मामले में, बैंक पूर्वनिर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान अदा करता है । ऐसे निश्चित अंशदान के लिए बैंक का दायित्व सीमित है। अंशदानों को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। निधि का प्रबंधन इंडियन बैंक स्टाफ भविष्य निधि न्यास द्वारा किया जाता है ।

ii) उपदान

इंडियन बैंक कर्मचारी नियमों एवं शर्तों के अनुसार उपदान देयता एक वैधानिक दायित्व है और इसका प्रावधान वित्तीय वर्ष के अंत में किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। उपदान देयता का वित्तीयन बैंक द्वारा किया जाता है और इसका प्रबंधन इंडियन बैंक कर्मचारी उपदान निधि न्यास द्वारा किया जाता है।

iii) पेंशन

ए) पेंशन दायित्व इंडियन बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम 1995 के तहत परिभाषित लाभकारी दायित्व है। यह ऐसे कर्मचारियों को, बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान की जाती है, जिन्होंने 31.03.2010 तक बैंक में भर्ती हुए हैं या जिन्होंने पेंशन का विकल्प दिया है ।

बी) नई पेंशन योजना(एनपीएस) उन कर्मचारियों पर लागू होती है जिन्होंने बैंक में 10.04.2010 के बाद भर्ती हुए हैं और यह एक परिभाषित अंशदान योजना है। एनपीएस के अंतर्गत बैंक पूर्व निर्धारित दर पर एक निश्चित अंशदान अदा करता है और बैंक का दायित्व ऐसे निश्चित अंशदान तक सीमित है। इस अंशदान को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है ।

iv) क्षतिपूरित अनुपस्थितियाँ

संचित क्षतिपूरित अनुपस्थितियाँ जैसे अर्जित अवकाश और चिकित्सा अवकाश बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर दी जाती हैं ।

v) अन्य कर्मचारी लाभ

अन्य कर्मचारी लाभ जैसे छुट्टी भुनाना, छुट्टी यात्रा रियायत और अन्य सेवानिवृत्ति के बाद अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध करवाए जाते हैं। समुद्रपारीय शाखाओं एवं कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति के अलावा कार्यरत कर्मचारियों से संबन्धित लाभ तत्संबंधी कार्याधिकार क्षेत्रों के कानून के तहत दिए जाते हैं।

12.2 अनुषंगी कंपनियाँ

12.2.1 इंड बैंक मर्चेंट बैंकिंग सेवाएं लि.

अल्प कालिक कर्मचारी हितों /बाध्यताओं का प्राक्कलन कर प्रावधान किया गया ।

ग्रेच्युटि – ग्रेच्युटि, जोकि अर्ह कर्मचारियों को कवर करनेवाली एक परिभाषित सेवानिवृत्ति लाभ योजना है, के प्रति अनुषंगी का दायित्व है। योजना में सेवानिवृत्ति, नियोजन में रहते मृत्यु अथवा नियोजन समापन पर निहित कर्मचारियों को समाप्त प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन के बराबर की राशि देने का प्रावधान है। पांच वर्षों की सेवा की समाप्ति पर वेस्टिंग शुरू होती है। न्यास के रूप में स्थापित ग्रेच्युटि निधि को अनुषंगी भारतीय जीवन बीमा

9.2 SUBSIDIARY COMPANIES:

9.2.1 Indbank Merchant Banking Services Ltd.

a. Issue Management Fee and fees for other managerial services - Considered on the completion of assignment.

b. Underwriting Commission and brokerage on distribution of financial products - Considered on receipt of subscription particulars.

c. Brokerages under stock broking operations are accounted on completion of contract.

d. Interest on overdue lease rentals and hire purchase instalments are accounted for on receipt basis.

e. Dividend income is recognized when the right to receive is established.

9.2.2 IND Bank Housing Ltd.

a. The Company follows National Housing Bank's Prudential Norms for recognition of Income and Provisioning for Non Performing Assets.

b. Repayment of housing loans is by way of Equated Monthly Instalments (EMIs) comprising of principal and interest. Interest is calculated every half year on the opening balance at the beginning of the respective half year/ year. EMI commences once the entire loan is disbursed. Pending commencement of EMI, pre-EMI interest payable is recognized every month.

10. CREDIT CARD REWARD POINTS:

Reward points earned by card members on use of card facility is recognized as expenditure on such use.

11 NET PROFIT / LOSS

The result disclosed in the Profit and Loss Account is after considering:

- Provision for Non Performing Advances and/ or Investments
- General provision on Standard Advances
- Provision for Restructured Advances
- Provision for Depreciation on Fixed Assets
- Provision for Depreciation on Investments
- Transfer to/ from Contingency Fund
- Provision for direct taxes .
- Usual or/ and other necessary provisions

12 STAFF RETIREMENT BENEFITS

12.1 PARENT

i) PROVIDENT FUND

Provident fund is a statutory obligation and in the case of Contributory Provident Fund Optees, the Bank pays fixed contribution at pre-determined rates. The obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to Profit and Loss Account. The fund is managed by Indian Bank Staff Provident Fund Trust.

ii) GRATUITY

Gratuity liability is a statutory obligation as per Indian Bank Employees' Gratuity Fund Rules and Regulations and is provided for on the basis of an actuarial valuation made at the end of the financial year. The gratuity liability is funded by the Bank and is managed by Indian Bank Employees Gratuity Fund Trust.

iii) PENSION

a) Pension liability is a defined benefit obligation under Indian Bank (Employees) Pension Regulations 1995 and is provided for on the basis of actuarial valuation, for the employees who have joined Bank up to 31.03.2010 and opted for pension.

b) New Pension Scheme (NPS) which is applicable to employees who joined bank on or after 01.04.2010 and it is a defined contribution scheme. Under NPS the Bank pays fixed contribution at pre determined rate and the obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss Account.

iv) COMPENSATED ABSENCES

Accumulating compensated absences such as Privilege Leave and Sick Leave are provided for based on actuarial valuation.

v) OTHER EMPLOYEE BENEFITS

Other Employee benefits such as Leave Encashment, Leave Fare Concession and Additional Retirement Benefit on Retirement are provided for based on actuarial valuation. In respect of overseas branches and offices, the benefits in respect of employees other than those on deputation are valued and accounted for as per laws prevailing in the respective territories

12.2 SUBSIDIARY COMPANIES:

12.2.1 Indbank Merchant Banking Services Ltd.

Short Term employee benefits/ obligations are estimated and provided for.

Gratuity – The Subsidiary has an obligation towards gratuity, a defined benefit retirement plan covering eligible employees. The plan provides for a lumpsum payment to vested employees at retirement, death while in employment or on termination of employment of an amount equivalent to 15 days' salary payable

निगम के साथ समूह ग्रैच्युटि पॉलिसी के ज़रिए वार्षिक अंशदान देती है। ग्रेच्युटि के प्रति अनुषंगी की देयता का बीमांकिक निर्धारण तुलन पत्र की तारीख पर प्रक्षेपित यूनिट जमा (पीयूसी) पद्धति का प्रयोग करते हुए किया जाता है। बीमांकिक लाभ व हानि का राजस्व में अभिज्ञान किया जाता है।

भविष्य निधि – अनुषंगी के अर्ह कर्मचारी, भविष्य निधि जोकि एक परिभाषित अंशदान योजना है के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु हक़दार हैं जिसमें कवर किए गए कर्मचारी के वेतन के एक निर्दिष्ट प्रतिशत पर दोनों कर्मचारी एवं अनुषंगी अंशदान देते हैं, विधि के तहत यथा निर्दिष्ट अंशदान भविष्य निधि को और भविष्य निधि प्राधिकारियों के साथ रखी गयी पेंशन निधि को अदा किए जाते हैं।

छुट्टी की भुनाई : इंडियन बैंक से प्रतिनियुक्त स्टाफ़ से अन्य कर्मचारियों की छुट्टी की भुनाई की देयता के लिए, प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर न ली गई छुट्टी के दिनों के आधार पर बीमांकिक आधार पर प्रावधान किया जाता है।

इंडियन बैंक से प्रतिनियुक्ति पर रहे स्टाफ की सेवानिवृत्ति लाभ देयता, योग्य भविष्य निधि अंशदान के अलावा इंडियन बैंक द्वारा वहन की जाती है।

12.2.2 इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड :

भविष्य निधि में अंशदान, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पास किए जाते हैं।

ग्रूप ग्रेच्युटि योजना के अन्तर्गत गठित न्यास द्वारा ग्रेच्युटि देयता कवर किया जाता है। न्यास ने भारतीय जीवन बीमा निगम से समूह ग्रेच्युटि पॉलिसी खरीदी है और वार्षिक प्रीमियम, न्यास के ज़रिए अदा किया जाता है।

छुट्टी की भुनाई की देयता के लिए बीमांकिक आधार पर प्रावधान किया जाता है।

13. पट्टे हेतु लेखांकन

परिचालनगत पट्टों पर ली गई आस्तियों हेतु पट्टा भुगतानों को कीमत वृद्धि सहित पट्टा अवधि या आस्ति की अवधि, भी जो कम हो, के दौरान लाभ व हानि खाते में अभिज्ञात किये जाते है।

14 आकस्मिक देयताएँ और प्रावधान :

I. आकस्मिक देयताएं : निम्नलिखित मामलों में, जहाँ

(ए) ऐसी बाध्यताओं के मौजूद रहने की बात पुष्टिकृत नहीं की गई है

(बी) ऐसी बाध्यताओं को निपटाने के लिए संसाधन का बहिर्गमन आवश्यक नहीं है

(सी) बाध्यताओं की राशि के लिए कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं किया जा सकता

(डी) ऐसी राशियां भौतिक नहीं हैं, विगत घटनाएं, जिनसे वर्तमान या संभावित बाध्यताएं हो सकती हैं, को आकस्मिक देयता के रूप में माना जाता है।

II. वर्तमान बाध्यताओं के संबंध में तब प्रावधान को माना जाता है, जब विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है और / या संसाधनों का बहिर्गमन संभावित है, जिनमें बहुत छोटे दावों को छोडकर शेष मामलों में आर्थिक लाभों को त्यागना पड सकें।

बाजार जोखिम, देश जोखिम आदि के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान अनुदेशों के अनुसार किये जाते हैं।

बैंक प्रबन्धन द्वारा अभिज्ञात किये अनुसार फ्लोटिंग प्रावधान किया जाता है।

भारिबैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार फ्लोटिंग प्रावधान का प्रयोग निम्नलिखित हेतु किया जा सकता है

I) गैर–निष्पादक आस्तियों हेतु विशेष प्रावधान करना

(ii) गैर–निष्पादक आस्तियों की बिक्री में किसी कमी की पूर्ति करना

15 आस्तियों का अनर्जक होना :

15.1 अचल आस्तियों (पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित) के संबंध में आस्तियों की हानी यदि कोई हो,लेखा मानक 28 "आस्तियों का अनर्जक होना" के अनुरूप पहचानी जाती है और उन्हें लाभ एवं हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है। तथापि, पुनर्मूल्यांकित आस्ति पर आस्तियों का अनर्जक सीधे आस्ति के लिए कोई पुनर्मूल्यन अधिशेष के रूप में पहचाना जाता है, ताकि कोइ भी ह्रास आस्ति के लिए पुनर्मूल्यन अधिशेष में रखी राशि से अधिक न हो।

16 आय पर कर :

16.1 कर हेतु प्रावधान, चालू कर तथा आस्थगित कर दोनों के लिए किया जाता है।

16.2 प्रयोज्य कर दरें, कर नियम और अनुकूल न्यायिक निर्णय / विधिक मत का उपयोग करते हुए कर प्राधिकारियों को देय आकलित राशि के आधार पर वर्तमान कर का आकलन किया जाता है।

16.3 समय के अंतर् के कारण उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियां और देयताएं जोकि बाद के वर्षों में प्रत्यावर्तन की क्षमता रखती हैं, को तुलन पत्र की तारीख तक अथवा बाद में तैयार किए गए कर दरों व कर कानूनों का प्रयोग करके अभिपहचानित किया जाता है। आस्थगित कर आस्तियों को तब तक अभिपहचानित नही किया जाता है जब तक कि ''असली निश्चितता'' हो जाए कि पर्याप्त भावी कर–योग्य आय उत्पन्न होगी जिसके विरुद्ध ऐसी आस्थगित कर आस्तियों की उगाही जा सके।

17 परिचालनों को बन्द करना :

इंड बैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेस लि. के संबंध में परिचालनों को बन्द करने के लिए अपनायी जानेवाली लेखांकन नीतियाँ, परिचालनों को जारी रखने के लिए अपनायी जानेवाली लेखांकन नीतियों के समनुरूप हैं।

for each completed year of service. Vesting occurs upon completion of five years of service. Annual contribution is made to gratuity fund established as a Trust through a Group Gratuity Policy with Life Insurance Corporation of India. The Company's liability towards Gratuity is actuarially determined as at balance sheet date using the Projected Unit Credit (PUC) method. Actuarial gains and losses are recognized in revenue.

Provident Fund – The eligible employees are entitled to receive benefits under Provident Fund, a defined contribution plan in which both employees and the employer make monthly contributions at a specified percentage of the covered employees salary, the contributions as specified under the Law are paid to the Provident fund and pension fund with the provident fund authorities.

Leave encashment - The eligible Leave encashment liability to the employees other than those deputed by Indian Bank has been provided for on the basis of actuarial valuation based on number of days un-utilised leave as at each balance sheet date.

The retirement benefit liability to staff on deputation from Parent is borne by the Parent except eligible Provident Fund contribution.

12.2.2 Indbank Housing Ltd.

Contribution to Provident Funds is made to the Regional Provident Fund Commissioner.

The Gratuity liability is covered by Trust formed under the Group Gratuity Scheme. The trust has purchased a Group Gratuity policy from LIC and the annual premium is paid through the Trust.

Liability for leave encashment is provided for on actuarial basis.

13. ACCOUNTING FOR LEASES

Lease payments including cost escalation for assets taken on operating lease are recognized in the Profit and Loss Account over the lease term or life whichever is lower.

14 CONTINGENT LIABILITIES AND PROVISIONS

I. Contingent liability : Past events leading to, possible or present obligations are recognised as contingent liability in the following instances where :

(a) The existence of such obligations has not been confirmed

(b) no outflow of resources are required to settle such obligations

(c) a reliable estimate of the amount of the obligations cannot be made

(d) such amounts are not material

II. Provision is recognized in case of present obligations where a reliable estimate can be made and/or where there are probable outflow of resources embodying foregoing of economic benefits to settle the obligations, excluding frivolous claims..

Provision for Market Risk, Country Risk, etc., are made in terms of extant instructions of RBI.

Floating provision as identified by the Bank Management is provided for.

Floating provision may be utilized as per extant RBI guidelines, for -

i) Making specific provisions for non-performing assets;

(ii) Meeting any shortfall in sale of non-performing assets.

15 IMPAIRMENT OF ASSETS

15.1 Impairment losses, if any, on Fixed Assets (including revalued assets) are recognised and charged to Profit and Loss Account in accordance with the Accounting Standard 28 "Impairment of Assets". However, an impairment loss on a revalued asset is recognised directly against any revaluation surplus for the asset to the extent that the impairment loss does not exceed the amount held in the revaluation surplus for that same asset.

16 TAXES ON INCOME

16.1 Provision for tax is made for both Current Tax and Deferred Tax.

16.2 Current tax is measured at the amount expected to be paid to the taxation authorities, using the applicable tax rates, tax laws and favourable judicial pronouncements / legal opinion.

16.3 Deferred Tax Assets and Liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognised using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted till the date of the Balance Sheet. Deferred Tax Assets are not recognised unless there is "virtual certainty" that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets will be realised.

17 DISCONTINUING OPERATIONS

In respect of Indbank Merchant Banking Services Limited accounting policies adopted for discontinued operations are in line with the accounting policies adopted for continuing operations.

अनुसूची –18
समेकित वित्तीय विवरणियों के लिए लेखों पर टिप्पणियां (2015–16)

1. अनुषंगियां

क्रम सं.	अनुषंगी का नाम	संस्थापना का देश	स्वामित्व का अनुपात
ए	इंडबैंक हाउसिंग लि.	भारत	51.00%
बी	इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज़ लि.	भारत	64.84%

2. सहयोगी

क्रम सं.	सहयोगियों का नाम	शेयरधारिता का ढांचा
ए	पल्लवन ग्राम बैंक	35%
बी	सप्तगिरि ग्रामीण बैंक	35%
सी	पुदुवै भारतीयार ग्राम बैंक**	35%

3. लेखा समाधान एवं समायोजन

मूल संस्था

3.1.1 अंतर शाखा लेखों का लेखा समाधान 31.03.2016 तक पूरा किया जा चुका है। बैंक ने विभिन्न कारगर उपायों के द्वारा पुरानी बकाया प्रविष्टियों /आईबीजीए के स्तर में कमी लाई है। शेष बकाया प्रविष्टियों के समायोजन का कार्य प्रगति पर है। प्रबन्धन के अनुसार कुल ₹ 6.01 करोड राशि की 7386 आईबीजीए जमा प्रविष्टियाँ बकाया हैं।

3.1.2 31.03.2016 तक 6 महीनों से अधिक के लिए बकाया अंतर शाखा लेखों में असमाशोधित प्रविष्टियों के संबंध में निवल जमा स्थिति को घ्यान में रखते हुए प्रावधान की कोई आवश्यकता नहीं है।

3.1.3 देय ड्राफ़्ट, समाशोधन समायोजन, विविध प्राप्य, विविध जमा खाते आदि में और भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य बैंकों से संबंधित बैंक समाधान में पुरानी बकाया प्रविष्टियों के समुचित समायोजन के लिए नियमित पुनरीक्षा की जाती है।

3.1.4 कुछ शाखाओं में अनुषंगी बहियों/रजिस्टरों का तुलन और सामान्य बहियों के साथ लेखा समाधान प्रगति पर है। प्रबंधन की राय में खातों पर उपर्युक्त विषयों का परिणामी वित्तीय प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं होगा।

4. अचल आस्तियां

मूल संस्था

4.1.1 वर्ष के दौरान बैंक ने अपने परिसर का पुनर्मूल्यांकन 29 फरवरी 2016 को अनुमोदित बाह्य मूल्यांककों द्वारा निर्धारित उचित बाजार मूल्य पर किया। परिसर के पुनर्मूल्यांकन की राशि में ₹614.49 करोड़ की बढ़ोत्तरी हुई है, जिसे पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि खाते में जमा किया गया है, पुनर्मूल्यन पर कुछ परिसरों का बही मूल्य में कमी पर ₹31.93 करोड़ की कटौती और मूल्यह्रास की राशि पर ₹73.77 करोड़ की कमी को पुनर्मूल्यांकित राशि पर प्रभारित किया गया जिसका समायोजन पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि खाते से किया जाता है।

4.1.2 परिसर में ₹ 3.59 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 3.59 करोड़ मूल्य की 4 संपत्तियाँ) मूल्य की 4 संपत्तियाँ हैं जिनका बही मूल्य, निवल मूल्यह्रास ₹ 55.22 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 28.25 करोड़) है जिसके लिए पंजीकरण प्रक्रिया लंबित है।

4.1.3 **आरक्षितियों से कमी :**

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	आरक्षित निधियां	आहरित राशि	उद्देश्य
1.	पुनर्मूल्यन आरक्षित निधियों	73.77	परिसर में पुनर्मूल्यांकित भाग पर मूल्यह्रास
		31.93	आगे पुनर्मूल्यन पर कुछ परिसर के पुनर्मूल्यांकित बही मूल्य में कमी

SCHEDULE 18
NOTES ON ACCOUNTS TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (2015-16)

1. SUBSIDIARIES:

Sl.No.	Name of the Subsidiary	Country of Incorporation	Proportion of Ownership
a	Ind Bank Housing Ltd	India	51.00%
b	Indbank Merchant Banking Services Ltd	India	64.84%

2. ASSOCIATES:

Sl.No.	Name of the Associates	Shareholding Pattern
a	Pallavan Grama Bank	35%
b	Saptagiri Grameena Bank	35%
c	Puduvai Bharathiar Grama Bank	35%

3. RECONCILIATION AND ADJUSTMENTS

PARENT:

3.1.1 Reconciliation of Inter Branch Account is completed up to 31.03.2016. The Bank through various effective steps has achieved reduction in the old outstanding entries in IBGA. Adjustment of the remaining outstanding entries is in progress. As per the Management, 7386 IBGA credit entries aggregating to ₹ 6.01 crores are outstanding.

3.1.2 In view of the net credit position in respect of unreconciled entries in the Inter Branch Account outstanding for more than 6 months as on 31.03.2016, no provision is required.

3.1.3 Old outstanding entries in drafts payable, clearing adjustment, sundries receivable, sundry deposit accounts, etc. and in bank reconciliation relating to Reserve Bank of India and other banks are being regularly reviewed for appropriate adjustments.

3.1.4 Balancing of subsidiary ledgers / registers and reconciliation with general ledgers are in progress at some branches. In the opinion of the management, consequential financial impact of the above on the accounts will not be significant.

4. FIXED ASSETS

PARENT

4.1.1 During the year the bank revalued its premises on 29th February 2016 at fair market value determined by external valuers . There is an increase of ₹614.49 Crores in the amount of revaluation of premises which has been credited to “Revaluation Reserve Account”, deduction of ₹31.93 Crores on decrease in book value of certain premises on revaluation and a deduction of ₹ 73.77 Crores on account of depreciation charged on revalued amount which is adjusted against the “Revaluation Reserve Account”.

4.1.2 Premises include 4 properties costing ₹3.59 crores (Previous year – 4 properties costing ₹ 3.59 crores) having revalued book value, net of depreciation at ₹55.22 Crore (Previous year – ₹ 28.85 crore) for which registration formalities are pending.

4.1.3 Draw Down from Reserves:

(₹ in crore)

Sl. No.	Reserves	Amount drawn	Purpose
1.	Revaluation Reserve	73.77	Depreciation on revalued portion on Premises
		31.93	Decrease in revalued book value of certain premises on further revaluation

5. कराधान

5.1 मूल संस्था

वर्ष के दौरान आयकर हेतु किए प्रावधान की राशि :

(₹ करोड़ में)

	2015-16	2014-15
कराधान के लिए प्रावधान (आय कर)	243.92	463.45

31.03.2016 को विवादित आयकर मांग ₹2350.60 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1445.83) है, आकस्मिक देयताएँ के तहत भी शामिल किया गया जिसमें से 31.03.2016 तक विवादित आयकर का भुगतान ₹2110.60 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1441.98 करोड़) है। न्यायिक उद्घोषणाओं तथा बैंकों के स्वीय वादों में अनुकूल निर्णयों के कारण कथित विवादित मांगों पर कोई प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया।

5.2 अनुषंगी कंपनियां

5.2.1 इंड बैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लि.

ए) हानियों (आय कर के अनुसार) तथा बही हानियों (एमएटी अभिकलन के अनुसार) को ध्यान में रखते हुए वर्ष के लिए कर प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

बी) विषयों पर न्यायिक निर्णयों और/या विधिक राय को ध्यान में रखते हुए आयकर की विवादित मांगों के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।

सी) इस वर्ष के लिए आस्थगित कर (निवल) हेतु प्रावधान ₹ 11.37 लाख है (पिछले वर्ष ₹ 98.47 लाख) तथा इसे लाभ एवं हानि लेखे में प्रभारित किया गया है।

डी) पूर्व अवधि के करों में निम्न भी शामिल हैं

आकलन वर्ष	विवरण	राशि (₹)
2012-13	धारा 154 के तहत प्रतिदान समायोजन	1639484
2013-14	धारा 154 के तहत प्रतिदान समायोजन	1051363
	कुल	2690847

5.2.2 इंड बैंक हाऊसिंग लिमिटेड

ए. भ्रामक अनिश्चितता के आधार पर अनवशोषित मूल्यह्रास और भावी कर–योग्य आय के विरुद्ध समंजन के लिए अगले लाभ से घाटा–पूर्ति को आस्थगित कर आस्ति के रूप में नहीं माना गया है।

बी. आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 1999–00 के लिए ब्याज सहित ₹4.32 करोड के लिए एक मांग नोटिस भेजी है। यह मांग उपचय आधार पर गैर निष्पादक आस्तियों पर आय को ध्यान में लेते हुए भेजी गई है जिसे एनएचबी के दिशानिर्देशों के अनुसार आय के रूप में पहचाना नहीं जा सकता है। कंपनी ने इस मांग के विरुद्ध विवाद करते हुए माननीय मद्रास हाई कोर्ट के समक्ष अपील दायर किया है।

सी. ब्याज कर और अनुवर्ती वर्षों के लिए कुल 4.83 करोड़ की राशि के साथ ब्याज, आय कर वापसी दावों को दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिमों के तहत दर्शाया गया है और वे आयकर विभाग द्वारा किए जाने वाले समाधान के अधीन हैं।

लेखाकरण मानकों के संबंध में प्रकटीकरण

6. मार्च 31, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(₹ करोड़ में)

	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष
लाभ व हानि खाते के अनुसार निवल लाभ	**752.24**	**1050.51**
समायोजन के लिए		
प्रावधान व आकस्मिकताएं	2321.18	1996.95
मूल्यह्रास	151.32	138.98
आस्तियों की बिक्री पर हानि/(लाभ)	1.90	1.54

5. TAXATION

5.1 PARENT

Amount of Provision made for Income Tax during the year:

(₹ in crore)

	2015-16	2014-15
Provision for Taxation (Income Tax including Deferred Tax)	243.92	463.45

The disputed income tax demand as at 31.03.2016 is at. ₹ 2350.60 Crores (previous year ₹ 1445.83 Crores), also included under contingent liabilities, out of which ₹ 2110.60 Crores (previous year ₹ 1441.98 Crores) is the disputed income tax paid as at 31.03.2016. No provision is considered necessary for the said disputed demands on account of judicial pronouncements and favourable decisions in Bank's own case.

5.2 SUBSIDIARY COMPANIES

5.2.1 INDBANK MERCHANT BANKING SERVICES LTD

a) In view of losses (as per Income tax) as well as book losses (as per AT computation) no provision for tax is required for the year.

b) No provision is made for the disputed demands of income tax keeping in view the judicial pronouncements and/or legal opinion on the issues.

c) The provision for deferred tax (net) for the year is ₹ 11.37 lakhs (Previous Year ₹ 98.47 lakhs) which has been charged to Profit & Loss Account.

d) Prior period taxes include the following:

Assessment year	Particulars	Amount (₹)
2012-13	Refund adjustment Under Section 154	1639484
2013-14	Refund adjustment Under Section 154	1051363
	Total	2690847

5.2.2 INDBANK HOUSING LTD

a. The unabsorbed depreciation and carry forward losses eligible for set-off against future taxable income have not been considered for deferred tax asset on the ground of virtual uncertainty.

b. The Income Tax Department has sent a demand notice for ₹ 4.32 crores for the assessment year 1999-00 including interest. The demand is raised by considering the income on non-performing assets on accrual basis which, as per the NHB directives, could not be recognised as income. The Company has contested the demand and the matter is pending before the Hon'ble Madras High Court.

c. The Demand adjusted by the Income Tax Department against the refund of Interest tax and the interest thereon along with the Income tax refund claims for subsequent years amounting to ₹ 4.83 crore is reflected under Long Term Loans and Advances and are subject to reconciliation with the Income Tax Department.

DISCLOSURES IN RESPECT OF ACCOUNTING STANDARDS

6. CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31,2016

(₹ in crore)

	Year ended 31.03.2016	Year ended 31.03.2015
Net Profit as per Profit and Loss Account	**752.24**	**1050.51**
Adjustments for :		
Provisions and Contingencies	2321.18	1996.95
Depreciation	151.32	138.98
Loss/(profit) on sale of land and buildings	1.90	1.54

	31.03.2016 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष
कार्यशील पूँजी परिवर्तनों के पूर्व परिचालनगत लाभ	**3226.63**	**3187.98**
परिचालनगत आस्तियों में वृद्धि / कमी		
निवेशों में कमी/(वृद्धि)	(7222.48)	974.83
अग्रिमों में वृद्धि	(3185.24)	(3657.71)
अन्य आस्तियों में कमी/(वृद्धि)	(1038.07)	(241.15)
	(11445.79)	(2924.03)
परिचालनगत देयताओं में वृद्धि / कमी		
जमाओं में वृद्धि	9054.74	6949.00
अन्य देयताओं में वृद्धि/(कमी)	**(1766.30)**	**(2077.26)**
	7288.44	4871.74
परिचालन से सृजित निवल नकदी (ए)	(930.72)	5135.69
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
अचल आस्तियों की खरीद	(782.84)	(243.56)
अचल आस्तियों की बिक्री	11.12	7.15
निवेश गतिविधियों से सृजित निवल नकदी (बी)	**(771.72)**	**(236.41)**
वित्तपोषण गतिविधियों से कुल नकदी प्रवाह		
प्रदत्त किया गया लाभांश	(201.72)	(234.15)
प्रदत्त लाभांश वितरण कर	(41.29)	(39.80)
भारत सरकार से प्राप्त पूंजी अंशदान	0.00	280.00
उधार में वृद्धि / कमी	863.22	(2317.78)
वित्तपोषण गतिविधियों से सृजित निवल नकदी (सी)	**620.21**	**(2311.73)**
नकदी और नकदी समकरणों में निवल वृद्धि/(कमी) (ए) + (बी) + (सी)	**(1082.23)**	**2587.56**
वर्ष के प्रारंभ में नकदी व नकदी तुल्य		
हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)	401.08	260.17
भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चालू खाते में शेष	7900.05	7497.51
बैंकों में शेष		
(ए) चालू खातों में	20.61	17.65
(बी) अन्य जमा खातों में	276.16	275.99
बैंकों में मांग एवं अल्प सूचना पर राशियां	376.60	-
भारत के बाहर बैंकों में शेष		
(ए) चालू खातों में	1382.02	1194.11
(बी) अन्य जमा खातों में	2713.00	1248.48
मांग एवं अल्प सूचना पर राशियां	12.32	0.37
	13081.84	10494.28
वर्ष के अंत में नकदी व नकदी तुल्य		
हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)	537.14	401.08
भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चालू खाते में शेष	8637.32	7900.05
बैंकों में शेष		
(ए) चालू खातों में	10.63	20.61
(बी) अन्य जमा खातों में	275.93	276.16
बैंकों में मांग एवं अल्प सूचना पर राशियां	0.00	376.60
भारत के बाहर बैंकों में शेष		
(ए) चालू खातों में	258.26	1382.02
(बी) अन्य जमा खातों में	2274.04	2713.00
मांग एवं अल्प सूचना पर राशियां	6.29	12.32
	11999.61	**13081.84**

	Year ended 31.03.2016	Year ended 31.03.2015
Operating Profit before working Capital Changes	**3226.63**	**3187.98**
Increase/Decrease in Operating Assets		
Decrease/(Increase) in Investments	(7222.48)	974.83
Increase in advances	(3185.24)	(3657.71)
Decrease/(increase) in other assets	(1038.07)	(241.15)
	(11445.79)	(2924.03)
Increase/Decrease in Operating Liabilities		
Increase in Deposits	9054.74	6949.00
Increase/(Decrease) in other liabilities	**(1766.30)**	**(2077.26)**
	7288.44	4871.74
Net cash generated from operations (A)	(930.72)	5135.69
Cash flow from investing activities		
Purchase of fixed assets	(782.84)	(243.56)
Sale of fixed assets	11.12	7.15
Net cash generated from Investing Activities (B)	**(771.72)**	**(236.41)**
Cash flow from Financing activities		
Payment of dividend	(201.72)	(234.15)
Payment of distribution tax	(41.29)	(39.80)
Capital received from Government of india	0.00	280.00
Increase/decrease in borrowings	863.22	(2317.78)
Net cash generated from financing activities (C)	**620.21**	**(2311.73)**
Net increase/(Decrease) in cash & cash equivalents (A)+(B)+(C)	**(1082.23)**	**2587.56**
cash and cash equivalents at the beginning of the year		
cash in hand (including foreign currency notes)	401.08	260.17
Balances with Reserve Bank of India - in current Account	7900.05	7497.51
Balances with Banks		
(a) in current Accounts	20.61	17.65
(b) in other deposit accounts	276.16	275.99
Money at Call and short notice with Banks	376.60	-
Balances with Banks outside India		
(a) in current Accounts	1382.02	1194.11
(b) in other deposit accounts	2713.00	1248.48
Money at call and short notice	12.32	0.37
	13081.84	10494.28
Cash & Cash equivalents at the end of the year		
cash in hand (including foreign currency notes)	537.14	401.08
Balances with Reserve Bank of India - in current Account	8637.32	7900.05
Balances with Banks		
(a) in current Accounts	10.63	20.61
(b) in other deposit accounts	275.93	276.16
Money at Call and short notice with Banks	0.00	376.60
Balances with Banks outside India		
(a) in current Accounts	258.26	1382.02
(b) in other deposit accounts	2274.04	2713.00
Money at call and short notice	6.29	12.32
	11999.61	**13081.84**

7. कर्मचारी लाभ (एएस 15)

मूल संस्था

7.1.1 परिभाषित अंशदान योजनाएँ :

भविष्य निधि एक वैधानिक दायित्व है और अंशदायी भविष्य निधि का विकल्प चुननेवालों के मामले में बैंक पूर्वनिर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान अदा करता है। ऐसे निश्चित अंशदान की राशि तक ही बैंक का दायित्व सीमित है। इन अंशदानों को लाभ एवं हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है। निधि का प्रबंध इंडियन बैंक स्टाफ भविष्य निधि न्यास द्वारा किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान, बैंक ने ₹2.11 करोड़ (पिछले वर्ष ₹0.69 करोड़) का अंशदान दिया है।

नई पेंशन योजना उन कर्मचारियों पर लागू होती है, जिनकी बैंक में भर्ती 01.04.2010 के बाद हुई है और यह एक परिभाषित अंशदान योजना है। एनपीएस के अंतर्गत बैंक पूर्व निर्धारित दर पर एक निश्चित अंशदान अदा करता है और बैंक का दायित्व ऐसे निश्चित अंशदान तक सीमित है। इस अंशदान को लाभ एवं हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान, बैंक ने ₹26.47 करोड़ (पिछले वर्ष ₹19.36 करोड़) का अंशदान दिया है।

7.1.2 परिभाषित लाभ योजनाएं:

लेखा मानक–15 (संशोधित) के अनुसरण में अपेक्षित लाभ एवं हानि लेखा और तुलन पत्र में मान्यता दिए गए नियोजनोत्तर लाभ और दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों की संक्षेप में स्थिति निम्नानुसार है :–

I.मूल बीमांकन अनुमान (भारित औसतों के रूप में व्यक्त)	**31/03/2016**	**31/03/2015**
बट्टे की दर	पेन्शन के लिए 8.04 % - 15 वर्ष जी –सेक पत्र उपदान के लिए 7.56 % - 10 वर्ष जी–सेक पत्र	पेन्शन के लिए 7.99% - 15 वर्ष जी –सेक पत्र उपदान के लिए 7.95% -10 वर्ष जी –सेक पत्र
वेतन बढोत्तरी की दर	6.00% (वेतन संशोधन के लिए 0.50% के साथ)	6.00% (वेतन संशोधन के लिए 0.50% के साथ)
पदत्याग की दर	1.00% पेंशन के लिए और 2.00% उपदान के लिए	1.00% for Pension and 2.00% for Serving Employees
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल की दर *	9.00%	9.00%
प्रयुक्त तरीका	परियोजना इकाई ऋण (पीयूसी) बीमांकक तरीका	

* योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल की दर, छुट्टी भुनाई पर लागू नहीं होगी।

भावी वेतन वृद्धियों के आकलन मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य संबंधित घटक जैसे नियोजन बाज़ार में आपूर्ति एवं मांग को हिसाब में लेकर भारतीय बैंक संघ द्वारा अधिवर्षिता योजनाओं के निधीयन पर दिशानिर्देश्या के अनुरूप किये जाते हैं।

छुट्टी भुनाई की देयताएँ गैर–निधिक होते हैं।

चालू वर्ष 2015–16 (₹ करोड़ में)

II. बाध्यता के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन – अथशेष एवं अंतशेष का लेखा समाधान	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
वर्ष के आरंभ में पीवीओ	**5306.22**	**844.78**	**154.58**
ब्याज लागत	404.03	58.63	7.24
वर्तमान सेवा लागत	75.54	42.82	17.14
विगत सेवा लागत – पहचाने गए / निहित लाभ	0.00	0.00	0.00
विगत सेवा लागत – पहचाने न गए / गैर–निहित लाभ	0.00	0.00	0.00
प्रदत्त लाभ	(562.05)	(138.49)	(117.70)
बाध्यता पर (संतुलन आंकडा) बीमांकिक हानि / (लाभ)	384.40	24.20	100.37
वर्ष की समाप्ति पर पीवीओ	**5608.14**	**831.94**	**161.63**

7. EMPLOYEE BENEFITS (AS 15)

PARENT

7.1.1 Defined Contribution Plans:

Provident fund is a statutory obligation and in the case of Contributory Provident Fund Optees, the Bank pays fixed contribution at pre-determined rates. The obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to Profit and Loss Account. The fund is managed by Indian Bank Staff Provident Fund Trust. During the financial year 2015-16, the Bank has contributed ₹ 2.11 crores (previous year ₹ 0.69 crore).

New Pension Scheme (NPS) is applicable to employees who joined bank on or after 01.04.2010 and it is a defined contribution scheme. Under NPS the Bank pays fixed contribution at pre determined rate and the obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss Account. During the financial year 2015-16, the Bank has contributed ₹ 26.47 crores (previous year ₹ 19.36 crores).

7.1.2 Defined Benefit Plans:

The summarized position of Post-employment benefits and long term employee benefits recognised in the Profit & Loss Account and Balance Sheet as required in accordance with Accounting Standard – 15 (Revised) are as under:

I.PRINCIPAL ACTUARIAL ASSUMPTIONS [Expressed as weighted averages]	**31/03/2016**	**31/03/2015**
Discount Rate	8.04% for Pension–15 year G-sec paper 7.56% for Gratuity —10 year G-sec paper	7.99% for Pension – 15 year G-sec paper 7.95% for Gratuity – 10 year G-sec paper
Salary escalation rate	6.00% (includes 0.50% for wage revision)	6.00% (includes 0.50% for wage revision)
Attrition rate	1.00% for Pension and 2.00% for Serving Employees	1.00% for Pension and 2.00% for Serving Employees
Expected rate of return on Plan Assets *	9.00%	9.00%
Method used	Projected Unit Credit (PUC) actuarial Method	

* Expected Rate of return on Plan Assets not applicable for Leave encashment.

The estimates of future salary increases are considered taking into account inflation, seniority, promotion and other relevant factors, such as supply and demand in the employment market and in tandem with Funding Guidelines for Superannuation Schemes communicated by IBA.

The liabilities of leave encashment are unfunded.

Current Year 2015-16 ₹ in Crore

II. CHANGES IN THE PRESENT VALUE OF THE OBLIGATION (PVO) - RECONCILIATION OF OPENING AND CLOSING BALANCES:	**Pension Fund**	**Gratuity Fund**	**Leave Encashment**
PVO as at the beginning of the year	**5306.22**	**844.78**	**154.58**
Interest Cost	404.03	58.63	7.24
Current service cost	75.54	42.82	17.14
Past service cost – recognized / vested benefits	0.00	0.00	0.00
Past service cost – unrecognized / non-vested benefits	0.00	0.00	0.00
Benefits paid	(562.05)	(138.49)	(117.70)
Actuarial loss/(gain) on obligation (balancing figure)	384.40	24.20	100.37
PVO as at the end of the year	**5608.14**	**831.94**	**161.63**

पिछले वर्ष 2014–15 (₹ करोड़ में)

II. बाध्यता के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन – अथशेष एवं अंतशेष का लेखा समाधान	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
वर्ष के आरंभ में पीवीओ	**4930.31**	**897.83**	**200.69**
ब्याज लागत	370.96	65.98	12.71
वर्तमान में सेवा लागत	72.25	37.94	14.66
विगत सेवा लागत – पहचाने गए/निहित लाभ	0.00	0.00	0.00
विगत सेवा लागत – पहचाने न गए/गैर–निहित लाभ	0.00	0.00	0.00
प्रदत्त लाभ	(373.23)	(135.88)	(81.63)
बाध्यता पर (संतुलन आंकडा) बीमांकिक हानि / (लाभ)	305.93	(21.09)	8.15
वर्ष की समाप्ति पर पीवीओ	**5306.22**	**844.78**	**154.58**

चालू वर्ष 2015–16 (₹ करोड़ में)

III. योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन – अथशेष एवं अंतशेष का लेखा समाधान	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	**5215.05**	**835.47**	**0.00**
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	461.60	70.98	0.00
अंशदान	401.96	63.08	117.70
प्रदत्त लाभ	(562.05)	(138.49)	(117.70)
योजना आस्तियों पर (संतुलन आंकडा) बीमांकिक लाभ / (हानि)	(7.61)	(1.66)	0.00
वर्ष की समाप्ति पर योजना आस्तियों का उचित मूल्य	**5508.95**	**829.38**	**0.00**

पिछले वर्ष 2014–15 (₹ करोड़ में)

III. योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन – अथ शेष एवं अंतशेष का लेखा समाधान	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	**4767.66**	**864.63**	**0.00**
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	429.42	63.72	0.00
अंशदान	378.07	32.39	81.63
प्रदत्त लाभ	(373.23)	(135.88)	(81.63)
योजना आस्तियों पर (संतुलन आंकडा) बीमांकिक लाभ / (हानि)	13.13	10.61	0.00
वर्ष की समाप्ति पर योजना आस्तियों का उचित मूल्य	**5215.05**	**835.47**	**0.00**

चालू वर्ष 2015–16 (₹ करोड़ में)

IV. योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	461.60	70.98	0.00
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ (हानि)	(7.61)	(1.66)	0.00
योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	453.99	69.32	0.00

पिछले वर्ष 2014–15 (₹ करोड़ में)

IV. योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	429.42	63.72	0.00
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/ (हानि)	13.13	10.61	0.00
योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	442.55	74.33	0.00

Previous Year 2014-15 ₹ in Crore

II. CHANGES IN THE PRESENT VALUE OF THE OBLIGATION (PVO) - RECONCILIATION OF OPENING AND CLOSING BALANCES:	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
PVO as at the beginning of the year	**4930.31**	**897.83**	**200.69**
Interest Cost	370.96	65.98	12.71
Current service cost	72.25	37.94	14.66
Past service cost – recognized / vested benefits	0.00	0.00	0.00
Past service cost – unrecognized / non-vested benefits	0.00	0.00	0.00
Benefits paid	(373.23)	(135.88)	(81.63)
Actuarial loss/(gain) on obligation (balancing figure)	305.93	(21.09)	8.15
PVO as at the end of the year	**5306.22**	**844.78**	**154.58**

Current Year 2015-16 ₹ in Crore

III. CHANGES IN THE FAIR VALUE OF PLAN ASSETS - RECONCILIATION OF OPENING AND CLOSING BALANCES:	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Fair value of plan assets as at the beginning of the year	**5215.05**	**835.47**	**0.00**
Expected return on plan assets	461.60	70.98	0.00
Contributions	401.96	63.08	117.70
Benefits paid	(562.05)	(138.49)	(117.70)
Actuarial gain/(loss) on plan assets [balancing figure]	(7.61)	(1.66)	0.00
Fair value of plan assets as at the end of the year	**5508.95**	**829.38**	**0.00**

Previous Year 2014-15 ₹ in Crore

III. CHANGES IN THE FAIR VALUE OF PLAN ASSETS - RECONCILIATION OF OPENING AND CLOSING BALANCES:	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Fair value of plan assets as at the beginning of the year	**4767.66**	**864.63**	**0.00**
Expected return on plan assets	429.42	63.72	0.00
Contributions	378.07	32.39	81.63
Benefits paid	(373.23)	(135.88)	(81.63)
Actuarial gain/(loss) on plan assets [balancing figure]	13.13	10.61	0.00
Fair value of plan assets as at the end of the year	**5215.05**	**835.47**	**0.00**

Current Year 2015-16 ₹ in Crore

IV. ACTUAL RETURN ON PLAN ASSETS	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Expected return on plan assets	461.60	70.98	0.00
Actuarial gain / (loss) on plan assets	(7.61)	(1.66)	0.00
Actual return on plan assets	453.99	69.32	0.00

Previous Year 2014-15 ₹ in Crore

IV. ACTUAL RETURN ON PLAN ASSETS	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Expected return on plan assets	429.42	63.72	0.00
Actuarial gain / (loss) on plan assets	13.13	10.61	0.00
Actual return on plan assets	442.55	74.33	0.00

चालू वर्ष 2015–16 (₹ करोड़ में)

V. पहचाना गया बीमांकिक लाभ / हानि	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ / (हानि) – बाध्यता	(384.40)	(24.20)	(100.37)
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ / (हानि)–योजना आस्तियां	(7.61)	(1.66)	0.00
वर्ष के लिए कुल (लाभ) / हानि	(392.01)	(25.86)	(100.37)
वर्ष के दौरान पहचाने गए बीमांकक लाभ / (हानि)	**(392.01)**	**(25.86)**	**(100.37)**
वर्ष के अंत में न पहचाने गए बीमांकिक लाभ / (हानि)	0.00	0.00	0.00

पिछले वर्ष 2014–15 (₹ करोड़ में)

V. पहचाना गया बीमांकिक लाभ / हानि	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ / (हानि) – बाध्यता	(305.93)	21.09	(8.15)
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ / (हानि)–योजना आस्तियां	13.13	10.61	0.00
वर्ष के लिए कुल लाभ / (हानि)	(292.80)	31.70	(8.15)
वर्ष के दौरान पहचाने गए बीमांकिक लाभ / (हानि)	**(292.80)**	**31.70**	**(8.15)**
वर्ष के अंत में न पहचाने गए बीमांकिक लाभ / (हानि)	0.00	0.00	0.00

चालू वर्ष 2015–16 (₹ करोड़ में)

VI. तुलन पत्र में पहचानी गयी राशियां और संबंधित विश्लेषण	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	5608.14	831.94	161.63
योजना आस्तियों का उचित मूल्य	5508.95	829.38	0.00
अन्तर	(99.19)	(2.56)	(161.63)
पहचान न की गयी संक्रमणकालीन देयता	0.00	0.00	0.00
पहचान न की गयी विगत सेवा लागत	0.00	0.00	0.00
तुलन पत्र में पहचानी गयी देयता	(99.19)	(2.56)	(161.63)

पिछले वर्ष 2014–15 (₹ करोड़ में)

VI. तुलन पत्र में पहचानी गयी राशियां और संबंधित विश्लेषण	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	5306.22	844.78	154.58
योजना आस्तियों का उचित मूल्य	5215.05	835.47	0.00
अन्तर	(91.17)	(9.31)	(154.58)
पहचान न की गयी संक्रमणकालीन देयता	0.00	0.00	0.00
पहचान न की गयी विगत सेवा लागत	0.00	0.00	0.00
तुलन पत्र में पहचानी गयी आस्ति (देयता)	(91.17)	(9.31)	(154.58)

चालू वर्ष 2015–16 (₹ करोड़ में)

VII. लाभ एवं हानि लेखे में पहचाने गये व्यय	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
वर्तमान सेवा लागत	75.54	42.82	17.14
ब्याज लागत	404.03	58.63	7.24
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	(461.60)	(70.98)	0.00
निवल बीमांकिक (लाभ) / हानि जो इस वर्ष में पहचानी गयी है	392.01	25.86	100.37
इस वर्ष में पहचानी गयी संक्रमणकालीन देयता	0.00	0.00	0.00
विगत सेवा लागत – पहचानी गई	0.00	0.00	0.00
लाभ एवं हानि लेखे में पहचाने गये व्यय	409.98	56.33	124.75

Current Year 2015-16 ₹ in Crore

V. ACTUARIAL GAIN / LOSS RECOGNISED	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Actuarial gain / (loss) for the year - Obligation	(384.40)	(24.20)	(100.37)
Actuarial gain / (loss) for the year- Plan Assets	(7.61)	(1.66)	0.00
Total gain / (loss) for the year	(392.01)	(25.86)	(100.37)
Actuarial gain / (loss) recognised in the year	**(392.01)**	**(25.86)**	**(100.37)**
Unrecognised actuarial gain / (loss) at the end of the year	0.00	0.00	0.00

Previous Year 2014-15 ₹ in Crore

V. ACTUARIAL GAIN / LOSS RECOGNISED	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Actuarial gain / (loss) for the year - Obligation	(305.93)	21.09	(8.15)
Actuarial gain / (loss) for the year- Plan Assets	13.13	10.61	0.00
Total gain / (loss) for the year	(292.80)	31.70	(8.15)
Actuarial gain / (loss) recognised in the year	**(292.80)**	**31.70**	**(8.15)**
Unrecognised actuarial gain / (loss) at the end of the year	0.00	0.00	0.00

Current Year 2015-16 ₹ in Crore

VI. AMOUNTS RECOGNISED IN THE BALANCE SHEET AND RELATED ANALYSIS	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Present value of the obligation	5608.14	831.94	161.63
Fair value of plan assets	5508.95	829.38	0.00
Difference	(99.19)	(2.56)	(161.63)
Unrecognised transitional liability	0.00	0.00	0.00
Unrecognised past service cost	0.00	0.00	0.00
Liability recognised in the balance sheet	(99.19)	(2.56)	(161.63)

Previous Year 2014-15 ₹ in Crore

VI. AMOUNTS RECOGNISED IN THE BALANCE SHEET AND RELATED ANALYSIS	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Present value of the obligation	5306.22	844.78	154.58
Fair value of plan assets	5215.05	835.47	0.00
Difference	(91.17)	(9.31)	(154.58)
Unrecognised transitional liability	0.00	0.00	0.00
Unrecognised past service cost	0.00	0.00	0.00
Liability recognised in the balance sheet	(91.17)	(9.31)	(154.58)

Current Year 2015-16 ₹ in Crore

VII. EXPENSES RECOGNISED IN THE STATEMENT OF PROFIT AND LOSS:	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Current service cost	75.54	42.82	17.14
Interest Cost	404.03	58.63	7.24
Expected return on plan assets	(461.60)	(70.98)	0.00
Net actuarial (gain)/loss recognised in the year	392.01	25.86	100.37
Transitional Liability recognised in the year	0.00	0.00	0.00
Past service cost - recognised	0.00	0.00	0.00
Expenses recognised in the statement of profit and loss	409.98	56.33	124.75

पिछले वर्ष 2014–15 (₹ करोड़ में)

VII. पहचाना गया बीमांकिक लाभ/हानि	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
वर्तमान सेवा लागत	72.25	37.94	14.66
ब्याज लागत	370.96	65.98	12.71
योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	(429.42)	(63.72)	0.00
निवल बीमांकिक (लाभ)/ हानि जो इस वर्ष में पहचानी गयी है	292.80	(31.70)	8.15
इस वर्ष में पहचानी गयी संक्रमणकालीन देयता	0.00	0.00	0.00
विगत सेवा लागत – पहचानी गई	162.65	33.20	0.00
लाभ एवं हानि लेखें में पहचाने गये व्यय	469.24	41.70	35.52

चालू वर्ष 2015–16 (₹ करोड़ में)

VIII. तुलन पत्र में पहचानी गयी देयताओं में परिवर्तन	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
निवल देयता का आरंभिक शेष	91.17	9.31	154.58
उपर्युक्तानुसार व्यय	409.98	56.33	124.75
प्रदत्त अंशदान	(401.96)	(63.08)	(117.70)
निवल देयता का अंत शेष	99.19	2.56	161.63

पिछले वर्ष 2014–15 (₹ करोड़ में)

VIII. तुलन पत्र में पहचानी गयी देयताओं में परिवर्तन	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
निवल देयता का आरंभ शेष	0.00	0.00	200.69
उपर्युक्तानुसार व्यय	469.24	41.70	35.52
प्रदत्त अंशदान	(378.07)	(32.39)	(81.63)
निवल देयता का अंत शेष	91.17	9.31	154.58

(₹ करोड़ में)

IX. (I) चालू वर्ष 2015–16	पेंशन निधि	उपदान निधि	छुट्टी भुनाई
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	5608.14	831.94	161.63
योजना आस्तियां	5508.95	829.38	0.00
अधिशेष/(घाटा)	(99.19)	(2.56)	(161.63)
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन (हानि)/लाभ	(384.40)	(24.20)	(100.37)
योजना आस्तियों पर अनुभव समयोजन (हानि)/लाभ	(7.61)	(1.66)	0.00

(₹ करोड़ में)

IX. (ii) पिछले वर्ष 2012–15 पेंशन	**31.03.2012 को समाप्त वर्ष**	**31.03.2013 को समाप्त वर्ष**	**31.03.2014 को समाप्त वर्ष**	**31.03.2015 को समाप्त वर्ष**
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	3863.80	4521.26	4930.31	5306.22
योजना आस्तियां	3375.87	4195.96	4767.66	5215.05
अधिशेष /(घाटा)	(487.93)	(325.30)	(162.65)	(91.17)
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन (हानि)/लाभ	(346.33)	533.47	(263.75)	(305.93)
योजना आस्तियों पर अनुभव समयोजन (हानि)/लाभ	9.18	24.35	(21.88)	13.13

(₹ करोड़ में)

IX. (iii) पिछले वर्ष 2012–15 उपदान	**31.03.2012 को समाप्त वर्ष**	**31.03.2013 को समाप्त वर्ष**	**31.03.2014 को समाप्त वर्ष**	**31.03.2015 को समाप्त वर्ष**
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	755.05	810.57	897.83	844.78
योजना आस्तियां	655.45	744.18	864.63	835.47
अधिशेष (घाटा)	(99.60)	(66.40)	(33.19)	(9.31)
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन (हानि/लाभ)	(78.52)	75.89	113.3521.09	योजना आस्तियों पर
योजना आस्तियों पर अनुभव समयोजन (हानि)/लाभ	(1.72)	0.00	0.65	10.61

Previous Year 2014-15 ₹ in Crore

VII. EXPENSES RECOGNISED IN THE STATEMENT OF PROFIT AND LOSS:	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Current service cost	72.25	37.94	14.66
Interest Cost	370.96	65.98	12.71
Expected return on plan assets	(429.42)	(63.72)	0.00
Net actuarial (gain)/loss recognised in the year	292.80	(31.70)	8.15
Transitional Liability recognised in the year	0.00	0.00	0.00
Past service cost - recognised	162.65	33.20	0.00
Expenses recognised in the statement of profit and loss	469.24	41.70	35.52

Current Year 2015-16 ₹ in Crore

VIII. MOVEMENTS IN THE LIABILITY RECOGNISED IN THE BALANCE SHEET	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Opening net liability	91.17	9.31	154.58
Expense as above	409.98	56.33	124.75
Contribution paid	(401.96)	(63.08)	(117.70)
Closing net liability	99.19	2.56	161.63

Previous Year 2014-15 ₹ in Crore

VIII. MOVEMENTS IN THE LIABILITY RECOGNISED IN THE BALANCE SHEET	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Opening net liability	0.00	0.00	200.69
Expense as above	469.24	41.70	35.52
Contribution paid	(378.07)	(32.39)	(81.63)
Closing net liability	91.17	9.31	154.58

₹ in Crore

IX. (i) Current Year 2015-16	Pension Fund	Gratuity Fund	Leave Encashment
Present Value of obligation	5608.14	831.94	161.63
Plan Assets	5508.95	829.38	0.00
Surplus/ (Deficit)	(99.19)	(2.56)	(161.63)
Experience adjustments on plan liabilities- (loss) / gain	(384.40)	(24.20)	(100.37)
Experience adjustments on plan assets- (loss) / gain	(7.61)	(1.66)	0.00

₹ in Crore

IX. (ii) Previous Years 2012-15 Pension	Year ended 31.03.2012	Year ended 31.03.2013	Year ended 31.03.2014	Year ended 31.03.2015
Present Value of obligation	3863.80	4521.26	4930.31	5306.22
Plan Assets	3375.87	4195.96	4767.66	5215.05
Surplus/ (Deficit)	(487.93)	(325.30)	(162.65)	(91.17)
Experience adjustments on plan liabilities- (loss) / gain	(346.33)	533.47	(263.75)	(305.93)
Experience adjustments on plan assets- (loss) / gain	9.18	24.35	(21.88)	13.13

₹ in Crore

IX. (iii) Previous Years 2012-15 Gratuity	Year ended 31.03.2012	Year ended 31.03.2013	Year ended 31.03.2014	Year ended 31.03.2015
Present Value of obligation	755.05	810.57	897.83	844.78
Plan Assets	655.45	744.18	864.63	835.47
Surplus/ (Deficit)	(99.60)	(66.40)	(33.19)	(9.31)
Experience adjustments on plan liabilities- (loss) / gain	(78.52)	75.89	113.35	21.09
Experience adjustments on plan assets- (loss) / gain	(1.72)	0.00	0.65	10.61

(₹ करोड़ में)

IX. (iii) पिछले वर्षों 2012–15 के लिए छुट्टी भुनाई	31.03.2012 को समाप्त वर्ष	31.03.2013 को समाप्त वर्ष	31.03.2014 को समाप्त वर्ष	31.03.2015 को समाप्त वर्ष
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	218.06	236.22	200.69	154.58
योजना आस्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00
अधिशेष (घाटा)	218.06	(236.22)	(200.69)	(154.58)
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन (हानि / लाभ)	18.17	2.23	4.39	(8.15)
योजना आस्तियों पर अनुभव समयोजन (हानि / लाभ)	0.00	0.00	0.00	0.00

(₹ करोड़ में)

योजना आस्तियों के मुख्य संवर्ग (कुल योजना आस्तियों के प्रतिशत में)	पेंशन निधि	उपदान निधि	पेंशन निधि	उपदान निधि
	2015-16		2014-15	
भारत सरकार प्रतिभूतियाँ	—	—	—	—
राज्य सरकार प्रतिभूतियाँ	—	—	—	—
भारत सरकार प्रतिभूतियाँ और राज्य सरकार प्रतिभूतियाँ	46.04	22.60	35.08	12.80
उच्च गुणवत्तावाले कार्पोरेट बांड	0.22	0.26	22.19	13.08
विशेष जमा योजना	0.00	0.00	0.00	0.00
बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधियाँ	53.74	77.14	42.47	73.84
निजी क्षेत्र के बॉण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00
मनी मार्केट	0.00	0.00	0.26	0.28
कुल	100.00	100.00	100.00	100.00

(₹ करोड़ में)

XI. अगले वर्ष के दौरान अंशदान	पेंशन निधि	उपदान राशि	अर्जित छुट्टी
अगले वर्ष के दौरान अंशदान पर उद्यम का सर्वोच्च अनुमान	440.00	92.68	140.00

7.1.3 अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ

बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों के लिए ₹1.55 करोड़ की राशि (पिछले वर्ष ₹68.01 करोड़) प्रदान / (अवलिखित) की गई तथा इसे लाभ एवं हानि लेखा में "कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान" शीर्ष के तहत शामिल किया गया।

वर्ष के दौरान विभिन्न दीर्घकालीन कर्मचारी लाभों हेतु बनाए गए (अवलिखित) अतिरिक्त प्रावधानों का विवरण:

(₹ करोड़ में)

सं.	दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ	31/03/2016	31/03/2015
1	बीमारी छुट्टी	(0.21)	(70.39)
2	आकस्मिक छुट्टी	(0.27)	0.23
3	छुट्टी यात्रा रियायत	(1.07)	2.15
	कुल	**(1.55)**	**(68.01)**

नोट: शामिल प्रकटीकरण में बीमांकक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की सीमा तक सीमित है।

7.2 अनुषंगी कंपनियां

7.2.1 इंड बैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड

परिभाषित अंशदान योजना

परिभाषित अंशदान योजना हेतु अंशदान जिसे वर्ष के लिए व्यय माना गया, निम्नप्रकार प्रस्तुत है : ₹

विवरण	2015-16	2014-15
भविष्य निधि को नियोक्ता का अंशदान	2836695	2649362

₹ in Crore

IX. (iii) Previous Years 2012-15 Leave Encashment	Year ended 31.03.2012	Year ended 31.03.2013	Year ended 31.03.2014	Year ended 31.03.2015
Present Value of obligation	218.06	236.22	200.69	154.58
Plan Assets	0.00	0.00	0.00	0.00
Surplus/ (Deficit)	218.06	(236.22)	(200.69)	(154.58)
Experience adjustments on plan liabilities- (loss) / gain	18.17	2.23	4.39	(8.15)
Experience adjustments on plan assets- (loss) / gain	0.00	0.00	0.00	0.00

₹ in Crore

MAJOR CATEGORIES OF PLAN ASSETS (AS PERCENTAGE OF TOTAL PLAN ASSETS)	Pension Fund	Gratuity Fund	Pension Fund	Gratuity Fund
	2015-16		2014-15	
Government of India Securities	—	—	—	—
State Government Securities	—	—	—	—
Government of India Securities and State Government Securities	46.04	22.60	35.08	12.80
High Quality Corporate Bonds	0.22	0.26	22.19	13.08
Special Deposit Scheme	0.00	0.00	0.00	0.00
Funds managed by Insurer	53.74	77.14	42.47	73.84
Private Sector Bonds	0.00	0.00	0.00	0.00
Money Market	0.00	0.00	0.26	0.28
Total	100.00	100.00	100.00	100.00

₹ in Crore

XI. CONTRIBUTION DURING NEXT YEAR	Pension Fund	Gratuity Fund	Earned Leave
Enterprises best estimate of contribution during next year	440.00	92.68	140.00

7.1.3 Other Long Term Employee Benefits

Amount of ₹1.55 crore (previous year ₹ 68.01 crore) is provided / (written back) towards Long Term Employee Benefits as per the actuarial valuation by the independent Actuary appointed by the Bank and is included under the head "Payments to and Provisions for Employees" in Profit and Loss Account.

Details of additional Provisions made / (written back) for various long Term Employee Benefits during the year:

₹ in Crore

No.	Long Term Employee Benefits	31/03/2016	31/03/2015
1	Sick Leave	(0.21)	(70.39)
2	Casual Leave	(0.27)	0.23
3	Leave Travel Concession	(1.07)	2.15
	Total	**(1.55)**	**(68.01)**

Note: Disclosures included are limited to the extent of information provided by the Actuary.

7.2 SUBSIDIARY COMPANIES

7.2.1 INDBANK MERCHANT BANKING SERVICES LTD

Defined Contribution Plan

Contribution to Defined Contribution Plan, recognized as expense for the year are as under:

₹

Details	2015-16	2014-15
Employer's contribution to Provident Fund	2836695	2649362

परिभाषित लाभ योजना

i) परिभाषित लाभ बाध्यता के अथशेष व इतिशेष का लेखा समाधान

₹

विवरण	उपदान (निधिक)		छुट्टी भुनाई (गैर–निधिक)	
	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15
वर्ष के आरंभ में परिभाषित लाभ बाध्यता	5153722	4535480	4740493	5915380
वर्तमान सेवा लागत	514581	525733	371522	475057
ब्याज लागत	412298	362838	359923	513052
बीमांकिक (लाभ)/ हानि	501672	831436	149886	(2162996)
प्रदत्त लाभ	(506325)	(1101765)	-	-
निपटान लागत	-	-	-	-
वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ बाध्यता	6075948	5153722	5621824	4740493

II) योजना आस्तियों के अथशेष व इतिशेष के उचित मूल्य का लेखा समाधान

₹

विवरण	उपदान (निधिक)	
	2015-16	**2014-15**
वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	4196669	4439521
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल	424963	388756
अंशदान	2604192	470157
बीमांकिक (लाभ)/ हानि	-	-
प्रदत्त लाभ	(506325)	(1101765)
निपटान लागत	-	-
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	6719499	4196669
योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	424963	388756

III) आस्तियों व बाध्यताओं के उचित मूल्य का लेखा समाधान

₹

विवरण	उपदान (निधिक)		छुट्टी भुनाई (गैर–निधिक))	
	2015-16	**2014-15**	**2015-16**	**2014-15**
योजना आस्तियों का उचित मूल्य	6719499	4196669	5621824	4740493
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	6075948	5153722	4740493	5915380
तुलन–पत्र में अभिज्ञात राशि	643551	(957053)	881331	(1174887)

IV) वर्ष के दौरान अभिज्ञात व्यय

₹

विवरण	उपदान (निधिक)		छुट्टी भुनाई (गैर–निधिक)	
	2015-16	**2014-15**	**2015-16**	**2014-15**
वर्तमान सेवा लागत	514581	525733	371522	475057
ब्याज लागत	412298	362838	359923	513052
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	424963	388756	-	-
बीमांकक **(लाभ) /हानि**	501672	831436	149886	(2162996)
निवल लागत	1003588	1331251	881331	-1174887

V) बीमांकक अनुमान

₹

विवरण	उपदान (निधिक)		छुट्टी भुनाई (गैर–निधिक)	
	2015-16	**2014-15**	**2015-16**	**2014-15**
मृत्यु संख्या सारणी (जीबीनि)	1994- 96	1994-96	1994-96	1994-96
	(अंतिम)	(अंतिम)	(अंतिम)	(अंतिम)
बट्टा दर (प्रतिवर्ष)	8%	8%	7.70%	7.80%
प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर (प्रतिवर्ष)	8%	8%	-	-
वेतन वृद्धि दर (प्रतिवर्ष)	5%	5%	5%	5%
सेवात्याग दर	1% to 3%	1% to 3%	7%	7.70%

Defined Benefit Plan

I) Reconciliation of opening and closing balances of Defined benefit obligation

₹

Details	Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Unfunded)	
	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15
Defined benefit obligation at the beginning of the year	5153722	4535480	4740493	5915380
Current service cost	514581	525733	371522	475057
Interest cost	412298	362838	359923	513052
Actuarial (gain)/ loss	501672	831436	149886	(2162996)
Benefits paid	(506325)	(1101765)	-	-
Settlement cost	-	-	-	-
Defined benefit obligation at the year end	6075948	5153722	5621824	4740493

II) Reconciliation of opening and closing balances of fair value of plan assets

₹

Details	Gratuity (Funded)	
	2015-16	**2014-15**
Fair value of plan assets at the beginning of the year	4196669	4439521
Expected return on plan assets	424963	388756
Contributions	2604192	470157
Actuarial (gain)/ loss	-	-
Benefits paid	(506325)	(1101765)
Settlement cost	-	-
Fair value of plan assets at year end	6719499	4196669
Actual return on plan assets	424963	388756

III) Reconciliation of fair value of assets and obligations

₹

Details	Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Unfunded)	
	2015-16	**2014-15**	**2015-16**	**2014-15**
Fair value of plan assets	6719499	4196669	5621824	4740493
Present value of obligation	6075948	5153722	4740493	5915380
Amount recognized in Balance Sheet	643551	(957053)	881331	(1174887)

IV) Expense recognized during the year

₹

Details	Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Unfunded)	
	2015-16	**2014-15**	**2015-16**	**2014-15**
Current Service Cost	514581	525733	371522	475057
Interest Cost	412298	362838	359923	513052
Expected return on plan assets	424963	388756	-	-
Actuarial (gain) / loss	501672	831436	149886	(2162996)
Net Cost	1003588	1331251	881331	-1174887

V) Actuarial assumptions

Details	Gratuity (Funded)		Leave Encashment (Unfunded)	
	2015-16	**2014-15**	**2015-16**	**2014-15**
Mortality Table (LIC)	1994- 96	1994-96	1994-96	1994-96
	(Ultimate)	(Ultimate)	(Ultimate)	(Ultimate)
Discount rate (per annum)	8%	8%	7.70%	7.80%
Expected rate of return (per annum)	8%	8%	-	-
Rate of escalation of salary (per annum)	5%	5%	5%	5%
Attrition Rate	1% to 3%	1% to 3%	7%	7.70%

मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति एवं नियोजन बाजार में आपूर्ति और मॉग सहित अन्य संबंधित घटकों को ध्यान में रखते हुए बीमांकक मूल्यांकन में वेतन में वृद्धि की दर का अनुमान लगाया गया है। प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर कतिपय लागू घटकों, मुख्यतः धारित योजना आस्तियों का सम्मिश्रण, निर्धारित जोखिमों, योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ के ऐतिहासिक परिणाम और योजना आस्तियों हेतु कंपनी की नीति को ध्यान में रखकर निर्धारित की गई है। मूल कंपनी से प्रतिनियुक्त स्टाफ के संबंध में सेवा निवृत्ति लाभ देयता का वहन मूल कंपनी द्वारा किया जाएगा।

कंपनी ने वर्ष 2015–16 में उपदान देयता की ओर ₹ 20.27 लाख (पिछले वर्ष ₹ 6.37 लाख) का अंशदान दिया है।

7.2.2 इंडबैंक हाउसिंग लि.

उपदान निधि की ओर कंपनी की बाध्यता एवं बीमांकक मूल्यांकन के ब्यौरे : ₹

1	कुल विगत सेवा उपदान	4,56.272
2	विगत सेवा उपदान बीमांकक मूल्य	4,56,273
3	जीवन बीमा निगम में उपदान निधि	7,73,180
4	जीवन बीमा निगम को देय अंशदान	शून्य
5	वर्ष के दौरान प्रदत्त अंशदान	शून्य
6	शेष देय	शून्य
7	प्रदत्त जोखिम प्रीमियम एवं सेवाकर	1,121
8	अनुमान बट्टा दर वेतन में वृद्धि का पूर्वानुमान	 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि

8. सेगमेंट रिपोर्टिंग (एएस 17) (समेकित)

लेखाकरण मानकों संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, मूल कंपनी के परिचालनों को अर्थात ट्रेशरी को सम्मिलित कर कारोबार सेगमेंट, कार्पोरेट /थोक बैंकिंग, खुदरा बैंकिंग तथा अन्य बैंकिंग परिचालन को प्राथमिक सेगमेंट में और भौगोलिक सेगमेंट में देशी और अंतर राष्ट्रीय को सम्मिलिकर गौण सेगमेंट में वर्गीकृत किया गया है। अनुषंगियों के परिचालनों को कारोबार सेगमेंट में अन्य बैंकिंग परिचालन के अधीन और भौगोलिक सेगमेंट के अधीन ''देशी'' के अधीन वर्गीकृत किया गया है।

सेगमेंट रिपोर्टिंग (₹ करोड़ में)

भाग ए व्यापार खण्ड	ट्रेशरी		कार्पोरेट/ थोक बैंकिंग		खुदरा बैंकिंग		अन्य बैंकिंग परिचालन		कुल	
	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15
राजस्व	4591.80	3970.83	7122.37	7161.73	6132.23	5966.69	186.80	126.31	18033.20	17225.55
परिणाम	978.11	671.45	1030.81	1 238.35	844.41	986.90	182.37	113.71	3035.70	3 010.41
अनाबंटित व्यय									2077.27	1 532.40
परिचालनगत लाभ									958.43	1 478.01
अल्पसंख्यक हित									- 0 .97	-1.75
अन्य अनाबंटनीय आय									37.74	37.06
आय कर									243.92	464.56
अपवाद स्वरूप मदें									0.00	0.00
निवल लाभ									751.28	1 048.76
अन्य जानकारी										
खण्डीय आस्तियां	54996.87	48250.98	82193.10	80320.03	67326.00	65078.44	1.06	- 449.31	204517.03	193200.14
अनाबंटित आस्तियां									- 575.95	- 164.42
कुल आस्तियां									203941.08	193035.72
खण्डीय देयताएं	54674.80	47898.96	7 693.98	70348.07	58941.26	56730.36	230.71	4.05	185540.75	174981.44
अनाबंटित देयताएं									2140.55	3025.32
आरक्षित पूंजी व अधिशेष									16259.78	15028.96
कुल देयताएं									203941.08	193035.72

The estimates of rate of escalation in salary considered in actuarial valuation, take into account inflation, seniority, promotion and other relevant factors including supply and demand in the employment market. The expected rate of return is determined considering several applicable factors, mainly the composition of plan assets held, assessed risks, historical results of return on plan assets and the company s policy for plan assets management. The retirement benefit liability in respect of staff on deputation from Indian Bank is borne by Indian Bank.

The company has contributed ₹ 20.27 Lakhs (previous year - ₹ 6.37 lakhs) towards Gratuity liability in the year 2015-16.

7.2.2 INDBANK HOUSING LTD

Companys obligation towards Gratuity Fund and details of actuarial valuation: ₹

1	Total past service gratuity	4,56,272
2	Actuarial value past service gratuity	4,56,273
3	Gratuity Fund with LIC	7,73,180
4	Contribution payable to LIC	NIL
5	Contribution paid during the year	NIL
6	Balance payable	NIL
7	Risk premium and service tax paid	1,121
8	Assumptions	
	Discounting rate	8% p.a. compound
	Projections of salary increase	8% p.a. compound

8. SEGMENT REPORTING -AS 17 (CONSOLIDATED)

As per the Reserve Bank of India guidelines on Accounting Standards, the Parents operations are classified into primary segments, ie., the business segment comprising of Treasury, Corporate/Wholesale Banking, Retail Banking and Other Banking Operations and Secondary segment being the geographical segment comprising of Domestic and International. The operations of the subsidiaries are classified under Other Banking Operations in Business segments and under Domestic in Geographical segment.

Segment Reporting (₹ in Crore)

Part A Business Segments	Treasury		Corporate/ Wholesale Banking		Retail Banking		Other Banking operations		Total	
	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15
Revenue	4591.80	3970.83	7122.37	7161.73	6132.23	5966.69	186.80	126.31	18033.20	17225.55
Result	978.11	671.45	1030.81	1 238.35	844.41	986.90	182.37	113.71	3035.70	3 010.41
Unallocated expenses									2077.27	1 532.40
Operating profit									958.43	1 478.01
Minority interest									- 0 .97	-1.75
Other unallocable income									37.74	37.06
Income Taxes									243.92	464.56
Exceptional Item									0.00	0.00
Net Profit									751.28	1 048.76
Other information										
Segment Assets	54996.87	48250.98	82193.10	80320.03	67326.00	65078.44	1.06	- 449.31	204517.03	193200.14
Unallocated assets									- 575.95	- 164.42
Total assets									203941.08	193035.72
Segment Liabilities	54674.80	47898.96	7 693.98	70348.07	58941.26	56730.36	230.71	4.05	185540.75	174981.44
Unallocated liabilities									2140.55	3025.32
Capital reserves & Surplus									16259.78	15028.96
Total liabilities									203941.08	193035.72

		भाग बी – भौगोलिक खण्ड				
	देशी		अंतर्राष्ट्रीय		कुल	
	2015-16	**2014-15**	**2015-16**	**2014-15**	**2015-16**	**2014-15**
राजस्व	17747.55	16907.86	285.65	317.69	18033.20	17225.55
आस्तियां	1 94869.37	1 84821.43	9071.71	8214.29	203 941.08	1 93035.72

- जहां प्रत्यक्ष आबंटन संभव नहीं है, खण्डीय राजस्व और व्ययों को खण्डीय आस्तियों के आधार पर प्रभाजित किया गया है। जहाँ भी आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आँकडों को पुनःसमूहित किया गया है।

9. संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (ए एस 18)

9.1 मूल संस्था

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

श्री टी.एम भसीन	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (10.06.2015 तक)
श्री बी राज कुमार	कार्यपालक निदेशक (31.05.2015 तक)
श्री महेश कुमार जैन	कार्यपालक निदेशक (01.11.2015 तक) और प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (02.11.2015 के प्रभाव से)
श्री आर सुब्रमणिय कुमार	कार्यपालक निदेशक (22.01.2016 के प्रभाव से)
श्री ए एस राजीव	कार्यपालक निदेशक (22.01.2016 के प्रभाव से)

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को वर्ष के दौरान ₹ 67.27 लाख के पारिश्रमिक का भुगतान किया गया (पिछले वर्ष ₹ 72.00 लाख)

9.2 अनुषंगी कंपनी :

9.2.1 इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लि.

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

श्री बनबिहारी पंडा	प्रेसिडेंट एवं पूर्णकालिक निदेशक (01.04.2015 से 30.11.2015 तक)
श्री ए के बाजपेयी	प्रेसिडेंट एवं पूर्णकालिक निदेशक (23.12.2015 से 31.03.2016 तक)

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को वर्ष के दौरान ₹ 22.13 लाख के पारिश्रमिक का भुगतान किया गया (पिछले वर्ष ₹14.15 लाख)

कंपनी के प्रेसिडेंट एवं पूर्णकालिक निदेशक इंडियन बैंक से प्रतिनियुक्ति पर है तथा उपर्युक्त बैंक के सर्विस नियम के अनुसार तथा कंपनी के शेयरधारकों द्वारा पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्ति के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाता है।

9.2.2 इंडियन बैंक हाउसिंग लिमिटेड

कंपनी के प्रबंध निदेशक इंडियन बैंक से प्रतिनियुक्ति पर है तथा वह अपना पारिश्रमिक उस कंपनी के प्रेसिडेंट के रूप में इंडियन बैंक मर्चेन्ट बैंकिंग सर्विस लिमिटेड से पाते है। अतः इस कंपनी द्वारा पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता है।

9.3 अन्य संबंधित पार्टियाँ सरकार नियंत्रित उद्यम हैं और इस कारण एएस–18 के पैराग्राफ 9 के अनुसार कोई प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है। आगे, एएस–18 के पेराग्राफ 5 के अनुसार बैंकर–ग्राहक संबंध के स्वरूप के लेनदेनों को प्रकट करना अपेक्षित नहीं है।

10. पट्टे (एएस 19)

10.1 मूल संस्था

ए) पट्टे/किराए पर ली गई सम्पत्तियाँ, बैंक की इच्छानुसार नवीकृत/रद्द करने योग्य हैं।

बी) बैंक के नाम पर लिए गए पट्टों की सहमत अवधि के साथ पट्टे की अवधि के दौरान सहमत कैलेंडर माह का लिखित नोटिस देकर पट्टे को निरस्त करने का प्रावधान है।

सी) परिचालनगत पट्टों के लिए प्रदत्त किराये को तत्संबंधी वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में व्यय के रूप में रखा जाता है। वर्ष के दौरान स्वीकृत पट्टा किराया 157.68 करोड़ रुपये (विगत वर्ष 124.73 करोड़ रुपये) है।

10.2 अनुषंगी कंपनियां

10.2.1 इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लि.

पट्टे पर लिए गए आस्तियों के संबंध में

पट्टे पर लिए गए आस्तियों के संबंध में, कंपनी, मूल संस्था के साथ विभिन्न कार्यालय परिसरों के लिए परिचालनात्मक पट्टे रखता है। वर्ष की समाप्ति पर, रद्द नहीं किए जा सकनेवाले परिचालनात्मक पट्टे के तहत, आवश्यक भावी न्यूनतम भुगतान निम्नवत् हैं–

		Part B Geographic Segments				
	Domestic		International		Total	
	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15
Revenue	17747.55	16907.86	285.65	317.69	18033.20	17225.55
Assets	1 94869.37	1 84821.43	9071.71	8214.29	203 941.08	1 93035.72

- Segment Revenue and expenses have been apportioned on the basis of segmental assets, wherever direct allocation is not possible. Previous year figures have been re-grouped wherever necessary.

9. RELATED PARTY DISCLOSURES (AS 18)

9.1 PARENT

Key Managerial Personnel:

Shri. T M Bhasin	Managing Director & Chief Executive Officer (upto 10.06.2015)
Shri B Raj Kumar	Executive Director (upto 31.05.2015)
Shri Mahesh Kumar Jain	Executive Director (upto 01.11.2015) & Managing Director & Chief Executive Officer (w.e.f. 02.11.2015)
Shri R Subramania Kumar	Executive Director (w.e.f. 22.01.2016)
Shri A S Rajeev	Executive Director (w.e.f. 22.01.2016)

Remuneration paid to Key Management Personnel during the year ₹ 67.27 lakhs (Previous-year - ₹72.00 lakhs)

9.2 SUBSIDIARY COMPANIES

9.2.1 INDBANK MERCHANT BANKING SERVICES LTD

Key Managerial Personnel:

Shri Banabihari Panda	President & Whole Time Director (from 01.04.2015 to 30.11.2015)
Shri A K Bajpai	President & Whole Time Director (from 23.12.2015 to 31.03.2016)

Remuneration paid to Key Management Personnel during the year ₹ 22.13 lakhs (Previous-year -₹ 14.15 lakhs)

President and Whole Time Director of the Company is on deputation from Indian Bank and the remuneration is in accordance with the service rules of the said Bank and also in terms of appointment as 'Whole Time Director' by the Shareholders of the Company.

9.2.2 IND BANK HOUSING LTD.

Managing Director of the Company is on deputation from Indian Bank and is drawing remuneration from Ind Bank Merchant Banking Services Ltd. as President of that Company. Hence no remuneration is paid by this Company.

9.3 Other related parties are State controlled Enterprises and hence no disclosures are required as per paragraph 9 of AS 18. Further, in terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of banker-customer relationship are not required to be disclosed.

10. LEASES (AS 19)

10.1 PARENT

a) The properties taken on lease / rental basis are renewable / cancellable at the option of the Bank.

b) The leases entered into by the Bank are for agreed period with an option to terminate the leases even during the currency of lease period by giving agreed calendar months notice in writing.

c) Lease rent paid for operating leases are recognized as an expense in the Profit & Loss account in the year to which it relates. The lease rent recognized during the year is ₹ 157.68 crores (Previous year – ₹ 124.73 Crore).

10.2 SUBSIDIARY COMPANIES

10.2.1 INDBANK MERCHANT BANKING SERVICES LTD

In case of assets taken on lease

The company has operating leases for office premises at various locations with the Parent. The future minimum payments required under non-cancellable operating leases at year-end are as follows:

₹ लाखों में

	31.03.2016 को	31.03.2015 को
वर्ष के लिए पट्टा भुगतान	19.90	20.76
न्यूनतम पट्टा भुगतान :		
एक साल के बाद का नहीं	0.00	0.00
एक साल के बाद परंतु पांच साल से अधिक नहीं	0.00	0.00
पांच साल के बाद	0.00	0.00

11. प्रति शेयर अर्जन (एएस 20)

विवरण	2015-16	2014-15
ईक्विटी शेयरधारकों हेतु उपलब्ध कर के बाद निवल लाभ (₹ करोड़ में)	714.51	1013.46
ईक्विटी शेयरों की संख्या	480291651	480291651
ईक्विटी शेयरों की भारित संख्या	480291651	464890798
मूल अर्जन प्रति शेयर	₹ 14.87	₹22.55
प्रति शेयर कम किया गया अर्जन	₹14.87	₹ 22.55
प्रति ईक्विटी शेयर अंकित मूल्य	₹10.00	₹10.00

12. समेकित वित्तीय विवरण (एएस 21)

समेकित वित्तीय विवरण लेखा मानक (एएस 21) के अनुसार तैयार किए गए हैं। ''समेकित वित्तीय विवरण'' को भारतीय सनदी लेखाकार संस्था (आईसीएआई) द्वारा जारी समेकित वित्तीय विवरणों और समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के समनुरूप किए गए हैं।

31.03.2016 को समेकित आंकड़ों में दो सहयोगियों यथा मेसर्स पल्लवन ग्राम बैंक व मेसर्स सप्तगिरी ग्रामीण बैंक के 36.76 करोड़ रुपये का लाभ लेखा परीक्षित नहीं है

13. आय पर करों के लिए लेखाकरण (एएस 22)

13.1 मूल संस्था

डीटीए (आस्थगित कर आस्तियाँ) / डीटीएल (आस्थगित कर देयताएँ) के मुख्य घटक निम्न प्रकार हैं :

डीटीए / डीटीएल संघटक

₹ करोड़ में

घटक	31.03.2016	31.03.2015
आस्थगित कर आस्तियां		
1. भुगतान/क्रिस्टाइलेजेशन पर अनुमेय, देयताओं का प्रावधान	70.92	186.60
2. अप्रयुक्त अवकाश के लिए प्रावधान	0.00	0.56
3. विगत वर्षों में संदिग्ध ऋणों के लिए दावा नहीं किये गए भत्ते	0.28	0.00
कुल–डीटीए	**71.20**	**187.16**
आस्थगित कर देयताएं		
1. स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास	61.04	56.07
2. सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	0.00	283.04
3. बट्टे खाते में डाली गई आस्तियों हेतु प्रावधान	504.21	504.21
4. स्टाफ कल्याण व्यय	5.71	5.71
5. आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (i) (viii) के अधीन विशेष आरक्षितियों पर डीटीएल*.	213.11	203.42
कुल – डीटीएल	**784.07**	**1052.45**
निवल डीटीए / डीटीएल	**(712.88)**	**(865.28)**

₹ in lakhs

	As on 31.03.2016	As on 31.03.2015
Lease payments for the year	19.90	20.76
Minimum Lease payments:		
Not later than one year	0.00	0.00
Later than one year but not later than five years	0.00	0.00
Later than five years	0.00	0.00

11. EARNINGS PER SHARE (AS 20)

Particulars	2015-16	2014-15
Net Profit after tax available for equity shareholders (₹Crore)	714.51	1013.46
Number of Equity Shares	480291651	480291651
Weighted Number of equity shares	480291651	464890798
Basic Earning Per Share	₹ 14.87	₹22.55
Diluted Earning Per Share	₹14.87	₹ 22.55
Nominal value per Equity Share	₹10.00	₹10.00

12. CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT (AS 21)

The consolidated financial statements are prepared in accordance with the Accounting Standard (AS 21). "Consolidated Financial Statements" issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the guidelines issued by the Reserve Bank of India on preparation of Consolidated Financial Statements.

Consolidated figures as on 31.03.2016 includes unaudited profit of ₹ 36.76 crore of three Associates viz, M/s Pallavan Grama Bank , M/s Sapthagiri Grameena Bank and Puduvai Bharathiar Grama Bank.

13. ACCOUNTING FOR TAXES ON INCOME (AS 22)

13.1 PARENT

The major components of DTA (Deferred Tax Assets) / DTL (Deferred Tax Liabilities) are as follows:

DTA / DTL components

₹ in Crore

Components	31.03.2016	31.03.2015
Deferred Tax Assets		
1. Liabilities provision allowable on payment /crystallization	70.92	186.60
2. Provision for unutilized leave	0.00	0.56
3. Unclaimed allowance for doubtful debts in prior years	0.28	0.00
TOTAL- DTA	**71.20**	**187.16**
Deferred Tax Liabilities		
1. Depreciation on Fixed Assets	61.04	56.07
2. Interest on Government securities	0.00	283.04
3. Provision for Written-off Accounts	504.21	504.21
4. Staff Welfare Retrieval	5.71	5.71
5. DTL on Special Reserves u/s 36(i)(viii) of Income Tax Act, 1961	213.11	203.42
TOTAL – DTL	**784.07**	**1052.45**
NET DTA/ (DTL)	**(712.88)**	**(865.28)**

13.2 अनुषंगी कंपनियां

13.2.1 इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विस लि.

आस्थगित कर परिसंपत्ति/देयता के मुख्य घटक निम्न प्रकार हैं। ₹

	आस्थगित कर			
	31.3.2016 को		31.3.2015 को	
	आस्ति	देयताएं	आस्ति	देयताएं
I) मूल्यह्रास–योग्य आस्तियों में समय का अंतर		34457693		35785016
ii) अशोध्य ऋणों व एनपीए के लिए प्रावधान	74114716		77371858	
iii) अन्य	2508869		1720049	
कुल	**76623585**	**34457693**	**79091907**	**35785016**
निवल डीटीए / (डीटीएल)	**42165892**		**43306891**	

14. एएस 24 के अन्तर्गत प्रकटीकरण अपेक्षाएं – बंद परिचालन

14.1 इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विस लि.

कंपनी ने दिसंबर 1997 से लागू हुए सेबी विनियमन के फलस्वरूप निधि आधारित क्रियाकलापों को बंद किया और केवल शुल्क आधारित क्रियाकलापों को लेने का निर्णय लिया था। दिसंबर 1997 तक विद्यमान निधि आधारित एकस्पोज़र उनकी संविदाकृत अवधि समाप्त होने तक जारी रखे गए हैं। स्थायी जमाओं की पुनरदायगी और दावा न की गई स्थायी जमाओं को जब कभी उनका दावा किया जाता है, उनकी पुनरदायगी करने के लिए एक राष्ट्रीयकृत बैंक में एस्क्रो खाते में अंतरण करने के बाद कंपनी ने भारतीय रिज़र्व बैंक से एनबीएफसी के रूप में पंजीकरण के रद्द किये जाने की अनुमति प्राप्त की है। अब कंपनी केवल सेबी विनियमनों द्वारा नियंत्रित है।

व्यापार घटकों को सेवा का स्वरूप संगठनात्मक संरचना और आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक खंड के रूप में पहचाना गया है। रिपोर्ट की गई व्यापार सेवा का वर्गीकरण ''बंद किये जा रहे परिचालन'' (निधि आधारित) और ''जारी परिचालन (शुल्क आधारित) के रूप में किया गया है। बंद किये जा रहे परिचालनों में पट्टे पर देना, भाडा खरीदी, अंतर कॉर्पोरेट जमाएं एवं निवेश आदि हैं। जारी रखे जानेवाले परिचालनों में मर्चेंट बैंकिंग, स्टॉफ बैंकिंग, निक्षेपागार प्रतिभागी सेवाएं, वित्तीय उत्पादों का वितरण और उससे संबंधित कार्यकलाप शामिल हैं। रिपोर्ट करने योग्य कोई गौण खंड नहीं है।

15. मूल बैंक ने 897.48 लाख रुपये की राशि की चुकौती के लिए 3 साल की अधिस्थगन अवधि सितंबर 2013 से सितंबर 2016 तक को मुआविज़ा का अधिकार खंड के तहत 31.03.2017 को समाप्त होने वाले वर्ष से शुरू होने वाली प्रति छमाही 75 लाख रुपये की चुकौती को अधिस्थगन/चुकौती अवधि के लिए बिना किसी ब्याज प्रभार के अनुमोदित कर दिया है ।अतः वर्तमान वित्तीय वर्ष में बहियों में कोई देयता नहीं दर्शाया गया है।

16. मूल संस्था

विविध आय में

I. वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाले गए खातों में वसूली गई ₹ 247.42 करोड की राशि शामिल है (पिछले वर्ष ₹ 159.96 करोड)

ii. ₹ 125.06 करोड़ (पिछले वर्ष ₹.126.71 करोड़) वर्ष के दौरान संसाधन प्रभार की वसूली है।

17. बैंक एश्यूरेन्स कारोबार

मूल संस्था

विभिन्न बैंक एश्यूरेन्स उत्पादों की बिक्री/विपणन से, बैंक ने इस वर्ष के दौरान ₹ 9.15 करोड का आढ़त कमाया (पिछले वर्ष यह ₹ 6.16 करोड़) था।

₹ करोड़ में

क्रमांक	आय की प्रकृति	2015-16	2014-15
1	जीवन बीमा पालिसी बेचने के लिए	5.18	2.52
2	गैर–जीवन बीमा पालिसी बेचने के लिए	3.62	3.17
3	अन्य – म्युचुअल फंड उत्पाद बेचने के लिए	0.35	0.47
	कुल	**9.15**	**6.16**

18. **मूल संस्था :** आस्तियों की बिक्री पर होनेवाली हानि एवं लाभ के सम्बन्ध में परिणाम को वित्तीय आस्तियों की बिक्री पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 11.03. 2015 के परिपत्र सं. बीपी.बीसी. 75/21.04.048/2014-15 के तत्पश्चात पिछले वर्षों के लिए किए गए प्रावधान ₹52.75 को प्रत्यावर्तित किया है तथा इसके परिणाम स्वरूप दि. 31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ पर प्रभाव पड़ा है.

19. 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष में अनुपालन में लाई गईं लेखा नीतियों के अनुरूप 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वित्तीय परिणाम निकाले गए हैं ।

20. अतिरिक्त प्रकटीकरण

मूल संस्था

बैंक के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, बैंक द्वारा पहचान की गई एमएसएमई इकाइयों को बैंक से कोई बकाया देय नहीं है, जोकि एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत निर्धारित समय सीमा के बाहर है और लंबित है और वर्ष के दौरान ऐसी पार्टियों के लिए मूल राशि की स्वीकृत देयताओं के विलंबित भुगतान अथवा उनपर ब्याज के कोई मामले दर्ज नहीं किए गए।

21. जहां भी आवश्यक हो, चालू वर्ष के आंकडे के अनुरूप बनाने के लिए पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहित/ पुनःवर्गीकृत किया गया है।

13.2 SUBSIDIARY COMPANIES

13.2.1 INDBANK MERCHANT BANKING SERVICES LTD

The major components of deferred tax asset/liability are as below: ₹

	Deferred Tax			
	As on 31.3.2016		As on 31.3.2015	
	Asset	Liability	Asset	Liability
i) Timing difference in depreciable assets		34457693		35785016
ii) Provision for Bad debts and NPAs	74114716		77371858	
iii) Others	2508869		1720049	
Total	**76623585**	**34457693**	**79091907**	**35785016**
NET DTA / (DTL)	**42165892**		**43306891**	

14. DISCLOSURE REQUIREMENTS UNDER AS 24 – DISCONTINUED OPERATIONS

14.1 INDBANK MERCHANT BANKING SERVICES LTD

The Company had discontinued fund-based activities consequent to SEBI regulations coming into force with effect from December 1997 and had decided to undertake only fee-based activities. The existing fund based exposures as on December 1997 are continued to run down to their contracted period. The Company had obtained cancellation of registration as NBFC from RBI consequent to repayment of fixed deposits and transfer of unclaimed fixed deposits to an escrow account with a nationalised bank for repayment as and when claimed. The Company is now governed only by SEBI regulations.

The business segments have been identified as the Primary Segment considering the nature of service, organisational structure and internal financial reporting system. The services of the reported domestic business segments are classified as "Discontinuing operations" (Fund Based) and "Continuing Operations" (Fee Based). Discontinuing operations consists of Leasing, Hire purchase, Intercorporate deposits and Investments. Continuing operations include Merchant Banking, Stock Broking, Depository Participant services, Distribution of Financial Products and allied activities. There is no Secondary Reportable Segment.

15. The parent Bank has approved a moratorium period of 3 years from September 2013 to September 2016 for repayment of the amount of ₹ 897.48 lakhs payable to them under the Right of Recompense clause with repayment of ₹ 75 lakhs per half year to commence from the half year ending 31.03.2017 without any interest charge for the period of moratorium/repayment. Hence no liability has been provided in the books for the current financial year.

16. PARENT

Miscellaneous income includes:

I. A sum of ₹247.42 Crore (previous year ₹ 159.96 Crore) being recovery in written off accounts

ii. ₹ 125.06 Crore (previous year ₹ 126.71Crore) being recovery of processing charges during the year

17. BANCASSURANCE BUSINESS

PARENT

During the current year, the Bank has earned commission etc, to the extent of ₹ 9.15 Crore on sales/ marketing of various Bancassurance products (previous year ₹ 6.16 Crore).

₹ in Crore

Sl. No.	Nature of Income	2015-16	2014-15
1	For Selling Life Insurance Policies	5.18	2.52
2	For selling Non-life insurance policies	3.62	3.17
3	Others – For selling Mutual Fund Products	0.35	0.47
	Total	**9.15**	**6.16**

18. **PARENT :** Pursuant to Reserve Bank of India circular No.DBR.No.BP.BC.75/21.04.048/2014-15 dt 11th March, 2015, on sale of financial assets regarding treatment of loss and profit made on sale of accounts, excess provision of earlier years of ₹ 52.75 crore has been reversed and has a consequential impact on profit during the year ended 31.03.2016.

19. The financial results for the year ended 31st March, 2016 have been arrived at following the same Accounting Policies as those followed for the year ended March 31, 2015.

20. ADDITIONAL DISCLOSURES

PARENT

As per information available with the Bank, there is no outstanding dues payable by the Bank to MSME units identified by the Bank, which is pending beyond the time limit prescribed under MSMED Act, 2006 and there have been no reported cases of accepted liability of delayed payments of principal amount or interest thereon for such parties during the year.

21. Previous year's figures have been regrouped / reclassified, wherever necessary, to conform to current year's figures.

समेकित वित्तीय विवरणियों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,
निदेशक मंडल
इंडियन बैंक

समेकित वित्तीय विवरणों संबंधी रिपोर्ट

1. हमने इंडियन बैंक और इसकी अनुषंगियों और सहयोगी संस्थाओं, जिन्हें आगे सामूहिक रूप से समूह के रूप में संदर्भित कर दिया गया, की संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है और समेकित वित्तीय विवरणों में 31 मार्च 2016 तक का समेकित तुलनपत्र, इस वर्ष हेतु समेकित लाभ तथा हानि खाता और समेकित नकदी प्रवाह विवरण, इसके साथ सार्थक खाता नीतियों का सार और अन्य विवरणात्मक सूचना शामिल है ।समेकित वित्तीय विवरण निम्नपर आधारित है।

(ए) हमारे द्वारा लेखा परीक्षित बैंक के वित्तीय विवरण

(बी) अन्य लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षित दो अनुषंगियों के वित्तीय विवरण और

(सी) अन्य लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षित तीन सहयोगियों का वित्तीय विवरण

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्वः

2. प्रबंधन उन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करता है जो भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण तत्वों के अनुसार समूह की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय निष्पादन और समेकित नकदी प्रवाह का सही और उचित रूप दर्शाते हैं। इस उत्तरदायित्व में इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने एवं प्रस्तुत करने से संबंधित आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है, जो सही और निष्पक्ष दृश्य दिखाते हैं एवं जोकि तात्विक गलत कथनों से, चाहे वे धोखाधड़ी या गलती के कारण हो, मुक्त हैं।

3. बैंक द्वारा इन समेकित वित्तीय विवरणों को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी एएस 21 (समेकित वित्तीय विवरण), एएस 23 (समेकित वित्तीय विवरणों में ऐसोसिएट्स में निवेश हेतु लेखांकन) व एएस 27 (संयुक्त उद्यम में ब्याज की वित्तीय रिर्पोटिंग) की आवश्यकताओं एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार बनाए गए हैं।

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारीः

4. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन समेकित वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना हमारा उत्तरदायित्व है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा लेखापरीक्षण पर जारी मानकों के अनुसार हमने अपनी लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के अनुसार हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करते हैं और इस युक्तियुक्त आश्वासन की प्राप्ति के लिए लेखापरीक्षण की आयोजना और लेखापरीक्षण करते हैं कि ये वित्तीय विवरण तात्विक गलत कथनों से मुक्त हैं।

5. लेखापरीक्षा की प्रक्रिया में समेकित वित्तीय विवरणों में दी गई राशियों और प्रकटीकरण से संबंधित लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किये जाते हैं। प्रक्रियाओं का चयन लेखापरीक्षकों के निर्णय पर निर्भर करता है, जिसमें समेकित वित्तीय विवरणों में तात्विक गलत कथनों, चाहे वे धोखाधड़ी से हो या गलती से हो, के जोखिम का निर्धारण करना है। इन जोखिमों के निर्धारण में, लेखापरीक्षक बैंक द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों को बनाने और उचित प्रस्तुतीकरण पर विचार करता है जिससे कि वह लेखापरीक्षण प्रक्रियाओं को डिज़ाइन कर सके जो परिस्थितियों के समीचीन हो, लेकिन समूह की आंतरिक नियंत्रण के विचार की अभिव्यक्ति के प्रभावशील उद्देश्य के लिए नहीं है। प्रयुक्त लेखांकन नीतियों के औचित्य का मूल्यांकन, प्रबंधन द्वारा किए गए लेखाकरण अनुमानों की युक्तियुक्तता, साथ ही समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी लेखा–परीक्षा में शामिल है।

6. हम विश्वास करते हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे पर्याप्त हैं और हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार हेतु उपर्युक्त हैं।

अभिमत

7. हमारी राय में, और हमारी श्रेष्ठतम जानकारी तथा हमें दिये गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और अनुषंगियों हेतु दूसरे परीक्षकों के निम्नोक्त वित्तीय विवरणों को ध्यान में रखकर, समेकित वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखा प्रणालियों के समनुरूप सही एवं वास्तविक चित्र प्रकट करता है।

   (ए) 31 मार्च 2016 को समूह के कार्यों के समेकित तुलन पत्र के बाबत

   (बी) उस तारीख को बैंक के लाभ संबंधी समेकित लाभ व हानि लेखे के बाबत और

   (सी) उस तारीख को बैंक के नकदी प्रवाह संबंधी समेकित नकदी प्रवाह विवरण के बाबत

अन्य मामले

8. हमने निम्नांकित वित्तीय विवरणियों का लेखा परीक्षण नहीं किया हैः

   ए. दो अनुषंगियों जिनका वित्तीय विवरण 31 मार्च 2016 तक ₹ 41.56 करोड़ की कुल अस्तियों, ₹ 8.33 करोड़ का कुल राजस्व, और निवल नकद बहिर्प्रवाह राशि साल के समाप्ति पर शून्य दर्शाता है।

   बी. साल की समाप्ति पर तीन सहयोगी समूह के निवल लाभ का शेयर ₹ 37.74 करोड़ रुपए दर्शाते हैं।

इन वित्तीय विवरणियाँ का अन्य परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षण किया गया जिसकी रिपोर्ट हमें प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत की गयी है और हमारी राय पूर्णतः अन्य लेखा परीक्षा की रिपोर्ट पर आधारित है।

कृते एस पी पुरी एण्ड कंपनी
For S. P. PURI & CO.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No.001152N

विदुर पुरी
VIDUR PURI
साझेदार Partner
(एम.सं. M. No. 090163)

कृते सी के पृस्टि एण्ड असोसियेट्स
For C. K. PRUSTY & ASSOCIATES
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No.323220E

सी के पृस्ती
C K PRUSTY
साझेदार Partner
(एम.सं. M. No 057318)

कृते पद्मनाभन रमणी और रामानुजम
For PADMANABHAN RAMANI & RAMANUJAM
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No.002510S

आर पद्मनाभन
R PADMANABHAN
साझेदार Partner
(एम.सं. M. No 013216)

कृते जी बालु असोसियेट्स
For G BALU ASSOCIATES
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No.000376S

जी बालसुब्रमण्यन
G BALASUBRAMANYAN
साझेदार Partner
(एम.सं. M No. 7628)

कृते प्रकाश चंन्द्र जैन एण्ड कंपनी
For PRAKASH CHANDRA JAIN & CO
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
एफआर सं. FR No.002438C

पी सी नलवाया
P.C. NALWAYA
साझेदार Partner
(एम.सं. M No. 033710)

स्थान : चेन्नै
Place : Chennai
दिनांक : Date : 11-05-2016

Independent Auditors' Report on the Consolidated Financial statements

TO
THE BOARD OF DIRECTORS
INDIAN BANK

Report on the Consolidated Financial Statements

1. We have audited the accompanying consolidated financial statements of INDIAN BANK ("the Bank") and its subsidiaries and associates collectively hereinafter referred to as "the Group" and the consolidated financial statements comprise the consolidated Balance Sheet as at 31st March 2016, the Consolidated Profit and Loss Account and Consolidated Cash Flow Statement for the year then ended together with a summary of significant accounting policies and other explanatory information. The consolidated financial statements are based on –
   (a) Financial statements of the Bank audited by us;
   (b) Financial statements of two subsidiaries audited by other auditors; and
   (c) Financial statements of three Associates audited by other auditors.

Management's Responsibility for the Consolidated Financial Statements

2. Management is responsible for the preparation of these consolidated financial statements that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flows of the Group in accordance with accounting principles generally accepted in India. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation and presentation of the consolidated financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
3. These Consolidated Financial Statements have been prepared by the Bank in accordance with the requirements of AS 21 (Consolidated Financial Statements), AS 23 (Accounting for Investment in Associates in Consolidated Financial Statements) and AS 27 (Financial Reporting of Interest in Joint Venture) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the guidelines issued by the Reserve Bank of India.

Auditor's Responsibility

4. Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.
5. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the Group's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purposes of expressing an opinion on effectiveness of the Group's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.
6. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

7. In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the considerations of the reports of the other auditors on the financial statements of the subsidiaries as noted below, the consolidated financial statements give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:
   (a) in the case of the Consolidated Balance Sheet, of the state of affairs of the Group as at 31st March 2016;
   (b) in the case of the Consolidated Profit and Loss Account, of the profit for the year ended on the date; and
   (c) in the case of the Consolidated Cash Flow Statement, of the cash flows for the year ended on that date.

Other Matters

8. We did not audit the financial statements of-
   a. Two Subsidiaries, whose financial statements reflect total assets of ₹ 41.56 Crores as at 31st March 2016, total revenues of ₹ 8.33 Crores and net cash outflows amounting to NIL for the year then ended;
   b. Three Associates reflecting share of net profit of the Group of ₹37.74 Crores for the year then ended.

These financial statements have been audited by other auditors whose reports have been furnished to us by the Management, and our opinion is based solely on the reports of the other auditors.

For S. P. PURI & CO.	For C. K. PRUSTY & ASSOCIATES	For PADMANABHAN RAMANI & RAMANUJAM
Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants
FR No.001152N	FR No.323220E	FR No.002510S
VIDUR PURI	C.K. PRUSTY	R. PADMANABHAN
Partner	Partner	Partner
(M. No. 090163)	(M. No. 057318)	(M. No. 013216)

For G. BALU ASSOCIATES	For PRAKASH CHANDRA JAIN & CO
Chartered Accountants	Chartered Accountants
FR No.000376S	FR No.002438C
G. BALASUBRAMANYAN	P.C. NALWAYA
Partner	Partner
(M No. 7628)	(M No. 033710)

Place : Chennai
Date : 11.05.2016

बेसल III - पिल्लर III प्रकटीकरण

मार्च 31, 2016

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किए अनुसार बेसल III अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए अतिरिक्त प्रकटीकरण

सारणी डी एफ – 1

अनुप्रयोग का क्षेत्राधिकार

बैंकिंग ग्रूप के प्रमुख का नाम, जिसपर यह ढाँचा लागू होता है : इंडियन बैंक

(I) गुणात्मक प्रकटीकरण :

ए. समेकन के लिए जिन ग्रूप उपक्रमों की सूची पर विचार किया जाता है

उपक्रम का नाम / पंजीकरण जिस देश में किया गया है	क्या उपक्रम को लेखाकरण के समेकन के क्षेत्राधिकार में शामिल किया गया है? (हाँ/नहीं)	समेकन के तरीके को स्पष्ट करें	क्या उपक्रम को समेकन के विनियामक क्षेत्राधिकार में शामिल किया गया है? (हाँ/नहीं)	समेकन के तरीके को स्पष्ट करें	समेकन के तरीकों में अंतर के कारणों को स्पष्ट करें	यदि क्षेत्राधिकारों की पहुंच में से एक के अधीन ही समेकन किया गया है तो उसके कारणों को स्पष्ट करें
इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज़ लि. (अनुषंगी)	हाँ	लेखाकरण मानक 21 – समेकित वित्तीय विवरण के अनुरूप समेकित	हाँ	लेखाकरण मानक 21 – समेकित वित्तीय विवरण के अनुरूप समेकित	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**
इंडबैंक हाउसिंग लि. (अनुषंगी)	हाँ	लेखाकरण मानक 21 – समेकित वित्तीय विवरण के अनुरूप समेकित	हाँ	लेखाकरण मानक 21 – समेकित वित्तीय विवरण के अनुरूप समेकित	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**
पल्लवन ग्राम बैंक (एसोसिएट्स)	हाँ	लेखाकरण मानक 23 – समेकित वित्तीय विवरण के अनुरूप ईक्विटी पद्धति के अंतर्गत समेकित	नहीं	**लागू नहीं**	एसोसिएट्स माना गया है	पूँजी पर्याप्तता के प्रयोजनों के लिए जोखिम भारित
सप्तगिरि ग्रामीण बैंक (एसोसिएट्स)	हाँ	लेखाकरण मानक 23 – समेकित वित्तीय विवरण के अनुरूप ईक्विटी पद्धति के अंतर्गत समेकित	नहीं	**लागू नहीं**	एसोसिएट्स माना गया है	पूँजी पर्याप्तता के प्रयोजनों के लिए जोखिम भारित
पुदुवै भारतियार ग्राम बैंक (एसोसिएट्स)	हाँ	लेखाकरण मानक 23 – समेकित वित्तीय विवरण के अनुरूप ईक्विटी पद्धति के अंतर्गत समेकित	नहीं	**लागू नहीं**	एसोसिएट्स माना गया है	पूँजी पर्याप्तता के प्रयोजनों के लिए जोखिम भारित

Basel III-Pillar III Disclosures
March 31,2016

ADDITIONAL DISCLOSURES IN TERMS OF COMPLIANCE OF BASEL III REQUIREMENTS AS STIPULATED BY RBI

Table DF – 1

Scope of Application

Name of the head of the banking group to which the framework applies: Indian Bank

(i) Qualitative Disclosures:

a. List of group entities considered for consolidation

Name of the entity / Country of incorporation	Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (yes / no)	Explain the method of consolidation	Whether the entity is included under regulatory scope of consolidation (yes / no)	Explain the method of consolidation	Explain the reasons for difference in the method of consolidation	Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
IndBank Merchant Banking Services Ltd. (Subsidiary)	Yes	Consolidated in accordance with Accounting Standard 21- Consolidated Financial Statement	Yes	Consolidated in accordance with Accounting Standard 21- Consolidated Financial Statement	Not Applicable	Not Applicable
Ind Bank Housing Ltd (Subsidiary)	Yes	Consolidated in accordance with Accounting Standard 21- Consolidated Financial Statement	Yes	Consolidated in accordance with Accounting Standard 21- Consolidated Financial Statement	Not Applicable	Not Applicable
Pallavan Grama Bank (Associates)	Yes	Consolidated under Equity Method in accordance with Accounting Standard 23- Consolidated Financial Statement	No	Not Applicable	Treated as associates	Risk weighted for capital adequacy purposes
Saptagiri Grameena Bank (Associates)	Yes	Consolidated under Equity Method in accordance with Accounting Standard 23- Consolidated Financial Statement	No	Not Applicable	Treated as associates	Risk weighted for capital adequacy purposes
Puduvai Bharathiar Grama Bank (Associates)	Yes	Consolidated under Equity Method in accordance with Accounting Standard 23- Consolidated Financial Statement	No	Not Applicable	Treated as associates	Risk weighted for capital adequacy purposes

बी .ग्रूप उपक्रमों की सूची जिन पर समेकन के लिए विचार नहीं किया गया है दोनों लेखाकरण और विनियामक मानक के क्षेत्राधिकर के अधीन :

उपक्रम का नाम / पंजीकरण जिस देश में किया गया है	उपक्रम का मुख्य कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक उपक्रम के लेखाकरण तुलन पत्र में दर्शाए अनुसार)	कुल ईक्विटी में बैंक की धारित का %	उपक्रम की पूँजीगत लिखतों में बैंक के निवेशों का विनियामक व्यवहार	कुल तुलन पत्र की आस्तियां (विधिक उपक्रम के लेखाकरण तुलन पत्र में उल्लिखित रूप से)
शून्य					

(ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण :

सी) समेकन के लिए जिन ग्रूप उपक्रमों पर विचार किया गया है : **(₹ मिलियन में)**

उपक्रम का नाम / पंजीकरण जिस देश में किया गया है (ऊपर (i) ए में दिखाए अनुसार)	उपक्रम के मुख्य कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक उपक्रम के लेखाकरण तुलन पत्र में दर्शाए अनुसार)	कुल तुलन पत्र की आस्तियां (विधिक उपक्रम के लेखाकरण तुलन पत्र में उल्लिखित रूप से)
इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज़ लि. (भारत)	**मर्चेंट बैंकिंग सेवाएं**	443.78	577.09
इंडबैंक हाउसिंग लि. (भारत)	**आवास वित्त**	100.00	1390.95

डी. सभी अनुषंगियों में पूँजीगत कमियों की कुल राशि, जिन्हें समेकन के विनियामक दायरे में नहीं लाया गया है, अर्थात, जिनकी कटौती की गई है :

उपक्रमों का नाम / पंजीकरण जिस देश में किया गया है	उपक्रम का मुख्य कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक उपक्रम के लेखाकरण तुलन पत्र में दर्शाए अनुसार)	कुल ईक्विटी में बैंक की धारिता का प्रतिशत	पूँजी कमियाँ
शून्य				

ई. बीमा उपक्रमों में बैंक के कुल हितों की सकल राशि (चालू बही मूल्य), जो जोखिम भारित हैं :

बीमा उपक्रमों का नाम / पंजीकरण जिस देश में किया गया है	उपक्रम का मुख्य कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक उपक्रम के लेखाकरण तुलन पत्र में दर्शाए अनुसार)	कुल ईक्विटी में बैंक की धारिता का % / मतदान अधिकार का अनुपात	पूर्ण कटौती पद्धति की तुलना में जोखिम भारित पद्धति के प्रयोग से विनियामक पूंजी पर मात्रात्मक प्रभाव
लागू नहीं				

एफ. बैंकिंग समूह के अंदर ही निधि या विनियामक पूंजी के अंतरण पर कोई प्रतिबंध या बाधाएं :

बैंकिंग समूह के अंदर निधि या विनियामक पूंजी के अंतरण पर कोई प्रतिबंध या बाधाएं नहीं हैं।

b. List of group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation:

Name of the entity / country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of bank's holding in the total equity	Regulatory treatment of bank's investments in the capital instruments of the entity	Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
NIL					

(ii) Quantitative Disclosures:

c. List of group entities considered for consolidation: (₹ in Million)

Name of the entity / country of incorporation (as indicated in (i)a. above)	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
IndBank Merchant Banking Services Ltd (India)	Merchant Banking services	443.78	577.09
Ind Bank Housing Ltd (India)	Housing Finance	100.00	1390.95

d. The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e. that are deducted:

Name of the subsidiaries / country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of bank's holding in the total equity	Capital deficiencies
NIL				

e. The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted:

Name of the insurance entities / country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity *(as stated in the accounting balance sheet of the legal entity*	% of bank's holding in the total equity / proportion of voting power	Quantitative impact on regulatory capital of using risk weighting method versus using the full deduction method
NOT APPLICABLE				

f. Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital with in the banking group:

There is no restriction or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group.

सारणी डीएफ – 2 : पूँजी पर्याप्तता

पूँजी पर्याप्तता का निर्धारण :

(ए) बैंक अप्रत्याशित हानियों के लिए पूंजी रखती है ताकि जमाकर्ताओं के हित, सामान्य ऋणदाताओं तथा अन्य पण्यधारकों को किसी भी अप्रत्याशित हानि से बचाया जा सके।

भारिबैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंकों को न्यूनतम सामान्य ईक्विटी टियर–I (सीईटी I) का 6.125 प्रतिशत तथा न्यूनतम सीआरएआर का 9.625 प्रतिशत रखना है। बैंक सामान्य ईक्विटी टियर I (सीईटी I) का 6.125 प्रतिशत से अधिक और सीआरएआर का 9.625 प्रतिशत से अधिक रख रहा है।

(बी) भारिबैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने पूँजी पर्याप्तता का निर्धारण करने हेतु निम्नलिखित जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण को अपनाया है।

- **ऋण जोखिम** : माननीकृत दृष्टिकोण
- **बाज़ार जोखिम** : माननीकृत अवधि दृष्टिकोण
- **परिचालन जोखिम** : आधारभूत सूचक दृष्टिकोण

(सी) बैंक, पिल्लर I तथा II दोनों के अधीन भावी पूँजी आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित आंतरिक पूँजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) रखता है। बैंक, व्यापार प्रक्षेपणों, नीतिगत दिशानिर्देशों, मैक्रो अर्थशास्त्र परिदृश्य तथा जोखिम प्रोफाइल के आधार पर अगले तीन वित्तीय वर्षों के लिए पूँजी का पूर्वानुमान लगाता है।

(डी) पिल्लर II के अधीन बैंक पूँजी का मूल्यांकन / योजना बनाते समय निम्नलिखित को जोखिम समझता है :

- तरलता जोखिम
- ऋण केन्द्रीकरण जोखिम
- बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम
- पेंशन बाध्यता जोखिम
- मानकीकरण दृष्टिकोण के अधीन ऋण जोखिम को कम महत्व देना
- रणनीतिगत जोखिम
- साख जोखिम
- प्रतिपक्षी ऋण जोखिम

आइसीएएपी नीति के अनुसार, बैंक ने 12 प्रतिशत पूंजी का एक आंतरिक लक्ष्य बनाया है ।

(ई) बैंक अपनी लाभप्रदता तथा पूँजी पर्याप्तता पर आस्ति गुणता, तरलता, ब्याज दर, डेरीवेटिव तथा फॉरेक्स की तनावग्रस्त स्थिति या तनावग्रस्त परिस्थितियों में विभिन्न जोखिम क्षेत्रों का तनाव परीक्षण आवधिक तौर पर करता है।

एक व्यापक तनाव परीक्षण फ्रेमवर्क बनाया गया है। बैंक, भारिबैंक द्वारा निर्धारित स्थितियों के आधार पर तथा बैंक की विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर तनाव परीक्षण त्रैमासिक अवधि में करता हैं।

बैंक, तनाव परीक्षण के अंग के रूप में निम्नलिखित जोखिमों पर असर का मूल्यांकन करेगा :

- ऋण जोखिम
- बाजार जोखिम
- ऋण केन्द्रीकरण जोखिम
- चूक जोखिम
- तरलता जोखिम
- बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

बैंक, तिमाही तौर पर तनाव परीक्षण का आयोजन करता है तथा उसके परिणाम बोर्ड की ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) / जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) को प्रस्तुत किया जाता है।

Table DF - 2 : Capital Adequacy

Assessment of Capital Adequacy:

(a) Bank maintains capital to protect the interest of depositors, general creditors and stake holders against any unforeseen losses

As per the RBI guidelines, Banks have to maintain a Minimum Common Equity Tier 1 (CET 1) of 6.125% (including Capital Conservation Buffer of 0.625%) and minimum CRAR of 9.625%. Bank maintains Common Equity Tier 1 (CET 1) of more than 6.125% and CRAR of more than 9.625%.

(b) In line with RBI guidelines, Bank has adopted following risk management approaches for assessing the capital adequacy:

- **Credit Risk:** Standardised Approach
- **Market Risk:** Standardised Duration Approach
- **Operational Risk:** Basic Indicator Approach

(c) Bank has Board approved Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) Policy to assess future capital requirements both under Pillar I and Pillar II. Bank projects capital for the next 3 financial years based on business projections ,policy guidelines, macro-economic scenarios, risk appetite etc

(d) Under Pillar II, Bank considers the following as risks while assessing / planning capital:

- Liquidity Risk
- Credit Concentration Risk
- Interest Rate Risk in Banking Book
- Pension Obligation Risk
- Under estimation of Credit risk under Standardized approach
- Strategic Risk
- Reputation Risk
- Counterparty Credit Risk

As per the ICAAP policy, bank has set an internal target capital of 12%

(e) Bank also periodically undertakes stress testing in various risk areas to assess the impact of stressed scenario or plausible events on asset quality, liquidity, interest rate, derivatives and forex on its profitability and capital adequacy.

A comprehensive stress testing framework is put in place. Bank conducts stress test on quarterly basis based on scenarios prescribed by RBI as well as bank specific scenarios. The Stress test results were placed to various apex level committees.

The Bank assesses the impact on the following risks, as part of Stress Test:

- Credit Risk
- Market Risk
- Credit Concentration Risk
- Default Risk
- Liquidity Risk
- Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB)

Bank is conducting the Stress Test on quarterly basis and the result of the same is placed to Credit Risk Management Committee (CRMC)/Risk Management Committee (RMC) of the Board.

मात्रात्मक प्रकटीकरण (बेसल III दिशानिर्देशों के अनुसार)

(ए) ऋण जोखिम हेतु पूँजी आवश्यकताएँ : (₹ मिलियन में)

विवरण	एकल (सार्वभौमिक)	समेकित
मानकीकृत अभिगम के अद्यधीन संविभाग	94892.62	94936.50
प्रतिभूतिकरण ऋण	शून्य	शून्य

(बी) बाज़ार जोखिम हेतु पूँजी आवश्यकताएं (₹ in Million)

मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण

विवरण	एकल (सार्वभौमिक)	समेकित
ब्याज दर जोखिम	8972.51	8972.51
विदेशी विनिमय जोखिम (स्वर्ण सहित)	72.00	72.00
ईक्विटी जोखिम	3504.91	3504.91

(सी) परिचालनगत जोखिम हेतु पूंजीगत आवश्यकताएं (₹ मिलियन में)

विवरण	एकल (सार्वभौमिक)	समेकित
मूल संकेतक अभिगम	8373.82	8593.24

(डी) सामान्य ईक्विटी टियर 1 (सीईटी1),टियर 1 तथा कुल पूंजी अनुपात बेसल III दिशानिर्देशों के अनुसार

विवरण	एकल (सार्वभौमिक)	समेकित
समेकितसामान्य ईक्विटी टियर 1 (सीईटी)	11.68%	11.83%
टियर 1 पर्याप्तता अनुपात	12.08%	12.23%
कुल पूँजी पर्याप्तता अनुपात	13.20%	13.35%

(ई) टियर 1 तथा कुल पूंजी अनुपात बेसल II दिशानिर्देशों के अनुसार

विवरण	एकल (सार्वभौमिक)	समेकित
टियर 1 पर्याप्तता अनुपात	12.29%	12.45%
कुल पूँजी पर्याप्तता अनुपात	13.67%	13.82%

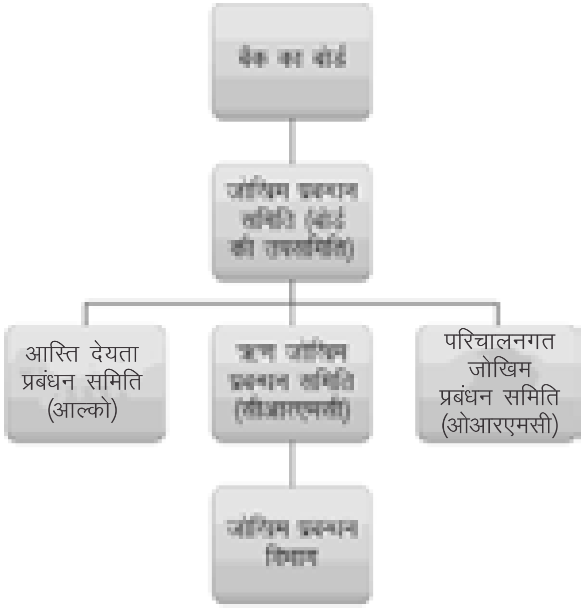

Quantitative disclosures (as per Basel III guidelines)

(a) Capital requirements for credit risk: (₹ in Million)

Particulars	Solo (Global)	Consolidated
Portfolios subject to standardized approach	94892.62	94936.50
Securitization exposures	Nil	Nil

(₹ in Million)

b) Capital requirements for market risk:

Standardized duration approach

Particulars	Solo (Global)	Consolidated
Interest Rate Risk	8972.51	8972.51
Foreign Exchange Risk (including gold)	72.00	72.00
Equity Risk	3504.91	3504.91

(c) Capital requirements for operational risk: (₹ in Million)

Particulars	Solo (Global)	Consolidated
Basic Indicator Approach	8373.82	8593.24

(d)Common Equity Tier 1 (CET 1), Tier 1 and Total capital ratio (as per Basel III guidelines):

Particulars	Solo (Global)	Consolidated
Common Equity Tier 1 (CET 1),	11.68%	11.83%
Tier 1 Capital Adequacy Ratio	12.08%	12.23%
Total Capital Adequacy Ratio	13.20%	13.35%

(e) Tier 1 and Total capital ratio (as per Basel II guidelines):

Particulars	Solo (Global)	Consolidated
Tier 1 Capital Adequacy Ratio	12.29%	12.45%
Total Capital Adequacy Ratio	13.67%	13.82%

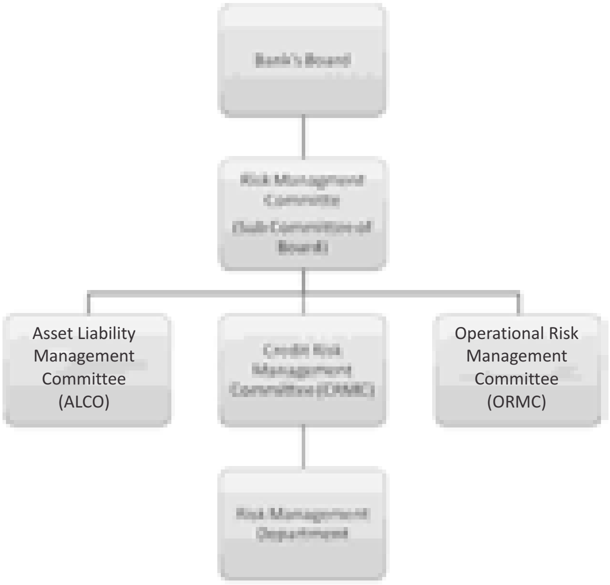

जोखिम प्रबंधन संरचना

बैंक का जोखिम प्रबंधन ढाँचा, विभिन्न जोखिमों को स्पष्ट रूप से समझने, अनुशासित जोखिम मूल्यांकन और प्रक्रियाएं और निरन्तर अनुप्रवर्तन पर आधारित है। समस्त उद्यम का प्रभावोत्पादक जोखिम प्रबंधन करने के लिए एक स्वतंत्र जोखिम प्रबंधन विभाग कार्यरत है, जो पूरे बैंक में जोखिम एक्सपोजरों के मूल्यांकन, अनुप्रवर्तन और रिपार्टिंग के लिए जिम्मेदार है। निम्नलिखित तीन शीर्ष स्तरीय समितियों के जरिए बैंक की सभी जोखिमों का प्रबंधन किया जाता है :

(I) ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी)

(ii) आस्ति एवं देयता प्रबंधन समिति (आलको) तथा

(iii) परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी)

ये समितियां बोर्ड और बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित नीतियों और समग्र दिशानिर्देशों के अंतर्गत काम करती हैं।

जोखिमों के प्रबन्धन के लिए बैंक ने विभिन्न नीतियाँ निर्धारित की हैं। उद्यम–स्तर जोखिम का विश्लेषण करने तथा सभी जोखिमों को एकीकृत करने की दृष्टि से, एक एकीकृत जोखिम प्रबन्धन नीति बनायी गयी है। महत्वपूर्ण जोखिम नीतियों में ऋण जोखिम प्रबंधन नीति, तरलता प्रबंधन नीति, बाजार जोखिम प्रबंधन नीति, परिचालनगत जोखिम प्रबंधन नीति, आंतरिक पूंजी पर्याप्तता आकलन प्रक्रिया (आईसीएएपी) नीति, तनाव परीक्षण नीति, कोलाटेरल प्रबंधन नीति, प्रकटीकरण नीति, प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम प्रबंधन नीति और महत्वपूर्ण (सामरिक) जोखिम प्रबंधन नीति शामिल है।

जोखिम प्रबन्धन समिति (आरएमसी)/बोर्ड द्वारा सभी नीतियां वार्षिक आधार पर पुनरीक्षित की जाती हैं। जोखिम प्रबंधन संकल्पनाओं की जानकारी देने और क्षेत्र स्तर के कार्यकर्ताओं को इनके प्रति जागरूकता बनाने के उद्देश्य से सभी संबंधित नीतियां शाखाओं के बीच में परिचालित की गई हैं तथा इसके अलावा बैंक के प्रशिक्षण कॉलेजों में इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

ऋण जोखिम

प्रारंभिक चरण पर ही जोखिमों को पहचानकर उनका विश्लेषण करने, विवेकपूर्ण सीमाएं निर्धारित कर उन्हें अनुरक्षित करने तथा बदलते जोखिम माहौल का सामना करने के लिए अन्य सुधारात्मक कदम उठाने के लिए जोखिम प्रबंधन प्रणाली स्थापित की गई है।

प्रवेश स्तर की स्कोरिंग प्रणाली के अलावा ऋण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए साफ़्टवेयर चालित रेटिंग मेकानिज़्म स्थापित किया गया है। रेटिंग माडल के कार्य का परिणाम निर्णय प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है यथा मंजूरी, कीमत निर्धारण और ऋण संविभाग की मॉनिटरिंग।

सीमा ढांचा

ऋण जोखिम तथा संकीर्ण जोखिम की मात्रा को कम करने की दृष्टि से सीमा ढाँचा निम्नलिखित प्रकार के एक्सपोज़र के लिए रखा गया है :

- एकल और ग्रूप ऋणकर्ता एक्सपोज़र
- संवेदनशील क्षेत्र एक्सपोज़र
- अप्रतिभूत एक्सपोज़र
- अंतर बैंक एक्सपोज़र
- क्षेत्र–वार एक्सपोज़र
- आंतरिक रेटिंग–वार एक्सपोज़र
- भौगोलिक एक्सपोज़र
- मियादी ऋण एकसपोज़र
- उद्योग–वार एक्सपोजर
- अंतर बैंक एक्सपोज़र

इन एक्सपोज़र सीमाओं को नियमित तौर पर मानिटर किया जाता और बोर्ड की विभिन्न शीर्षस्त स्तरीय समितियों को प्रस्तुत किया जाता है।

रेटिंग मॉडल : ऋण अनुमोदनों एवं निर्णयों के समर्थन में और संविभाग प्रबंधन, मूल्य निर्धारण और जोखिम आधारित पूंजी मापन के लिए जोखिम प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सभी ऋण प्रस्तावों पर तीव्र ऋण जोखिम रेटिंग/स्कोरिंग प्रक्रिया लागू की जाती है।

ऋण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रवेश स्तर की स्कोरिंग प्रणाली के अलावा साफ़्टवेयर आधारित रेटिंग तंत्र (मेकानिज़्म) स्थापित किया गया है। रेटिंग मॉडल के परिणाम का प्रयोग, निर्णय करने, अर्थात् ऋण संविभाग में मंजूरी प्रदान करने, मूल्य निर्धारण और अनुप्रवर्तन में किया जाता है। रेटिंग मॉडल के खरेपन की जाँच के लिए बाहरी अभिकरण द्वारा इसे वैध कराया गया है। बैंक इस मॉडल के लिए आवधिक वैधीकरण का कार्य अपनाना चाहता है।

स्कोरिंग मॉडलः बैंक ने प्रवेश स्तर का स्कोरिंग मॉडल विकसित किया है। वैयक्तिक ऋण उत्पादों के अंतर्गत आनेवाली सभी नई मंजूरियों पर प्रवेश स्तर का स्कोरिंग परिकलित किया जाता है।

उच्च मूल्य के खातों की आवधिक समीक्षा/लेखा परीक्षा के लिए ऋण पुनरीक्षण तंत्र एवं ऋण लेखा–परीक्षा प्रणाली निर्धारित की गई है जिससे बैंक में ऋण प्रशासन में गुणात्मक सुधार लाए जा सके। इसके अलावा मानक आस्ति अनुप्रवर्तन समिति, विशेष उल्लेख खातों की समीक्षा करती है ताकि मानक आस्तियों का गैर–निष्पादक आस्ति के रूप में रिसन को रोका जा सके। अनुप्रवर्तन मेकानिज़्म के अंश के रूप में, जिन खातों का निवेश संवर्ग से कोटि कम कराया जाता है, उनकी पहचान कर तिमाही आधार पर उनपर निकट निगरानी रखी जाती है।

खातों की रेटिंग का माइग्रेशन वार्षिक आधार पर किया जाता है। साथ ही बैंक के पोर्टफोलियों पर आधारित उद्यामों की भारित औसत रेटिंग, त्रैमासिक आधार पर की जाती है। अग्रिमों के रेटिंग वार संवितरण का विश्लेषण त्रैमासिक आधार पर किया जाता है।

ऋण जोखिम क्रियाकलापों के रूप में कॉ.का के स्तर पर आनेवाले ऋण प्रस्तावों का वैट्टिंग (योजनाबद्ध ऋण प्रस्तावों को छोड़कर) किया जाता है।

आस्ति देयता प्रबंधन :

आस्ति देयता प्रबंधन, बैंक को जोखिम एक्सपोज़र का माप तथा मानिटर करने के लिए अनुमत करता है जोकि तुलनपत्र में दोनों तरलता जोखिम तथा ब्याज दर जोखिम के कारण हो सकता है। यह बैंक को आस्ति देयता प्रबंधन हेतु उपयुक्त रणनीतियाँ उपलब्ध करने के लिए अनुमत करता है। आस्ति देयता प्रबंधन ढाँचे में निम्नलिखित प्रमुख घटक हैं।

- तरलता जोखिम प्रबंधन
- ब्याज दर जोखिम प्रबंधन
- तुलनपत्र तथा बेसल ।।। तरलता अनुपात
- तनाव परीक्षण तथा स्थिति विश्लेषण
- आकस्मिकता निधि योजना

नीचे सूचीबद्ध दो मुख्य उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए बैंक ने एएलएम नीति निर्धारित की हैः–

अल्पावधि उद्देश्यः–

- बैंक के निवल ब्याज मार्जिन को अनुकूलतम बनाना
- पर्याप्त चलनिधि प्रदान करना
- पुनः मूल्य निर्धारण जोखिम का प्रबंधन करना

Risk Management Architecture:

The Bank's risk management framework is based on a clear understanding of various risks, disciplined risk assessment and measurement procedures and continuous monitoring. An independent Risk Management Department is functioning for effective Enterprise-Wide Risk Management and responsible for assessment, monitoring and reporting of risk exposures across the bank. All the risks the Bank is exposed to, are managed through following three committees viz.,

(i) Credit Risk Management Committee (CRMC)

(ii) Asset and Liabilities Management Committee (ALCO)

(iii) Operational Risk Management Committee (ORMC).

These committees work within the overall guidelines and policies approved by the Board and Risk Management Committee of the Board.

The Bank has put in place various policies to manage the risks. To analyze the enterprise-wide risk and with the objective of integrating all the risks of the Bank, an Integrated Risk Management policy has also been put in place. The important risk policies comprise of Credit Risk Management Policy, Asset Liability Management Policy, Market risk management policy, Operational Risk Management Policy, Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) Policy, Stress Testing Policy, Collateral Management Policy and Disclosure Policy, Reputational risk management Policy and Strategic Risk management Policy.

All the policies are reviewed at a minimum on annual basis by Risk Management Committee (RMC)/ Board. In order to disseminate the risk management concepts and also to sensitize the field level functionaries, the relevant policies were circulated to the branches, in addition to imparting training at the Bank's training colleges.

Credit Risk:

Risk Management Systems are in place to identify and analyze the risks at the early stage and manage them by setting and monitoring prudential limits besides taking other corrective measures to face the changing risk environment.

Limit Framework:

In order to limit the magnitude of credit risk and concentration risk, a limit framework has been laid down for following type of exposures:

- Single and group borrower exposure
- sensitive sector exposure
- unsecured exposure
- interbank exposure
- country-wise exposure
- Internal rating wise exposure
- Geographical exposure
- Term loan exposure
- Industry - wise exposure
- Interbank exposure

These exposure limits were monitored on regular basis and placed to various apex level committees of the Board.

Rating Model: All credit proposals are subject to a rigorous credit risk rating/scoring process to support credit approvals and decision making as well as to enhance risk management capabilities for portfolio management, pricing and risk based capital measurement.

Software driven rating mechanism is in place to assign the rating to ensure credit quality besides an entry level scoring system. The output of the rating model is used in decision making i.e. sanction, pricing and monitoring of credit portfolio. In order to test the robustness of the rating model,the rating model has been validated by an external agency . Bank would like to undertake periodic validation exercise for the model.

Scoring model: The Bank has developed entry level scoring model. All the fresh sanctions coming under personal loan products are subjected to entry level scoring.

Loan review mechanism and Credit audit system are in place for the periodical review/audit of the large value accounts and bring about qualitative improvements in credit administration of the Bank. In addition, Standard Assets Monitoring Committee reviews the Special Mention Accounts periodically to initiate timely action to prevent slippage of standard assets to nonperforming assets. As a part of monitoring mechanism, accounts which are downgraded from investment category are identified and monitored closely on quarterly basis.

Migration analysis of rating of accounts is done on annual basis. Also weighted average rating of industry which are part of Bank's portfolio is done on quarterly basis. Analysis of rating wise distribution of advances is done on quarterly basis.

Adopting Best Risk Management Practices, vetting of credit proposals (except schematic loan proposals) coming under sanctioning powers of corporate office are undertaken by Risk Management Department.

Asset Liability Management:

Asset liability Management framework facilitates the Bank to measure, monitor and control liquidity risk and interest rate risk on its balance sheet. This allows the Bank to provide suitable strategies for asset liability management. The asset liability management framework consists of the following key components

- Liquidity risk management
- Interest rate risk management
- Balance sheet and Basel III liquidity ratios
- Stress Testing and scenario analysis
- Contingency funding plan

Bank has set in place ALM policy to achieve two primary objectives as listed below:

Short Term Objective:

- To optimize the Net Interest Margin (NIM) of the Bank
- To provide adequate liquidity
- To manage re-pricing risk

दीर्घावधि उद्देश्य:

- शेयरधारकों की संपत्ति बढ़ाना

आस्ति देयता प्रबंधन का कार्य आस्ति देयता प्रबंधन समिति (आलको) संभालती है। यह बोर्ड के दिशानिर्देश तथा पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करती है और / या एएलएम तथा जोखिम प्रबंधन पर बोर्ड की उप–समिति के अधीन कार्य करती है। यह ब्याज दर स्थिति, जमाओं और अग्रिमों दोनों के उत्पाद क्रय, वृद्धिशील आस्ति तथा देयताओं की परिपक्वता प्रोफाइल, बैंक निधियों की माँग, बैंक के नकदी प्रवाह, लाभ योजना तथा संपूर्ण तुलनपत्र प्रबंधन की समीक्षा करने हेतु नियमित तौर पर बैठक का आयोजन करती है।

तरलता जोखिम दो दृष्टिकोण यथा फ्लो दृष्टिकोण तथा स्टॉक दृष्टिकोण के ज़रिए मापकर मानिटर किया जाता है। फ्लो दृष्टिकोण में नकद प्रवाह की विसंगतियों की संपूर्ण जाँच होती है तथा यह दैनंदिन आधार पर संरचित तरलता विवरणी की तैयारी से की जाती है। विभिन्न समय अंतरालों में विसंगतियों के लिए उपर्युक्त सहनशक्ति स्तर / प्रिडेंसियल सीमा का निर्धारण किया गया है। स्टॉक दृष्टिकोण के अधीन उपर्युक्त सीमाओं के साथ विभिन्न तुलनपत्र अनुपात निर्धारित किये गये हैं। निर्धारित सीमाओं के लिए अनुपातों का अनुपालन यह सुनिश्चित करता है कि बैंक अपनी तरलता का उचित विशाखन के ज़रिए प्रबंधन करता है तथा सुग्राहय सीमा के अधीन बनाये रखता है। बैंक अपनी लघु कालीन तरलता विसंगतियों का मूल्यांकन करता है तथा उसकी रिपोर्ट लघु कालीन गतिशील रिपोर्ट में प्रस्तुत करता है जिसमें विभिन्न आस्तियों के नकद प्रवाह तथा देयता उत्पन्न करनेवाली इकाइयों की प्रस्तुति की जाती है तथा 1–90 दिन की अवधि में बैंक की आस्ति तथा देयताओं के नकद प्रवाह के सामयिक अंतर को प्रस्तुत किया जाता है।

ब्याज दर जोखिम को मुद्रावार मापने तथा मानिटर करने हेतु पारंपरिक गैप दृष्टिकोण तथा गौण दृष्टिकोण दोनों का प्रयोग किया जाता है। एनआईएम पर ब्याज दर परिवर्तन के अल्प–कालीन असर आकलन ''जोखिम पर अर्जन'' दृष्टिकोण के ज़रिए किया जाता है जिसमें प्रतिलाभ वक्र जोखिम, आधार जोखिम तथा एंबेडेड विकल्प जोखिम को ध्यान में लिया जाता है। ईक्विटी के बाज़ार मूल्य पर ब्याज दर परिवर्तन के दीर्घ–कालीन असर आकलन अवधि गौण दृष्टिकोण के जरिए किया जाता है। आलको / बोर्ड द्वारा मासिक ब्याज दर संवेदनशीलता विवरणी की संवीक्षा की जाती है।

बैंक ने एएलएम एफटीपी साफ़्टवेयर खरीद लिया है और उसे कार्यान्वित करने की प्रक्रिया चालू है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा परिभाषित तथा आंतरक रूप से परिभाषित स्ट्रेस परिदृश्यों के अनुसार चलनिधि जोखिम और ब्याज दर जोखिम के लिए नियमित अंतरालों पर स्ट्रेस परीक्षण किया जाता है। आंतरिक चलनिधि स्ट्रेस परीक्षण से प्राप्त परिणामों का प्रयोग आकस्मिकता आयोजन निधि योजना का सृजन, विभिन्न चलनिधि स्ट्रेस परिदृश्यों में करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है।

उपर्युक्त के अलावा बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी हाल ही के दिशानिर्देशों के अनुसार चलनिधि कवरेज अनुपात का परिकलन कर रहा है तथा अल्पावधि चलनिधि के प्रबंधन के लिए उसका जोखिम मापक औजार के रूप में प्रयोग कर रहा है। मासिक आधार पर आलको द्वारा एलसीआर विवरण की पुनरीक्षा की जाती है।

बाजार जोखिम प्रबंधन:–

बाजार में परिवर्ती तथ्यों में हुए परिवर्तन के कारण हानि की संभाव्यता, बाजार जोखिम होता है। अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) की परिभाषा के अनुसार ''बाजार जोखिम वह जोखिम है जहाँ ईक्विटी और ब्याज दरों पर बाजार, मुद्रा विनिमय दरें और पण्य के मूल्य में उतार–चढ़ाव से ''ऑन'' या ''ऑफ'' तुलन पत्र स्थिति के मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ''अतः बाजार जोखिम, बैंक की कमाई और पूंजी को होनेवाला जोखिम है जोकि ब्याज दरों के बाजार स्तर या प्रतिभूतियों, विदेशी विनिमय और ईक्विटी की कीमत में परिवर्तन तथा ऐसे परिवर्तनों में अस्थिरता से हो सकता है। बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य, व्यापारिक इकाइयों को बाजार जोखिम एक्सपोज़र, जोखिम एक्सपोजर की तुलना में संविभाग निष्पादन और तुलनीय न्यूनतम मानदंडों के संबंध में विश्लेषिकी से चालित निविष्टियां प्रदान करते हुए जोखिम–समायोजित प्रतिफल की दरों को अधिक से अधिक बनाने में सहायता देना होता है। बाजार जाखिम के अन्तर्गत निम्नलिखित जोखिमों का प्रबंधन किया जाता है:–

- ब्याज दर जोखिम
- विनिमय दर जोखिम
- ईक्विटी कीमत जोखिम

बाज़ार जोखिम, पण्य की कीमत तथा उतार–चढ़ाव में होनेवाले परिवर्तनों के कारण हो सकती है। तथापि, बैंक का पण्य संबंधित बाज़ार में कोई एक्सपोज़र नहीं है।

बैंक का बाजार जोखिम प्रबंधन (एमआरएम) ढांचा निम्नानुसार है:–

ए) जोखिम की पहचान:– यह नीति बाजार जोखिम का पता लगाने, मूल्यांकित करने और व्यवस्थित करने के लिए एक तंत्र रचित करने पर केन्द्रित है ताकि जोखिम के विभिन्न आयामों की पहचान और व्यापार के प्रत्येक कार्यकलाप की मान्यता को स्पष्ट किया जा सके।

बी) जोखिम मापन और परिसीमाएं:– बैंक इस बात को स्पष्टतया मानता है कि बाजार जोखिम के सभी पहलुओं को कोई एक जोखिम – सांख्यिकी प्रतिबिंबित नहीं कर सकती। अतः बाजार जोखिम में जोखिम मापन की सुदृढता को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न सांख्यिकीय एवं गैर–सांख्यिकीय जोखिम उपायों का प्रयोग किया जाता क्योंकि इनका अवलोकन एक साथ करने पर जोखिम के ये कदम, किसी एकल कदम की तुलना में बाजार जोखिम एक्सपोजर की सम्यक दृष्टि प्रदान करता है। बाजार जोखिम का प्रबंधन, विभिन्न मापने के साधनों, यथा, जोखिम पर रहे मूल्य (वीएआर), जोखिम पर रहे अर्जन, आशोधित अवधि, पीवी 01 सीमाएं, निवल ओवरनाइट खुली स्थिति सीमाएं (एनओओपीएल), वैयक्तिक गैप सीमा (आईजीएल) के जरिए मुद्रा–वार और सूक्ष्मग्रहिता विश्लेषण के जरिये भी किया जाता है। अतितीव्र, परन्तु मुमकिन आधातों की परिस्थितियों में बैंक की असुरक्षा की स्थिति को मानिटर करने के लिए नियमित आधार पर तनाव परीक्षण भी किया जाता है।

सी) जोखिम मानिटरिंग:– ट्रेडिंग बही के लिए विभिन्न आंतरिक और विनियामक जोखिम सीमाओं के प्रयोग से, जोकि आर्थिक परिदृश्य, व्यापार रणनीति, प्रबंधन का अनुभव और बैंक की जोखिम ग्राह्यता पर आधारित हैं, बैंक अपने जोखिम को मानिटर एवं नियंत्रित करता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि लेनदेनों का निष्पादन एवं पूनर्मूल्यन, मौजूदा बाजार दरों पर किया जाता है, रेट स्कैन किया जाता है।

डी) जोखिम रिपोर्टिंग : मिड–ऑफिस द्वारा ट्रेशरी परिचालनों को मानीटर किया जाता है और जोखिम प्रबंधन विभाग के प्रधान को दैनिक आधार पर, का.नि / प्र. नि और सीईओ को मासिक आधार पर (प्रथम पखवाडा) तथा आल्को को मासिक आधार पर (अंतिम पखवाडा) रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। बाजार जोखिम के कारण उत्पन्न पूंजी प्रभार परिकलित कर, उसकी रिपोर्ट तिमाही आधार पर आल्को और बोर्ड को प्रस्तुत की जाती है। तनाव परीक्षण नीति में निर्धारित धारणाओं का अनुपालन करते हुए बाजार जोखिम के निर्धारण के लिए तनाव परीक्षण किया जाता है और तिमाही आधार पर आलको को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।

Long Term Objective:

- To maximize the shareholder's wealth

Asset Liability Management is the function of Asset Liability Management Committee (ALCO). It operates under the guidance and supervision of the Board and/or Sub-Committee of Board on Risk Management. It meets at regular intervals to review the interest rate scenario, product pricing for both deposits and advances, maturity profile of the incremental assets and liabilities, demand for Bank funds, cash flows of the Bank, profit planning and overall Balance Sheet Management.

Liquidity risk is measured and monitored through two approaches-Flow approach and Stock approach. Flow approach involves comprehensive tracking of cash flow mismatches and is done through preparation of Structural liquidity statement on a daily basis. Appropriate tolerance levels/prudential limits have been stipulated for mismatches in different time buckets. Under Stock Approach various balance sheet ratios are prescribed with appropriate limits. The compliance of ratios to the prescribed limits ensures that the Bank has managed its liquidity through appropriate diversification and kept it within the sustainable limit. The Bank also assesses its short-term liquidity mismatches and reports the same in the short term dynamic liquidity report which represents the cash flow plans of various asset and liability generating units and seasonal variation of cash flow patterns of assets and liabilities of the bank over a period of 1-90 days.

For measurement and monitoring of Interest rate risk, currency wise, both Traditional gap approach and Duration gap approaches are followed. The short-term impact of interest rate movements on NIM is worked out through "Earnings at Risk" approach taking into consideration Yield curve risk, Basis risk and Embedded Options Risk. The long-term impact of interest rate movements on Market Value of Equity is also worked out through Duration Gap approach. The monthly interest rate sensitivity statement is reviewed by ALCO / Board.

Bank has procured ALM & FTP software and is in the process of implementing the same.

Stress testing of liquidity risk and interest rate risk is conducted on regular interval as per the RBI defined and internally defined stress scenarios. The results of the same from internal Liquidity stress testing are used to draw contingency funding plan under different liquidity stress scenarios.

In addition to the above, bank is computing Liquidity Coverage Ratio (LCR) as per latest guidelines issued by RBI and is using it as a risk measurement tool to manage short term liquidity. On a monthly basis LCR statement is reviewed by ALCO.

Market Risk Management:

Market risk is the possibility of loss caused by changes in the market variables. The Bank for International Settlements (BIS) defines market risk as "the risk that the value of 'on' or 'off' balance sheet positions will be adversely affected by movements in equity and interest rate markets, currency exchange rates and commodity prices". Thus, Market Risk is the risk to the bank's earnings and capital due to changes in the market level of interest rates or prices of securities, foreign exchange and equities, as well as the volatilities of those changes. The objective of market risk management is to assist the business units in maximizing the risk adjusted return by providing analytics driven inputs regarding market risk exposures, portfolio performance vis-à-vis risk exposures and comparable benchmarks. Following risks are managed under Market Risk.

- Interest Rate Risk
- Exchange Rate Risk
- Equity Price Risk

The market risk may also arise from changes in commodity prices and volatility. However, Bank does not have any exposure to commodity related markets.

Market Risk Management (MRM) Framework of the bank is as follows:

a) **Risk Identification:** The Policy is focused on setting a framework for identifying, assessing and managing market risk in order to provide clarity on various dimensions of risk identification and recognition to each of the business functions.

b) **Risk Measurement and Limits:** Bank recognizes that no single risk statistic can reflect all aspects of market risk. Therefore various statistical and non-statistical risk measures are used to enhance the stability of risk measurement of market risk because, taken together, these risk measures provide a more comprehensive view of market risk exposure than any single measure. Market risk is managed with various metrics viz. Value at Risk (VaR), Earnings at Risk, Modified duration, PV01 Limits, Net Overnight Open Position Limits (NOOPL), Individual Gap Limit (IGL) and Aggregate Gap Limit (AGL) currency wise and also through sensitivity analysis. Stress testing is also conducted on a regular basis to monitor the vulnerability of the bank to extreme but plausible unfavourable shocks.

c) **Risk Monitoring:** Bank monitors and controls its risk, using various internal and regulatory risk limits for trading book which are set based on economic scenario, business strategy, management experience and Bank's risk appetite. Rate scan is carried out to ensure that transactions are executed and revalued at prevailing market rates.

d) **Risk Reporting:** Mid Office monitors treasury operations on a day to day basis. A daily report is put up to Head of the Risk Management Department, Monthly basis (First fortnight) to ED/MD & CEO and on monthly basis (Last Fortnight) to ALCO. Capital charge on account of Market Risk is computed and reported to ALCO and Board on quarterly basis. Stress testing is done for assessing market risk by following assumptions prescribed in Stress Test Policy and reported to ALCO on Quarterly basis.

बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्यापक बाजार जोखिम प्रबंधन नीति, निवेश नीति, तनाव परीक्षण और व्युत्पन्न नीति द्वारा बाजार जोखिम प्रबंधन अनुशासित है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि बाजार जोखिम से युक्त विभिन्न कार्यकलापों में फैला हुआ जोखिम, बैंक की जोखिम ग्राह्यता के अन्दर ही है। उद्योग में व्याप्त उत्तम व्यवहार और भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियमनों से सारी नीतियां बेंचमार्क की गई हैं। बैंक के जोखिम रिपोर्टिंग तंत्र में प्रकटीकरण और विभिन्न प्रबंधन समितियों को रिपोर्ट करना शामिल है।

परिचालनगत जोखिमः–

उद्योग के प्रतिभागियों, विनियामकों और अन्य स्टेकधारकों के बीच परिचालनगत जाखिम ही तीव्र अभिरुचि का केन्द्र है। प्रभावोत्पादक अभिशासन, जोखिम कैप्चर और परिचालनगत जोखिम एक्सपोशर के प्राक्कलन और मात्रात्मक निर्धारण के लिए बैंक ने परिचालनगत जोखिम प्रबंधन ढाँचा (ओआरएमएफ) और परिचालनगत जोखिम प्रबंधन तंत्र (ओआरएमएस) निर्धारित किया है। दैनंदिन की प्रबन्धन प्रक्रियाओं में उपयुक्त गुणात्मक एवं मात्रात्मक प्रणालियों और विभिन्न जोखिम शमन नीतियों तथा सुस्थापित आंतरिक नियंत्रण तंत्रों का प्रयोग करते हुए और विभिन्न जोखिम शमन नीतियों को अपनाते हुए परिचालनगत जोखिम का प्रबंधन सुगम रूप से किया जाता है। विभिन्न उत्पादों/प्रक्रियाओं में जोखिम बोध का समीक्षात्मक विश्लेषण किया जाता है और यथावश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं।

बैंक ने अपने परिचालनगत जोखिम एक्सपोजर को कैप्चर करने, मापने, मानीटर करने और व्यवस्थित करने के लिए परिष्कृत वेब–आधारित परिचालनगत जोखिम प्रबंधन प्रणाली कार्यान्वित की है। बैंक ने विगत पांच वर्षों के लिए आंतरिक हानि डाटा बेस निर्मित किया है।

इस वर्ष के दौरान "क्रेडिट स्पर्ट" के जरिए परिचालनगत जोखिम का विश्लेषण और सांख्यिकीय तकनीकों के जरिए परिचालनगत हानि की बारंबारता एवं गंभीरता का विश्लेषण किया गया है।

सारणी डीएफ – 3

ऋण जोखिम : सभी बैंकों हेतु सामान्य प्रकटीकरण

गुणवत्ता प्रकटीकरण :

(ए) ऋण जोखिम प्रबंधन :

ऋण जोखिम को यों परिभाषित किया गया है कि ऋणकर्ताओं या प्रतिपक्षकारों की ऋण गुणता में कमी के कारण होनेवाली हानि की संभाव्यता।

संरचना :

विभिन्न दिशानिर्देशों तथा प्रमुख उद्योग प्रथाओं के अनुपालन में, बैंक ने ऋण जोखिम प्रबंधन के लिए एक सुव्यवस्थत अधिशान संरचना बनाई है ताकि पर्याप्त निरीक्षण, मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग हो सके। ढाँचा, निदेशकों के मंडल की जिम्मेदारी को स्थापित करती है।

बैंक ने जोखिम प्रबंधन प्रणाली पर भारिबैंक के दिशानिर्देश नोट के अनुसार बोर्ड स्तरीय उप–समिति की स्थापना की है जिसे "जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी)" कहा जाता है।

जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) :

आरएमसी, बैंक द्वारा सामने की जानेवाली संपूर्ण जोखिम को मूल्यांकन करती है तथा यह प्रभावी प्रणाली की स्थापना के लिए जिम्मेवार है जिससे जोखिम को पहचानने, मापने तथा नियंत्रित करने में सहायता मिल सके और इसके द्वारा नीतियों के निपटारा रणनीति, जोखिम लेने की क्षमता तथा ऋण मानदंडों को बोर्ड के अनुमोदन के लिए संस्तुत किये जा सके।

बोर्ड ने ऋण जोखिम के संबंध में जिम्मेदारी लेने के लिए आरएमसी को अधिकार प्रत्यायोजित किया है।

समिति, ऋण जोखिम प्रबंधन का पर्यवेक्षण करती है तथा यह सुनिश्चित करती है कि बैंक द्वारा सामने की जानेवाली प्रमुख ऋण जोखिम को उचित रूप से पहचाना जाता है तथा उसका उचित रूप से प्रबंधन हो। समिति, संपूर्ण जोखिम लेने की क्षमता तथा ऋण जोखिम प्रबंधन रणनीति को अनुमोदन करती है तथा आवधिक रूप से इसकी समीक्षा करती है। समिति, जोखिम प्रबंधन नीतियों, भारिबैंक द्वारा निर्धारित जोखित प्रबंधन दिशानिर्देशों से संबंधित बैंक के अनुपालन की समीक्षा करती है।

जोखिम समिति, ऋण जोखिम प्रोफाइल तथा अन्य कोई प्रमुख विकास यथा आंतरिक तथा बाह्य और संविभाग तथा बैंक पर उनके असर की समीक्षा करती है।

ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी)

आरएमसी, ऋण नीति तथा प्रक्रियाओं के संबंध में मुद्दों तथा ऋण जोखिम को बैंक को समृद्ध रूप से लेकर विश्लेषण, प्रबंधन तथा नियंत्रण करती है।

ऋण समीक्षा प्रबंधन समिति (एलआरएमसी)

ऋण जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के रूप में, कॉर्पोरेट कार्यालय में ऋण समीक्षा प्रबंधन समिति (एलआरएमसी) का गठन किया गया है ताकि कॉ.का: की विभिन्न समितियों तथा अंचल ऋण समिति द्वारा मंजूर किये गये ऋण खातों की समीक्षा की जा सकें।

अतिदेय तथा क्षतिग्रस्त (लेखांकन प्रयोग हेतु)

बैंक ने आय पहचान तथा आस्ति वर्गीकरण मानदंडों हेतु आरबीआई द्वारा परिभाषित किये अनुसार अतिदेय तथा क्षतिग्रस्त के लिए परिभाषाओं को अपनाया है।

बैंक की ऋण आस्तियों को वर्गीकृत करने के लिए बैंक की नीति निम्नप्रकार है :

गैर–निषपादित आस्ति (एनपीए) : गैर–निषपादित आस्ति (एनपीए), एक ऋण या अग्रिम है जहाँ

- ➢ मूलधन और /या ब्याज किस्त 90 दिन से अधिक समय तक बकाया रहता है,
- ➢ जब खाता "ओवर ड्राफ़्ट / नकद ऋण (ओडी / सीसी) के संबंध में "नियमित नहीं है"
- ➢ जब बिल, क्रय किये गये बिल तथा भुनाये गये बिल के मामले में 90 दिन से अधिक समय के लिए अतिदेय है
- ➢ मूलधन या ब्याज की किस्त अल्प अवधि फसलों के लिए दो फसल मौसम के लिए अतिदेय रहती है
- ➢ मूलधन या ब्याज की किस्त दीर्घकालिन फसलों के लिए एक फसल मौसम के लिए अतिदेय रहता है

एक ओडी / सीसी खाते को "अनियमित माना जाता है जब अतिदेय राशि मंजूरीकृत सीमा / आहरित सीमा से 90 दिन से अधिक समय के लिए लगातार आधिक्य रहता है। जब मूल परिचालन खाते में अतिदेय राशि मंजूरीकृत सीमा / आहरित सीमा से कम है, परंतु तुलन पत्र के दिन पर 90 दिनों के लिए लगातार

Market risk management is governed by comprehensive board approved market risk management policy, Investment Policy, Stress Testing and Derivative Policy to ensure that the risks spread across different activities carrying an underlying market risk are within the stipulated risk appetite of the bank. All the policies are benchmarked with industry-best practices and RBI regulations. The risk reporting mechanism in the Bank comprises disclosures and reporting to the various management committees.

Operational Risk:

Operational risk is now on the focus of intense interest among industry participants, regulators and other stake holders . The bank has put in place Operational Risk Management Frame work (ORMF) and Operational Risk Management systems (ORMS) to ensure effective governance, risk capture and assessment and quantification of operational risk exposure. Operational risk is well managed by using appropriate qualitative & quantitative methods and established internal control systems in day to day management processes and adopting various risk mitigating strategies. The risk perceptions in various products / processes are critically analysed and corrective actions if required, are initiated.

Bank has implemented a sophisticated web-based Operational Risk Management System to capture, measure, monitor and manage its operational risk exposure. Bank has built up internal loss data base for the last 5 years.

During the year, monitoring of operational risk through credit spurt and Analysis of frequency & severity of operational loss through statistical technique have been done.

Table DF-3

Credit Risk: General disclosures for all banks

Qualitative Disclosures:

(a) Credit Risk Management:

Credit risk is defined as the possibility of losses associated with diminution in the credit quality of borrowers or counterparties.

Architecture:

In adherence with various guidelines and leading industry practices, the Bank has set up a robust governance structure for the management of credit risk, ensuring an adequate oversight, monitoring and reporting. The framework establishes the responsibilities of the board of directors .

The Bank has established a Board level sub-committee known as 'Risk Management Committee (RMC)' constituted in terms of RBI guidance note on Risk Management system.

Risk Management Committee (RMC):

The RMC evaluates overall risks faced by the Bank and is responsible for the establishment of an effective system to identify measure, monitor and control risk and recommend to the Board for its approval, clear policies, strategy, risk appetite and credit standards.

The Board has delegated authority to the RMC for credit risk related responsibilities.

The committee oversees credit risk management and ensures that the principal credit risks facing the Bank have been properly identified and are being appropriately managed. The committee approves and periodically reviews the overall risk appetite and credit risk management strategy. The committee reviews the risk management policies, the Bank's compliance with risk management guidelines stipulated by the RBI.

The risk committee also reviews credit risk profile and any major development, internal and external, and their impact on portfolio and as a whole on the bank

Credit Risk Management Committee (CRMC):

CRMC deals with the issues relating to credit policy and procedures, and analyzes, manages and controls credit risk on a bank wide basis.

Loan Review Management Committee: (LRMC):

As a part of Credit risk management process, Loan Review Management Committee (LRMC), at Corporate Office, has been constituted to undertake review of borrowal accounts sanctioned by various Committees at CO and Zonal Credit Committee.

Definitions of past due and impaired (for accounting purpose)

Bank has adopted the definitions of the past due and impaired (for accounting purposes) as defined by RBI for Income Recognition and Asset Classification norms.

The policy of the bank for classifying bank's loan assets is as under:

Non Performing Asset (NPA): A non performing asset (NPA) is a loan or an advance where:

- Interest and/ or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan,
- The account remains 'out of order' in respect of an Overdraft/Cash Credit (OD/CC)
- The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted,
- The installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops
- The installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops

An OD/CC account is treated as 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power for more than 90 days. In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no

कोई जमा नहीं है या उसी अवधि में नामे डाले गये ब्याज को कवर करने के लिए जमा पर्याप्त पहीं है तो इन खातों को ''अनियमित'' माने जाएँगे।

बैंक की गैर–निष्पादित आस्तियों को आगे तीन वर्गों में वर्गीकृत की गई है:

➢ **अवमानक आस्तियाँ :**

अवमानक आस्ति यह है जोकि 12 महीने की समान अवधि या उससे कम अवधि के लिए एनपीए के रूप में रहा हो।

➢ **संदिग्ध आस्तियाँ**

आस्ति को संदिग्ध आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा जब आस्ति 12 महीनों के लिए अवमनाक वर्ग में रहती है।

➢ **हानिकारक आस्ति**

हानिकार आस्ति वह है जब बैंक द्वारा या आंतरिक या बाहय लेखाकारों या भारिबैंक के निरीक्षण के समय पर हानि को पहचाना जाता है।

ऋण जोखिम प्रबंधन नीति :

बैंक ने ऋण जोखिम प्रबंधन नीति लागू की है और इसे सभी शाखाओं को परिचालित किया गया है। नीति का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परिचालन प्रबंधन की प्रत्याशा के अनुरूप हैं तथा उच्च प्रबंधन की रणनीतियों को परिचालन स्तर पर सार्थक निदेशों के रूप में पहुँचाया गया है। यह नीति बृहत ऋण एक्स्पोज़र, ऋण संपार्श्विक हेतु मानक, फोर्टफोलियो प्रबंधन, ऋण समीक्षा तंत्र, जोखिम सकेंद्रीकरण, जोखिम निगरानी तथा मूल्यांकन, प्रावधानीकरण तथा विनियामक / विधिक अनुपालन पर विवेकी सीमाओं को निर्धारित करती है।

बैंक उन जोखिमों की पहचान करता है जो उनको प्रभावित करते हैं तथा इन जोखिमों के माप, निगरानी तथा नियंत्रण के लिए उचित तकनीकी का प्रयोग करता है।

जबकि बोर्ड / बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति नीति तैयार करती है तथा विभिन्न ऋण जोखिमों को निर्धारित करती है, ऋण जोखिम प्रबंधन समिति बोर्ड / आरएमसी द्वारा अनुमोदित इन नीतियों एवं रणनीतियों को कार्यान्वित करती है, बैंक व्यापक आधार पर ऋण जोखिम की निगरानी करता है तथा जोखिम सीमाओं का अनुपालन सुनिश्चित करता है।

बैंक (क) एकल तथा सामूहिक उधारकर्ताओं हेतु एक्सपोज़र सीमा निर्धारण (ख) ग्रेड सीमा रेटिंग (ग) उद्योगवार एक्सपोज़र सीमा तथा (घ) पूरे अंचलों में ऋणों के भौगोलिक संवितरण के विश्लेषण द्वारा जोखिम संकेद्रीकरण का अध्ययन करता है। सभी अंचलों को चार खंडों में वर्गीकृत किया गया है, यथा उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम।

बैंक किसी भी उधारकर्ता से संबंधित ऋण जोखिम का माप करने के लिए उधार खाते की रेटिंग को एक महत्वपूर्ण उपकरण मानता है और तदनुसार बैंक में सभी शाखाओं/अंचल कार्यालयों के लिए साफ्टवेयर चालित रेटिंग/स्कोरिंग मॉडल कार्यान्वित किए गए है।

(बी) कुल सकल ऋण जोखिम, पृथक रूप से निधि आधारित एवं गैर–निधि आधारित : (₹ मिलियन में)

विवरण	एकल (सार्वभौमिक)	समेकित
सकल ऋण जोखिम एक्स्पोश्र		
निधि आधारित		
ऋण एवं अग्रिम	1326321.44	1326399.07
निवेश	285250.11	285280.80
अन्य आस्तियां	215719.92	216027.23
कुल निधि आधारित	**1827291.47**	**1827707.10**
गैर निधि आधारित जिस में आकस्मिक क्रेडिट, संविदाएं तथा व्युत्पन्न शामिल हैं*	**520340.15**	**520383.35**
कुल ऋण जोखिम एक्स्पोशर	**2347631.62**	**2348090.45**

*इसमें व्युत्पन्न एक्स्पोशर की अनुमानित मूल राशि, गैर लाभित सीमा, एलसी, स्वीकृतियां, गारंटी शामिल है।

(सी) एक्सपोशर का भौगोलिक वितरण, निधि आधारित एवं गैर–निधि आधारित अलग–अलग से : (₹ मिलियन में)

भौगोलिक क्षेत्र	निधि आधारित	आकस्मिक ऋण, संविदाएं तथा व्युत्पन्न सहित गैर–निधि आधारित	कुल
ओवरसीज	80142.93	14841.41	94984.34
देशी	1747148.54	505498.74	2252647.28
कुल	**1827291.47**	**520340.15**	**2347631.62**

credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts are treated as 'out of order'.

Non Performing Assets of the Bank is further classified in to three categories as under:

- **Sub standard Assets**

A sub standard asset is one which has remained NPA for a period less than or equal to 12 months.

- **Doubtful Assets**

An asset would be classified as doubtful if it has remained in the sub standard category for 12 months.

- **Loss Assets**

A loss asset is one where loss has been identified by the bank or by internal or external auditors or the RBI inspection.

Credit Risk Management Policy:

The Bank has put in place the Credit Risk Management Policy and the same has been circulated to all the branches. The main objective of the policy is to ensure that the operations are in line with the expectation of the management and the strategies of the top management are translated into meaningful directions to the operational level. The Policy stipulates prudential limits on large credit exposures, standards for loan collateral, portfolio management, loan review mechanism, risk concentrations, risk monitoring and evaluation, provisioning and regulatory / legal compliance.

The Bank identifies the risks to which it is exposed and applies suitable techniques to measure, monitor and control these risks.

While the Board / Risk Management Committee of the Board devises the policy and fixes various credit risk exposures, Credit Risk Management Committee implements these policies and strategies approved by the Board / RMC, monitors credit risks on a bank wide basis and ensures compliance of risk limits.

The Bank studies the concentration risk by (a) fixing exposure limits for single and group borrowers (b) rating grade limits (c) industry wise exposure limits and (d) analyzing the geographical distribution of credit across the Zones. All the Zones are categorized under four segments namely North, South, East and West.

Bank considers rating of a borrowal account as an important tool to measure the credit risk associated with any borrower and accordingly implemented rating software .

(b) Total gross credit risk exposures, Fund Based and Non-fund based separately. (₹ in Million)

Particulars	**Solo (Global)**	**Consolidated**
Gross Credit Risk Exposures		
Fund Based		
Loans and Advances	1326321.44	1326399.07
Investments	285250.11	285280.80
Other Assets	215719.92	216027.23
Total Fund Based	**1827291.47**	**1827707.10**
Non Fund Based including contingent credit, contracts and derivatives*	**520340.15**	**520383.35**
Total Credit Risk Exposure	**2347631.62**	**2348090.45**

*includes notional principles of derivatives exposures, unavailed limits, LC, acceptances Guarantees

(c) Geographic distribution of exposures Fund based and Non-fund based separately (₹ in Million)

Geographical Region	**Fund Based**	**Non Fund Based including contingent credit, contracts and derivatives**	**Total**
Overseas	80142.93	14841.41	94984.34
Domestic	1747148.54	505498.74	2252647.28
Total	**1827291.47**	**520340.15**	**2347631.62**

(डी) 31 03 2016 तक एक्स्पोशर का उद्योगवार वितरण (एकल – सार्वभौमिक)

(₹ मिलियन में)

क्रमांक	उद्योग का नाम	बकाया		प्रतिबद्ध ऋण
		निधि आधारित	गैर निधि आधारित	
1	रत्न और जेवर हीरा सहित	875.84	30.00	1207.22
2	आधारिक संरचना			
2.1	बिजली	105094.51	11591.52	142824.16
2.2	पोर्ट / सडक	39336.20	1912.91	56320.47
2.3	टेलीकॉम	7329.61	20662.32	29193.86
2.4	अन्य आधारिक संरचना	19163.49	5459.06	33963.22
2.5	शैक्षिक संस्था	26475.54	832.92	31742.50
2.6	अस्पताल	2689.07	620.09	4043.79
2.7	होटल	8458.42	280.66	9563.73
3	पेट्रोलियम एवं पेट्रोलियम उत्पाद	26483.04	17690.79	57991.14
4	वस्त्र	41120.52	3198.13	54197.27
5	चीनी	7336.88	854.27	9176.71
6	लोहा एवं इस्पात	40215.26	3767.71	52098.48
7	सभी इंजीनियरिंग	19977.57	19231.67	52828.74
8	औषधीय एवं रसायन	6845.16	1729.42	10171.13
9	खादय संसाधन (काजू, खादय तेल एवं वनस्पति सहित)	20014.30	2989.33	31901.08
10	कोल्यरी एवं मैनिंग	2108.08	246.72	3310.20
11	उर्वरक	1315.91	49.36	1811.85
12	सीमेंट एवं सीमेंट उत्पाद	14425.07	1541.32	18387.76
13	चमड़ा एवं चमड़ा उत्पाद	1156.21	184.82	1803.72
14	इलेक्ट्रानिक एवं कंप्यूटर (हार्डवेयर एवं साफ़्टवेयर)	5421.20	5302.11	12358.80
15	चाय / काफी	774.28	0.20	1012.05
16	कंस्ट्रक्शन कान्ट्राक्टर्स	13573.69	30616.71	56459.86
17	रबड, प्लोस्टिक्स एवं अन्य उत्पाद (टायर सहित)	6166.35	1271.74	11253.89
18	आटोमोबइल (वाहन, वाहन पुर्जे और परिवहन उपस्कर)	5314.68	716.20	8209.31
19	पेय एवं तम्बाकू	2120.33	1340.50	4570.74
20	लकडी एवं लकडी उत्पाद	1466.15	243.81	2208.00
21	कागज एवं कागज उत्पाद	5747.06	395.81	7303.69
22	ग्लैस एवं गलैसवेयर	1030.93	174.20	1900.95
23	अन्य धातु एवं धातु उत्पाद	8206.90	283.05	9232.22
24	मुद्रण एवं प्रकाशन	3257.38	472.36	4990.22
25	विमानन	5572.91	0.00	5592.30
26	मीडिया एवं मनोरंजन	2887.97	4111.22	7270.49
27	लाजिस्टीक्स	2824.40	1911.23	7536.09
28	जहाज निर्माण	721.19	2074.53	8260.56
29	व्यापार (फुटकर व्यापार के अलावा)	126852.19	8270.11	203690.28
30	एनबीएफसी	135360.84	658.99	168793.79

31 मार्च 2016 को निम्नलिखित उद्योगों में बैंक का एक्स्पोशर रुपए 1809071.63 मिलियन के कुल सकल ऋण एक्स्पोशर के 5 प्रतिशत से अधिक था।

क्र.सं	उद्योग का वर्गीकरण	कुल सकल ऋण एक्सपोजर का प्रतिशत
1	एनबीएफसी	9.33%
2	पावर	7.89%

(d) Industry-wise distribution of exposures (Solo) as on 31-03-2016

(₹ in Million)

S.No.	Name of the industry	Outstanding		Committed Exposure
		Fund Based	Non Fund Based	
1	Gems and Jewellery including Diamond	875.84	30.00	1207.22
2	Infrastructure			
2.1	Power	105094.51	11591.52	142824.16
2.2	Ports / Roads	39336.20	1912.91	56320.47
2.3	Telecom	7329.61	20662.32	29193.86
2.4	Other infrastructure	19163.49	5459.06	33963.22
2.5	Educational Institution	26475.54	832.92	31742.50
2.6	Hospital	2689.07	620.09	4043.79
2.7	Hotel	8458.42	280.66	9563.73
3	Petroleum and Petroleum Products	26483.04	17690.79	57991.14
4	Textiles	41120.52	3198.13	54197.27
5	Sugar	7336.88	854.27	9176.71
6	Iron & Steel	40215.26	3767.71	52098.48
7	All Engineering	19977.57	19231.67	52828.74
8	Pharmaceuticals & Chemicals	6845.16	1729.42	10171.13
9	Food Processing (including Cashew, Edible Oils & Vanaspati)	20014.30	2989.33	31901.08
10	Colliery & Mining	2108.08	246.72	3310.20
11	Fertilizer	1315.91	49.36	1811.85
12	Cement & Cement Products	14425.07	1541.32	18387.76
13	Leather & leather products	1156.21	184.82	1803.72
14	Electronics & Computers (Hardware & software)	5421.20	5302.11	12358.80
15	Tea / Coffee	774.28	0.20	1012.05
16	Construction contractors	13573.69	30616.71	56459.86
17	Rubber, Plastics and their products (including tyre)	6166.35	1271.74	11253.89
18	Automobiles (Vehicles, Vehicle Parts & Transport Equipments)	5314.68	716.20	8209.31
19	Beverages and Tobacco	2120.33	1340.50	4570.74
20	Wood and Wood Products	1466.15	243.81	2208.00
21	Paper and Paper Products	5747.06	395.81	7303.69
22	Glass and Glassware	1030.93	174.20	1900.95
23	Other metal and metal products	8206.90	283.05	9232.22
24	Printing and Publishing	3257.38	472.36	4990.22
25	Aviation	5572.91	0.00	5592.30
26	Media and Entertainment	2887.97	4111.22	7270.49
27	Logistics	2824.40	1911.23	7536.09
28	Ship Building	721.19	2074.53	8260.56
29	Trade (Other than retail trade)	126852.19	8270.11	203690.28
30	NBFC	135360.84	658.99	168793.79

As on 31-03-2016, the Bank's exposure to the industries stated below was more than 5% of the total gross credit exposure of ₹ 1809071.63 million :

Sl.No	Industry Classification	Percentage of the total gross credit exposure
1	NBFC	9.33%
2	Power	7.89%

(ई) अग्रिमों एवं निवेशों के अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता के अलग अलग आंकडे

(₹ मिलियन में)

विवरण	अग्रिम	निवेश*
1 दिन	14462.41	40240.40
2-7 दिन	15903.89	19412.30
8-14 दिन	71436.89	9900.80
15-30 दिन	47855.18	9691.30
31 दिन-2 माह	70830.43	15865.10
2 माह से अधिक 3 माह तक	74094.08	21943.80
3 माह से अधिक 6 माह तक	94055.40	35301.30
6 माह से अधिक 1 वर्ष तक	197622.28	51255.70
1 वर्ष से अधिक 3 वर्ष तक	375368.89	230981.80
3 वर्ष से अधिक 5 वर्ष तक	160173.14	26376.70
5 वर्ष से अधिक	168688.16	84421.80
कुल	**1290490.76**	**545391.00**

*इनमें ₹ 39425.90 मिलियन की रेपो (एलएएफ) प्रतिभूतियॉं और ₹ 22880 मिलियन की प्रतिवर्ती रेपो शामिल हैं और सूचीबद्ध ईक्विटियों के 50 प्रतिशत की राशि ₹ 4095.60 शामिल नहीं है।

(₹ मिलियन में)

(एफ)	एनपीए की राशि (सकल) – (एकल सार्वभौमिक)	88270.42
	➢ अवमानक	25273.07
	➢ संदिग्ध 1	24823.85
	➢ संदिग्ध 2	34829.41
	➢ संदिग्ध 3	2117.32
	➢ हानि	1226.77
(जी)	निवल एनपीए	54194.01
(एच)	एनपीए अनुपात	
	➢ सकल अग्रिम के प्रति सकल एनपीए	6.66%
	➢ निवल अग्रिम के प्रति निवल एनपीए	4.20%
(आई)	एनपीए का आवागमन (सकल)	
	➢ दि. 31.3.2015 को अथशेष	56704.39
	➢ जोड	57038.22
	➢ घटाव	25472.19
	➢ अंतशेष	88270.42
(जे)	एनपीए के प्रावधान का आवागमन (फलोटिंग प्रावधान को छोडकर)	
	➢ अथशेष	20989.28
	➢ वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	23766.79
	➢ बट्टेखाते डाली गई राशि	16050.86
	➢ अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन	562.30
	➢ अंतशेष	29267.51
(के)	गैर निष्पादक निवेशों की राशि	397.20
(एल)	गैर निष्पादक निवेश हेतु धारित प्रावधान राशि	397.20
(एम)	निवेशों पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधानों का आवागमन	
	➢ अथशेष	1543.04
	➢ वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	525.42
	➢ बट्टेखाते डाली गई राशि	0.00
	➢ अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन	125.78
	➢ अंतशेष	1942.68

(e) Residual contractual maturity break-up of advances and investments (₹ in Million)

	Advances	Investments*
1 day	14462.41	40240.40
2-7 days	15903.89	19412.30
8 -14 days	71436.89	9900.80
15 to 30 days	47855.18	9691.30
31 days to 2 months	70830.43	15865.10
2 months to 3 months	74094.08	21943.80
Over 3 months to 6 months	94055.40	35301.30
Over 6 months to 1 year	197622.28	51255.70
Over 1 year to 3 years	375368.89	230981.80
Over 3 years to 5 years	160173.14	26376.70
Over 5 years	168688.16	84421.80
Total	**1290490.76**	**545391.00**

*Includes Repo(LAF) securities of ₹ 39425.90 million, Reverse Repo(LAF) securities of ₹ 22880 million and excludes 50% of listed equities of ₹ 4095.60 million

(₹ in Million)

(f)	Amount of NPAs (Gross) – (Solo-Global)	88270.42
	➢ Substandard	25273.07
	➢ Doubtful 1	24823.85
	➢ Doubtful 2	34829.41
	➢ Doubtful 3	2117.32
	➢ Loss	1226.77
(g)	Net NPAs	54194.01
(h)	NPA Ratios	
	➢ Gross NPAs to gross advances	6.66%
	➢ Net NPAs to net advances	4.20%
(i)	Movement of NPAs (Gross)	
	➢ Opening Balance as on 31.03.2015	56704.39
	➢ Additions	57038.22
	➢ Reductions	25472.19
	➢ Closing Balance	88270.42
(j)	Movement of provisions for NPAs (excl floating provision)	
	➢ Opening Balance	20989.28
	➢ Provisions made during the period	23766.79
	➢ Write Off	16050.86
	➢ Write-back of excess provisions	562.30
	➢ Closing balance	29267.51
(k)	Amount of Non-Performing investments	397.20
(l)	Amount of Provisions held for non-performing investments	397.20
(m)	Movement of provisions for depreciation on investments	
	➢ Opening balance	1543.04
	➢ Provisions made during the period	525.42
	➢ Write-off	0.00
	➢ Write-back of excess provisions	125.78
	➢ Closing balance	1942.68

सीधे आय विवरण में प्रविष्ट बट्टाकृत राशियाँ और वसूलियाँ:

उगाही के अधीन रहे खातों में वसूलियाँ	2474.20
ब्याज ज्ञापन	981.00
विधिक प्रभारों का ज्ञापन	24.89
बट्टाकृत खातों में वसूलियां	267.00

प्रमुख उद्योग के प्रकार–वार एनपीए राशि

(₹ मिलियन में)

उद्योग	सकल एनपीए	प्रावधान	निवल एनपीए
मूलभूत संरचना	13139.02	4945.28	8193.74
मूल धातु तथा धातु उत्पाद	29357.30	10664.43	13591.79
सभी इंजीनियरिंग	4717.98	1712.68	3005.30
वस्त्र	6026.51	2367.60	3658.92
निर्माण	888.00	216.76	671.24

भौगोलिक फैलाव–वार एनपीए

(₹ मिलियन में)

	देशी	ओवरसीज	वैश्विक
एनपीए की राशि (सकल)	83275.93	4994.49	88270.42
➢ अव–मानक	24467.55	805.52	25273.07
➢ संदिग्ध 1	23683.55	1140.3	24823.85
➢ संदिग्ध 2	34470.03	359.38	34829.41
➢ संदिग्ध 3	516.66	1600.66	2117.32
➢ हानि	138.14	1088.63	1226.77
निवल एनपीए	52957.83	1236.18	54194.01

सारणी डीएफ –4

ऋण जोखिम : मानकीकृत अभिगम के अध्यधीन संविभागों हेतु प्रकटीकरण

गुणवत्ता प्रकटीकरण :

(ए) बेसल III ढांचे के अनुसार अर्ह एक्स्पोशरों जैसे कार्पोरेट, सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यम पूंजी बाज़ार एक्सपोसर आदि के लिए बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित छे दर निर्धारण अभिकरणों यथा क) क्राइसिल ख) इक्रा ग) केयर और घ) इंडिया रेटिंग्स ई) ब्रिकवर्क्स एवं एफ) स्मेरा द्वारा निर्दिष्ट रेटिंग का प्रयोग करता है। समुद्रपार ऋण एक्सपोज़र के लिए, बैंक स्टैण्डर्ड एण्ड पुअर, फिट्च, मूडीस की रेटिंग को स्वीकार करता है।

बैंक ने सभी पात्र एक्सपोज़रों के लिए दोनों तुलनपत्र में और तुलनपत्र से परे, लघुकालीन या दीर्घकालीन जो भी हो, बेसल ।।। पूँजी विनियमनों पर भारतीय रिज़र्व बैंक दिशानिर्देशों में अनुमत पद्धति के अनुसार उपर्युक्त अनुमोदित ऋण रेटिंग अभिकरणों द्वारा निर्धारित रेटिंग का प्रयोग किया है।

रेटिंग अभिकरणों द्वारा अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित रेटिंग को ही इस उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाता है। संबंधित रेटिंग अभिकरण के मासिक बुलेटिन के अनुसार रेटिंग्स जो चालू हैं, का प्रयोग किया जाता है।

बैंक के संविभाग में होनेवाली आस्तियाँ जिनकी संविदागत परिपक्वता एक वर्ष के समान या उससे कम है तो लघु कालीन रेटिंग जो चयनीत ऋण रेटिंग अभिकरणों द्वारा दिया जाता है, उसे प्रासंगिक माना जाता है। बैंक के संविभाग में होनेवाली आस्तियाँ जिनकी संविदागत परिपक्वता एक वर्ष से अधिक हो तो दीर्घकालीन रेटिंग जो चयनीत ऋण रेटिंग अभिकरणों द्वारा दिया जाता है, उसे प्रासंगिक माना जाता है।

चयनित देशी ऋण अभिकरणों द्वारा जारी दीर्घ कालीन / अल्प कालीन रेटिंग को बेसल ।।। पूँजी विनियमनों के अधीन मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार प्रयोज्य उचित जोखिम भारिता के साथ मैप किये गये हैं।

बहुल रेटिंग मूल्यांकन का प्रयोग :

➢ अगर चयनित ऋण रेटिंग अभिकरणों द्वारा दो रेटिंग उपलब्ध किये जाते हैं जिससे विभिन्न जोखिम भार का मैपिंग होता है तो उच्च जोखिम भार को लिया जाता है।

➢ अगर चयनीत ऋण रेटिंग अभिकरणों द्वारा विभिन्न जोखिम भारिता के साथ तीन या अधिक रेटिंग दिये जाते हैं तो दो निम्न जोखिम भार के संबंध में रेटिंग को संदर्भित करना चाहिए तथा इनमें से अधिक वाले दो जोखिम भार को लगाना चाहिए यथा दूसरा निम्नतम जोखिम भार

Write off and recoveries that have been booked directly to the income statement:

Recovery in Accounts under collection	2474.20
Memorandum of Interest	981.00
Memorandum of Legal charges	24.89
Recovery in written off accounts	267.00

Amount of NPA by Major Industry type

(₹ in Million)

Industry	Gross NPA	Provision	Net NPA
Infrastructure	13139.02	4945.28	8193.74
Basic Metal and metal products	29357.30	10664.43	13591.79
All engineering	4717.98	1712.68	3005.30
Textiles	6026.51	2367.60	3658.92
Constructions	888.00	216.76	671.24

Geography-wise NPA

(₹ in Million)

	Domestic	Overseas	Global
Amount of NPAs (Gross)	83275.93	4994.49	88270.42
➢ Substandard	24467.55	805.52	25273.07
➢ Doubtful 1	23683.55	1140.3	24823.85
➢ Doubtful 2	34470.03	359.38	34829.41
➢ Doubtful 3	516.66	1600.66	2117.32
➢ Loss	138.14	1088.63	1226.77
Net NPAs	52957.83	1236.18	54194.01

Table DF – 4

Credit Risk: disclosures for portfolios subject to the standardized approach

Qualitative Disclosures:

(a) The Bank uses ratings assigned by the six Rating Agencies approved by the Reserve Bank of India namely a) CRISIL, b) ICRA, c) CARE, d)India Ratings, e)BRICKWORKS and f) SMERA for the eligible exposures such as Corporate, Public Sector Enterprises, Capital Market Exposures etc. according to the Basel III framework. For overseas credit exposure, bank accepts rating of Standard &Poor, Fitch, Moody's.

The Bank has used the solicited ratings assigned by the above approved credit rating agencies for all eligible exposures, both on balance sheet and off balance sheet, whether short term or long term, in the manner permitted in the RBI guidelines on Basel III capital regulations.

Ratings published by the rating agencies on their website are used for this purpose. Only, ratings which are in force as per monthly bulletin published in the website of the concerned rating agency are taken into account.

For assets in the Bank's portfolio that have contractual maturity less than or equal to one year, short term ratings accorded by the chosen credit rating agencies are considered relevant. For other assets, which have a contractual maturity of more than one year, long term ratings accorded by the chosen credit rating agencies are considered relevant.

Long term/short term ratings issued by the chosen domestic credit rating agencies have been mapped to the appropriate risk weights applicable as per the standardised approach under Basel III capital regulations.

Use of multiple rating assessment:

➢ If there are two ratings accorded by chosen credit rating agencies that map into different risk weights, the higher risk weight are applied

➢ If there are three or more ratings accorded by chosen credit rating agencies with different risk weights, the ratings corresponding to the two lowest risk weights should be referred to and the higher of those two risk weights should be applied. i.e., the second lowest risk weight

मात्रात्मक प्रकटीकरण :

(बी) मानकीकृत अभिगम के तहत ऋण जोखिम निवारण के बाद विभाजित कुल ऋण जोखिम एक्सपोसर (एकल – सार्वभौमिक) निम्नानुसार है :

(₹ मिलियन में)

एकल (सार्वभौमिक)	बही मूल्य	जोखिम भारित /मूल्य
100% जोखिम भार के नीचे	1573249.67	337238.99
100% जोखिम भार	498362.38	394898.62
100% से अधिक जोखिम भार	276019.55	253759.70
कुल	**2347631.60**	**985897.31**

मानकीकृत अभिगम के तहत ऋण जोखिम निवारण के बाद विभाजित कुल ऋण जोखिम एक्स्पोसर(समेकित) निम्नानुसार है :

(₹ मिलियन में)

समेकित	बही मूल्य	जोखिम भारित /मूल्य
100% जोखिम भार के नीचे	1573252.84	337239.62
100% जोखिम भार	498822.75	395354.29
100% से अधिक जोखिम भार	276014.84	253759.70
कुल	**2348090.43**	**986353.61**

सारणी डीएफ – 5 : ऋण जोखिम निवारण – मानकीकृत अभिगमों हेतु प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक ने (क) ऋण जोखिम निवारण तथा बेसेल ।।।/भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों की भावना को ध्यान मे रखते हुए उचित संपार्श्विक की पहचान पर जागरुकता बढ़ाने तथा (ख) बेसेल ।।/ भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों में निर्धारित अभिगम के अनुसार पूँजी प्रभार के परिकलन में ऋण जोखिम निवारण लाभ को इष्टतम बनाने के प्राथमिक उद्देश्य से ऋण जोखिम निवारण तथा संपार्श्विक प्रबंधन नीति लागू की है।

बैंक साधारणतः ऋण सहभागिता, एक्स्पोज़र की उच्चतम सीमा, एस्क्रो तंत्र, वायदा कवर, उच्चतर मार्जिन, ऋण प्रसंविदाओं, संपार्श्विक तथा बीमा कवर जैसे ऋण निवारण तकनीकों पर भरोसा करता है।

ऋण जोखिम प्रबंधन नीति में मूल्यांकन पद्धतियों को विस्तृत रूप से बताया गया है।

पूँजी प्रभार के अभिकलन हेतु पात्र संपार्श्विक जिसके लिए सीआरएम लाभ लिया गया है:

पूँजी प्रभार के अभिकलन हेतु सीआरएम की उपलब्धता हेतु निम्नलिखित संपार्श्विकों को पहचाना जाता है।

i) बैंक के साथ जमाओं पर नकदी (जमा प्रमाणपत्रों अथवा तुलनात्मक लिखतों के साथ साथ ऋणदाता बैंक द्वारा जारी की गई सावधि जमा की रसीदों को मिलाकर) जो कि काऊँटर पार्टी एक्पोसर को प्रदान कर रहा है।

ii) सोना: सोना, तथा जेवर को सम्मिलत करेगा। यद्यपि संपार्श्विक जेवर की कीमत 99.99 सुदृढता के लिए बेंचमार्क होनी चाहिए।

iii) केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा ज़ारी प्रतिभूतियाँ।

iv) किसान विकास पत्र और राष्ट्रिय वचत प्रमाण–पत्र जिनमें अवरुद्धता अवधि उपलब्ध नहीं है, क्रियाशील हैं और उन्हें धारण अवधि के अंदर भुनाया जा सकता है।

v) एक बीमा कंपवनी जो कि बीमा क्षेत्र नियामक द्वारा विनियमित की जाती है, की घोषित सरेंडर कीमत के साथ बीमा पॉलिसियाँ।

गारंटार काऊंटरपार्टी के मुख्य प्रकार और उनकी उधार पात्रता

बैंक गारंटीयों की शर्तों में ऋण सुरक्षा पर विचार करता है, जो कि प्रत्यक्ष, सुस्पष्ट, अचल और अप्रतिबंधित/शर्त रहित हों। बैंक सभी ऋण सुरक्षा को पूँजी आवश्यकता के अभिकलन के दौरान ध्यान में रखता है।

काउंटरपार्टी की तुलना में निम्नतम जोखिम भार के सहित उपक्रमों द्वारा जारी गारंटियां ही पूँजी प्रभार को कम करने में मुख्य भूमिका निभायेगीं। क्योंकि काउंटरपार्टी एक्सपोसर का सुरक्षित हिस्सा गारंटर के जोखिम भार को निर्दिष्ट करता है, जबकि अरक्षित हिस्सा नई काऊँटर पार्टी के ऋण भार को बनाये रखता है।

निम्नलिखित उपक्रमों द्वारा दी गई ऋण सुरक्षा काऊंटरपार्टी के रूप में पहचानी जाती है।

(I) शासन (केन्द्र और राज्य सरकार)

(ii) सरकारी उपक्रम (ईसीजीसी और सीजीटीएमएसई को मिलाकर)

(iii) काउंटरपार्टी की तुलना में निम्नतम ऋण भारित बैंक

निवारण हेतु योग्य सभी प्रकार की प्रतिभूतियां आसानी से वसूली योग्य वित्तीय प्रतिभूतियां हैं। इस कारण से, बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त ऋण जोखिम निवारकों में ऋण संकेंद्रीकरण को हटाने के लिए वर्तमान में कोई सीमा / उच्चतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

बैंक पूँजी मूल्यांकन में व्यापक दृष्टिकोण का प्रयोग करता है। व्यापक दृष्टिकोण में संपार्श्विक को लेते समय, बैंक पूँजी पर्याप्तता प्रयोग के लिए समयोजित एक्सपोज़र को प्रतिपक्षकार के लिए संपार्श्विक के असर को संतुलित कर गणना करता है। बैंक कोई भी संपार्श्विक के मूल्य को समायोजन करने के लिए संभाव्य भावी उतार–चढ़ाव को ध्यान में रखकर बाज़ार में होनेवाले परिवर्तन में प्रतिभूति के मूल्य को कवर करता है।

Quantitative Disclosures:

(b)The total credit risk exposure (Solo-Global) bifurcated after the credit risk mitigation under Standardized Approach is as under:

(₹ in Million)

Solo (Global)	Book Value	Risk Weighted value
Below 100% Risk weight	1573249.67	337238.99
100% Risk weight	498362.38	394898.62
Above 100% Risk weight	276019.55	253759.70
Total	**2347631.60**	**985897.31**

The total credit risk exposure (Consolidated) bifurcated after the credit risk mitigation under Standardized Approach is as under:

(₹ in Million)

Consolidated	Book Value	Risk Weighted value
Below 100% Risk weight	1573252.84	337239.62
100% Risk weight	498822.75	395354.29
Above 100% Risk weight	276014.84	253759.70
Total	**2348090.43**	**986353.61**

Table DF-5 :Credit Risk Mitigation: disclosures for standardized approaches

Qualitative Disclosures

The Bank has put in place Credit Risk Mitigation & Collateral Management Policy with the primary objective of a) Mitigation of credit risks & enhancing awareness on identification of appropriate collateral taking into account the spirit of Basel III / RBI guidelines and (b) Optimizing the benefit of credit risk mitigation in computation of capital charge as per approaches laid down in Basel II / RBI guidelines.

The Bank generally relies on Risk Mitigation techniques like Loan participation, Ceiling on Exposures, Escrow mechanism, Forward cover, higher margins, loan covenants, Collateral and insurance cover.

Valuation methodologies are detailed in the Credit Risk Management Policy.

Eligible collateral for which CRM benefit taken for Computation of Capital Charge:

The following collaterals are recognized for availing CRM benefit for Computation of Capital Charge:

i) Cash (as well as certificates of deposit or comparable instruments, including fixed deposit receipts, issued by the lending bank) on deposit with the bank, which is incurring the counterparty exposure.

ii) Gold: Gold would include both bullion and jewellery. However, the value of the collateralized jewellery should be benchmarked to 99.99 purity.

iii) Securities issued by Central and State Governments

iv) Kisan Vikas Patra and National Savings Certificates provided no lock-in period is operational and if they can be encashed within the holding period

v) Life insurance policies with a declared surrender value of an insurance company which is regulated by an insurance sector regulator

Main types of guarantor counterparty and their creditworthiness

The Bank considers credit protection in terms of the guarantees which are direct, explicit, irrevocable and unconditional. The bank takes into account such credit protection in calculating capital requirements

Only guarantees issued by entities with a lower risk weight than the counterparty will lead to reduced capital charges, since the protected portion of the counterparty exposure is assigned the risk weight of the guarantor, whereas the uncovered portion retains the risk weight of the underlying counterparty

Credit protection given by the following entities is recognised as counterparty Guarantor:

(i) Sovereigns (Central and State Governments)

(ii) Sovereign entities (including ECGC and CGTMSE)

(iii) Banks with a lower risk weight than the counterparty

All types of securities eligible for mitigation are easily realizable financial securities. Hence, presently no limit / ceiling has been prescribed to address the concentration risk in credit risk mitigants recognized by the Bank.

The Bank uses the comprehensive approach in capital assessment. In the comprehensive approach, when taking collateral, the Bank calculates the adjusted exposure to a counterparty for capital adequacy purposes by netting off the effects of that collateral. The Bank adjusts the value of any collateral by a haircut to take into account possible future fluctuations in the value of the security occasioned by market movements

मात्रात्मक प्रकटीकरण

प्रत्येक प्रकटित अलग ऋण जोखिम संविभाग हेतु, (एकल–सार्वभौमिक / समेकित) कुल ऋण (यथा लागू तुलन–पत्र में या उसके बाहर नेटिंग के बाद) जोकि मार्जिन लागू करने के बाद योग्य वित्तीय संपार्श्विक द्वारा कवर किया जाता है :

(₹ मिलियन में)

ऋण (एक्सपोज़र) का प्रकार	अर्ह वित्तीय संपार्श्विक	गारंटियां
सकल ऋण जोखिम एक्सपोज़र		
निधि आधारित		
ऋण और अग्रिम	217658.24	42168.77
निवेश	0.00	362.71
अन्य आस्तियां	0.00	0.00
कुल निधि आधारित	**217658.24**	**42531.48**
गैर निधि आधारित जिस में प्रासंगिक क्रेडिट, संविदाएं और व्युत्पन्न शामिल हैं	21840.78	5112.93
कुल	**239499.02**	**47644.41**

सारणी डीएफ – 6

प्रतिभूतिकरण : मानकीकृत अभिगम हेतु प्रकटीकरण

गुणवत्ता प्रकटीकरण	:	बैंक ने कोई प्रतिभूतिकरण क्रियाकलाप नहीं किया है।
मात्रात्मक प्रकटीकरण	:	शून्य

सारणी डीएफ – 7

व्यापार बही (ट्रेडिंग बुक) में बाज़ार जोखिम

बाज़ार जोखिम

बाजार के परिवर्ती तथ्यों में परिवर्तन के कारण होनेवाली हानि की संभावना बाजार जोखिम है। अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) की परिभाषा के अनुसार बाजार जोखिम ''वह जोखिम है जिससे ईक्विटी और ब्याज दर बाजारों, मुद्रा विनिमय दरों और पण्यों के मूल्यों में उतार–चढ़ाव के कारण ''ऑन'' और ''ऑफ'' तुलन पत्र की स्थिति प्रतिकूल ढंग से प्रभावित हो जाती है। ''अतः ब्याज दरों का बाजार स्तर या प्रतिभूतियों के मूल्य, विदेशी विनिमय और ईक्विटी में परिवर्तन तथा साथ ही इन परिवर्तनों की अस्थिरता के कारण बैंक की पूंजी और अर्जन को होनेवाला जोखिम, बाज़ार जोखिम होता है। बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य है, व्यापारिक इकाइयों को बाजार जोखिम एक्सपोशर के संबंध में विश्लेषकों से चालित निविष्टियां प्रदान करना, जोखिम एक्सपोशर की तुलना में संविभाग निष्पादन और तुलनीय बेंचमार्क देने के जरिये जोखिम समायोजित प्रतिफल की दर को अधिक से अधिक करने में उनको सहायता प्रदान करना। बाजार जोखिम के अंतर्गत निम्नलिखित जोखिमों का प्रबंधन किया जाता है :

- ब्याज दर जोखिम
- विनिमय दर जोखिम
- ईक्विटी कीमत जोखिम

पण्यों के मूल्यों में परिवर्तन एवं उतार चढ़ाव से भी बाजार जोखिम हो सकती है, यद्यपि बैंक के पण्य सम्बन्धी बाजारों में कोई निवेश नहीं है |

बैंक के बाजार जोखिम प्रबंधन (एमआरएम) का फ्रेमवर्क निम्नानुसार है :

ए) **जोखिम की पहचानः–** यह नीति बाजार जोखिम का पता लगाने, मूल्यांकित करने और व्यवस्थित करने के लिए तंत्र रचित करने पर केन्द्रित है ताकि जोखिम के विभिन्न आयामों की पहचान और व्यापार के प्रत्येक कार्यकलाप की मान्यता को स्पष्ट किया जा सके।

बी) **जोखिम मापन और परिसीमाएंः–** बैंक इस बात को स्पष्टतया मानता है कि बाजार जोखिम के सभी पहलुओं को कोई एक जोखिम – सांख्यिकी प्रतिबिंबित नहीं कर सकती। अतः बाजार जोखिम में जोखिम मापन की सुदृढता को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न सांख्यिकीय एवं गैर–सांख्यिकीय जोखिम उपायों का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इनका अवलोकन एक साथ करने पर जोखिम के ये कदम, किसी एकल कदम की तुलना में बाजार जाखिम एक्सपोजर की सम्यक दृष्टि प्रदान करते हैं। बाजार जोखिम का प्रबंधन, विभिन्न मापने के साधनों, यथा, जोखिम पर रहे मूल्य (वीएआर), जोखिम पर रहे अर्जन, आशोधित अवधि, पीवी 01 सीमाएं, निवल ओवरनाइट खुली स्थिति सीमाएं (एनओओपीएल), वैयक्तिक गैप सीमा (आईजीएल) तथा कुल गैप सीमा (एजीएल) के जरिए मुद्रा–वार और सूक्ष्मग्रहिता विश्लेषण के जरिये भी किया जाता है। अतितीव्र, परन्तु मुमकिन आधातों की परिस्थितियों में बैंक की असुरक्षा की स्थिति को मानिटर करने के लिए नियमित आधार पर तनाव परीक्षण भी किया जाता है।

Quantitative Disclosures

For each separately disclosed credit risk portfolio (Solo-Global / Consolidated), the total exposure (after, where applicable, on- or off balance sheet netting) that is covered by eligible financial collateral after the application of haircuts:

(₹ in Million)

Type of Exposure	Eligible financial Collateral	Guarantees
Gross Credit Risk Exposures		
Fund Based		
Loans and Advances	217658.24	42168.77
Investments	0.00	362.71
Other Assets	0.00	0.00
Total Fund Based	**217658.24**	**42531.48**
Non Fund Based including contingent credit, contracts and derivatives	21840.78	5112.93
Total	**239499.02**	**47644.41**

Table DF – 6

Securitization: disclosure for standardized approach

Qualitative Disclosures: The Bank has not undertaken any securitization activity.	
Quantitative Disclosures:	NIL

Table DF – 7

Market risk in trading book

Market Risk :

Market risk is the possibility of loss caused by changes in the market variables. The Bank for International Settlements (BIS) defines market risk as “the risk that the value of ‘on’ or ‘off’ balance sheet positions will be adversely affected by movements in equity and interest rate markets, currency exchange rates and commodity prices”. Thus, Market Risk is the risk to the bank’s earnings and capital due to changes in the market level of interest rates or prices of securities, foreign exchange and equities, as well as the volatilities of those changes. The objective of market risk management is to assist the business units in maximizing the risk adjusted rate of return by providing analytics driven inputs regarding market risk exposures, portfolio performance vis-à-vis risk exposures and comparable benchmarks. Following risks are managed under Market Risk.

- Interest Rate Risk
- Exchange Rate Risk
- Equity Price Risk

The market risk may also arise from changes in commodity prices and volatility. However, Bank does not have any exposure to commodity related markets.

Market Risk Management (MRM) Framework of the bank is as follows:

a) **Risk Identification:** The Policy is focused on setting a framework for identifying, assessing and managing market risk in order to provide clarity on various dimensions of risk identification and recognition to each of the business functions.

b) **Risk Measurement and Limits:** Bank recognizes that no single risk statistic can reflect all aspects of market risk. Therefore various statistical and non-statistical risk measures are used to enhance the stability of risk measurement of market risk Market risk is managed with various metrics viz. Value at Risk (VaR), Earnings at Risk, Modified duration, PV01 Limits, Net Overnight Open Position Limits (NOOPL), Individual Gap Limit (IGL) and Aggregate Gap Limit (AGL) currency wise and also through sensitivity analysis. Stress testing is also conducted on a regular basis to monitor the vulnerability of the bank to extreme but plausible unfavorable shocks.

सी) **जोखिम मानिटरिंग:**— ट्रेडिंग बही के लिए विभिन्न आंतरिक और विनियामक जोखिम सीमाओं के प्रयोग से, जोकि आर्थिक परिदृश्य, व्यापार रणनीति, प्रबंधन का अनुभव और बैंक की जोखिम ग्राह्यता पर आधारित हैं, बैंक अपने जाखिम को मानिटर एवं नियंत्रित करता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि लेनदेनों का निष्पादन एवं पूनर्मूल्यन, मौजूदा बाजार दरों पर किया जाता है, रेट स्कैन किया जाता है।

डी) **जोखिम रिपोर्टिंग** : मिड—ऑफिस द्वारा ट्रेशरी परिचालनों को मानीटर किया जाता है और जोखिम प्रबंधन विभाग के प्रधान को दैनिक आधार पर, का.नि/प्र.नि और सीईओ को मासिक आधार पर (प्रथम पखवाडा) तथा आल्को को मासिक आधार पर (अंतिम पखवाडा) रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। बाजार जोखिम के कारण उत्पन्न पूंजी प्रभारिकलित कर, उसकी रिपोर्ट तिमाही आधार पर आल्को और बोर्ड को प्रस्तुत की जाती है। तनाव परीक्षण नीति में निर्धारित धारणाओं का अनुपालन करते हुए बाजार जोखिम के निर्धारण के लिए तनाव परीक्षण किया जाता है और तिमाही आधार पर आलको को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।

बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्यापक बाजार जोखिम प्रबंधन नीति, निवेश नीति, तनाव परीक्षण और व्युत्पन्न नीति द्वारा बाजार जोखिम प्रबंधन अनुशासित है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि बाजार जोखिम से युक्त विभिन्न कार्यकलापों में फैली हुई जोखिम, बैंक की जोखिम ग्राह्यता के अन्दर ही है। उद्योग में व्याप्त उत्तम व्यवहार और भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियमनों से सारी नीतियां बेंचमार्क की गई हैं। बैंक के जाखिम रिपोर्टिंग तंत्र में प्रकटीकरण और विभिन्न प्रबंधन समितियों को रिपोर्ट करना शामिल है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

निम्न हेतु पूंजी आवश्यकताएं (एकल सार्वभौमिक / समेकित) :

(₹ मिलियन में)

ब्याज दर जोखिम	8972.51
विदेशी विनिमय जोखिम	72.00
ईक्विटी स्थिति जोखिम	3504.91

सारणी डीएफ – 8

परिचालनात्मक जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

परिचालनगत जोखिम को यों परिभाषित किया गया है कि अपर्याप्त या असफल आतंरिक प्रक्रिया, व्यक्ति और प्रणाली या बाह्य घटनाओं से होनेवाली हानि के कारण बननेवाली जोखिम | इस परिभाषा में विधिक जोखिम शामिल है परन्तु रणनीतिक तथा प्रतिष्ठा जोखिम शामिल नहीं है |

वर्तमान में उद्योग के प्रतिभागियों, विनियामकों और अन्य स्टेक धारकों के बीच परिचालनगत जोखिम तीव्र अभिरुचि का विषय रहा है। बैंक ने प्रभावोत्पादक अभिशासन, जोखिम कैप्चर और परिचालनगत जोखिम एक्सपोशर की मात्रा को मापने के लिए परिचालनगत जोखिम प्रबंधन ढांचा (ओआरएमएफ) और परिचालनगत जोखिम प्रबंधन तंत्र (ओआरएमएस) निर्धारित किया है। उपयुक्त गुणात्मक एवं मात्रात्मक तरीकों का प्रयोग तथा दैनंदिन की प्रबंध प्रक्रियाओं में सुस्थापित आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों का प्रयोग तथा दैनंदिन की प्रबंध प्रक्रियाओं में सुस्थापित आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों का प्रयोग और विभिन्न जोखिम शमन नीतियों को अपनाने से परिचालनगत जोखिम का सुगम प्रबंधन किया जाता है। विभिन्न उत्पादों/प्रक्रियाओं में निहित जोखिम बोध का समीक्षात्मक विश्लेषण किया जाता है और आवश्यकता पडने पर सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

बैंक ने अपने परिचालनगत जोखिम एक्सपोशर को कैप्चर करने, मानिटर करने, मापने और प्रबंध करने के लिए परिष्कृत वेब—आधारित परिचालनगत जोखिम प्रणाली कार्यान्वित की है। बैंक ने विगत 5 वर्षों के लिए आंतरिक हानि डाटा बेस निर्मित किया है।

वर्ष के दौरान ऋण स्पर्ट के जरिये परिचालनगत जोखिम का मानिटरिंग और सांख्यिकीय तकनीकों के जरिये बारंबारता का विश्लेषण और परिचालनगत हानि की गंभीरता का विश्लेषण किया गया।

परिचालनगत हानि के लिए पूंजी प्रभार, मूल सूचक दृष्टिकोण के अनुसार किया गया।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

पूंजी प्रभार के परिकलन के लिए नई पूंजी पर्याप्तता ढांचे पर दिशानिर्देश में परिभाषित रूप से पिछले तीन वर्षों, यथा 2015–16, 2014–15 और 2013–14 की औसत सकल आय को लिहाज में लिया गया है। आवश्यक पूंजी ₹ 8373.82मिलियन (एकल—वैश्विक) और ₹8593.24 मिलियन (समेकित) है।

c) **Risk Monitoring:** Bank monitors and controls its risk, using various internal and regulatory risk limits for trading book which are set based on economic scenario, business strategy, management experience and Bank's risk appetite. Rate scan is carried out to ensure that transactions are executed and revalued at prevailing market rates.

d) **Risk Reporting:** Monitoring of Treasury operations is done by Mid Office and a daily report is put up to Head of the Risk Management Department, Monthly basis(First fortnight) to ED/MD & CEO and on monthly basis (Last Fortnight) to ALCO. Capital charge on account of Market Risk is computed and reported to ALCO and Board on quarterly basis. Stress testing is done for assessing market risk by following assumptions prescribed in Stress Test Policy and reported to ALCO on Quarterly basis.

Market risk management is governed by comprehensive board approved market risk management policy, Investment Policy, Stress testing and Derivative Policy to ensure that the risks spread across different activities carrying an underlying market risk are within the stipulated risk appetite of the bank. All the policies are benchmarked with industry-best practices and RBI regulations. The risk reporting mechanism in the Bank comprises disclosures and reporting to the various management committees.

Quantitative Disclosures:

The capital requirements (Solo-Global / Consolidated) for:

(₹ in Million)

Interest rate risk	8972.51
Foreign exchange risk	72.00
Equity position risk	3504.91

Table DF – 8

Operational Risk

Qualitative Disclosures

Operational risk is defined as the risk of loss resulting from inadequate or failed internal process, people and systems or from external events. This definition includes legal risk but excludes strategic and reputational risk.

Operational risk is now on the focus of intense interest among industry participants, regulators and other stake holders . The bank has put in place Operational Risk Management Frame work (ORMF) and Operational Risk Management systems (ORMS) to ensure effective governance, risk capture and assessment and quantification of operational risk exposure. Operational risk is well managed by using appropriate qualitative & quantitative methods and established internal control systems in day to day management processes and adopting various risk mitigating strategies. The risk perceptions in various products / processes are critically analysed and corrective actions if required, are initiated.

Bank has implemented a sophisticated web-based Operational Risk Management System to capture, measure, monitor and manage its operational risk exposure. Bank has built up internal loss data base for the last 5 years.

During the year, monitoring of operational risk through credit spurt and Analysis of frequency & severity of operational loss through statistical technique have been done

Capital charge for Operational Risk is computed as per the Basic Indicator Approach.

Quantitative Disclosures

The average of the gross income, as defined in the New Capital Adequacy Framework guidelines, for the previous 3 years i.e. 2015-16, 2014-15 and 2013-14 is considered for computing the capital charge. The required capital is ₹ 8373.82 Million (Solo-global) and ₹ 8593.24 Million (Consolidated).

सारणी डीएफ – 9

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

गुणात्मक प्रकटीकरण

आईआरआरआरबी इसे सूचित करता है जोकि ब्याज दरों में होनेवाले परिवर्तन से बैंक की बैंकिंग बही में संभाव्य वित्तीय असर को दर्शाता है।

ब्याज दर जोखिम को दो दृष्टिकोण के जरिए मापकर मानिटर किया जाता है:

(I) जोखिम पर अर्जन (पारंपरिक गैप विश्लेषण)

इस दृष्टिकोण के अधीन बैंक के निवल ब्याज आय पर होनेवाली ब्याज दरों में परिवर्तन के तत्काल असर को विश्लेषण किया जाता है।

(ii) ईक्विटी का आर्थिक मूल्य (अवधि गैप दृष्टिकोण)

आस्ति तथा देयताओं की आशोधित अवधि, ईक्विटी की आशोधित अवधि को अंतिम रूप से परिकलन करने के लिए पृथक तौर पर अभिकलन किया जाता है।

इस दृष्टिकोण में प्रतिलाभ में होनेवाले निश्चित परिवर्तन के लिए प्रतिलाभ वक्र समानंतर महत्व रखता है। ईक्विटी के आर्थिक मूल्य पर असर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 200 बीपीएस शाक के अनुसार किया जाता है। आशोधित अवधि की गणना में सम्बंधित परिपक्वताओं के लिए बाज़ार से जुड़े प्रतिलाभों का प्रयोग किया जाता है ।

बैंकिंग बही बुक में बैंक की ब्याज दर जोखिम का विश्लेषण दोनों देशी तथा ओवरसीज़ परिचालनों के लिए किया जाता है।

बाज़ार ब्याज दरों में होनेवाले परिवर्तन से बैंक की बही पुस्तक में अर्जन तथा आर्थिक मूल्य में असर पड़ेगा अतः इस प्रकार जटिलता तथा तुलान पात्र के उत्पाद की सीमा के कारण दोनों अर्जन तथा आर्थिक मूल्य में ब्याज दर के परिणाम को मूल्यांकित करने के लिए आई आर आर माप प्रणाली का प्रयोग किया जाता है. इसके लिए अनुपालन किए जानेवाले तकनीक चालु तूलन पत्र से पर स्थिति के आधार पर साधारण परिपक्वता (स्थिर दर) तथा पुनर्मूल्यांकन (फ्लोटिंग दर) गैप तथा अवधि गैप के प्रयोग से लेकर और उच्च स्तर तकनीक का प्रयोग किया जाता है. जिसमें आस्ति देयताओं तथा तुलन पत्र से पर मदों पर अनुमानों को शामिल किया जाता है और ये बेसिस जोखिम, अन्तर्निहित विकल्प जोखिम, प्रतिलाभ वक्र जोखिम इत्यादि के एक्सपोज़र की पूर्ण सीमा तक कब्चर कर सकता है ।

बैंकिंग बही बुक (आईआरआरबी) में बैंक ब्याज दर जोखिम का विश्लेषण, वैश्विक स्थिति के लिए किया जाता है. देशी परिचालनों की लिए आर्थिक परिचालनों का माप किया जाता है तथा इसे मासिक आधार पर मॉनिटर किया जाता है और आलको को प्रस्तुत किया जाता है ।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

आईआरआरबीबी (एकल – देशी) को मापने हेतु प्रबंधन की प्रणाली के अनुसार ऊर्ध्वगामी व अधोगामी रेट शाक्स हेतु, अर्जन और आर्थिक मूल्य (अथवा प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त संबंधित माप) में वृद्धि (गिरावट)।

I) 31.09.2016 तक ब्याज दर में 25 बीपीएस की वृद्धि हेतु अर्जन पर जोखिम ₹(–) 1477.44 मिलियन हैं।

ii) इक्विटी के बाज़ार मूल्य में 200 बीपीएस के परिवर्तन से ब्याज दर पर असर ₹ 14125.40 मिलियन हैं (दूसरे समय वाले ब्रकेट में बीपीएलआर बेस रेट का पुनर्मूल्यनिर्धारण)।

डीएफ 10 : प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम से संबन्धित एक्स्पोसरों के लिए सामान्य प्रकटीकरण

देशी परिचालनों पर इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर असर को मापा जाता है तथा इसका मासिक तौर पर मॉनिटर किया जाता है और आलको को प्रस्तुत किया जाता है । बैंक ब्युत्पन्नों को मिलाकर दोनों निधि और गैर निधि आधारित सुविधाओं हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियत एक्सपोसर के मानदण्डों के अनुसार सीमायें निर्धारित करता है। सीमायें पूँजी निधियों के प्रतिशत के रूप में निर्धारित की जाती हैं ।और नियमित आधार पर निगरानी की जाती है ।विनिर्दिष्ट सीमाओं के सम्मुख उपयोग की रिपोर्ट नियमित अंतरालों पर ऋण जोखिम प्रबंधन समिति/जोखिम प्रबंधन समिति/बोर्ड को की जाती है। बैंक वर्तमान के अपने प्रतिपक्ष ऋण एक्सपोसर हेतु आर्थिक पूंजी को निर्धारित नहीं करता है।

प्रतिपक्षी के साथ किये गये सभी ब्युत्पन्न लेन–देन बैंक की बोर्ड द्वारा अनुमोदित ब्युत्पन्न पॉलिसी के माध्यम से मूल्यांकित किये जाते हैं।

व्युत्पन्न एक्सपोसर की वर्तमान एक्सपोसर पद्धति (सीईएम) का प्रयोग करते हुए गणना की जाती है और 31 मार्च 2016 को बकाया शेष निम्नांकित है।

(₹ मिलियन में)

व्युत्पन्न	आनुमानिक सिद्धांत	वर्तमान में ऋण की मात्रा	वर्तमान ऋण
वायदा संविदाएं	115870.57	1935.46	4274.33
आईआरएस	0.00	0.00	0.00

Table DF – 9

Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB)

Qualitative Disclosures:

IRRBB refers to the potential adverse financial impact on the Bank's banking book from changes in interest rates.

The interest rate risk is measured and monitored through two approaches:

(i) Earning at Risk (Traditional Gap Analysis) :

The immediate impact of the changes in the interest rates on net interest income of the bank is analyzed under this approach.

(ii) Economic Value of Equity (Duration Gap Analysis):

Modified duration of assets and liabilities is computed separately to finally arrive at the modified duration of equity.

This approach assumes parallel shift in the yield curve for a given change in the yield. Impact on the Economic Value of Equity is also analyzed for a 200 bps rate shock as required by RBI. Market linked yields for respective maturities are used in the calculation of the Modified Duration.

The analysis of bank's Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB) is done for both Domestic as well as Overseas Operations.

The changes in market interest rates have earnings and economic value impacts on the bank's banking book. Thus, given the complexity and range of balance sheet products, IRR measurement systems are used that assess the effects of the rate changes on both earnings and economic value. Techniques followed are simple maturity (fixed rate) and repricing (floating rate) gaps and duration gaps based on current on-and-off-balance sheet positions, to a little higher technique that incorporate assumptions on behavioural pattern of assets, liabilities and off-balance sheet items and can easily capture the full range of exposures against basis risk, embedded option risk, yield curve risk, etc.

The analysis of bank's Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB) is done for Global position. The impact on Economic value of equity for Domestic Operations is measured and monitored on a monthly basis and placed to ALCO

Quantitative Disclosures:

The increase (decline) in earnings and economic value (or relevant measure used by management) for upward and downward rate shocks according to management's method for measuring IRRBB (Solo-Global).

i) Earnings at Risk for 25 bps interest rate decrease as on 31-03-2016 for one year time horizon is ₹ (-)1477.44 Million

ii) Change in economic Value of Equity for 200 bps interest rate shock is ₹ 14125.40 Million (Repricing of BPLR/Base Rate in the 2nd time bucket)

DF-10: General Disclosure for exposures related to Counterparty Credit Risk:

Counterparty Credit Risk is the risk that the counterparty to a derivative transaction can default before the final settlement of the transaction's cash flow .The Bank sets limits as per the norms on exposure stipulated by RBI for both fund and non fund based facilities including derivatives. Limits are set as a percentage of the capital funds and are monitored on regular basis. For corporates the derivatives limits are assessed and sanctioned in conjunction with regular credit limit as part of regular appraisal .

All the Derivative transactions with the Counterparty are evaluated as per Board approved Derivative Policy of the Bank.

The derivative exposure calculated using Current Exposure Method (CEM) and outstanding as on March 31,2016 is given below:

(₹ in Million)

Derivatives	Notional Principle	Current Credit Exposure (+ve MTM)	Current Exposure
FORWARD CONTRACTS	115870.57	1935.46	4274.33
IRS	0.00	0.00	0.00

	डी एफ–11: पूंजी की संरचना			(₹ मिलियन में)
	विनियामक समायोजन के संक्रमण के दौरान प्रयोग किया जाने वाला बेसल III सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट (अर्थात 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2017 तक)		बेसल III पूर्व पद्धति के ट्रीटमेंट अद्यधीन राशि	संदर्भ संख्या
	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी : लिखत और आरक्षित निधियां			
1	सीधे जारी की गई अर्हता प्राप्त सामान्य शेयर पूंजी और संबंधित स्टॉक अधिशेष (शेयर प्रीमियम)	18059.65		ए=ए1+ए2
2	प्रतिधारित आय	2888.28		बी5
3	संचित अन्य व्यापक आय (एवं अन्य आरक्षिति)	127463.59		बी1+बी2+बी3+बी4 बी6+बी7
4	सीईटी 1 से धीरे–धीरे समाप्त होने के अधीन सीधे जारी की गई सामान्य शेयर पूंजी (केवल गैर–संयुक्त स्टॉक कंपनियों के लिए लागू)	0.00		
	सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा पूंजी डालने को 1 जनवरी 2018 तक पुराने नियम के अनुसार मान्य करना	**0.00**		
5	सहायक इकाइयों द्वारा जारी की गई और तीसरे पक्ष (सीईटी 1 समूह में अनुमत राशि) द्वारा धारित सामान्य शेयर पूंजी	0.00		
6	**विनियामक समायोजनों से पहले सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी**	148411.52		
	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी : विनियामक समायोजन			
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन	0		
8	गुडविल (सम्बंधित कर देयता का निवल)	0		
9	मॉर्टगेज–सर्विसिंग अधिकार के अलावा अमूर्त आस्तियां (सम्बंधित कर देयता का निवल)	0		
10	आस्थिगत कर संपत्ति	0	0	
11	नकदी–प्रवाह बचाव रिजर्व	0		
12	अपेक्षित हानि के लिए प्रावधानों की कमी	0		
13	विक्रय पर प्रतिभूतिकरण लाभ	0		
14	उचित मूल्य देयताओं पर निजी ऋण जोखिम में परिवर्तन के कारण लाभ और हानि	0		
15	परिभाषित–लाभ पेंशन कोष निवल संपत्ति	0		
16	निजी शेयर में निवेश (रिपोर्ट किए गए तुलनपत्र में यदि पहले से ही प्रदत्त पूंजी का समायोजन न किया गया हो)	0		
17	सामान्य इक्विटी में परस्पर क्रॉस–होल्डिंग	175.47	0	
18	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, के पूंजी में विशेष निवेश का पात्र शॉर्ट पोजिशन निवल, जहां बैंक की जारी शेयर पूंजी 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है (10 प्रतिशत की प्रारंभिक सीमा से अधिक की राशि)	0		
19	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, के सामान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश का पात्र शॉर्ट पोजिशन निवल (10 प्रतिशत की प्रारंभिक सीमा से अधिक की राशि)	0		
20	मोर्टगेज सर्विसिंग अधिकार (10 प्रतिशत की प्रारंभिक सीमा से अधिक की राशि)	0		
21	अस्थायी भिन्नता से उत्पन्न आस्थिगत कर संपत्ति (10 प्रतिशत की प्रारंभिक सीमा से अधिक की राशि, सम्बंधित कर देयता का निवल)	0		
22	प्रतिशत की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि	0		
23	जिनमें से : वित्तीय संस्थाओं के सामान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश	0		

	DF-11: Composition of Capital			(₹ in Million)
	Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 1, 2013 to December 31, 2017)		**Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment**	**Ref No.**
	Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves			
1	Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	18059.65		A=A1+A2
2	Retained earnings	2888.28		B5
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	127463.59		B1+B2+B3+B4 B6+B7
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies1)	0.00		
	Public sector capital injections grandfathered until January 1, 2018	**0.00**		
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	0.00		
6	**Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments**	148411.52		
	Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments			
7	Prudential valuation adjustments	0		
8	Goodwill (net of related tax liability)	0		
9	Intangibles other than mortgage-servicing rights (net of related tax liability)	0		
10	Deferred tax assets	0	0	
11	Cash-flow hedge reserve	0		
12	Shortfall of provisions to expected losses	0		
13	Securitisation gain on sale	0		
14	Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities	0		
15	Defined-benefit pension fund net assets	0		
16	Investments in own shares (if not already netted off paid-in capital on reported balance sheet)	0		
17	Reciprocal cross-holdings in common equity	175.47	0	
18	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)	0		
19	Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)	0		
20	Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold)	0		
21	Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)	0		
22	Amount exceeding the 15% threshold	0		
23	of which: significant investments in the common stock of financial entities	0		

	डी एफ–11: पूंजी की संरचना			(₹ मिलियन में)
	विनियामक समायोजन के संक्रमण के दौरान प्रयोग किया जाने वाला बेसल III सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट (अर्थात 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2017 तक)		**बेसल III पूर्व पद्धति के ट्रीटमेंट अद्यधीन राशि**	**संदर्भ संख्या**
24	जिनमें से : मॉर्टगेज सर्विसिंग अधिकार	0		
25	जिनमें से : अस्थायी भिन्नता से उत्पन्न होने वाली आस्थिगत कर आस्तियां	0		
26	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (26क + 26ख + 26ग + 26घ)			
26क	जिसमें से : असमेकित बीमा सहायक कंपनियों के ईक्विटी पूंजी में निवेश	0		
26ख	जिसमें से : असमेकित गैर–वित्तीय सहायक कंपनियों के ईक्विटी पूंजी में निवेश	0		
26ग	जिसमें से : बैंक के साथ असमेकित प्रमुख निजी वित्तीय संस्थाओं की ईक्विटी पूंजी में कमी	0		
26घ	जिसमें से : अपरिशोधित पेंशन निधि व्यय	0		
	बेसल III पूर्व पद्धति के ट्रीटमेंट के अधीन राशि के सम्बंध में सामान्य ईक्विटी टियर 1 पर लागू विनियामक समायोजन	255.28	63.82	
	जिनमें से : अन्य वित्तीय संस्थानों में कुल इक्विटी निवेश	255.28	63.82	
27	अपर्याप्त अतिरिक्त टियर 1 और टियर 2 कटौती को कवर करने के लिए सामान्य ईक्विटी टियर 1 पर लागू विनियामक समायोजन	0.00		
28	**समान्य ईक्विटी टियर 1 में कुल विनियामक समायोजन**	**430.75**		
29	**समान्य ईक्विटी टियर 1 में पूंजी (सीईटी 1)**	**147980.76**		
	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी : लिखत			
30	सीधे जारी किए गए पात्र अतिरिक्त टियर 1 लिखत और सम्बंधित स्टॉक अधिशेष (31 + 32)	5000.00		
31	जिसमें से : लागू लेखांकन मानकों के अंतर्गत देयता के रूप में वर्गीकृत (सतत गैर–संचयी अधिमानी शेयर)	0		
32	जिसमें से : लागू लेखांकन मानकों के अंतर्गत देयता के रूप में वर्गीकृत (सतत ऋण लिखत)	5000.00		
33	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी से चरणबद्ध रूप से बाहर (फेज आउट) होने के अधीन सीधे जारी किए गए पूंजी लिखत	0		
34	सहायक कंपनियों द्वारा जारी तथा तीसरे पक्ष द्वारा (एटी 1 समूह में अनुमत राशि तक) धारित अतिरिक्त टियर 1 लिखत (और 5वीं पंक्ति में शामिल नहीं किए गए सीईटी 1 लिखत)	0		
35	जिसमें से : चरणबद्ध रूप से बाहर (फेज आउट) होने के अधीन सहायक कंपनियों द्वारा जारी किए गए लिखत	0		
36	**विनियामक समायोजन करने से पूर्व अतिरिक्त टियर पूंजी 1**	**5000**		
	अतिरिक्त टियर पूंजी 1 : विनियामक समायोजन			
37	निजी अतिरिक्त टियर 1 लिखत में निवेश	0		
38	अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में पारस्परिक क्रॉस–होल्डिंग्स	0		
39	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, की पूंजी में विशेष निवेश का पात्र शॉर्ट पोजिशन निवल, जहां बैंक के पास संस्था द्वारा जारी शेयर पूंजी (10 प्रतिशत की प्रारंभिक सीमा से अधिक की राशि) के 10 प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व नहीं है।	0		

	DF-11: Composition of Capital			(₹ in Million)
	Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 1, 2013 to December 31, 2017)		**Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment**	**Ref No.**
24	of which: mortgage servicing rights	0		
25	of which: deferred tax assets arising from temporary differences	0		
26	National specific regulatory adjustments (26a+26b+26c+26d)			
26a	of which: Investments in the equity capital of the unconsolidated insurance subsidiaries	0		
26b	of which: Investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries	0		
26c	of which: Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0		
26d	of which: Unamortised pension funds expenditures	0		
	Regulatory Adjustments Applied to Common Equity Tier 1 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	255.28	63.82	
	of which: Total equity investment in other financial subsidiaries	255.28	63.82	
27	Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions	0.00		
28	**Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1**	**430.75**		
29	**Common Equity Tier 1 capital (CET1)**	**147980.76**		
	Additional Tier 1 capital: instruments			
30	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (31+32)	5000.00		
31	of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)	0		
32	of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)	5000.00		
33	Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1	0		
34	Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)	0		
35	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	0		
36	**Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments**	**5000**		
	Additional Tier 1 capital: regulatory adjustments			
37	Investments in own Additional Tier 1 instruments	0		
38	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments	0		
39	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)	0		

	डी एफ–11: पूंजी की संरचना			(₹ मिलियन में)
	विनियामक समायोजन के संक्रमण के दौरान प्रयोग किया जाने वाला बेसल III सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट (अर्थात 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2017 तक)		**बेसल III पूर्व पद्धति के ट्रीटमेंट अद्‌यधीन राशि**	**संदर्भ संख्या**
40	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, की पूंजी में महत्वपूर्ण निवेश (पात्र शॉर्ट पोजिशन निवल)	0		
41	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (41 क + 41 ख)	0		
41क	गैर–समेकित बीमा सहायक कंपनियों के अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में निवेश	0		
41ख	बहुमत के स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाओं के अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में कमी जिनको बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है।	0		
41c	बेसल III पूर्व पद्धति के ट्रीटमेंट के अधीन राशियों के सम्बंध में अतिरिक्त टियर 1 पर लागू किए गए विनियामक समायोजन	31.91		
	जिसमें से : एटी 1 से निकाले गए	0		
	जिसमें से : विद्यमान समायोजन, जिनकी टियर 1 में से 50 प्रतिशत पर कटौती की गई है	31.91		
	जिसमें से : डीटीए	0		
42	कटौती को कवर करने के लिए अपर्याप्त टियर 2 के कारण अतिरिक्त टियर 1 पर लागू विनियामक समायोजन	0		
43	**अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में कुल विनियामक समायोजन**	31.91		
44	**अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (एटी 1)**	4968.09		
44क	**पूंजी पर्याप्तता II की गणना में प्रयुक्त अतिरिक्त टियर 1 पूंजी**	4968.09		
45	**टियर 1 पूंजी (टी 1 = सीईटी 1 + एटी 1) (29 + 44 क)**	**152948.86**		
	टियर 2 पूंजी : लिखत एवं प्रावधान			
46	सीधे जारी किए गए पात्र टियर 2 लिखत और सम्बंधित स्टॉक अधिशेष	0		
47	.टियर 2 से चरणबद्ध रूप से बाहर (फेज आउट) होने के अधीन सीधे जारी किए गए पूंजी लिखत	10000		सी1+सी2
48	सहायक कंपनियों द्वारा जारी किए गए एवं तृतीय पक्षों द्वारा धारित (राशि समूह टियर 2 में अनुमत) टियर 2 लिखत (तथा पंक्तियों 5 और 34 में शामिल नहीं किये गये सीईटी 1 और एटी 1 लिखत)	0		
49	जिनमें से : चरणबद्ध रूप से बाहर (फेज आउट) होने के अधीन सहायक कंपनियों द्वारा जारी किए गए लिखत	0		
50	प्रावधान	8168.66		सी3+सी4
51	**विनियामक समायोजनों से पहले टियर 2 पूंजी**	**18168.66**		
	टियर 2 पूंजी : विनियामक समायोजन			
52	निजी टियर 2 लिखत में निवेश	0		
53	टियर 2 लिखतों में पारस्परिक क्रॉस–होल्डिंग्स	104.23		
54	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, की पूंजी में निवेश, पात्र शॉर्टपोजिशन निवल, जहां बैंक के पास संस्थान द्वारा जारी शेयर पूंजी (10 प्रतिशत की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि) के 10 प्रतिशत से अधिक पर स्वामित्व नहीं है।	0		
55	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, की पूंजी में महत्वपूर्ण निवेश (पात्र शॉर्टपोजिशन निवल)	0		

	DF-11: Composition of Capital			(₹ in Million)
	Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 1, 2013 to December 31, 2017)		**Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment**	**Ref No.**
40	Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	0		
41	National specific regulatory adjustments (41a+41b)	0		
41a	Investments in the Additional Tier 1 capital of unconsolidated insurance subsidiaries	0		
41b	Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0		
41c	Regulatory Adjustments Applied to Additional Tier 1 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	31.91		
	of which: Phase out form ATI	0		
	of which: existing adjustments which are deducted from Tier 1 at 50%	31.91		
	of which:DTA	0		
42	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions	0		
43	Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital	31.91		
44	Additional Tier 1 capital (AT1)	4968.09		
44a	Additional Tier 1 capital reckoned for capital adequacy11	4968.09		
45	**Tier 1 capital (T1 = CET1 + AT1) (29 + 44a)**	**152948.86**		
	Tier 2 capital: instruments and provisions			
46	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus	0		
47	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	10000		C1+C2
48	Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)	0		
49	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	0		
50	Provisions	8168.66		C3+C4
51	**Tier 2 capital before regulatory adjustments**	**18168.66**		
	Tier 2 capital: regulatory adjustments			
52	Investments in own Tier 2 instruments	0		
53	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments	104.23		
54	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)	0		
55	Significant investments in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	0		

	डी एफ–11: पूंजी की संरचना			(₹ मिलियन में)
	विनियामक समायोजन के संक्रमण के दौरान प्रयोग किया जाने वाला बेसल III सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट (अर्थात 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2017 तक)		बेसल III पूर्व पद्धति के ट्रीटमेंट अद्यधीन राशि	संदर्भ संख्या
56	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (56 क + 56 ख)	0		
56क	जिसमें से : गैर–समेकित सहायक कंपनियों के टियर 2 पूंजी में निवेश	0		
56ख	जिसमें से : बहुमत के स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाओं के टियर 2 पूंजी में कमी जिनको बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया।	0		
	बेसल III पूर्व पद्धति के ट्रीटमेंट के अधीन राशि के सम्बंध में टियर 2 पर लागू विनियामक समायोजन	4031.91		
	जिसमें से : 50 प्रतिशत पर टियर 2 से कटौती किए गए वर्तमान समायोजन	31.91		
	जिसमें से : टियर 2 बॉण्ड से हटाए गए	4000.00		
57	**टियर 2 पूंजी में कुल विनियामक समायोजन**	**4136.14**		
58	**टियर 2 पूंजी (टी – 2)**	14032.53		
58क	**पूंजी पर्याप्तता की गणना में प्रयुक्त टियर 2 पूंजी**	14032.53		
58ख	**टियर 2 पूंजी के रूप में मान्य एक्सेस अतिरिक्त टियर 1 पूंजी**	0		
58ग	**पूंजी पर्याप्तता के लिए स्वीकार्य कुल टियर 2 पूंजी (58क +58ख)**	14032.53		
59	**कुल पूंजी (टीसी = टी1+टी2) (45+58ग)**	**166981.39**		
60	**कुल जोखिम भारित आस्तियां (60क+60ख+60ग)**	**1250636.90**		
60क	जिसमें से : कुल क्रेडिट जोखिम भारित आस्तियां	986353.60		
60ख	जिसमें से : कुल बाजार जोखिम भारित आस्तियां	156867.80		
60ग	जिसमें से : कुल परिचालन जोखिम भारित आस्तियां	107415.50		
	पूंजी अनुपात			
61	सामान्य ईक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	11.83%		
62	टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	12.23%		
63	कुल पूंजी (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	13.35%		
64	संस्था विशिष्ट बफा आवश्यकता (न्यूनतम सीईटी 1 आवश्यकता और पूंजी संरक्षण और प्रतिचक्रीय बफर आवश्यकताएं, जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त)	6.125%		
65	जिसमें से: पूंजी संरक्षण बफर आवश्यकता	0.625%		
66	जिसमें से: बैंक विशिष्ट प्रतिवक्रीय बफ़र आवश्यकता	0.000%		
67	जिसमें से जी–एसआईबी बफ़र आवश्यकता	0.000%		
68	बफर्स को पूरा करने के लिए उपलब्ध सामान्य ईक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	6.33%		
	राष्ट्रीय न्यूनतम (यदि बेसल ।।। से पृथक है)			
69	राष्ट्रीय सामान्य ईक्विटी टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल ।।। न्यूनतम से अलग है)	6.125%		
70	राष्ट्रीय टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल ।।। के न्यूनतम से अलग है)	7.00%		
71	कुल राष्ट्रीय पूंजी न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल ।।। के न्यूनतम से अलग है)	9.625%		

	DF-11: Composition of Capital			(₹ in Million)
	Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 1, 2013 to December 31, 2017)		**Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment**	**Ref No.**
56	National specific regulatory adjustments (56a+56b)	0		
56a	of which: Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated subsidiaries	0		
56b	of which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0		
	Regulatory Adjustments Applied To Tier 2 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	4031.91		
	of which: existing adjustments which are deducted from Tier 2 at 50%	31.91		
	of which: Phase out from Tier 2 Bonds	4000.00		
57	**Total regulatory adjustments to Tier 2 capital**	**4136.14**		
58	**Tier 2 capital (T2)**	14032.53		
58a	**Tier 2 capital reckoned for capital adequacy**	14032.53		
58b	**Excess Additional Tier 1 capital reckoned as Tier 2 capital**	0		
58c	**Total Tier 2 capital admissible for capital adequacy (58a + 58b)**	14032.53		
59	**Total capital (TC = T1 + T2) (45 + 58c)**	**166981.39**		
60	**Total risk weighted assets (60a + 60b + 60c)**	**1250636.90**		
60a	of which: total credit risk weighted assets	986353.60		
60b	of which: total market risk weighted assets	156867.80		
60c	of which: total operational risk weighted assets	107415.50		
	Capital ratios			
61	Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	11.83%		
62	Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	12.23%		
63	Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	13.35%		
64	Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)	6.125%		
65	of which: capital conservation buffer requirement	0.625%		
66	of which: bank specific countercyclical buffer requirement	0.000%		
67	of which: G-SIB buffer requirement	0.000%		
68	Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)	6.33%		
	National minima (if different from Basel III)			
69	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	6.125%		
70	National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	7.00%		
71	National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)	9.625%		

	डी एफ–11: पूंजी की संरचना			(₹ मिलियन में)
	विनियामक समायोजन के संक्रमण के दौरान प्रयोग किया जाने वाला बेसल III सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट (अर्थात 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2017 तक)		**बेसल III पूर्व पद्धति के ट्रीटमेंट अद्यधीन राशि**	**संदर्भ संख्या**
	सीमा से कम मात्रा में कटौती के लिए राशियाँ (जोखिम भार से पहले)			
72	दूसरी वित्तीय संस्थाओं की पूंजी में गैर महत्वपूर्ण निवेश	0		
73	वित्तीय संस्थाओं के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश	0		
74	बंधक सर्विसिंग अधिकार (संबंधित कर देयता का निवल)	0		
75	अस्थायी अन्तर से उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर आस्तियां (संबंधित कर देयता का निवल)	0		
	टियर 2 में प्रावधानों को शामिल किए जाने पर लागू कैप्स			
76	मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन प्रदत्त ऋणों के संबंध में टियर 2 में शामिल किए जाने के लिए पात्र प्रावधान (कैप को लागू करने के पहले)	8168.66		सी3+सी4
77	मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत टियर 2 में प्रावधानों का समावेश (ऋण जोखिम आरडबल्यूए के 1.25%) पर कैप	12329.42		1.25% of 60a
78	आंतरिक मूल्यांकन आधारित दृष्टिकोण के अधीन जोखिम के संबंध में टियर 2 में शामिल किए जाने के लिए पात्र प्रावधान (कैप को लागू करने के पहले)	लागू नहीं		
79	आंतरिक मूल्यांकन आधारित दृष्टिकोण के तहत टियर 2 में प्रावधानों को शामिल किए जाने के लिए कैप	लागू नहीं		
	फेस–आउट व्यवस्था के अधीन पूंजी लिखतें (केवल 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2022 के बीच लागू)			
80	फेस–आउट व्यवस्था के तहत सीईटी 1 लिखतों पर वर्तमान कैप	लागू नहीं		
81	कैप की वजह से के सीईटी 1 से अपवर्जित राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद कैप पर अतिरिक्त)	लागू नहीं		
82	फेस–आउट व्यवस्था के तहत एटी 1 लिखतों पर वर्तमान कैप	लागू नहीं		
83	कैप के कारण एटी 1 से अपवर्जित राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद कैप पर अतिरिक्त)	लागू नहीं		
84	फेस–आउट व्यवस्था के तहत टी 2 लिखतों पर वर्तमान कैप	लागू नहीं		
85	कैप की वजह से टी 2 से अपवर्जित राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद कैप पर अतिरिक्त)	लागू नहीं		

	DF-11: Composition of Capital			(₹ in Million)
	Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 1, 2013 to December 31, 2017)		**Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment**	**Ref No.**
	Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)			
72	Non-significant investments in the capital of other financial entities	0		
73	Significant investments in the common stock of financial entities	0		
74	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)	0		
75	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)	0		
	Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2			
76	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)	8168.66		C3+C4
77	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardised approach (1.25% of Credit Risk RWA)	12329.42		1.25% of 60a
78	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)	Not Applicable		
79	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach	Not Applicable		
	Capital instruments subject to phase-out arrangements (only applicable between March 31, 2017 and March 31, 2022)			
80	Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements	Not Applicable		
81	Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	Not Applicable		
82	Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements	Not Applicable		
83	Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	Not Applicable		
84	Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements	Not Applicable		
85	Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	Not Applicable		

	टेम्पलेट पर नोट	
टेम्पलेट की पंक्ति संख्या	विवरण	(₹ मिलियन में)
10	संचित हानियों के साथ जुड़ी हुई आस्थगित कर आस्तियाँ	0.00
	आस्थगित कर आस्तियाँ (उनको छोड़ कर जो संचित हानियों से जुड़ी हुई हैं) आस्थगित कर देयताओं का निवल	0.00
	पंक्ति 10 में वर्णित के अनुसार कुल योग	0.00
19	अगर सहायक बीमा कंपनियों में निवेश पूंजी से पूर्णतः नहीं काटा जाता है और उसके एवज में कटौती हेतु 10 प्रतिशत न्यूनतम सीमा के अंतर्गत लिहाज में लिया जाता है, तो परिणाम स्वरूप बैंक की पूंजी में वृद्धि	लागू नहीं
	जिसमें से: सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी में वृद्धि	लागू नहीं
	जिसमें से: अतिरिक्त ईक्विटी टियर 1 पूंजी में वृद्धि	लागू नहीं
	जिसमें से: अतिरिक्त ईक्विटी टियर 2 पूंजी में वृद्धि	लागू नहीं
26बी	गैर समेकित गैर वित्तीय सहायक कंपनियों की ईक्विटी पूंजी में निवेश नहीं काटा जाता है और परिणामतः जोखिम भारित किया जाता है,	लागू नहीं
	(I) सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी में वृद्धि	लागू नहीं
	(ii) जोखिम भारित आस्तियों में वृद्धि	लागू नहीं
44ए	अन्य अतिरिक्त टियर 1 पूंजी, जिसका परिकलन पूंजी पर्याप्तता के लिए नहीं किया गया है (पंक्ति 44 में रिपोर्टित अतिरिक्त टियर 1 पूंजी और पंक्ति 44ए में रिपोर्टित अतिरिक्त अनुमेय टियर 1 पूंजी कें बीच का अंतर)	लागू नहीं
	जिसमें से: अतिरिक्त अन्य टियर 1 पूंजी जिसे पंक्ति 58बी के तहत अब टियर 2 पूंजी माना गया है	लागू नहीं
50	टियर 2 पूंजी में शामिल पात्र प्रावधान	8168.66
	टियर 2 पूंजी में शामिल पात्र पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षितियां	0.00
	पंक्ति 50 का कुल योग	8168.66
58ए	पूंजी पर्याप्तता के लिए परिकलित न की गई अतिरिक्त टियर 2 पूंजी (पंक्ति 58 में रिपोर्टित टियर 2 पूंजी और पंक्ति 58 ए में रिपोर्टित टियर 2 पूंजी के बीच का अंतर)	0.00

	Notes to the Template	
Row No. of the template	**Particular**	**(₹ in million)**
10	Deferred tax assets associated with accumulated losses	0.00
	Deferred tax assets (excluding those associated with accumulated losses) net of Deferred tax liability	0.00
	Total as indicated in row 10	0.00
19	If investments in insurance subsidiaries are not deducted fully from capital and instead considered under 10% threshold for deduction, the resultant increase in the capital of bank	Not Applicable
	of which: Increase in Common Equity Tier 1 capital	Not Applicable
	of which: Increase in Additional Tier 1 capital	Not Applicable
	of which: Increase in Tier 2 capital	Not Applicable
26b	If investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries are not deducted and hence, risk weighted then:	Not Applicable
	(i) Increase in Common Equity Tier 1 capital	Not Applicable
	(ii) Increase in risk weighted assets	Not Applicable
44a	Excess Additional Tier 1 capital not reckoned for capital adequacy (difference between Additional Tier 1 capital as reported in row 44 and admissible Additional Tier 1 capital as reported in 44a)	Not Applicable
	of which: Excess Additional Tier 1 capital which is considered as Tier 2 capital under row 58b	Not Applicable
50	Eligible Provisions included in Tier 2 capital	8168.66
	Eligible Revaluation Reserves included in Tier 2 capital	0.00
	Total of row 50	8168.66
58a	Excess Tier 2 capital not reckoned for capital adequacy (difference between Tier 2 capital as reported in row 58 and T2 as reported in 58a)	0.00

	डीएफ 12 : पूंजी की संरचना - मिलान आवश्यकताएं – चरण 1		(₹ मिलियन में)
		वित्तीय विवरणों के अनुसार (स्टैंडएलोन) तुलन पत्र	समेकन के विनियामक दायरे के तहत तुलन पत्र
		31 .03. 2016 को	31 .03. 2016 को
ए	**पूंजी और देयताएं**		
I	प्रदत्त पूंजी	4802.92	4802.92
	आरक्षितियां एवं अधिशेष	157794.85	160095.51
	कुल पूंजी	**162597.77**	**164898.43**
	अल्पसंख्यक के हित	0.00	172.50
ii	**जमाराशियां**	**1782858.43**	**1782589.20**
	जिसमें से: बैंकों से जमा	25362.68	25362.60
	जिसमें से: ग्राहकों की जमा राशि	1757495.75	1757226.60
	जिसमें से: अन्य जमा (कृपया दर्शाएँ)	0.00	0.00
iii	**उधार राशियां**	**35093.16**	**35093.16**
	जिसमें से: भारतीय रिजर्व बैंक से	0.00	0.00
	जिसमें से: बैंकों से	0.14	0.14
	जिसमें से: दूसरे संस्थाओं और अभिकरणों से	0.89	0.89
	जिसमें से: अन्य (कृपया दर्शाएँ)	20092.13	20092.13
	जिसमें से: पूंजी लिखतें	15000.00	15000.00
iv	**अन्य देयताएँ एवं प्रावधान**	**56554.46**	**56657.70**
	कुल देयताएँ	**2037103.82**	**2039410.90**
बी	**आस्तियां**		
I	भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी और शेष	**91744.51**	**91744.51**
	बैंकों में शेष और मांग और अल्पावधि पर धनराशि	**28248.39**	**28251.60**
ii	निवेश :	**530893.14**	**532829.30**
	जिसमें से: सरकारी प्रतिभूतियों में	420821.07	420821.00
	जिसमें से: अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	362.71	362.70
	जिसमें से: शेयरों में	3873.46	3904.20
	जिसमें से: ऋण पत्र और बांड में	77682.76	77682.80
	जिसमें से: अनुषंगी / संयुक्त उपक्रम / सहयोगियों में	451.50	2357.00
	जिसमें से: अन्य (वाणिज्यिक पत्रों, म्यूचुअल फंडों आदि) में	27701.64	27701.60
iii	ऋण और अग्रिम	**1290490.76**	**1290554.40**
	जिसमें से: बैंकों को ऋण और अग्रिम	6659.93	6659.93
	जिसमें से: ग्राहकों को ऋण और अग्रिम	1283830.83	1283894.47
iv	अचल आस्तियाँ	**35110.72**	**35156.10**
v	अन्य आस्तियां	**60616.29**	**60875.00**
	जिसमें से: गुडविल और अमूर्त आस्तियां	0.00	0.00
	जिसमें से: आस्थगित कर आस्तियाँ	711.96	754.18
vi	समेकन पर गुडविल	0.00	0
vii	लाभ और हानि खाते में नामे शेष	0.00	0
	कुल आस्तियां	**2037103.82**	**2039410.90**

	DF-12: Composition of Capital- Reconciliation Requirements -STEP 1		(₹ in Million)
		Balance sheet as in financial statements (stand alone)	**Balance sheet under regulatory scope of consolidation**
		As on 31.03.2016	As on 31.03.2016
A	**Capital & Liabilities**		
i	Paid-up Capital	4802.92	4802.92
	Reserves & Surplus	157794.85	160095.51
	Total Capital	**162597.77**	**164898.43**
	Minority Interest	0.00	172.50
ii	**Deposits**	**1782858.43**	**1782589.20**
	of which: Deposits from banks	25362.68	25362.60
	of which: Customer deposits	1757495.75	1757226.60
	of which: Other deposits (pl. specify)	0.00	0.00
iii	**Borrowings**	**35093.16**	**35093.16**
	of which: From RBI	0.00	0.00
	of which: From banks	0.14	0.14
	of which: From other institutions & agencies	0.89	0.89
	of which: Others (pl. specify)	20092.13	20092.13
	of which: Capital instruments	15000.00	15000.00
iv	**Other liabilities & provisions**	**56554.46**	**56657.70**
	Total Liabilities	**2037103.82**	**2039410.90**
B	**Assets**		
i	Cash and balances with Reserve Bank of India	**91744.51**	**91744.51**
	Balance with banks and money at call and short notice	**28248.39**	**28251.60**
ii	Investments:	**530893.14**	**532829.30**
	of which: Government securities	420821.07	420821.00
	of which: Other approved securities	362.71	362.70
	of which: Shares	3873.46	3904.20
	of which: Debentures & Bonds	77682.76	77682.80
	of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	451.50	2357.00
	of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	27701.64	27701.60
iii	Loans and advances	**1290490.76**	**1290554.40**
	of which: Loans and advances to banks	6659.93	6659.93
	of which: Loans and advances to customers	1283830.83	1283894.47
iv	Fixed assets	**35110.72**	**35156.10**
v	Other assets	**60616.29**	**60875.00**
	of which: Goodwill and intangible assets	0.00	0.00
	of which: Deferred tax assets	711.96	754.18
vi	Goodwill on consolidation	0.00	0
vii	Debit balance in Profit & Loss account	0.00	0
	Total Assets	**2037103.82**	**2039410.90**

	डीएफ 12 : पूंजी की संरचना - मिलान आवश्यकताएं – चरण 2			(₹ मिलियन में)
		वित्तीय विवरणों के अनुसार (स्टैंडएलोन) तुलन पत्र	समेकन के विनियामक दायरे के तहत तुलन पत्र	
		31 .03. 2016 को	31 .03. 2016 को	संदर्भ
ए	**पूँजी तथा देयताएँ**			
I	**प्रदत्त पूँजी**	4802.92	4802.92	
	जिनमें से : सीईटी 1 के लिए पात्र राशि	4802.92	4802.92	ए1
	जिनमें से : एटी 1 के लिए पात्र राशि	0.00	0.00	इ
	आरक्षित निधि तथा अधिशेष (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)	**157794.85**	**160095.51**	
	जिनमें से			
	1.शेयर प्रिमियम	13256.73	13256.73	ए2
	2.सांविधिक आरक्षितियां	37591.08	37591.08	बी1
	3.आरक्षित पूंजी	1178.22	1178.22	बी2
	4.विशेष आरक्षितियां	6847.20	6847.20	
	जिनमें से कर का निवल विशेष आरक्षितियां	6847.20	6847.20	बी3
	5.राजस्व आरक्षितियां	66585.11	66961.13	बी4
	6.लाभ एवं हानि खाता	963.64	2888.28	
	जिनमें से : प्रतिधारित कमाई	963.64	2888.28	बी5
	7.अल्प संख्यक के हित	0.00	172.50	
	जिनमें से पूँजी निधि के लिए लिया गया	0.00	0.00	
	8.पुनर्मूल्यन आरक्षिति	27814.27	27814.27	
	पुनर्मूल्यन आरक्षिति (सीईटी 1 पूंजी के अंश पर 55% का छूट)	12516.42	12516.42	बी6
	9.आरक्षित निवेश	399.22	399.22	सी3
	10.सामान्य प्रावधान	7769.44	7769.44	सी4
	11.फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिज़र्व (एफटीआरपी)	3159.38	3159.38	
	जिनमें से पूंजी निधि के लिए (25% की छूट) लिया गया.	2369.54	2369.54	बी7
	कुल पूंजी	**162597.77**	**164898.43**	
ii	**जमा राशियां**	**1782858.43**	**1782589.20**	
	जिनमें से : बैंकों की जमा राशियां	25362.68	25362.60	
	जिनमें से : ग्राहक जमाएं	1757495.75	1757226.60	
	जिनमें से : अन्य जमाएं	0.00	0.00	
iii	**उधार**	**35093.16**	**35093.16**	
	जिनमें से : भारतीय रिज़र्व बैंक से	0.00	0.00	
	जिनमें से : बैंकों स	0.14	0.14	
	जिनमें से : अन्य संस्थाओं और एजेंसियों से	0.89	0.89	
	जिनमें से : भारत के बाहर से उधार	20092.13	20092.13	
	जिनमें से : पूंजी लिखत	15000.00	15000.00	
	अपर टियर II लिखत	5000.00	5000.00	सी1
	लोवर टियर II लिखत	5000.00	5000.00	सी2
	एटी 1 के लिए सदैव लिखत अनर्ह	5000.00	5000.00	
iv	**अन्य देयताएं एवं प्रावधान**	**56554.46**	**56657.70**	
	कुल	**2037103.82**	**2039410.90**	

	DF-12: Composition of Capital- Reconciliation Requirements-STEP 2			(₹ in Million)
		Balance sheet as in financial statements (stand alone)	Balance sheet under regulatory scope of consolidation	
		As on 31.03.2016	As on 31.03.2016	Reference
A	**Capital & Liabilities**			
i	Paid-up Capital	4802.92	4802.92	
	of which: Amount eligible for CET1	4802.92	4802.92	A1
	of which: Amount eligible for AT1	0.00	0.00	E
	Reserves & Surplus (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)	**157794.85**	**160095.51**	
	of which			
	1.Share Premium	13256.73	13256.73	A2
	2.Statutory Reserves	37591.08	37591.08	B1
	3.Capital Reserves	1178.22	1178.22	B2
	4.Special Reserves	6847.20	6847.20	
	of which special reserve net of Tax	6847.20	6847.20	B3
	5.Revenue Reserves	66585.11	66961.13	B4
	6.Profit and Loss account	963.64	2888.28	
	Of which: Retained earnings	963.64	2888.28	B5
	7.Minority Interest	0.00	172.50	
	Of which considered for Capital funds	0.00	0.00	
	8.Revaluation Reserve	27814.27	27814.27	
	Revaluation Reserve(Part of CET 1 capital @ discount of 55%)	12516.42	12516.42	B6
	9.Investment Reserve	399.22	399.22	C3
	10.General Provisions	7769.44	7769.44	C4
	11.Foreign Currency Translation Reserve (FCTR)	3159.38	3159.38	
	of which considered for Capital funds (at 25% discount)	2369.54	2369.54	B7
	Total Capital	**162597.77**	**164898.43**	
ii	**Deposits**	**1782858.43**	**1782589.20**	
	of which: Deposits from banks	25362.68	25362.60	
	of which: Customer deposits	1757495.75	1757226.60	
	of which: Other deposits	0.00	0.00	
iii	**Borrowings**	**35093.16**	**35093.16**	
	of which: From RBI	0.00	0.00	
	of which: From banks	0.14	0.14	
	of which: From other institutions & agencies	0.89	0.89	
	of which: borrowings outside India	20092.13	20092.13	
	of which: Capital instruments	15000.00	15000.00	
	Upper Tier II Instruments	5000.00	5000.00	C1
	Lower Tier II Instruments	5000.00	5000.00	C2
	Perpetual Debt Instruments qualifying for AT 1	5000.00	5000.00	
iv	**Other liabilities & provisions**	**56554.46**	**56657.70**	
	Total	**2037103.82**	**2039410.90**	

	डीएफ 12 : पूंजी की संरचना - मिलान आवश्यकताएं – चरण 2			(₹ मिलियन में)
		वित्तीय विवरणों के अनुसार (स्टैंडएलोन) तुलन पत्र	समेकन के विनियामक दायरे के तहत तुलन पत्र	
बी	**आस्तियां**	**31 .03. 2016 तक**	**31 .03. 2016 तक**	**संदर्भ**
I.	**भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ नकद एवं शेष**	**91744.51**	**91744.51**	
	बैंकों के पास शेष और मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	**28248.39**	**28251.60**	
ii	**निवेश**	530893.14	532829.30	
	जिनमें से : सरकारी प्रतिभूतियां	420821.07	420821.00	
	जिनमें से : अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	362.71	362.70	
	जिनमें से : शेयर	3873.46	3904.20	
	जिनमें से : डिबेंचर एवं बांड	77682.76	77682.80	
	जिनमें से : अनुषंगी / संयुक्त उद्यम / सहयोगी संस्थाए	451.50	2357.00	
	जिनमें से : अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युचुअल फंड, इत्यादि)	27701.64	27701.60	
iii	**ऋण एवं अग्रिम**	**1290490.76**	**1290554.40**	
	जिनमें से : बैंकों को ऋण और अग्रिम	6659.93	6659.93	
	जिनमें से : ग्राहकों को ऋण और अग्रिम	1283830.83	1283894.47	
iv	**अचल आस्तियां**	**35110.72**	**35156.10**	
v	**अन्य आस्तियां**	**60616.29**	**60875.00**	
	जिनमें से : गुडविल और अमूर्त आस्तियां			
	जिनमें से	711.96	754.18	
	गुडविल	0.00	0.00	
	अन्य अमूर्त तत्व	0.00	0.00	
	आस्थगित कर देयताएं	711.96	754.18	
vi	समेकन पर गुडविल	0.00	0.00	
vii	लाभ तथा हानि खाते में नामे शेष	0.00	0.00	
	कुल आस्तियां	**2037103.82**	**2039410.90**	

	बेसल III सामान्य प्रकटीकरण टेंप्लेट का उद्धरण – सारणी डीएफ – 11	चरण 3	(₹ मिलियन में)
	सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी : लिखत तथा आरक्षिति		
		बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई विनियामक पूँजी के घटक	चरण 2 से समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत तुलनपत्र के संदर्भ संख्या पत्रों पर आधारित स्रोत
1	सीधे निर्गमित की गई अर्हक सामान्य शेयर (तथा गैर – संयुक्त स्टॉक कंपनियों के लिए समतुल्य) पूंजी तथा संबंधित स्टॉक अधिशेष का जोड	18059.65	A1+A2
2	प्रतिधारित आय	2888.28	B5
3	संचयित अन्य व्यापक आय (तथा अन्य निधियां)	127463.59	B1+B2+B3+B4+B6+B7
4	सीईटी1 से हटाया जाने के अधीन सीधे निर्गमित पूंजी (केवल गैर संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर लागू)	0	
5	अनुषंगी संस्थाओं द्वारा निर्गमित सामान्य शेयर पूंजी तथा थर्ड पार्टी द्वारा धारित (समूह सीईटी 1 में अनुमत राशि)	0	
6	विनियामक समायोजनों से पूर्व सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी	148411.52	
7	विवेकपूर्ण मूल्यन समायोजन	0	
8	गुडविल (संबंधित कर दयेता का निवल)	0	

	DF-12: Composition of Capital- Reconciliation Requirements-STEP 2			(₹ in Million)
		Balance sheet as in financial statements (stand alone)	Balance sheet under regulatory scope of consolidation	
		As on 31.03.2016	As on 31.03.2016	Reference
B	**Assets**			
i.	**Cash and balances with Reserve Bank of India**	**91744.51**	**91744.51**	
	Balance with banks and money at call and short notice	**28248.39**	**28251.60**	
ii	**Investments**	530893.14	532829.30	
	of which: Government securities	420821.07	420821.00	
	of which: Other approved securities	362.71	362.70	
	of which: Shares	3873.46	3904.20	
	of which: Debentures & Bonds	77682.76	77682.80	
	of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	451.50	2357.00	
	of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	27701.64	27701.60	
iii	**Loans and advances**	**1290490.76**	**1290554.40**	
	of which: Loans and advances to banks	6659.93	6659.93	
	of which: Loans and advances to customers	1283830.83	1283894.47	
iv	**Fixed assets**	**35110.72**	**35156.10**	
v	**Other assets**	**60616.29**	**60875.00**	
	of which: Goodwill and intangible assets			
	Out of which:	711.96	754.18	
	Goodwill	0.00	0.00	
	Other intangibles	0.00	0.00	
	Deferred tax assets	711.96	754.18	
vi	Goodwill on consolidation	0.00	0.00	
vii	Debit balance in Profit & Loss account	0.00	0.00	
	Total Assets	**2037103.82**	**2039410.90**	

	Extract of Basel III common disclosure template – Table DF-11	**STEP 3**	(₹ in Million)
	Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves		
		Component of regulatory capital reported by bank	**Source based on reference numbers/ letters of the balance sheet under the regulatory scope of consolidation from step 2**
1	Directly issued qualifying common share (and equivalent for non-joint stock companies) capital plus related stock surplus	18059.65	A1+A2
2	Retained earnings	2888.28	B5
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	127463.59	B1+B2+B3+B4+B6+B7
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)	0	
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	0	
6	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	148411.52	
7	Prudential valuation adjustments	0	
8	Goodwill (net of related tax liability)	0	

सारणी डीएफ – 13 विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएँ
विनियामक पूंजी लिखतों का मुख्य विशेषताएं हेतु प्रकटिकरण टेम्प्लेट

1	जारीकर्ता	इंडियन बैंक	इंडियन बैंक
2	विशिष्ट पहचानकर्ता (उदा : सीयूएसआईपी, आईएसआईएन अथवा निजी निवेश के लिए ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई562ए01011	आईएनई562ए09055
3	लिखतों का नियंत्रण करनेवाले नियम	भारतीय कानून और विनियामक आवश्यकताओं पर लागू	भारतीय कानून और विनियामक आवश्यकताओं पर लागू
	विनियामक ट्रीट्मेंट		
4	संक्रमणकालिक बेसल III नियम	सामान्य ईक्विटी टियर 1	एटी 1 बाण्ड
5	उत्तर संक्रमणकालिक बेसल III नियम	सामान्य ईक्विटी टियर 1	अपात्र
6	एकल/समूह/समूह एवं एकल पर पात्र	समूह एवं एकल	समूह एवं एकल
7	लिखत प्रकार	कामन शेयर	बेमियादी बाण्ड
8	विनियामक पूंजी में शामिल की गई राशि (31.03.2016 को रुपए मिलियन में))	4802.92	5000
9	लिखत का सममूल्य	लागू नहीं	5000
10	लेखांकन वर्गीकरण	शेयर धारक का ईक्विटी	उधार
11	जारी करने की मूल तिथि	भिन्न तिथि	30.03.2016
12	सतत अथवा दिनांकित	बेमियादी	बेमियादी
13	मूल परिपक्वता तिथि	लागू नहीं	बेमियादी
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता काल	नहीं	हाँ
15	वैकल्पिक कालॅ दिनांक, आकस्मिक कॉल दिनांक एवं मोचन राशि (रुपए मिलियन में)	लागू नही	वैकल्पिक कालॅ दिनांकः30/03/2021 आकस्मिक कॉल दिनांकः लागू नहीं मोचन राशिः 5000
16	अनुवर्ती काल दिनांक यदि लागू हो	लागू नहीं	लागू नहीं
	लाभांश / कूपन	लाभांश	कूपन
17	स्थिर अथवा अस्थिर लाभांश / कूपन	लाभांश	स्थायी
18	कूपन दर अथवा कोई अन्य संबंधित सूचकांक	लागू नहीं	11.15 प्रतिवर्ष कोई संबंधित सूचकांक नहीं है
19	लाभांश रोधक का अस्तित्व	लागू नहीं	हाँ
20	पूर्ण विवेकाधिकार, अर्ध विवेकाधिकार अथवा अनिवार्य	पूरी तरह विवेकाधीन	अनिवार्य
21	भुनाने के लिए स्टेप अप अथवा अन्य प्रोत्साहन राशि का अस्तित्व	नहीं	नहीं
22	गैर संचयी अथवा संचयी	गैर संचयी	गैर संचयी
23	परिवर्तनीय अथवा अपरिवर्तनीय	लागू नहीं	बेसल ।।। पर भारिबैंक के दिनांक 01.07.2015 के मास्टर परिपत्र में वर्णित पीओएनवी घटना / विशिष्ट ट्रिगर के आधार पर परिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं	पूर्व विनिर्दिष्ट ट्रिगर पर परिवर्तन जो 5.50 प्रतिशत के न्यूनतम आम ईक्विटी टियर । पूंजी अनुपात पर हो (31.03.2019 के पहले) या जोखिम भारित आस्तियों (आरडबल्यूए) के 6 .125 प्रतिशत पर हो (31.03.2019 या उसके बाद) जोकि बेसल ।।। पर जारी भारिबैंक के 01.07.2015 के परिपत्र में निर्धारित किया गया है।
25	यदि परिवर्तनीय है तो, पूर्णतः अथवा अंशत :	लागू नहीं	पूर्णतः
26	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन दर	लागू नहीं	परिवर्तन के समय पर मौजूदा बाजार मूल्य के आधार पर
27	यदि परिवर्तनीय है तो, अनिवार्य अथवा वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं	विशिष्ट ट्रिगर पर अनिवार्य
28	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तनीय लिखत के प्रकार को विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तनीय लिखत जारीकर्ता को विनिर्दिष्ट करें।	लागू नहीं	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	नहीं	नहीं
31	यदि अवलिखित है तो, उसके ट्रिगर	लागू नहीं	लागू नहीं
32	यदि अवलिखित है तो, पूर्णतः अथवा अंशतः	लागू नहीं	लागू नहीं
33	यदि अवलिखित है तो, स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी अवलेखन है तो, राइट– अप प्रणाली का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनता स्थान में पदक्रम (लिखत के निकटतम वरिष्ठ लिखत प्रकार उल्लेख करें)	लागू नही	बैंक के अन्य लेनदारों तथा जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ
36	गैर कार्यान्वित संक्रमण विशेषताएं	नहीं	लागू नहीं
37	यदि हाँ, गैर कार्यान्वित विशेषताओं को विनिर्दिष्ट करना	लागू नहीं	लागू नहीं

Table DF-13: Main Features of Regulatory Capital Instruments
Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

1	Issuer	Indian Bank	Indian Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE562A01011	INE562A09055
3	Governing law(s) of the instrument	Applicable Indian Laws and regulatory requirements	Applicable Indian Laws and regulatory requirements
	Regulatory treatment		
4	Transitional Basel III rules	Common Equity Tier 1	AT 1 bonds
5	Post-transitional Basel III rules	Common Equity Tier 1	Eligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Group & Solo	Group & Solo
7	Instrument type	Common Shares	Perpetual bonds
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. in million, as of 31.03.2016)	4802.92	5000
9	Par value of instrument	Not Applicable	5000
10	Accounting classification	Share holder's equity	Borrowings
11	Original date of issuance	various dates	30.03.2016
12	Perpetual or dated	Perpetual	Perpetual
13	Original maturity date	Not Applicable	Perpetual
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (₹ In Millions)	Not Applicable	Optional Call date: 30.03.2021 Contingent Call dates: Not applicable Redemption amount:5000
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable	Not Applicable
	Coupons / dividends	Dividend	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Dividend	Fixed
18	Coupon rate and any related index	Not Applicable	11.15% p.a No related index
19	Existence of a dividend stopper	Not Applicable	Yes
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Fully discretionary	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No	No
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Not Applicable	Convertible at specific trigger / PONV event as described in RBI Master circular on Basel III dated 01.07.2015
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable	Conversion at pre-specified trigger at minimum Common Equity Tier I capital ratio of 5.50% (before 31.03.2019) or 6.125% of Risk weighted Assets (RWAs) (on or after 31.03.2019) as prescribed in in RBI Master circular on Basel III dated 01.07.2015
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable	Fully
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable	Based on market price prevailing at the time of conversion
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable	Mandatory on specific trigger
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable	Not Applicable
30	Write-down feature	No	No
31	If write-down, write-down trigger(s)	Not Applicable	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Not Applicable	Subordinated to the claims of other creditors and depositors of the Bank
36	Non-compliant transitioned features	No	Not Applicable
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable	Not Applicable

सारणी डीएफ – 13 विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएँ
विनियामक पूंजी लिखतों का मुख्य विशेषताएं हेतु प्रकटिकरण टेम्प्लेट

1	जारीकर्ता	इंडियन बैंक	इंडियन बैंक
2	विशिष्ट पहचानकर्ता (उदा : सीयूएसआईपी, आईएसआईएन अथवा निजी निवेश के लिए ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई562ए09030	आईएनई562ए09048
3	लिखतों का नियंत्रण करनेवाले नियम	भारतीय विधि और विनियामक अपेक्षाएँ पर लागू	भारतीय विधि और विनियामक अपेक्षाएँ पर लागू
	विनियामक ट्रीट्मेंट		
4	संक्रमणकालिक बेसल III नियम	टियर 2	टियर 2
5	उत्तर संक्रमणकालिक बेसल III नियम	अपात्र	अपात्र
6	एकल/समूह/समूह एवं एकल पर पात्र	समूह एवं एकल	समूह एवं एकल
7	लिखत का प्रकार	निम्नतर टीयर II (श्रृंखला II)	उच्चतर टीयर II (श्रृंखला II)
8	विनियामक पूंजी में शामिल की गई राशि (31.03.2016 को रुपए मिलियन में)	3000	3000
9	लिखत का सममूल्य	5000	5000
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधार	उधार
11	जारी करने की मूल तिथि	28.06.2010	16.07.2010
12	सतत अथवा दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता तिथि	28.06.2020	16.07.2025
14	पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता काल	हाँ	हाँ
15	वैकल्पिक काल्ँ दिनांक, आकस्मिक कॉल दिनांक एवं मोचन राशि (रुपए मिलियन में)	वैकल्पिक काल्ँ दिनांक लागू नहीं	वैकल्पिक काल्ँ दिनांक:16/07/2020 आकस्मिक कॉल दिनांकः लागू नहीं मोचिन राशिः 5000
16	अनुवर्ती काल दिनांक यदि लागू हो	लागू नहीं	लागू नहीं
	कूपन / लाभांश	कूपन	कूपन
17	स्थिर अथवा अस्थिर लाभांश / कूपन	स्थायी	स्थायी
18	कूपन दर अथवा कोई अन्य संबंधित सूचकांक	8.53 प्रतिशत प्रतिवर्ष	पहले 10 वर्ष के लिए 8.67 प्रतिशत अगर कॉल का प्रयोग नहीं किया गयाः 9.17प्रतिशत
19	लाभांश रोधक का अस्तित्व	नहीं	नहीं
20	पूर्ण विवेकाधिकार, अर्धविवेकाधिकार अथवा अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
21	भुनाने के लिए स्टेप अप अथवा अन्य प्रोत्साहन राशि का अस्तित्व	नहीं	हाँ 50 बीपीएस द्वारा वृद्धिशील ऋण
22	गैर संचयी अथवा संचयी	गैर संचयी	गैर संचयी
23	परिवर्तनीय अथवा अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय है तो, पूर्णतः अथवा अंशतः	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय है तो, अनिवार्य अथवा वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तनीय लिखत के प्रकार को विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तनीय लिखत जारीकर्ता को विनिर्दिष्ट करें।	लागू नहीं	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएं	नहीं	नहीं
31	यदि अवलिखित है तो, उसके ट्रिगर	लागू नहीं	लागू नहीं
32	यदि अवलिखित है तो, पूर्णतः अथवा अंशतः	लागू नहीं	लागू नहीं
33	यदि अवलिखित है तो, स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी अवलेखन है तो, राइट– अप प्रणाली का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनता स्थान में पदक्रम (लिखत के निकटतम वरिष्ठ लिखत प्रकार उल्लेख करें)	बैंक के अन्य लेनदारों तथा जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ	बैंक के अन्य लेनदारों तथा जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ
36	गैर कार्यान्वित संक्रमण विशेषताएं	हाँ	हाँ
37	यदि हाँ, गैर कार्यान्वित विशेषताओं को विनिर्दिष्ट करना	बिना हानि के अवशोषकता विशेषताएँ	बिना हानि के अवशोषकता विशेषताएँ

Table DF-13: Main Features of Regulatory Capital Instruments

Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

1	Issuer	Indian Bank	Indian Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE562A09030	INE562A09048
3	Governing law(s) of the instrument	Applicable Indian Laws and regulatory requirements	Applicable Indian Laws and regulatory requirements
	Regulatory treatment		
4	Transitional Basel III rules	Tier 2	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Ineligible	Ineligible
6	Eligible at solo/group/group & solo	Group & Solo	Group & Solo
7	Instrument type	Lower Tier II (series II)	Upper Tier II (series III)
8	Amount recognised in regulatory capital Rs. in million, as of 31.03.2016)	3000	3000
9	Par value of instrument	5000	5000
10	Accounting classification	Borrowings	Borrowings
11	Original date of issuance	28.06.2010	16.07.2010
12	Perpetual or dated	Dated	Dated
13	Original maturity date	28.06.2020	16.07.2025
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (₹ In Millions)	Call Option Date: Not applicable	Optional Call date:16/07/2020 Contingent Call dates: Not applicable Redemption amount:5000
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable	Not Applicable
	Coupons / dividends	Coupon	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	8.53% pa	8.67% pa for first 10 years, If call not exercised: 9.17%
19	Existence of a dividend stopper	No	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No	Yes step up by 50bps
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	Not Applicable	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable	Not Applicable
30	Write-down feature	No	No
31	If write-down, write-down trigger(s)	Not Applicable	Not Applicable
32	If write-down, full or partial	Not Applicable	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinated to the claims of other creditors and depositors of the Bank	Subordinated to the claims of other creditors and depositors of the Bank
36	Non-compliant transitioned features	Yes	Yes
37	If yes, specify non-compliant features	No loss absorbency features	No loss absorbency features

सारणी डीएफ–14 विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएं
निम्नतर टियर II बॉन्ड के लिए शर्त एवं निबंधन

सुरक्षा विवरण	8.67 प्रतिशत असुरक्षित प्रतिदेय अपरिवर्तनीय गौण अपर टियर II बॉन्ड (ऋण पूंजी लिखत) प्रत्येक 10,00,000 रुपये का वचन नोट की प्रकृति में (श्रृंखला तृतीय) कुल 500 करोड़ रुपये तक)
द्वारा सुरक्षा प्रदान किया गया	निजी निवेश
टैक्स की स्थिति	टैक्स से छूट नहीं
मुद्दा के उद्घाटन की तारीख	16/07/2010
मुद्दा के बंद होने की तारीख	16/07/2010
श्रृंखला	श्रृंखला III
आईएसआईएन कोड	आईएनई562ए09048
प्रति लिखत का अंकित मूल्य	रुपये 10,00,000
प्रति लिखत का प्रदत्त मूल्य	रुपये 10,00,000
मुद्दा का आकार	रुपय 500 करोड़
आवंटन की तिथि	16/07/2010
परिपक्वता की तिथि	16/07/2025
परिपक्व होने के लिए राशि	रुपय 500 करोड़
कूपन दर (निश्चित)	10 साल के लिए 8.67 प्रतिशत के दर पर। 50 बेसिस पॉइंट्स दर स्टेप्ड अप होगा, प्रभाव में, बॉन्ड्स पर कूपन दर 11 वें वर्ष से 9.17 प्रतिशत प्रतिवर्ष होगी, अगर कॉल ऑप्शन आवंटन की तिथि से 10 वर्ष के अंत में बैंक द्वारा प्रयोग नहीं की जाएगी।
ब्याज की आवृति	वार्षिक तथा गैर संचयी
देय ब्याज की तिथि	हर साल 16 जुलाई को
ब्याज भुगतान की पहली तिथि	16 जुलाई 2011
कॉल ऑप्शन	कॉल ऑप्शन बॉन्ड पर उपलब्ध है और आवंटन की तारीख से 10 वर्ष के अंत में बैंक द्वारा इसका प्रयोग किया जाना, अन्य शर्तों से संबंधित समय में लागू कानूनों और नियमन के अनुसार, बैंक की कॉल ऑप्शन प्रयोग के समय में और प्रयोग के बाद पूंजी पर्याप्तता स्थिति आंशिकतः नहीं बल्कि पूर्णतः बैंक द्वारा कॉल विकल्प का प्रयोग और प्रयोग के बाद का मामला भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के अधीन होगा । बैंक द्वारा कॉल विकल्प के प्रयोग के समय बैंक कम से कम 30 (तीस) दिन पहले उस तारीख को, बॉन्ड धारकों को पंजीकृत डाक / कूरियर द्वारा भेजे गए एक नोटिस के माध्यम से सूचित करेगा । बांड आवंटन की संभावित तारीख से 10 साल की चूक के बाद कॉल विकल्प के साथ संयोजन के रूप में बांड के पूरे जीवन काल के दौरान केवल एक बार प्रयोग किया जाएगा जो एक स्टेप–अप ऑप्शन है। स्टेप–अप 50 बीपीएस, कॉल ऑप्शन आवंटन की तिथि से 10 वर्ष के अंत में अगर बैंक द्वारा प्रयोग नहीं किया जाता है, तो बॉन्ड पर कूपन दर बाद के वर्षों के लिए 9.17: प्रति वर्ष के हिसाब से कूपन रेट बढ़ाया जाएगा।

Table DF-14: Main Features of Regulatory Capital Instruments

Terms and conditions for Lower Tier II Bond

Security Description	8.67% Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Upper Tier II Bonds (Debt Capital Instruments) in the nature of Promissory Notes (Series III) of Rs.10,00,000 each aggregating to Rs.500 Crore)
Security offered through	Private Placement
Tax status	Not exempted from Tax
Date of opening of the issue	16/07/2010
Date of closing of the issue	16/07/2010
Series	Series III
ISIN Code	INE562A09048
Face Value per instrument	Rs.10,00,000
Paid up value per instrument	Rs.10,00,000
Issue Size	Rs.500 Crore
Date of allotment	16/07/2010
Date of maturity	16/07/2025
Amount to be matured	Rs.500 Crore
Coupon rate (fixed)	8.67% for the first 10 years. The rate will be stepped up by 50 basis points, in effect, the coupon rate on Bonds shall be 9.17% p.a from 11th year onwards, if call option not exercised by the Bank at the end of the 10th year from the date of allotment
Frequency of Interest	Annual and Non Cumulative
Interest due dates	16th July every year
First Interest Payment date	16th July 2011
Call Option	Call Option is available on bonds which may be exercised by the Bank at the end of 10th year from the date of allotment, subject to prior approval of RBI and in accordance with the applicable laws and regulation in effect at the time relating to among other things, Capital adequacy position of the Bank both at the time of and after exercise of the Call option, in whole but not in part. In case of exercise of Call option by the Bank, the Bank shall notify its intention to do so through a notice sent by registered post/ courier to the Bond holders, at least 30(thirty) days prior to the due date. The bonds have a step-up options which shall be exercised only once during the whole life of the bonds, in conjunction with the Call option, after the lapse of 10 years from the deemed date of allotment. The step-up shall be 50 bps, in effect, the coupon rate on bonds shall be stepped up to 9.17% p.a for subsequent years if call option is not exercised by the bank at the end of 10th year from the date of allotment.

निम्नतर टीयर II बॉन्ड के लिए पूर्ण शर्त और निबंधन

सुरक्षा विवरण	8.53 प्रतिशत असुरक्षित प्रतिदेय अपरिवर्तनीय गौण निम्नतर टीयर II बॉन्ड्स 10,00,000 रुपये का वचन पत्र के श्रेणी में (ऋण पूंजी लिखत) (श्रृंखला II), प्रत्येक कुल 500 करोड़ रुपये तक)
द्वारा सुरक्षा प्रदान किया गया	निजी निवेश
टैक्स की स्थिति	टैक्स से छूट नहीं
मुद्दा के उद्घाटन की तारीख	28/06/2010
मुद्दा के बंद होने की तारीख	28/06/2010
श्रृंखला	श्रृंखला II
आईएसआईएन कोड	आईएनई562ए09030
प्रति लिखत का अंकित मूल्य	₹ 10,00,000
प्रति लिखत का प्रदत्त मूल्य	₹ 10,00,000
मुद्दा का आकार	₹ 500 करोड़
आवंटन की तिथि	28/06/2010
परिपक्वता अवधि समाप्ति की तिथि	28/06/2020
परिपक्व होने के लिए राशि	₹ 500 करोड़
कूपन दर (निश्चित)	8.53 प्रतिशत
ब्याज की आवृति	वार्षिक तथा गैर संचयी
देय ब्याज की तिथि	हर साल 28 जून को
ब्याज भुगतान की पहली तिथि	28 जून 2011

सारणी डीएफ–14 विनियामक पूंजी लिखतों की शर्त एवं निबंधन

एटी 1 बॉन्ड के लिए शर्त एवं निबंधन

सुरक्षा विवरण	**अरक्षित बेसल III के अनुपालन में अतिरिक्त टियर–1 की स्थायी ऋण लिखतें**
द्वारा सुरक्षा प्रदान किया गया	निजी निवेश
टैक्स की स्थिति	टैक्स से छूट नहीं
मुद्दा के उद्घाटन की तारीख	30/03/2016
मुद्दा के बंद होने की तारीख	30/03/2016
श्रृंखला	श्रृंखला I
आईएसआईएन कोड	INE562A09055
प्रति लिखत का अंकित मूल्य	रुपये 10,00,000
प्रति लिखत का प्रदत्त मूल्य	रुपये 10,00,000
मुद्दा का आकार	रुपये 500 करोड़
आवंटन की तिथि	31/03/2016
परिपक्वता की तिथि	स्थायी लिखतें
कूपन दर (नियत)	11.15 प्रतिशत प्रतिवर्ष
ब्याज की आवृति	वार्षिक तथा गैर संचयी
देय ब्याज की तिथि	हर साल 30 मार्च को
ब्याज भुगतान की पहली तिथि	30 मार्च 2017
पुट ऑप्शन	कुछ नहीं
कॉल ऑप्शन	5 वर्ष पूरा होने के बाद ही
ट्रस्टीस	एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड
ऋण रेटिंग	सीएआरई एए 05 मार्च 2016 दिनांकित सीआरआईएसआईएल एए/......02 मार्च 2016 दिनांकित

Terms and conditions for Lower Tier II Bond

Security Description	8.53% Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Lower Tier II Bonds (Debt Capital Instruments) in the nature of Promissory Notes (Series II) of Rs.10,00,000 each aggregating to Rs.500 Crore)
Security offered through	Private Placement
Tax status	Not exempted from Tax
Date of opening of the issue	28/06/2010
Date of closing of the issue	28/06/2010
Series	Series II
ISIN Code	INE562A09030
Face Value per instrument	Rs.10,00,000
Paid up value per instrument	Rs.10,00,000
Issue Size	Rs.500 Crore
Date of allotment	28/06/2010
Date of maturity	28/06/2020
Amount to be matured	Rs.500 Crore
Coupon rate (fixed)	8.53%
Frequency of Interest	Annual and Non Cumulative
Interest due dates	28th June every year
First Interest Payment date	28th June 2011

Table DF-14: Terms and Conditions of Regulatory Capital Instruments

Terms and conditions for AT 1 Bonds

Security Description	Unsecured BASEL III Compliant Additional Tier-1 Perpetual Debt Instruments
Security offered through	Private Placement
Tax status	Not exempted from Tax
Date of opening of the issue	30/03/2016
Date of closing of the issue	30/03/2016
Series	Series I
ISIN Code	INE562A09055
Face Value per instrument	Rs.10,00,000
Paid up value per instrument	Rs.10,00,000
Issue Size	Rs.500 Crore
Date of allotment	31/03/2016
Date of maturity	Perpetual instruments
Coupon rate (fixed)	11.15% p.a.
Frequency of Interest	Annual and Non Cumulative
Interest due dates	30th March every year
First Interest Payment date	30th March 2017
Put option	None
Call Option	Only after completing 5 years.
Trustees	Axis Trustee Services Limited
Credit Rating	CARE AA dated 05th March 2016 CRISIL AA/Negative dated 02nd March 2016

सारणी डीएफ –15: पारिश्रमिक के लिए प्रकटीकरण आवश्यकयताएं

..................लागू नहीं ....

बेसल III पर भारिबैंक के मास्टर परिपत्र के अनुसार यह सारणी भारत में कार्यरत सभी निजी एवं विदेशी बैंकों के लिए ही लागू है ।

सारणी डीएफ –16 : ईक्विटी – बैंकिंग बुक स्थितियों के लिए प्रकटीकरण

बैंकों द्वारा निवेश संविभाग के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन पर विवेकपूर्ण मानदण्डों पर भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्र के अनुपालन में खरीद के समय में ही निवेशों को व्यापार के लिए धारित (एचएफटी), बिक्री के लिए उपलब्ध(एएफएस) ओर परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। छोटी अवधि में ही मूल रूप से बिक्री के लिए धारित निवेशों को एचएफटी प्रतिभूति के रूप में वर्गीकृत किया जाता हैं। भारिबैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसी एचएफटी प्रतिभूतियों को, जो 90 दिन की अवधि के लिए बिना बिके रहते हैं, एएफएस प्रतिभूति के रूप में पुनः वर्गीकृत किया जाता हैं। जिन प्रतिभूतियों को बैंक परिपक्वता तक धारित करने का इरादा रखता है, उन्हें एचटीएम संवर्ग में वर्गीकृत किया जाता है। भारिबैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमों की ईक्विटी में निवेश को एएफएस प्रतिभूति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी निवेशों को एएफएस प्रतिभूति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

एचटीएम सवंर्ग में धारित ईक्विटी निवेशों को अर्जन लागत पर रखा जाता है। बैंकिंग बही के अंतर्गत ईक्विटी निवेश, अनुषंगियों और सहयोगी संस्थाओं में बैंक के निवेश है। 31.03.2016 तक बैंकिंग बही के अंतर्गत ईक्विटी शेयरों में बही मूल्य रुपए 923.64 मिलियन हैं। बैंक ने समेकित लाभ / हानि लेखें में या समेकित तुलन–पत्र में किसी प्रकार का लाभ या हानि कि पहचान नहीं की हैं।

अनुषंगियों में निवेश को सीईटी 1, एटी 1 से कम किया गया है तथा सहयोगी संस्थाओं की टियर ।। पूंजी तथा निवेश को 250 प्रतिशत पर जोखिम भारित किया गया है।

सारणी डीएफ 17 – लेखांकित आस्तियों की तुलना में लिवरेज अनुपात एक्सपोजर कदमों की तुलना का सारांश

	मद	(₹ मिलियन में)
1	प्रकाशित वित्तीय विवरण के अनुसार कुल समेकित आस्तियां	2039410.91
2	बैंकिंग, वित्तीय, बीमा या वाणिज्यिक उपक्रमों में निवेश के लिए समायोजन जिन्हें लेखांकन के प्रयोजनों के लिए समेकित किया गया है परंतु विनियामक समेकन के दायरे के बाहर है।	0.00
3	परिचालनगत लेखांकन ढांचे के अनुरूप तुलन–पत्र में पहचानी गयी प्रत्ययी आस्तियों के लिए समायोजन परंतु जो लिवरेज अनुपात एक्स्पोज़र कदम के दायरे से बाहर है।	
4	व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों के लिए समायोजन।	4274.33
5	प्रतिभूतियों के वित्तीयन लेनदेनों के लिए समायोजन (अर्थात् रिपो और इसी प्रकार के रक्षित ऋण)	3019.20
6	तुलन–पत्र से बाहर की मदों के लिए समायोजन (अर्थात् तुलन–पत्र के बाहर की एक्स्पोज़र राशियों का ऋण–समतुल्य राशियों में परिवर्तन।	177407.12
7	अन्य समायोजन	(5623.70)
8	**लिवरेज अनुपात एक्स्पोज़र**	**2229735.25**

डीएफ – 18 लिवरेज अनुपात सामान्य प्रकटीकरण टेम्प्लेट

(₹ मिलियन में)

	मद	मार्च 2016
	तुलन–पत्र में आनेवाले एक्स्पोज़र	**समेकित**
1	तुलन–पत्र में आनेवाली मदें (व्युत्पन्न और एसएफटी को छोड़कर परंतु संपार्श्विक को शामिल करते हुए)	2045497.27
2	(बेसल ।।। टियर । पूंजी के निर्धारण में आस्ति राशियां घटायी गयी हैं।)	(462.66)
3	कुल तुलन–पत्र में आनेवाली मदें (व्युत्पन्न और एसएफटी को छोड़कर) (ऊपर 1 और 2 का योग)	2045034.60
	व्युत्पन्न एक्स्पोज़र	
4	सभी व्युत्पन्न लेनदेनों से संबंधित पुनः स्थापन लागत (अर्थात् पात्र नकदी विभिन्नता मार्जिन को घटाने के बाद)	1935.46
5	सभी व्युत्पन्न लेनदेनों से संबंधित पीएफई के लिए एड–ऑन राशियां	2338.87
6	परिचालनगत लेखांकन ढांचे के अनुपालन में तुलन–पत्र की आस्तियों से जहां कटौती की गई है, प्रावधान किए गए व्युत्पन्न संपार्श्विक की सकल राशि।	0
7	(व्युत्पन्न लेनदेनों में प्रावधान किए गए नकदी विभिन्नता मार्जिन के लिए प्राप्य आस्तियों की कटौती)	0
8	(ग्राहक द्वारा क्लियर किए गए व्यापार एक्स्पोज़र में छूट प्राप्त सीसीपी लेग)	0
9	लिखित ऋण व्युत्पन्न के लिए समायोजित प्रभावी नाम मात्र राशि।	0
10	(लिखित ऋण व्युत्पन्न के लिए समायोजित प्रभावी नाम मात्र ऑफसेट और एड–ऑन कटौतियां)	0
11	कुल व्युत्पन्न एक्स्पोज़र (ऊपर 4 से 10 का योग)	4274.33

Table DF-15: Disclosure Requirements for Remuneration

----- Not applicable -----

As per RBI Master Circular on Basel III, this table is only applicable to all private sector and foreign banks operating in India.

Table DF-16: Equities-Disclosure for Banking Book Positions

Investments are classified at the time of purchase into Held for trade (HFT), Available for Sale (AFS) and Held to Maturity (HTM) categories in line with the RBI master circular on Prudential Norms for classification, valuation and operation of investments portfolio by Banks. Investments that are held principally for sale within a short period are classified as HFT securities. As per the RBI guidelines, HFT securities, which remain unsold for a period of 90 days are reclassified as AFS securities. Investments that the Bank intends to hold till maturity are classified under the HTM category. Investments in the equity of subsidiaries/joint ventures are categorized as HTM in accordance with the RBI guidelines. All other investments are classified as AFS securities.

Equity investments under the HTM category are carried at acquisition cost. Equity investment under the banking book are the Bank's investments in subsidiaries and associates. As on 31/03/2016, Book value of equity shares under Banking book is ₹ 923.64 million. The Bank has not recognised any gain or loss in the consolidated profit and loss account or consolidated balance sheet.

Investments in subsidiaries are reduced from CET 1, AT1 and Tier II capital and investment in associates has been risk weighted at 250%.

Table DF 17- Summary comparison of accounting assets vs. leverage ratio exposure measure

	Item	(₹ in Million)
1	Total consolidated assets as per published financial Statement	2039410.91
2	Adjustment for investments in banking, financial, insurance or commercial entities that are consolidated for accounting purposes but outside the scope of regulatory consolidation	0.00
3	Adjustment for fiduciary assets recognized on the balance sheet pursuant to the operative accounting framework but excluded from the leverage ratio exposure measure	
4	Adjustments for derivative financial instruments	4274.33
5	Adjustment for securities financing transactions (i.e. repos and similar secured lending)	3019.20
6	Adjustment for off-balance sheet items (i.e. conversion to credit equivalent amounts of off- balance sheet exposures)	177407.12
7	Other adjustments	(5623.70)
8	**Leverage ratio exposure**	**2229735.25**

DF 18 – Leverage ratio common disclosure template

(₹ in Million)

	Item	March 2016
	On-balance sheet exposures	**Consolidated**
1	On-balance sheet items (excluding derivatives and SFTs, but including collateral)	2045497.27
2	(Asset amounts deducted in determining Basel III Tier 1 capital)	(462.66)
3	Total on-balance sheet exposures (excluding derivatives and SFTs) (sum of lines 1 and 2)	2045034.60
	Derivative exposures	
4	Replacement cost associated with all derivatives transactions (i.e. net of eligible cash variation margin)	1935.46
5	Add-on amounts for PFE associated with all derivatives transactions	2338.87
6	Gross-up for derivatives collateral provided where deducted from the balance sheet assets pursuant to the operative accounting framework	0
7	(Deductions of receivables assets for cash variation margin provided in derivatives transactions)	0
8	(Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures)	0
9	Adjusted effective notional amount of written credit derivatives	0
10	(Adjusted effective notional offsets and add-on deductions for written credit derivatives)	0
11	Total derivative exposures (sum of lines 4 to 10)	4274.33

	प्रतिभूतियों के वित्तीयन संबंधित लेनदेन एक्सपोज़र	
12	सकल एसएफटी आस्तियां (नेटिंग की पहचान रहित), बिक्री लेखांकन लेनदेनों का समायोजन के बाद)	40019.10
13	(सकल एसएफटी आस्तियों में देय नकदी और प्राप्य नकदी की निवल राशियां)	(36999.90)
14	एसएफटी आस्तियों के लिए सीसीआर एक्सपोज़र	0
15	एजेंट लेनदेन एक्सपोज़र	0
16	कुल प्रतिभूति वित्तीयन लेनदेन एक्सपोज़र (12 से 15 तक की पंक्तियों का योग)	3019.20
	अन्य तुलन–पत्र से बाहर के एक्सपोज़र	
17	सकल नाममात्र राशि पर तुलन पत्र से बाहर के एक्सपोज़र	405871.80
18	(ऋण समतुल्य राशियों में परिवर्तन हेतु समायोजन)	(228464.68)
19	तुलन–पत्र से बाहर की मदें (17 और 18 तक की पंक्तियों का योग)	177407.12
	पूंजी और कुल एक्सपोज़र	
20	टियर I पूंजी	152948.85
21	कुल एक्सपोज़र (पंक्ति 3, 11, 16 और 19 का योग)	2229735.25
22	**बेसल III लिवरेज अनुपात**	**6.86%**

	Securities financing transaction exposures	
12	Gross SFT assets (with no recognition of netting), after adjusting for sale accounting transactions	40019.10
13	(Netted amounts of cash payables and cash receivables of gross SFT assets)	(36999.90)
14	CCR exposure for SFT assets	0
15	Agent transaction exposures	0
16	Total securities financing transaction exposures (sum of lines 12 to 15)	3019.20
	Other off-balance sheet exposures	
17	Off-balance sheet exposure at gross notional amount	405871.80
18	(Adjustments for conversion to credit equivalent amounts)	(228464.68)
19	Off-balance sheet items (sum of lines 17 and 18)	177407.12
	Capital and total exposures	
20	Tier 1 capital	152948.85
21	Total exposures (sum of lines 3, 11, 16 and 19)	2229735.25
22	**Basel III leverage ratio**	**6.86%**

NOTES

NOTES

NOTES

पर्यावरण के अनुकूल निर्मित अभियान – समय की मांग को महसूस करते हुए हरियाली से पूर्ण धरती के लिए – श्री महेश कुमार जैन, प्रनि एवं मुकाअ, अखिल भारतीय पौधारोपण की शुरुआत करते हुए । इंडियन बैंक टीम ने अपने कार्यालयों / अंचलों / शाखाओं की सहायता से 1.20 लाख पौधों का पौधारोपण किया ।

Go Green Drive – beginning of the *pan*-India plantation of saplings by MD & CEO Shri. M.K. Jain realizing the need of hour for Green Earth, the Team Indian Bank planted 1.20 Lakh saplings through its offices / Zones / Branches

स्वच्छ भारत – एक सतत प्रक्रिया, श्री महेश कुमार जैन, प्रनि एवं मुकाअ, मरीना बीच पर स्वच्छ भारत अभियान के दौरान जनसमूह को प्रोत्साहित करते हुए ।

Swachh Bharat – A continuous process Shri. M.K. Jain, MD & CEO motivating the gathering during the Swachh Bharat Mission Drive at Marina Beach

109 वें स्थापना दिवस के अवसर पर कॉर्पोरेट कार्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन । इस अवसर पर 1948 कर्मचारियों ने रक्तदान एवं 1810 कर्मचारियों ने नेत्र / अंग दान किया ।

Blood Donation Camp at Corporate Office on the eve of 109th Foundation Day
1948 employees donated Blood and 1810 employees donated Eye / Organ on the occasion

हमें इन योजनाओं के सहयोग में गर्व है
We are proud to be associated with

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

MAKE IN INDIA

Digital India
Power To Empower

Skill India
कौशल भारत - कुशल भारत

STARTUP INDIA
STAND UP INDIA

Designed by MCS Communications Pvt. Ltd.

कॉर्पोरेट कार्यालय / Corporate Office :
254-260, अव्वै षण्मुगम सालै / Avvai Shanmugam Salai,
रायपेट्टा / Royapettah, चेन्नै / Chennai - 600 014.
ई–मेल / E-mail : indmail@indianbank.co.in
टोल फ्री / Toll Free : 1800 425 00 000 देखें / Visit us at : www.indianbank.in
ट्विटर पर भी फॉलो करें / Also follow us on twitter www.twitter.com/myindianbank

इंडियन बैंक
Indian Bank
आपका अपना बैंक • YOUR OWN BANK